



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए



छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या— 04

(निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा—सिविल एवं वाणिज्यिक)

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का
निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

विषय सूची

विषय	संदर्भ	
	कंडिका क्र.	पृष्ठ क्र.
प्राक्कथन		ix
विहंगावलोकन		xi

भाग-1: सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र

अध्याय 1— परिचय

इस प्रतिवेदन के विषय में	1.1	1
विभागों के व्यय की रूपरेखा	1.2	1
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय	1.3	2
लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार	1.4	3
नियोजन एवं लेखापरीक्षा का संचालन	1.5	3
लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों की प्रतिक्रिया	1.6	5
आभार	1.7	7

अध्याय 2— निष्पादन लेखापरीक्षा

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

"अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के कार्यान्वयन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.1	9

अध्याय 3— अनुपालन लेखापरीक्षा

जल संसाधन विभाग

सिंचाई परियोजना हेतु नाबार्ड सहायता प्राप्त ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ)	3.1	45

कृषि विकास, किसान कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना	3.2	67
एकीकृत बागवानी विकास मिशन का कार्यान्वयन एवं खरीद	3.3	89

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण	3.4	111

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग		
बिगड़े वनों का सुधार कार्य का कार्यान्वयन	3.5	131
लेखापरीक्षा कंडिकाएं	3.6	155
लोक निर्माण विभाग		
कार्य पूरा होने से पहले अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा विमुक्त करना	3.6.1	155
अपूर्ण स्काई वॉक पर निरर्थक व्यय	3.6.2	157

भाग-2: राजस्व क्षेत्र

अध्याय 4— सामान्य		
प्रस्तावना	4.1	161
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	4.2	161
लेखापरीक्षा प्राधिकार	4.3	167
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	4.4	167
बकाया राजस्व का विश्लेषण	4.5	168
लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया	4.6	169
अध्याय 5— अनुपालन लेखापरीक्षा		
राज्य कर विभाग		
माल एवं सेवा कर भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी	5.1	171

भाग-3: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

अध्याय 6— अनुपालन लेखापरीक्षा		
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड		
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में उपभोक्ता बिलिंग और संग्रहण दक्षता	6.1	203

परिशिष्ट

परिशिष्ट क्र.	विषय	संदर्भ	
		कंडिका क्र.	पृष्ठ क्र.
(भाग-1)			
1.1	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का विभागवार विवरण (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र)	1.6.1	237
1.2	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का विभागवार विवरण (पीएसयू)	1.6.1	238
1.3	अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाने के प्रकरण वाले ईकाइयों का विवरण	1.6.5	239
2.1.1	अमृत के तहत माइलस्टोन की प्राप्तियों को प्रदर्शित करने वाला विवरण	2.1.7.3	240
2.1.2	क्षमता निर्माण के अंतर्गत कार्यकर्ताओं को प्रदान किये गये प्रशिक्षण का विवरण	2.1.7.3	244
2.1.3	अमृत योजना के तहत निष्पादित अपूर्ण कार्यों का विवरण	2.1.8.2	245
2.1.4	जल आपूर्ति योजना में पीएससीपी और डीआई के-7 और के-9 पाइप के लागत में अंतर का विवरण	2.1.8.4	246
2.1.5	अमृत मिशन के अंतर्गत जारी की गई निविदा का विवरण	2.1.9.2	248
3.1.1	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण किए बिना ही कार्य सौंपे जाने के कारण कार्य पूरा न होने को दर्शाने वाला विवरण	3.1.8.1	251
3.1.2	सिंचाई क्षमता (आईपी) का कम/सृजन न होना	3.1.8.6	252
3.2.1	राज्य कार्य योजना में स्वीकृत हस्तक्षेप वार लक्ष्य को दर्शाने वाला विवरण (चावल)	3.2.6.1	256
3.2.2	राज्य में प्रदर्शनों का लक्ष्य और उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण	3.2.7.1	257
3.2.3	चयनित जिले में क्रीपिंग सिस्टम का लक्ष्य और उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण	3.2.7.1(iii)	258

3.2.4	राज्य में कृषि उपकरणों के वितरण का लक्ष्य और उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण	3.2.7.3(ii)	259
3.2.5	बीजीआरईआई जिलों में योजना के अंतर्गत उत्पादकता की स्थिति दर्शाने वाला विवरण	3.2.9.1	261
3.3.1	मार्च 2022 तक बकाया अस्थायी अग्रिमों का विवरण	3.3.7.2	262
3.3.2	शेड नेट के निर्माण के लिए सब्सिडी पर व्यय	3.3.8.3	262
3.3.3	शेडनेट हाउस पर सब्सिडी के अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण	3.3.8.3	263
3.3.4	कम लागत वाली प्रतिरक्षण इकाई के लिए दी गई सब्सिडी का विवरण	3.3.8.5	264
3.4.1	एक ही प्रशिक्षु को दो अलग-अलग/समान पाठ्यक्रमों में एक साथ प्रशिक्षण दिए जाने के मामलों को दर्शाने वाला विवरण	3.4.7.3(ब)	265
3.4.2	शासकीय वीटीपी के पास पड़ी उपयोग नहीं की गई राशि का विवरण	3.4.8.1	268
3.5.1	चयनित वनमंडलो द्वारा वर्ष 2019-22 के दौरान किए गए आरडीएफ (वृक्षारोपण रहित) कार्य का विवरण	3.5.11.1	270
3.5.2	रिक्त क्षेत्र में आरडीएफ कार्य किए जाने के कारण अनियमित व्यय का विवरण	3.5.11.1	272
3.5.3	पौधों की कम जीवित रहने की प्रतिशतता के कारण अनुपयोगी व्यय का विवरण	3.5.11.2(क)	278
3.5.4	वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक वनग्राम क्षेत्र में किये गये आरडीएफ कार्य का विवरण	3.5.11.2(ख)	279
3.5.5	सीपीटी पर वृक्षारोपण कार्य के मानदंडों का पालन न करने के कारण अधिक व्यय का विवरण	3.5.11.3(क)	280
3.5.6	सीपीटी पर वृक्षारोपण कार्य के मानदंडों का पालन न करने के कारण अधिक व्यय का विवरण	3.5.11.3(ख)	284
3.5.7	सीपीटी पर वृक्षारोपण कार्य के मानदंडों का पालन न करने के कारण अधिक व्यय का विवरण	3.5.11.3(ग)	290
3.5.8	आरडीएफ क्षेत्र में अधूरे कार्यों का विवरण	3.5.11.4	296

3.5.9	पौधों के कम जीवित प्रतिशतता पर निष्फल व्यय का विवरण	3.5.12.2(ग)	304
3.5.10	क्रय नियम का पालन किए बिना बीज खरीद का विवरण	3.5.12.4(क)	306
3.5.11	सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना अन्य विक्रेताओं से अनियमित गोबर क्रय का विवरण	3.5.12.4(ख)	308
3.5.12	मिट्टी परीक्षण के बिना किये गये वृक्षारोपण कार्य का विवरण	3.5.12.5	310
3.5.13	आरडीएफ (वृक्षारोपण सहित) कार्य (प्रथम वर्ष से छठे वर्ष तक) पर आवंटन और व्यय का विवरण	3.5.12.6	312
3.5.14	आरडीएफ (प्रथम वर्ष से छठे वर्ष तक) कार्य पर आवंटन और व्यय का विवरण	3.5.13.1	314

(भाग-2)

5.1.1	विभिन्न श्रेणियों की लेखापरीक्षा के लिए नमूने के बटवारे का विवरण	5.1.5	316
5.1.2	2017-18 से 2020-21 के दौरान विवरणी नहीं दाखिल करने वालों/देर से दाखिल करने वालों का विवरण	5.1.7.1	331
5.1.3	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज के अनारोपण का विवरण	5.1.7.1	333
5.1.4	2018-19 से 2020-21 के दौरान जारी किए गए एसएमटी 10/कारण बताओ सूचनाओं का विवरण	5.1.7.2	334
5.1.5	2017-18 से 2020-21 के दौरान पंजीयन निरस्तीकरण और अंतिम विवरणी (जीएसटीआर 10) दाखिल नहीं किए जाने का विवरण	5.1.7.3(अ)	336
5.1.6	करदाताओं के आवेदनों पर विलंबित पंजीयन निरस्तीकरण का विवरण	5.1.7.3(ब)	337
5.1.7(ए)	ऐसे प्रकरण जिनमें करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि की त्रुटियाँ की गई, का विवरण	5.1.8.1 एवं 5.1.8.5	338
5.1.7(बी)	ऐसे प्रकरण जिनमें लेखापरीक्षा द्वारा क्वेरी जारी करने से पूर्व कार्यवाही की जा चुकी थी, का विवरण	5.1.8.1 एवं 5.1.8.6	342
5.1.7(सी)	जिन प्रकरणों में विभाग द्वारा वैध स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया, का विवरण	5.1.8.1	344
5.1.7(डी)	जिन प्रकरणों में लेखापरीक्षा के दौरान राशि की वसूली की गई, का विवरण	5.1.8.1 एवं 5.1.8.3	349

5.1.7 (ई)	जिन प्रकरणों में करदाताओं को सूचनाएँ जारी की गई का विवरण	5.1.8.1 एवं 5.1.8.3	350
5.1.7 (एफ)	जिन प्रकरणों में करदाताओं को एसएमटी 10 जारी किया गया, का विवरण	5.1.8.1 एवं 5.1.8.3	353
5.1.7(जी)	जिन प्रकरणों में लेखापरीक्षा ने विभाग के उत्तर का खंडन किया, का विवरण	5.1.8.1 एवं 5.1.8.4	355
5.1.8	विस्तृत लेखापरीक्षा के अंतर्गत जिन प्रकरणों में करदाताओं द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, का विवरण	5.1.9	356
5.1.9	जिन प्रकरणों में करदाताओं द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया गया, का विवरण	5.1.9.1(ए)	358
5.1.10	जिन प्रकरणों में विवरणियों के विलंबित दाखिले पर विलंब फीस का भुगतान नहीं किया गया/ कम किया गया, का विवरण	5.1.9.1(बी)	358
5.1.11	जिन प्रकरणों में जीएसटी विवरणियों में डेटा प्रविष्टि की त्रुटियाँ की गई थीं, का विवरण	5.1.9.1(सी)	359
5.1.12	जिन प्रकरणों में अधिक आईटीसी लिया जाना देखा गया, का विवरण	5.1.9.2(ए) (I)	360
5.1.13	जिन प्रकरणों में आईटीसी का रिवर्सल नहीं देखा गया / कम देखा गया, का विवरण	5.1.9.2(सी) (I)	361
5.1.14	जिन प्रकरणों में कर का कम भुगतान देखा गया, का विवरण	5.1.9.3(ए) (I)	362
5.1.15	जिन प्रकरणों में कर का कम भुगतान देखा गया, का विवरण	5.1.9.3(ए) (II)	362
5.1.16	ऐसे प्रकरण जिनके वार्षिक विवरणी एवं वित्तीय विवरण में असमायोजित कर का भुगतान देखा गया, का विवरण	5.1.9.3(बी) (I)	363

(भाग-3)

6.1.1	चयनित सर्किल कार्यालय एवं उसके संभाग कार्यालय	6.1.5	364
6.1.2	चयनित सर्किलों में वितरण हानि को दर्शाने वाला विवरण	6.1.7.1	365
6.1.3	मार्च 2022 तक चयनित सर्किलों में कुल वर्तमान डीटीआर, डीटीआर जहां मीटर लगाए गए/ नहीं लगाए गए और मीटर रीडिंग नहीं ली गई, की जानकारी दर्शाने वाला विवरण	6.1.7.2 (क)	367

6.1.4	चयनित सर्किलों में 33/11 केवी उप-स्टेशन (एसएस) और उन एसएस जहां कैपेसिटर बैंक (सीबी) स्थापित हैं, की कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण	6.1.7.2 (ख)	368
6.1.5	चयनित सर्किलों में वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान निष्पादन परिचालन एवं संधार.। (ओ एंड एम) और सतर्कता जांच, चोरी के मामलों का पता लगाने और वसूल की गई राशि को प्रदर्शित करने वाला विवरण	6.1.7.4	371
6.1.6	चयनित सर्किलों में केजेजेवाई उपभोक्ताओं के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन को दावा की गई अतिरिक्त सब्सिडी को दर्शाने वाला विवरण	6.1.7.6	374
6.1.7	चयनित सर्किलों में वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान संग्रहण दक्षता दर्शाने वाला विवरण	6.1.8.1 एवं 6.1.8.2	375
6.1.8	(क) कंपनी द्वारा योजनावार दावा की गई और प्राप्त सब्सिडी को दर्शाने वाला विवरण (ख) कंपनी द्वारा लिए गए ऋण और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सब्सिडी जारी न करने के कारण उस पर ब्याज को दर्शाने वाला विवरण	6.1.8.7	377

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जाने हेतु छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ शासन से संबंधित यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में तीन भाग हैं:

भाग—एक सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन के विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है। इसमें छत्तीसगढ़ शासन के नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग के निष्पादन लेखापरीक्षा तथा जल संसाधन विभाग; कृषि विकास, किसान कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग; कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, वन विभाग और लोक निर्माण विभाग के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को शामिल किया गया है।

भाग—दो में छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व क्षेत्र विभाग के अंतर्गत राज्य कर विभाग के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को शामिल किया गया है।

भाग—तीन छत्तीसगढ़ शासन के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है, जो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अंतर्गत राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

इस प्रतिवेदन में उन मामलों का उल्लेख किया गया है जो वर्ष 2021–22 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये, साथ ही साथ गत वर्षों के ऐसे मामले जो ध्यान में तो आये थे परंतु पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके थे। वर्ष 2021–22 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी सम्मिलित किया गया है, जहाँ आवश्यक रहा हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संचालित की गई है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में छः अध्याय हैं जिनमें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से संबंधित एक निष्पादन लेखापरीक्षा, सामान्य, सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत पाँच विभागों से संबंधित छः अनुपालन लेखापरीक्षाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित एक अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिवेदन में लोक निर्माण विभाग से संबंधित दो लेखापरीक्षा कंडिकाएं शामिल हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लिए निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा का संचालन किया गया है। लेखापरीक्षा के नमूने सरल यादृच्छिक नमूनाकरण बिना प्रतिस्थापन विधि, स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण बिना प्रतिस्थापन विधि, आइडिया सॉफ्टवेयर के उपयोग से यादृच्छिक नमूनाकरण और परिमाण सापेक्ष संभाव्यता क्रमबद्ध नमूनाकरण विधि के आधार पर लिये गये हैं। अपनाई गई विशिष्ट लेखापरीक्षा पद्धति का उल्लेख अनुपालन लेखापरीक्षाओं में किया गया है। शासन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाले गये हैं तथा अनुशंसाएं की गयी हैं।

अध्याय 1

यह अध्याय सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र से संबंधित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर शासन की प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ विभागों के व्यय पर संक्षिप्त विवेचना तथा लेखापरीक्षा की योजना और सीमा प्रस्तुत करता है।

अध्याय 2

यह अध्याय अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से संबंधित है। इस अध्याय में सम्मिलित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का सार नीचे दिया गया है:

(i) अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) का कार्यान्वयन

निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए किया गया था कि नियोजन और निधियों का प्रबंधन योजना के दिशानिर्देशों पर आधारित था; निविदा, अनुबंध प्रबंधन और कार्य का निष्पादन निष्पक्ष, पारदर्शी एवं प्रचलित क्षेत्र की उत्तम प्रथाओं के अनुरूप था; तथा निगरानी एवं संचालन और रखरखाव कुशल और प्रभावी थे।

राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार, मिशन शहरों द्वारा 36-37 माइलस्टोन प्राप्त किए गए थे। जबकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि मात्र 15-16 माइलस्टोन ही प्राप्त किए गए हैं। क्षमता निर्माण के माध्यम से नगरपालिका पदाधिकारियों को सशक्त बनाने का इच्छित उद्देश्य उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान न किए जाने के कारण पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना का निष्पादन बहुत धीमा था क्योंकि कुल 114 कार्यों में से ₹ 1,712.07 करोड़ की लागत के 19 कार्य मार्च 2023 तक अपूर्ण थे तथा 20 कार्य 3 से 33 महीने के विलंब से पूर्ण किए गए थे। जल आपूर्ति परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलंब के कारण मिशन अवधि के दौरान नौ मिशन शहरों में से आठ में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त वितरण नेटवर्क, पीएलसी-स्काडा और मीटर स्थापना के अपूर्ण कार्य के कारण नौ मिशन शहरों के रहवासियों को 135 एलपीसीडी पानी उपलब्ध कराने के सेवा स्तर मानक को प्राप्त नहीं किया जा सका।

मिशन सिटी, राजनांदगांव द्वारा खरखरा बांध में सिविल कार्यों के शुरुआत को सुनिश्चित किए बिना ही अनुपचारित सतही जल की आपूर्ति के लिए जनवरी 2021 में मोहारा

एनीकट और खरखरा बांध के मध्य पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया गया। इसके तहत, बिछाई गई पाइपलाइन का उपयोग नहीं किया जा सका और ₹ 62.53 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। इसी प्रकार, मिशन सिटी बिलासपुर ने नहर लिकिंग परियोजना की पूर्णता को सुनिश्चित किए बिना अनुपचारित सतही जल की आपूर्ति के लिए 26.50 किलोमीटर पाइपलाइन (लागत ₹ 84.87 करोड़) बिछाने का कार्य निष्पादित किया जिससे बिलासपुर में जल के मांग की पूर्ति प्रभावित रही।

सात मिशन शहरों में जल आपूर्ति योजना के लिए पाइप सामग्री का चयन विस्तृत आर्थिक विश्लेषण किए बिना ही किया गया था और राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा डीपीआर की स्वीकृति प्रदान करते समय पाइप सामग्री के चयन के लिए मानदंड/आधार को समान रूप से लागू नहीं किया गया था। अनुबंध में उत्पाद शुल्क छूट के प्रावधान के होते हुए भी बिल ऑफ क्वांटिटी (बीओक्यू) में उत्पाद शुल्क सहित दरों की अनुमति देने के कारण भिलाई जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत ₹ 9.52 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्माण विभाग मैनुअल में निर्धारित मानक अनुबंध की शर्तों को शामिल नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप मिशन शहरों द्वारा निष्पादित समान प्रकार के अनुबंधों में शास्ति संबंधी शर्तों में भिन्नता थी। मिशन शहरों द्वारा मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली, शास्ति लगाने आदि से संबंधित अनुबंध की निबंधनों और शर्तों को सही से लागू न करने के कारण ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिया गया।

चार मिशन शहरों में अपशिष्ट जल के उपचार हेतु सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) की स्थापना के लिए प्रारम्भ की गई सात परियोजनाओं/कार्यों में से छः कार्य पूर्ण किए गये थे। हालांकि, इन मिशन शहरों में से किसी ने भी पुनर्चक्रित जल के उपयोग के बारे में जनता को संवेदनशील बनाने या सुविधा प्रदान करने के लिए कोई नीति या कार्ययोजना नहीं बनाई। परिणामस्वरूप, पुनर्चक्रित अपशिष्ट जल का उपयोग गैर-पेय उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया और उसे स्थानीय नाले या नदी में प्रवाहित किया जा रहा था।

वर्ष 2017-2022 के दौरान पांच मिशन शहरों में जल शुल्क का संग्रहण प्रतिशत 10.50 प्रतिशत से 80.69 प्रतिशत तक था, जो कि अमृत दिशा-निर्देशों में निर्धारित 90 प्रतिशत के मानदंड से काफी कम था। मिशन शहरों का जीआईएस आधारित मास्टर प्लान पांच साल के विलंब के बाद भी तैयार नहीं किया गया था।

- सभी सेवा स्तरीय मानक हासिल करने के प्रयास किए जाने चाहिए और क्षमता निर्माण के लिए शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों/अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
- अनुबंध की सामान्य और मानक शर्तों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए निर्माण विभाग मैनुअल में निर्धारित मानक अनुबंध दस्तावेजों को सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपनाया जाना चाहिए।
- अनुबंध में निर्धारित निबंधनों एवं शर्तों का सख्ती से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए तथा अनुबंध की शर्तों को शिथिल करके ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने से बचना चाहिए।
- पुनर्चक्रित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की नीति को सभी मिशन शहरों में उचित रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
- जल आपूर्ति योजना और सीवेज प्रबंधन प्रणाली को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जल/उपयोगकर्ता शुल्क का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जा सकता है तथा जल/उपयोगकर्ता शुल्क के शत-प्रतिशत संग्रहण के प्रयास किए जाने चाहिए।

(कंडिका 2.1)

अध्याय 3

यह अध्याय (i) सिंचाई परियोजना हेतु नाबार्ड सहायता प्राप्त ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि; (ii) पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना; (iii) एकीकृत बागवानी विकास मिशन के कार्यान्वयन और खरीद; (iv) छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण एवं (v) बिगड़े वनों के सुधार कार्य के कार्यान्वयन पर पाँच अनुपालन लेखापरीक्षाओं तथा दो अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं के निष्कर्षों से संबंधित है। इस अध्याय में सम्मिलित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का सार नीचे दिया गया है:

(i) सिंचाई परियोजना हेतु नाबार्ड सहायता प्राप्त ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) पर अनुपालन लेखापरीक्षा

अनुपालन लेखापरीक्षा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा सहायता प्राप्त आरआईडीएफ के माध्यम से वित्तपोषित सिंचाई परियोजनाओं के नियोजन और निष्पादन, परियोजनाओं को समय पर पूरा करने निधि जारी करने और उनके उपयोग तथा लक्षित सिंचाई क्षमता के सृजन और उपयोग की जांच करने के उद्देश्य से की गई थी।

नाबार्ड सहायता प्राप्त ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के माध्यम से वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान स्वीकृत 60 परियोजनाओं में से मार्च 2022 तक केवल 15 परियोजनाएं पूरी हुईं और 45 परियोजनाएं अधूरी रहीं।

लेखापरीक्षा ने 39 कार्यों की नमूना जांच किया और पाया कि विभिन्न कारणों से जैसे भूमि अधिग्रहण में विलंब, कोविड-19 के दौरान कार्य की धीमी प्रगति और नहर नेटवर्क में कमांड क्षेत्र का ओवरलैपिंग और अन्य मुद्दे आदि के कारण 15 कार्य अभी भी अपूर्ण हैं। परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलंब के कारण 36,776 हेक्टेयर की डिजाइन/प्रस्तावित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध 17,715 हेक्टेयर (48 प्रतिशत) की सिंचाई क्षमता की कमी/सृजन नहीं हुआ।

छत्तीसगढ़ शासन के आदेश (दिसंबर 2013) का उल्लंघन करते हुए, जल संसाधन विभाग के चार संभागों ने वर्ष 2016–20 के दौरान ₹ 40.63 करोड़ के निविदा की अनुमानित लागत के साथ छः कार्यों के लिए निविदा जारी की थी और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पूरा किए बिना कार्य का निष्पादन भी शुरू कर दिया था और भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरणों में देरी के कारण ये सभी कार्य जून 2024 तक अपूर्ण थे। कल्हामार व्यपवर्तन योजना के लिए नहर का कार्य नहीं करने के कारण शीर्ष कार्य के निर्माण पर किए गए ₹ 2.06 करोड़ का व्यय निरर्थक हो गया क्योंकि विगत 15 वर्षों से संरचना का उपयोग नहीं किया गया था और 262 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजन करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका। सूरजपुर ब्लॉक में रेहर नदी पर व्यपवर्तन योजना के लिए उपयोगिता सुनिश्चित नहीं करते हुए वीयर (हेड वर्क) का निर्माण नहर के बिना किया गया, जिससे ₹ 28.02 करोड़ का अपव्यय हुआ।

अरपा भैसाझार वृहद परियोजना में, लेखापरीक्षा ने पाया कि वन मंजूरी, पर्यावरण मंजूरी, अंतर-राज्यीय मंजूरी और केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा डीपीआर की मंजूरी जैसे आवश्यक वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने से पूर्व ही कार्य शुरू कर दिया गया था। जिसके परिणामस्वरूप कार्य के दायरे एवं परियोजना की लागत में बदलाव हुआ। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में देरी के कारण परियोजना अधूरी रही, सीडब्ल्यूसी द्वारा अनुमोदित डीपीआर के अनुसार 386.90 किलोमीटर की डिजाइन की गई लंबाई में से केवल 329.46 किलोमीटर लंबाई की नहर का निर्माण पूरा हो पाया। इसके अलावा, कार्य शुरू होने के 10 साल से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी नहर का काम पूरा न होने के कारण डिजाइन की गई सिंचाई क्षमता प्राप्त नहीं की जा सकी।

- परियोजना की निर्धारित सिंचाई क्षमता को प्राप्त करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- परियोजना प्रारम्भ करने से पूर्व नहर कार्य के लिए भूमि की उपलब्धता का आकलन/सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण करने के पश्चात हेडवर्क और नहर कार्य की तकनीकी स्वीकृति समग्र रूप से दी जानी चाहिए।
- परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब से बचने के लिए निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सभी वैधानिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जानी चाहिए।

(कंडिका 3.1)

(ii) पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने (बीजीआरईआई) पर अनुपालन लेखापरीक्षा

बीजीआरईआई पर अनुपालन लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिए किया गया था कि क्या योजना को दिशानिर्देशों के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा था, योजना के तहत विभिन्न हस्तक्षेपों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निष्पादित किया गया था और विभाग द्वारा मितव्यता से धन जारी किया गया था, लेखाबद्ध किया गया था और उपयोग किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चावल के प्रदर्शन के लिए लिया गया क्षेत्र आम तौर पर वर्ष 2018–21 की अवधि में कम हो गया। वर्ष 2017–21 के दौरान स्ट्रेस टालरेन्स किस्मों के लिए निधि आवंटन 7–27 प्रतिशत के बीच था जो कि 30 प्रतिशत के निर्धारित मानदंड से कम था। प्रमाणित बीजों के उत्पादन को हाईब्रिड बीजों की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी गई थी, भले ही हाईब्रिड बीजों का उत्पादन प्रमाणित बीजों की तुलना में अधिक था।

वर्ष 2017–18 में वितरण को छोड़कर, चावल के हाईब्रिड बीजों के उत्पादन और वितरण का निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2017–21 की अवधि के दौरान प्राप्त नहीं किए गए थे। योजना के तहत कुल आवंटन में से परिसंपत्ति निर्माण के लिए किया गया व्यय वर्ष 2017–21 के दौरान 13 से 15 प्रतिशत के बीच था जो दिशानिर्देशों के अनुसार 20 प्रतिशत के वांछित आवंटन से कम था। परिसंपत्ति निर्माण में उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित बिजली उपकरणों के बजाय मैनुअल उपकरणों पर अधिक व्यय किया गया था। विभाग, निधियों के कम आवंटन के कारण फसल कटाई के बाद प्रबंधन और विपणन सुविधाओं को पर्याप्त रूप से विकसित नहीं कर सका। इसके अलावा, वर्ष 2017–21 की अवधि के दौरान, चावल और गेहूं के उत्पादन में क्रमशः 8 और 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, चावल और गेहूं के लिए छत्तीसगढ़ की समग्र उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से क्रमशः 16 प्रतिशत और 54 प्रतिशत कम थी।

विभाग वर्ष 2017–21 की अवधि के दौरान उपलब्ध निधियों का 47–91 प्रतिशत उपयोग कर सका। वित्तीय वर्ष के भीतर निधियों के उपयोग नहीं करने के कारण वर्ष 2020–21 में भारत सरकार और राज्य के हिस्से की राशि ₹ 24.26 करोड़ कम जारी हुई। वर्ष 2017–21 की अवधि के दौरान अंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को 14 से 49 महीने की देरी से प्रस्तुत किए गए थे। राज्य स्तर, जिला स्तर पर निगरानी निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं था।

- चावल और गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए स्ट्रेस टालरेन्स किस्मों और हाईब्रिड बीज किस्मों जैसी उच्च उपज तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- किसानों की आय बढ़ाने के लिए चावल परती क्षेत्रों को खेती के अंतर्गत लाने के लिए क्रोपिंग सिस्टम बेस्ड दृष्टिकोण का पालन किया जाना चाहिए।

(कंडिका 3.2)

(iii) एकीकृत बागवानी विकास मिशन के कार्यान्वयन और खरीद पर अनुपालन लेखापरीक्षा

अनुपालन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या नियोजन और निधि प्रबंधन पर्याप्त और प्रभावी था; योजनाओं को सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और निर्धारित मानदंडों के अनुसार क्रियान्वित किया गया था और खरीद योजना के दिशा-निर्देशों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों के अनुरूप की गई थी।

राज्य में बागवानी फसलों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल 2019-20 में 8.62 लाख हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2021-22 में 8.35 लाख हेक्टेयर रह गया। लेखापरीक्षा ने नियोजित गतिविधियों से विचलन देखा जिसके परिणामस्वरूप योजना के तहत लक्षित गतिविधियों की प्राप्ति नहीं हुई। सेंटर ऑफ एक्सिलेंस, कोल्ड चेन अवसंरचना, जैविक खेती और प्रमाणन जैसी प्रमुख गतिविधियों की योजना हालांकि वर्ष 2017-22 की परिप्रेक्ष्य योजना में बनाई गई थी, लेकिन उन्हें वार्षिक कार्य योजना का हिस्सा नहीं बनाया गया और इस प्रकार उन्हें कार्यान्वयन के लिए नहीं लिया गया। योजना के कार्यान्वयन में कमियाँ जैसे कि शेडनेट हाउस के निर्माण में सब्सिडी का अनियमित वितरण, प्राकृतिक वातायन प्रणाली ग्रीन हाउस संरचना के लिए सब्सिडी का अधिक भुगतान, प्रतिरक्षण इकाई के सभी घटकों की स्थापना सुनिश्चित किए बिना कम लागत वाली प्रतिरक्षण इकाई के लिए सब्सिडी का वितरण पाया गया। बागवानी मशीनीकरण के अंतर्गत रोटरी टिलर, पावर वीडर और पल्वराइजर जैसी वस्तुओं की आपूर्ति, निविदा के माध्यम से तय प्रतिस्पर्धी दर के बजाय, एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)/कृषि मशीनीकरण के लिए उप मिशन के दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्वीकार्य सब्सिडी की अधिकतम राशि के आधार पर की गई, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता फर्मों को अनुचित लाभ हुआ और सरकार पर सब्सिडी का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

- *विभाग को एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।*
- *विभाग को प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से कृषि उपकरण/सामग्री की खरीद की प्रणाली को सुव्यवस्थित करना चाहिए और गुणवत्ता से समझौता किए बिना किसानों को किफायती लागत पर आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।*
- *विभाग को सब्सिडी के भुगतान के लिए दरों और अनुबंध की अन्य शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र विकसित करना चाहिए।*

(कंडिका 3.3)

(iv) छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण पर अनुपालन लेखापरीक्षा

राज्य सरकार ने कौशल प्रशिक्षण क्षमता और लोगों की लाभकारी रोजगार/स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ युवाओं का कौशल विकास का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण की स्थापना की।

राज्य में कौशल विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा कोई परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई थी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित वर्ष 2022 तक 1.25 करोड़ कार्यशील आबादी को प्रमाणित कुशल तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के विपरीत छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण ने पूरे राज्य में वर्ष 2014-23 के दौरान 7,27,039 (छ: प्रतिशत) उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने का बहुत कम लक्ष्य निर्धारित किया। इस लक्ष्य के विपरीत छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण केवल 4,70,302 प्रशिक्षुओं (65 प्रतिशत) को ही प्रमाणित कर सका। प्रधानमंत्री

कौशल विकास योजना के अंतर्गत, 17,504 के लक्ष्य के विपरीत केवल 8,481 (48 प्रतिशत) युवा सफलतापूर्वक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं में से 3,312 (39 प्रतिशत) को नियोजित नहीं किया जा सका। छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए गए प्रमाणपत्रों को राज्य सरकार द्वारा लोक नियोजन के उद्देश्य से पात्रता अर्हता के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। नौ साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इन प्रमाणपत्रों को मान्यता नहीं दिये जाने से प्रशिक्षु प्रभावित हुए तथा रोजगार और आजीविका प्राप्त करने का उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका।

चयनित जिलों में प्रशिक्षण संचालित करने के लिए पंजीकृत 91 वीटीपी में से 84 नमूना जांच वीटीपी द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया था क्योंकि 71 प्रतिशत वीटीपी ने मैन्युअल उपस्थिति प्रस्तुत की और 21 प्रतिशत वीटीपी ने किसी भी रूप में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की। वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान, कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए 3,01,361 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, हालांकि, इनमें से 2,09,040 को वीटीपी आवंटित किए गए थे, जबकि शेष 92,321 (31 प्रतिशत) उम्मीदवारों को 90 दिनों के निर्धारित समय के भीतर वीटीपी का आवंटन न होने के कारण प्रशिक्षण नहीं मिल सका। छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण ने जशपुर में एक निजी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (वीटीपी) को छात्रावास सुविधा सहित आवश्यक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना बड़ी संख्या में आवासीय प्रशिक्षण आवंटित किए थे। छात्रों के लिए आवास और कक्षा में बुनियादी ढांचे की अधिकतम क्षमता से अधिक प्रशिक्षण बैचों का आवंटन (वर्ष 2016-17) किया गया था। नमूना जांच से यह भी पता चला कि आवासीय लागत के लिए समर्थक देयकों/प्रमाणकों की जांच किए बिना भुगतान किया गया था।

वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत निधियों का उपयोग नहीं किया गया था तथा वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान मरम्मत एवं रखरखाव, सामग्री आपूर्ति और औजार एवं उपकरण शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,358.53 लाख की निधियों का उपयोग जिला कलेक्टर द्वारा नहीं किया गया था और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बजट नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से शासन को समर्पण कर दिया गया था। पंजीकृत शासकीय वीटीपी ने बिना किसी निगरानी तंत्र के प्रशिक्षण कार्यों को अन्य एजेंसियों/प्रशिक्षण भागीदारों को हस्तांतरित/आउटसोर्स किया, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित हुई। छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण/राज्य परियोजना आजीविका महाविद्यालय समिति और जिला कौशल विकास प्राधिकरण/आजीविका महाविद्यालय में विभिन्न पदों पर मानव संसाधन की अत्यधिक कमी थी जिसने गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने और वीटीपी की निगरानी पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

- छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण को राष्ट्रीय कौशल अर्हता रूपरेखा के उद्देश्यों के अनुरूप उच्च शिक्षा या लोक नियोजन के लिए कौशल विकास पाठ्यक्रमों के अंतर्गत प्रदान किए गए प्रमाणपत्रों की मान्यता सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए।
- गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वीटीपी की निगरानी में सुधार करने हेतु जिला कौशल विकास प्राधिकरण, आजीविका महाविद्यालय और छात्रावासों में कर्मचारियों की भर्ती जल्द से जल्द की जानी चाहिए।
- प्रमाणित कुशल तकनीशियन के लक्ष्य को प्राप्त करने और सभी आवेदकों को उनकी पसंद के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शासन पंजीकृत वीटीपी की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठा सकती है।

- शासन को प्रशिक्षुओं/प्रतिभागियों को आवश्यक कौशल का हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए निजी और शासकीय वीटीपी द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण की उचित निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए।

(कंडिका 3.4)

(v) बिगड़े वनों के सुधार कार्य के कार्यान्वयन पर अनुपालन लेखापरीक्षा

वर्ष 2019–22 की अवधि के लिए बिगड़े वनों के सुधार कार्य के कार्यान्वयन पर अनुपालन लेखापरीक्षा यह जांच करने के लिए किया गया कि क्या बिगड़े वनों के सुधार (आरडीएफ) कार्यों के बारे में कार्य योजनाओं में परिकल्पित निर्देशों और अनुसूचियों का पालन किया जा रहा है।

रिक्त वन क्षेत्रों में प्रारंभ किये गये ₹ 10.02 करोड़ व्यय के साथ आरडीएफ वृक्षारोपण रहित कार्य रिक्त वन क्षेत्रों के लिए निर्धारित उपचार से विचलन में था। कुल 575.12 हेक्टेयर अतिक्रमित वन क्षेत्र में वृक्षारोपण रहित बिगड़े वन के उपचार कार्य पर ₹ 99.14 लाख का व्यय किया गया जिससे ₹ 99.14 लाख का परिहार्य व्यय हुआ। बीजापुर वनमंडल ने इन कम्पार्टमेंट्स के 173.565 हेक्टेयर रिक्त वन क्षेत्र और 795.421 हेक्टेयर वनग्राम क्षेत्र में आरडीएफ वृक्षारोपण रहित कार्य पर राशि ₹ 1.67 करोड़ खर्च किए। चूंकि वनग्राम में लोग कृषि कार्य के लिए निर्मित मकानों में रहते थे इसलिए ऐसे वन क्षेत्र में बिगड़े वनों का उपचार कार्य करना संभव नहीं था, परिणामस्वरूप ₹ 1.39 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

लाइव हेज के निर्माण में मानव दिवसों के निर्धारित मानदंडों का पालन न करने के कारण क्रमशः राशि ₹ 93.87 लाख और राशि ₹ 39.46 लाख का अधिक व्यय हुआ, साथ ही मात्रा की गलत गणना के कारण राशि ₹ 38.99 लाख का अधिक व्यय हुआ। विरल वन क्षेत्र को सघन वन क्षेत्र मानकर अधिक मानव दिवस का उपयोग कर क्षेत्र की सफाई किये जाने के कारण राशि ₹ 1.11 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

चयनित 12 में से पांच वनमंडलों में मिट्टी की जांच किए बिना ही पौधरोपण कार्य शुरू कर दिया गया। इसके अलावा, छः वनमंडलों में पौधरोपण जर्नल का रखरखाव भी ठीक से नहीं किया गया। आरडीएफ वृक्षारोपण रहित कार्य का मूल्यांकन 10 वनमंडलों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार छठे वर्ष में नहीं किया गया था। इसके अलावा, 2003 कम्पार्टमेंट्स में बिगड़े वनों के उपचार कार्य के बाद, केवल 383 कम्पार्टमेंट्स (19.08 प्रतिशत) को सफलतापूर्वक घने वनों में परिवर्तित किया जा सका और पांच वनमंडलों के शेष 1620 कम्पार्टमेंट्स (80.92 प्रतिशत) को इन वनमंडलों के नये कार्य योजना के उसी आरडीएफ/पीएलडब्ल्यूसी कार्य वृत्तों में पुनः रखा गया, जो वांछित परिणाम की प्राप्ति में विलंब को दर्शाता है।

- राज्य में वनों के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना और निर्धारित पद्धति के अनुसार बिगड़े वनों का उपचार करना।
- आरडीएफ कार्यों के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए विभाग द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों, विशेष रूप से लागत और कार्मिक मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना।
- आरडीएफ वृक्षारोपण रहित कार्य के परिणाम का आकलन करने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा रिपोर्टिंग और निगरानी की एक प्रभावी प्रणाली विकसित करना।

(कंडिका 3.5)

(vi) लेखापरीक्षा कंडिकाएं

- सूरजपुर संभाग के कार्यपालन अभियंता द्वारा निविदा की विशेष शर्तों का उल्लंघन करते हुए कार्य पूरा होने से पहले ठेकेदार को अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा का समय-पूर्व विमुक्त करना और परिणामस्वरूप अनुबंध समाप्त होने के बाद ठेकेदार से जुमाने सहित ₹ 1.44 करोड़ की वसूली न करना।

(कंडिका 3.6.1)

- स्काई वॉक के निर्माण की परियोजना को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जल्दबाजी में प्रारंभ किया गया था तथा परियोजना के लिए प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति (मार्च 2017) प्राप्त किए बिना निर्माण कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी (दिसंबर 2016)। कंसल्टेंट द्वारा निविदा पूर्व चरण का कार्य पूरा किए बिना ही कार्यादेश जारी कर दिया गया जिससे कार्य के निष्पादन में बाधा उत्पन्न हुई। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्काई वॉक के डिजाइन और संरचना में बाद में किए गए संशोधन ने परियोजना की लागत में वृद्धि की तथा परियोजना के पूरा होने में और देरी की। परिणामस्वरूप, स्काई वॉक परियोजना बिना किसी उपयोगिता के अधूरी रह गई जिससे ₹ 36.82 करोड़ का व्यय व्यर्थ हो गया।

(कंडिका 3.6.2)

अध्याय 4

यह अध्याय राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों का विहंगावलोकन, पाँच वर्ष की अवधि में प्राप्तियों की प्रवृत्ति का विश्लेषण और राजस्व क्षेत्र से संबंधित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ लेखापरीक्षा की योजना और सीमा के अलावा कर राजस्व के बकाया का विवरण प्रस्तुत करता है।

अध्याय 5

इस अध्याय में माल एवं सेवा कर भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी पर अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल है। इस अध्याय में सम्मिलित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का सार नीचे दिया गया है:

(i) माल एवं सेवा कर भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी

विषय केन्द्रित अनुपालन लेखापरीक्षा, विवरणियों के दाखिले की भिन्न-भिन्न प्रवृत्ति और आकड़ों की निरंतर विसंगतियों के संदर्भ में की गई थी, जिसका उद्देश्य विवरणियों के दाखिले और कर भुगतान की निगरानी, अनुपालन की सीमा एवं अन्य विभागीय निगरानी कार्यों में प्रणाली की पर्याप्तता का आकलन करना था।

यह विषय केन्द्रित अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण के आधार पर संपादित की गई थी जिसमें जोखिम क्षेत्रों, संभावित खतरों और कुछ प्रकरणों में वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए दाखिल जीएसटी विवरणियों में नियम आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों पर प्रकाश डाला गया है। यह लेखापरीक्षा राज्य कर विभाग के निगरानी कार्यों के आकलन को दो स्तरों पर जैसे आकड़ों के स्तर पर वैश्विक आकड़ों के प्रश्नों के माध्यम से और कार्य स्तर पर वृत्तों एवं जीएसटी विवरणियों की गहन विस्तृत लेखापरीक्षा जिसमें करदाता के अभिलेखों तक पहुँचना भी निहित था, के साथ समावेश करता है। इसलिए लेखापरीक्षा के नमूने में 10 वृत्त, वैश्विक प्रश्नों के माध्यम से चयनित 13 मापदण्डों में 532 उच्च मूल्य वाली विसंगतियाँ और वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी

विवरणियों की विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए जोखिम मूल्यांकन पर चयनित 25 करदाता शामिल थे।

विभाग ने मार्च 2022 में विवरणियों की जाँच के लिए एक एसओपी तैयार करने के बाद हाल ही में वर्ष 2017-18 के लिए विवरणियों की जाँच शुरू की है। तब तक विभाग द्वारा प्रभावी तरीके से विवरणियों की जाँच नहीं की गई थी। दस वृत्तों के अभिलेखों की समीक्षा में विवरणियों की जाँच की धीमी गति या जाँच का शुरू न होना, जीएसटीआर 10 दाखिल न करने वालों के विरुद्ध अपर्याप्त अनुवर्ती कार्यवाही और पंजीयन निरस्तीकरण में देरी का पता चला।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा पहचानी गई 532 उच्च मूल्य वाली विसंगतियों में से सभी में विभाग ने उत्तर प्रस्तुत किया। इनमें से 203 प्रकरण जो कुल का 38.15 प्रतिशत हैं, उनमें ₹ 245.91 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ स्पष्ट अनुपालन कमियाँ सामने आईं। ब्याज के कम/शून्य भुगतान, इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) भिन्नता, अधिक आईटीसी के लिए जाने और कर के कम भुगतान करने में कमियों की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गई। जबकि डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ 17.11 प्रतिशत प्रकरणों में विसंगतियों का कारण बनी और 12.78 प्रतिशत प्रकरणों में विभाग ने सक्रिय कार्यवाही कर ली थी।

जीएसटी विवरणियों की विस्तृत लेखापरीक्षा से भी महत्वपूर्ण गैर-अनुपालन का पता चला। शुरुआत में 25 करदाताओं के नमूने में से पाँच प्रकरणों में आवश्यक अभिलेख जैसे वित्तीय विवरण, जीएसटीआर 9सी, जीएसटीआर 2ए एवं अन्य अपेक्षित आधारभूत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके कारण लेखापरीक्षा का दायरा महत्वपूर्ण रूप में सीमित हो गया। इन प्रकरणों में ₹ 10.67 करोड़ राशि का संभावित जोखिम था जिनमें कर के भुगतान और आईटीसी लिए जाने में भिन्नता की पहचान की गई थी। 20 करदाताओं की विवरणियाँ/आधारभूत अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई और लेखापरीक्षा ने ₹ 6.53 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ 28 अनुपालन कमियाँ पायीं। इनके मुख्य कारण अपात्र/अधिक आईटीसी लेना और आईटीसी का शून्य/कम रिवर्सल, कर का कम भुगतान और ब्याज/विलंब शुल्क का शून्य/कम भुगतान थे।

प्रमुख अनुपालन कमियों को ध्यान में रखते हुए उनके समयबाधित होने से पहले विभाग को सुधारात्मक उपाय शुरू करने चाहिए थे। एक प्रणालीगत दृष्टिकोण से विभाग को दस्तावेजीकरण की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने और विवरणियों के दाखिल करने, करदाता अनुपालन, कर भुगतान, पंजीयन निरस्तीकरण और त्रुटिकर्ताओं से बकाया की वसूली पर प्रभावी निगरानी स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए वृत्तों में संस्थागत तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

- *प्रकरणों के समय बाधित होने से पहले विभाग समयबद्ध तरीके से विवरणियों की जाँच सुनिश्चित कर सकता है।*
- *विभाग अप्राप्त कर देयताओं की जाँच के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंजीयन रद्द करने की स्थिति और उसपर की गई कार्यवाही की निगरानी कर सकता है।*
- *विभाग पाये गए अनुपालन विचलन के लिए सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कर सकता है।*

(कड़िका 5.1)

अध्याय 6

इस अध्याय में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में उपभोक्ता बिलिंग और संग्रहण दक्षता पर एक अनुपालन लेखापरीक्षा सम्मिलित है। इस अध्याय में सम्मिलित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का सार नीचे दिया गया है:

(i) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में उपभोक्ता बिलिंग और संग्रहण दक्षता

अनुपालन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए संचालित की गई थी कि क्या विद्युत की आपूर्ति, वितरण एवं विक्रय का शत-प्रतिशत लेखांकन एवं बिलिंग, विद्युत सप्लाई कोड एवं टैरिफ आदेशों के प्रावधानों के अनुसार किया गया तथा वर्तमान वर्ष के दौरान जारी किए गए देयकों एवं विगत वर्षों के बकाया का शत-प्रतिशत संग्रहण प्रभावी एवं कुशल रीति से किया गया।

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित लक्ष्य सीमा 83.50 से 84 प्रतिशत के विरुद्ध बिलिंग दक्षता 79.84 प्रतिशत से 81.98 प्रतिशत के बीच रही। कंपनी ने अपनी संग्रहण दक्षता की गणना के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित सूत्रों (फॉर्मूला) को लागू नहीं किया। परिणामस्वरूप संग्रहण दक्षता (-)0.51 प्रतिशत से 4.65 प्रतिशत तक गलत रिपोर्ट की गई। वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान कंपनी ने ₹ 49,471.89 करोड़ की लागत पर 1,26,719.50 एमयू इनपुट/क्रय किया, जिनमें से उपभोक्ताओं को ऊर्जा वितरण के दौरान ₹ 9,283.38 करोड़ मूल्य के 23,788.15 एमयू नष्ट हो गए। नष्ट हुई कुल युनिट में से 3,160.21 एमयू मानक से अधिक थी अन्यथा कंपनी को ₹ 2,157.15 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता। इसके अलावा, विक्रय की गई युनिट में से कंपनी, वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2020-21 के दौरान ₹ 1,591.20 करोड़ मूल्य की 2,376.58 एमयू की वसूली नहीं कर सकी।

अत्यधिक वितरण हानि के प्रमुख कारण डीटीआर मीटरिंग, स्मार्ट मीटरिंग में तीव्रता लाने में कंपनी की अकर्मण्यता, एएमआर सिस्टम और सीबी की गैर-स्थापना, ऑकलित बिलिंग के मामलों की अधिकता और खराब मीटरों को बदलने में हुई देरी थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,353.60 करोड़ मूल्य के 1,988.64 एमयू की हानि हुई।

चयनित सर्किलों के लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि 31 मार्च 2022 तक, वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) की कुल संख्या 64,451 में से 52,926 डीटीआर से मीटर रीडिंग नहीं ली गई थी। इसके अलावा, इन 52,926 डीटीआर में से 45,343 डीटीआर (70.35 प्रतिशत) में मीटर स्थापित नहीं किए गए थे और शेष 7,583 डीटीआर (11.77 प्रतिशत) के मामले में, रीडिंग नहीं ली जा रही थी।

कंपनी ने ₹ 2.65 करोड़ की कम बिलिंग कर उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ पहुँचाया। कृषक जीवन ज्योति योजना अंतर्गत ऊर्जा की खपत कृषि पंपों के अधिकतम रेटेड क्षमता से अधिक थी। परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ शासन को पांच वर्षों में 213.37 एमयू का अतिरिक्त बिल किया गया एवं योजना के अंतर्गत ₹ 145.51 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी का दावा किया गया।

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान नमूना इकाइयों में किसी ने भी 99.66 प्रतिशत संग्रहण दक्षता का लक्ष्य हासिल नहीं किया है। संग्रहण दक्षता लक्ष्य हासिल न करने के मुख्य कारण व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के बिजली आपूर्ति को विच्छेदित करने में कंपनी की निष्क्रियता, विच्छेदित किए गए उपभोक्ताओं के विरुद्ध बकाया वसूली अधिनियम के अनुसार प्रभावी कार्रवाई का अभाव, सरकारी विभागों से बकाया, उपभोक्ताओं से उचित सुरक्षा निधि का संग्रहण न करना और परिचालन एवं रखरखाव और सतर्कता जांच के दौरान की गई मांग के विरुद्ध वसूली के लिए प्रभावी कार्रवाई का अभाव था। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा केजेजेवाई योजना अंतर्गत प्लेट रेट सुविधा का चयन करने वाले उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए गए ऊर्जा के संबंध में सब्सिडी की प्रतिपूर्ति नहीं करने से कंपनी को ₹ 2,163.43 करोड़ का भार वहन करना पड़ा। कंपनीने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सब्सिडी विमुक्त करने में विलंब के कारण वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान अपने खर्च वहन करने के लिए बैंको/वित्तिय संस्थानों से ₹ 2,097.44 करोड़ का ऋण लिया

उस पर ₹ 214.77 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया। कंपनी ने उपभोक्ताओं के गलत वर्गीकरण एवं परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ शासन से कम सब्सिडी दावा करने के कारण ₹ 15.74 करोड़ के राजस्व की हानि वहन की। कंपनी न तो अनादृत धनादेशों के संबंध में स्थाई अनुदेशों का पालन सुनिश्चित कर सकी, जिससे राजस्व की प्राप्ति में विलंब हुआ और न ही रोकड़ बही एवं बैंक खातों का समाधान किया। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2022 की स्थिति में ₹ 301.83 करोड़ की राशि का समाधान नहीं हो पाया।

- कंपनी को वितरण ट्रांसफार्मरों की मीटरिंग, स्मार्ट मीटरिंग, स्वचालित मीटर रीडिंग सिस्टम और कैपेसिटर बैंकों की स्थापना, खराब मीटरों को बदलने में तेजी लाने और उच्च बिलिंग दक्षता प्राप्त करने के लिए सही बिलिंग सुनिश्चित करने और वितरण हानि को कम करने की आवश्यकता है।
- कंपनी को उपभोक्ताओं को गलत बिलिंग, अनादृत चेक के संबंध में स्थायी आदेशों का अनुपालन न करने और समय पर रोकड़-बही और बैंक खाते का समाधान न करने के लिए जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है।
- बकाया वसूली के लिए तेजी से उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिसमें व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेद किए जाएं, बकाया वसूली करने के लिए सरकारी विभागों और व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को प्रभावशाली रूप में प्रेरित किया जाए, ताकि उच्चतर संग्रहण दक्षता प्राप्त की जा सके।

(कंडिका 6.1)

भाग 1— सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र

अध्याय 1

परिचय

अध्याय 1

परिचय

1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के इस प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ शासन के चयनित कार्यक्रमों/योजनाओं के निष्पादन लेखापरीक्षा, राजस्व अर्जित करने वाले विभागों और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित विभिन्न विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर हुए मामले शामिल हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र मूल्यांकन है कि क्या दी एक गई विषयवस्तु (एक गतिविधि, वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन, एक ईकाई या ईकाइयों के एक समूह के संबंध में जानकारी) सभी रूप में, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, स्थापित संहिताओं इत्यादि तथा ठोस सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और लोक सेवकों के आचरण को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांतों का अनुपालन करती है।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधानमंडल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से यह अपेक्षित है कि वह कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने, उचित नीतियां बनाने के साथ-साथ निर्देश जारी करने में सक्षम बनाए जिससे कि संगठनों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा और बेहतर प्रशासन में योगदान होगा।

इस अध्याय में लेखापरीक्षा की योजना और क्षेत्र, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों एवं शासन की प्रतिक्रिया, लेखापरीक्षा तैयार करने की प्रक्रिया एवं पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई की व्याख्या की गई है।

1.2 विभागों के व्यय की रूपरेखा

छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख विभागों द्वारा वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान, बजट अनुमान के विरुद्ध किये गये व्यय का सारांश तालिका 1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1 : राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा किये गये व्यय

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग का नाम	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
1	सामान्य प्रशासन विभाग	793.67	471.00
2	गृह विभाग	5321.59	4639.96
3	जेल विभाग	229.86	166.10
4	वित्त विभाग	18542.02	22626.02
5	वाणिज्यिक कर विभाग	353.17	290.41
6	राजस्व विभाग	2323.39	1729.64
7	परिवहन विभाग	101.64	55.57
8	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	121.69	58.64
9	वन विभाग	2208.67	2026.29
10	वाणिज्य और उद्योग विभाग	408.21	248.02

11	खनिज संसाधन विभाग	733.57	338.25
12	ऊर्जा विभाग	5136.56	5204.02
13	कृषि विभाग	8974.25	7666.44
14	सहकारिता विभाग	445.29	343.83
15	श्रम विभाग	215.76	167.17
16	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	4110.97	5397.12
17	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	3591.91	3521.23
18	लोक निर्माण विभाग	6362.88	4583.46
19	स्कूल शिक्षा विभाग	15500.52	14220.97
20	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	8827.63	6595.44
21	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	239.21	214.32
22	जनसंपर्क विभाग	239.23	227.19
23	अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	2337.70	1318.91
24	समाज कल्याण विभाग	1033.22	1031.54
25	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	4867.56	4302.36
26	संस्कृति विभाग	176.10	146.60
27	जल संसाधन विभाग	2866.50	1589.48
28	आवास एवं पर्यावरण विभाग	546.54	404.36
29	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	1428.91	1510.01
30	पशुपालन विभाग	591.11	455.28
31	मत्स्य विभाग	171.21	150.67
32	उच्च शिक्षा विभाग	1025.68	789.43
33	महिला एवं बाल विकास विभाग	2262.36	1708.26
34	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	640.22	389.14
35	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	235.11	247.82
36	विमानन विभाग	58.48	60.30
37	राज्य विधानमंडल	71.27	45.79
38	चिकित्सा शिक्षा विभाग	1711.00	1076.29
39	रेशम विकास विभाग	162.53	125.75
योग		104967.19	96143.08

(स्रोत : संबंधित वर्षों के लिए छत्तीसगढ़ शासन की बजट पुस्तिका)

1.3 प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निर्देशों के अधीन, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ का कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य में 40 विभागों¹ एवं उनके अधीन

¹ विधि और विधायी कार्य विभाग, रेशम विकास विभाग सहित।

स्थानीय निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा संचालित करता है। इनमें से 35 विभाग सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र लेखापरीक्षा के अंतर्गत आते हैं।

1.4 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार

लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डीपीसी एक्ट) से लिया गया है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक डीपीसी एक्ट के निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार शासन के सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में आने वाले विभागों की लेखापरीक्षा करता है:

- व्यय की लेखापरीक्षा डीपीसी एक्ट की धारा 13 के अधीन की जाती है:
- प्राप्तियों की लेखापरीक्षा डीपीसी एक्ट की धारा 16 के अधीन की जाती है:
- स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा डीपीसी एक्ट की धारा 19(2)², 19(3)³ एवं 20(1)⁴ के अधीन की जाती है:
- स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा डीपीसी एक्ट की धारा 20(1) के अधीन की जाती है:
- इसके अतिरिक्त, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अन्य स्वायत्त निकायों, जिन्हें सरकार द्वारा पर्याप्त वित्त पोषित किया जाता है, की लेखापरीक्षा भी डीपीसी एक्ट की धारा 14⁵ के अधीन करता है।

विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिए सिद्धांत एवं कार्यप्रणाली, लेखापरीक्षा मानकों तथा लेखापरीक्षा एवं लेखाओं पर विनियम के साथ-साथ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अथवा उनकी ओर से जारी किये गये अन्य दिशा-निर्देशों, नियमावली और निर्देशों में निर्धारित हैं।

1.5 नियोजन एवं लेखापरीक्षा का संचालन

लेखापरीक्षा के नियोजन, संचालन और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को तैयार करने की प्रक्रिया को नीचे दिये गये प्रवाह चित्र में दर्शाया गया है:

² संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों (जो कंपनियां न हों) के लेखाओं की लेखापरीक्षा, संबंधित विधानों के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

³ राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों (जो कंपनियां न हों) के लेखाओं की लेखापरीक्षा।

⁴ राज्यपाल के अनुरोध पर, किसी निकाय अथवा प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे निबंधनों एवं भातों पर जैसा कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और सरकार के मध्य तय हुआ हो।

⁵ (i) राज्य की संचित निधि से अनुदान अथवा ऋण द्वारा पर्याप्त वित्त पोषित निकाय/प्राधिकरण के सभी प्राप्तियों एवं व्यय और (ii) जहाँ किसी निकाय अथवा प्राधिकरण को राज्य के संचित निधि से किसी वित्तीय वर्ष में दिया गया अनुदान अथवा ऋण ₹ एक करोड़ से कम न हो, ऐसे निकाय अथवा प्राधिकरण के सभी प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा।

चार्ट 1.1: नियोजन, लेखापरीक्षा का संचालन और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को तैयार करना

जोखिम का आकलन—संस्थाओं/योजनाओं/ईकाइयों इत्यादि की लेखापरीक्षा की योजना जोखिम के आकलन पर आधारित है जिसमें कुछ मानक सम्मिलित हैं जैसे;

- किया गया व्यय
- अंतिम लेखापरीक्षा कब की गई
- गतिविधियों की विकटता/जटिलता
- शासन द्वारा गतिविधि के लिए दी गई प्राथमिकता
- प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का स्तर
- आंतरिक नियंत्रणों का आकलन
- हितधारकों की चिंताएं, इत्यादि

लेखापरीक्षा की योजना में निम्नलिखित का निर्धारण शामिल है

- लेखापरीक्षा की मात्रा एवं प्रकार—वित्तीय, अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा
- लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और पद्धति
- विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षिणी संस्थाओं एवं लेनदेन का नमूना

निरीक्षण प्रतिवेदन निम्नलिखित के आधार पर जारी किये जाते हैं

- अभिलेखों की जाँच/आंकड़ों के विश्लेषण
- लेखापरीक्षा साक्ष्यों की जाँच
- लेखापरीक्षा पूछताछ के संबंध में दिये गये उत्तर/जानकारी
- ईकाई के प्रमुख/स्थानीय प्रबंधन के साथ चर्चा

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया जाता है

- निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों से
- लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभाग/शासन की प्रतिक्रिया पर विचार कर, और
- राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखे जाने हेतु राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

प्रत्येक ईकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के बाद एक निरीक्षण प्रतिवेदन जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्ष होते हैं, निरीक्षण प्रतिवेदन के प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ उस ईकाई के प्रमुख को जारी किया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित की गयी महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों जिन्हें शासन में उच्चतम स्तर के ध्यान में लाना अपेक्षित हो, को शासन की प्रतिक्रिया पर यथोचित विचार के बाद लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में संभावित समावेशन के पहले शासन को उनकी प्रतिक्रिया के लिए प्रारूप कंडिकाओं के रूप में जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट प्रसंगों अथवा विषयों पर अनुपालन लेखापरीक्षाओं को भी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में संभावित समावेशन के पहले शासन को उनकी प्रतिक्रिया के लिए जारी किया जाता है। ये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन राज्य

विधानमण्डल के पटल पर रखे जाने हेतु छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाते हैं।

1.6 लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों की प्रतिक्रिया

1.6.1 पिछली निरीक्षण प्रतिवेदनों पर प्रतिक्रिया

कार्यालय प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित टिप्पणियों का उत्तर देने एवं उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। निरीक्षण प्रतिवेदन में बताये गये लेखापरीक्षा टिप्पणियों की चर्चा प्रधान महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों द्वारा संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ जिला/राज्य स्तर की बैठकों में भी नियत अंतराल पर की जाती है। 30 जून 2023 तक, पिछले वर्षों के सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित 5,285 निरीक्षण प्रतिवेदन जिनमें 27,201 कंडिकाएं शामिल हैं, निराकरण हेतु लंबित थे, जैसा नीचे विवरण दिया गया है। इनमें से 2,764 निरीक्षण प्रतिवेदनों (16,423 कंडिकाओं) के संबंध में प्रथम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। विभाग-वार विवरण **परिशिष्ट 1.1** में दिया गया है।

तालिका 1.2 : लंबित कंडिकाओं की स्थिति (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र)

वर्ष	निराकरण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं की संख्या (30 जून 2023 तक)		प्रथम उत्तर ही प्राप्त नहीं होने वाले निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिकाएं (30 जून 2023 तक)	
	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिकाएं	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिकाएं
2017-18 तक	3898	17324	1656	8331
2018-19	250	1712	160	1164
2019-20	499	3390	396	2706
2020-21	264	2033	231	1804
2021-22	374	2742	321	2418
योग	5285	27201	2764	16423

इसके अलावा, 30 जून 2023 तक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित पिछले वर्षों के 234 निरीक्षण प्रतिवेदन जिनमें 1,071 कंडिकाएं शामिल थी, निराकरण हेतु लंबित थे, जैसा नीचे विवरण दिया गया है। विभाग-वार विवरण **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है।

तालिका 1.3 : लंबित कंडिकाओं की स्थिति (पीएसयू)

वर्ष	निराकरण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं की संख्या (30 जून 2023 तक)		प्रथम उत्तर ही प्राप्त नहीं होने वाले निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिकाएं (30 जून 2023 तक)	
	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिकाएं	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिकाएं
2017-18 तक	169	569	—	—
2018-19	16	109	—	—
2019-20	42	340	—	—
2020-21	0	0	—	—
2021-22	7	53	—	—
योग	234	1071	—	—

निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर कार्रवाई की कमी इन प्रतिवेदनों में इंगित की गयी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को चिरस्थायी करने के जोखिम से भरी है। इसका परिणाम शासन प्रक्रिया में आंतरिक नियंत्रणों में कमी, सार्वजनिक वस्तुओं/सेवाओं का अक्षम और अप्रभावी वितरण, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार एवं सरकारी खजाने को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए राज्य शासन को इन निरीक्षण प्रतिवेदनों

एवं लेखापरीक्षा कंडिकाओं में चिन्हित चिंताओं की समीक्षा एवं उन्हें दूर करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु एक उपयुक्त तंत्र की स्थापना करने की आवश्यकता है।

1.6.2 लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शासन की प्रतिक्रिया

सभी विभागों को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर अपनी प्रतिक्रिया, उनकी प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर भेजना आवश्यक है। इस प्रतिवेदन में एक प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा कंडिका, आठ प्रारूप अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं और दो⁶ प्रारूप कंडिकाएं संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए तथा छः सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया भेजने के अनुरोध के साथ भेजे गये थे। उनके व्यक्तिगत ध्यान में यह बात लायी गयी थी कि इन प्रारूप अनुपालन लेखापरीक्षा/निष्पादन लेखापरीक्षा कंडिकाओं को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसे राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा, में शामिल किये जाने की संभावना है तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनकी टिप्पणियों/प्रतिक्रियाओं को शामिल करना वांछनीय होगा। इसके बावजूद, दो⁷ विभागों ने अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के उत्तर इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिये जाने की तारीख तक नहीं दिये थे। शासन की प्रतिक्रियाएं जहाँ भी प्राप्त हुई हैं, उचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल कर ली गई हैं।

1.6.3 पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाये गये लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर शासन की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुतीकरण के बाद उनमें शामिल लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर प्रशासनिक विभागों को व्याख्यात्मक टीप प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है जिसमें की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई को विधिवत दर्शाया जा रहा है। वर्ष 2021 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाये गये पाँच कंडिकाओं/अनुपालन लेखापरीक्षाओं के संबंध में पाँच⁸ विभागों से व्याख्यात्मक टीप (31 जुलाई 2023 तक) प्राप्त होने बाकी थे।

1.6.4 लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर शासन की प्रतिक्रिया

प्रशासनिक विभागों को लोक लेखा समिति की सिफारिशें प्राप्त होने की तारीख से छः महीने के भीतर सिफारिशों पर एक्शन टेकन नोट्स (एटीएन) प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। 30 जून 2023 तक, 13⁹ विभागों से संबंधित 23¹⁰ एटीएन प्राप्त होने बाकी थे।

⁶ सामान्य, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र के दो प्रारूप कंडिकाओं एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के तीन प्रारूप कंडिकाओं से संबंधित।

⁷ जल संसाधन विभाग, उद्यानिकी और कृषि विभाग

⁸ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, समाज कल्याण विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग एवं वाणिज्य और उद्योग विभाग

⁹ सामान्य, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र के आठ विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पाँच विभागों से संबंधित

¹⁰ सामान्य, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र के आठ एटीएन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 15 एटीएन से संबंधित

1.6.5 लेखापरीक्षा को जाँच के लिए प्रस्तुत नहीं किये गये दस्तावेज

विभिन्न कार्यालयों की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम अग्रिम रूप से तैयार किया गया था और विभागों को सूचना जारी की गई थी ताकि वे लेखापरीक्षा जांच के लिए संबंधित रिकॉर्ड तैयार रख सकें।

वर्ष 2021–22 की अवधि के दौरान 14 लेखापरीक्षिती इकाईयों के 15¹¹ मामलों में पाँच विभागों में लेखापरीक्षिती ने विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित नस्तरियाँ, रिटर्न, दस्तावेज, पंजियाँ और अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए, जैसा कि **परिशिष्ट 1.3** में बताया गया है। इस मुद्दे को निरीक्षण प्रतिवेदनों में उल्लेखित किया गया था और संबंधित विभागों के सचिवों/विभागाध्यक्षों को सूचित किया गया था। लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न करना खतरे का संकेत है क्योंकि इन लेन-देन की वास्तविकता की लेखापरीक्षा में पुष्टि नहीं की जा सकती है और सार्वजनिक धन की धोखाधड़ी और दुरुपयोग की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है।

1.7 आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान राज्य सरकार तथा विभागों के अधिकारियों के द्वारा प्रदान की गयी सहायता एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।

¹¹ जल संसाधन विभाग—01 मामला, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग— 06 मामलें, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग— 04 मामलें, चिकित्सा शिक्षा विभाग— 01 मामला, एवं महिला एवं बाल विकास विभाग— 03 मामलें।

अध्याय 2

निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय 2

निष्पादन लेखापरीक्षा

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

2.1 "अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के कार्यान्वयन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए किया गया था कि नियोजन और निधियों का प्रबंधन योजना के दिशा-निर्देशों पर आधारित था; निविदा, अनुबंध प्रबंधन और कार्य का निष्पादन निष्पक्ष, पारदर्शी एवं प्रचलित क्षेत्र की उत्तम प्रथाओं के अनुरूप था; तथा निगरानी और संचालन एवं रखरखाव कुशल और प्रभावी थे। निष्पादन लेखापरीक्षा में राज्य के सभी मिशन शहरों में वर्ष 2015–16 से 2021–22 के दौरान अमृत के कार्यान्वयन को शामिल किया गया था।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जून 2015 में विशेषकर गरीबों और वंचितों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को बढ़ाने के लिए प्रारम्भ किया गया था। अमृत का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को निश्चित जल आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन सुनिश्चित करना, हरित क्षेत्र/सुव्यवस्थित खुले स्थान का विकास और गैर-मोटरीकृत परिवहन के लिये सुविधाओं का निर्माण कर अथवा सार्वजनिक परिवहन को अपनाकर प्रदूषण को कम करना था। छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगमों (जिन्हें मिशन शहरों के रूप में भी जाना जाता है) में से नौ को अमृत के कार्यान्वयन के लिए चुना गया था, जिसमें जल आपूर्ति, सीवरेज सुविधाएं एवं सेप्टेज प्रबंधन तथा हरित क्षेत्र एवं उद्यानों के विकास पर जोर दिया गया था।

मिशन शहरों को परियोजनाओं का वित्तपोषण राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) में प्रस्तुत प्रस्तावों पर आधारित था। पूरे मिशन अवधि (2015–20) के लिए मास्टर एसएएपी सहित तीन एसएएपी, कुल ₹ 2,235.77 करोड़ के ले-आउट के साथ तैयार एवं अनुमोदित किए गए थे जिसमें से भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन और मिशन शहरों की हिस्सेदारी क्रमशः ₹ 1,009.74 करोड़, ₹ 735.62 करोड़ और ₹ 490.41 करोड़ थी।

सुधार प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए सुधार माइलस्टोन की उपलब्धि पर राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार, मिशन शहरों द्वारा 36–37 माइलस्टोन प्राप्त किए गए थे। जबकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि मात्र 15–16 माइलस्टोन ही प्राप्त किए गए हैं।

अमृत दिशा-निर्देशों की कंडिका 13 के अनुसार, राज्यों को शहरी सुधारों को प्राप्त करने और मिशन मोड में परियोजनाओं को लागू करने के लिए अपने शहरी स्थानीय निकायों के लिए व्यापक क्षमता निर्माण गतिविधियाँ शुरू करनी थी। हालांकि, क्षमता निर्माण के माध्यम से नगरपालिका पदाधिकारियों को सशक्त बनाने का इच्छित उद्देश्य उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान न किए जाने के कारण पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने मिशन अवधि वर्ष 2015 से 2020 के दौरान ₹ 2,323.25 करोड़ की लागत के 114 कार्यों (जल आपूर्ति, सीवरेज, सेप्टेज, हरित क्षेत्र एवं उद्यानों के विकास के लिए) को स्वीकृति दी थी। परियोजना का निष्पादन बहुत धीमा था और ₹ 1,712.07 करोड़ की लागत के 19 कार्य (17 जल आपूर्ति कार्य, एक सीवरेज और सेप्टेज तथा हरित क्षेत्र और

उद्यानों के विकास का एक कार्य) मार्च 2023 तक अपूर्ण थे। पूर्ण हो चुके 95 कार्यों में से 20 कार्य तीन से 33 महीने के विलम्ब से पूर्ण किए गए थे।

जल आपूर्ति योजना परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलंब के कारण मिशन अवधि के दौरान नौ मिशन शहरों में से आठ में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने का इच्छित उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त, वितरण नेटवर्क, पीएलसी-स्काडा और मीटर स्थापना के अपूर्ण कार्य के कारण नौ मिशन शहरों के निवासियों को 135 एलपीसीडी पानी उपलब्ध कराने के सेवा स्तर मानक को प्राप्त नहीं किया जा सका।

मिशन सिटी, राजनांदगांव ने खरखरा बांध में सिविल कार्यों के आरंभ होने को सुनिश्चित किए बिना ही अनुपचारित सतही जल की आपूर्ति के लिए जनवरी 2021 में मोहरा एनीकट और खरखरा बांध के मध्य पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जिससे बिछाई गई पाइपलाइन का उपयोग नहीं किया जा सका और ₹ 62.53 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। इसी प्रकार, मिशन सिटी बिलासपुर ने नहर लिकिंग परियोजना की पूर्णता को सुनिश्चित किए बिना अनुपचारित सतही जल की आपूर्ति के लिए 26.50 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का कार्य (लागत ₹ 84.87 करोड़) निष्पादित किया जिससे बिलासपुर में जल की मांग की पूर्ति प्रभावित रहा। डीपीआर की स्वीकृति प्रदान करते समय राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा पाइप सामग्री के चयन के लिए मानदंड/आधार को समान रूप से लागू नहीं किया गया था और सात मिशन शहरों में जल आपूर्ति योजना के लिए पाइप सामग्री का चयन विस्तृत आर्थिक विश्लेषण किए बिना ही किया गया था।

अनुबंध में उत्पाद शुल्क छूट की कंडिका के होते हुए भी बिल ऑफ क्वांटिटी (बीओक्यू) में उत्पाद शुल्क सहित दरों की अनुमति देने के कारण भिलाई जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत ₹ 9.52 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्माण विभाग मैनुअल में निर्धारित मानक अनुबंध शर्तों को शामिल नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप मिशन शहरों द्वारा निष्पादित समान प्रकार के अनुबंध में शास्ति संबंधी शर्तों में भिन्नता थी। मिशन शहरों द्वारा मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली, शास्ति लगाने आदि से संबंधित अनुबंध की निबन्धन और शर्तों को कड़ाई से लागू न करने के कारण ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिया गया। चार मिशन शहरों में अपशिष्ट जल के उपचार हेतु एसटीपी की स्थापना के लिए प्रारम्भ की गई सात परियोजनाओं/कार्यों में से छः एसटीपी कार्य पूर्ण किए गये, तथापि, उपर्युक्त मिशन शहरों में से किसी ने भी पुनर्चक्रित जल के उपयोग के बारे में जनता को संवेदनशील बनाने या सुविधा प्रदान करने के लिए कोई नीति या कार्ययोजना नहीं बनाई। परिणामस्वरूप, पुनर्चक्रित अपशिष्ट जल, गैर-पेय उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया था और स्थानीय नाले या नदी में प्रवाहित किया जा रहा था।

वर्ष 2017-22 के दौरान पांच मिशन शहरों में जल प्रभारों का संग्रहण प्रतिशत 10.50 प्रतिशत से 80.69 प्रतिशत तक था, जो कि अमृत दिशा-निर्देशों में निर्धारित 90 प्रतिशत के मानदंड से काफी कम था। मिशन शहरों का जीआईएस आधारित मास्टर प्लान पांच साल के विलंब के बाद भी तैयार नहीं किया गया था।

यह भी पाया गया कि राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति की बैठकें जून 2021 और जुलाई 2023 के बीच आयोजित नहीं की गई थी।

2.1.1 प्रस्तावना

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने जून 2015 में शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को बढ़ाने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना “अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन” (अमृत) की शुरुआत की, जिससे विशेषकर गरीबों और वंचितों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। सभी अमृत परियोजनाओं को पूर्ण करने के लक्षित तिथि (31 मार्च 2020) को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 31 मार्च 2023 तक विस्तारित किया गया था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एक समावेशी कार्यक्रम के रूप में स्पष्ट रूप से गिनाया गया है, जिसमें पीने योग्य जल तक पहुँच और अपशिष्ट जल प्रबंधन को सबसे महत्वपूर्ण कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है और लागू करने की रणनीति में इसे प्राथमिकता दी जाती है। अमृत का उद्देश्य है:

- यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक परिवार को निश्चित जल आपूर्ति सहित नल और सीवरेज कनेक्शन सुलभ हो;
- हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले स्थान (अर्थात् उद्यान) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि करना; और
- गैर-मोटरीकृत परिवहन (अर्थात् पैदल चलना और साइकिल चलाना) के लिये सुविधाओं का निर्माण कर अथवा सार्वजनिक परिवहन को अपनाकर प्रदूषण को कम करना।

इन सभी परिणामों को नागरिकों, विशेषकर महिलाओं द्वारा महत्व दिया जाता है तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सेवा स्तर मापदण्ड के रूप में संकेतक और मानक निर्धारित किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ में 14 में से नौ¹ नगर पालिक निगमों को अमृत के कार्यान्वयन के लिए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा चुना गया है, जिसमें जल आपूर्ति, सीवरेज सुविधाएं एवं सेप्टेज प्रबंधन तथा हरित क्षेत्रों और उद्यानों के विकास पर जोर दिया गया है। राज्य में, मिशन अंतर्गत कार्यों का निष्पादन संबंधित मिशन शहरों द्वारा परियोजना विकास एवं प्रबंधन सलाहकार के सहयोग से किया जा रहा है।

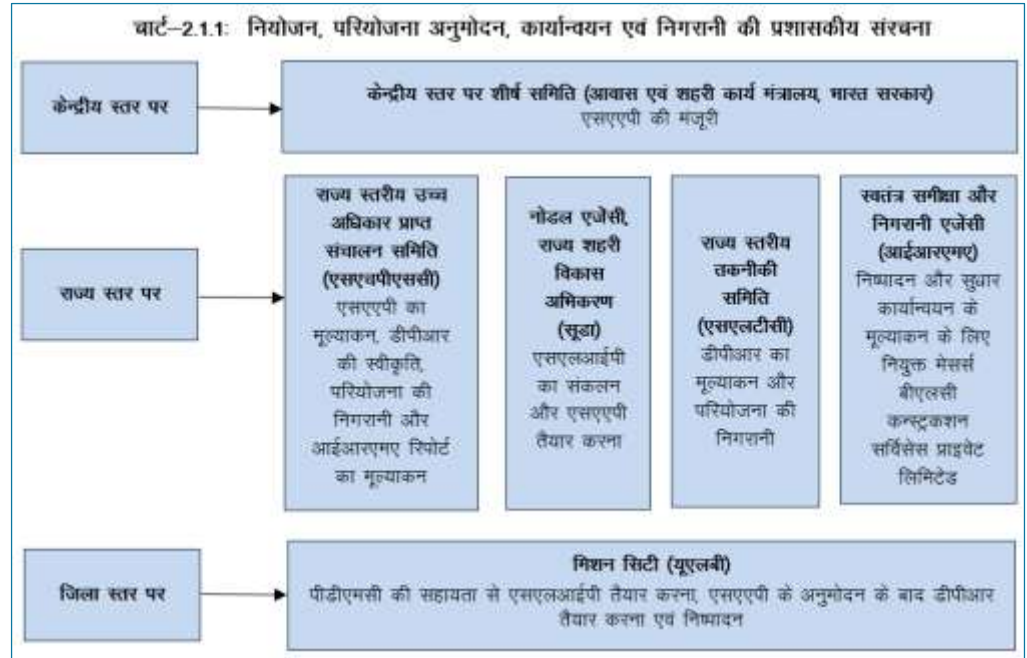
2.1.2 संगठनात्मक संरचना

राज्य स्तर पर, शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को नामित किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य शहरी विकास अभिकरण² (सूडा) शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन, वित्त पोषण, निष्पादन और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। अमृत मिशन के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, राज्य सरकार ने अगस्त 2015 में मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति और जनवरी 2016 में प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया।

राज्य में अमृत मिशन के अंतर्गत नियोजन, चयनित मिशन शहरों के विकास हेतु प्रस्ताव तैयार करना, उसका अनुमोदन एवं तत्पश्चात् कार्यान्वयन एवं निगरानी हेतु प्रशासनिक संरचना को **चार्ट-2.1.1** में दर्शाया गया है।

¹ अंबिकापुर, भिलाई, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, कोरबा, राजनांदगांव, रायगढ़ और रायपुर

² राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा), शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से नागरिकों को पर्याप्त आधारभूत ढांचा, सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करते हुए शहरों और कस्बों के सतत और नियोजित विकास के लिए विभिन्न केन्द्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ शासन की राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी है (जून 2001 में गठित)



2.1.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

अमृत योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी कि क्या:

- योजना के लिए नियोजन और निधि प्रबंधन निर्धारित दिशा-निर्देशों/नीतियों पर आधारित थे;
- निविदा, अनुबंध प्रबंधन और कार्य का निष्पादन निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रचलित क्षेत्र की उत्तम प्रथाओं के अनुरूप था; तथा
- मिशन के उद्देश्यों के अनुसार परिणाम प्राप्त करने के लिए निगरानी और संचालन एवं रखरखाव कुशल और प्रभावी थे।

2.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी (जून 2015) अमृत योजना के दिशा-निर्देश;
- छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956;
- जल आपूर्ति और उपचार पर केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण यांत्रिकी संगठन मैनुअल, संचालन एवं रखरखाव मैनुअल और राष्ट्रीय/राज्य जल नीति;
- आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 2012 में जारी सेवा स्तर मापदण्ड पुस्तिका;
- जल, सीवरेज और स्वच्छता की आधारभूत सेवाओं के संबंध में राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों के लिए अमृत दिशा-निर्देशों के अनुरूप सेवा स्तर सुधार योजनाओं पर चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश; और
- समय-समय पर भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश/अधिसूचनाएं/परिपत्र।

2.1.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2015–16 से 2021–22 की अवधि के दौरान राज्य में अमृत योजना के कार्यान्वयन को शामिल किया गया। लेखापरीक्षा पद्धति, कार्यक्षेत्र, उद्देश्यों और मानदंडों पर चर्चा करने के लिए सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के साथ एक आगम बैठक (अगस्त 2022) आयोजित किया गया था। प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेजी गई थी (11 मई 2023) और विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के साथ निर्गम बैठक 08 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया था। विभाग/शासन के उत्तर को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) और सभी नौ³ (100 प्रतिशत) मिशन शहरों के आयुक्त, नगर पालिक निगम के कार्यालयों के अभिलेखों की जांच की गई। इसके अतिरिक्त जल संसाधन विभाग द्वारा निष्पादित एक जल आपूर्ति योजना को छोड़कर समस्त जल आपूर्ति योजनाओं⁴, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 18 उद्यानों (प्रत्येक मिशन शहर में दो) का लेखापरीक्षा के दौरान संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया।

2.1.6 निधि का आवंटन और प्रबंधन

केंद्रीय स्तर पर अमृत निधि का कुल व्यय, परियोजना लागत (80 प्रतिशत), सुधारों के लिए प्रोत्साहन (10 प्रतिशत) तथा प्रशासनिक और कार्यालय व्यय (राज्य के लिए आठ प्रतिशत और मंत्रालय के लिए दो प्रतिशत) से बना था। अमृत मिशन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता 20:40:40 की तीन किश्तों में जारी की जानी थी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों के मध्य निधि साझा करने की विधि **तालिका-2.1.1** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.1.1: अमृत के अंतर्गत वित्त पोषण तरीके का विवरण

निधि की हिस्सेदारी	10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर	10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर
केंद्र सरकार	50 प्रतिशत	33 प्रतिशत
राज्य सरकार	30 प्रतिशत	40 प्रतिशत
शहरी स्थानीय निकाय/मिशन शहर	20 प्रतिशत	27 प्रतिशत

(स्रोत: अमृत दिशानिर्देश एवं राज्य वार्षिक कार्य योजना)

वर्ष 2015–16 से 2021–22 तक की अवधि के दौरान विभाग द्वारा योजना के लिए किए गए निधियों के प्रावधान तथा नोडल एजेंसी और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी की गई धनराशि और किए गए व्यय का विवरण **तालिका-2.1.2** में दर्शाया गया है।

³ अंबिकापुर, भिलाई, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, कोरबा, राजनांदगांव, रायगढ़ और रायपुर

⁴ जल आपूर्ति योजना में इन्टेक वेल/सम्प, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओवरहेड टैंक का निर्माण, अनुपचारित जल पाइपलाइन, राइजिंग मेन/स्वच्छ जल पाइपलाइन और वितरण नेटवर्क बिछाना शामिल है।

तालिका-2.1.2: राज्य सरकार द्वारा अमृत मिशन के लिए वर्षवार प्रावधानित धनराशि एवं जारी धनराशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य बजट में प्रावधानित निधि			जारी निधि			व्यय			
	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	शहरी स्थानीय निकाय अंश	कुल
2015-16	57.54	33.17	90.71	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2016-17	124.24	105.00	229.24	141.72	87.52	229.24	74.57	33.45	2.96	110.98
2017-18	148.00	64.80	212.80	145.20	64.80	210.00	172.37	86.63	61.93	320.93
2018-19	270.53	145.15	415.68	159.72	71.28	231.00	184.79	112.10	83.98	380.87
2019-20	387.72	228.28	616.00	260.02	208.84	468.86	268.21	189.93	95.05	553.19
2020-21	366.17	279.11	645.28	366.17	279.11	645.28	163.62	107.03	91.90	362.55
2021-22	132.00	88.00	220.00	70.78	12.12	82.90	159.17	92.37	112.75	364.29
योग	1486.20	943.51	2429.71	1145.86	723.68	1869.53	1022.73	621.51	448.57	2092.81

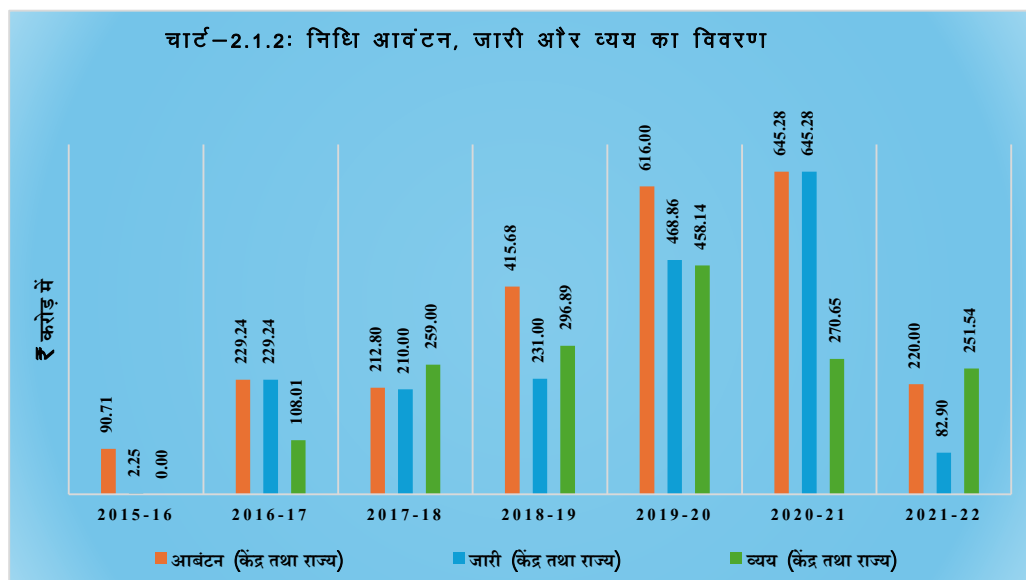
(स्रोत: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं सूडा दारा प्रदत्त तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य बजट में केंद्रांश ₹ 1,486.20 करोड़ तथा राज्यांश के लिए ₹ 943.51 करोड़ की धनराशि का कुल प्रावधान किया गया था, जिसमें से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 से 2021-22 की अवधि के दौरान क्रमशः ₹ 1,145.86⁵ करोड़ तथा ₹ 723.68 करोड़ जारी किए गए थे। जारी की गई धनराशि के सापेक्ष केंद्रांश ₹ 1022.73⁶ करोड़ (89 प्रतिशत) तथा राज्यांश ₹ 621.51 करोड़ (86 प्रतिशत) का व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2015-16 से 2021-22 की अवधि के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के अंश के रूप में ₹ 448.57 करोड़ व्यय किए गए।

⁵ इसमें अमृत के अंतर्गत आहरित परियोजना लागत-₹ 969.12 करोड़, प्रशासनिक एवं कार्यालय खर्च-₹ 64.49 करोड़, सुधार प्रोत्साहन-₹ 69.77 करोड़, सिटी बस-₹ 10.42 करोड़, जेएनएनयूआरएम-₹ 30.77 करोड़ और ओरिएंटेशन डेवलपमेंट फंड-₹ 1.29 करोड़ (कुल ₹ 42.48 करोड़) शामिल हैं।

⁶ इसमें प्रशासनिक एवं कार्यालय खर्च के ₹ 45.55 करोड़, सुधार प्रोत्साहन के ₹ 69.77 करोड़, सिटी बस के ₹ 10.42 करोड़ और जेएनएनयूआरएम के ₹ 30.77 करोड़ (कुल ₹ 41.49 करोड़) शामिल हैं।

वर्ष 2015-16 से 2021-22 की अवधि के दौरान अमृत के अंतर्गत आवंटित, जारी की गई धनराशि और किए गए व्यय का विवरण शहरी स्थानीय निकायों को छोड़कर चार्ट-2.1.2 में दर्शाया गया है:



(स्रोत: - नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं सूडा द्वारा प्रदत्त जानकारी)

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.7 नियोजन एवं निधि प्रबंधन

2.1.7.1 राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी)

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय एसएएपी में प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर राज्य के माध्यम से मिशन शहरों को परियोजना निधि प्रदान करता है। मिशन शहरों द्वारा तैयार की गई सेवा स्तर सुधार योजना एसएएपी का आधार है। राज्य स्तर पर, सभी मिशन शहरों की सेवा स्तर सुधार योजनाओं को एसएएपी में एकीकृत किया गया था। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तीन एसएएपी 2015-16, 2016-17 और 2017-20 तैयार किए गए थे और शीर्ष समिति द्वारा अनुमोदित किए गए थे। एसएएपी-I, II और III के अंतर्गत अनुमोदित परियोजना लागत का विवरण तालिका-2.1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.1.3: अमृत के अंतर्गत एसएएपी में अनुमोदित परियोजना लागत का विवरण

(₹ करोड़ में)

एसएएपी	वर्ष	जल आपूर्ति	सीवरेज/सेप्टेज	हरित क्षेत्र	कुल परियोजना लागत
एसएएपी-I	2015-16	440.59	122.79	10.02	573.40
एसएएपी-II	2016-17	400.53	320.65	19.19	740.37
एसएएपी-III	2017-20	865.80	4.00	9.19	878.99
योग		1706.92	447.44	38.40	2192.76

(स्रोत: एसएएपी 2015-20)

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने अमृत दिशा-निर्देशों में संशोधन किया (अगस्त 2016), जिसके अंतर्गत राज्य सरकार को प्रत्येक एसएएपी की 10 प्रतिशत तक

की लागत वाली शुरू नहीं की गई परियोजनाओं को स्वयं बदलने तथा 10 प्रतिशत से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को शीर्ष समिति की स्वीकृति से बदलने की अनुमति दी गई। तदनुसार, संशोधित अमृत दिशा-निर्देशों की कंडिका 8.3 के अनुसार मास्टर एसएएपी (2015-20) तैयार किया गया तथा राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (9वीं बैठक, अक्टूबर 2019) द्वारा अनुमोदित किया गया। मास्टर एसएएपी में अमृत के अंतर्गत आवंटित परियोजना निधियों का विवरण **तालिका-2.1.4** में दर्शाया गया है:

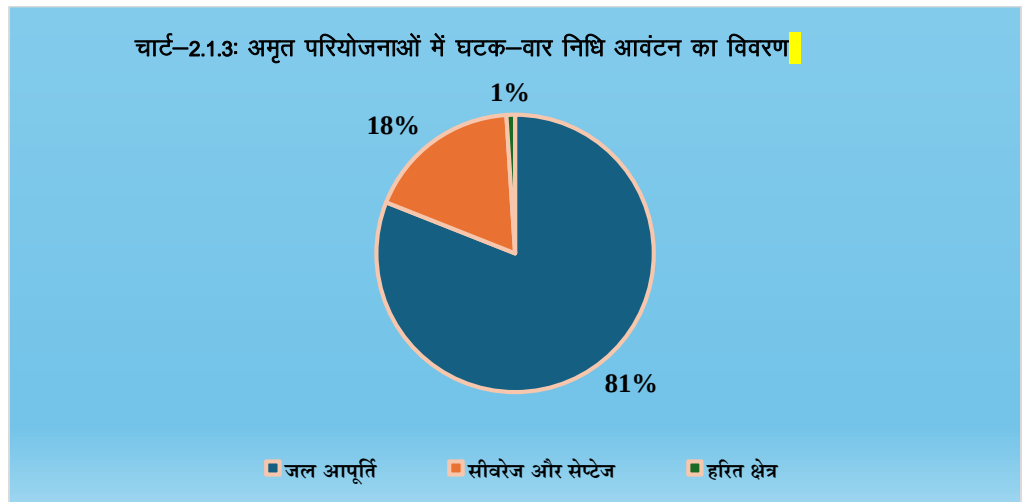
तालिका-2.1.4: अमृत के अंतर्गत मास्टर एसएएपी में स्वीकृत परियोजना निधि का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मिशन सिटी	जल आपूर्ति	सीवरेज तथा सेप्टेज	उद्यान	कुल परियोजना लागत	केन्द्रांश	राज्यांश	मिशन सिटी अंश
1	अम्बिकापुर	101.67	0.43	3.21	105.31	52.66	31.59	21.06
2	भिलाई	221.61	0.20	3.05	224.86	112.43	67.46	44.97
3	बिलासपुर	296.52	1.30	5.60	303.42	151.71	91.03	60.68
4	दुर्ग	154.53	0.21	2.56	157.30	78.65	47.19	31.46
5	जगदलपुर	99.48	55.91	2.75	158.14	79.07	47.44	31.63
6	कोरबा	211.66	0.90	3.29	215.85	107.92	64.76	43.17
7	रायगढ़	131.79	58.64	1.96	192.39	96.20	57.72	38.48
8	रायपुर	378.74	268.58	5.68	653.00	218.35	260.78	173.86
9	राजनांदगांव	208.40	12.46	4.65	225.50	112.75	67.65	45.10
	योग	1804.40	398.62	32.75	2235.77	1009.74	735.62	490.41

(स्रोत: एसएएपी 2015-20)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि जल आपूर्ति अमृत का प्रमुख घटक था और इसने कुल परियोजना लागत का 81 प्रतिशत योगदान दिया गया। वर्ष 2015-20 की अवधि के दौरान निधि का घटक-वार आवंटन **चार्ट- 2.1.3** में दर्शाया गया है।



2.1.7.2 स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधि जारी किया जाना

वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक की अवधि के दौरान स्वीकृत एसएएपी के अंतर्गत जारी निधि तथा अमृत के अंतर्गत किए गए व्यय का विवरण **तालिका- 2.1.5** में दर्शाया गया है।

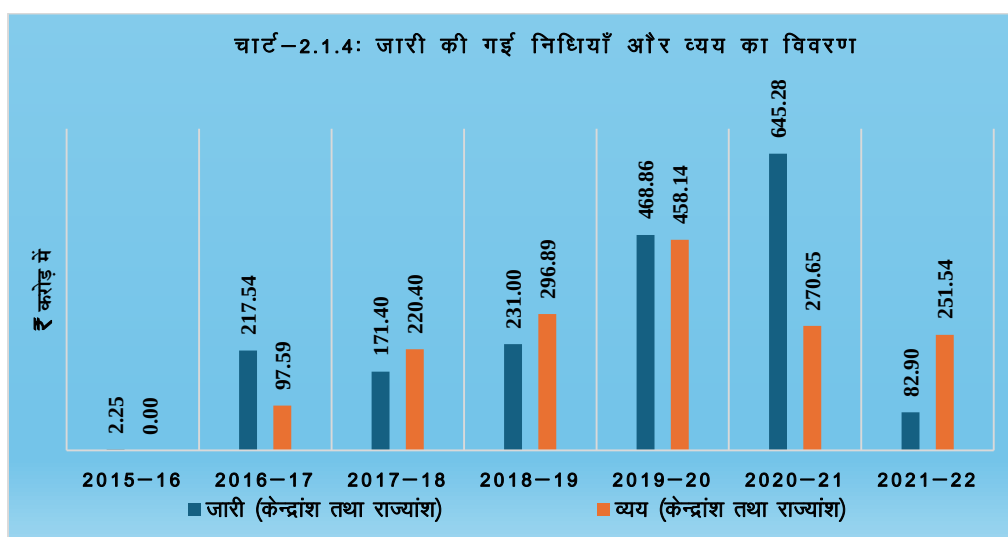
तालिका- 2.1.5: अमृत मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए वर्षवार प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एसएएपी के अनुसार अनुमोदित परियोजना लागत			जारी निधि		व्यय		
	केन्द्रांश	राज्यांश	शहरी स्थानीय निकाय अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	शहरी स्थानीय निकाय अंश
2015-16	1009.74	735.62	490.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016-17				117.01	87.53	55.75	33.45	2.96
2017-18				84.94	56.97	125.42	78.80	61.93
2018-19				131.96	71.28	171.47	112.10	83.98
2019-20				219.66	208.84	257.06	189.93	95.05
2020-21				350.20	279.11	151.72	107.03	91.90
2021-22				65.35	12.12	104.80	92.37	112.75
योग	1009.74	735.62	490.41	969.12	715.85	866.22	613.68	448.57

(स्रोत: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं सूडा द्वारा प्रदत्त जानकारी)

परियोजना के अंतर्गत जारी कुल केन्द्रांश एवं राज्यांश तथा उसके विरुद्ध किए गए व्यय को चार्ट-2.1.4 में दर्शाया गया है।



(स्रोत: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं सूडा द्वारा प्रदत्त जानकारी)

उपरोक्त तालिका एवं चार्ट से स्पष्ट है कि केन्द्रांश के लिए स्वीकृत लागत ₹ 1,009.74 करोड़ तथा राज्यांश के लिए ₹ 735.62 करोड़ के सापेक्ष क्रमशः ₹ 969.12 करोड़ तथा ₹ 715.85 करोड़ जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, जारी की गई धनराशि के विरुद्ध केन्द्रांश ₹ 866.22 करोड़ (89 प्रतिशत) तथा राज्यांश ₹ 613.68 करोड़ (86 प्रतिशत) व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त, 2015-16 से 2021-22 की अवधि के दौरान मिशन सिटी अंश के रूप में स्वीकृत लागत ₹ 490.41 करोड़ के विरुद्ध ₹ 448.57 करोड़ व्यय किया गया। साथ ही 2015-16 से 2021-22 की अवधि के दौरान 11⁷ सुधारों के लिए प्रोत्साहन

⁷ ई-गवर्नेंस, नगरपालिका कैंडर का गठन और व्यवसायीकरण, दोहरी प्रविष्टि लेखांकन में वृद्धि, शहरी नियोजन और शहर विकास योजनाएं, धन और कार्यों का हस्तांतरण, भवन उप-नियमों की समीक्षा, नगरपालिका कर और शुल्क में सुधार, उपयोगकर्ता शुल्क के आरोपण और संग्रहण में सुधार, ऊर्जा और जल लेखा परीक्षा, राज्य स्तर पर वित्तीय मध्यस्थ की स्थापना, क्रेडिट रेटिंग और स्वच्छ भारत मिशन।

के रूप में कुल ₹ 69.77⁸ करोड़ प्राप्त हुए और प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय के लिए ₹ 64.49 करोड़ प्राप्त हुए।

2.1.7.3 क्षमता निर्माण और सुधार

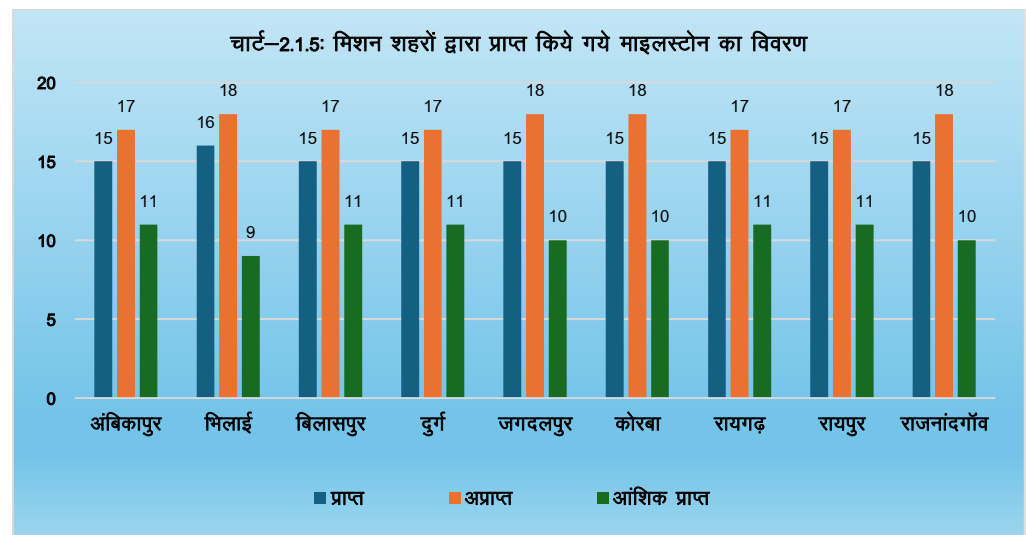
अमृत दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक सुदृढ़ संस्थागत संरचना, मिशन को सफल बनाने का आधार है। इसलिए, मिशन में क्षमता निर्माण और सुधारों का एक सेट शामिल किया गया है। सुधारों से सेवा प्रदान करना बेहतर होगा, संसाधन जुटाये जा सकेंगे और नगरपालिका के कामकाज को अधिक पारदर्शी और पदाधिकारियों को अधिक जवाबदेह बनाया जा सकेगा, जबकि क्षमता निर्माण से नगरपालिका पदाधिकारियों को सशक्त बनाया जा सकेगा और कार्यों को समय पर पूरा किया जा सकेगा।

(i) शहरी सुधार: माइलस्टोन की आंशिक प्राप्ति

अमृत मिशन का एक उद्देश्य सुधारों के सेट के माध्यम से शासन को बेहतर करना था। मिशन ने 48 माइलस्टोन वाले 11 सुधारों का एक सेट अधिदिष्ट किया था, जिन्हें राज्य और मिशन शहरों द्वारा चार वर्षों की अवधि के अंदर लागू किया जाना था।

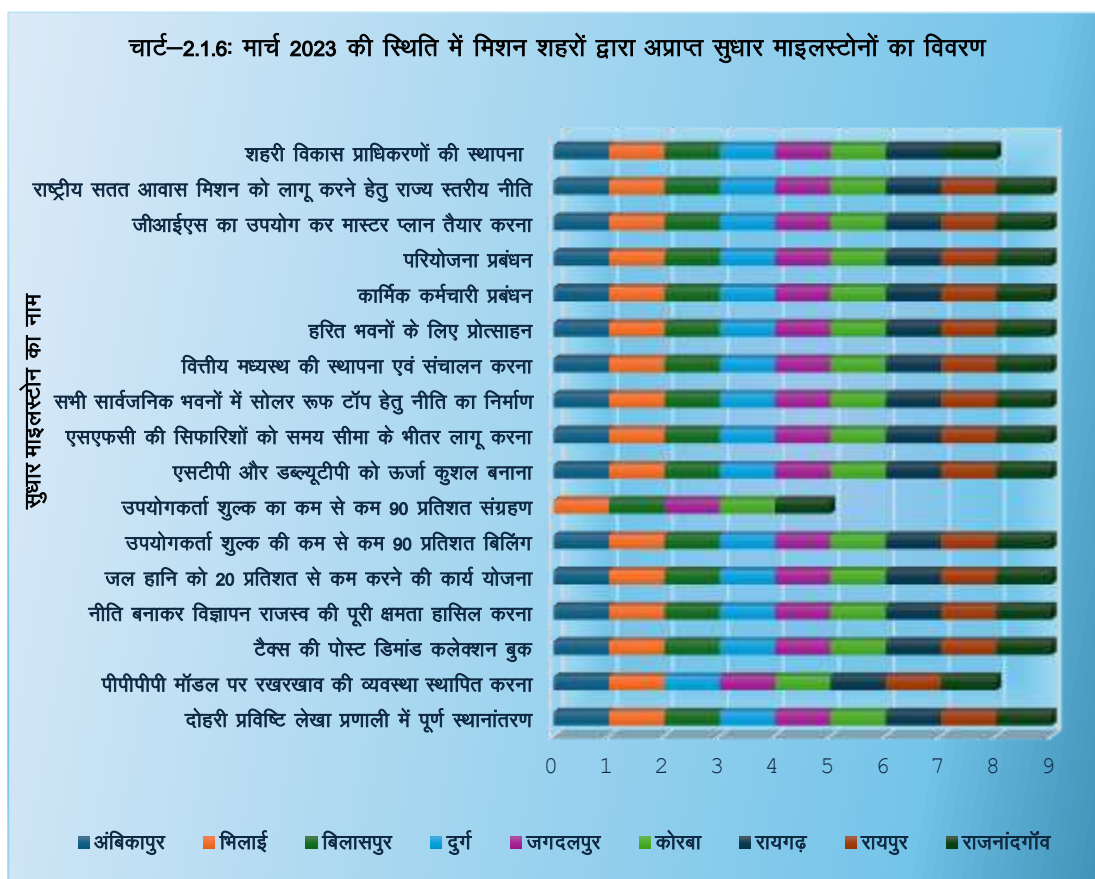
राज्य सरकार को वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान सुधार माइलस्टोन की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहन के रूप में ₹ 69.77 करोड़ प्राप्त हुए थे।

सुधार प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए सुधार माइलस्टोन की उपलब्धि पर सूडा द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार, मिशन शहरों द्वारा 36-37 माइलस्टोन प्राप्त किए गए थे। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि मात्र 15-16 माइलस्टोन ही प्राप्त किए गए हैं, 9 से 11 आंशिक रूप से प्राप्त किए गए थे और शेष 17-18 माइलस्टोन प्राप्त नहीं किए गए थे क्योंकि या तो माइलस्टोन वास्तव में प्राप्त नहीं किए गए थे या इनकी उपलब्धि (परिशिष्ट-2.1.1) के बाद मिशन अवधि तक निरंतरता नहीं पाई गई थी, जैसा कि चार्ट-2.1.5 में दर्शाया गया है।



⁸ वर्ष 2016-17 में ₹ 13.00 करोड़, 2017-18 में ₹ 25.01 करोड़, 2018-19 में ₹ 14.01 करोड़ और 2019-20 में ₹ 17.75 करोड़

अप्राप्त सुधारों की स्थिति को चार्ट-2.1.6 में दर्शाया गया है।

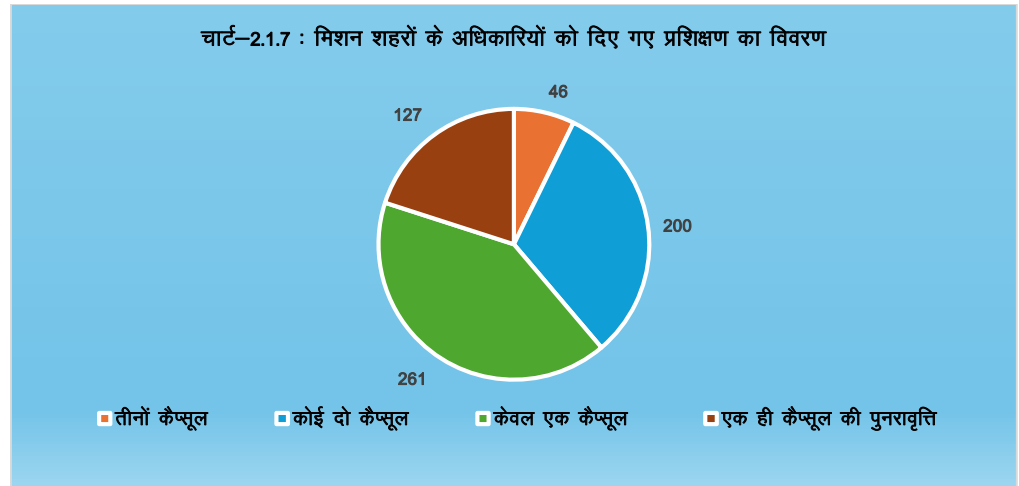


राज्य सरकार ने बताया (सितंबर 2023) कि सुधार कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए, मिशन के अंतर्गत अधिदिष्ट सुधारों की निरंतरता के लिए सभी मिशन शहरों को निर्देश जारी किए गए हैं।

(ii) क्षमता निर्माण

अमृत दिशा-निर्देशों की कंडिका 13 के अनुसार, राज्यों को शहरी सुधारों को प्राप्त करने और मिशन मोड में परियोजनाओं को लागू करने हेतु अपने शहरी स्थानीय निकायों के लिए व्यापक क्षमता निर्माण गतिविधियाँ शुरू करना था। क्षमता निर्माण योजना के दो घटक हैं: व्यक्तिगत और संस्थागत क्षमता निर्माण। अमृत दिशा-निर्देशों के अनुलग्नक-7 के अनुसार, क्षमता निर्माण मिशन शहरों तक ही सीमित नहीं था बल्कि इसे अन्य शहरी स्थानीय निकायों तक भी विस्तारित किया जाना था। इसके अतिरिक्त, एक वर्ष के दौरान प्रशिक्षण तीन कैप्सूल में दिया जाना था। प्रत्येक कैप्सूल में प्रशिक्षण संस्थान में तीन दिन का शामिल था जिसके चार माह बाद अगले कैप्सूल का प्रशिक्षण दिया जाना था तथा इस दौरान नगरपालिका अधिकारियों द्वारा अपने कार्य में प्रशिक्षण का उपयोग किया जाएगा।

एसएएपी 2016-17 के अनुसार, मिशन अवधि के दौरान प्रशिक्षण देने के लिए मिशन शहरों में कुल 1157 पदाधिकारियों (632 अधिकारी और 525 निर्वाचित प्रतिनिधि) की पहचान की गई थी। मिशन शहरों के साथ-साथ अन्य नगर निगमों के पदाधिकारियों को 2016-20 की अवधि के दौरान इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद और अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया था जैसा कि परिशिष्ट-2.1.2 में दर्शाया गया है। मिशन शहरों के अधिकारियों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण चार्ट-2.1.7 में दर्शाया गया है:



यह पाया गया कि:

- कुल 632 अधिकारियों में से 507 अधिकारियों को क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान किया गया था जिनमें से मात्र 46 को तीनों कैप्सूल का प्रशिक्षण प्रदान किया गया था जबकि 200 अधिकारियों को मात्र दो कैप्सूल का प्रशिक्षण प्रदान किया गया था और 261 को मात्र एक कैप्सूल का प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।
- उपरोक्त 507 में से 127 अधिकारियों को एक ही कैप्सूल का प्रशिक्षण कई बार दिया गया था जबकि मिशन सिटी जगदलपुर और कोरबा के किसी भी अधिकारी को तीनों कैप्सूल का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।
- प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु चिन्हित 525 प्रतिनिधियों में से 336 निर्वाचित प्रतिनिधियों को क्षमता निर्माण के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया गया था जबकि मिशन सिटी रायगढ़ के किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

इस प्रकार, क्षमता निर्माण के माध्यम से नगरपालिका पदाधिकारियों को सशक्त बनाने का इच्छित उद्देश्य उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान नहीं किए जाने के कारण पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने बताया (सितंबर 2023) कि क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए उम्मीदवारों का चयन शुरू में अमृत मिशन दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया था, बाद में उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए एकीकृत क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण के लिए चुना गया। इसके अतिरिक्त, क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रशिक्षण दिसंबर 2019 से पूर्व आयोजित किए गए थे और कोविड-19 महामारी के कारण उसके बाद प्रशिक्षण संचालित नहीं किया जा सका। कोविड प्रतिबंध समाप्त होने के बाद, प्रशिक्षण आयोजित नहीं किए गए क्योंकि अधिकांश परियोजनाएँ पूरी होने के अंतिम चरण में थी और उस समय प्रशिक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। इसलिए, तीनों मॉड्यूल का प्रशिक्षण मुख्य रूप से कोविड-19 के कारण संचालित नहीं किया जा सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एकीकृत क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत कोविड-19 से पूर्व अधिकारियों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। परिणामस्वरूप, अमृत के अंतर्गत संचालित क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अतिरिक्त प्रशिक्षित किए गए अधिकारियों की संख्या सत्यापित नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, क्षमता निर्माण मिशन शहरों तक ही सीमित नहीं था और योजना दिशानिर्देश के अनुसार सभी शहरी स्थानीय निकायों तक विस्तारित था।

2.1.8 नियोजन और परियोजनाओं का निष्पादन

मिशन अवधि के दौरान राज्य सरकार ने अमृत योजना के अंतर्गत नौ जल आपूर्ति परियोजनाओं, चार सीवरेज एवं सेप्टेज परियोजनाओं तथा हरित क्षेत्र और उद्यानों के विकास के लिए 76 परियोजनाओं हेतु क्रमशः ₹ 1,804.40 करोड़, ₹ 395.59 करोड़ और ₹ 32.75 करोड़ की स्वीकृति दी थी। इन परियोजनाओं के निष्पादन हेतु 114 कार्य ठेकेदारों को स्वीकृत किये गये थे।

2.1.8.1 अमृत अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की स्थिति

छत्तीसगढ़ राज्य में अमृत योजना के तीन घटकों (जल आपूर्ति, सीवरेज और हरित क्षेत्र) के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति **तालिका-2.1.6** में दर्शायी गई है:

तालिका-2.1.6: अमृत योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की स्थिति का विवरण

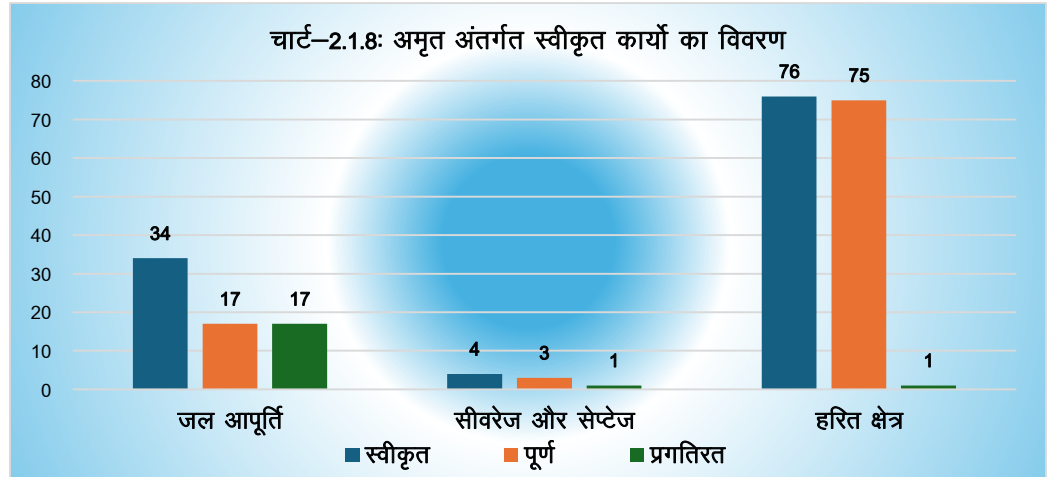
(₹ करोड़ में)

स.क्र.	मिशन शहर का नाम	परियोजना का नाम	कार्यों की संख्या	अंतिम एसएएपी के अनुसार स्वीकृत लागत	अनुबंध लागत	व्यय (03/2023 तक)	कार्य की स्थिति	पूर्ण किये जाने की निर्धारित तिथि
1	अंबिकापुर	जल आपूर्ति योजना	1	101.67	97.24	95.84	प्रगतिरत	14 / 12 / 2019
		हरित क्षेत्र	8	3.21	3.20	3.27	पूर्ण	
2	बिलासपुर	जल आपूर्ति योजना	2	296.52	292.45	261.38	प्रगतिरत	30 / 04 / 2020, 04 / 04 / 2020
		हरित क्षेत्र	8	5.60	5.60	5.18	पूर्ण	
3	भिलाई	जल आपूर्ति योजना	8	221.61	220.52	209.83	2 प्रगतिरत 6 पूर्ण	28 / 11 / 2018, 03 / 07 / 2020
		हरित क्षेत्र	11	3.05	3.07	2.96	पूर्ण	
4	दुर्ग	जल आपूर्ति योजना	4	154.53	161.66	136.58	प्रगतिरत	30 / 07 / 2020, 07 / 10 / 2021, 21 / 10 / 2021, 21 / 01 / 2022
		हरित क्षेत्र	7	2.56	2.58	2.39	पूर्ण	
5	जगदलपुर	जल आपूर्ति योजना	1	99.48	96.40	34.56	समाप्त	
		जल आपूर्ति योजना			96.00	47.23	प्रगतिरत	01 / 04 / 2023
		सीवरेज और सेप्टेज	1	55.91	54.00	54.00	पूर्ण	
		हरित क्षेत्र	10	2.75	2.69	1.87	1 प्रगतिरत	25 / 04 / 2018
6	कोरबा	जल आपूर्ति योजना	8	211.66	210.84	200.63	1 प्रगतिरत 7 पूर्ण	19 / 09 / 2020
		हरित क्षेत्र	8	3.29	3.30	2.78	पूर्ण	
7	रायगढ़	जल आपूर्ति योजना	1	131.79	131.00	131.00	पूर्ण	
		सीवरेज और सेप्टेज	1	58.64	57.53	57.53	पूर्ण	
		हरित क्षेत्र	6	1.96	1.92	1.76	पूर्ण	
8	रायपुर	जल आपूर्ति योजना	8	378.74	426.11	371.10	5 प्रगतिरत 3 पूर्ण	14 / 02 / 2020, 08 / 08 / 2020, 08 / 08 / 2020, 03 / 02 / 2021, 28 / 02 / 2022
		सीवरेज और सेप्टेज	1	268.58	235.00	215.86	प्रगतिरत	16 / 01 / 2021
		हरित क्षेत्र	9	5.68	5.68	5.38	पूर्ण	
9	राजनांदगांव	जल आपूर्ति योजना	1	208.40	199.23	182.25	प्रगतिरत	13 / 12 / 2019
		सीवरेज और सेप्टेज	1	12.46	12.50	12.47	पूर्ण	
		हरित क्षेत्र	9	4.65	4.73	4.15	पूर्ण	
	योग		114	2232.74	2323.25	2040.00	19 प्रगतिरत 95 पूर्ण	

(स्रोतः सूडा द्वारा प्रदत्त तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा अमृत योजना के अंतर्गत तीन घटकों (जल आपूर्ति-34, सीवरेज और सेप्टेज-4 तथा हरित क्षेत्र और उद्यानों का विकास-76) के अंतर्गत ₹ 2323.25 करोड़ की लागत के कुल 114 कार्यों को स्वीकृति दी गई थी। कुल स्वीकृत कार्यों में से ₹ 611.18 करोड़ की लागत वाले 95⁹ कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण किए गए थे। शेष 19 अपूर्ण कार्यों में से 17 जल आपूर्ति कार्य, एक सीवरेज और सेप्टेज कार्य तथा एक हरित क्षेत्र एवं उद्यानों के विकास का कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण नहीं हो सका।

छत्तीसगढ़ राज्य में अमृत अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की भौतिक प्रगति **चार्ट-2.1.8** में दर्शाई गई है:



(स्रोत: सूडा द्वारा प्रदत्त तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

राज्य सरकार ने बताया (सितंबर 2023) कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में मुख्य विलंब कोविड-19 महामारी और कुछ ठेकेदारों के खराब प्रदर्शन के कारण हुई। आगे यह भी बताया गया कि यद्यपि परियोजनाएँ पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो सकी लेकिन अधिकांश परियोजनाओं की भौतिक प्रगति 93 से 99 प्रतिशत के मध्य थी, जो मुख्य रूप से हाउस सर्विस कनेक्शन के कारण है। इसके अतिरिक्त, जगदलपुर और बिलासपुर को छोड़कर सात शहरी स्थानीय निकायों में जल उपचार संयंत्र से उपचारित पानी की आपूर्ति प्रारंभ की गई थी।

2.1.8.2 कार्यों के निष्पादन में विलम्ब

अनुबंध की सामान्य शर्तों (फॉर्म-ए, प्रतिशत दर निविदा) के अनुसार यह ध्यान में रखते हुए कि समय अनुबंध का मुख्य सार है, कार्य को संपूर्ण निर्धारित अवधि के दौरान पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। स्वीकृत कार्यों को कार्यादेश जारी होने की तिथि से 18 से 30 माह के अंदर हर प्रकार से पूर्ण किया जाना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि 114 स्वीकृत कार्यों¹⁰ में से हरित क्षेत्र एवं उद्यान के विकास के 75 कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किये गए तथा 20 कार्य (17 जल आपूर्ति कार्य और तीन सीवरेज एवं सेप्टेज कार्य) 3 से 33 माह के विलम्ब से पूर्ण हुए। इन 20

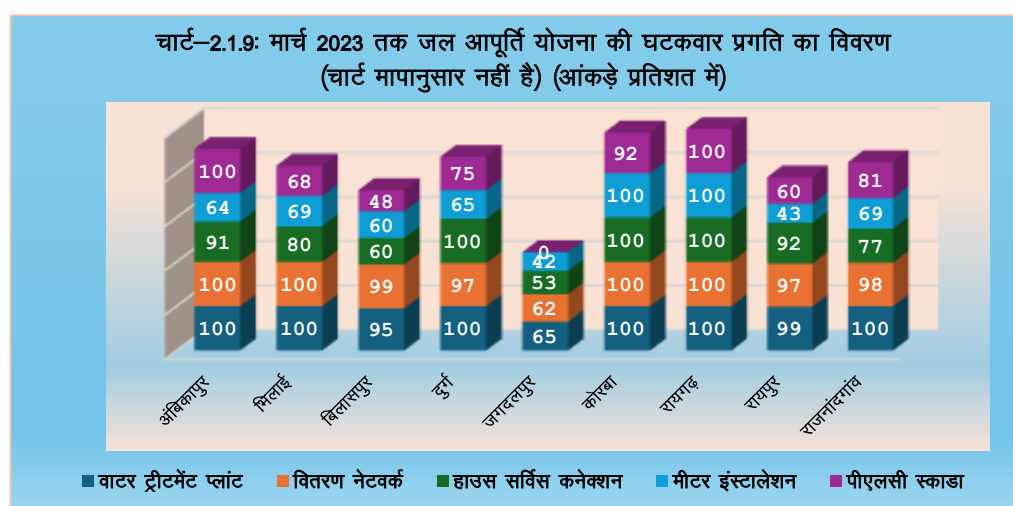
⁹ हरित क्षेत्र एवं उद्यानों का विकास: 75 कार्य-₹ 32.21 करोड़, सीवरेज और सेप्टेज: तीन कार्य-₹ 124.03 करोड़ तथा जल आपूर्ति योजना: 17 कार्य-₹ 454.94 करोड़

¹⁰ जल आपूर्ति योजना-34, सीवरेज एवं सेप्टेज-चार तथा उद्यान का विकास-76

कार्यों में से 14 कार्यों (11 जल आपूर्ति कार्य¹¹ एवं तीन एसटीपी¹²) के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं तथा शेष छः कार्यों के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने शेष हैं। शेष 19 कार्य (17 जल आपूर्ति कार्य, एक सीवरज कार्य और एक उद्यान विकास) निर्धारित समयसीमा से 13 से 60 महीने के विलंब के बाद भी अपूर्ण थे जैसा कि **परिशिष्ट-2.1.3** में दर्शाया गया है। कुल 114 कार्यों में से 56 कार्यों (जल आपूर्ति योजना के 34 कार्य, सीवरज एवं सेप्टेज के चार कार्य और उद्यान विकास के 18 कार्य) की लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई और निम्नलिखित पाया गया:

जल आपूर्ति परियोजनायें:

नौ मिशन शहरों की 34 जल आपूर्ति योजनाओं में से ₹ 1187.04 करोड़ की लागत के 17 जल आपूर्ति योजना के कार्य मार्च 2023 तक अपूर्ण थे। सभी नौ मिशन शहरों में जल आपूर्ति योजना के प्रमुख घटकों की भौतिक प्रगति को **चार्ट-2.1.9** में दर्शाया गया है।



(स्रोत: सूडा द्वारा प्रदत्त जानकारी)

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि जगदलपुर में जल आपूर्ति योजना की प्रगति सबसे धीमी थी। इसके अतिरिक्त, अधिकांश मिशन शहरों में जल आपूर्ति परियोजनाओं के विभिन्न घटक जैसे पीएलसी¹³-स्काडा¹⁴ (जल आपूर्ति और डेटा अधिग्रहण के लॉजिक नियंत्रण का स्वचालन) वाटर कनेक्शन, वितरण नेटवर्क/पाइपलाइन बिछाना तथा वाटर मीटर स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य बिलासपुर, जगदलपुर और रायपुर में पूर्ण नहीं हुए थे।

कुछ अपूर्ण कार्यों के फोटोग्राफ नीचे दर्शाये गये हैं:-

¹¹ भिलाई-10 ओएचएसआर, जल उपचार संयंत्र, वितरण नेटवर्क, संबद्ध सिविल कार्य एवं स्वच्छ जल राइजिंग मेन, कोरबा-मास्टर बैलेंसिंग रिजर्वायर एवं 13 एलिवेटेड सरफेस रिजर्वायर सम्प, संबद्ध कार्य, जल उपचार संयंत्र, रायगढ़-जल आपूर्ति योजना, रायपुर-दो ओएचएसआर एवं श्याम नगर ओएचएसआर।

¹² जगदलपुर-25 मार्च 2022, रायगढ़-30 जुलाई 2022 एवं राजनांदगांव-31 जुलाई 2021

¹³ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर एक औद्योगिक कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली है जो इनपुट उपकरणों की स्थिति की लगातार निगरानी करती है और आउटपुट उपकरणों की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक कस्टम प्रोग्राम के आधार पर निर्णय लेती है।

¹⁴ पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण एक कंप्यूटर सहायता प्राप्त प्रणाली है जो संचालन एवं रखरखाव के सभी पहलुओं पर डेटा एकत्र, संग्रहित और विश्लेषण करती है।

	
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बिलासपुर (20-09-2022) पूर्ण होने की निर्धारित तिथि (04-04-2020)	मास्टर बोरिंग रिजरवायर, बिलासपुर (20-09-2022) पूर्ण होने की निर्धारित तारीख (04-04-2020)
	
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जगदलपुर (07-10-2022) पूर्ण होने की निर्धारित तारीख (01-04-2023)	ओकर हेड सर्विस रिजरवायर, रायपुर (02-09-2022) पूर्ण होने की निर्धारित तारीख (03-02-2021)
	
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, रायपुर (02-09-2022) पूर्ण होने की निर्धारित तारीख (14-02-2020)	वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, रायपुर (02-09-2022) पूर्ण होने की निर्धारित तारीख (14-02-2020)

जगदलपुर में परियोजना के निष्पादन में विलंब

मिशन सिटी, जगदलपुर में जल आपूर्ति योजना के संवर्द्धन का कार्य ठेकेदार को ₹ 103.90 करोड़ की अनुबंध राशि के साथ 30 महीनों की निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने हेतु जून 2017 में दिया गया था, किन्तु ठेकेदार में मात्र 33 प्रतिशत कार्य (₹ 34.57 करोड़) पूर्ण करने के बाद कार्य को छोड़ दिया। आयुक्त में अनुबंध को जुलाई 2020 में समाप्त कर दिया और शेष कार्य (₹ 69.33 करोड़) अन्य ठेकेदार को ₹ 101.00 करोड़ की अनुबंध राशि के साथ अक्टूबर 2021 में सौंप दिया। शेष कार्य को 18 महीनों के अंदर पूर्ण किया जाना था किन्तु मार्च 2023 तक मात्र 53 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण किया जा सका। इस प्रकार, मिशन सिटी, जगदलपुर में जल आपूर्ति योजना को पूर्ण करने में तीन साल से अधिक का विलंब हुआ और परियोजना की लागत में ₹ 31.67 करोड़ की वृद्धि हुई।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में बताया (सितंबर 2023) कि ठेकेदार के खराब प्रदर्शन के कारण परियोजना में विलंब हुआ और प्रगति में तेजी लाने के लिए अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को अनेक नोटिस जारी किए गए थे। हालांकि, ठेकेदार अनुबंधित दायित्वों के अनुसार कार्य नहीं कर सका और अनुबंध को समाप्त कर दिया गया तथा अतिरिक्त राशि दोषी ठेकेदार से वसूल की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त परियोजनाओं में विलंब ड्राइंग-डिजाइन, की स्वीकृति भूमि आवंटन, बाधाओं को दूर करने और अन्य विभागों से कार्य करने की अनुमति/स्वीकृति में विलंब, ठेकेदारों द्वारा धीमी गति से कार्य करने और विभिन्न उपकरणों की अनुपलब्धता तथा कोविड-19 के दौरान कुशल/अकुशल कार्मिकों की कमी के कारण हुआ।

राज्य सरकार ने बताया (सितंबर 2023) कि 33 जल आपूर्ति परियोजनाओं में विलंब मुख्य रूप से कोविड महामारी और अन्य संबंधित विभागों से अनुमति या स्वीकृति जारी करने में विलंब के कारण हुई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अमृत मिशन की प्रारंभिक अवधि पांच वर्ष के लिए 2020 तक थी अर्थात् कोविड अवधि से पूर्व तक। उसके पश्चात चल रही परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए मिशन की अवधि मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई। तथापि, परियोजनाएँ विस्तारित अवधि में पूर्ण नहीं हो सकी।

इस प्रकार, जल आपूर्ति परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलंब के कारण मिशन अवधि के दौरान नौ मिशन शहरों में से आठ में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त, वितरण नेटवर्क, पीएलसी-स्काडा और मीटर स्थापना के अपूर्ण कार्य के कारण नौ मिशन शहरों के निवासियों को 135 एलपीसीडी पानी उपलब्ध कराने के सेवा स्तर मानक को प्राप्त नहीं किया जा सका।

2.1.8.3 वर्तमान मांग की पूर्ति हेतु आवश्यक सतही जल की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना जल आपूर्ति परियोजनाओं का निष्पादन

मानक जल आवश्यकता अर्थात् 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) की आपूर्ति हेतु आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सेवा स्तर मानक को प्राप्त करने तथा वर्तमान जल आपूर्ति योजना को बढ़ाने के लिए नौ चयनित मिशन शहरों में अमृत मिशन के अंतर्गत जल आपूर्ति परियोजनाएं प्रारम्भ की गई थी।

मिशन सिटी, राजनांदगांव: मिशन सिटी राजनांदगांव के लिए तैयार किये गये सेवा स्तर सुधार योजनाओं में चिन्हित 18 एलपीसीडी पानी की कमी को पूरा करने के लिए अमृत के अंतर्गत ₹ 223.68 करोड़ के अनुमानित लागत की जल आपूर्ति परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई। राजनांदगांव जल आपूर्ति योजना/परियोजना के डीपीआर अनुसार जल की वर्तमान (वर्ष 2020 में), मध्यवर्ती (वर्ष 2035 तक) तथा अंतिम (वर्ष 2050 तक) मांग क्रमशः 42 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी), 53 एमएलडी तथा 66 एमएलडी आंकी गई थी।

मिशन सिटी में पानी की वर्तमान आपूर्ति मोहारा एनीकट (शिवनाथ नदी पर) और बोरवेल पर निर्भर थी। हालांकि, मोहारा एनीकट की क्षमता शहर की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए, परियोजना के अंतर्गत खरखरा बांध से सतही पानी प्राप्त करने और इसे ग्रेविटी द्वारा मोहारा तक लाने की योजना बनाई गई थी।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति की तृतीय बैठक (फरवरी 2017) में उपरोक्त परियोजना के लिए पानी की आपूर्ति को सैद्धांतिक स्वीकृति देते समय जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि मिशन सिटी के सतही पानी की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए खरखरा बांध की भंडारण क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। जल संसाधन विभाग इस शर्त के साथ पानी उपलब्ध कराने पर सहमत हुआ कि सहायक सिविल कार्य (बांध के वेस्ट वियर की ऊंचाई में 0.60 मीटर तक वृद्धि, नहर में क्रॉस रेगुलेटर और हेड रेगुलेटर की स्थापना) की लागत मिशन सिटी द्वारा वहन की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए डीपीआर में जल संसाधन विभाग द्वारा किए जाने वाले डिपॉजिट कार्य के लिए ₹ 5.60 करोड़ का प्रावधान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि खरखरा बांध पर सहायक सिविल कार्य फरवरी 2023 तक आरम्भ नहीं किए गए थे। जल संसाधन विभाग द्वारा सर्वेक्षण करने के लिए नगर पालिक निगम से ₹ 1 करोड़ धनराशि की मांग की गई। नगर पालिक निगम ने जल संसाधन विभाग को धनराशि उपलब्ध नहीं कराई क्योंकि अमृत से यह धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जा सकती थी। यह दर्शाता है कि डीपीआर तैयार करते समय सर्वेक्षण की आवश्यकता का आकलन नहीं किया गया था और डिपॉजिट कार्य के दायरे में सर्वेक्षण घटक को शामिल नहीं किया गया था। जल संसाधन विभाग द्वारा फरवरी 2023 में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, खरखरा बांध की क्षमता बढ़ाने के लिए वर्ष 2021-22 के बजट में ₹ 52 करोड़ का प्रावधान किया गया था और प्राक्कलन तैयार करने के लिए चरण-I सर्वेक्षण का कार्य प्रक्रियाधीन था। इस प्रकार, खरखरा बांध पर सहायक सिविल कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किए गए थे।

हालांकि, मिशन सिटी, राजनांदगांव द्वारा खरखरा बांध में सिविल कार्यों की स्थिति को सुनिश्चित किए बिना ही अनुपचारित सतही जल की आपूर्ति के लिए जनवरी 2021 में मोहारा एनीकट से खरखरा बांध के मध्य ₹ 62.53 करोड़ की लागत से 23.50 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया गया। चूंकि खरखरा बांध में सिविल कार्यों के पूर्ण होने के बाद अनुपचारित जल की आपूर्ति की जाएगी, इसलिए बिछाई गई पाइपलाइन का उपयोग नहीं किया जा सका और ₹ 62.53 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

राज्य सरकार ने बताया (सितंबर 2023) कि राज्य स्तरीय तकनीकी समिति और राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति की स्वीकृति अनुसार राँ वाटर ग्रेविटी में बिछाने से संबंधित कार्य प्रारम्भ किए गए थे। बांध से पानी उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था जल संसाधन विभाग के दायरे में थी जो समय पर पूर्ण नहीं हो सकी। अतः राजनांदगांव नगर पालिक निगम को विलम्ब के लिए उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं है। बांध की ऊंचाई बढ़ाए बिना और बिना किसी विलम्ब के बांध से पानी उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नगर पालिक निगम, राजनांदगांव द्वारा जल संसाधन विभाग द्वारा सहायक सिविल कार्य की प्रगति को सुनिश्चित किए बिना पाइपलाइन बिछाई गई थी जिसके परिणामस्वरूप पाइपलाइन पर निष्फल व्यय हुआ, जो खरखरा बांध से पानी की आपूर्ति न होने के कारण अप्रयुक्त रह गई।

मिशन सिटी बिलासपुर: मिशन सिटी बिलासपुर वर्तमान जल आपूर्ति की मांग 61 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रति दिन) को पूरा करने के लिए पूर्णतया भूजल पर निर्भर था। वर्तमान मांग 806 बोरवेल से पानी पंप करके पूरी की गई थी। पानी की वर्तमान आपूर्ति को बढ़ाने के लिए, अमृत मिशन के अंतर्गत बिलासपुर की 72 एमएलडी की चरम मांग को पूरा करने के लिए एक जल आपूर्ति परियोजना प्रस्तावित की गई थी। उपरोक्त जल आपूर्ति योजना के लिए सतही जल का स्रोत खारंग जलाशय (खुंटाघाट बांध) के दाएं बैंक नहर से 1800 मीटर की दूरी पर बांध के आउटलेट गेट के बाएं बैंक नहर में चिन्हांकित किया गया था, जिसे बाद में दाएं बैंक नहर में परिवर्तित किया गया। हालांकि, 72 एमएलडी की चरम मांग के विरुद्ध जल संसाधन विभाग अहिरन-खारंग लिंक नहर परियोजना के निर्माण के पश्चात ही तीन से चार वर्षों में आवश्यक पानी उपलब्ध कराने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुआ। वर्तमान में जल संसाधन विभाग खारंग टैंक (खुंटाघाट बांध) से मात्र 6.82 मिलियन घन मीटर (6820 मिलियन लीटर) सतही जल उपलब्ध कराने पर सहमत हुआ है। हालांकि, राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति ने मिशन सिटी बिलासपुर के लिए फरवरी और अप्रैल 2017 में राशि ₹ 310.77 करोड़ (चरण-I ₹ 212.62 करोड़ और चरण-II ₹ 98.15 करोड़) की लागत वाली जल आपूर्ति परियोजना को स्वीकृति दी। दोनों चरणों का कार्य एक ठेकेदार को ₹ 292.45 करोड़ की निविदा लागत पर 30 महीने में अप्रैल 2020 तक पूर्ण करने के लिए

अक्टूबर 2017 में दिया गया था। मार्च 2023 तक 90 प्रतिशत भौतिक प्रगति के साथ ₹ 261.38 करोड़ का व्यय करने के बाद भी कार्य अपूर्ण था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जल संसाधन विभाग द्वारा अहिरन-खारंग लिंक नहर परियोजना के निर्माण से संबंधित कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया था। नहर परियोजना प्रारंभिक चरण में थी, क्योंकि जल संसाधन विभाग के वर्ष 2023-24 के बजट में ₹ 714.69 करोड़ प्रावधानित किया गया था।

हालांकि, मिशन सिटी बिलासपुर ने नहर लिंकिंग परियोजना की पूर्णता को सुनिश्चित किए बिना अनुपचारित सतही जल की आपूर्ति के लिए खारंग टैंक से बिरकोनी स्थित जल उपचार संयंत्र तक 26.50 किलोमीटर पाइपलाइन (लागत ₹ 84.87 करोड़) बिछाने का कार्य निष्पादित किया। नहर लिंकिंग परियोजना के अभाव में खारंग टैंक से मिशन सिटी, बिलासपुर को मात्र 6.82 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) अनुपचारित सतही जल प्रदान किया जा सका, जो वर्ष में मात्र तीन से चार महीने¹⁵ की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त था और शेष अवधि के लिए मिशन सिटी, बिलासपुर की जल आपूर्ति बोरवेल/पंप के माध्यम से भूजल पर निर्भर रहेगी। इस प्रकार जल आपूर्ति परियोजना के पूरा होने के बाद भी नहर परियोजना के पूर्ण होने तक बिलासपुर में पानी की वर्तमान मांग को पूरा नहीं किया जा सकेगा।

राज्य सरकार ने बताया (सितंबर 2023) कि जल उपचार संयंत्र तक रॉ वाटर ग्रेविटी मेन बिछाने का कार्य पूर्ण हो गया था और पाइपलाइन का ट्रायल रन और परीक्षण अप्रैल 2023 में किया गया था। पाइपलाइन को सफलतापूर्वक चार्ज किया गया है, और प्रस्तावित स्रोत से अपेक्षित मात्रा में पानी निकाला जा रहा है। एक बार जब योजना पूरी तरह से चालू हो जाएगी, तो आवश्यक अनुपचारित पानी प्रस्तावित स्रोत से ही लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विभाग मात्र प्रस्तावित स्रोत से आवश्यक मात्रा में पानी प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास कर रहा था। इस संदर्भ में प्रकरण राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति के संज्ञान में अगस्त 2023 को लाया गया जिसमें समिति द्वारा जल संसाधन विभाग को प्रस्तावित स्रोतों से आवश्यक मात्रा में पानी आवंटित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

हालांकि, नहर लिंकिंग परियोजना के पूर्ण होने तक अनुपचारित पानी का स्रोत वर्तमान मांग के साथ-साथ मध्यवर्ती और चरम मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

इस प्रकार, बिलासपुर और राजनांदगांव में 135 एलपीसीडी जल आपूर्ति का लक्ष्य अधूरा रह गया क्योंकि आवश्यक अनुपचारित जल की आपूर्ति के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा लिंक नहर परियोजनाओं को प्रारम्भ करने में विलंब हुआ और इसके परिणामस्वरूप जल आपूर्ति परियोजना के पूर्ण होने में विलंब हुआ।

2.1.8.4 जल आपूर्ति योजना के लिए पाइप सामग्री का चयन

केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण यांत्रिकी संगठन द्वारा जारी जल आपूर्ति और उपचार मैनुअल-1999 की कण्डिका 6.3 के अनुसार, जल आपूर्ति परियोजनाओं में पाइपलाइन प्रमुख निवेश हैं और जल प्राधिकरणों की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा बनाती हैं। पाइप जल आपूर्ति योजनाओं में पूंजी निवेश के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए, पाइप सामग्री का चयन स्थायित्व, आयु और समग्र लागत जिसमें पाइप लागत के अतिरिक्त, परिकल्पित जीवन काल के दौरान पाइपलाइन के अपेक्षित कार्य और निष्पादन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक स्थापना और रखरखाव की लागत शामिल है, की दृष्टि से समझदारी से करना चाहिए।

¹⁵ 6820 एमएल/61.06 एमएलडी = 111.69 दिवस

इसके अतिरिक्त, कण्डिका 6.3.1 में प्रावधान है कि पाइप सामग्री की लागत और उसका स्थायित्व या परिकल्पित जीवन पाइप सामग्री के चयन में दो प्रमुख नियंत्रण कारक हैं। पाइपलाइन का जीवन बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन पूंजी और आवर्ती लागत के संदर्भ में यह अपेक्षाकृत महंगा भी हो सकता है और इसलिए, पाइप सामग्री का चयन करने से पूर्व एक विस्तृत आर्थिक विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण यांत्रिकी संगठन द्वारा जल संचारण के लिए पाइप सामग्री पर जारी एडवाइजरी की कण्डिका 1.3 और 1.3.1 के अंतर्गत भी इस तथ्य की पुनरावृत्ति की गई है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मिशन सिटी, कोरबा ने विभिन्न उपलब्ध पाइप सामग्रियों का विश्लेषण किया और जलापूर्ति योजना के डीपीआर में बड़े व्यास (अर्थात् 500 मिमी से ऊपर) के लिए पीएससीपी (प्री-स्ट्रेस्ड सिलेंड्रिकल कंक्रीट पाइप) और छोटे व्यास (500 मिमी से नीचे) के लिए डीआई (डक्टाइल आयरन) के-9 और के-7 पाइप के संयोजन का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा। परियोजना के लिए चुने गए पीएससीपी और डीआई पाइपों के संयोजन से मिशन सिटी, कोरबा द्वारा डीपीआर में दावा किए गए पूर्ण डीआई पाइप नेटवर्क की तुलना में ₹ 11.67 करोड़ की बचत हुई। मिशन सिटी, कोरबा के डीपीआर को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा दिनांक 19 मई 2016 और राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति द्वारा दिनांक 27 मई 2016 को अनुमोदित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अन्य सात मिशन सिटी में कार्यों में केवल डीआई (के-7 और के-9) पाइप का उपयोग किया गया था (परिशिष्ट-2.1.4)। हालांकि, डीपीआर को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति और राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति द्वारा भी पाइप सामग्री के चयन पर बिना किसी प्रश्न के अनुमोदित किया गया था। आठ मिशन शहरों द्वारा कार्य में उपयोग की गई विभिन्न पाइप सामग्री की लागत की तुलना तालिका-2.1.7 में दर्शाई गई है:

तालिका-2.1.7: मिशन सिटी, कोरबा द्वारा कार्य में प्रयुक्त पीएससीपी और डीआई पाइप का विवरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	मिशन सिटी का नाम	आइटम	पाइप का व्यास मिमी में	पाइप का प्रकार	पाइप की लंबाई (मीटर में)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एसओआर के अनुसार पाइप की लागत ¹⁶
1	कोरबा	रॉ वाटर पम्पिंग मेन और क्लियर वाटर पम्पिंग एवं ग्रेविटी मेन	600-800	पीएससीपी	27644	1879.68
2	अंबिकापुर	रॉ वाटर पम्पिंग मेन और क्लियर वाटर पम्पिंग मेन तथा ग्रेविटी फीडर	600	डीआई	12920	1216.36
3	भिलाई	क्लियर वाटर राइजिंग मेन	600-800	डीआई	15366	1597.25
4	बिलासपुर	रॉ वाटर पम्पिंग मेन और क्लियर वाटर पम्पिंग तथा ग्रेविटी मेन	600-1100	डीआई	18402	2294.37
5	जगदलपुर	रॉ वाटर और क्लियर वाटर राइजिंग मेन	600	डीआई	2238	215.25
6	रायगढ़	रॉ वाटर पम्पिंग मेन और क्लियर वाटर पम्पिंग	600-750	डीआई	1634	178.39
7	रायपुर	क्लियर वाटर राइजिंग मेन	700-900	डीआई	194	29.06
8	राजनांदगांव	रॉ वाटर पम्पिंग मेन और क्लियर वाटर पम्पिंग	600	डीआई	6628	629.98

(स्रोतः बीओक्यू, एनआईटी और चल देयकों से संकलित जानकारी)

¹⁶ के 7 (व्यास 600-1100 मीटर) के पीएससीपी पाइप-₹ 5361 से ₹ 15760 प्रति मीटर और के 9 (व्यास 600-900 मीटर) - ₹ 5361 से ₹ 9733 प्रति मीटर, के 7 (व्यास 600-1100 मीटर) के डीआई पाइप-₹ 7427 से ₹ 22344 प्रति मीटर और के 9 (व्यास 600-900 मीटर)-₹ 9618 से ₹ 18700 प्रति मीटर।

इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि विभिन्न मिशन सिटी में जल आपूर्ति योजना के लिए पाइप सामग्री का चयन केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण यांत्रिकी संगठन के जल आपूर्ति और उपचार मैनुअल में प्रावधानित विस्तृत आर्थिक विश्लेषण के बिना किया गया था और पाइप सामग्री के चयन में एकरूपता का अभाव था।

उत्तर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सूडा ने बताया (नवंबर 2022) कि डीआई पाइप का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है और यह बेहतर चयन है और डीआई पाइपों के ऊपर पीएससीपी को शामिल नहीं करने के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं हैं। कोरबा और भिलाई मिशन कार्यान्वयन में शुरूआती थे और उनके डीपीआर पूर्व से तैयार किए गए थे। यह भी बताया गया कि भिलाई के डीपीआर में रॉ वाटर राइजिंग मेन घटक शामिल नहीं था, लेकिन कोरबा के डीपीआर में रॉ वाटर राइजिंग मेन को पीएससीपी के रूप में शामिल किया गया था और इसलिए राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदन दिया गया।

राज्य सरकार ने बताया (सितंबर 2023) कि चूंकि कोरबा मिशन कार्यान्वयन में शुरूआती था, इसलिए संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा डीपीआर पूर्व से तैयार किया गया था और इसलिए इन्हें राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा प्रथम चरण में अनुमोदन के लिए विचार किया गया। इसके अतिरिक्त, यह कहना सही नहीं है कि समिति ने पाइप सामग्री के चयन पर सवाल नहीं उठाया क्योंकि जल आपूर्ति योजना के डीपीआर तैयार करने के लिए डिज़ाइन मानदंडों को समिति द्वारा स्वीकृति दिए जाते समय पाइप सामग्री के चयन हेतु यह कार्य समिति की चतुर्थ बैठक (सितंबर 2016) में किया गया था। इसलिए सभी सात मिशन शहरों द्वारा समिति द्वारा अनुमोदित डिज़ाइन मानदंडों के अनुसार डीआई (के7 और के9) पाइप प्रस्तावित किए गए थे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जल आपूर्ति योजनाओं में पाइप सामग्री के चयन के आधार/मानदंड को डीपीआर के मूल्यांकन के लिए गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा समान रूप से लागू नहीं किया गया। एकरूपता की कमी के कारण या तो कोरबा के प्रकरण में बेहतर गुणवत्ता की पाइप सामग्री उपयोग नहीं किया गया या अन्य मिशन सिटी में महंगे पाइपों के चयन के कारण मितव्ययता सुनिश्चित नहीं की गई।

2.1.8.5 सक्षम प्राधिकारी से वित्तीय अनुमोदन प्राप्त किए बिना उद्यान कार्य का निष्पादन

नगरीय प्रशासन और विकास विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा दिसंबर 2016 में जारी आदेश के अनुसार, तीन लाख से कम जनसंख्या वाले मिशन सिटी में ₹ 25 लाख तक के कार्यों के लिए प्रशासकीय अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति उन शहरों के आयुक्त द्वारा दी जाएगी जबकि ₹ 25 लाख से अधिक मूल्य के कार्यों के लिए स्वीकृति मिशन संचालक, सूडा द्वारा दी जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मिशन सिटी दुर्ग ने अक्टूबर 2019 में जवाहर उद्यान की स्थापना, सामग्री की आपूर्ति, सौर उपकरणों और पांच वर्षों के लिए संचालन एवं रखरखाव के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) प्रकाशित की। एसओआर मदों के लिए ₹ 35.51 लाख (एसओआर से 6.11 प्रतिशत कम), गैर-एसओआर मदों के लिए ₹ 19.57 लाख और संचालन एवं रखरखाव के लिए ₹ 19.30 लाख (कुल ₹ 74.38 लाख) की न्यूनतम निविदा दर की स्वीकृति दिनांक 15 नवंबर, 2019 को आयोजित मेयर-इन-काउंसिल (एमआईसी) की बैठक में दी गई थी और उसके बाद ठेकेदार को 12 महीने के अंदर कार्य पूरा करने के लिए कार्य आदेश दिनांक 02 जनवरी 2020 को जारी किया गया था किन्तु सक्षम प्राधिकारी अर्थात् मिशन संचालक से आवश्यक वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। ठेकेदार द्वारा कार्य को निष्पादित किया गया और उसे मार्च 2022 तक आवश्यक वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना ₹ 51.39 लाख का अंतिम भुगतान किया गया।

राज्य सरकार ने बताया (सितंबर 2023) कि दुर्ग नगर पालिक निगम द्वारा मिशन संचालक की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी, अपितु विभाग के कार्य संचालन नियमों के अनुसार वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की गई थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सामान्य कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति विभाग के कार्य संचालन नियमों के अनुसार प्राप्त की जानी थी जबकि अमृत के अंतर्गत ₹ 25 लाख से अधिक मूल्य के कार्यों की वित्तीय स्वीकृति के लिए मिशन संचालक, सूडा से अनुमोदन आवश्यक था।

2.1.9 निविदा और अनुबंध प्रबंधन

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान नौ चयनित मिशन शहरों द्वारा निविदा प्रक्रिया और अनुबंधों के प्रबंधन की जांच की गई तथा निविदा और अनुबंध प्रबंधन से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

2.1.9.1 उच्च एसओआर दर के आइटमों के साथ बीओक्यू की गलत तैयारी के परिणामस्वरूप परिहार्य व्यय

मिशन सिटी, भिलाई में जल आपूर्ति परियोजना (रॉ एण्ड क्लीयर वाटर पंपिंग मेन और वितरण नेटवर्क) के निष्पादन के लिए प्रकाशित एनआईटी की विशेष शर्तों के अंतर्गत बोलीदाता को उत्पाद शुल्क छूट प्रमाणपत्र को ध्यान में रखते हुए अपनी दर प्रस्तुत की जानी थी। निविदा शर्तों के अनुसार, ठेकेदार को उनके अनुरोध पर पाइप और फिटिंग के लिए छूट प्रमाणपत्र मार्च 2012 की उत्पाद शुल्क अधिसूचना के अनुसार जारी किया जाएगा। हालांकि, अधिसूचना के अनुसार, छूट उपलब्ध होगी बशर्ते कलेक्टर द्वारा उत्पाद शुल्क छूट प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

मिशन सिटी, भिलाई में क्लियर वाटर राइजिंग मेन¹⁷ और वितरण नेटवर्क¹⁸ कार्य को प्रतिशत दर निविदा के आधार पर ठेकेदार को क्रमशः ₹ 37.68 करोड़ और ₹ 103.95 करोड़ की अनुबंधित लागत पर नवंबर 2016 को सौंपा गया। कार्यों को पूरा करने की निर्धारित अवधि क्रमशः 18 महीने और 24 महीने (वर्षा ऋतु सहित) थी।

इसके अतिरिक्त, प्रतिशत दर निविदाओं के संबंध में प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा जनवरी 2016 में जारी जल आपूर्ति, सीवरेज कार्यों के लिए 'एकीकृत दरों की अनुसूची (भाग-I)' में निर्दिष्ट दरों में दो अलग-अलग प्रविष्टियों के अंतर्गत पाइपों की दरें शामिल हैं अर्थात् डीआई के-7 और डीआई के-9 पाइपों के लिए दरें (i) उत्पाद शुल्क को छोड़कर क्रमशः मद संख्या 6.50 के अंतर्गत ₹ 720 प्रति मीटर से ₹ 25,389 प्रति मीटर और मद संख्या 6.51 के अंतर्गत ₹ 915 से ₹ 31,414 तक हैं और (ii) उत्पाद शुल्क सहित, जो क्रमशः मद संख्या 6.1 के अंतर्गत ₹ 1017 प्रति मीटर से ₹ 37,551 प्रति मीटर और मद संख्या 6.3 के लिए ₹ 1,040 प्रति मीटर से ₹ 40,419 तक हैं।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि उपरोक्त कार्यों की संभावित अनुबंध राशि (पीएसी) पर आधारित लागत को कार्यपालन अभियंता द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एसओआर के मद संख्या 6.50 और 6.51 के लिए उत्पाद शुल्क को छोड़कर दरों के आधार पर अंतिम रूप दिया गया था, किन्तु सितंबर 2016 में एनआईटी के साथ प्रकाशित बीओक्यू में उत्पाद शुल्क सहित मद संख्या 6.1 और 6.3 का उल्लेख किया गया था। कार्य के निष्पादन के दौरान, ठेकेदार को मद संख्या 6.50 और 6.51 में उल्लेखित उत्पाद शुल्क को छोड़कर दरों के आधार पर डीआई पाइपों की कम दरों पर भुगतान किया गया था।

¹⁷ प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी स्वीकृति—₹ 44.30 करोड़ (मई 2016)

¹⁸ प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी स्वीकृति—₹ 113.00 करोड़ (मई 2016)

हालांकि, ठेकेदार द्वारा दोनों कार्यों में उपयोग किए गए डीआई पाइपों के कम दरो के भुगतान के विरुद्ध आयुक्त, मिशन सिटी, भिलाई के समक्ष जुलाई 2020 में अपील दायर की गई और अनुबंध के अनुसार बीओक्यू मद के अनुसार भुगतान की मांग की। ठेकेदार की अपील को आयुक्त ने इस आधार पर निरस्त कर दिया कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार उत्पाद शुल्क छूट प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, इसलिए मद क्रमांक 6.50 और 6.51 के अंतर्गत उल्लेखित उत्पाद शुल्क को छोड़कर दर के अनुसार भुगतान उचित था।

हालांकि, ठेकेदार द्वारा संचालनालय स्तर पर आगे की गई अपील पर आयुक्त के निर्णय को तात्कालीन मुख्य अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा निरस्त कर दिया गया और ठेकेदार को अनुबंध में उल्लिखित एसओआर दरों के अनुसार भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, अनुबंध में उल्लेखित मद क्रमांक 6.1 और 6.3 के लिए भुगतान अनुवर्ती चल देयकों में ठेकेदार को किया गया था।

इस प्रकार, पीएसी में उल्लिखित मदों से विचलन में बीओक्यू तैयार करने के कारण विभाग को उत्पाद शुल्क के रूप में ₹ 9.52 करोड़¹⁹ की अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ी। यदि बीओक्यू/अनुबंध, पीएसी के अनुसार सही तरीके से और सावधानीपूर्वक तैयार किया गया होता तो ठेकेदार को ₹ 9.52 करोड़ का भुगतान बचाया जा सकता था। हालांकि, बीओक्यू को गलत तरीके से तैयार करने के लिए परियोजना विकास एवं प्रबंधन सलाहकार और कार्यपालन अभियंता पर कोई जवाबदेही तय करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

राज्य सरकार ने बताया (सितंबर 2023) कि लेखापरीक्षा द्वारा उठायी गई आपत्ति के अनुरूप प्रकरण का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए एक समिति सितंबर 2023 में गठित की गई है।

2.1.9.2 समान प्रकार के अनुबंध में शास्ति प्रावधान में एकरूपता की कमी के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अनुचित लाभ

अमृत दिशानिर्देशों की कण्डिका 11.2 के अनुसार, राज्य स्तरीय तकनीकी समिति को बोली दस्तावेजों/मूल्यांकन मानदंड आदि को स्वीकृति देनी थी। इसके अतिरिक्त परियोजना विकास एवं प्रबंधन सलाहकार के कार्य के दायरे में डिजाइन, पर्यवेक्षण और परियोजना प्रबंधन जैसे घटक शामिल हैं तथा इसकी भूमिका में आमंत्रण पत्र, अनुबंध की शर्तें, विशिष्टता, बीओक्यू इत्यादि का समावेश करने हेतु निविदा अभिलेख तैयार करना शामिल है।

अमृत के अंतर्गत जल आपूर्ति योजना और सीवरेज प्रबंधन के कार्यों के लिए एनआईटी प्रतिशत दर निविदा (फॉर्म-ए) और एकमुश्त निविदा (फॉर्म-एफ) के आधार पर जारी की गई थी, जैसा कि **परिशिष्ट-2.1.5** में दर्शाया गया है।

नमूना जांच किए गए मिशन शहरों में अमृत के अंतर्गत किए गए विभिन्न जल आपूर्ति योजना कार्यों के अनुबंध अभिलेख की जांच से पता चला कि निष्पादन में विलंब के लिए अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत शास्ति प्रावधान में एकमुश्त दर निविदा की तुलना में भिन्नताएं थी जैसा कि **तालिका-2.1.8** में दर्शाया गया है।

¹⁹ विरतण कार्य-₹ 6.37 करोड़ (जनवरी 2023, 18वें चल और अंतिम देयक तक) तथा सीडब्ल्यूआरएम कार्य-₹ 3.15 करोड़ (जनवरी 2022-14वें चल और अंतिम देयक तक)

तालिका-2.1.8: एकमुश्त अनुबंधों में शास्ति कंडिका के अंतर्गत लगाए जाने वाले अधिकतम शास्ति का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मिशन सिटी	परियोजना का नाम और पैकेज	निविदा क्रमांक / दिनांक	पीएसी	प्रति दिन शास्ति (₹ में)	पीएसी के 10 प्रतिशत की दर से अधिकतम लगाने योग्य शास्ति	अधिकतम शास्ति वसूल करने का समय (दिनों में)
1	अंबिकापुर	जल आपूर्ति योजना	16377 16-03-2017	90.83	80000	9.08	1134
2	बिलासपुर	जल उपचार संयंत्र, आरडब्ल्यूजीएम, सीडब्ल्यूजीएम, पीएलसी-स्काडा आदि	16301 14-03-2017	181.97	30000	18.20	6069
3	दुर्ग	सीडब्ल्यूपीएम, वितरण नेटवर्क एवं पीएलसी-स्काडा	23015 27-10-2017	129.70	90000	12.97	1442
4	जगदलपुर	जल आपूर्ति योजना	16313 15-03-2017	107.54	96100	10.75	1120
5	रायगढ़	जल आपूर्ति योजना	23003 27-10-2017	124.61	111300	12.46	1120
6	रायपुर	जल उपचार संयंत्र, सीडब्ल्यूपीएम, वितरण नेटवर्क एवं पीएलसी-स्काडा	17894 04-05-2017	162.21	125000	16.22	1295
7	राजनांदगांव	जल आपूर्ति योजना	16215 14-03-2017	198.98	180000	19.90	1106

(स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

- उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 30 महीने की निर्धारित समय सीमा वाले एकमुश्त अनुबंध के सात प्रकरणों में अधिकतम शास्ति लगाये जाने वाला समय 1106 से 6069 दिनों के मध्य था अर्थात् राजनांदगांव में विलंब के लिए अधिकतम शास्ति 1106 दिनों (36 महीने और 24 दिनों) में वसूल की जाएगी जबकि बिलासपुर में इसे 6069 दिनों (202 महीने और 9 दिनों) में वसूल की जाएगी, हालांकि, बिलासपुर के कार्य का पीएसी (₹ 181.97 करोड़) राजनांदगांव के कार्य के पीएसी (₹ 198.98 करोड़) से कम है।
- अन्य एकमुश्त अनुबंधों में पीएसी के 10 प्रतिशत की दर से शास्ति के स्थान पर निविदा संख्या 43312 और 50307 (मिशन सिटी कोरबा से संबंधित एकमुश्त निविदा) में विलंब के लिए अधिकतम शास्ति 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से अनुबंध राशि के छः प्रतिशत, जबकि निविदा संख्या 47520 और 46620 (मिशन सिटी जगदलपुर और रायगढ़ की एकमुश्त निविदा) में विलंब के लिए अधिकतम शास्ति प्रति महीने 0.5 प्रतिशत की दर से अनुबंध राशि के छः प्रतिशत प्रावधान किया गया था जैसा कि **तालिका 2.1.8** में दर्शाया गया है। इसका अर्थ है कि एकमुश्त अनुबंध में प्रतिशत दर अनुबंध का शास्ति प्रावधान अपनाया गया था जिससे शास्ति लगाने के प्रकरण में ठेकेदार को अनुचित लाभ मिला।

राज्य सरकार ने बताया (सितंबर 2023) कि प्रतिशत दर निविदाओं (फॉर्म-ए) के प्रकरण में पीएसी के 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से पीएसी के अधिकतम 6 प्रतिशत का शास्ति लगाया जा सकता है जबकि एकमुश्त निविदा (फॉर्म-एफ) के प्रकरण में प्रतिदिन एक तय राशि (परियोजना की लागत के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय द्वारा तय की

गई) की दर से पीएसी के अधिकतम 10 प्रतिशत तक शास्ति लगाया जा सकता है। चूंकि प्रति दिन शास्ति की राशि तय करने के लिए कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं थे, इसलिए शहरी स्थानीय निकायों ने इसे परियोजना लागत और अवधि के अनुसार स्वयं तय किया है। अब, निर्माण विभाग मैनुअल में फॉर्म-एफ में प्रति सप्ताह 0.5 प्रतिशत की दर से अधिकतम छः प्रतिशत तक शास्ति की कटौती के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसी का पालन किया जा रहा है और इसे अमृत 2.0 के अंतर्गत सभी निविदाओं में कार्यान्वित किया जा रहा है।

शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शास्ति लगाने के लिए निर्माण विभाग मैनुअल में दिशानिर्देश मौजूद थे, तथापि, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सभी प्रकरणों में इसका समान रूप से पालन नहीं किया गया था।

2.1.9.3 कार्यों के निष्पादन में विलंब के लिए कम शास्ति आरोपित करना

अनुबंध की सामान्य शर्त (फॉर्म-ए, प्रतिशत दर निविदा) के अनुसार, यह ध्यान में रखते हुए कि समय अनुबंध का सार है, कार्य को निर्धारित अवधि के दौरान पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। यदि ठेकेदार शर्तों का पालन करने में विफल रहता है तो कार्यपालन अभियंता विलंब के प्रत्येक सप्ताह के लिए अनुबंध राशि के 0.5 प्रतिशत के बराबर राशि जो अनुबंध राशि के छः प्रतिशत तक सीमित होगा, क्षतिपूर्ति के रूप में ठेकेदार पर अधिरोपित करेगा।

इसके अतिरिक्त, अनुबंध की शर्त (फॉर्म-एफ, एकमुश्त अनुबंध) के अनुसार, आदेश प्राप्त होने पर तुरंत कार्य शुरू किया जाना है। सभी परिवर्धनों और परिवर्तनों सहित संपूर्ण कार्य हर तरह से कार्य आदेश की तिथि से 18 से 30 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा और यदि उक्त अवधि के अंदर आयुक्त की संतुष्टि के अनुसार कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो ठेकेदार (ठेकेदारों) को ऐसी चूक के प्रत्येक पूर्ण दिन के लिए ₹ 30,000 से ₹ 1.25 लाख प्रति दिन की शास्ति देना होगा और यह पूरे कार्य के अनुमानित मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

अमृत के अंतर्गत निष्पादित कार्यों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि छः प्रकरणों में, ठेकेदारों को कार्य पूरा करने के लिए 12 से 30 महीने का समय दिया गया था, लेकिन वे कार्य की धीमी प्रगति, संयंत्र और मशीनरी की आपूर्ति में विलंब, ठेकेदार में रुचि की कमी आदि के कारण निर्धारित समय के अंदर कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका और उपरोक्त सभी कार्य अभी भी अपूर्ण हैं (जून 2023)। मिशन सिटी के आयुक्तों ने कार्य के निष्पादन में विलंब के लिए ठेकेदारों को नोटिस जारी किए हैं और दंडात्मक खंड के अंतर्गत समयवृद्धि दिया गया था, लेकिन अनुबंध की शर्तों के अनुसार शास्ति नहीं लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप शासकीय कोष को ₹ 22.50 करोड़ का नुकसान हुआ, जैसा कि तालिका-2.1.9 में दर्शाया गया है:

तालिका-2.1.9: अमृत के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन में विलंब के लिए कम शास्ति लगाए जाने का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मिशन सिटी	परियोजना का नाम	अनुबंध राशि/पीएसी (कार्य आदेश की तिथि)	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	शास्ति के साथ प्रदान की गई समय वृद्धि (से-तक)	शास्ति की गणना के लिए दिन (प्रतिदिन शास्ति की राशि (₹ में)/शास्ति की दर प्रतिशत में)	लगायी जाने वाली शास्ति ²⁰ (₹ लाख में) अधिकतम राशि तक सीमित	लगाई गई शास्ति	कम अधिरोपित शास्ति
1.	भिलाई (एकमुश्त)	जल आपूर्ति योजना, चरण II- जीआईएस स्काडा	1111.19 (04/10/2019)	3/7/20 20	15/06/22- 31/03/23	289 (55000)	111.00	4.83	106.17
2.	बिलासपुर (एकमुश्त)	जल आपूर्ति योजना, भाग-I	18196.81 (04/10/2017)	3/4/20 20	01/07/22- 31/03/23	273 (30000)	81.90	59.70	22.20
3.	कोरबा (एकमुश्त)	पैकेज IV- पीएलसी-स्काडा	717.64 (20/09/2019)	19/09/ 2020	01/03/21- 30/09/21	578 (0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह)	47.82	2.50	45.32
4.	रायपुर (एकमुश्त)	जल आपूर्ति योजना -I	16220.52 (14/08/2017)	13/02/ 2020	01/04/21- 31/07/23	851 (125000)	1063.75	467.08	596.67
5.	रायपुर (प्रतिशत दर)	जल आपूर्ति योजना - II पैकेज-4 " वितरण नेटवर्क "	12078.68 (08/03/2019)	8/8/20 20	24/07/21- 23/03/22	242 (0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह)	724.74	25.00	699.74
6.	रायपुर (प्रतिशत दर)	जल आपूर्ति योजना - II पैकेज-5 " वितरण नेटवर्क "	13419.25 (08/03/2019)	8/8/20 20	24/07/21- 23/03/22	242 (0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह)	805.14	25.00	780.14
		योग					2834.35	584.11	2250.24

(स्रोतः मिशन शहरों के अभिलेखों से संकलित जानकारी)

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया (सितंबर 2023) कि अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदारों पर शास्ति लगाने का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए सभी मिशन शहरों को पत्र जारी किया गया है।

2.1.9.4 ठेकेदारों को मोबिलाइजेशन अग्रिम के भुगतान और वसूली में अनियमितताएं

अनुबंध की सामान्य शर्तों के अनुसार, यदि ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ करने के आदेश की तिथि से एक महीने के अंदर अनुरोध किया जाता है, तो अनुबंध मूल्य के पांच प्रतिशत तक मोबिलाइजेशन अग्रिम स्वीकार्य है।

मोबिलाइजेशन अग्रिम को समान मासिक किश्तों में आनुपातिक आधार पर (अनुबंध कार्य का 15 प्रतिशत निष्पादित होने के बाद) प्रत्येक आगामी चल देयक से वसूल किया जाना आवश्यक है। हालांकि, अनुबंध राशि का 80 प्रतिशत कार्य या निर्धारित वैधता अवधि का 75 प्रतिशत समय पूर्ण होने, इनमें से जो भी पहले हो, पर सभी अग्रिम राशि पूर्ण रूप से वसूल की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने ठेकेदारों को मोबिलाइजेशन अग्रिम के भुगतान और वसूली में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई:

²⁰ एकमुश्त अनुबंधों में अधिकतम शास्ति संभावित अनुबंध राशि का 10 प्रतिशत तथा प्रतिशत दर निविदाओं में अनुबंध राशि का 6 प्रतिशत लगाया जा सकता है।

(i) कार्य प्रारंभ होने के पूर्व चरण-दो मोबिलाइजेशन अग्रिम राशि प्रदान करना

अनुबंध के खंड 11 (ए) (i) के अनुसार, अनुबंध मूल्य के तीन प्रतिशत के रूप में चरण दो का मोबिलाइजेशन अग्रिम ठेकेदार को ठेकेदार से यह प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर प्रदान किया जाना था कि उसने संपूर्ण केंद्रीय एवं क्षेत्र परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित कर ली हैं, श्रमिकों/तकनीशियनों को लगा दिया है, कार्य स्थल पर आवश्यक संयंत्र और मशीनरी ला दी गई है और कार्य भी भौतिक रूप से शुरू हो गया है।

मिशन सिटी, रायपुर में यह देखा गया कि जलापूर्ति योजना चरण-II, के पैकेज IV और पैकेज V के संवर्धन कार्य के दो अनुबंधों में ठेकेदारों को क्रमशः ₹ 3.62 करोड़ और ₹ 4.03 करोड़ (अनुबंध मूल्य का तीन प्रतिशत) का चरण दो मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान किया गया था (अगस्त 2019)। हालांकि, यह देखा गया कि ये कार्य भौतिक रूप से नवंबर 2019 में शुरू किए गए थे अर्थात् चरण दो मोबिलाइजेशन अग्रिम के भुगतान के तीन महीने बाद। इस प्रकार, ठेकेदारों द्वारा कार्य शुरू करने से पूर्व ठेकेदार को मोबिलाइजेशन अग्रिम स्वीकृत किया गया था। इसलिए, अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय लाभ दिया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने बताया (सितंबर 2023) कि अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण का पुनर्मूल्यांकन करने और यदि आवश्यक हो तो ठेकेदार से मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज वसूलने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को पत्र जारी किया गया है।

उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि कार्य शुरू करने के लिए विभिन्न विभागों से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही चरण दो मोबिलाइजेशन अग्रिम को स्वीकृति देकर ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था। हालांकि, कार्य प्रारंभ को सुनिश्चित किए बिना ही मोबिलाइजेशन अग्रिम देने का प्रस्ताव देने वाले कार्यपालन अभियंता के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(ii) मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली में विलंब

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन²¹ मिशन शहरों में अनुबंध की शर्तों के अनुसार तीन कार्यों में ठेकेदारों को ₹ 18.72 करोड़ का कुल मोबिलाइजेशन अग्रिम (चरण 1 और 2) प्रदान किया गया था। चूंकि उपरोक्त कार्यों को पूरा करने की निर्धारित अवधि 30 महीने थी, अतः संपूर्ण मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली अनुबंध मूल्य का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने या निर्धारित अवधि के 75 प्रतिशत के पूर्ण होने तक की जानी चाहिए थी (अनुबंध की शर्त के अनुसार), तथापि, निर्धारित अवधि के भीतर ठेकेदारों से मात्र ₹ 9.93 करोड़ का मोबिलाइजेशन अग्रिम वसूल किया जा सका और ₹ 8.79 करोड़ का शेष अग्रिम ठेकेदारों के देयक से दो से नौ महीने के विलंब से धीरे-धीरे वसूल किया गया जैसा कि **तालिका-2.1.10** में दर्शाया गया है।

²¹ अंबिकापुर, दुर्ग और रायगढ़

तालिका-2.1.10: मोबिलाइजेशन अग्रिम की विलंबित वसूली का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मिशन सिटी	परियोजना का नाम और कार्यादेश का दिनांक	दिया गया मोबिलाइजेशन अग्रिम	अवधि जब तक अग्रिम पूर्ण रूप से वसूल होना था	निर्धारित अवधि में वसूल किया गया अग्रिम	निर्धारित अवधि के उपरांत शेष राशि	शेष राशि की अंतिम वसूली का दिनांक (विलंब माह में)
1	अंबिकापुर	जल आपूर्ति योजना, (14-06-17)	4.86	30/04/2019	1.46	3.40	31-01-2020 (9 माह)
2	दुर्ग	सीडब्ल्यूपीएम, वितरण, पीएलसी स्काडा (31-01-18)	7.31	15/12/2019	3.92	3.39	03-11-2020 (10 माह)
3	रायगढ़	जल आपूर्ति योजना (05-02-18)	6.55	20/12/2019	4.55	2.00	12-02-2020 (2 माह)
	योग		18.72		9.93	8.79	

(स्रोत: मिशन शहरों के अभिलेखों से संकलित जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ₹ 8.79 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली में 2 से 10 महीने का विलंब करके ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली में विलंब के कारण राजकोष को ब्याज की हानि भी हुई।

राज्य सरकार ने बताया (सितंबर 2023) कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निष्पादन की समयावधि में वृद्धि की गई थी और मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली विस्तारित समयावधि के अंदर की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारित अवधि के 75 प्रतिशत पूरा होने तक संपूर्ण मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली नहीं की गई थी और ठेकेदारों द्वारा निर्धारित पूर्णता अवधि की समाप्ति के बाद ही समयवृद्धि के लिए आवेदन किया गया था।

2.1.9.5 पुनर्चक्रित जल के पुनः उपयोग हेतु नीति का कार्यान्वयन

अमृत दिशानिर्देशों के कण्डिका 6.8 और केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण यांत्रिकी संगठन द्वारा जारी "सीवरेज और सीवेज ट्रीटमेंट प्रणाली पर मैनुअल, 2013" के कंडिका 7.1 (अध्याय 7) के अनुसार, कम से कम 20 प्रतिशत अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रित किया जाना है और गैर-पेय कार्यों के लिए उपयोग किया जाना है। राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति की सिफारिश के बाद मार्च 2017 में राज्य के लिए "जल पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग नीति" को स्वीकृति दी। यद्यपि, समिति ने अपनी बैठक में जल नीति की अनुशंसा करते समय निर्माण कार्यों में पुनर्चक्रित जल के अनिवार्य उपयोग का प्रावधान शामिल करने का प्रस्ताव रखा था, तथापि, यह प्रावधान अनुमोदित नीति में शामिल नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अमृत मिशन के अंतर्गत, अपशिष्ट जल के उपचार हेतु एसटीपी की स्थापना के लिए चार मिशन शहरों में सात कार्य/परियोजनाएं शुरू की गई थी। सात परियोजनाओं/कार्यों में से छः एसटीपी कार्य पूर्ण हो गये थे। हालांकि, उपर्युक्त मिशन शहरों में से किसी ने भी पुनर्चक्रित जल के उपयोग के बारे में जनता को संवेदनशील बनाने या सुविधा प्रदान करने के लिए कोई नीति या कार्य योजना नहीं बनाई और संपूर्ण पुनर्चक्रित अपशिष्ट जल को स्थानीय नाले या नदी में प्रवाहित कर दिया गया।

इस प्रकार, जल पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग नीति के कार्यान्वयन के लिए पहल की कमी के कारण मिशन शहरों में पुनर्चक्रित अपशिष्ट जल का उपयोग गैर-पेय उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने बताया (सितंबर 2023) कि सभी सीवरेज उपचार संयंत्रों का निर्माण अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार किया गया था, जिसमें उपचारित जल को नदी की धारा में प्रवाहित करने का प्रस्ताव था। सभी मिशन शहरों में उपचारित अपशिष्ट जल को पास के उद्योगों और ताप विद्युत संयंत्रों को बेचने का प्रयास किया जा रहा है।

उत्तर को इस तथ्य के आधार पर देखा जाना है कि राज्य सरकार द्वारा नीति में निर्धारित अनुसार पुनर्चक्रित जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया और पुनर्चक्रित जल को नदी की धारा में प्रवाहित किया गया। इसके अतिरिक्त, संपूर्ण मिशन अवधि के दौरान चयनित मिशन शहरों द्वारा ऐसी कोई पहल नहीं की गई।

2.1.10 निगरानी और संचालन एवं रखरखाव

अमृत दिशा-निर्देशों की कण्डिका 14.1 के अनुसार, मिशन की निगरानी राज्य और मिशन शहर स्तर पर की जानी थी। इसके अतिरिक्त, सूचना और डेटा को सार्वजनिक डोमेन में नागरिकों के साथ साझा किया जाना था। वेबसाइटों के माध्यम से सार्वजनिक प्रकटीकरण का एक मजबूत घटक भी विकसित किया जाना था।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण यांत्रिकी संगठन द्वारा जारी जल आपूर्ति प्रणालियों के संचालन और रखरखाव पर मैनुअल (संचालन एवं रखरखाव मैनुअल) के अध्याय-I के अनुसार, संचालन, रखरखाव और राजस्व संग्रहण का उत्तरदायित्व आम तौर पर निर्वाचित शहरी स्थानीय निकायों के पास होती है। हालांकि, लेखापरीक्षा के दौरान इन क्षेत्रों में देखी गई कमियों पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

2.1.10.1 राज्य स्तरीय समिति का गठन एवं बैठकें

(i) **राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति:** अमृत दिशानिर्देशों की कंडिका 10.2 के अनुसार, राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति को मिशन के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के साथ-साथ शहरी स्थानीय निकायों में परियोजना कार्यान्वयन, मिशन के अंतर्गत स्वीकृत और पूर्ण की गई परियोजनाओं के परिणाम और संचालन एवं रखरखाव की व्यवस्था और समय-समय पर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करने का उत्तरदायित्व सौंप गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि समिति के गठन (अगस्त 2015) के बाद से अगस्त 2015 से जून 2021 की अवधि के दौरान मात्र 10 बैठकें आयोजित की गईं और जून 2021 के पश्चात कोई बैठक नहीं हुई। हालांकि, जून 2021 के पश्चात बैठकें न होने के कारण अभिलेखों में नहीं पाए गए।

राज्य सरकार ने बताया (सितंबर 2023) कि राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति की बैठक दिनांक 10/08/2023 को आयोजित की गई थी जिसमें प्रगतिरत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा और अंतरविभागीय मुद्दों पर चर्चा की गई और आवश्यक निर्देश प्राप्त हुए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समिति की बैठक के बावजूद विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी थी जिसके कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्राप्ति में विलंब एवं विभिन्न विभागों के बीच आपस में जुड़े हुए परियोजनाओं जैसा कि कंडिका 2.1.8.2 और 2.1.8.3 में चर्चा की गई है, में समन्वय की कमी को बढ़ावा मिला।

2.1.10.2 समान दर पर जल शुल्क लगाना

केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण यांत्रिकी संगठन के संचालन एवं रखरखाव मैनुअल के अध्याय-I के अनुसार, पानी के दुरुपयोग को कम करने और उसका मितव्ययी मूल्य बनाए रखने के लिए जल आपूर्ति की मीटरिंग वांछनीय है। कार्यशील/कार्यात्मक मीटरों की अनुपस्थिति में खपत किए गए पानी के लिए बिलिंग प्रायः अनुमानित की जाती है, या तो औसत आधार पर या समान दर पर, जैसा भी प्रकरण हो। सार्वभौमिक मीटरिंग भी जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत एक मिशन घटक है।

इसके अतिरिक्त, अमृत दिशानिर्देशों के सुधार 8(ब) में मिशन के सुधारों के अंतर्गत “व्यक्तिगत और संस्थागत मूल्यांकन के लिए उपयोगकर्ता शुल्क पर एक नीति अपनाने का प्रावधान है, जिसमें जल उपयोग के लिए पृथक-पृथक दर वसूली जाती है और कमजोर वर्ग के हितों का ध्यान रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय शामिल किए जाने थे”।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना²² (3 फरवरी 2010) के अनुसार राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में मीटर आधारित बिलिंग नीति अपनाई जानी थी। इसके अतिरिक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राजपत्र अधिसूचना²³ (12 जनवरी 2011) के माध्यम से उपयोगकर्ता शुल्क लगाने के लिए प्रति माह निश्चित समान दर पर बिलिंग की प्रणाली शुरू की, जिसे अधिकांश मिशन शहरों ने अपनाया। तब से विभाग द्वारा जनवरी 2011 में निर्धारित जल शुल्क की न्यूनतम समान दरों को न तो संशोधित किया गया और न ही खपत के आधार पर पृथक-पृथक दर वसूलने की मीटरिंग नीति लागू की गई। जल शुल्क की दरों का विवरण **तालिका-2.1.11** में दिया गया है।

तालिका-2.1.11: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा निर्धारित जल शुल्क की दरों का विवरण

क्र. सं.	उपभोक्ता का प्रकार	दिनांक 03-02-2010 की अधिसूचना द्वारा निर्धारित दरें प्रति किलो-लीटर (₹ में)					दिनांक 12-01-2011 के राजपत्र अधिसूचना द्वारा निर्धारित दरें प्रति माह
		0-11	11-15	15-25	25-50	> 50	
1	घरेलू	5	6	7	8	9	200 (करदाता) 60 (गैर-करदाता)
2	आवासीय-सह-वाणिज्यिक	6	8	10	12	14	350
3	व्यावसायिक	9	11	14	18	22	800
4	औद्योगिक एवं संस्थागत						1000
अ	सरकारी	8	10	12	14	16	800
ब	गैर सरकारी	10	12	14	16	18	800

(स्रोतः नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं)

वर्तमान में कोरबा, जहां फरवरी 2021 से मीटर-आधारित बिलिंग की गई थी, को छोड़कर खपत किए गए पानी के लिए बिलिंग, आपूर्ति/उपयोग किए गए पानी की मात्रा का आकलन/मूल्यांकन किए बिना ₹ 200 प्रति माह की समान दर पर की गई थी। यह अमृत दिशानिर्देशों में उल्लिखित सुधार के प्रावधानों के विपरीत है, जो लगाए गए विभिन्न

²² सं. एफ 5-190/18/2005

²³ सं. एफ 5-4/18/2011

शुल्कों (जल, उपयोगकर्ता, संपत्ति कर आदि) के समय-समय पर संशोधन का प्रावधान करता है।

राज्य सरकार ने बताया (सितंबर 2023) कि सभी मिशन शहरों को उपयोगकर्ता शुल्क वसूलने और मांग को अद्यतन करने तथा संग्रहण दक्षता बढ़ाने के लिए नीति तैयार करने हेतु पत्र जारी किया गया है।

हालांकि, मिशन शहरों में न तो मीटर आधारित बिलिंग नीति लागू की गई थी और न ही नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जल शुल्क में समय-समय पर संशोधन किया गया था जैसा कि अमृत दिशानिर्देशों में परिकल्पित है। इसके अतिरिक्त, समान दर पर जल शुल्क लगाए जाने के कारण जल की वास्तविक खपत के आधार पर शुल्क उपभोक्ताओं से वसूल नहीं किया जा सका।

2.1.10.3 मांग के विरुद्ध जल शुल्क का कम संग्रह

अमृत दिशानिर्देशों की कंडिका 7.3 में उपयोगकर्ता शुल्क के आधार पर कम से कम पांच वर्षों के लिए संचालन एवं रखरखाव का स्पष्ट प्रावधान किया गया है, जिसे उचित लागत वसूली प्रणाली के माध्यम से वित्तपोषित किया जाना था, ताकि इसे आत्मनिर्भर और लागत प्रभावी बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, अमृत दिशा-निर्देशों के सुधार 8 (ए) और (बी) में नगरपालिका करों को लगाने और कम से कम 90 प्रतिशत संग्रह करने तथा उपयोगकर्ता शुल्क के लगाने एवं संग्रहण में सुधार का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 56 प्रतिशत मिशन शहर वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान मांग के विरुद्ध 90 प्रतिशत तक जल शुल्क का संग्रहण नहीं कर सका। मिशन शहरों में जल शुल्क की मांग और संग्रहण का विवरण तालिका-2.1.12 में दिया गया है।

तालिका-2.1.12: वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान जल शुल्क की मांग एवं संग्रहण का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मिशन सिटी	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
		माँग	संग्रह (प्रतिशत)	माँग	संग्रह (प्रतिशत)	माँग	संग्रह (प्रतिशत)	माँग	संग्रह (प्रतिशत)	माँग	संग्रह (प्रतिशत)
1	अंबिकापुर	231.05	209.40 (90.63)	191.25	166.48 (87.05)	188.99	175.40 (92.81)	228.84	138.67 (60.60)	321.73	170.77 (53.08)
2	भिलाई	400.00	289.46 (72.73)	327.60	264.33 (80.69)	650.00	427.88 (65.83)	500.00	227.15 (45.43)	500.00	232.60 (46.52)
3	बिलासपुर	850.00	363.66 (42.78)	1637.00	346.31 (21.16)	880.00	437.33 (49.70)	1400.00	438.56 (31.33)	1121.77	473.25 (42.19)
4	दुर्ग	653.16	543.41 (83.20)	940.43	506.46 (53.85)	601.70	488.99 (81.27)	524.80	501.59 (95.58)	486.36	480.54 (98.80)
5	जगदलपुर	439.80	303.01 (68.90)	450.00	310.22 (68.94)	470.37	355.53 (75.59)	528.08	272.81 (51.66)	607.74	279.04 (45.91)
6	कोरबा	848.01	135.17 (15.94)	970.50	111.59 (11.50)	1073.72	121.13 (11.28)	1229.84	132.22 (10.75)	1363.98	143.21 (10.50)
7	रायगढ़	388.13	281.56 (72.54)	356.57	240.61 (67.48)	378.46	395.43 (104.48)	384.52	262.97 (68.39)	410.30	244.26 (59.53)
8	रायपुर	2879.17	2283.95 (79.33)	3098.36	2452.72 (79.16)	2840.58	2311.57 (81.38)	3102.81	2916.60 (94.00)	3410.78	2834.18 (83.09)
9	राजनांदगांव	694.00	296.09 (42.66)	716.83	300.11 (41.87)	742.01	264.69 (35.67)	875.01	327.67 (37.45)	768.91	328.75 (42.76)

(स्रोत: मिशन शहरों द्वारा उपलब्ध कराई गई और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2017–2022 के दौरान पांच मिशन शहरों में जल शुल्क का संग्रह प्रतिशत 10.50 प्रतिशत से 80.69 प्रतिशत तक था, जो कि अमृत दिशा-निर्देशों में निर्धारित 90 प्रतिशत के मानदंड से काफी कम था। मिशन सिटी, बिलासपुर में वर्ष 2018 से जल आपूर्ति के लिए बिजली बिल के रूप में ₹ 32.98 करोड़ बकाया होने का प्रकरण सामने आया।

राज्य सरकार ने बताया (सितंबर 2023) कि सभी मिशन शहरों को उपयोगकर्ता शुल्क वसूलने और मांग को अद्यतन करने तथा संग्रहण दक्षता बढ़ाने के लिए नीति तैयार करने हेतु पत्र जारी किया गया है।

तथ्य यह है कि उपयोगकर्ता शुल्कों तथा जल शुल्कों की कम वसूली/वसूली न करने के कारण जल आपूर्ति योजना तथा सीवरेज प्रबंधन प्रणाली की संचालन एवं रखरखाव लागत उपयोगकर्ता शुल्कों से पूरी नहीं की जा सकी तथा प्रणाली को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सका।

2.1.10.4 मिशन शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार न करना

केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण यांत्रिकी संगठन द्वारा जारी संचालन एवं रखरखाव मैनुअल की कंडिका 8.4.2.3 में बताया गया है कि भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो भौगोलिक क्षेत्रों के साथ भौतिक संरचनाओं पर विस्तृत जानकारी के साथ मानचित्रण को जोड़ता है। जीआईएस एक मैप किए गए क्षेत्र के अंदर एक डेटाबेस बनाता है जिसका उपयोग रखरखाव दल को कार्य के स्थान का पता लगाने के लिए सूचित करने के लिए किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य को 48 महीनों के अंदर जीआईएस का उपयोग करके एक मास्टर प्लान तैयार करना है जिससे डेटा से जुड़े बहु-परत जीआईएस मानचित्र विकसित किए जा सकें ताकि शहरी स्थानीय निकायों को निर्णय लेने के लिए जीआईएस का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। तदनुसार, एसएएपी 2017–20 में, राज्य ने सभी संपत्तियों के जीआईएस मानचित्रण के लिए जीआईएस आधारित पीटीआईएस (संपत्ति कर सूचना प्रणाली) और बीपीएमएस (भवन अनुमति प्रबंधन प्रणाली) परियोजना के अंतर्गत सभी मिशन शहरों में एक मास्टर प्लान तैयार करने का प्रस्ताव दिया जो गैर-राजस्व जल को कम करने में मदद करेगा और संचालन एवं रखरखाव और भावी योजना के लिए अभिलेख रखने में सुधार करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि छत्तीसगढ़ शासन ने ₹ 7.21 करोड़²⁴ (अमृत उप-योजना के अंतर्गत जीआईएस आधारित मास्टर प्लान का निर्माण) की राशि जारी करने के लिए भारत सरकार को नवंबर 2017 में राज्य कार्य योजना प्रस्तुत किया। परिणामस्वरूप, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने जीआईएस आधारित मास्टर प्लान के निर्माण के लिए ₹ 1.44 करोड़²⁵ की पहली किश्त (फरवरी 2018) और ₹ 1.54 करोड़²⁶ की दूसरी किश्त (नवंबर 2020) जारी की। जारी की गई ₹ 2.98 करोड़ की राशि में से नवंबर 2022 तक ₹ 2.64 करोड़ का व्यय किया गया और इसके लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।

आगे की जांच से पता चला कि जीआईएस मास्टर प्लान तैयार करने का कार्य सितम्बर 2023 तक प्रगति पर है और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, हैदराबाद से भू-स्थानिक डेटाबेस की विलंब से प्राप्ति, कोविड-19 महामारी के कारण डेटाबेस के सत्यापन में विलंब और

²⁴ जीआईएस आधारित मास्टर प्लान का निर्माण—₹ 7.00 करोड़ और क्षमता निर्माण—₹ 21.00 लाख।

²⁵ जीआईएस आधारित मास्टर प्लान का निर्माण—₹ 1.40 करोड़ और क्षमता निर्माण—₹ 4.20 लाख।

²⁶ जीआईएस आधारित मास्टर प्लान का निर्माण—₹ 1.46 करोड़ और क्षमता निर्माण—₹ 8.40 लाख।

सत्यापन के बाद राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र द्वारा अंतिम आधार मानचित्र की विलंब से प्राप्ति के कारण इसे पूरा नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने बताया (सितंबर 2023) कि मिशन शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने के लिए, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है, हालांकि, योजना के चरण II के लिए भू-स्थानिक डेटाबेस "स्थानिक विशेषता संग्रह और आधार मानचित्रों की जांच" राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, हैदराबाद द्वारा प्रदान किया जाना था, लेकिन इसे विलंब से प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, हैदराबाद से प्राप्त भू-स्थानिक डेटाबेस के सत्यापन कार्य में विलंब हुआ। इस प्रकार, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, हैदराबाद से अंतिम आधार मानचित्र प्राप्त होने में विलंब के कारण मास्टर प्लान के अन्य चरणों की तैयारी में विलंब हुआ। वर्तमान में ड्राफ्ट मास्टर प्लान अंतिम चरण अर्थात् स्टेज-VI में है। साथ ही, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर के मास्टर प्लान को संबंधित संभागीय नोडल अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है और कोरबा, जगदलपुर, अंबिकापुर और राजनांदगांव के ड्राफ्ट मास्टर प्लान स्क्रीनिंग और अंतिमीकरण के अधीन है।

उत्तर से स्पष्ट है कि मिशन शहरों का जीआईएस आधारित मास्टर प्लान पांच साल के विलंब के बाद भी तैयार नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, गैर-राजस्व जल को कम करने और सभी परिसंपत्तियों के जीआईएस मानचित्रण के माध्यम से संचालन एवं रखरखाव और भावी योजना के लिए अभिलेख रखने में सुधार करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

2.1.10.5 हरित क्षेत्र और उद्यान का रखरखाव न करना

बच्चों के अनुकूल घटकों के लिए विशेष प्रावधान के साथ हरित क्षेत्र और उद्यानों का विकास अमृत के महत्वपूर्ण घटकों में से एक था। अमृत के अंतर्गत नौ मिशन शहरों में विकास के लिए कुल 76 उद्यानों का चयन किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान 18 उद्यानों²⁷ (प्रत्येक मिशन शहर में दो) का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया।

भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि 14 उद्यानों²⁸ का रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा था अर्थात् लाइटे खराब पाई गई, रास्ते पर अवांछित घास और खरपतवार उग आए थे, कुछ खेल उपकरण और शौचालय का दरवाजा टूटा हुआ पाया गया, जैसा कि तस्वीरों में दिखाया गया है।



पद्मनाभपुर पार्क, दुर्ग (02-05-2022)



आलमबाग पार्क, अंबिकापुर (01-07-2022)

²⁷ अंबिकापुर-अटल आवास, आलमबाग, भिलाई-टाटा लाइन, बापूनगर, बिलासपुर-महामाया विहार, चिंगराजपारा, दुर्ग-पद्मनाभपुर, कटुल बोर्ड, जगदलपुर-लालबाग, शहीद पार्क, कोरबा-शारदा विहार, टीपी नगर, रायगढ़-बाबाधाम, बूढीमाई, रायपुर-इंद्रावती, कबीर नगर, राजनांदगांव-आनंद वाटिका, आर.के. नगर

²⁸ शहीद पार्क (जगदलपुर), टीपी नगर (कोरबा), कबीर नगर (रायपुर) और आनंद वाटिका (राजनांदगांव) को छोड़कर



इसके अतिरिक्त, मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुलग्नक-1 के अनुसार, उद्यानों, खेल के मैदानों और मनोरंजन क्षेत्रों के रखरखाव के लिए जन सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपीपी) मोड पर एक प्रणाली 12 महीनों के अन्दर विकसित की जानी थी। हालांकि, यह देखा गया कि अमृत के अंतर्गत नमूना जांच किए गए 18 उद्यानों में से मिशन सिटी बिलासपुर के अधिकार क्षेत्र में 'बंधवापारा गार्डन' को छोड़कर किसी का भी रखरखाव पीपीपीपी मोड में नहीं किया जा रहा था। शेष उद्यानों का रखरखाव संबंधित नगर निगम द्वारा उनके पास उपलब्ध निधियों से किया गया।

स्वतंत्र समीक्षा एवं निगरानी एजेंसी की आवधिक निरीक्षण प्रतिवेदनों में भी मिशन शहरों में उद्यानों के अनुचित रखरखाव की ओर ध्यान दिलाया गया।

राज्य सरकार ने बताया (सितंबर 2023) कि मिशन के अंतर्गत विकसित उद्यानों और हरित क्षेत्रों के रखरखाव की नियमित निगरानी करने और लेखापरीक्षा दल के अवलोकन के अनुसार कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को पत्र जारी किया गया है।

2.1.11 निष्कर्ष

अमृत दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित सुधार माइलस्टोन आंशिक रूप से प्राप्त किए गए तथा छत्तीसगढ़ के मिशन शहरों द्वारा 43 में से मात्र 15-16 माइलस्टोन प्राप्त किए गए। कुल 507 में से मात्र 46 अधिकारियों को तीनों कैप्सूल का पूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया गया जबकि 127 अधिकारियों को एक ही कैप्सूल का प्रशिक्षण कई अवसरों पर प्रदान किया गया और मिशन सिटी जगदलपुर और कोरबा के किसी भी अधिकारी को तीनों कैप्सूल का प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया।

अमृत मिशन के अंतर्गत, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा परियोजना निष्पादन काफी धीमा रहा क्योंकि 114 कार्यों (जल आपूर्ति-34, सीवेज और सेप्टेज-4 और उद्यान/हरित क्षेत्र-76) में से 20 कार्य निर्धारित तिथि से 3 से 33 महीने के विलंब से पूरे हुए और मिशन अवधि के दौरान ₹ 1,712.07 करोड़ की लागत वाले 19 कार्य अपूर्ण रह गए। जलापूर्ति योजना के अंतर्गत, ₹ 1,187.04 करोड़ की लागत वाले 50 प्रतिशत (34 जलापूर्ति योजनाओं में से 17) कार्य मार्च 2023 तक अपूर्ण रह गए। उपरोक्त के कारण प्रत्येक परिवार को पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराने का अमृत मिशन का एक उद्देश्य, विस्तारित मिशन अवधि तक प्राप्त नहीं किया जा सका।

मिशन सिटी राजनांदगांव और बिलासपुर ने वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक सतही जल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना जल आपूर्ति परियोजना को निष्पादित किया। सात मिशन शहरों में जलापूर्ति योजना के लिए पाइप सामग्री का चयन विस्तृत आर्थिक विश्लेषण किए बिना किया गया और डीपीआर को स्वीकृति देते समय राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा पाइप सामग्री के चयन के मानदंड/आधार को समान रूप से लागू नहीं किया गया।

अनुबंध में उत्पाद शुल्क छूट के प्रावधान के बावजूद बीओक्यू में उत्पाद शुल्क सहित दरों की अनुमति देने के कारण भिलाई जलापूर्ति योजना के अंतर्गत ₹ 9.52 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्माण विभाग मैनुअल में निर्धारित मानक अनुबंध शर्तों को निर्माण कार्य अनुबंधों में शामिल नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप मिशन शहरों द्वारा निष्पादित एक ही प्रकार के अनुबंधों में शास्ति कंडिका में भिन्नता थी। मिशन शहरों द्वारा अनुबंध की निबंधन और शर्तों जैसे कि परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब के लिए शास्ति लगाना; ठेकेदारों को मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली आदि को सख्ती से लागू न करने के कारण ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया।

जून 2021 से जुलाई 2023 के बीच राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति की बैठकें नहीं हुईं।

मीटर आधारित बिलिंग के बजाय जल शुल्क एक समान दर पर वसूला जा रहा था और जल शुल्क मांग से कम वसूला जा रहा था। मिशन शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार नहीं किया गया था तथा हरित क्षेत्रों और उद्यानों का अच्छे से रखरखाव नहीं किया जा रहा था।

2.1.12 अनुशंसाएं

1. सभी सेवा स्तरीय मानक हासिल करने के प्रयास किए जाने चाहिए और क्षमता निर्माण के लिए शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों/अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
2. अपूर्ण/निर्माणाधीन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाना चाहिए तथा मिशन सिटी बिलासपुर और राजनांदगांव की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए सतही जल के वैकल्पिक स्रोत की खोज की जानी चाहिए।
3. अनुबंध की सामान्य और मानक शर्तों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए निर्माण विभाग मैनुअल में निर्धारित मानक अनुबंध दस्तावेजों को सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपनाया जाना चाहिए।
4. अनुबंध में निर्धारित निबंधनों एवं शर्तों का सख्ती से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए तथा अनुबंध की शर्तों को शिथिल करके ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने से बचना चाहिए।
5. पुनर्चक्रित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की नीति को सभी मिशन शहरों में उचित रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

6. जल आपूर्ति योजना और सीवरेज प्रबंधन प्रणाली को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जल/उपयोगकर्ता शुल्क का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जा सकता है तथा जल/उपयोगकर्ता शुल्क के शत-प्रतिशत संग्रहण के प्रयास किए जाने चाहिए।

अध्याय 3

अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय 3

अनुपालन लेखापरीक्षा

जल संसाधन विभाग

3.1 सिंचाई परियोजना हेतु नाबार्ड सहायता प्राप्त ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ)

3.1.1 प्रस्तावना

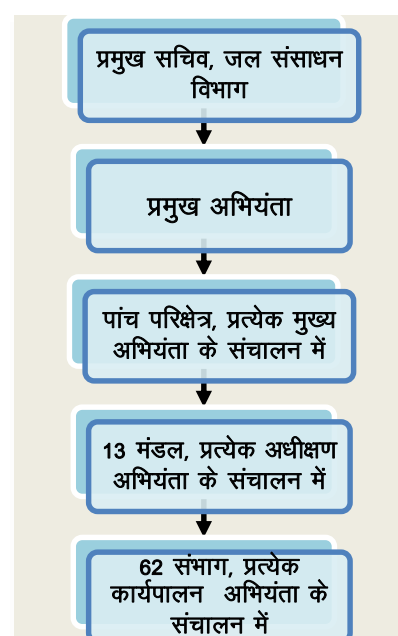
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की प्रमुख जल संरक्षण एजेंसी है, जो राज्य के सिंचाई उद्देश्यों के लिए जल संसाधनों के उपयोग करने हेतु उत्तरदायी है। जल संसाधन विभाग राज्य में निम्नलिखित कार्य/गतिविधियाँ करता है :-

- जल संसाधनों के 'नियोजन' के लिए जल विज्ञान संबंधी आंकड़ों का संग्रहण।
- राज्य के सतही और अधो सतही (भूमिगत) जल संसाधनों का मूल्यांकन और 'उपयोग हेतु कार्यक्रम तैयार करना'।
- बहुउद्देशीय बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं का सर्वेक्षण, डिजाइन, निर्माण और संधारण तथा आधुनिकीकरण करना। परियोजना में बांध, बैराज, टैंक, एनीकट और चेक डैम इत्यादि शामिल हैं।
- सिंचाई योजनाओं और बाढ़ नियंत्रण कार्यों का कार्यान्वयन।

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) की स्थापना वर्ष 1995-96 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा की गई थी। यह निधि शुरू में चल रही मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं, भूमि संरक्षण, जल ग्रहण प्रबंधन और ग्रामीण अवसंरचना के अन्य रूपों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार को सहायता प्रदाय करने हेतु बनाई गई थी। आरआईडीएफ के अंतर्गत, अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को बजटीय बाधाओं के कारण विलंबित परियोजनाओं को पूर्ण करने में सहायता प्रदाय करने हेतु 'अंतिम चरण प्रक्रिया' के रूप में वित्तपोषित किया जाता है।

3.1.2 संगठनात्मक संरचना

छत्तीसगढ़ सरकार के जल संसाधन विभाग का संचालन प्रमुख सचिव/सचिव करते हैं, जबकि प्रमुख अभियंता, विभागाध्यक्ष होते हैं और विभाग की सभी गतिविधियों पर समग्र पर्यवेक्षण शक्ति रखते हैं। प्रमुख अभियंता विभाग के समुचित कामकाज के लिए सरकार के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। विभाग के प्रशासकीय अधिक्रम में मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता के प्रभार के अंतर्गत क्रमशः परिक्षेत्र/कछार, मंडल और संभाग शामिल हैं। कार्यपालन अभियंता विभाग की सभी योजनाओं/गतिविधियों को क्रियान्वित करते हैं, जिसमें संभागों के स्तर पर आरआईडीएफ के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाएं भी शामिल हैं।



3.1.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और पद्धति

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा सहायता प्राप्त आरआईडीएफ सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी 39 इकाइयों में से कुल 24¹ इकाइयों का चयन अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए किया गया था। अनुपालन लेखापरीक्षा अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान किया गया था, जिसमें 2019 से 2022 तक की समयावधि शामिल थी। लेखापरीक्षा ने चरण XIV (2008-09) से XXVII (2021-22) के दौरान नाबार्ड द्वारा स्वीकृत 39 अनुबंधों/कार्यों की नमूना जाँच की, जिन्हें 2019-20 से 2021-22 तक की अवधि में निष्पादित/पूर्ण किया जा रहा था। आगे, विभागीय अधिकारियों के साथ तीन कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया गया। प्रारूप प्रतिवेदन राज्य सरकार को जून 2023 में प्रेषित किया गया। दिसम्बर 2024 तक उत्तर अपेक्षित है।

3.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

अनुपालन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या:—

- परियोजनाओं की योजना, क्रियान्वयन एवं संधारण उचित ढंग से किया गया था;
- परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने और संधारण के लिए धनराशि जारी की गई और उसका उपयोग किया गया एवं
- लक्षित सिंचाई क्षमता और जल भंडारण का सृजन और उपयोग किया गया।

3.1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

नाबार्ड सहायता प्राप्त आरआईडीएफ के माध्यम से क्रियान्वित सिंचाई परियोजनाओं का मूल्यांकन निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानदंडों के संदर्भ में किया गया:

- नाबार्ड स्वीकृति आदेश और आरआईडीएफ पुस्तिका (2014-15) में निर्धारित शर्तें।
- निर्माण विभाग नियमावली;
- कार्यों की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन और अंतिम सिंचाई प्रतिवेदन;
- पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006;
- सिंचाई परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के दिशानिर्देश 2010;
- भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013;
- वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 और
- विभाग/राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र/आदेश।

3.1.6 नाबार्ड सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत निधि का प्रवाह

प्रमुख अभियंता बजट नियंत्रण अधिकारी होता है और योजना बनाने, सरकार से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने तथा निधियों के उपयोग के लिए उत्तरदायी होता है। आरआईडीएफ के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं को नाबार्ड द्वारा राज्य सरकार को ऋण स्वीकृत करके वित्तपोषित किया जाता है।

¹ (20 निष्पादन ईकाइयाँ, 03 पर्यवेक्षी ईकाइयाँ और एक शीर्ष ईकाई)

आरआईडीएफ के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाएं नाबार्ड द्वारा परियोजना लागत के 95 प्रतिशत तक ऋण के लिए पात्र हैं और शेष भाग राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाता है। आरआईडीएफ के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया था। आरआईडीएफ पुस्तिका के कंडिका 8 में प्रावधान है कि निधि निकासी के लिए अनुरोध राज्य सरकार के वित्त विभाग (नोडल विभाग) द्वारा किया जाना है और तदनुसार, नाबार्ड 'मोबिलाइजेशन अग्रिम' के रूप में दिये गए परियोजना ऋण के प्रारंभिक 20 प्रतिशत को छोड़कर 'प्रतिपूर्ति आधार' पर निधि प्रदान करता है। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्यों के निष्पादन पर किए गए व्यय का विवरण प्रस्तुत करने पर नाबार्ड ऋण राशि का वितरण करेगा। आरआईडीएफ ऋणों का भुगतान राज्य शासन द्वारा नाबार्ड द्वारा निर्धारित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार किया जाएगा। वर्तमान में आरआईडीएफ दिशानिर्देशों (सितंबर 2021) के अनुसार, ऋण को निकासी की दिनांक से सात वर्षों के अन्दर समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, जिसमें दो साल की छूट अवधि भी शामिल है। इस ऋण के लिए लागू ब्याज दर, प्रचलित बैंक दर से 1.5 प्रतिशत कम है (संवितरण की तिथि के अनुसार)।

3.1.7 भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान विभाग के अंतर्गत समग्र रूप से जल संसाधन विभाग तथा नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाओं के आवंटन और व्यय की वर्षवार स्थिति तालिका 3.1.1 में दी गई है।

तालिका 3.1.1: 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा किया गया आवंटन और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जल संसाधन विभाग के लिए बजटीय आवंटन और व्यय		नाबार्ड के लिए बजटीय आवंटन और व्यय			
	आवंटन	व्यय	आवंटन	कुल बजट के विरुद्ध नाबार्ड के अंतर्गत आवंटन का प्रतिशत	व्यय	व्यय का प्रतिशत
2019-20	2,133.73	1,092.64	700.00	35	200.87	29
2020-21	2,096.95	1,124.58	697.31	35	177.54	25
2021-22	2,031.72	1,013.96	699.06	36	157.03	22
योग	6,262.40	3,231.18	2,096.37	35	535.44	26

(स्रोत: प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पिछले तीन वर्षों (2019-20 से 2021-22) के दौरान विभाग के कुल बजटीय आवंटन का लगभग 35-36 प्रतिशत, नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड के अंतर्गत कुल आवंटन के विरुद्ध व्यय 22 से 29 प्रतिशत के मध्य रहा। इस प्रकार, पिछले तीन वर्षों के अवधि में नाबार्ड मद में ₹ 2096.37 करोड़ की स्वीकृत राशि के विरुद्ध विभाग ने केवल ₹ 535.44 करोड़ (26 प्रतिशत) का व्यय किया। इसके आगे, 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान आरआईडीएफ के अंतर्गत स्वीकृत 60 परियोजनाओं में से केवल 15 परियोजनाएं (25 प्रतिशत) पूर्ण हुई हैं और 45 परियोजनाएं अपूर्ण हैं, जिनकी चर्चा बाद के कंडिका में की गई है। विभाग द्वारा प्रदान की गई मासिक प्रगति प्रतिवेदन मार्च

2022 के अनुसार स्वीकृत और पूर्ण की गई कुल परियोजनाओं की चरणवार स्थिति नीचे तालिका 3.1.2 में दी गई है।

तालिका 3.1.2: नाबार्ड सहायता प्राप्त आरआईडीएफ सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति (मार्च 2022 तक)

चरण संख्या (वर्ष)	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण हो चुकी परियोजनाएं	अपूर्ण परियोजनाएं (प्रतिशत)	नाबार्ड का अंश	राज्य सरकार का अंश
XVIII (2012-13)	02	02	00 (00)	8.12	0.47
XIX (2013-14)	19	15	04 (21)	69.55	2.48
XX (2014-15)	21	16	05 (24)	684.82	38.93
XXI (2015-16)	19	13	06 (32)	205.80	11.40
XXII (2016-17)	19	15	04 (27)	183.63	9.74
XXIII (2017-18)	17	06	11 (65)	174.40	12.09
XXIV (2018-19)	28	12	16 (57)	317.12	22.25
XXV (2019-20)	32	13	19 (59)	214.08	11.02
XXVI (2020-21)	21	2	19 (90)	119.24	6.28
XXVII (2021-22)	7	0	7 (100)	63.36	3.33
योग	185	94	91	2,040.12	117.99

स्रोत: प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि चरण XVIII (2012-13) से XXVII (2021-22) के मध्य स्वीकृत परियोजनाओं में से केवल 51 प्रतिशत ही पूर्ण हो सकीं और शेष परियोजनाएं मार्च 2022 तक अपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त, संभागीय स्तर पर अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने नाबार्ड के अंतर्गत स्वीकृत चरण XIV (2008-09) और XVI (2010-11) के क्रमशः चार अनुबंधों/कार्यों और एक अनुबंध/कार्य की जांच की। इस प्रकार, लेखापरीक्षा ने चयनित संभागों में कुल 39 कार्यों/अनुबंधों (पूर्ण: 23, अपूर्ण अंतिम: 06, अपूर्ण/प्रगतिशील: 10) की नमूना जांच की, जिसकी चर्चा आगामी कंडिका में की गई है।

3.1.7.1 ऋण और उसके पुनर्भुगतान का परियोजनावार विवरण का संधारित नहीं किया जाना

आरआईडीएफ पुस्तिका के खंड 8 में यह प्रावधान है कि ऋण को निकासी की तिथि से सात वर्षों के भीतर समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना था, जिसमें दो वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है। छूट अवधि के दौरान भी ब्याज देय है। ब्याज का भुगतान वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में किया जाना चाहिए। आरआईडीएफ ऋण पर ब्याज की गणना संवितरण के समय प्रचलित बैंक दर से 1.5 प्रतिशत घटाकर की जानी थी। इसके अतिरिक्त, अनुलग्नक VI के खंड 9 में यह प्रावधान है कि ऋण पुनर्भुगतान के उद्देश्य से, निधियों के प्रत्येक आहरण को एक अलग ऋण माना जाएगा।

नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, नया रायपुर में अभिलेखों की जांच में यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2019-22 की अवधि के दौरान नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ₹ 396.68 करोड़ के ऋण के विरुद्ध वित्त विभाग ने 60 परियोजनाओं के लिए ₹ 272.40 करोड़ की प्रतिपूर्ति का दावा किया था, जिनमें से 45 परियोजनाएं/कार्य अभी भी अपूर्ण हैं। जबकि, इस मांग के विरुद्ध नाबार्ड ने वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान केवल ₹ 272.18 करोड़ की प्रतिपूर्ति किया। विवरण तालिका 3.1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1.3: नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण और राज्य शासन द्वारा ऋण पुनर्भुगतान का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण	वित्त विभाग द्वारा मोबिलाइजेशन अग्रिम सहित किया गया दावा	नाबार्ड द्वारा मोबिलाइजेशन अग्रिम सहित की गई प्रतिपूर्ति	राज्य शासन द्वारा ऋण पुनर्भुगतान	
				मूल धन	ब्याज राशि
2019—20	214.08	167.19	153.85	नाबार्ड या वित्त विभाग (नोडल एजेंसी) द्वारा संधारित नहीं किया गया	नाबार्ड या वित्त विभाग (नोडल एजेंसी) द्वारा संधारित नहीं किया गया
2020—21	119.24	83.28	89.97		
2021—22	63.36	21.93	28.36		
योग	396.68	272.40	272.18		

(स्रोत: नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि शासन द्वारा भुगतान किए गए ऋण और ब्याज की पुनर्भुगतान से संबंधित परियोजनावार जानकारी और अभिलेख वित्त विभाग द्वारा संधारित नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा द्वारा ऋण, उसके पुनर्भुगतान और ब्याज की परियोजनावार जानकारी और अभिलेख की मांग किए जाने पर, वित्त विभाग ने बताया (दिसम्बर 2022) कि अभिलेख क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड, रायपुर से प्राप्त किए जाएंगे। तथापि, जब लेखापरीक्षा द्वारा नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर से यह जानकारी और अभिलेख मांगा गया (दिसम्बर 2022), जिसने ऋण वितरित किया था, परन्तु उनके द्वारा यह उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार, लेखापरीक्षा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण के विरुद्ध की गई पुनर्भुगतान के साथ-साथ प्रत्येक परियोजना की बकाया ऋण एवं शासन द्वारा नाबार्ड को किये गये ब्याज भुगतान की राशि को सुनिश्चित नहीं कर सका।

शासन स्तर पर उत्तर अपेक्षित है (दिसंबर 2024)।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.1.8 परियोजनाओं की योजना, क्रियान्वयन और संधारण

3.1.8.1 भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से पहले ही कार्य सौंपे जाने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो पाना

आरआईडीएफ की पुस्तिका के अनुलग्नक-III के खंड 22 (बी) के अनुसार, राज्य शासन को स्वीकृत परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में भूमि अधिग्रहण, यदि कोई हो, सहित सभी प्रक्रियाओं को शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करना चाहिए।

जल संसाधन मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन ने निर्देश जारी किए (दिसंबर 2013) कि जब तक वन विभाग से स्वीकृति नहीं मिल जाती और भूमि अधिग्रहण नहीं हो जाता, तब तक कोई भी कार्य शुरू नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग ने भी आदेश जारी किया (जनवरी 2014) और उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन के लिए सभी मुख्य अभियंताओं को प्रेषित किया।

लेखापरीक्षा ने चार संभागों में पाया कि वर्ष 2016-20 के दौरान भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण किए बिना ही ₹ 40.63 करोड़ की निविदा की अनुमानित राशि (परिशिष्ट 3.1.1) के छः कार्यों के लिए निविदा जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण न होने और इससे संबंधित मुद्दों के कारण सभी छः कार्यों में विलंब हुआ और लेखापरीक्षा की तिथि तक पूर्ण नहीं किया जा सका।

शासन स्तर पर उत्तर अपेक्षित है (दिसंबर 2024)।

3.1.8.2 नहर कार्य का निष्पादन न होने के कारण शीर्ष कार्य पर ₹ 2.06 करोड़ का निरर्थक व्यय

निर्माण विभाग नियमावली के खंड 2.006 के अंतर्गत, अपवादात्मक प्रकरणों में, जहां किसी परियोजना पर कार्य प्रारंभ करना वांछनीय हो, जिसके लिए संपूर्ण परियोजना के लिए विस्तृत प्राक्कलन स्वीकृत किए जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यय की स्वीकृति दी जा चुकी हो, वहां अंतिम तकनीकी प्राक्कलन स्वीकृत करने में सक्षम प्राधिकारी को परियोजना के घटक भागों के लिए विस्तृत प्राक्कलन प्रदान करने की अनुमति इस शर्त के अधीन है कि (क) प्रत्येक ऐसे कार्य या घटक भाग के लिए पूर्ण रूप से तैयार विस्तृत प्राक्कलन होना चाहिए, तथा संपूर्ण व्यय की स्वीकृति, संबंधित कार्य या घटक भाग के अनुरूप स्पष्ट और विशिष्ट राशि होनी चाहिए, (ख) विस्तृत प्राक्कलन की राशि, व्यय की स्वीकृति में सम्मिलित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए, (ग) स्वीकृति देने से पूर्व स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी को संतुष्ट होना चाहिए कि व्यय स्वीकृति के प्रयोजन के लिए तैयार संपूर्ण परियोजना में कोई महत्वपूर्ण विचलन प्रत्याशित नहीं किया जाना है तथा संपूर्ण परियोजना के लिए तकनीकी स्वीकृति की राशि, व्यय की राशि से अधिक होने की संभावना नहीं है।

छत्तीसगढ़ शासन ने (सितंबर 2007) लघु सिंचाई योजना (आदिवासी क्षेत्र) नाबार्ड के अंतर्गत बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक में कल्हामार व्यपवर्तन योजना के लिए 262 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का निर्माण करने के लिए ₹ 2.30 करोड़ का प्रशासकीय स्वीकृति कार्य प्रारंभ होने के पूर्व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने एवं प्रभावित निजी भूमि के लिए मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने की शर्त के अधीन प्रदान किया था। प्रारंभिक प्राक्कलनों, जिसके आधार पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया गया था, के अनुसार इस योजना में शीर्ष कार्य और नहर कार्य का निर्माण शामिल था, जिसकी अनुमानित लागत क्रमशः ₹ 1.88 करोड़ और ₹ 42.51 लाख थी। अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन संभाग, बिलासपुर के द्वारा शीर्ष कार्य के लिए ₹ 2.27 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति दिया गया (फरवरी 2008)। कंक्रीट वीयर और नहर जलमार्ग द्वार (नहर स्लुइस गेट) के निर्माण के लिए शीर्ष कार्य ठेकेदार को ₹ 2.05 करोड़ की लागत पर प्रदान किया गया जो मई 2009 में ₹ 2.06 करोड़ की व्यय के साथ पूर्ण हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत भी, नहर के लिए सर्वेक्षण नहीं किया गया था और नहर के कार्य के लिए विस्तृत प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था तथा केवल शीर्ष कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई थी। पूरी परियोजना के लिए तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना और नहर के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना संभाग द्वारा शीर्ष कार्य शुरू करना निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधान के विचलन के साथ परियोजना के आंशिक निष्पादन को दर्शाता है।

वर्ष 2010 में नई दरों की अनुसूची (एसओआर) प्रभावी होने के पश्चात्, संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव 2013 में प्रस्तुत किया गया था तथा शासन द्वारा अगस्त 2016 में ₹ 7.58 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय करने से पहले, नहर के कार्य के लिए विस्तृत कमांड क्षेत्र और नहर सर्वेक्षण किए बिना विस्तृत प्राक्कलन तैयार किए गए थे। प्रारंभिक सर्वेक्षण के आधार पर नहर का संभावित संरेखण निर्धारित किया गया था। विस्तृत प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति भी नहीं ली गई थी। यह परियोजना को पूर्ण करने में विभाग के उदासीन दृष्टिकोण को दर्शाता है क्योंकि नहर के कार्य के लिए आवश्यक विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया था और संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति

दिये जाने के आठ वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी कार्य को तकनीकी रूप से स्वीकृति नहीं दी गई थी।

आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि ग्रामीणों ने अपनी भूमि देने का विरोध किया क्योंकि नहर का संरेखण उच्च कटाव क्षेत्र से होकर गुजर रहा था तथा कमांड एरिया भी उनकी भूमि से बहुत दूर था, जिसके कारण किसानों को कोई सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। शिकायत में आगे यह कहा गया (2016) कि एक ही गांव में विभाग द्वारा अलग-अलग व्यपवर्तन योजनाओं के अंतर्गत ओवरलैपिंग कमांड एरिया वाली दो नहरों का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। इसके अतिरिक्त, भूमि अधिग्रहण अधिकारी, कोटा बिलासपुर ने कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, संभाग पेंड्रा को (जुलाई 2016) सूचित किया कि कल्हामार व्यपवर्तन योजना की नहर के निर्माण के लिए अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पूर्व में सिलदहा व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु अर्जित किया जा चुका था जिसमें जल संसाधन संभाग, खारंग द्वारा तीन वर्ष पूर्व 20 से 30 फीट की खुदाई किया जा चुका था तथा इस संबंध में कार्यपालन अभियंता को जांच करने एवं तीन दिवस के अन्दर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। तथापि, लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए दस्तावेजों में उक्त जांच करने एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं पाया गया।

आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि अधीक्षण अभियंता, बिलासपुर द्वारा नहर के संशोधित संरेखण हेतु सर्वेक्षण के लिए ₹ 2.75 लाख की तकनीकी स्वीकृति फरवरी 2022 में स्वीकृत किए गए थे। तदनुसार, नहर के पुनर्संरेखण प्रस्तावित किया गया था और सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार प्राक्कलन तैयार किए गए थे तथापि, मुख्य अभियंता, हसदेव बेसिन ने सिलदाहा व्यपवर्तन योजना के साथ कमांड क्षेत्र के ओवरलैपिंग, चांपी नदी के साथ प्रस्तावित नहर की निकटता और परियोजना की लागत में वृद्धि के कारण पाइप नहर के माध्यम से सिंचाई का प्रस्ताव दिया (दिसंबर 2023)। तथापि, परियोजना अभी भी अपूर्ण है।

इस प्रकार, विस्तृत सर्वेक्षण करने और विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने में विभाग के उदासीन दृष्टिकोण के कारण, नहर का कार्य, शीर्ष कार्य के साथ-साथ नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, सिलदाहा व्यपवर्तन योजना जिसमें नहर का कार्य पूर्व में ही प्रारंभ किया जा चुका था, के साथ कमांड क्षेत्र के ओवरलैप होने के कारण, कल्हामार व्यपवर्तन योजना अपूर्ण रह गई। यह विभाग द्वारा विभिन्न व्यपवर्तन योजनाओं के क्रियान्वयन में नियोजन की कमी को दर्शाता है जिसके कारण शीर्ष कार्य के निर्माण पर किए गए ₹ 2.06 करोड़ का व्यय निरर्थक हो गया, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से संरचनाएं बेकार पड़ी हैं और 262 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

फोटोग्राफ 3.1.1 और 3.1.2 : निर्मित शीर्ष और नहर के प्रस्तावित स्थल का फोटोग्राफ

निर्मित शीर्ष कार्य

नहर का प्रस्तावित स्थल



फोटोग्राफ की तारीख: 24.02.2022

कार्यपालन अभियंता, संभाग पेंड्रा ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2022) कि संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात, उप-संभागीय अधिकारी ने अन्य तकनीकी अधिकारियों के साथ नहर के कमांड क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण शुरू किया और पाया कि कमांड क्षेत्र के कुछ हिस्से में, सिलदहा व्यपवर्तन योजना के लिए जल संसाधन संभाग खारंग, बिलासपुर द्वारा एक अन्य नहर का निर्माण किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, तीन प्रभावित गांवों के ग्रामीणों ने भी अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए सुनवाई के दौरान प्रस्तावित नहर के निर्माण पर आपत्ति जताई थी। उपरोक्त परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, संभाग द्वारा नहर के पुनर्संरक्षण के लिए नए सर्वेक्षण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया (जनवरी 2022)। इसके अतिरिक्त, कार्यपालन अभियंता ने उत्तर दिया (जून 2024) कि योजना के कमांड क्षेत्र को दर्शाने वाले निर्देशिक मानचित्र (इंडेक्स मैप) के साथ नई सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार की गई तथा सर्वेक्षण प्रतिवेदन का सार जो मुख्य अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित था, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया (दिसम्बर 2023)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने नहर के संरक्षण, कमांड क्षेत्र, समोच्च आरेख के साथ विस्तृत सर्वेक्षण प्रतिवेदन मांगी थी, परन्तु संभाग ने सूचकांक मानचित्र के साथ केवल एक पृष्ठ में सर्वेक्षण प्रतिवेदन का सार प्रदान किया परन्तु योजना के कमांड क्षेत्र को दर्शाने वाले अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे नहर का संरक्षण, रेखा आरेख, समोच्च आरेख और विस्तृत सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार नहीं किये गये थे।

उत्तर से प्रतीत होता है कि विस्तृत सर्वेक्षण के बिना व्यपवर्तन योजना बनाई गई, जिसके कारण विभाग द्वारा एक ही कमांड क्षेत्र के साथ कई व्यपवर्तन योजनाएं क्रियान्वित की जा रही थी। आगे, नहर के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना शीर्ष कार्य के निष्पादन किये जाने के परिणामस्वरूप शीर्ष कार्य के निर्माण में ₹ 2.06 करोड़ का निरर्थक व्यय किया गया।

शासन स्तर पर उत्तर अपेक्षित है (दिसंबर 2024)।

3.1.8.3 अरपा भैसाझार परियोजना के क्रियान्वयन में अनियमितताएं एवं विलंब।

छत्तीसगढ़ शासन ने बिलासपुर जिले के 92 गांवों में 25000 हेक्टेयर खरीफ फसलों के सिंचाई के लिये एक वृहद परियोजना अरपा भैसाझार बैराज परियोजना के लिए

₹ 606.43 करोड़ (निजी और वन भूमि अधिग्रहण की लागत, वृद्धि और अन्य मदें जैसे वृक्षारोपण, विविध आदि जो सहायक मदें थीं, सहित) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया (जून 2012)। तत्पश्चात्, परियोजना के शीर्षकार्य और नहर के निर्माण के लिए ₹ 372.75 करोड़ के अनुमान को मुख्य अभियंता, हसदेव बेसिन, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर द्वारा केवल एकमुश्त निविदा के आधार पर अनुमोदित किया गया (फरवरी 2013)। इस परियोजना को नाबार्ड द्वारा चरण XX (2014-15) में ₹ 417.49 करोड़ की ऋण राशि के साथ स्वीकृति दिया गया तथा शेष राशि ₹ 188.94 करोड़ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदान किया जाना था।

निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी होने (सितंबर 2013) के पश्चात्, कार्य को ₹ 326.45 करोड़ के अनुबंध मूल्य पर कार्य सौंपा गया तथा कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि 36 माह अर्थात् सितंबर 2016 तक निर्धारित की गई (सितंबर 2013)। लेखापरीक्षा की तिथि तक (अगस्त 2023) ठेकेदार को कुल ₹ 317.59 करोड़² का भुगतान किया गया। 147 मीटर बैराज का निर्माण कार्य ₹ 65.25 करोड़ के लागत के साथ पूर्ण हो चुका (नवंबर 2018) है जबकि बैराज के नियंत्रण कक्ष का कार्य अपूर्ण था। परियोजना के कार्य के निष्पादन के लिए ठेकेदार को सितंबर 2016 से दिसंबर 2023 के दौरान आठ बार बिना किसी शास्ति के समय वृद्धि (ईओटी) स्वीकृत किया गया। यह देखा गया कि ठेकेदार को पहले पांच मौकों (सितंबर 2016 से जुलाई 2021) पर वन स्वीकृति (23 अप्रैल 2015) और पर्यावरण स्वीकृति (08 मई 2015) तथा कोविड और भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरणों में विलंब के आधार पर समय वृद्धि स्वीकृत किया गया, क्योंकि इन सभी वैधानिक स्वीकृतियों के प्राप्त होने से पहले ही विभाग द्वारा ठेकेदार को कार्य प्रदान किया गया था। इसके पश्चात्, विभाग द्वारा दिसंबर 2023 तक तीन समय वृद्धि भी प्रदान किए गए। लेखापरीक्षा ने पाया कि 95वें चल देयक तक किये गये कार्य के लिये ठेकेदार को अंतिम भुगतान मई 2021 में किया गया था तथा दिसंबर 2023 तक का समय वृद्धि दिया गया था। दिसंबर 2023 के पश्चात् न तो काम में कोई प्रगति हुई न ही ठेकेदार द्वारा कोई समय वृद्धि मांगा गया। तथापि, विभाग द्वारा भी ठेकेदार द्वारा लंबित कार्य को पूरा करवाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं किया गया। नहर का निर्माण कार्य अपूर्ण था तथा केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा अनुमोदित डीपीआर के अनुसार, नहर की अनुमानित लंबाई 386.90 किमी में से केवल 329.46 किमी³ का निर्माण कार्य ₹ 252.34 करोड़ की लागत से किया गया। परियोजना के अंतर्गत, खरीफ फसलों के लिए 25,000 हेक्टेयर के डिजाइन किए गए सिंचाई क्षमता के विरुद्ध केवल 13,500 हेक्टेयर (54 प्रतिशत) का सिंचाई क्षमता सृजित हुआ। अनुबंध के अनुसार, ठेकेदार को 25,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए अतिरिक्त मद/बढ़ी हुई मात्रा हेतु किसी भी मूल्य वृद्धि के बिना कार्य पूर्ण करना था, जिसके विरुद्ध खरीफ फसल हेतु केवल 13,500 (54 प्रतिशत) का सिंचाई क्षमता सृजित हुआ।

इस प्रकार, परियोजना अपूर्ण रही तथा कार्य प्रारंभ होने के 10 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी नहर का कार्य पूर्ण न होने के कारण डिजाइन की गई सिंचाई क्षमता प्राप्त नहीं हो सकी।

इस परियोजना में पाई गई अन्य अनियमितताओं और विलंब के कारणों का विवरण अगली कड़िकाओं में दिया गया है:

² 95वें चल देयक का भुगतान वाउचर संख्या. 34 डीएल/मई 2021 के माध्यम से किया गया।

³ 329.46 किमी तक मिट्टी का काम पूरा हुआ, जिसमें से केवल 54.25 किमी में सीसी लाइनिंग का कार्य पूरा हुआ

(अ) **केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजना के लिए आवश्यक वैधानिक स्वीकृति एवं अनुमोदन प्राप्त करने से पहले ही कार्य प्रारंभ किया जाना**

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए जारी दिशानिर्देशों (2010) के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी-आर्थिक जांच के अधीन होती हैं।

दिशानिर्देश के खंड 2.3 में यह प्रावधान है कि प्रारंभिक प्रतिवेदन की उस कार्यालय में शीघ्रता से जांच की जानी चाहिए जहां वह प्रस्तुत की गई हैं। तथापि, एक बार प्रतिवेदन स्वीकार्य योग्य पाए जाने पर, स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जांच और स्वीकृति के पश्चात् मुख्य अभियंता, परियोजना मूल्यांकन संगठन (पीएओ), सीडब्ल्यूसी के कार्यालय से डीपीआर तैयार करने के लिए सैद्धांतिक सहमति संप्रेषित की जाएगी। डीपीआर तैयार करने हेतु सीडब्ल्यूसी की सैद्धांतिक सहमति देने की समय-सीमा 18 सप्ताह के भीतर है।

आगे, खंड 2.6 में यह प्रावधान है कि परियोजना प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वन स्वीकृति, पर्यावरण प्रभाव आकलन हेतु पर्यावरण स्वीकृति जैसी स्वीकृतियाँ उचित मूल्यांकन के उपरांत समय रहते संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त की जाए तथा जब भी आवश्यकता हो, इन स्वीकृतियों के साथ डीपीआर प्रस्तुत की जाए। इसके अतिरिक्त, खंड 3.2 में प्रावधान है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन, वन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना आदि के संबंध में प्राप्त स्वीकृतियों को भी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए तथा निहित लागत को अनुमान में उचित रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संभाग ने परियोजना की प्रारंभिक प्रतिवेदन केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत कर दी थी (नवम्बर 2011) और तदनुसार केन्द्रीय जल आयोग ने जल विज्ञान, सिंचाई योजना और अन्तर्राज्यीय पहलुओं पर टिप्पणियों के अनुपालन के अधीन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया था (फरवरी 2012)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अरपा भैसाझार परियोजना की प्रारंभिक डीपीआर मुख्य अभियंता, हसदेव बेसिन, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर द्वारा तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई (मार्च 2012) तथा उसी को निदेशक, सीडब्ल्यूसी को (सितंबर 2013) भेजा गया। फरवरी 2013 में, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग हसदेव बेसिन, बिलासपुर ने अरपा भैसाझार बैराज के लिए ₹ 372.75 करोड़ का अनुमान केवल एकमुश्त निविदा के आधार पर निविदा प्रयोजन के लिए स्वीकृत किया। तथापि, सीडब्ल्यूसी को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति डीपीआर प्रस्तुत करने से पहले ही, विभाग ने निविदा आमंत्रित किया (मई 2013) एवं ठेकेदार को 13 सितंबर 2013 को कार्य आदेश जारी कर दिया गया, जिसने कार्य के दो मर्दों⁴ का निष्पादन किया तथा प्रथम रनिंग बिल (आरए) की राशि ₹ 5.54 करोड़ का भुगतान ठेकेदार को 15 मई 2014 को किया गया। इसके पश्चात्, सितम्बर 2016 तक ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य हेतु कुल ₹ 128.94 करोड़ का भुगतान किया गया।

कार्य प्रारंभ होने से पहले प्राप्त की जाने वाली वैधानिक स्वीकृतियों का विवरण नीचे दिया गया है:-

- **वन स्वीकृति :-** संभाग, कोटा ने परियोजना के लिए आवश्यक 442.35 हेक्टेयर वन भूमि की स्वीकृति हेतु जिला वन अधिकारी (डीएफओ), बिलासपुर को एक

⁴ मद नंबर. एफ-1-1 और एफ-3-1

प्रस्ताव प्रस्तुत किया (नवंबर 2011) और वन विभाग ने इसे पंजीकृत⁵ किया (जनवरी 2012)। राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के जांच के उपरांत, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली ने निर्धारित शर्तों के अनुपालन के निर्देश के साथ 442.350 हेक्टेयर⁶ वन भूमि को परिवर्तित किये जाने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान किया (दिसंबर 2014) और उसके पश्चात् वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अंतर्गत अंतिम अनुमोदन प्रदान किया (अप्रैल 2015)। इस प्रकार, वन स्वीकृति हेतु के लिए आवश्यक शर्तों के अनुपालन करने और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने में तीन साल से अधिक समय लग गया।

- **पर्यावरण स्वीकृति :-** संभाग, कोटा ने पर्यावरण स्वीकृति हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रस्ताव भेजा (सितंबर 2012) और पर्यावरण मूल्यांकन समिति की सिफारिश के आधार पर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ने प्रस्तावित स्थल पर निर्माण-पूर्व गतिविधियों के लिए स्वीकृति दिया (फरवरी 2013) जिसमें प्रचलित पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के अनुसार अंतिम पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन तैयार करने के लिए संदर्भ की शर्तें भी जारी की, जो इस पत्र के जारी होने की तारीख से दो साल के लिए वैध थी। तदनुसार, संभाग ने संदर्भ अवधि की वैध अवधि के अंतर्गत अंतिम पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया (फरवरी 2015) जिसके पश्चात्, पर्यावरण मूल्यांकन समिति द्वारा अंतिम पर्यावरण स्वीकृति दी गई (मई 2015)।
- **आदिम जाति विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी):-**सहायक संचालक, आदिम जाति विभाग, बिलासपुर ने अरपा भैंसाझार परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 29 अप्रैल 2015 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया था।
- **अंतर-राज्यीय स्वीकृति:-**सीडब्ल्यूसी ने दिनांक 13 जुलाई 2016 को अंतर-राज्यीय स्वीकृति प्रदान किया।

इस प्रकार, आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियां जैसे वन स्वीकृति, पर्यावरण स्वीकृति, आदिम जाति विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र और अंतरराज्यीय स्वीकृति तथा सीडब्ल्यूसी से डीपीआर की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्य का निष्पादन शुरू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूसी दिशानिर्देशों के खंड 2.6 का उल्लंघन हुआ।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि भूमि अधिग्रहण की लागत एवं वन स्वीकृति हेतु क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि होने के कारण परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 606.43 करोड़ (सितंबर 2013) से संशोधित होकर ₹ 1141.90 करोड़ (जून 2016) हो गया। परिणामस्वरूप, छत्तीसगढ़ शासन ने ₹ 1141.90 करोड़ का संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया (जुलाई 2016) जिसके पश्चात् सीडब्ल्यूसी की सलाहकार समिति ने प्रस्ताव को अंतिम रूप से दिनांक 06 अक्टूबर 2016 को स्वीकार किया।

इस ओर इंगित किए जाने पर, प्रमुख अभियंता (जुलाई 2024) ने लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार किया और कहा कि अरपा भैंसाझार परियोजना की प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हसदेव कछार, बिलासपुर द्वारा प्रेषित किया गया (नवंबर 2011) तथा केन्द्रीय जल आयोग के परियोजना मूल्यांकन (केन्द्रीय) निदेशालय ने डीपीआर बनाने हेतु परियोजना का सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान किया (फरवरी 2012) परन्तु इसे त्रुटिवश अंतिम स्वीकृति

⁵ केस नंबर. 2012/04

⁶ 141.885 हेक्टेयर का आरक्षित वन, 242.377 हेक्टेयर का संरक्षित वन और 58.088 हेक्टेयर का राजस्व वन

मानकर सीडब्ल्यूसी की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति के बिना निविदा आमंत्रित की गई। इसके अलावा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण स्वीकृति और वन स्वीकृति वर्ष 2015 में प्रदान किया। इस प्रकार, त्रुटिवश सीडब्ल्यूसी के निर्देशों का उल्लंघन हो गया और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी तथा लेखापरीक्षा आक्षेप के बिंदुओं का अनुपालन किया जाएगा।

शासन स्तर पर उत्तर अपेक्षित है (दिसंबर 2024)।

(ब) भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में विलंब

भूमि अधिग्रहण किसी भी सिंचाई परियोजना में प्रमुख चरणों में से एक है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 4 से 11ए के अनुसार, जब भी सरकार को ऐसा उचित प्रतीत होता है कि किसी क्षेत्र में भूमि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक है या आवश्यकता होने की संभावना है, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के विवरण के साथ उस आशय की अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी।

अनुबंध दस्तावेज के खंड 2.1.3.4 में यह प्रावधान है कि ठेकेदार को मिट्टी क्षेत्र और यदि कोई अन्य निर्माण गतिविधियों के लिए आवश्यक क्षेत्र के लिए अस्थायी भूमि अधिग्रहण प्रकरण तैयार करने होंगे। इसके अलावा, ठेकेदार को स्थायी भूमि अधिग्रहण मामले (निजी भूमि, सरकारी भूमि) के साथ-साथ उत्खनन सामग्रियों के निस्तारण हेतु आवश्यक क्षेत्र के लिए संपत्ति मुआवजा मामले, यदि कोई हो, तैयार करने थे और इसे राजस्व विभाग को आगे प्रस्तुत करने के लिए जल संसाधन विभाग को प्रस्तुत करना था, जिसमें सभी निर्माण गतिविधियों के लिए अस्थायी आधार पर भूमि की व्यवस्था भी शामिल थी।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि संभाग ने निविदा आमंत्रित किया और ठेकेदार को कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि सितंबर 2016 तक के साथ कार्य सौपा (सितंबर 2013) और ठेकेदार ने पर्यावरण स्वीकृति (23 अप्रैल 2015) एवं वन स्वीकृति (08 मई 2015) प्राप्त होने से पहले ही कार्य शुरू कर दिया था। तथापि, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा के अंतर्गत, प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना शासन द्वारा सबसे पहले अगस्त 2015 में प्रकाशित किया था और इसके बाद भूमि अधिग्रहण के 156 प्रकरणों के लिए जुलाई 2023 तक अधिसूचना जारी की गयी थी।

यह पाया गया कि ठेकेदार को पहले पांच बार समय वृद्धि (13 सितम्बर 2016 से 30 जून 2021) भूमि अधिग्रहण एवं पर्यावरण स्वीकृति में विलंब के एकसमान आधार पर स्वीकृत किया गया जबकि छठे और सातवें समय वृद्धि 2019-20 एवं 2020-21 में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन तथा भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण स्वीकृति एवं वन स्वीकृति में विलंब के आधार पर स्वीकृत किया गया। ठेकेदार ने कुल 159 भूमि अधिग्रहण के प्रकरण प्रस्तुत किए थे, जिसमें से 156 प्रकरणों हेतु राजस्व विभाग द्वारा अवार्ड पारित किया गया था तथा तीन प्रकरण जून 2023 तक अभी भी लंबित थे। इस प्रकार कार्य को प्रदान किए जाने से 10 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी भी पूर्ण नहीं हुई।

आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि निविदा हेतु मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित प्राक्कलन (फरवरी 2013) के अनुसार, प्रारम्भ में उपशाखाओं सहित 180 किलोमीटर लंबी नहर निर्माण के लिए 495 हेक्टेयर निजी भूमि की आवश्यकता थी। तथापि, सीडब्ल्यूसी द्वारा अनुमोदित (अक्टूबर 2016) अंतिम डीपीआर के अनुसार, नहर की लंबाई 180 किलोमीटर से बढ़कर 386.90 किलोमीटर हो गया और परिणामस्वरूप नहर के निर्माण

के लिए अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि का क्षेत्रफल भी 495 हेक्टेयर से बढ़कर 1012.60 हेक्टेयर हो गया। तदनुसार भूमि अधिग्रहण की लागत भी बढ़ गई। संभाग ने 955.175 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिकारी को ₹ 572.92 करोड़ का भुगतान किया, जिसमें से 943.403 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका था तथा प्रभावित किसानों को ₹ 380.05 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जा चुका था जबकि 11.383 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण लंबित था। इस प्रकार, भूमि अधिग्रहण के मामलों की प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण परियोजना के निष्पादन में देरी हुई।

इस ओर इंगित किए जाने पर, प्रमुख अभियंता ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

शासन स्तर पर उत्तर अपेक्षित है (दिसंबर 2024)।

(स) निर्माण कार्य क्षेत्र में होने के उपरांत भी रेलवे ट्रैक के नीचे नहर क्रॉसिंग पुल का निर्माण नहीं कराये जाने के कारण ठेकेदार को ₹ 2.83 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान

अरपा भैसाझार परियोजना के बैराज कार्य हेतु किए गए एकमुश्त अनुबंध के खंड 2.1.3.11 के अनुसार, नहर के विस्तृत कार्य क्षेत्र में जलसेतु और निकासी द्वार, रेलवे क्रॉसिंग, रोड क्रॉसिंग, क्रॉसिंग रेगुलेटर सह क्रॉस रेगुलेटर, निकासी द्वार, नाला व्यपवर्तन, यदि आवश्यक हो, फॉल्स, वितरण शाखाएं और माइनर एवं माइनर हेड्स, मीटरिंग फ्लूम आदि शामिल था, जिन्हें जल संसाधन विभाग द्वारा जारी परिपत्रों, प्रासंगिक भारतीय मानक (आईएस), भारतीय रोड कांग्रेस (आईआरसी) प्रकाशन आदि के अनुसार डिजाइन और निष्पादित किया जाना था। मुख्य नहर की डिजाइन की आवश्यकता के अनुसार निकासी प्रदान की जानी थी, जल को नजदीक के नाले में जाने देने के लिए उपयुक्त निकास प्रणाली (एस्केप चैनल) प्रदान किया जाना था और यह कार्य क्षेत्र में उल्लेखित अनुसार ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एस.ई.सी.आर), बिलासपुर ने परियोजना के अंतर्गत एक नहर क्रॉसिंग पुल⁷ के निर्माण के लिए आवश्यक अनुमति प्रदाय करने के लिए मार्ग अधिकार छोड़ने हेतु शुल्क के रूप में ₹ 5.30 लाख की मांग की थी और तदनुसार, संभाग ने यह राशि जमा कर दिया था। इसके अलावा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एस.ई.सी.आर) बिलासपुर ने इस परियोजना के अंतर्गत एक नहर क्रॉसिंग पुल⁸ के निर्माण के लिए ₹ 3.00 करोड़ का प्राक्कलन तैयार किया और कोटा, संभाग को कार्य की योजना और प्राक्कलन तैयार करने के लिए दो प्रतिशत की दर से ₹ 6.00 लाख जमा करने की मांग इस शर्त के साथ किया कि अंतिम प्राक्कलन तैयार होने के बाद शुल्क की राशि में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए, प्रारम्भ में संभाग ने ₹ 6.00 लाख जमा⁹ किए (जुलाई 2016) और बाद में संभाग ने एस.ई.सी.आर द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्राक्कलन के अनुसार ₹ 2.71 करोड़ जमा किए (सितंबर 2016)। संभाग द्वारा एस.ई.सी.आर को किए गए भुगतान का विवरण **तालिका 3.1.4** में दर्शाया गया है।

⁷ क्रमांक. 10 एके बिलासपुर-कटनी सेक्शन पर कालमित्रा-कारगी रोड स्टेशन के बीच किमी 743/08-10 पर

⁸ क्रमांक. 10 एके बिलासपुर-कटनी सेक्शन पर कालमित्रा-कारगी रोड स्टेशन के बीच किमी 743/08-10 पर

⁹ चेक नंबर. 567625 दिनांक 08.07.2016 द्वारा

तालिका 3.1.4: संभाग द्वारा एस.ई.सी.आर को किए गए भुगतान का विवरण

क्र. सं.	चेक सं./डिमांड ड्राफ्ट सं.	दिनांक	(राशि ₹ में)
1.	ए568419	13.06.2016	529846
2.	567625	08.06.2017	600000
3.	108369	27.09.2016	27140120
किया गया कुल भुगतान			28269966

(स्रोत: संभागीय कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि उपर्युक्त कार्य ठेकेदार के साथ निष्पादित एकमुश्त अनुबंध के कार्यक्षेत्र में शामिल था और इसकी लागत कार्य के अनुबंध राशि में शामिल थी। हालांकि, यह कार्य एसईसीआर द्वारा अलग से निष्पादित किया गया था जिसके लिए संभाग ने ₹ 2.83 करोड़ का भुगतान उनके माँग के अनुसार किया। चूंकि, यह कार्य परियोजना के एकमुश्त अनुबंध के कार्यक्षेत्र में शामिल था, इसलिए इस कार्य के निष्पादन की लागत को इस परियोजना के एकमुश्त अनुबंध के तहत ठेकेदार को किए गए भुगतान से घटाया जाना था। तथापि, विभाग ने इस कार्य की लागत को घटाने या ठेकेदार से वसूलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की और इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 2.83 करोड़ अतिरिक्त भुगतान हुआ।

इस ओर इंगित किए जाने पर, प्रमुख अभियंता (जुलाई 2024) ने लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार किया और कहा कि मुख्य नहर के आरडी 7843 मीटर पर रेलवे ट्रैक पर नहर क्रॉसिंग पुल का निर्माण अनुबंध के कार्यक्षेत्र में शामिल था और इसे रेलवे विभाग के माध्यम से ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाना था। परन्तु, ठेकेदार द्वारा उपरोक्त कार्य को निष्पादित न किए जाने के कारण, विभाग द्वारा एसईसीआर, बिलासपुर के माध्यम से निष्पादित किया गया एवं भुगतान किया गया। प्रमुख अभियंता ने आगे कहा कि लेखापरीक्षा आक्षेप के अनुपालन में, विभाग ने ठेकेदार को राशि ₹ 2.76 करोड़ जमा करने हेतु निर्देश दिया था (सितंबर 2023)। राशि जमा नहीं करने की स्थिति में, यह राशि ठेकेदार की सुरक्षा निधि (एस.डी.) से वसूल की जाएगी तथा लेखापरीक्षा को सूचित की जाएगी।

हालांकि, प्रमुख अभियंता ने ठेकेदार को केवल ₹ 2.76 जमा करने का निर्देश दिया था जबकि एसईसीआर को कुल ₹ 2.83 करोड़ का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, ठेकेदार से ₹ 6.56 लाख (₹ 28269966 – ₹ 27613890) की वसूली भी कराया जाना अपेक्षित था।

शासन स्तर पर उत्तर अपेक्षित है (दिसंबर 2024)।

(द) कार्यक्षेत्र में शामिल होने के उपरांत भी एचटी और एलटी विद्युत लाइनों के स्थानांतरण और पुनःस्थापना का कार्य निष्पादित नहीं किये जाने के कारण ठेकेदार को ₹ 64.46 लाख का अतिरिक्त भुगतान

अरपा भैसाझार परियोजना के बैराज कार्य हेतु किए गए एकमुश्त अनुबंध के खंड 2.1.3.13 के अनुसार, नहर कार्य के विस्तृत कार्यक्षेत्र में उच्च दाब (एचटी) और निम्न दाब (एलटी) विद्युत लाइनों, टेलीफोन लाइन, जल आपूर्ति लाइन और कार्य के मार्ग में आने वाली किसी भी अन्य सुविधा आदि को स्थानांतरित करना और पुनः स्थापित करना तथा जहां आवश्यक हो, वहां आवश्यक अनुमति प्राप्त करना आदि शामिल था। अतः ठेकेदार को नहर के निर्माण के अन्य कार्यों के साथ-साथ उपरोक्त कार्य भी निष्पादित करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सकरी, गरियारी चकरभाठा डी/सी के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर नवनिर्मित नहर से 33 किलोवोल्ट (केवी), 11 केवी और एलटी लाइन को स्थानांतरित करने का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल), बिलासपुर द्वारा किया जाना था। संभाग ने सीएसपीडीसीएल के ₹ 64.46 लाख के मांग पत्र के आधार पर सीएसपीडीसीएल को ₹ 64.46 लाख का भुगतान किया। संभाग द्वारा सीएसपीडीसीएल को किए गए भुगतान का विवरण तालिका 3.1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1.5: संभाग द्वारा सीएसपीडीसीएल को किए गए भुगतान का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	सीएसपीडीसीएल द्वारा जारी डिमांड नोट का विवरण		संभाग द्वारा किए गए भुगतान का विवरण	
	मांग संख्या/ दिनांक	राशि	वाउचर. सं./ दिनांक	राशि
1.	6054 / 24.01.2017	1401495	32 / 16.03.2017	1401495
2.	6357 / 27.02.2018	2265600	13 / 08.03.2018	2265600
3.	2965 / 22.08.2019	1174128	56 / 23.08.2019	1174128
4.	8618 / 22.02.2019	1604423	45 / 23.02.2019	1604423
योग		6445646		6445646

(स्रोत: संभागीय कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

लेखापरीक्षा ने पाया कि एचटी/एलटी बिजली के तार को स्थानांतरित करना तथा संबंधित विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त करना एकमुश्त अनुबंध के अंतर्गत कार्य के क्षेत्र में शामिल था। इसलिए, इस कार्य के निष्पादन की लागत को इस परियोजना के एकमुश्त अनुबंध के विरुद्ध ठेकेदार को किए गए भुगतान से घटाया जाना आवश्यक था। तथापि, विभाग ने बिजली लाइन को स्थानांतरित करने की लागत को घटाने/समायोजित करने या ठेकेदार से ₹ 64.46 लाख वसूलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं किया।

इस ओर इंगित किए जाने पर, प्रमुख अभियंता ने (जुलाई 2024) लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया तथा बताया कि एचटी एवं एलटी विद्युत लाइनों का स्थानांतरण एवं पुनःस्थापना अनुबंध के दायरे में था तथा इसे ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाना था, परन्तु ठेकेदार द्वारा इसे निष्पादित नहीं किए जाने के कारण विभाग ने इस कार्य को क्षेत्रीय लेखा अधिकारी (आरएओ), सीएसपीडीसीएल, बिलासपुर के माध्यम से निष्पादित किया तथा उसी एजेंसी को भुगतान किया गया। प्रमुख अभियंता ने आगे बताया कि लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुपालन में, विभाग ने ठेकेदार को उतनी ही राशि जमा करने का निर्देश दिया था (सितंबर 2023)। उक्त राशि जमा न करने की स्थिति में ठेकेदार के एसडी से राशि वसूल कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

शासन स्तर पर उत्तर अपेक्षित है (दिसंबर 2024)।

(घ) **भू-अर्जन अवार्ड में कृषि भूमि की बढ़ी हुई दरों के निर्धारण के कारण अनुचित लाभ**

पंजीयन महानिरीक्षक (केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड) छत्तीसगढ़ द्वारा प्रतिवर्ष भूमि के बाजार मूल्य संबंधी दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं। वर्ष 2018-19 के लिए जारी दिशानिर्देशों में प्रावधानित किया गया था कि द्वि-फसली भूमि का बाजार मूल्य एक-फसली भूमि से 25 प्रतिशत अधिक होगा।

अरपा भैसाझार परियोजना के चकरभाठा शाखा नहर से संबंधित सकरी गांव के भूमि अधिग्रहण प्रकरणों के खसरावार विवरण की जांच से पता चला कि पांच मामलों में भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अवार्ड एक-फसली भूमि के बजाय द्वि-फसली भूमि मानकर तैयार किया गया था, जबकि ऑनलाइन भू-अभिलेख (पी-II) में इन भूमियों का उल्लेख एक-फसली भूमि के रूप में दर्ज किया गया था। इसके परिणामस्वरूप किसानों को मुआवजे के रूप में अधिक भुगतान किया गया। इन पांचों प्रकरणों का विवरण तालिका 3.1.6 में दिया गया है।

तालिका 3.1.6: एक-फसली भूमि के स्थान पर द्वि-फसली भूमि मानकर अधिक मुआवजा भुगतान का विवरण

(राशि ₹ में)

खसरा सं.	क्षेत्र (हेक्टेयर)	अधिग्रहण अवार्ड जो गणना/भुगतान किया जाना था				भुगतान के लिए विभाग द्वारा गणना की गई मुआवजा		
		भूमि/फसल का प्रकार	बाजार दर/हेक्टेयर	प्राप्त दर ¹⁰	अवार्ड राशि (2) • (5)	भूमि/फसल का प्रकार	वास्तविक अवार्ड राशि	अतिरिक्त अवार्ड (8)-(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18/29	0.194	एकल	1,75,00,000	3,78,00,000	73,33,200	दोहरी	91,66,500	18,33,300
18/35	0.320	एकल	1,75,00,000	3,78,00,000	1,20,96,000	दोहरी	1,51,20,000	30,24,000
19/4	0.433	एकल	1,75,00,000	3,78,00,000	1,63,67,400	दोहरी	2,04,68,624	41,01,224
40/4	0.887	एकल /अन्य पहुंच मार्ग	2,20,00,000	4,75,20,000	4,21,50,240	दोहरी /अन्य पहुंच मार्ग	5,26,66,397	1,05,16,157
42/26	0.474	एकल	1,75,00,000	3,78,00,000	1,79,17,200	दोहरी	2,23,81,579	44,64,379
योग					9,58,64,040		11,98,03,100	23939060

(स्रोत: भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कोटा, बिलासपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि पांच मामलों में किसानों को देय मुआवजा राशि की गणना द्वि-फसली मानकर की गई अर्थात एक-फसली सिंचित/असिंचित भूमि के लिए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा जारी बाजार दर दिशानिर्देशों में उल्लिखित सामान्य दरों से 25 प्रतिशत अधिक दर लागू की गई, जबकि राजस्व विभाग के भूमि अभिलेख (पी-II) में इन भूमियों को एकल फसल के रूप में दर्ज किया गया था। इस प्रकार, बाजार दर दिशानिर्देशों के त्रुटिपूर्ण उपयोग के परिणामस्वरूप किसानों को मुआवजा के रूप में ₹ 2.39 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोटा, जिला बिलासपुर ने अपने उत्तर में यह बताया (अक्टूबर 2023) कि कलेक्टर द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति ने मामले की जांच कर ली है तथा जांच प्रतिवेदन जल संसाधन विभाग एवं आयुक्त, बिलासपुर को अग्रिम आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गयी है।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि जाँच प्रतिवेदन में भूमि अधिग्रहण निर्णय के बाद किसानों को देय मुआवजे की गणना में कृषि भूमि की बढ़ी हुई दरों का उल्लेख नहीं किया गया।

शासन स्तर पर उत्तर अपेक्षित है (दिसंबर 2024)।

¹⁰ बाजार दर/हे. एकल फसल के अनुसार + 16 महीने के लिए 12 प्रतिशत की दर से ब्याज +100 प्रतिशत हर्जाना (बाजार दर प्रति हेक्टेयर)

3.1.8.4

सूरजपुर जिले में रेहर एनीकट का निर्माण

(अ) उपयोगिता सुनिश्चित किए बिना रेहर एनीकट के निर्माण करने से ₹ 28.02 करोड़ का अपव्यय

छत्तीसगढ़ शासन ने सूरजपुर ब्लॉक में रेहर नदी पर व्यपवर्तन योजना के निर्माण के लिए ₹ 16.88 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया था (दिसम्बर 2007), जिससे 1,500 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए इस शर्त पर जल उपलब्ध कराया जाना था कि व्यय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सीएसईबी) की जमा राशि से पूर्ण किया जाएगा, जिसे प्रस्तावित थर्मल पावर प्लांट को जल की आपूर्ति होने पर जल कर से समायोजित किया जाना था और साथ ही 1,250 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध कराई जानी थी। इसकी अनुमानित लागत ₹ 16.88 करोड़ में शीर्ष कार्य (₹ 14.35 करोड़) और नहर कार्य (₹ 2.53 करोड़) शामिल थे। सूरजपुर संभाग के कार्यपालन अभियंता ने प्रस्तावित नहर के लिए सर्वेक्षण किया और यह पाया कि नदी के पास नहर के कार्य के लिए बड़ी मात्रा में मिट्टी की कटाई के कार्य के कारण नहर के दोनों तरफ सिंचाई के लिए कमांड क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, व्यपवर्तन योजना चयनित स्थल के लिए उपयुक्त/योग्य नहीं थी। अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मंडल, अंबिकापुर ने मुख्य अभियंता हसदेव बेसिन बिलासपुर को सूचित किया (2008) कि प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लिखित 1250 हेक्टेयर का कमांड क्षेत्र प्रस्तावित नहर के निर्माण के उपरांत भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, परन्तु चूंकि परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए जल की आपूर्ति भी प्रस्तावित थी, इसलिए व्यपवर्तन योजना के स्थान पर एनीकट का निर्माण किया जाना उचित होगा। मुख्य अभियंता (सीएसईबी) ने भी जून 2008 में मुख्य अभियंता, हसदेव बेसिन, बिलासपुर को जल की आपूर्ति की उच्च लागत के आधार पर व्यपवर्तन योजना का निर्माण नहीं करने का सुझाव दिया। तथापि, छत्तीसगढ़ शासन ने सीएसईबी द्वारा लागत वहन करने की शर्त को हटाते हुए व्यपवर्तन/एनीकट योजना के लिए ₹ 27.06 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की (जुलाई 2009)। इस परियोजना को बाद में नाबार्ड से वित्तपोषित किया गया, जिसने इस परियोजना को ₹ 26.67 करोड़ के वित्त पोषण के साथ स्वीकृति (मार्च 2011) दी।

मुख्य अभियंता, हसदेव बेसिन, बिलासपुर द्वारा व्यपवर्तन/एनीकट योजना के अंतर्गत एनीकट निर्माण के लिए ₹ 24.63 करोड़ की संशोधित तकनीकी स्वीकृति (अगस्त 2009) दी गई। ठेकेदार को राशि ₹ 17.08 करोड़ पर कार्य प्रदाय किया गया (दिसंबर 2009) तथा कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि 21 माह थी। कार्य के निष्पादन के दौरान, सक्षम प्राधिकारी द्वारा ठेकेदार को सात बार समयवृद्धि विभिन्न कारणों के लिए स्वीकृत किया गया था, जैसे कि निधि की कमी, मजदूरों की अनुपलब्धता, ग्रामीणों का आक्रोश, आकस्मिक बारिश, शासन स्तर पर अनुपूरक स्वीकृति में विलंब इत्यादि। कुल व्यय ₹ 28.02 करोड़ के साथ कार्य पूर्ण (मार्च 2018) हुआ तथा अंतिम बिल का भुगतान अगस्त 2019 में किया गया था।

मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अंबिकापुर के अभिलेखों की जांच से पता चला कि उपरोक्त योजना मूल रूप से सीएसईबी द्वारा निर्मित 1500 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए थर्मल पावर परियोजना को जलापूर्ति और नहर के माध्यम से 1250 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए डिजाइन की गई थी। तथापि, सीएसईबी ने निर्माण की बहुत अधिक लागत के कारण योजना से जल लेने से मना कर दिया (जून 2008)। इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद कि परियोजना उच्च कटाव/पहाड़ी क्षेत्र के कारण नहर के माध्यम से सिंचाई के लिए व्यवहारिक नहीं थी, विभाग ने नहर के बिना वीयर (हेड वर्क) के निर्माण के लिए नाबार्ड के वित्तपोषण के

साथ परियोजना को आगे बढ़ाया और ठेकेदार को किए गए कुल कार्य के लिए ₹ 28.02 करोड़ का भुगतान किया।

तथापि, निर्मित संरचना का उपयोग न तो किसी बिजली संयंत्र या उद्योग को जल की आपूर्ति के लिए किया जा रहा था और न ही सिंचाई के लिए कोई कमांड क्षेत्र आस-पास उपलब्ध था। इस प्रकार, निर्मित संरचना से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई और किया गया व्यय निष्फल रहा। आगे, लेखापरीक्षा द्वारा किए गए एनीकट के संयुक्त भौतिक सत्यापन (दिसंबर 2022) से पता चला कि संरचना आंशिक रूप से जल में डूब गई है और जीर्ण स्थिति में है, जैसा कि नीचे दी गई तस्वीरों से स्पष्ट है।

फोटो 3.1.3 और 3.1.4: रेहर एनीकट का क्षतिग्रस्त स्ट्रक्चर और गेट



फोटोग्राफ का दिनांक: 07.12.2022

(ब) निम्न विशिष्टियों के साथ कंक्रीट कार्य का निष्पादन

यह भी पाया गया कि एनीकट के निर्माण में निष्पादित प्लेन सीमेंट कंक्रीट (पीसीसी) और रिइन्फोर्सड सीमेंट कंक्रीट (आरसीसी) कार्य निम्न विशिष्टियों के थे क्योंकि एम-10 और एम-20 कंक्रीट की समग्र दबाव क्षमता के स्वीकार्य मानदंडों का पालन नहीं किया गया था, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

➤ निम्न ग्रेड के कंक्रीट के साथ पीसीसी और आरसीसी कार्य का निष्पादन

सिंचाई से संबंधित कार्यों (जैसे एनीकट, बैराज, व्यपवर्तन योजना) की संरचनाएं मोडरेट वातावरण के संपर्क में होती हैं, जिसे भारतीय मानक कोड 456:2000 की तालिका-3 के साथ पढ़ने पर इस प्रकार परिभाषित किया गया है— ऐसा पर्यावरण जहां कंक्रीट की सतहें तीव्र वर्षा से प्रभावित होती हैं या लगातार पानी में डूबी रहती हैं या ऐसी मिट्टी/भूजल के संपर्क में होती हैं या उसमें दबी होती हैं जो अक्रामक नहीं होती (नॉन एग्रेसिव सोइल) हैं। ऐसी पर्यावरणीय परिस्थितियों में आईएस कोड 6.1.2 और तालिका 5 के अनुसार पीसीसी और आरसीसी के लिए न्यूनतम ग्रेड क्रमशः एम-15 और एम-25 होना चाहिए। तथापि, एनीकट के निर्माण के लिए ठेकेदार द्वारा राशि ₹ 5.97 करोड़ के 29321.04 घन मीटर पीसीसी (एम-10) कार्य तथा राशि ₹ 1.90 करोड़ के 6644.26 घन मीटर आरसीसी (एम-20) कार्य निष्पादित किये गए। इस प्रकार, पीसीसी और आरसीसी कार्यों के लिए क्रमशः एम-15 और एम-25 की आवश्यकता के विपरीत, आईएस 456:2000 में दिए गए मानकों के विपरीत निम्न श्रेणी के कंक्रीट कार्य निष्पादित किए गए।

➤ **कंक्रीट कार्य के निष्पादन में स्टैंडर्ड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की आवश्यकता का अनुपालन न किया जाना**

आईएस कोड 456:2000 में प्रावधान है कि एम-10 और एम-20 के निष्पादन की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के स्वीकार्य मापदंड क्रमशः 130 किग्रा/सेमी² तथा 240 किग्रा/सेमी² होने चाहिए। ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्यों के एम-10 और एम-20 ग्रेड कंक्रीट के परीक्षण प्रतिवेदनों की जांच में यह पाया गया कि इन ग्रेडों के लिए प्राप्त कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्रमशः 102.22 किग्रा/सेमी² से 104.44 किग्रा/सेमी² और 233.33 किग्रा/सेमी² से 237.77 किग्रा/सेमी² तक थी, जो उनके संगत स्वीकार्य मापदंड से कम थी और विभाग मानकों के अनुसार कार्य के निष्पादन की निगरानी करने में विफल रहा। इस प्रकार, सीमेंट कंक्रीट कार्य के निम्न विशिष्टियों के साथ कार्य के निष्पादन से संरचना की गुणवत्ता की उपेक्षा की गयी जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि कार्य पूर्ण होने के पश्चात् मई 2021 में एनिकट और स्तंभ की संरचनाएं क्षतिग्रस्त पाई गई। मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार, अंबिकापुर ने क्षतिग्रस्त संरचना की जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि गेट क्रमांक 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत नींव के बैठने के कारण एनिकट बॉडी और संरचना के स्तंभ क्षतिग्रस्त हो गए।

इंगित किये जाने पर, कार्यपालन अभियंता ने उत्तर में यह बताया (दिसंबर 2022) कि भारी बारिश के कारण स्तंभ, डायफ्राम वाल एवं स्ट्रक्चर गेट क्षतिग्रस्त हो गए थे। कार्यपालन अभियंता ने आगे बताया कि एनीकट/व्यपवर्तन योजना के क्षतिग्रस्त हेडवर्क की मरम्मत के लिए ₹ 18.66 करोड़ का प्राक्कलन प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग को प्रेषित गया था (सितंबर 2022), जिसे सितंबर 2023 तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था।

हालांकि 2018 से 2021 के दौरान सूरजपुर में औसत वर्षा के आंकड़े कार्यपालन अभियंता के उत्तर का समर्थन नहीं करते हैं। आगे अधीक्षण अभियंता ने जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया कि एनिकट बॉडी की दीवार और स्तंभ में क्षति का कारण नींव का धंसना और जल उबाल था तथा स्वीकृत डिजाइन के अनुसार निर्माण कार्य न किए जाने का भी पता चला, जबकि मुख्य अभियंता ने क्षति का कारण नींव का धंसना बताया। यह जल संसाधन विभाग द्वारा निर्माण कार्य की निगरानी/पर्यवेक्षण की कमी को दर्शाता है।

इस प्रकार, विभाग द्वारा रेहर एनीकट की उपयोगिता सुनिश्चित किए बिना तथा निम्न गुणवत्ता वाले कंक्रीट कार्य के साथ निर्माण करना अविवेकपूर्ण था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 28.02 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ।

शासन स्तर पर उत्तर अपेक्षित है (दिसंबर 2024)।

3.1.8.5 वार्षिक निरीक्षण पंजी का संधारण नहीं किया जाना

निर्माण विभाग नियमावली के खंड 8.016 के अनुसार, सिंचाई कार्यों का वार्षिक/आवधिक निरीक्षण विभिन्न अधिकारियों (मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता) द्वारा किया जाना है और कंडिका 8.017 के अनुसार, निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण कार्यों का एक चार वर्षीय कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसमें वर्षवार निरीक्षण किए जाने वाले कार्यों को दर्शाया जाएगा और सिंचाई कार्यों के वार्षिक/आवधिक निरीक्षण के परिणामों को निरीक्षण अधिकारी द्वारा संभाग स्तर पर बनाए गए वार्षिक निरीक्षण पंजी में दर्ज किया जाना चाहिए।

चयनित सभी 19 संभागों में अभिलेखों की जांच से पता चला कि विभिन्न अधिकारियों (मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता) द्वारा किए गए सिंचाई कार्यों के वार्षिक/आवधिक निरीक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार के अभिलेख का संधारण नहीं किया गया था। इस प्रकार, वार्षिक निरीक्षण पंजी का

संधारण न किए जाने के कारण, लेखा परीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि नाबार्ड सहायता प्राप्त ऋण के माध्यम से निर्मित परिसंपत्तियों के आवश्यक संधारण एवं मरम्मत के विश्लेषण हेतु सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा आवधिक निरीक्षण किया जा रहा था।

शासन स्तर पर उत्तर अपेक्षित है (दिसंबर 2024)।

3.1.8.6 सिंचाई क्षमता की उपलब्धि

किसी सिंचाई परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रस्तावित सिंचाई क्षमता का सृजन और उपयोग करना होता है। निर्मित सिंचाई क्षमता वह कुल क्षेत्र है जिसे परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात सिंचित किया जा सकता है। प्रत्येक परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में सिंचाई क्षमता सृजन के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। परियोजनाओं के समग्र उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु इन लक्ष्यों की प्राप्ति महत्वपूर्ण थी।

नाबार्ड से ऋण प्राप्त करने का उद्देश्य, अपूर्ण/नई परियोजनाओं को पूर्ण करना तथा सिंचाई क्षमता सृजन करना था। सिंचाई परियोजनाओं के लिए नाबार्ड द्वारा सहायता प्राप्त आरआईडीएफ ऋण के संबंध में चरणवार निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में सृजित सिंचाई क्षमता की स्थिति तालिका 3.1.7 में दर्शाई गई है।

तालिका 3.1.7: नाबार्ड के अंतर्गत प्रस्तावित सिंचाई क्षमता सृजन के चरणवार लक्ष्य और उपलब्धियां (31 मार्च 2022 तक)

चरण	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण हो चुकी परियोजनाएं	अपूर्ण परियोजनाएं	लक्षित सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर)	निर्मित सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर)	लक्षित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध सृजन का प्रतिशत
XVIII (2012–13)	02	02	00	813	813	100
XIX (2013–14)	19	15	04	7957	5882	74
XX (2014–15)	21	16	05	77940	54728	70
XXI (2015–16)	19	13	06	17252	12879	75
XXII (2016–17)	19	15	04	71383	70728	99
XXIII (2017–18)	17	06	11	8041	2365	29
XXIV (2018–19)	28	12	16	15489	3283	21
XXV (2019–20)	32	13	19	13750	1281	09
XXVI (2020–21)	21	2	19	7980	31	00
XXVII (2021–22)	7	0	7	1914	00	00
कुल योग	185	94	91	222519	151990	68

(स्रोत: प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि लक्ष्य केवल चरण XVIII (2012–13) और XXII (2016–17) में ही प्राप्त किया जा सका।

सिंचाई क्षमता निर्माण से संबंधित 20 संभागों में निष्पादित 39 अनुबंधों/कार्यों¹¹ की नमूना जाँच से पता चला कि 23 पूर्ण हो चुके कार्यों में से तीन पूर्ण हो चुके कार्यों में 1953 हेक्टेयर के लक्षित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध केवल 142 हेक्टेयर (07 प्रतिशत) सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया था। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में विलंब के कारण छः कार्यों को अपूर्ण रूप से अंतिमिकरण किया गया और 8277 हेक्टेयर के लक्षित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध केवल 2450 हेक्टेयर (30 प्रतिशत) सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि दस अपूर्ण कार्यों में से नौ

¹¹ पूर्ण: 23, अपूर्ण अंतिम: 06, अपूर्ण: 10

में 28,499 हेक्टेयर के लक्षित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध 15,268 हेक्टेयर (54 प्रतिशत) सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया था। विवरण तालिका 3.1.8 में दिखाए गए हैं।

तालिका 3.1.8: भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में विलंब के कारण सिंचाई क्षमता का कम/सृजन न होना

(सिंचाई क्षमता हेक्टेयर में और व्यय ₹ करोड़ में)

कार्यों की संख्या	व्यय	निर्धारित किया गया सिंचाई क्षमता	सृजित सिंचाई क्षमता	सिंचाई क्षमता का कम/नहीं सृजित किया जाना	सृजित क्षमता (प्रतिशत में)	कार्य की स्थिति
भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में विलंब और अन्य तकनीकी कारणों से सिंचाई क्षमता का शून्य/कम सृजन						
09	344.02	28499	15268	13231	54	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया, वैधानिक स्वीकृति, कोविड-19 महामारी आदि के कारण अधूरा
भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण न होने और नहर के प्रमुख घटकों का निष्पादन न होने के कारण कार्यों का अपूर्ण अंतिमीकरण						
06	36.00	8277	2450	5827	30	अपूर्ण अंतिमीकरण
कार्य/अनुबंध पूर्ण होने के बाद भी सिंचाई क्षमता का शून्य/कम सृजन						
03	40.12	1953	142	1811	07	पूर्ण

(स्रोत: संभागीय कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में विलंब, वैधानिक स्वीकृति, कोविड-19 महामारी आदि के कारण नौ कार्य अपूर्ण रहे और विलंब की अवधि 32 महीने से नौ साल और तीन महीने तक थी, जिसके कारण ₹ 344.02 करोड़ की राशि अवरुद्ध रही। आगे, छः कार्यों पर ₹ 36 करोड़ का व्यय हुआ तथा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में विलंब तथा नहर के प्रमुख घटक का निष्पादन नहीं किये जाने एवं अन्य तकनीकी कारणों से ये सभी कार्य अपूर्ण रहे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि ₹ 40.12 करोड़ के व्यय के उपरांत तीन कार्य पूर्ण हुए परन्तु नहर निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना परियोजना की अनियमित स्वीकृति एवं अन्य भूमि संबंधी प्रकरणों के कारण लक्षित सिंचाई क्षमता का सृजन नहीं किया जा सका (परिशिष्ट 3.1.2)।

शासन स्तर पर उत्तर अपेक्षित है (दिसम्बर 2024)।

3.1.9 निष्कर्ष

नाबार्ड द्वारा सहायता प्राप्त आरआईडीएफ निधि का निर्माण राज्य शासन को चल रही और अपूर्ण परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के लिए सहायता देने के उद्देश्य से किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नाबार्ड द्वारा सहायता प्राप्त ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के माध्यम से 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान स्वीकृत 60 परियोजनाओं में से केवल 15 परियोजनाएं ही पूर्ण हुईं और मार्च 2022 तक 45 परियोजनाएं अपूर्ण रहीं।

लेखापरीक्षा ने 39 कार्यों की नमूना जांच की और पाया कि विभिन्न कारणों से 15 कार्य अभी भी अपूर्ण हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण में विलंब, कोविड-19 के दौरान कार्य की धीमी प्रगति और नहर नेटवर्क में कमांड क्षेत्र का ओवरलैपिंग और अन्य मुद्दे आदि। परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलंब के कारण 36,776 हेक्टेयर की निर्धारित/प्रस्तावित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध 17,715 हेक्टेयर (48 प्रतिशत) की सिंचाई क्षमता की कम/सृजन नहीं हो पाया।

छत्तीसगढ़ शासन के आदेश (दिसंबर 2013) का उल्लंघन करते हुए, जल संसाधन विभाग के चार संभागों ने 2016-20 के दौरान ₹ 40.63 करोड़ के निविदा की अनुमानित लागत के साथ छः कार्यों के लिए निविदा जारी की थी और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पूरा किए बिना कार्य का निष्पादन भी शुरू कर दिया था और भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरणों में देरी के कारण ये सभी कार्य अपूर्ण रहे (जून 2024)। कल्हामार व्यपवर्तन योजना के लिए नहर का कार्य नहीं करने के कारण शीर्ष कार्य के निर्माण पर किए गए ₹ 2.06 करोड़ का व्यय निरर्थक हो गया क्योंकि विगत 15 वर्षों से संरचना का उपयोग नहीं किया गया था और 262 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजन करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका। सूरजपुर ब्लॉक में रेहर नदी पर व्यपवर्तन योजना के लिए उपयोगिता सुनिश्चित नहीं करते हुए नहर के बिना वीयर (हेड वर्क) का निर्माण किया गया, जिससे ₹ 28.02 करोड़ का अपव्यय हुआ।

अरपा भैसाझार वृहद परियोजना में, लेखापरीक्षा ने पाया कि वन मंजूरी, पर्यावरण मंजूरी, अंतर-राज्यीय मंजूरी और सीडब्ल्यूसी द्वारा डीपीआर की मंजूरी जैसे आवश्यक वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने से पूर्व ही काम शुरू कर दिया गया था। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में देरी के कारण परियोजना अधूरी रह गई, सीडब्ल्यूसी द्वारा अनुमोदित डीपीआर के अनुसार 386.90 किलोमीटर की निर्धारित की गई लंबाई में से केवल 329.46 किलोमीटर लंबाई की नहर का निर्माण पूरा हो पाया। इसके अलावा, काम शुरू होने के 10 साल से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी नहर का काम पूरा न होने के कारण निर्धारित की गई सिंचाई क्षमता प्राप्त नहीं की जा सकी।

3.1.10 अनुशंसाएं

- परियोजना की निर्धारित सिंचाई क्षमता को प्राप्त करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- परियोजना प्रारंभ करने से पूर्व नहर कार्य के लिए भूमि की उपलब्धता का आकलन/सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण करने के पश्चात् हेडवर्क और नहर कार्य की तकनीकी स्वीकृति समग्र रूप से प्रदान की जानी चाहिए।
- परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब से बचने के लिए निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सभी वैधानिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जानी चाहिए।

कृषि विकास, किसान कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

3.2 पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना

3.2.1 प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा पूर्वी भारत के सात राज्यों¹² में “चावल आधारित फसल प्रणाली” की उत्पादकता को सीमित करने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए वर्ष 2010–11 में “पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (बीजीआरईआई)” कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रमुख फसलों की उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना और पूर्वी भारत में चावल उत्पादन बढ़ाने के लिए जल क्षमता का सदुपयोग करना था।

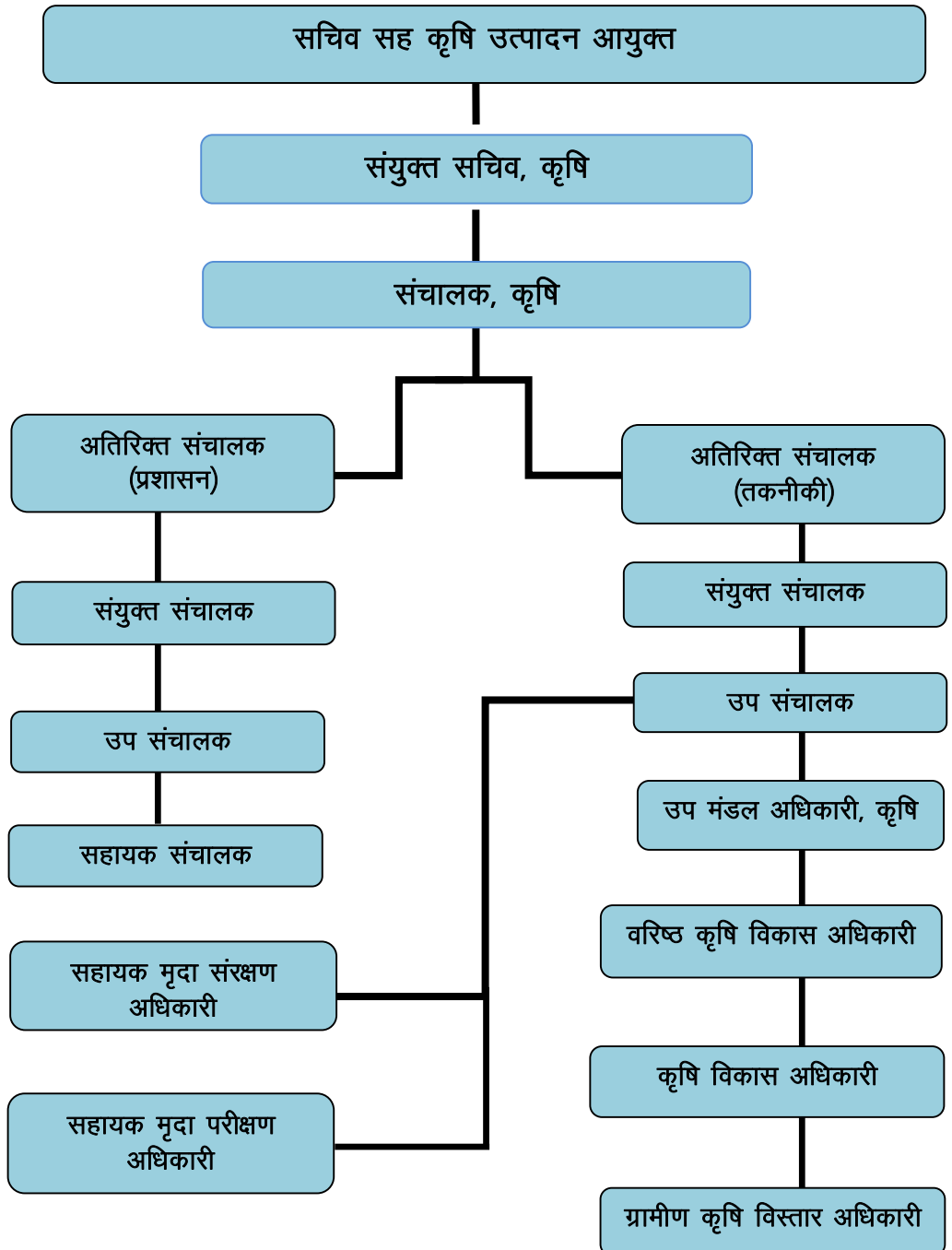
प्रारंभ में, बीजीआरईआई में तीन व्यापक श्रेणियों के हस्तक्षेप शामिल थे, जिनके नाम हैं (i) ब्लॉक प्रदर्शन (ii) परिसंपत्ति निर्माण गतिविधियाँ जैसे कि चेक डैम, लघु सिंचाई टैंक और अन्य जल संसाधन विकास कार्य एवं (iii) सुविधा और लागत प्रभावशीलता के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण में कृषि प्रयोजनों के लिए सिंचाई चैनलों/बिजली के निर्माण/नवीनीकरण जैसे छोटे कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए साइट-विशिष्ट गतिविधियाँ। वर्ष 2013–14 में, फसल कटाई के बाद प्रबंधन को किसानों को उनके उत्पादों के लिए विपणन समर्थन प्रदान करने के लिए एक हस्तक्षेप के रूप में शामिल किया गया था। बीजीआरईआई को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के एक उप-योजना के रूप में लागू किया गया था। वर्ष 2021–22 में, भारत सरकार द्वारा बीजीआरईआई उप-योजना को वर्ष 2021–25 की अवधि के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) में समाहित किया।

3.2.2 संगठनात्मक संरचना

बीजीआरईआई योजना को राज्य स्तर पर मुख्य नियंत्रण अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/संयुक्त सचिव के समग्र नियंत्रण में कृषि विभाग द्वारा लागू किया जाता है, जबकि संचालक, कृषि राज्य स्तर पर विभाग के कार्यात्मक प्रमुख होते हैं। संचालक, कृषि को अपर संचालक, कृषि, संयुक्त संचालक, कृषि संभागीय स्तर पर और उप संचालक, कृषि जिला स्तर पर सहायता प्रदान करते हैं। विभाग की संगठनात्मक संरचना का चार्ट 3.2.1 में दर्शाया गया है।

¹² असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

चार्ट 3.2.1: कृषि विभाग की संगठनात्मक संरचना



3.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

बीजीआरईआई की अनुपालन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि:-

- क्या बीजीआरईआई योजना भारत सरकार के योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन में एक योजनाबद्ध तरीके से लागू की जा रही थी;
- क्या योजना के अंतर्गत विभिन्न हस्तक्षेप जैसे कि ब्लॉक प्रदर्शन, परिसंपत्ति निर्माण, स्थल विशेष गतिविधियाँ एवं विपणन समर्थन सहित फसल कटाई के बाद प्रबंधन कुशलता और प्रभावी ढंग से किए गए थे;
- क्या विभाग द्वारा निधि जारी की गई थी, लेखांकित की गई थी और आर्थिक रूप से उपयोग किया गया था और योजना की निगरानी/मूल्यांकन की गई थी।

3.2.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष निम्नलिखित मानदंडों के विरुद्ध मापे गए थे:

- बीजीआरईआई योजना दिशानिर्देश 2015;
- केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश;
- राज्य स्तरीय संचालन समिति, जिला स्तरीय संचालन समिति, राज्य कार्य योजना, जिला कार्य योजना की कार्यवाही;
- केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान/राज्य कृषि विश्वविद्यालय/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तकनीकी समर्थन की वार्षिक निगरानी रिपोर्ट, राष्ट्रीय स्तरीय निगरानी टीम की रिपोर्ट, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन;
- राज्य स्तरीय एजेंसियों द्वारा प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन और मूल्यांकन अध्ययन, व्यापक राज्य कृषि योजना।

3.2.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

बीजीआरईआई की अनुपालन लेखापरीक्षा वर्ष 2017-22 की अवधि के लिए की गई थी। यह योजना राज्य के 28 जिलों में से 14 में कार्यात्मक थी। इन 14 में से आठ जिलों¹³ का चयन सरल यादृच्छिक नमूनाकरण बिना प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से किया गया था। कृषि संचालनालय के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए चुने गए जिलों में उप संचालक, कृषि और सहायक मृदा संरक्षण कार्यालय की कार्यान्वयन इकाई शामिल थी। मसौदा प्रतिवेदन फरवरी 2023 में राज्य सरकार को भेजी गई थी। प्रतिवेदन पर शासन का उत्तर जून 2023 में प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार के उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

¹³ धमतरी, बालोद, कांकेर, बलरामपुर, कोंडागांव, जगदलपुर, सूरजपुर और दुर्ग

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.2.6 राज्य कार्य योजना

3.2.6.1 राज्य कार्य योजना तैयार करना

बीजीआरआई दिशानिर्देशों के खंड 9 के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के आधार पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत योजना के कार्यान्वयन का प्रावधान प्रत्येक वर्ष किया जाएगा। इसके अलावा, दिशानिर्देशों के खंड 4.2.1 के अनुसार, राज्य संचालन समिति हर तिमाही में बैठक करेगी और बीजीआरआई के कार्यान्वयन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य कृषि विश्वविद्यालय और अन्य हितधारकों के परामर्श से राज्य कार्य योजना को अंतिम रूप देगी।

वर्ष 2021-22 को छोड़कर, वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हर साल राज्य कार्य योजना तैयार किया गया था, जैसा कि तालिका 3.2.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2.1: राज्य कार्य योजना प्रस्ताव, अनुमोदन और राज्य संचालन समिति बैठकों का विवरण

वर्ष	भारत सरकार को राज्य कार्य योजना प्रस्तुत करने की तिथि	भारत सरकार द्वारा राज्य कार्य योजना के अनुमोदन की तिथि	राज्य संचालन समिति की बैठक की तिथि
2017-18	6.9.2017	25.10.2017	14.11.2017
2018-19	24.5.2018	06.06.2018	30.05.2018
2019-20	21.5.2019	29.05.2019	04.02.2020
2020-21	19.6.2020, 24.08.2020	23.06.2020, 28.08.2020	—
2021-22	—	—	—

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, त्रैमासिक बैठकों के स्थान पर वर्ष 2017-22 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य संचालन समिति की केवल तीन बैठकें आयोजित की गईं। इसके अलावा, बैठकें राज्य कार्य योजना भारत सरकार को प्रस्तुत करने के बाद आयोजित की गईं, जो दर्शाता है कि राज्य कार्य योजना भारत सरकार को प्रस्तुत करने से पहले राज्य संचालन समिति में चर्चा/अंतिम रूप नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020-21 में राज्य संचालन समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। इस प्रकार, भारत सरकार को योजना भेजने से पहले राज्य संचालन समिति की निर्धारित संख्या में बैठकें आयोजित न करने/देरी के कारण योजना को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक जिलेवार भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी समर्थन की समीक्षा और दिशानिर्देशों में परिकल्पित सभी हितधारकों की भागीदारी जैसे विभिन्न उपाय नहीं किए गए।

अनुमोदित कार्य योजना की जांच से पता चला कि राज्य कार्य योजना में शामिल लक्ष्य वर्ष 2017-21 की अवधि में कम हो गए, जैसा कि परिशिष्ट 3.2.1 में दर्शाया गया है।

- वर्ष 2018-21 की अवधि के दौरान चावल के प्रदर्शन क्षेत्र का भौतिक लक्ष्य 51 प्रतिशत¹⁴ घटकर 49136 हेक्टेयर से 24157 हेक्टेयर रह गया।

¹⁴ (2017-18 का भौतिक लक्ष्य - 2020-21 का भौतिक लक्ष्य) *100 / 2017-18 का भौतिक लक्ष्य
= (49136-24157)*100 / 49136 = 51 प्रतिशत

- प्रदर्शन में स्ट्रेस टालरेन्स किस्मों के लिए निधि का आवंटन/प्रावधान बीजीआरईआई दिशानिर्देशों में निर्धारित 30 प्रतिशत के मानदंड के विरुद्ध 7 से 27 प्रतिशत तक रहा।
- वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक भारत सरकार द्वारा बीजीआरईआई के अंतर्गत विभिन्न हस्तक्षेपों जैसे कि बीजों का उत्पादन, बीजों का वितरण, पोषक तत्व प्रबंधन और परिसंपत्ति निर्माण में अनुमोदित लक्ष्यों में क्रमशः 60 प्रतिशत, 68 प्रतिशत, 33 प्रतिशत और 82 प्रतिशत की कमी आई, जैसा कि **परिशिष्ट 3.2.1** में दर्शाया गया है।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (जून 2023) कि संचालक/सचिव, कृषि द्वारा आयोजित समीक्षा बैठकों के दौरान केंद्र एवं राज्य प्रायोजित दोनों योजनाओं के लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया गया और उपलब्धियों की बार-बार समीक्षा की गई। प्रदर्शनों के लिए लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों और अधिकतम सीमा के भीतर समीक्षा बैठकों के दौरान जिलों की सिफारिशों के आधार पर तय किए गए थे। आगे, बताया गया कि राज्य संचालन समिति में नामित कुलपति ने राज्य कृषि विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया और इस प्रकार राज्य संचालन समिति स्तर पर आवश्यक हितधारकों को शामिल किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि जिला स्तर पर प्रस्ताव की प्राप्ति दर्शाने वाले अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, यह पाया गया कि राज्य कार्य योजना को सचिव द्वारा जिला स्तर के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य संचालन समिति के सभी हितधारकों को शामिल किए बिना अंतिम रूप दिया गया था, जैसा कि दिशानिर्देशों में परिकल्पित किया गया था।

3.2.7 कार्यक्रम का कार्यान्वयन

कार्यक्रम में हस्तक्षेप की चार व्यापक श्रेणियां शामिल थीं, अर्थात्; (i) चावल और गेहूं का ब्लॉक प्रदर्शन (ii) जल संरक्षण और उपयोग से युक्त परिसंपत्ति निर्माण गतिविधियां (iii) कृषि उद्देश्यों के लिए सिंचाई चैनलों/बिजली आपूर्ति के निर्माण/नवीनीकरण जैसे छोटे कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए साइट विशिष्ट गतिविधियां और (iv) कटाई के बाद का प्रबंधन।

3.2.7.1 ब्लॉक प्रदर्शन

इस योजना के अंतर्गत ब्लॉक प्रदर्शन एक प्रमुख घटक/हस्तक्षेप है, जिसके लिए 40 प्रतिशत निधि आवंटित की गई है। चावल के लिए विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों में चावल गहनता प्रणाली, प्रत्यक्ष बीजित चावल, हाईब्रिड चावल प्रौद्योगिकी, लाइन ट्रांसप्लांटिंग, स्ट्रेस टालरेन्स और प्रथाओं का बेहतर उपयोग शामिल है। विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों के अंतर्गत लक्ष्यों और उपलब्धियों की स्थिति **परिशिष्ट 3.2.2** में दी गई है। कुल चावल प्रदर्शनों का कम से कम 30 प्रतिशत क्रॉपिंग सिस्टम बेस्ड दृष्टिकोण के अंतर्गत आयोजित किया जाना आवश्यक था।

3.2.7.1 (i) चावल के प्रदर्शन क्षेत्र में कमी

वर्ष 2017-21 की अवधि के दौरान राज्य में बीजीआरईआई योजना के अंतर्गत चावल एवं गेहूं क्षेत्र प्रदर्शन के भौतिक और वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धि की स्थिति **तालिका 3.2.2** में दी गई है:

तालिका 3.2.2: वर्ष 2017–21 के दौरान राज्य में चावल एवं गेहूं के प्रदर्शन का लक्ष्य और उपलब्धि

वर्ष	चावल				गेहूं			
	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि
	(हेक्टेयर में)		(₹ करोड़ में)		(हेक्टेयर में)		(₹ करोड़ में)	
2017–18	49136	49136	44.42	44.42	6620	5533	4.97	3.62
2018–19	25205	25205	26.53	26.53	9211	9211	8.29	8.29
2019–20	28679	28579	31.58	31.58	10961	10961	9.86	9.86
2020–21	24157	24159	27.54	18.16	9561	9561	8.60	7.75
2021–22	0	0	0	0	0	0	0	0

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि चावल के प्रदर्शन क्षेत्र का भौतिक लक्ष्य वर्ष 2017–18 में 49,136 हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2020–21 में 24,157 हेक्टेयर (51 प्रतिशत) रह गया। इस अवधि के दौरान चावल के लिए वित्तीय परिव्यय भी ₹ 44.42 करोड़ से घटकर ₹ 27.54 करोड़ (38 प्रतिशत) रह गया। इसके अलावा, यह पाया गया कि वर्ष 2017–18 की तुलना में वर्ष 2019–20 में गेहूं के प्रदर्शन क्षेत्र में 66 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार, वर्ष 2017–20 के दौरान गेहूं के प्रदर्शन के लिए वित्तीय आबंटन में पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि की गई। वर्ष 2021–22 के दौरान योजना के अंतर्गत कोई आबंटन नहीं किया गया।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (जून 2023) कि भारत सरकार के आदेश द्वारा प्रदान की गई हस्तक्षेपवार स्वीकृतियों के अनुसार व्यय किया गया था।

हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय परिव्यय आम तौर पर कम हो गए थे जो दर्शाता है कि विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत चावल प्रदर्शन को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी गई थी।

3.2.7.1 (ii) अनुसूचित जातियों और महिला किसानों को प्राथमिकता दिए बिना लाभार्थियों का चयन

क्षेत्रों एवं लाभार्थियों की पहचान हेतु मानदंड के संबंध में बीजीआरईआई दिशानिर्देशों के खंड 12 के अनुसार, सामान्य, अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए विशेष घटक योजना और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए जनजातीय उपयोजना के लिए राज्य की आबादी में इन श्रेणियों के अनुपात के अनुसार निधि का आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा, कम से कम 33 प्रतिशत धनराशि छोटे और सीमांत किसानों के लिए निर्धारित की जाएगी और कम से कम 33 प्रतिशत धनराशि का प्रावधान महिला किसानों के लिए किया जाएगा।

तदनुसार, योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन संबंधित श्रेणियों (सामान्य, एससी, एसटी और महिला किसानों) में उसी अनुपात में किया जाना आवश्यक है जैसा कि निधि आवंटन के संबंध में दिशानिर्देशों में उल्लिखित है।

इसके अलावा, दिशानिर्देशों के खंड 14.3 के अनुसार, चावल और गेहूं के प्रत्येक क्लस्टर प्रदर्शन का आकार कम से कम 100 हेक्टेयर होगा। प्रत्येक भाग लेने वाले किसान के लिए, कम से कम 0.4 हेक्टेयर एवं अधिकतम दो हेक्टेयर क्षेत्र प्रदर्शन में शामिल किया जाएगा।

आठ चयनित जिलों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 54,225 हेक्टेयर भूमि वाले कुल 68,828 किसानों को ब्लॉक प्रदर्शन के लिए चयनित किया गया था, जैसा कि तालिका 3.2.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2.3: वर्ष 2017–21 के दौरान चयनित जिलों में ब्लॉक प्रदर्शन के लिए चयनित लाभार्थियों का विवरण

जिला	कुल चयनित किसान (संख्या में)	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कुल अनुसूचित जाति किसान (संख्या में) (प्रतिशत)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कुल अनुसूचित जनजाति किसान (संख्या में) (प्रतिशत)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कुल महिला किसान (संख्या में) (प्रतिशत)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
धमतरी	9620	9209	543(5.64)	532.35	3252(33.8)	2901.71	790(8.21)	639.16
कांकेर	5750	3500	325(5.65)	175.00	2651(46.1)	1750.00	522(9.07)	315.00
बालोद	5929	6350	443(7.47)	468.00	1981(33.41)	1893.00	626(10.55)	520.00
कोंडागांव	2746	2300	30(1.09)	23.40	1992(72.54)	1680.00	305(11.1)	268.45
जगदलपुर	2160	2700	—	—	1684(77.96)	2106.00	276(12.77)	220.80
बलरामपुर	17938	15166	145(0.8)	86.00	15787(88)	12542.00	280(1.56)	229.00
सूरजपुर	20090	9700	581(2.89)	278.00	9235(51.48)	4385.00	236(1.17)	262.00
दुर्ग	4595	5300	328(7.13)	387.30	364(7.92)	398.10	336(7.31)	269.00
कुल	68828	54225	2395(3.47)	1950.05	36946(53.67)	27655.81	3371(4.89)	2723.41

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि केवल 4.8 प्रतिशत महिला लाभार्थी किसानों को प्रदर्शन के लिए चयनित किया गया था। इसके अलावा, योजना में अनुसूचित जाति के किसानों का प्रतिनिधित्व केवल 3.5 प्रतिशत था, जो कुल जनसंख्या में उनके प्रतिनिधित्व (13 प्रतिशत) के अनुपात में नहीं था।

इस प्रकार, उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति और महिला किसानों की कम भागीदारी के कारण अनुसूचित जाति और महिला किसानों के लिए निर्धारित आवंटन प्राप्त नहीं किया जा सका।

विभाग द्वारा छोटे और सीमांत किसानों से संबंधित डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसलिए, डेटा के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार कुल निधि का आवश्यक 33 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों को आवंटित किया गया था।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (जून 2023) कि योजना को ग्राम पंचायतों की स्वीकृति के बाद लागू किया जा रहा है। व्यावहारिक रूप से 100 हेक्टेयर क्लस्टर प्रदर्शन में 30 प्रतिशत छोटे, सीमांत एवं महिला किसानों के पास खेती योग्य भूमि होना संभव नहीं है। इसलिए, यह मात्र संयोग था कि क्लस्टर प्रदर्शन में छोटे, सीमांत और महिला लाभार्थियों का प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशत के अनुपात में नहीं था।

तथ्य यह है कि अनुसूचित जाति एवं महिला किसानों का योजना के अंतर्गत पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था। इसके अलावा, प्रदर्शन के लिए उठाए गए छोटे और सीमांत किसानों का डेटा भी विभाग द्वारा संधारित नहीं किया गया था।

3.2.7.1 (iii) स्ट्रेस टालरेन्स किस्मों एवं क्रोपिंग सिस्टम बेस्ड दृष्टिकोण के अंतर्गत कवरेज

दिशानिर्देश के खंड 14.1 में चावल के लिए विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन जैसे कि चावल गहनता प्रणाली, प्रत्यक्ष बीजित चावल, हाईब्रिड चावल प्रौद्योगिकी, लाइन ट्रांसप्लांटिंग, स्ट्रेस टालरेन्स किस्मों और प्रथाओं का बेहतर उपयोग (किस्म, पोषक तत्व प्रबंधन, एकीकृत कीट प्रबंधन आदि) प्रदान किए गए हैं। चावल के प्रदर्शनों के लिए निर्धारित निधियों में से 30 प्रतिशत स्ट्रेस टालरेन्स किस्मों को बढ़ावा देने के लिए आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य को कुल चावल प्रदर्शनों का कम से कम 30 प्रतिशत क्रोपिंग सिस्टम बेस्ड दृष्टिकोण के अंतर्गत आयोजित करना चाहिए। इसका अर्थ है कि प्रदर्शनों को दूसरी फसल के रूप में गेहूं/मोटे अनाज/दलहन/तिलहन की खेती के माध्यम से चावल के परती क्षेत्रों का उपयोग करने के लिए भूमि के एक ही भूखंड पर फसल क्रम में आयोजित किया जाना है। स्ट्रेस टालरेन्स किस्मों के लिए सहायता की स्वीकृत दर वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 7,500 प्रति हेक्टेयर और वर्ष 2018-21 की अवधि के लिए ₹ 9,000 प्रति हेक्टेयर थी।

स्ट्रेस टालरेन्स किस्मों के प्रदर्शन के अंतर्गत वर्षवार निधि आवंटन **तालिका 3.2.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2.4: स्ट्रेस टालरेन्स प्रदर्शन के अंतर्गत निधि आवंटन का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सहायता के लिए मानदंड (₹ प्रति हेक्टेयर) (1)	क्लस्टर प्रदर्शन के अंतर्गत वित्तीय आवंटन (2)	स्ट्रेस टालरेन्स किस्मों	
			वित्तीय आवंटन (3)	कॉलम 2 के संबंध में प्रतिशत
2017-18	7500	44.42	11.25	25.21
2018-19	9000	26.53	1.89	7.12
2019-20	9000	31.58	8.55	27.07
2020-21	9000	27.53	3.6	13.08
कुल		130.06	25.29	19.44

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस अवधि के दौरान स्ट्रेस टालरेन्स किस्मों के लिए किया गया आवंटन 7-27 प्रतिशत के मध्य था, जो दिशानिर्देशों में निर्धारित 30 प्रतिशत के मानदंड से कम था।

क्रोपिंग सिस्टम बेस्ड दृष्टिकोण: आठ चयनित जिलों में अभिलेखों की जांच से पता चला कि वर्ष 2017-21 की अवधि के दौरान पांच जिलों, अर्थात् धमतरी, बलरामपुर, सूरजपुर, बालोद और दुर्ग में 20 में से 15 अवसरों पर क्रोपिंग सिस्टम बेस्ड दृष्टिकोण के अंतर्गत चावल का प्रदर्शन 5.56 से 27.27 प्रतिशत तक था, जैसा कि **परिशिष्ट 3.2.3** में दर्शाया गया है। इस प्रकार, क्रोपिंग सिस्टम बेस्ड दृष्टिकोण के अंतर्गत चावल प्रदर्शन के न्यूनतम 30 प्रतिशत के मानदंडों का पालन पांचों जिलों में नहीं किया गया, हालांकि राज्य स्तर पर विभाग ने क्रोपिंग सिस्टम बेस्ड दृष्टिकोण के लिए लक्ष्य हासिल कर लिया।

शासन (जून 2023) ने स्ट्रेस टालरेन्स किस्मों और क्रोपिंग सिस्टम बेस्ड दृष्टिकोण के बारे में कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

इस प्रकार, विभाग द्वारा स्ट्रेस टालरेन्स किस्मों और क्रोपिंग सिस्टम बेस्ड दृष्टिकोण के प्रदर्शन के संबंध में दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट मानदंडों का पालन नहीं किया गया।

3.2.7.2 हाइब्रिड बीजों का उत्पादन एवं वितरण

3.2.7.2 (i) हाइब्रिड बीजों के उत्पादन में कमी

बीजीआरआई दिशानिर्देशों के खंड 16 के अनुसार, राज्य में किसानों के खेतों पर पिछले 10 वर्षों में प्रचलित किस्मों के बीजों के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी)/राज्य बीज निगम/राज्य द्वारा अधिकृत निजी कंपनियों को सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत उच्च उपज देने वाली किस्मों (एचवाईवी) के लिए ₹ 2,000 प्रति क्विंटल और हाइब्रिड बीजों के लिए ₹ 10,000 प्रति क्विंटल की दर से सहायता प्रदान की जाएगी।

दस वर्षों से कम पुरानी किस्मों के बीज उत्पादन के लक्ष्य और उपलब्धियाँ तालिका 3.2.5 में दर्शायी गई हैं।

तालिका 3.2.5: दस वर्ष से कम पुरानी किस्मों का बीज उत्पादन

वर्ष	घटक	लक्ष्य		उसी वर्ष मार्च तक लक्ष्य उपलब्धि	
		भौतिक (क्विंटल में)	वित्तीय (₹ करोड़ में)	भौतिक (क्विंटल में)	वित्तीय (₹ करोड़ में)
2017-18	हाइब्रिड चावल (₹ 5000 प्रति क्विंटल या 75 प्रतिशत)	3000	1.50	0	0.00
	प्रमाणित बीज चावल (₹ 1000 प्रति क्विंटल या 75 प्रतिशत)	40525	4.05	30051	2.41
2018-19	हाइब्रिड चावल (₹ 10000 प्रति क्विंटल या 75 प्रतिशत)	500	0.50	100	0.00
	प्रमाणित बीज चावल (₹ 2000 प्रति क्विंटल या 75 प्रतिशत)	14080	2.82	31343	2.61
2019-20	हाइब्रिड चावल (₹ 10000 प्रति क्विंटल या 75 प्रतिशत)	360	0.36	0	0.00
	प्रमाणित बीज (₹ 2000 प्रति क्विंटल या 75 प्रतिशत)	17940	3.59	53689	3.13
2020-21	हाइब्रिड चावल (₹ 10000 प्रति क्विंटल या 75 प्रतिशत)	0	0.00	0	0.00
	प्रमाणित बीज (₹ 2000 प्रति क्विंटल या 75 प्रतिशत)	17210	3.44	34133	1.90

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

वर्ष 2017-21 के दौरान 3,860 क्विंटल लक्ष्य के विरुद्ध केवल 100 (2.5 प्रतिशत) क्विंटल हाइब्रिड चावल बीज का उत्पादन किया गया तथा पांच में से चार वर्षों में हाइब्रिड चावल का उत्पादन शून्य रहा। वर्ष 2020-21 में हाइब्रिड बीजों का लक्ष्य घटकर शून्य हो गया, जो विभाग द्वारा पहल की कमी को दर्शाता है। इसके अलावा यह भी देखा गया कि प्रमाणित बीजों के उत्पादन को हाइब्रिड बीजों की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी गई, जबकि हाइब्रिड बीजों की उत्पादकता प्रमाणित बीजों की तुलना में अधिक थी।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (जून 2023) कि चूंकि हाइब्रिड बीजों का उत्पादन अत्यधिक तकनीकी है, इसलिए किसान हाइब्रिड बीजों का उत्पादन करने में संकोच करते हैं। हालांकि, राज्य के एचवाईवी बीज (प्रमाणित बीज) किसानों के बीच अधिक लोकप्रिय थे; इसलिए, मांग के अनुसार प्रमाणित बीजों का उत्पादन किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने राज्य कार्य योजना को स्वीकृति देते समय (जून 2020) हाइब्रिड बीज के उत्पादन पर जोर दिया था। हालांकि, विभाग और कार्यान्वयन एजेंसी (छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड) ने किसानों के खेतों में हाइब्रिड किस्मों के बीज उगाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक पहल नहीं की।

3.2.7.2 (ii) हाइब्रिड बीजों का वितरण

दिशानिर्देशों के खंड 15 के अनुसार, बीज उत्पादक एजेंसियाँ जैसे कि एनएससी/राज्य बीज निगम/राज्य कृषि विश्वविद्यालय/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य द्वारा अधिकृत निजी कंपनियाँ चिन्हित जिलों में चावल और गेहूँ के उन बीजों का वितरण करेंगी जो 10 वर्षों से अधिक पुराने नहीं हैं। हाइब्रिड चावल के एचवाईवी बीज पर सहायता ₹ 100 प्रति किलोग्राम या लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, दी जाएगी। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 के लिए आवंटन आदेश में भारत सरकार द्वारा निर्देश दिया गया था कि हाइब्रिड चावल के बीजों के वितरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(अ) बीजीआरआई के अंतर्गत किसानों को हाइब्रिड बीज वितरण में कम उपलब्धि

वर्ष 2017-21 के दौरान 10 वर्षों से कम पुरानी किस्मों के बीजों के वितरण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तालिका 3.2.6 में दर्शाई गई है।

तालिका 3.2.6: दस वर्ष से कम पुरानी किस्मों का बीज वितरण

वर्ष	घटक	लक्ष्य		उपलब्धि	
		भौतिक (क्विंटल में)	वित्तीय (₹ करोड़ में)	भौतिक (क्विंटल में)	वित्तीय (₹ करोड़ में)
2017-18	हाइब्रिड चावल (₹ 5000 प्रति क्विंटल या 50 प्रतिशत)	5000	2.50	5000	2.50
	प्रमाणित बीज चावल (₹ 1000 प्रति क्विंटल या 50 प्रतिशत)	86050	8.61	86050	8.61
2018-19	हाइब्रिड चावल (₹ 10000 प्रति क्विंटल या 50 प्रतिशत)	4632	4.63	1667	1.21
	प्रमाणित बीज चावल (₹ 2000 प्रति क्विंटल या 50 प्रतिशत)	10000	2.00	54188	5.42
2019-20	हाइब्रिड चावल (₹ 10000 प्रति क्विंटल या 50 प्रतिशत)	2000	2.00	613	0.61
	प्रमाणित बीज (₹ 2000 प्रति क्विंटल या 50 प्रतिशत)	29480	5.90	67610	7.28
2020-21	हाइब्रिड चावल (₹ 10000 प्रति क्विंटल या 50 प्रतिशत)	1284	1.28	1085	0.46
	प्रमाणित बीज (₹ 2000 प्रति क्विंटल या 50 प्रतिशत)	28000	5.60	40279	3.54

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2017-18 को छोड़कर वर्ष 2017-21 की अवधि में हाइब्रिड बीजों के वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये। तथापि, वर्ष 2017-21 की अवधि में वितरित प्रमाणित बीजों की मात्रा उस घटक हेतु निर्धारित

लक्ष्य से 62 प्रतिशत अधिक थी। वर्ष 2018–19 में प्रमाणित बीजों का वितरण निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुआ। इस प्रकार, हाइब्रिड बीजों की तुलना में प्रमाणित बीजों के वितरण को वरीयता दी गई, जबकि फसल कटाई के परिणाम प्रमाणित बीजों की तुलना में हाइब्रिड बीज प्रदर्शन में अधिक उपज देते हैं।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (जून 2023) कि हाइब्रिड बीजों की तुलना में प्रमाणित बीजों की अधिक मांग के कारण प्रमाणित बीजों की आपूर्ति लक्ष्य से अधिक की गई। साथ ही, हाइब्रिड बीजों के प्रति किसानों में बढ़ती जागरूकता के कारण उन्होंने विभागीय योजनाओं के साथ-साथ अपने स्वयं के संसाधनों से भी हाइब्रिड बीजों की खरीद की।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2018–21 में हाइब्रिड बीजों के वितरण के लिए आवंटित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए यद्यपि भारत सरकार द्वारा हाइब्रिड बीजों के वितरण के लिए अधिक वरीयता देने के निर्देश दिये गये थे। इसके अलावा, जैसा कि उत्तर से स्पष्ट है, हाइब्रिड बीजों की मांग के बावजूद, किसानों ने अपने स्वयं के संसाधनों से बीज खरीदे, जबकि सरकार हाइब्रिड बीजों के वितरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी।

(ब) गुणवत्ता सुनिश्चित किए बिना अधिकृत एजेंसियों के बजाय निजी फर्मों से हाइब्रिड बीजों की अनियमित खरीद

विभाग ने जिले में योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रतिवर्ष लक्ष्य आवंटित करते हुए निर्देश दिए हैं कि बीज की सभी खरीद बीज निगम/मार्कफेड/प्राथमिक सहकारी समितियों से समय पर की जाए, ताकि आवश्यक गुणवत्ता परीक्षण के बाद बुआई के मौसम से पहले किसानों को बीज उपलब्ध कराया जा सके।

उप संचालक, कृषि, सूरजपुर और जगदलपुर कार्यालयों के अभिलेखों की जांच से पता चला है कि वर्ष 2018–21 की अवधि के दौरान दोनों जिलों ने उपरोक्त अनुदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निजी स्थानीय फर्मों से क्रमशः 502 क्विंटल और 147 क्विंटल चावल के हाइब्रिड बीज खरीदे थे, जिसके लिए फर्म/किसानों को ₹ 0.61 करोड़ का अनुदान भुगतान किया गया था। किसानों को बीज वितरित करने से पहले निजी फर्मों से खरीदे गए हाइब्रिड बीजों की गुणवत्ता की जांच नहीं की गई थी।

शासन ने उत्तर दिया (जून 2023) कि चूंकि बीज निगम, जगदलपुर एवं सूरजपुर ने बताया कि शासन द्वारा अधिकृत एजेंसी अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड हाइब्रिड बीज की आपूर्ति करने के लिए सहमत नहीं है, इसलिए स्थानीय स्तर पर पंजीकृत निजी फर्म से बीज क्रय किया गया।

उत्तर से पता चलता है कि आवश्यक गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित किये बिना निजी फर्म से बीज खरीदने के कारण हाइब्रिड बीजों की खरीद और वितरण को मानकों के अनुसार सुनिश्चित नहीं किया गया था।

3.2.7.3 परिसंपत्ति निर्माण

3.2.7.3 (i) परिसंपत्ति निर्माण में अपर्याप्त व्यय से कृषि उपकरणों में तकनीकी प्रगति की पूर्ति नहीं होना

योजना दिशानिर्देशों के खंड 13.1 में कहा गया है कि विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए आवंटित कुल निधियों का 20 प्रतिशत परिसंपत्ति निर्माण हस्तक्षेपों (कृषि मशीनरी और सिंचाई उपकरणों) के लिए किया जाना चाहिए। वर्ष 2017–21 के दौरान परिसंपत्ति निर्माण पर किए गए निधि आवंटन और व्यय का विवरण **तालिका 3.2.7** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.2.7: परिसंपत्ति निर्माण के लिए निधि आवंटन और व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	योजना के अंतर्गत कुल आवंटन	परिसंपत्ति निर्माण पर आवंटन	परिसंपत्ति निर्माण पर व्यय (उपलब्धि)	कुल आवंटन में परिसंपत्ति निर्माण के आवंटन का प्रतिशत	कुल आवंटन में परिसंपत्ति निर्माण पर व्यय का प्रतिशत
चावल					
2017-18	111.05	21.01	15.10	18.92	13.60
2018-19	65.30	9.95	9.95	15.23	15.23
2019-20	78.95	11.85	11.85	15.01	15.01
2020-21	68.84	10.32	9.69	14.99	14.08
कुल	324.14	53.13	46.59	16.39	14.37
गेहूँ					
2017-18	7.25	1.45	0.08	20	1.08
2018-19	16.58	3.32	3.32	20	20.00
2019-20	19.73	3.95	3.95	20	20.00
2020-21	17.21	3.44	0.58	20	3.37
कुल	60.77	12.16	7.93	20.01	13.05
कुल योग	384.91	65.29	54.52	16.96	14.16

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2017-21 की अवधि के दौरान चावल हस्तक्षेप घटक के अंतर्गत परिसंपत्ति निर्माण के लिए आवंटन 20 प्रतिशत के निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं किया गया था। यद्यपि, औसत निधि उपयोग 87 प्रतिशत था, वर्ष 2017-21 के दौरान योजना के अंतर्गत कुल आवंटन में से परिसंपत्ति निर्माण के लिए किया गया व्यय 13 से 15 प्रतिशत के बीच था जो कि दिशानिर्देशों के अनुसार 20 प्रतिशत के वांछित आवंटन से कम था। गेहूँ के लिए वर्ष 2017-21 की अवधि के दौरान आवंटन 20 प्रतिशत के निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया गया था। हालांकि, आवंटित निधि के विरुद्ध औसत निधि उपयोग 65 प्रतिशत था, कुल आवंटन में से व्यय क्रमशः वर्ष 2017-18 और 2020-21 में 1.08 प्रतिशत और 3.37 प्रतिशत था जो कि निर्धारित मानदंडों से बहुत कम था।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (जून 2023) कि भारत सरकार ने समय-समय पर राज्य सरकार के परिसंपत्ति निर्माण पर व्यय में कमी और स्थल विशेष गतिविधियों पर व्यय में वृद्धि से संबंधित प्रस्तावों एवं उसी प्रकार से राज्य कार्य योजना को अनुमोदित किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समीक्षा किए गए किसी भी वर्षों (चावल के लिए वर्ष 2017-18 को छोड़कर) में परिसंपत्ति निर्माण हस्तक्षेप के लिए निधि का आवंटन मानदंडों को पूरा नहीं करता था और यहां तक कि इस आवंटन का विभाग द्वारा पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका।

3.2.7.3 (ii) उन्नत प्रौद्योगिकी-आधारित बिजली संचालित उपकरणों के बजाय मैनुअल उपकरणों का वितरण

बीजीआरईआई दिशानिर्देशों के खंड 18 के अनुसार, परिसंपत्ति निर्माण हस्तक्षेप में कृषि मशीनरी और कोनो-वीडर, मैनुअल/पावर स्प्रेयर आदि जैसे उपकरणों के लिए मानदंडों के अनुसार सहायता शामिल होगी।

छत्तीसगढ़ कृषि-यंत्रीकरण और सूक्ष्म सिंचाई निगरानी प्रक्रिया प्रणाली (चैम्प्स) (अप्रैल 2017) के माध्यम से वितरण की नई व्यवस्था के अनुसार, किसान जो योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उसे खुद या कृषि अधिकारियों की मदद से आवश्यक रूप से पंजीकृत होना है और ऑनलाइन मोड के माध्यम से बीज विकास निगम की वेबसाइट पर पंजीकृत विनिर्माण कंपनी/वितरक/अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से खरीदी करनी है। इसके अलावा, विभाग चैम्प्स के माध्यम से कृषि उपकरणों की खरीद के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार था।

संचालक, कृषि के कार्यालय में अभिलेखों की जांच से पता चला कि किसानों के लिए बीज ड्रिल, रोटोवेटर, स्व-चालित धान ट्रांसप्लांटर, पावर नैपसैक स्प्रेयर, पावर वीडर, धान थ्रेशर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, लेजर लैंड लेवलर, पावर टिलर, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, एमबी प्लो, लेवलर ब्लेड आदि जैसे बिजली संचालित उपकरणों की खरीद और वितरण के लिए वर्ष 2017-21 के दौरान किए गए ₹ 11 करोड़ के कुल वित्तीय आवंटन के मुकाबले केवल ₹ 0.88 करोड़ (8 प्रतिशत) का व्यय इस उद्देश्य के लिए किया गया था, जबकि इसी अवधि में ₹ 3.61 करोड़ (70 प्रतिशत) का व्यय चावल के संबंध में मैनुअल रूप से संचालित उपकरणों जैसे कोनो-वीडर, मैनुअल स्प्रेयर के लिए कुल लक्ष्य से अधिक था जैसा कि तालिका 3.2.8 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.2.8: बिजली संचालित और मैनुअल उपकरणों का वितरण

वर्ष	बिजली संचालित				मैनुअल रूप से संचालित			
	लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि	
	भौतिक (संख्या में)	वित्तीय (₹ करोड़ में)	भौतिक (संख्या में)	वित्तीय (₹ करोड़ में)	भौतिक (संख्या में)	वित्तीय (₹ करोड़ में)	भौतिक (संख्या में)	वित्तीय (₹ करोड़ में)
2017-18	5192	9.51	36	0.06	50000	3.00	94602	5.67
2018-19	0	0	0	0	17800	0.95	37990	2.19
2019-20	872	0.85	872	0.73	7750	0.78	7550	0.74
2020-21	503	0.64	231	0.09	3795	0.40	2325	0.14
कुल	6567	11.00	1139	0.88	79345	5.13	142467	8.74

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

इस प्रकार, मैनुअल रूप से संचालित उपकरणों को बिजली संचालित उपकरणों पर प्राथमिकता दी गई थी और इसलिए, मैनुअल रूप से संचालित उपकरणों को अधिक संख्या में वितरित किया गया था, जैसा कि परिशिष्ट 3.2.4 में दर्शाया गया है, जो किसानों को चैम्प्स के माध्यम से बिजली संचालित कृषि उपकरणों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभाग की नीति के विरुद्ध था।

इसके अलावा, आठ चयनित जिलों की जांच से पता चला कि उप संचालक, कृषि कार्यालयों ने कृषि उपकरणों की खरीद के लिए दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया था। चावल के संबंध में कृषि उपकरणों जैसे कोनोवीडर, मैनुअल नैपसैक स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर आदि की खरीद के लिए निर्धारित ₹ 8.92 करोड़ के लक्ष्यों में से केवल

₹ 1.95 करोड़ (22 प्रतिशत) खर्च किया गया था। इस प्रकार, जिला स्तर पर उपकरणों की खरीद में ₹ 6.97 करोड़ (78 प्रतिशत) की कमी थी।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (जून 2023) कि किसानों को बीजीआरईआई के अलावा अन्य योजनाओं से मैनुअल/बिजली संचालित उपकरण वितरित किए गए थे। इसके अलावा, नई प्रणाली (चैम्प्स) के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से बीज विकास निगम के माध्यम से बिजली संचालित उपकरणों का वितरण किया जाना था, लेकिन ऑनलाइन मोड के माध्यम से कम आवेदन प्राप्त होने के कारण, जिला कार्यालयों के माध्यम से मैनुअल संचालित उपकरणों का वितरण किया गया था। इसके अलावा, राज्य में 80 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत थे और वे बिजली संचालित मशीनों में कम रुचि दिखाते हैं।

हालांकि, विभाग ने बिजली संचालित उपकरणों के वितरण का लक्ष्य हासिल नहीं किया क्योंकि बिजली संचालित उपकरणों की खरीद पर केवल आठ प्रतिशत व्यय किया गया था।

3.2.8 फसल कटाई के बाद प्रबंधन और विपणन सुविधाओं पर कम व्यय

बीजीआरईआई दिशानिर्देशों के खंड 13.1 के अनुसार, योजना के कार्यान्वयन के लिए आवंटित कुल निधियों का पांच प्रतिशत विपणन सहायता और फसल कटाई के बाद के प्रबंधन के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, दिशानिर्देशों के खंड 20 के अनुसार, विपणन सहायता घटक सहायता के अंतर्गत उन गतिविधियों के लिए प्रदान की जाएगी जो खरीद में वृद्धि, भंडारण सुविधा के निर्माण, विपणन और मूल्य संवर्धन में मदद करेंगी। इन गतिविधियों में प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधाओं का संवर्धन/निर्माण (सूखना, ग्रेडिंग, धान की पार बॉयलिंग और बैगिंग आदि) जिसमें फार्म स्तर का भंडारण, संस्था निर्माण, खरीद संचालन/विपणन के लिए लिंकेज शामिल है।

लेखापरीक्षा से पता चला कि राज्य सरकार ने वर्ष 2017-21 के दौरान विपणन सहायता और फसल कटाई के बाद प्रबंधन के अंतर्गत ₹ 15.23 करोड़ का आवंटन किया था। विपणन सहायता और फसल कटाई के बाद प्रबंधन पर किए गए निधि आवंटन और व्यय का विवरण तालिका 3.2.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2.9: विपणन सहायता और कटाई उपरांत प्रबंधन के अंतर्गत निधि आवंटन और उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य कार्य योजना के अनुसार योजना के अंतर्गत आवंटित कुल निधि	राज्य कार्य योजना के अनुसार विपणन सहायता के अंतर्गत आवंटित निधि	राज्य कार्य योजना के अनुसार आवंटित निधि का प्रतिशत	विपणन सहायता के अंतर्गत किया गया व्यय	आवंटित निधि के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत
2017-18	118.30	5.55	4.69	5.55	100
2018-19	81.88	2.30	2.80	1.07	46.52
2019-20	98.68	3.94	3.99	1.79	45.43
2020-21	86.05	3.44	4.00	1.22	35.47
2021-22	0	0	0.00	0	0
कुल	384.91	15.23	3.96	9.63	63.23

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान अनुमोदित राज्य कार्य योजना के अंतर्गत योजना के लिए आवंटित ₹ 384.91 करोड़ की कुल निधि में से केवल ₹ 15.23 करोड़ (3.96 प्रतिशत) विपणन सहायता और फसल कटाई के बाद प्रबंधन के लिए आवंटित किया गया था। इस प्रकार, विपणन सहायता और फसल कटाई के बाद प्रबंधन गतिविधियों के लिए ₹ 4.01 करोड़ (1.04 प्रतिशत) का कम आवंटन हुआ था।
- ₹ 15.23 करोड़ की आवंटित निधि के मुकाबले, वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान विपणन सहायता और फसल कटाई के बाद प्रबंधन गतिविधियों पर ₹ 9.63 करोड़ का व्यय किया गया था, जो दिशानिर्देशों में निर्धारित पांच प्रतिशत के मानदंडों के मुकाबले कुल निधि का केवल 2.5 प्रतिशत था।
- विपणन गतिविधियों के लिए ₹ 15.23 करोड़ की आवंटित निधि में से, विभाग द्वारा ₹ 9.63 करोड़ का व्यय किया गया था। जिनमें से, विभाग ने वर्ष 2017-22 अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक (शीर्ष बैंक) को ₹ 9.27 करोड़ (96 प्रतिशत) की धनराशि सहकारी समितियों के लिए बीज और उर्वरकों के भंडारण के लिए गोदामों के निर्माण के उनके प्रस्ताव पर हस्तांतरित की थी। शेष धनराशि ₹ 2.28 करोड़ (15 प्रतिशत) को लघु चावल मिलों की खरीद के लिए जिला कार्यालयों को आवंटित की गई थी, जो वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान फसल कटाई के बाद प्रबंधन गतिविधियों से सीधे संबंधित थी।
- शेष निधियों के जारी न होने के कारण, वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान 182 मिनी चावल मिलों की खरीद के लिए जिला कार्यालय को आवंटित ₹ 2.28 करोड़ में से जिले द्वारा केवल ₹ 0.36 करोड़ व्यय 130 मिनी राइस मिलों की खरीद पर किया जा सका।

इस प्रकार, विभाग ने इस योजना के अंतर्गत राज्य में कटाई उपरांत प्रबंधन और विपणन सुविधाओं का पर्याप्त विकास नहीं किया, क्योंकि इस उद्देश्य के लिए आवंटित कुल धनराशि के पांच प्रतिशत से भी कम धनराशि निर्धारित की गई थी।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (जून 2023) कि वर्ष 2017-21 की अवधि के दौरान एपेक्स बैंक को दिए गए 85 गोदामों के निर्माण के लक्ष्य में से 68 गोदामों को पूरा किया गया और सोसायटी अपनी आवश्यकता के लिए उनका उपयोग कर रही हैं। आवंटन का पुनर्वैधीकरण न होने के कारण अभी तक 17 गोदामों का निर्माण शुरू नहीं हुआ था।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि कटाई उपरांत प्रबंधन और विपणन सुविधाओं पर आवंटन दिशानिर्देशों में निर्धारित निर्दिष्ट प्रतिशत के अनुरूप नहीं था।

3.2.9 योजना के अंतर्गत उत्पादन/उत्पादकता की स्थिति

3.2.9.1 योजना के अंतर्गत उत्पादकता की स्थिति

इस कार्यक्रम का लक्ष्य नवीनतम फसल तकनीकों को अपनाते हुए पूर्वी भारत में चावल के उत्पादन को बढ़ाना है। वर्ष 2017-21 की अवधि के दौरान राज्य में बीजीआरईआई योजना के अंतर्गत चावल और गेहूँ के लिए प्रदर्शन के अंतर्गत लिया गया क्षेत्र, उत्पादन और संबंधित उत्पादकता को **तालिका 3.2.10** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.2.10: बीजीआरआई योजना के अंतर्गत उत्पादकता की स्थिति

वर्ष	बीजीआरआई के अंतर्गत क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में	उत्पादन हजार मीट्रिक टन में	उत्पादकता किग्रा/हेक्टेयर	उत्पादकता में प्रतिशत वृद्धि
चावल				
2016-17	1914.28	4381.98	2289	.
2017-18	1915.00	2635.32	1376	(-)-39.89
2018-19	1971.57	3807.41	1931	40.33
2019-20	1967.04	4248.30	2160	11.85
2020-21	1951.33	4721.56	2420	12.03
गेहूँ				
2016-17	88.61	135.37	1528	.
2017-18	83.05	116.87	1407	(-) 7.91
2018-19	88.43	148.57	1680	19.40
2019-20	98.21	111.12	1131	(-)32.67
2020-21	128.92	217.17	1685	48.98

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-21 के दौरान राज्य स्तर पर चावल और गेहूँ का उत्पादन मामूली रूप से बढ़ा। इसके अलावा, वर्ष 2017-18 के दौरान चावल की उत्पादकता में कमी आई जबकि पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2017-18 और 2019-20 में गेहूँ की उत्पादकता में कमी आई। वर्ष 2020-21 में 2017-18 की तुलना में 14 जिलों में से पांच जिलों¹⁵ में चावल की जिला स्तर की उत्पादकता 0.47 प्रतिशत और 16.04 प्रतिशत के बीच घट गई, जैसा कि **परिशिष्ट 3.2.5** में दर्शाया गया है।

इसके अलावा, राज्य में बीजीआरआई योजना के कार्यान्वयन के बाद भी, चावल और गेहूँ (किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) की उत्पादकता इन फसलों की राष्ट्रीय उत्पादकता से बहुत कम थी, जैसा कि **तालिका 3.2.11** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.2.11: राष्ट्रीय औसत की तुलना में चावल और गेहूँ की उत्पादकता

वर्ष	फसलों का नाम	क्षेत्र (हजार हेक्टेयर में)	उत्पादन (हजार मीट्रिक टन)	प्रति हेक्टेयर उपज (राष्ट्रीय औसत) (किग्रा/हेक्टेयर में)	उत्पादकता (राज्य) (किग्रा/हेक्टेयर में)	उत्पादकता में कमी (किग्रा/हेक्टेयर में)	राष्ट्रीय औसत की तुलना में उत्पादकता में कमी का प्रतिशत
2017-18	चावल	3711.48	4725.54	2576	1967	609	23.64
	गेहूँ	162.66	221.37	3368	1361	2007	59.59
2018-19	चावल	3817.00	6963.89	2638	1824	814	30.85
	गेहूँ	166.33	278.12	3533	1672	1861	52.67
2019-20	चावल	3876.13	7755.32	2722	2001	721	26.48
	गेहूँ	181.60	207.28	3440	1141	2299	66.83
2020-21	चावल	3903.92	8946.30	2717	2292	425	15.64
	गेहूँ	227.06	368.27	3521	1622	1899	53.93
2021-22	चावल	3899.34	8347.99	—	2141	—	—
	गेहूँ	219.68	274.88	—	1251	—	—

(स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 और विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुमान पर आधारित डेटा)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय उत्पादकता की तुलना में छत्तीसगढ़ में चावल (किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) की उत्पादकता में कमी थी, जो वर्ष 2017-21 की अवधि के दौरान चावल और गेहूँ के लिए क्रमशः 15 से 30 प्रतिशत और

¹⁵ महासमुंद, जांजगीर-चांपा, सरगुजा, सूरजपुर और कोंडागांव

52 से 67 प्रतिशत के बीच थी। इसलिए, राज्य में राष्ट्रीय औसत की तुलना में उत्पादकता की स्थिति उत्साहजनक नहीं थी।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (जून 2023) कि योजना का उद्देश्य बेहतर प्रौद्योगिकियों और उच्च उपज वाले इनपुट के साथ कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाना था। चूंकि राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित खेती पर निर्भर करती है, इसलिए खेती का उत्पादन या उत्पादकता भारी बारिश और सूखा से प्रभावित होती है। इसके अलावा, राज्य में कृषि भूमि की सिंचाई एक कृषि भूमि से दूसरी कृषि भूमि में पानी के प्रवाह द्वारा की जाती है, और इसलिए उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले इनपुट पानी के प्रवाह से बह जाते हैं जिससे उत्पादकता प्रभावित होती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उच्च उपज वाली हाइब्रिड बीज किस्मों के आवंटन को प्राथमिकता नहीं दी गई थी एवं जलवायु तनाव का सामना करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा दिशानिर्देश में निर्धारित स्ट्रेस टालरेन्स किस्मों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रदान नहीं किया गया था।

3.2.10 वित्तीय प्रबंधन

बीजीआरआई एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें भारत सरकार और राज्यों के मध्य वित्त पोषण का अनुपात क्रमशः 60:40 है तथा राज्य सरकार के बजट के माध्यम से निधियों को जारी किया जाता है। प्रत्येक राज्य कार्य योजना को राज्य के परामर्श से भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा/अनुमोदित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजनाओं को राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एसएलएससी) द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होगा। अनुमोदित राज्य कार्य योजना के अनुसार निधियों की आवश्यकता का विवरण, केंद्र और राज्य के हिस्से के रूप में प्राप्त निधि और वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान किए गए व्यय का विवरण **तालिका 3.2.12** में दर्शाया गया है:

3.2.10.1 वित्तीय परिव्यय और व्यय

वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान बीजीआरआई योजना के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता और उपयोग **तालिका 3.2.12** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.2.12: वित्तीय परिव्यय और व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य कार्य योजना के अनुसार स्वीकृत वित्तीय परिव्यय		प्रारंभिक शेष	वर्ष में जारी केंद्रीय हिस्सा	वर्ष में जारी राज्य का हिस्सा	वर्ष में कुल उपलब्धता	कुल व्यय	अंतिम शेष	निधि उपयोग का प्रतिशत
	केंद्र	राज्य							
2017-18	70.98	47.32	31.09	59.26	39.51	129.86	110.3	19.56	84.94
2018-19	49.13	32.75	19.56	56.49	37.66	113.71	54.31	59.40	47.76
2019-20	59.21	39.47	59.40	63.57	42.38	165.35	97.51	67.84 ¹⁶	58.97
2020-21	51.63	34.42	61.74	37.07	24.71	123.52	112.98	10.54	91.47
2021-22	0.00	0.00	10.54	0.00	0	10.54	7.16	3.37	67.93
कुल				216.39	144.26		382.26		

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आकड़े तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

¹⁶ अंतिम शेष 2019-20, ₹ 67.84 करोड़ – ₹ 6.10 करोड़ (2017-18 के अव्ययित शेष से भारत सरकार द्वारा निकाली गई धनराशि) = ₹ 61.74 करोड़

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- विभाग वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान संबंधित वर्षों में उपलब्ध निधियों का 47-91 प्रतिशत उपयोग कर सका।
- वर्ष 2017-18 के लिए जारी की गई निधियों में से, वर्ष 2020-21 तक ₹ 6.10 करोड़ (केंद्रांश और राज्यांश हिस्सेदारी) का उपयोग नहीं किया जा सका और इसे वर्ष 2020-21 के लिए जारी निधि में समायोजित किया गया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2017-18 के लिए स्वीकृत वित्तीय परिव्यय से ₹ 6.10 करोड़ की कटौती हुई।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में ₹ 3.37 करोड़¹⁷ की अप्रयुक्त राशि अभी भी राज्य सरकार के पास शेष थी।
- भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए अनुमोदित वित्तीय परिव्यय के अनुसार ₹ 14.56 करोड़ का केंद्रांश विमुक्त नहीं किया। तदनुसार, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ₹ 9.70 करोड़ का अपना अंश भी जारी नहीं किया गया। इस प्रकार, योजना के अंतर्गत ₹ 24.26 करोड़ की राशि कम विमुक्त हुई।
- वर्ष 2021-22 के दौरान, भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के साथ बीजीआरईआई योजना के सम्मिलित किये जाने के कारण योजना के अंतर्गत कोई आवंटन प्रदान नहीं किया गया।
- आठ जिलों में जांच में यह पाया गया कि अवधि वर्ष 2017-22 के दौरान, जिलों द्वारा आवंटित निधि का केवल 69 से 88 प्रतिशत उपयोग किया जा सका।

इस प्रकार, विभाग ने वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए आवंटित निधि का पूरा उपयोग नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा वित्तीय परिव्यय में कमी आई और निधि कालातीत हो गई जिसने राज्य में योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (जून 2023) कि भारत सरकार द्वारा निधि जारी करने में विलंब के परिणामस्वरूप हस्तक्षेपों का कम निष्पादन और कार्यों को समय पर पूरा नहीं किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने आवंटित निधि की उपलब्धता के बावजूद उसका उपयोग नहीं किया और व्यय नहीं की गई धनराशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में शेष थी। विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में देरी के कारण भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति में देरी हुई।

3.2.10.2 भारत सरकार के आदेशों के विरुद्ध कार्यालय व्यय पर ₹ 0.68 करोड़ का अनियमित व्यय

भारत सरकार ने राज्य को योजना की निगरानी और मूल्यांकन पर वर्ष 2017-18 के लिए कुल वित्तीय परिव्यय का एक प्रतिशत उपयोग करने की अनुमति दी थी (अक्टूबर 2017)।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि उपरोक्त आदेशों के अनुसार विभाग ने वर्ष 2017-18 के लिए संशोधित राज्य कार्य योजना में ₹ 1.18 करोड़ की राशि "आकस्मिकता" पर कुल आवंटन के एक प्रतिशत के लिए प्रावधान किया था, जिसे एसएलएससी द्वारा अनुमोदित किया गया था। वर्ष 2017-18 में "आकस्मिकता" पर

¹⁷ ₹ 3.37 करोड़ (वर्ष 2018-19 से संबंधित अप्रयुक्त राशि ₹ 1.22 करोड़ और वर्ष 2019-20 से संबंधित ₹ 2.15 करोड़)

व्यय के लिए स्वीकृत ₹ 1.18 करोड़ में से, वर्ष 2018-19 में इस उद्देश्य के लिए केवल ₹ 99.95 लाख जारी किए गए थे। जारी की गई राशि में से विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में ₹ 41.51 लाख, वर्ष 2019-20 में ₹ 55.91 लाख और वर्ष 2020-21 में ₹ 2.54 लाख व्यय किए गए। कुल व्यय में से ₹ 32.25 लाख (सितंबर-नवंबर 2018) बीजीआरईआई योजना की निगरानी और मूल्यांकन के लिए खर्च किए गए थे और शेष व्यय ₹ 67.70 लाख उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए कार्यालय व्यय जैसे स्टेशनरी, प्रिंटर टोनर आदि की खरीद पर किया गया था, जो कि अनियमित था।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (जून 2023) कि भारत सरकार ने राज्य कार्य योजना में 'आकस्मिकता' शीर्ष से व्यय को स्वीकृति दी थी और तदनुसार राशि 'निगरानी और मूल्यांकन', कार्यशालाओं और प्रशासनिक खर्चों पर व्यय किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसएलएससी ने अपनी बैठक में योजना की निगरानी और मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञों को काम पर रखने के लिए राशि को स्वीकृति दी थी, न कि कार्यालय के खर्चों के लिए जिसके लिए विभाग के सामान्य बजट के माध्यम से निधि आवंटित की गई थी।

3.2.10.3 निजी फर्म को सूक्ष्म पोषक तत्व और मृदा सुधारकों की खरीद के लिए ₹ 0.42 करोड़ की सब्सिडी राशि जारी करना

योजना दिशानिर्देशों के खंड 17.1 और 17.2 के अनुसार, माइक्रो-न्यूट्रिएंट/संयंत्र संरक्षण उपायों की खरीद के लिए ₹ 500 प्रति हेक्टेयर या लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, की दर से सहायता प्रदान की जाएगी।

राज्य सरकार ने अप्रैल 2010 के अपने आदेश के अंतर्गत किसानों को उनकी जरूरतों के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों और मृदा सुधारकों की खरीद के लिए सब्सिडी देने की प्रक्रिया निर्धारित की थी। आदेश के अनुसार, किसानों को स्थानीय पंजीकृत डीलरों से सूक्ष्म पोषक तत्व खरीदने और मार्कफेड, नेफेड, इफको और कृभको जैसी सहकारी एजेंसियों के माध्यम से सब्सिडी का दावा करने की अनुमति दी गई थी। आदेश में इस बात पर जोर दिया गया कि विभाग द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं खरीदे जाएंगे और सब्सिडी राशि पंजीकृत निजी विक्रेताओं के बजाय लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2017-18 में, उप संचालक, कृषि सूरजपुर ने निजी फर्मों से सीधे सूक्ष्म पोषक और मृदा सुधारक खरीदे थे और किसानों को वितरित किए थे और निजी फर्म को ₹ 0.42 करोड़ सब्सिडी का भुगतान किया था। इस प्रकार, किसानों को पंजीकृत डीलरों से सूक्ष्म पोषक तत्व खरीदने की अनुमति देने के बजाय, उप संचालक, कृषि ने इसे सीधे निजी एजेंसियों से खरीदा और किसानों के बजाय निजी एजेंसियों को सहायता की राशि हस्तांतरित की। यह राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन था।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (जून 2023) कि उप संचालक, कृषि सूरजपुर से स्पष्टीकरण मांगा गया था। उत्तर प्राप्त होने के बाद, योग्यता के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और उसे नियत समय में लेखापरीक्षा को अलग से सूचित किया जाएगा।

3.2.11 शासन, निगरानी और मूल्यांकन**3.2.11.1 उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में देरी**

योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा केंद्रीय शेयर जारी करने के लिए स्वीकृति आदेश के अनुसार राज्य सरकार/नोडल कार्यान्वयन एजेंसी को धन उपयोग¹⁸ पर प्रतिवेदन करना और उस वित्तीय वर्ष के अंत में जिसमें अनुदान जारी किया गया था निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था।

वर्ष 2017-21 की अवधि के दौरान निधि के उपयोग और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति **तालिका 3.2.13** में दर्शाया गया है:

तालिका: 3.2.13: निधियों के उपयोग तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलंब

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आदेशों के अनुसार भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि	भारत सरकार को अंतिम उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	जारी की गई राशि	व्यय	भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलंब (महीनों में)
2017-18	1.4.2018	27.05.2021	118.30	112.20	38
2018-19	1.4.2019	28.04.2023	81.88	80.66	49
2019-20	1.4.2020	27.05.2021	98.68	96.54	14
2020-21	1.4.2021	28.04.2023	61.79	61.79	25

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि विभाग उस विशिष्ट वर्ष में योजना के लिए आवंटित धन का उपयोग नहीं कर सका, जिसका उपयोग बाद के वर्षों में किया गया था। परिणामस्वरूप, 2017-21 की अवधि के दौरान भारत सरकार को संबंधित वर्षों के अंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में 14 से 49 महीने तक की अत्यधिक देरी हुई।

शासन (जून 2023) द्वारा लेखापरीक्षा कंडिका पर कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई।

3.2.11.2 राज्य और जिला स्तर पर निगरानी दल

योजना दिशानिर्देशों के खंड 5.1 के अनुसार, कार्यक्रम की गतिविधियों की निगरानी के लिए प्रत्येक राज्य के लिए राष्ट्रीय स्तरीय निगरानी टीमों का गठन किया जाएगा। फसल के मौसम में टीम कम से कम एक बार राज्यों का दौरा करेगी और राज्य के कृषि उत्पादन आयुक्त को प्रतिवेदन सौंपेगी। इसके अलावा, खंड 5.2 के अनुसार, जिला कृषि अधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय निगरानी टीम (डीएलएमटी) की स्थापना की जाएगी। फसल के मौसम में टीम तीन बार यानी एक फसल बुआई से पहले, दूसरा फसल काल के मध्य में, और तीसरा फसल कटाई के समय दौरा करेगा और संबंधित राज्य के कृषि संचालक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि हालांकि राज्य में राष्ट्रीय स्तरीय निगरानी टीम का गठन किया गया था, तथापि, वर्ष 2017-18 को छोड़कर टीम की आवश्यक दौरा

¹⁸ चालू वित्त वर्ष के दौरान नई परियोजनाओं/पुरानी चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन को मंजूरी देने वाले एसएलएससी के कार्यवृत्त प्राप्त होने पर भारत सरकार द्वारा राज्य को पहली किस्त के रूप में वार्षिक आवंटन का पचास प्रतिशत जारी किया जाएगा। पचास प्रतिशत की दूसरी और अंतिम किस्त जारी करने से पहले पिछले वित्तीय वर्ष तक जारी धन के 100 प्रतिशत खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र, पहली किस्त में जारी 60 प्रतिशत धन के उपयोग और प्रदर्शन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर विचार किया जाएगा।

और फसल के मौसम में एक बार कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी) को प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसी तरह, फसल के मौसम में बुआई से पहले मौसम के मध्य और कटाई के समय में जिला स्तरीय निगरानी टीम के दौरा और कृषि संचालक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की जानकारी अभिलेखों में नहीं पाया गया था।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (जून 2023) कि राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा समय-समय पर विभिन्न योजनाओं की प्रगति और लक्ष्यों की समीक्षा की गई थी। जिला स्तर पर बीजीआरआई सहित विभाग की प्रत्येक योजना की समीक्षा कलेक्टर द्वारा साप्ताहिक बैठकों में की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगरानी टीम के दौरा का अंतराल बीजीआरआई दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं था।

3.2.12 निष्कर्ष

भारत सरकार ने वर्ष 2021–25 की अवधि के लिए बीजीआरआई उप-योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के साथ शामिल किया। राज्य संचालन समिति की बैठकें सभी हितधारकों को शामिल करके राज्य कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए निर्धारित आवृत्ति के अनुसार आयोजित नहीं की गई थीं। वर्ष 2018–21 की अवधि के दौरान चावल के प्रदर्शन क्षेत्र का भौतिक लक्ष्य 51 प्रतिशत कम हो गया। वर्ष 2017–21 के दौरान स्ट्रेस टालरेन्स किस्मों के लिए राशि आवंटन 30 प्रतिशत की निर्धारित मानदंडों से कम 7–27 प्रतिशत के मध्य थी। प्रमाणित बीजों के उत्पादन को हाईब्रिड बीजों की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी गई, जबकि हाईब्रिड बीजों की उत्पादकता प्रमाणित बीजों की तुलना में अधिक थी। हाईब्रिड बीजों की मांग और किसानों द्वारा उन्हें अपने संसाधनों से खरीदने के बावजूद, शासन वर्ष 2017–18 को छोड़कर वर्ष 2017–21 के दौरान हाईब्रिड बीजों के वितरण का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी।

उप संचालक, कृषि, सूरजपुर और जगदलपुर के कार्यालयों के अभिलेखों की जांच से पता चला है कि वर्ष 2018–21 की अवधि के दौरान दोनों जिलों ने बीजों की गुणवत्ता के सत्यापन के बिना निजी स्थानीय फर्मों से क्रमशः 502 क्विंटल और 147 क्विंटल चावल के हाईब्रिड बीज खरीदे थे, जिसके लिए फर्म/किसानों को ₹ 0.61 करोड़ का अनुदान भुगतान किया गया था।

योजना के अंतर्गत कुल आवंटन में से परिसंपत्ति निर्माण के लिए किया गया व्यय वर्ष 2017–21 के दौरान 13 से 15 प्रतिशत के बीच था, जो दिशानिर्देशों के अनुसार 20 प्रतिशत के वांछित आवंटन से कम था। परिसंपत्ति निर्माण में उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित बिजली संचालित उपकरणों के बजाय मैनुअल उपकरणों पर अधिक व्यय किया गया था। विभाग ने योजना के अनुसार अपने उत्पादों के लिए अच्छे मूल्य प्राप्त करने के लिए फसल कटाई के बाद प्रबंधन सुविधाएं और विपणन सहायता को पर्याप्त रूप से विकसित नहीं किया क्योंकि विपणन सहायता और फसल कटाई के बाद प्रबंधन के लिए पाँच प्रतिशत से भी कम राशि आवंटित की गई थी। वर्ष 2017–21 की अवधि के दौरान चावल और गेहूं के उत्पादन में क्रमशः 8 और 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई, हालांकि, चावल और गेहूं के लिए छत्तीसगढ़ की समग्र उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से क्रमशः 16 प्रतिशत और 54 प्रतिशत के कम थी। विभाग वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान उपलब्ध धन का 47–91 प्रतिशत उपयोग कर सका। वित्तीय वर्ष के भीतर निधियों का उपयोग न करने के कारण वर्ष 2020–21 में भारत सरकार और राज्य का हिस्सा ₹ 24.26 करोड़ कम जारी हुआ। वर्ष 2021–22 में निधियों का आवंटन नहीं किया गया था। अंतिम उपयोग प्रमाण पत्र वर्ष 2017–21 की अवधि के दौरान 14 से

49 महीने की देरी के साथ भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया था। राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर निगरानी निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं था।

3.2.13 अनुशंसाएं

1. चावल और गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए स्ट्रेस टालरेन्स किस्मों और हाईब्रिड बीज किस्मों जैसी उच्च उपज तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
2. किसानों की आय बढ़ाने के लिए चावल परती क्षेत्रों को खेती के अंतर्गत लाने के लिए क्रोपिंग सिस्टम बेस्ड दृष्टिकोण का पालन किया जाना चाहिए।
3. फसल कटाई के बाद के प्रबंधन का समर्थन करने के लिए, कृषि स्तर पर प्राथमिक प्रसंस्करण और भंडारण सुविधाओं के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

3.3 एकीकृत बागवानी विकास मिशन का कार्यान्वयन एवं खरीद

3.3.1 प्रस्तावना

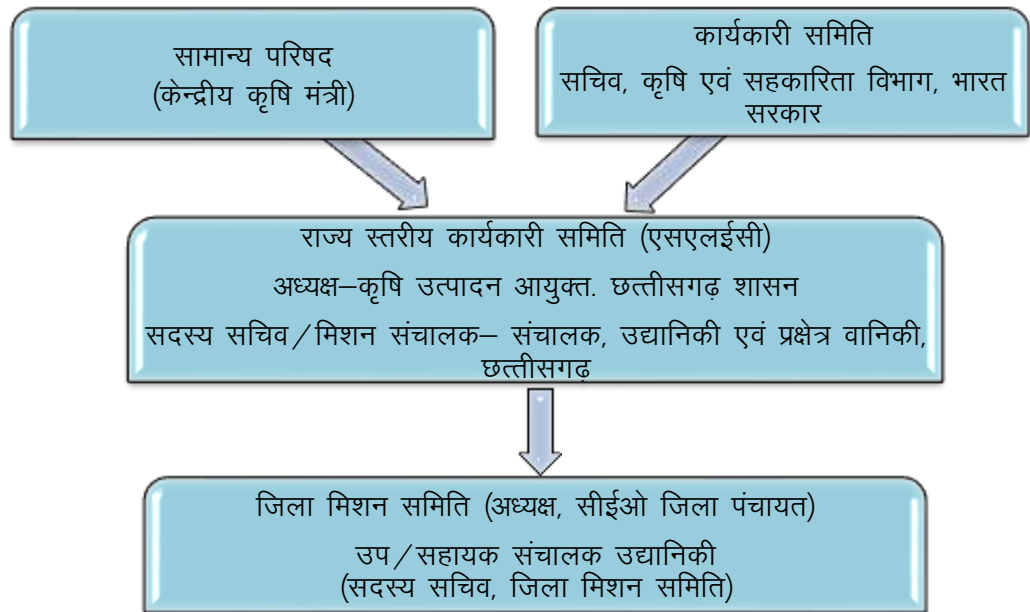
एकीकृत बागवानी विकास मिशन फलों, सब्जियों, जड़ व कन्द फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको और बांस इत्यादि उत्पादों से सम्मिलित बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास की केन्द्रीय वित्त पोषित योजना है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार, विकास कार्यक्रमों के कुल परिव्यय के 60 प्रतिशत का योगदान देती है एवं राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत का योगदान दिया जाता है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना को वर्ष 2014 से छत्तीसगढ़ राज्य के 19 जिलों में लागू किया गया था, जिसे वर्ष 2020 में एक और जिले में बढ़ाया गया था। इस प्रकार, वर्तमान में यह योजना राज्य के 33 में से 20¹⁹ जिलों में लागू है। छत्तीसगढ़ राज्य में योजना के अंतर्गत की जा रही प्रमुख गतिविधियां पौध सामग्री का उत्पादन और वितरण, सब्जी बीज उत्पादन, नये बगीचों की स्थापना, बागवानी का यांत्रिकीकरण, जल स्रोतों का निर्माण, संरक्षित खेती, जैविक खेती, समेकित फसलोपरांत प्रबंधन एवं बाजार के आधारभूत ढांचे का निर्माण हैं। बागवानी फसलों के अंतर्गत आच्छादित किया गया क्षेत्र 8.35 लाख हेक्टेयर (हे.) था जो कि कुल कृषि भूमि (57.12 लाख हे.) का 14.62 प्रतिशत तथा राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र (140.45 लाख हे.) का 5.95 प्रतिशत है।

3.3.2 संगठनात्मक संरचना

समग्र दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में मिशन की एक सामान्य परिषद है। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति, राज्य स्तर पर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की देखरेख करती है। छत्तीसगढ़ राज्य में संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, जो कि राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के सदस्य सचिव हैं, मिशन संचालक के रूप में कार्य करते हैं और जिला मिशन समितियों के माध्यम से मिशन कार्यक्रमों को लागू करने के लिये जिम्मेदार हैं। जिला स्तर पर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में जिला मिशन समिति परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी के लिये जिम्मेदार है। जिला उद्यानिकी अधिकारी (उप संचालक उद्यान/सहायक संचालक उद्यान) जिला मिशन समिति के सदस्य सचिव हैं जो विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार हैं।

¹⁹ बालोद, बलौदा बाजार, बलरामपुर, बस्तर (जगदलपुर), बेमेतरा, बिलासपुर, दुर्ग, गरियाबंद, गोरेला-पेंड्रा-मरवाही, जशपुर, कबीरधाम, कोंडागांव, कोरबा, कोरिया, मुंगेली, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, सूरजपुर

राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तर पर एकीकृत बागवानी विकास मिशन की संरचना और संगठन



(स्रोत:

संचालक राज्य बागवानी मिशन द्वारा प्रदत्त जानकारी एवं एकीकृत बागवानी विकास मिशन दिशानिर्देश)

मिशन

3.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना का अनुपालन लेखापरीक्षा इस उद्देश्य के साथ किया गया था कि क्या:

- योजना के लिये नियोजन प्रभावी एवं पर्याप्त थी,
- बजट प्रावधान, निधियों की विमुक्ति और उपयोग पर्याप्त और प्रभावी था,
- चयनित योजनाओं को शासन द्वारा तय किये गए दिशानिर्देशों और मानदण्डों के अनुसार लागू किया गया था,
- खरीदी, योजना दिशानिर्देशों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों के अनुरूप किया गया था।

3.3.4 लेखापरीक्षा मानदंड

अनुपालन लेखापरीक्षा के लिये लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किये गए थे—

- भारत सरकार द्वारा जारी एकीकृत बागवानी विकास मिशन संचालन दिशा निर्देश, अप्रैल, 2014
- कृषि मशीनीकरण के उप मिशन दिशा निर्देश 2020-21
- छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता, छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता 2002 एवं छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित वर्ष 2020)
- शासन/विभाग द्वारा जारी परिपत्र एवं अधिसूचनाएं।

3.3.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

लेखापरीक्षा की अवधि वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक तीन वर्ष थी। अनुपालन लेखापरीक्षा अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 के दौरान संपादित किया गया और इसमें 20 में से सात²⁰ जिलों को शामिल किया गया, जिन्हें प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक नमूनाकरण पद्धति के आधार पर चयनित किया गया था। राज्य स्तर पर संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, रायपुर तथा सात जिलों में उप संचालक उद्यान/सहायक संचालक उद्यान के कार्यालयों को अनुपालन लेखापरीक्षा में शामिल किया गया। प्रारूप प्रतिवेदन मई 2023 में राज्य सरकार को भेज दी गई थी। दिसम्बर 2024 तक उत्तर प्रतिक्रित है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.3.6 योजना

एकीकृत बागवानी विकास मिशन दिशानिर्देश के खंड 4.8 तथा कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आदेश (दिसंबर 2014) के अनुसार बागवानी उत्पादन, क्षमता और मांग की स्थिति निर्धारित करने के लिये अलग-अलग क्षेत्रों/क्लस्टरों (जिला, उप-जिला या जिलों के समूह) के लिये आधारभूत सर्वेक्षण तथा व्यवहार्यता अध्ययन राज्य स्तरीय एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिये, ताकि तदनुसार सहायता का आकलन/अनुकूलन किया जा सके। इसके अलावा, दिशानिर्देश के खंड 5.1 के अनुसार राज्य द्वारा एक परिप्रेक्ष्य/रणनीतिक योजना तैयार की जाएगी जो वार्षिक कार्य योजना की तैयारी का आधार बनेगी।

संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, रायपुर कार्यालय के अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि 2014–15 के दौरान किये गए आधारभूत सर्वेक्षण के आधार पर 2017–18 से 2021–22 की अवधि के लिये एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई और भारत सरकार के कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को प्रस्तुत (अप्रैल 2017) किया गया था। हालांकि, अगली परिप्रेक्ष्य योजना के लिये वार्षिक कार्य योजना (2017–19) में आधारभूत सर्वेक्षण का प्रावधान किया गया था किन्तु जनवरी 2023 तक इसका क्रियान्वयन नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में वार्षिक कार्य योजना की तैयारी में विभिन्न विसंगतियां पाई गई, जिनका विवरण **तालिका 3.3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.3.1: परिप्रेक्ष्य योजना तथा वार्षिक कार्य योजना में लक्ष्य (2017–18 से 2021–22)

क्र. स.	मद	इकाई	परिप्रेक्ष्य योजना में लक्ष्य	वार्षिक कार्य योजना में कुल लक्ष्य (2017–18 से 2021–22)	संशोधित वार्षिक कार्य योजना में कुल लक्ष्य (2017–18 से 2021–22)	वास्तविक उपलब्धि
लक्ष्य और उपलब्धि में गतिविधि/मदवार भिन्नता						
1	उच्च तकनीक बागान	संख्या	27	22	21	16
2	समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) का संवर्धन	हेक्टेयर	14500	1000	1000	1000
3	जैविक खेती	हेक्टेयर	25000	0	0	0
4	जैविक प्रमाणीकरण	संख्या	500	0	0	0

²⁰ बालोद, बेमेतरा, दुर्ग, कोरबा, मुंगेली, रायपुर राजनांदगांव

क्र.स.	मद	इकाई	परिप्रेक्ष्य योजना में लक्ष्य	वार्षिक कार्य योजना में कुल लक्ष्य (2017-18 से 2021-22)	संशोधित वार्षिक कार्य योजना में कुल लक्ष्य (2017-18 से 2021-22)	वास्तविक उपलब्धि
लक्ष्य और उपलब्धि में गतिविधि/मदवार भिन्नता						
5	सामुदायिक तालाब	संख्या	101	70	79	96
6	पॉवर टीलर (8 एचपी एवं अधिक)	संख्या	850	100	100	22
7	पॉवर टीलर (8 एचपी से कम)	संख्या	0	1415	2331	1315
8	पॉवर स्प्रेयर	संख्या	0	2760	7843	4290
9	पॉवर बीडर	संख्या	0	1200	0	2239
10	पल्वराइजर	संख्या	0	186	0	647
11	पैक हाउस	संख्या	390	2100	2499	2479
12	प्रिजर्वेशन यूनिट	संख्या	802	3468	5187	4707
13	स्माल सोलर कोल्ड स्टोरेज	संख्या	337	0	0	0
14	वेजिटेबल एवं फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट	संख्या	8	0	0	0
15	सेंटर ऑफ एक्सीलेंस	संख्या	1	1	0	0

(स्रोत: विभाग द्वारा दी गई जानकारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

एकीकृत बागवानी विकास मिशन दिशानिर्देशों के अंतर्गत, उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार के लिये उत्कृष्टता केन्द्र (सीओईएक्स) तथा कोल्ड चेन अवसंरचना की स्थापना, जैविक खेती और प्रमाणन जैसी प्रमुख गतिविधियों की परिकल्पना की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि उपर्युक्त गतिविधियों को यद्यपि परिप्रेक्ष्य योजना में नियोजित किया गया था, लेकिन उन्हें या तो वार्षिक कार्य योजना में शामिल नहीं किया गया या कार्यान्वयन के लिये नहीं लिया गया, जो दिशानिर्देशों के विपरीत था, जिसके परिणामस्वरूप लक्षित गतिविधियों की उपलब्धि नहीं हुई। आईपीएम घटक में परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत 14,500 हे. के लक्ष्य को वार्षिक कार्ययोजना में 1,000 हे. के रूप में संशोधित कर दिया गया, जो परिप्रेक्ष्य योजना से विचलन को दर्शाता है।

इसके अलावा, उप संचालक उद्यान/सहायक संचालक उद्यान द्वारा मशीनीकरण घटक के अंतर्गत पल्वराइजर जैसी गतिविधियों पर निधि खर्च किये गए थे, जो न तो परिप्रेक्ष्य योजना में शामिल थे और न ही वार्षिक कार्य योजना में शामिल थे जो नियोजित गतिविधियों में विचलन को इंगित करता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने उत्तर दिया (जनवरी 2023) कि भारत सरकार ने 2019-20 के बाद से जैविक खेती को अपनाने एवं प्रमाणन घटक के लिये कोई अनुमोदन नहीं दिया था। इसके अलावा, उत्कृष्टता केन्द्र के लिये प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि परिप्रेक्ष्य योजना में लक्षित किये गये जैविक खेती को अपनाने एवं प्रमाणन घटक को भारत सरकार से अनुमोदन हेतु प्रस्तावों के रूप में वार्षिक कार्य योजना 2017-21 में शामिल ही नहीं किया गया था, केवल पिछली परिप्रेक्ष्य योजना से आगे के कार्यों को किया गया था।

शासन का उत्तर प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2024)।

3.3.7 वित्तीय प्रबंधन

3.3.7.1 केन्द्रीय एवं राज्य अंश का विमोचन और उपयोग

एकीकृत बागवानी विकास मिशन के घटकों को भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ शासन के निधियों का उपयोग करते हुए निष्पादित किया गया था। वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान योजनांतर्गत निधियों की आवश्यकता को 60:40 के अनुपात में भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा साझा की गई थी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में भारत सरकार द्वारा उस वर्ष के लिये संभावित वित्तीय परिव्यय को राज्य बागवानी मिशन को सूचित किया जाता है। तदनुसार, राज्य सरकार धनराशि के अनुमोदन एवं विमुक्ति के लिये वार्षिक कार्य योजना को भारत सरकार को प्रस्तुत करती है। स्वीकृत निधि के केन्द्रीय एवं राज्य अंश प्रत्येक वर्ष राज्य बागवानी मिशन को जारी की गई थी। अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार निधियों की आवश्यकता, वर्ष 2019-22 की अवधि के दौरान भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निधि एवं राज्य बागवानी मिशन द्वारा किये गए व्यय को तालिका 3.3.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3.2: निधि की स्वीकृति एवं विमुक्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित निधि	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना	भारत सरकार द्वारा जारी निधि	राज्य सरकार द्वारा जारी निधि			निधि की कम विमुक्ति	किया गया व्यय	वार्षिक कार्य योजना की तुलना में व्यय का प्रतिशत
		कुल	भारत सरकार अंश	भारत सरकार अंश	छत्तीसगढ़ शासन अंश	कुल			
2019-20	205.00	191.79	112.11	110.84	73.90	184.74	7.05	149.39	77.89
2020-21	215.66	215.66	107.48	105.45	70.30	175.75	39.91	173.35	80.38
2021-22	167.01	146.91	66.47	45.47	30.32	75.79	71.12	75.79	51.59
योग	587.67	554.36	286.07	261.76	174.51	460.59	93.77	398.53	71.89

(स्रोत: विभाग द्वारा दी गई जानकारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2019-22 की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी धनराशि अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना की तुलना में हर साल धीरे-धीरे कम होती गई। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा उस वर्ष में भारत सरकार से प्राप्त पूरी राशि एवं उसके समतुल्य राज्यांश जारी नहीं किया गया जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया है। वर्ष 2020-21 के वार्षिक कार्य योजना में भारत सरकार द्वारा ₹ 215.66 करोड़ का परिव्यय स्वीकृत किया गया था। तथापि, वित्तीय वर्ष के अंत तक केवल ₹ 175.75 करोड़ ही जारी किये गए। वर्ष 2021-22 में वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत कुल ₹ 146.91 करोड़ के परिव्यय के तुलना में मात्र ₹ 75.79 करोड़ (51.89 प्रतिशत) की राशि विमुक्त की गई जिसका पूर्ण उपयोग कर लिया गया। भारत सरकार अंश के विरुद्ध ₹ 66.47 करोड़ की धनराशि जारी की गई, जिसमें से ₹ 35 करोड़ भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन जारी किए गए। भारत सरकार का शेष अंश ₹ 21.00 करोड़ तथा छत्तीसगढ़ शासन का तुलनात्मक अंश ₹ 14.00 करोड़ आगामी वित्तीय वर्ष में जारी किये गए (27 अप्रैल 2022)।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने उत्तर दिया (फरवरी 2023) कि भारत सरकार द्वारा ₹ 35.00 करोड़ की तीसरी किस्त स्वीकृत की गई थी (30 मार्च 2022) किन्तु यह 31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार के खाते में प्रदर्शित नहीं हो रहा था।

शासन का उत्तर प्रतिक्रित है (दिसम्बर 2024)।

3.3.7.2 अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न किया जाना

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता 2002 के पूरक नियम 53 के अनुसार अस्थायी अग्रिम का समायोजन अग्रिम स्वीकृत होने के तीन माह के भीतर किया जाना चाहिये।

संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के अभिलेखों की जांच से पता चला कि डीडीओ द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन कार्यान्वयन जिलों में अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बागवानी प्रदर्शनियों, श्रमिक भुगतान, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन, लघु-निर्माण आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए अस्थायी अग्रिम दिए गए थे। हालांकि, यह पाया गया कि इन अग्रिमों के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में समायोजन के लिए ₹ 5.36 करोड़ (परिशिष्ट-3.3.1) बकाया थे। इसमें से ₹ 3.87 करोड़ तीन महीने से अधिक समय (छह महीने से लेकर तीन साल तक) से बकाया थे और ₹ 1.49 करोड़ तीन साल से भी अधिक समय से बकाया थे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 58 अवसरों पर, निधियों को समाप्त होने से बचाने के लिए वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ₹ 45 लाख का अग्रिम दिया गया। यह भी देखा गया कि पहले दिए गए अग्रिमों को समायोजित किए बिना एक ही कर्मचारी को नये अग्रिम दिए गए थे। इसके अलावा, 29 अग्रिमों की राशि ₹ 12 लाख ऐसे अधिकारियों के संबंध में बकाया थी, जो स्थानांतरित हो गए थे तथा पांच अग्रिमों में ₹ 19 लाख की राशि सेवानिवृत्त या लापता हो गए अधिकारियों के विरुद्ध बकाया थे। यह विभाग में अप्रभावी वित्तीय और आंतरिक नियंत्रण तंत्र को इंगित करता है। सहायक वाउचर के साथ इन अग्रिमों के समायोजन के अभाव में, लेखापरीक्षा द्वारा व्यय की सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया जा सकता है और शासन को दुर्विनियोजन एवं हानि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, विभाग द्वारा ₹ 3.49 करोड़ की वसूली किया गया और उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि उसने अस्थायी अग्रिम के अनुदान के बारे में वित्त संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने और गैर-अनुपालन के मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के निर्देश जारी किए थे। इसके आगे कहा कि जिला अधिकारियों, जिनके द्वारा संचालनालय के निर्देशों का पालन नहीं किया गया था उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने के लिए शासन को एक प्रस्ताव भेजा गया है।

तथापि ₹ 1.87 करोड़ के अस्थायी अग्रिम अभी भी असमायोजित हैं।

शासन का उत्तर प्रतिक्रित है (दिसम्बर 2024)।

3.3.8 योजना का कार्यान्वयन

3.3.8.1 बागवानी फसलों के क्षेत्र विस्तार में लक्ष्य की गैर-उपलब्धि

मिशन का उद्देश्य बागवानी क्षेत्र के फलों, सब्जियों, मसालों, फूलों आदि के चौमुखी विकास एवं बागवानी के अंतर्गत क्षेत्रफल का समग्र क्षेत्र विस्तार है। राज्य में बागवानी फसलों द्वारा आच्छादन किए गए कुल क्षेत्र एवं उत्पादकता की स्थिति तालिका 3.3.3 में दर्शाई गई है।

तालिका 3.3.3: बागवानी फसलों का क्षेत्र और उत्पादन

(क्षेत्र हेक्टेयर में और उत्पादन लाख मीट्रिक टन में)

फसलों के प्रकार	2019-20		उत्पादकता ²¹	2020-21		उत्पादकता	2021-22		उत्पादकता
	क्षेत्र	उत्पादन		क्षेत्र	उत्पादन		क्षेत्र	उत्पादन	
फल	2,26,876	25.10	11.06	2,22,955	24.92	11.18	2,23,689	24.82	11.09
सब्जियाँ	5,25,147	71.59	13.63	4,89,271	68.68	14.03	4,93,373	68.70	13.93
मसाले	55,376	3.55	6.40	67,756	4.49	6.63	67,723	4.65	6.87
फूल	13,493	0.76	5.64	13,089	2.30	17.56	12,836	2.51	19.53
औषधीय और सुगंधित पौधे	8,957	0.59	6.60	3,520	0.22	6.30	5,305	0.33	6.29
रोपण फसलें	31,754	0.39	1.24	31,799	9.67	30.40	31,895	10.40	32.61
योग	8,61,603	101.98		8,28,390	110.28		8,34,821	111.41	

(स्रोत: विभाग द्वारा दी गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य में बागवानी फसलों द्वारा कवर किया गया कुल क्षेत्र वर्ष 2019-20 में 8,61,603 हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2021-22 में 8,34,821 हेक्टेयर हो गया। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि वार्षिक योजना के अंतर्गत एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत बागवानी फसलों के विस्तार के लिए लक्षित कुल क्षेत्र को लक्ष्य के विरुद्ध पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया गया था, जो तालिका 3.3.4 में दर्शित है।

तालिका 3.3.4: क्षेत्र विस्तार का लक्ष्य और उपलब्धि

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

फसलों के प्रकार	2019-20		2020-21		2021-22		कुल		उपलब्धि का प्रतिशत
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
फल	4,032	3,663	3,042	2,909	4,933	4,300	12,007	10,872	90.55
सब्जियाँ	10,289	9,396	6,690	6,153	6,250	6,063	23,229	21,612	93.04
मसाले	4,162	4,162	2,950	2,776	3,300	3,155	10,412	10,093	96.94
फूल	1,450	1,363	1,215	1,210	1,608	1,548	4,273	4,121	96.44
औषधीय और सुगंधित पौधे	100	36	100	40	100	0	300	76	25.33
रोपण फसलें	1500	1475	675	657	600	136	2775	2268	81.73
कुल	21,533	20,095	14,672	13,745	16,791	15,202	52,996	49,042	

(स्रोत: विभाग द्वारा दी गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2019-22 की अवधि के दौरान, विभाग पूरी तरह से क्षेत्र विस्तार के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। फलों, सब्जियों, मसालों और फूलों के संबंध में क्षेत्र विस्तार की कुल उपलब्धि 90 प्रतिशत से अधिक थी, जबकि औषधीय और सुगंधित पौधों का क्षेत्र विस्तार उनके संबंधित लक्ष्यों का केवल 25 प्रतिशत था।

²¹ उत्पादकता – कुल उत्पादन/कुल क्षेत्र

संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि लक्ष्य के विरुद्ध क्षेत्र विस्तार की उपलब्धि औसतन 93.14 प्रतिशत थी, हालांकि, सुगंधित पौधों के क्षेत्र विस्तार की उपलब्धि कम थी क्योंकि इन फसलों को लगाने के लिए सहायता राशि केवल ₹ 12,000 प्रति हेक्टेयर है जबकि लागत बहुत अधिक है। राशि बढ़ाने के लिए भारत सरकार को एक सिफारिश भेजी गई है।

शासन का उत्तर प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2024)।

3.3.8.2 मानव संसाधन की कमी

स्वीकृत मानव संसाधन की उपलब्धता एक विभाग द्वारा योजनाओं/कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन और निगरानी के लिए पहली आवश्यकता है। संचालनालय उद्यानिकी के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के कार्यान्वयन के लिए लगे हुए थे। राज्य के साथ ही साथ चयनित जिलों में तकनीकी कर्मचारियों जो उद्यानिकी विभाग में क्षेत्र पदाधिकारी हैं की मार्च 2022 की स्थिति में कमी को तालिका 3.3.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3.5: मानव संसाधन की स्थिति

(आंकड़े सख्या में)

पद	राज्य स्तर पर			चयनित जिलों पर		
	स्वीकृत	पीआईपी	कमी (प्रतिशत में)	स्वीकृत	कार्यरत	कमी (प्रतिशत में)
उप संचालक उद्यान/सहायक संचालक उद्यान	36	33	08	7	7	0
एसएचडीओ	117	71	39	29	17	41
एचडीओ	93	54	42	18	16	11
आरएचईओ	624	472	24	132	116	12

(स्रोत: विभाग द्वारा दी गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

एसएचडीओ-वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, एचडीओ- उद्यान विकास अधिकारी, आरएचईओ-ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी। पीआईपी-पद पर व्यक्ति

मार्च 2022 में राज्य स्तर पर उप संचालक उद्यान/सहायक संचालक उद्यान, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, उद्यान विकास अधिकारी और ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी की कमी क्रमशः 08, 39, 42 और 24 प्रतिशत थी। नमूना जांच किये गये जिलों में वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, उद्यान विकास अधिकारी और ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी की जनशक्ति में क्रमशः 41, 11 और 12 प्रतिशत की कमी देखी गई। राज्य और जिला स्तर पर सबसे अधिक कमी क्रमशः वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी और उद्यान विकास अधिकारी संवर्ग में थी।

राज्य में 20,551 गांव हैं, जिनमें केवल 472 ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी ही कार्यरत हैं। इस तरह प्रत्येक ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी को एक समय में औसतन 44 गांवों के किसानों को संभालना पड़ता है।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन दिशानिर्देश (खंड 7.33) प्रावधान किया गया है कि किसानों, उद्यमियों, क्षेत्र स्तर के श्रमिकों और अधिकारियों को मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाएगा। किसानों को फसलों की उच्च उपज देने वाली किस्मों को अपनाने के लिए प्रशिक्षित करने तथा कृषि प्रणालियों पर उचित प्रशिक्षण प्रदान करने, किसानों को नवीनतम प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी देने तथा राज्यों के भीतर और भारत के बाहर तकनीकी कर्मचारियों/क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के अध्ययन दौरे प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर तथा राज्य के बाहर एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान लाभार्थियों/किसानों को दिए गए विभिन्न प्रशिक्षणों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण निम्नलिखित तालिका 3.3.6 में दिया गया है।

तालिका 3.3.6: वर्ष 2019-21 के दौरान दिए गए प्रशिक्षण का विवरण

प्रशिक्षण का प्रकार		भौतिक (संख्या में)			वित्तीय (₹ लाख में)		
		वार्षिक कार्य योजना के अनुसार लक्ष्य	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या	कमी (प्रतिशत)	वार्षिक कार्य योजना के अनुसार लक्ष्य	वास्तविक व्यय	कमी (प्रतिशत)
मालियों के लिये प्रशिक्षण		2,600	2,551	49 (2)	426.92	418.87	8.05 (2)
किसानों को प्रशिक्षण	अ) राज्य के अंदर	10,538	8,756	1,782 (17)	316.14	238.49	77.65 (25)
	ब) राज्य के बाहर	351	351	0	24.57	24.57	0
किसानों का प्रभावन दौरा		229	229	0	16.03	16.02	0
तकनीकी कर्मचारी/क्षेत्र पदाधिकारियों का प्रशिक्षण/अध्ययन दौरा		14,050	7	14,043 (96)	42.15	0.02	42.13 (96)
कुल		27,768	11,894		825.81	697.97	

(स्रोत: विभाग द्वारा दी गई जानकारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभाग के तकनीकी कर्मचारियों/क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए प्रस्तावित प्रशिक्षण/अध्ययन दौरों के लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे अधिक कमी रही। राज्य बागवानी मिशन ने वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान विभागीय अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया। कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अनुमोदित ₹ 42.15 लाख के परिव्यय में से केवल ₹ 0.02 लाख ही व्यय किए गए। इस प्रकार, वार्षिक कार्य योजना में प्रस्ताव के बावजूद राज्य बागवानी मिशन ने क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण देने तथा अध्ययन दौरे आयोजित करने के लिए कदम नहीं उठाए।

संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि संचालनालय ने अतिरिक्त पद संरचना को मंजूरी देने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। रिक्त पदों को भरने और अतिरिक्त पदों के सृजन से राज्य में बागवानी योजनाओं का क्रियान्वयन और किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रभावी ढंग से मिल सकेगा। कोविड महामारी के प्रकोप, लॉकडाउन की स्थिति तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता के कारण सभी प्रकार के सामाजिक आयोजन प्रतिबंधित थे, तथा आवागमन भी प्रतिबंधित था, इसलिए इस अवधि में दौरा-प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां संचालित नहीं की गईं। इसके कारण इन घटकों में लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित हुई है।

दौरा प्रशिक्षण से संबंधित उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभागीय अधिकारियों के प्रशिक्षण (14,050) का लक्ष्य केवल वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध कोविड काल से पहले के वर्ष में केवल सात अधिकारियों को ही प्रशिक्षित किया गया।

शासन का उत्तर प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2024)।

3.3.8.3 शेड नेट हाउस का अनियमित निर्माण

एकीकृत बागवानी विकास मिशन दिशा-निर्देशों के खंड 7.25 के अनुसार, संरक्षित खेती के अंतर्गत शेडनेट हाउस, ग्रीन हाउस, प्लास्टिक मल्ट्रिंग आदि के निर्माण जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। एकीकृत बागवानी विकास मिशन दिशा-निर्देशों

के अनुलग्नक-V में उल्लिखित लागत मानदंडों के अनुसार, शेड नेट हाउस (ट्यूबलर स्ट्रक्चर) के निर्माण के लिए लाभार्थी को अधिकतम 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान (₹ 710 प्रति वर्ग मीटर) देय है। इस प्रकार, एक लाभार्थी ₹ 355 प्रति वर्ग मीटर की दर से अधिकतम ₹ 14.20 लाख की सब्सिडी पाने का हकदार है। इस प्रयोजन के लिए संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी की ओर से, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (बीज निगम) ने गुम्बद आकार शेड नेट हाउस (ट्यूबलर स्ट्रक्चर) के लिए ₹ 710 प्रति वर्ग मीटर की दर से चार²² विक्रेता फर्मों/कंपनी के साथ दर अनुबंध किया था।

गुम्बद आकार शेडनेट हाउस का नमूना संरचना चित्रण



चयनित सात जिलों में अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि:

(क) नमूना जांच किए गए सात जिलों में, वर्ष 2019-22 के दौरान 208 शेडनेट हाउस के निर्माण के लिए सब्सिडी के रूप में ₹ 20.98 करोड़ का व्यय किया गया (परिशिष्ट 3.3.2)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दर अनुबंध में अनुमोदित दर के 50 प्रतिशत की दर से सब्सिडी का भुगतान सहायक संचालक उद्यान/उप संचालक उद्यान द्वारा लाभार्थियों को प्रधान अन्वेषक, पीएफडीसी²³, आईजीकेवी²⁴ जैसे क्षेत्रीय पदाधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्ट और शेड नेट की स्थापना पर लाभार्थियों से संतुष्टि प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया था।

नमूना जांच वाले जिलों में भौतिक सत्यापन के दौरान, किसानों के खेतों में लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित सभी 36 शेडनेट हाउस, गुम्बद आकार शेडनेट के स्थान पर सपाट आकार के पाए गए। किसानों द्वारा निर्मित संरचना के लिए सम्पूर्ण राशि ₹ 710 प्रति वर्गमीटर की दर से विक्रेता को भुगतान की गई तथा विभाग द्वारा गुम्बद आकार शेडनेट के लिए किसानों को ₹ 355 प्रति वर्गमीटर की दर से अनुदान दिया गया। लाभार्थी और क्षेत्रीय अधिकारी विक्रेता द्वारा स्थापित किए जाने वाले शेडनेट हाउस की तकनीकी विशिष्टताओं से अनभिज्ञ थे क्योंकि उन्हें दर अनुबंध के साथ यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। परिणामस्वरूप, लाभार्थी और विभाग यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि विक्रेता द्वारा शेडनेट हाउस की स्थापना बीज निगम द्वारा किये गए दर अनुबंध के लिए अनुमोदित तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार थी। खुले बाजार में, सपाट

²² मैसर्स किशान एगरोटेक, मैसर्स एम.बी. इंटरप्राइजेज, मैसर्स अन्नभूमि ग्रीनटेक, मैसर्स खेती बायोटेक

²³ पीएफडीसी, - प्रिसिजन फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर,

²⁴ आईजीकेवी - इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय

आकार शेड नेट हाउस की दर लगभग ₹ 300 से ₹ 500 प्रति वर्ग मीटर अर्थात गुंबद आकार शेड नेट की निर्धारित लागत का 50 से 70 प्रतिशत थी।

(ख) योजना के अंतर्गत स्थापित 36 शेडनेट हाउसों का लेखापरीक्षा दल द्वारा संबंधित सहायक संचालक उद्यान/उप संचालक उद्यान के अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें निम्नलिखित कमियां पाई गईं।

- नौ संरचनाओं में निर्मित क्षेत्र का आकार, दावा किए गए देयकों में दर्शाये आकार से 650–2425 वर्ग मीटर के बीच कम था, इसके परिणामस्वरूप ₹ 30.00 लाख की सब्सिडी का अधिक भुगतान हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट 3.3.3** में वर्णित है।
- 24 मामलों में सिंचाई प्रणाली काम नहीं कर रही थी,
- 17 मामलों में डबल दरवाजे का उपयोग करके एंटे रूम का निर्माण नहीं किया गया था,
- संरचनाओं में साइड सपोर्ट कॉलम नहीं पाया गया, जबकि मद के राशि का देयक भेजा गया था।
- शेड नेट हाउस का उपयोग बागवानी के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए किया जाना पाया गया।



(पिकरीडीह, ब्लॉक: तिल्दा, जिला: रायपुर में स्थित शेड नेट हाउस के नीचे मछली टैंक, 08.09.2022)



(जरौद, ब्लॉक धरसीवा, जिला रायपुर स्थित शेडनेट हाउस के अंतर्गत धान की खेती एवं सोलर पंप की स्थापना, 07.09.2022)

संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि दिशानिर्देशों के अनुसार, गुंबद आकार या सपाट आकार के शेड नेट के लिए सब्सिडी प्रदान की जा सकती है। किसानों की पसंद के अनुसार सपाट आकार की शेड नेट का निर्माण किया गया है। बीज निगम द्वारा संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी और सभी उप संचालक उद्यान/सहायक संचालक उद्यान को दर अनुबंध की प्रति जारी की गई तथा ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपलोड की गई थी। इसमें आगे कहा गया है कि लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए नौ मामलों में से छह में संबंधित जिला अधिकारियों को किसानों से अधिक भुगतान राशि वसूलने का निर्देश दिया गया है, जिसमें शेडनेट हाउस छोटे क्षेत्र में बनाए गए थे। इसके अलावा, सब्सिडी स्वीकृत करने वाले अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ-साथ पीएफडीसी के प्रतिनिधि के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई के लिए एक पत्र भेजा जा रहा है। इसके अलावा विभागीय कार्य हेतु विक्रेता कम्पनी को काली सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके अलावा विभाग लेखापरीक्षा के इस कथन से सहमत नहीं है कि यदि सपाट आकार के शेडनेट के लिए अलग से दरें प्राप्त की जाती हैं, तो शेडनेट लागत के 50 से 70 प्रतिशत पर बनाया जा सकता था, क्योंकि भारत सरकार की नोडल एजेंसी द्वारा गुंबदाकार एवं आयताकार शेडनेट घरों के लिए अलग से प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है।

शेड नेट में लागत अंतर के बारे में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विक्रेता ने सपाट आकार के शेड नेट हाउस ढांचे का निर्माण किया लेकिन लाभार्थियों से गुंबद आकार की दर से राशि वसूल की। हालाँकि दोनों प्रकार की संरचनाओं के लिए दिशा-निर्देश दिए गए थे, लेकिन बीज निगम ने विक्रेता के साथ केवल गुंबद आकार की संरचना के लिए दर अनुबंध किया था और सब्सिडी का भुगतान भी उसी के अनुसार किया गया था। हालाँकि, बीज निगम द्वारा सपाट प्रकार की संरचना के लिए कोई दर विश्लेषण नहीं किया गया था। यद्यपि प्रचलित बाजार दरों के अनुसार सपाट आकार की संरचना की लागत गुंबद आकार की संरचना से कम है, तथापि दर विश्लेषण के अभाव में, लेखापरीक्षा दोनों संरचनाओं के बीच वास्तविक लागत अंतर का पता नहीं लगा सकी। इसके अलावा, बीज निगम द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय को जारी की गई और वेबसाइट पर अपलोड की गई दर अनुबंध में शेड नेट के विनिर्देश शामिल नहीं थे, जिस पर दर अनुबंध को अंतिम रूप दिया गया था, जिसके कारण क्षेत्रीय अधिकारी भौतिक सत्यापन के दौरान विक्रेता द्वारा निष्पादित वास्तविक कार्य के साथ विनिर्देश का मिलान करने में असमर्थ थे।

शासन का उत्तर प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2024)।

3.3.8.4 प्राकृतिक रूप से हवादार प्रणाली की ग्रीन हाउस संरचना के लिए सब्सिडी का अनियमित भुगतान

एकीकृत बागवानी विकास मिशन की परिचालन गाइडलाइन में निर्धारित दर मानदंडों के अनुसार, ग्रीन हाउस प्राकृतिक रूप से हवादार प्रणाली संरचना के लिए लाभार्थी को अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम ₹ 844 प्रति वर्ग मीटर की दर से देय है। इस प्रकार, लाभार्थी को अधिकतम ₹ 16.88 लाख का अनुदान प्रदान किया जा सकता है। योजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों (जून 2012) के अनुसार, योजना का क्रियान्वयन किसानों की निजी भूमि पर किया जाएगा। संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने स्पष्ट किया है (मार्च 2024) कि निजी भूमि का अर्थ है किसान के स्वामित्व वाली भूमि और जैसा कि भू-राजस्व अभिलेखों अर्थात् बी- I फॉर्म में उल्लेखित है।

उप संचालक, उद्यान, दुर्ग के अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2019-20 में प्राकृतिक रूप से हवादार प्रणाली की ग्रीन हाउस संरचनाओं के लिए सात लाभार्थियों को ₹ 99.52 लाख की सब्सिडी वितरित की गई थी। इसमें से, पांच ग्रीन

हाउस संरचनाओं के निर्माण के लिए एक परिवार के पांच सदस्यों को ₹ 76.42 लाख की सब्सिडी दी गई थी। हालांकि, जिस जमीन के लिए सब्सिडी का दावा किया गया था, वह दुर्ग जिले के महमारा गांव में स्थित थी और उस जमीन का स्वामित्व परिवार के एक लाभार्थी के पास था। लेखापरीक्षा ने आवेदन पत्रों में पाया कि पांच लाभार्थियों के आवेदन पत्रों में एक ही खसरा संख्या (65, 71 और 76) का उल्लेख किया गया था, जबकि भू अभिलेख (बी-1 फॉर्म) के अनुसार, खसरा संख्या 65, 71 और 76 केवल एक लाभार्थी के नाम पर पंजीकृत था। यह दर्शाता है कि एक ही जमीन के टुकड़े के विरुद्ध एक परिवार के विभिन्न सदस्यों के नाम पर सब्सिडी का अधिक लाभ उठाया गया था।

निर्माण स्थल के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (अक्टूबर 2021) के दौरान पाया गया कि सभी पांच ग्रीन हाउस संरचनाएं एक साथ स्थापित की गई थी और एक ही इकाई के रूप में संचालित तथा रखरखाव की जा रही थीं। चूंकि एक लाभार्थी अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर के लिए ₹ 16.88 लाख की अधिकतम सब्सिडी राशि का हकदार था, इसलिए परिवार के सदस्यों के नाम पर ₹ 59.54 लाख की अतिरिक्त सब्सिडी का अनियमित रूप से दावा और भुगतान किया गया, जबकि जमीन का मालिक एक ही था।

संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने कहा (अक्टूबर 2023) कि तत्कालीन उप संचालक उद्यान का तर्क कि इस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणियों के किसानों को लाभ देने का प्रावधान है, जिसमें भूमि मालिक के रूप में कृषि भूमि पर खेती करने वाला, विरासत में मिला किसान, सरकारी पट्टेदार या किसी अन्य की जमीन पर खेती करने वाला व्यक्ति शामिल है, विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और इसलिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए शासन को एक प्रस्ताव भेजा गया है (अगस्त 2023)।

तथ्य यह है कि दिसम्बर 2024 तक सब्सिडी की अतिरिक्त राशि वसूलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

शासन का उत्तर प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2024)।

3.3.8.5 कम लागत वाली प्रतिरक्षण इकाई के लिए सब्सिडी का अधिक वितरण

“फसलोपरांत समेकित प्रबंधन” घटक के अंतर्गत एकीकृत बागवानी विकास मिशन के परिचालन दिशानिर्देश के अनुसार, प्रतिरक्षण इकाई की स्थापना के लिए लाभार्थियों को प्रतिरक्षण इकाई की कुल लागत, अधिकतम ₹ 2.00 लाख का 50 प्रतिशत की सहायता प्रदान की जानी चाहिए। संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने प्रतिरक्षण इकाई के लिए आवश्यकता और लागत निर्धारित की (नवंबर 2012), जिसके अनुसार 20 किलोग्राम क्षमता वाले सौर और विद्युत ड्रायर टेक्नोलॉजी के साथ 10 फीट x 15 फीट का एक सिविल स्ट्रक्चर बनाया जाना था। दिसंबर 2018 में संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने प्रतिरक्षण इकाई (सोलर ड्रायर 25 किग्रा) के विनिर्देश और डिजाइन का निर्णय लिया। राज्य बागवानी मिशन की ओर से, बीज निगम ने ₹ 1.12 लाख की दर से ‘इलेक्ट्रिक बैकअप सिस्टम के साथ संचालित 25 किग्रा सौर ऊर्जा प्रतिरक्षण इकाई’ की आपूर्ति के लिए कुछ आपूर्तिकर्ता फर्मों के साथ दर अनुबंध किया (नवंबर 2020)।

नमूना जांच किए गए जिलों के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि सात उप संचालक उद्यान/सहायक संचालक उद्यान में कुल 480 प्रतिरक्षण इकाइयां स्थापित की गईं तथा लाभार्थी किसानों को ₹ 4.80 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की गई (परिशिष्ट 3.3.4)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रतिरक्षण इकाई की स्थापना (10 फीट x 15 फीट सिविल संरचना, विद्युत वायरिंग, जल पाइप लाइन और जल भंडारण टैंक

आदि का निर्माण) के लिए लाभार्थी के वचनबद्धता और विक्रेता द्वारा प्रदान किए गए ₹ 1.00 लाख प्रति सोलर ड्रायर की लागत के खरीद बिल के आधार पर विभाग द्वारा सब्सिडी जारी की गई थी। हालांकि, लाभार्थी के दावे को सत्यापित करने के लिए, सब्सिडी जारी करने से पहले दिशानिर्देशों में अपेक्षित, सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विभाग के सहायक संचालक उद्यान/उप संचालक उद्यान द्वारा उक्त सुविधा का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा किए गए 20 प्रतिरक्षण इकाइयों के संयुक्त भौतिक सत्यापन (अक्टूबर 2021–सितंबर 2022) के दौरान, लेखापरीक्षा और विभागीय अधिकारियों द्वारा देखी गई साइट पर प्रतिरक्षण इकाई के लिए कोई सिविल संरचना का निर्माण नहीं पाया गया। वाउचर की आगे की जांच से पता चला कि किसानों ने निर्धारित 25 किलोग्राम के सोलर ड्रायर के बजाय 20 किलोग्राम के सोलर ड्रायर का खरीद बिल पेश किया था।

चूंकि प्रति इकाई ₹ 2.00 लाख की लागत में सौर ड्रायर और शेड हाउस दोनों की लागत शामिल थी, इसलिए सिविल संरचना का निर्माण सुनिश्चित किए बिना, केवल प्रतिरक्षण इकाई की लागत के विरुद्ध ₹ 1.00 लाख की सब्सिडी देना, वह भी निम्न विनिर्देशन की, दिशानिर्देशों के विरुद्ध था और इसलिए अनियमित था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि प्रतिरक्षण इकाई की स्थापना के लिए संचालनालय द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कृषक स्तर पर निर्मित शेड इकाई को कृषक के अंश के रूप में समायोजित किया जाएगा तथा शेष अनुदान का उपयोग बीज निगम द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों के अनुसार प्रतिरक्षण इकाई क्रय करने में किया जाएगा। कृषकों द्वारा बीज निगम से अनुमोदित 20 किग्रा क्षमता की प्रतिरक्षण इकाई क्रय करने तथा अनुदान का बिल प्रस्तुत करने के पश्चात नियमानुसार अनुदान का भुगतान किया गया है। भविष्य में विनिर्देशों के अनुसार निर्मित शेड इकाई का भौतिक सत्यापन करने के पश्चात ही कृषकों को अनुदान का भुगतान करने के लिए संचालनालय से जिला अधिकारियों को निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 25 किलोग्राम सौर ड्रायर की विशिष्टता को संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने ही अनुमोदित किया था और बीज निगम ने दर अनुबंध भी 25 किलोग्राम सौर ड्रायर के लिए ही किया था। लेकिन विभाग ने 20 किलोग्राम सौर ड्रायर के लिए वाउचर ₹ 1.00 लाख प्रति इकाई की दर से स्वीकार किए, जो विभाग द्वारा निर्धारित विनिर्देश के अनुसार नहीं थे। इसके अलावा, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान किसी भी साइट पर शेड संरचना का निर्माण नहीं पाया गया और विभाग शेड इकाई के निर्माण का कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा, जो दर्शाता है कि सभी घटकों के साथ प्रतिरक्षण इकाई की स्थापना सुनिश्चित किए बिना प्रति यूनिट ₹ 1.00 लाख की पूरी सब्सिडी जारी की गई थी।

शासन का उत्तर प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2024)।

3.3.8.6 अनुसूचित क्षेत्र के लाभार्थियों को कोल्ड स्टोरेज के लिए कम दर पर सब्सिडी प्रदान किया जाना

एकीकृत बागवानी विकास मिशन के दिशा-निर्देशों के खंड 5.4 के अनुसार, शीत भंडारण इकाइयों के निर्माण/विस्तार के लिए पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत जिसकी अधिकतम लागत ₹ 4.00 करोड़ प्रति इकाई थी, का 35 प्रतिशत और अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैंक-एंडेड सब्सिडी का भुगतान किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2017–22 की अवधि के लिए परिप्रेक्ष्य योजना में 50 कोल्ड स्टोरेज इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसी अवधि के लिए

वार्षिक कार्य योजना में 50 कोल्ड स्टोरेज इकाइयों का लक्ष्य शामिल था जबकि 40 कोल्ड स्टोरेज इकाइयाँ स्थापित की गईं।

लेखापरीक्षा अवधि वर्ष 2019–22 के दौरान राज्य में कुल 29 कोल्ड स्टोरेज इकाइयाँ स्थापित की गईं और लाभार्थियों को सब्सिडी के रूप में ₹ 41.20 करोड़ का भुगतान किया गया। इन 29 इकाइयों में से आठ कोल्ड स्टोरेज इकाइयाँ अनुसूचित क्षेत्रों में स्थापित की गईं।

संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने वर्ष 2019–21 के दौरान अनुसूचित क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज इकाई की स्थापना के लिए वार्षिक कार्य योजना में कोई प्रावधान नहीं किया, जिसके कारण वर्ष 2019–20 में स्थापित दो कोल्ड स्टोरेज इकाइयों और वर्ष 2020–21 में स्थापित एक कोल्ड स्टोरेज इकाई को सामान्य क्षेत्रों के लिए लागू केवल 35 प्रतिशत सब्सिडी मिली थी, जबकि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी लागू है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक कार्य योजना में अनुसूचित क्षेत्र में पांच कोल्ड स्टोरेज इकाई स्थापित करने का लक्ष्य शामिल किया था और तदनुसार पांच लाभार्थियों को 50 प्रतिशत सब्सिडी का भुगतान किया गया था।

इस प्रकार, अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित तीन शीत भंडारण इकाइयों को मानदंडों के अनुसार 50 प्रतिशत की दर से सब्सिडी नहीं मिली और वे योजना के अंतर्गत ₹ 1.80 करोड़ के इच्छित लाभ से वंचित रह गए, जैसा कि तालिका 3.3.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3.7: शीत भंडारण की स्थापना को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	वर्ष	इकाई का नाम	स्थान	अनुसूचित क्षेत्र	कार्य की प्रकृति	कुल लागत	लागत मानदंड	दिशानिर्देशों के अनुसार अनुदान की पात्रता	वास्तविक भुगतान किया गया अनुदान	अनुदान का कम भुगतान
1	2019–20	प्रकाश कोल्ड स्टोरेज	जगदलपुर	हाँ	नया कोल्ड स्टोरेज	467.93	400	200	140	60
2	2019–20	कृष्णा कोल्ड स्टोरेज	जशपुर	हाँ	नया कोल्ड स्टोरेज	407.16	400	200	140	60
3	2020–21	शुभम् कोल्ड स्टोरेज	रायगढ़	हाँ	नया कोल्ड स्टोरेज	4990	400	200	140	60
कुल										180

(स्रोत: विभाग द्वारा दी गई जानकारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

इंगित किये जाने पर संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि चूंकि वर्ष 2019–20 और 2020–21 में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट घटक के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के लिए भारत सरकार द्वारा कोई लक्ष्य अनुमोदित नहीं किया गया था, इसलिए आवेदकों की सहमति प्राप्त करने के बाद अनुसूचित क्षेत्र से प्राप्त आवेदनों पर सामान्य क्षेत्र के लिए देय 35 प्रतिशत सब्सिडी का भुगतान किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की वार्षिक कार्य योजना में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए कोई प्रस्ताव शामिल नहीं किया था तथा भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार ही स्वीकृति प्रदान की थी। इस प्रकार अनुसूचित क्षेत्रों के हितग्राहियों को योजना का अपेक्षित लाभ निर्धारित दर पर नहीं मिल सका।

शासन का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2024)।

3.3.8.7 बाजार बुनियादी ढांचे का निर्माण न किया जाना

फसल कटाई के बाद की सुविधाएं प्रदान करने के अलावा, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बाजार संपर्क का निर्माण भी महत्वपूर्ण है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन दिशानिर्देशों के खंड 7.54 के अनुसार, "बाजार अवसंरचना के निर्माण" घटक के अंतर्गत थोक बाजार, ग्रामीण बाजार/अपनी मंडियों और खुदरा बाजारों की स्थापना के लिए क्रेडिट लिंकड बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी। विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान बाजार अवसंरचना के निर्माण घटक के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रगति का विवरण तालिका 3.3.8 में दिया गया है:

तालिका 3.3.8: वर्ष 2019-22 के दौरान निर्मित बाजार अवसंरचना की भौतिक वित्तीय प्रगति

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अवयव	भौतिक (संख्या)		वित्तीय		कमी का प्रतिशत	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	भौतिक	वित्तीय
1	ग्रामीण बाजार/अपनी मंडी/प्रत्यक्ष बाजार	40	40	400.00	400.00	0	0
2	खुदरा बाजार/दुकानें (पर्यावरण नियंत्रित)	27	10	141.75	52.50	63	63
3	स्थिर/मोबाइल वेंडिंग कार्ट/कूल चैंबर के साथ प्लेटफॉर्म	70	7	10.50	1.50	90	86
4	संग्रह, छंटाई/ग्रेडिंग, पैकिंग इकाइयों आदि के लिए कार्यात्मक अवसंरचना।	5	5	30.00	30.00	0	0

(स्रोत: विभाग द्वारा दी गई जानकारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि विभाग खुदरा बाजारों/दुकानों और कूल चैंबर वाले स्टैटिक/मोबाइल वेंडिंग कार्ट/प्लेटफॉर्म के संबंध में लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। वर्ष 2019-22 के दौरान 27 खुदरा बाजारों और कूल चैंबर वाले 70 स्टैटिक/मोबाइल वेंडिंग कार्ट/प्लेटफॉर्म के लक्ष्य के मुकाबले, एसएचएम ने केवल 10 खुदरा बाजारों/दुकानों और कूल चैंबर वाले सात स्टैटिक/मोबाइल वेंडिंग कार्ट/प्लेटफॉर्म को सब्सिडी दी और कमी 63 से 90 प्रतिशत तक रही।

यद्यपि संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी की प्रगति रिपोर्ट में ग्रामीण बाजारों और संग्रहण/छंटाई/पैकेजिंग इकाइयों जैसे बाजार बुनियादी ढांचे के निर्माण के लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया गया दर्शाया गया था, लेकिन लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त सुविधाओं का निर्माण/स्थापना अभी तक नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि वर्ष 2019-20 के दौरान इस योजना के अंतर्गत मंडी बोर्ड को 15 ग्रामीण हाट बाजार, नौ खुदरा बाजार और पांच संग्रहण/छंटाई/ग्रेडिंग/पैकेजिंग इकाइयों के लिए ₹ 2.27 करोड़ का अग्रिम दिया गया। इसी प्रकार वर्ष 2020-21 में राज्य में 25 ग्रामीण बाजारों के निर्माण के लिए मंडी बोर्ड को ₹ 2.5 करोड़ का अग्रिम दिया गया। मंडी बोर्ड द्वारा जून 2021 में बाजारों के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित

की गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि हालांकि दिशा-निर्देशों के अनुसार बाजार के बुनियादी ढांचे के घटक के अंतर्गत सब्सिडी क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंड सब्सिडी के रूप में प्रदान की जानी थी, लेकिन विभाग ने सब्सिडी की पूरी राशि मंडी बोर्ड को अग्रिम के रूप में भुगतान कर दी। इसके अलावा, उपरोक्त सब्सिडी के विरुद्ध मंडी बोर्ड द्वारा बाजार के बुनियादी ढांचे के पूरा होने की स्थिति विभाग के पास उपलब्ध नहीं थी।

इंगित किये जाने पर संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार और राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, मंडी बोर्ड को 40 ग्रामीण बाजारों, नौ खुदरा बाजारों और पांच संग्रह, छंटाई/ग्रेडिंग, पैकिंग इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की गई है, जिसके विरुद्ध निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पूरी सब्सिडी मंडी बोर्ड को अग्रिम के रूप में दे दी गई थी तथा बाजार के बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्य के लक्ष्य की पूर्ति निर्माण कार्य पूरा हुए बिना ही दर्शाया गया था।

शासन का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2024)।

3.3.8.8 आपूर्तिकर्ता फर्मों को अनुचित और अविवेकपूर्ण लाभ पहुंचाने के कारण अधिक और अनावश्यक व्यय

अ. रोटरी टिलर की आपूर्ति

छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002, यथा संशोधित 2020 के नियम 4.3.3 के अनुसार खुली निविदा में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा एवं तुलना सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक होगा कि कम से कम तीन मूल निर्माता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि निविदा प्रक्रिया में भाग लें। उचित गुणवत्ता की वस्तु का चयन करने के लिए यह आवश्यक है कि आपूर्ति की जाने वाली वस्तु का नमूना प्राप्त किया जाए।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन दिशानिर्देशों के अंतर्गत, एससी/एसटी/महिलाओं तथा छोटे और सीमांत किसानों को पावर टिलर (8 एचपी से कम) के लिए निर्धारित ₹ एक लाख की लागत के विरुद्ध ₹ 0.50 लाख (लागत का 50 प्रतिशत) की सब्सिडी लाभार्थी को देय थी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन/एकीकृत बागवानी विकास मिशन के कार्यान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन के आदेश (जून 2012 और फरवरी 2019) के अनुसार, बीज निगम को योजना के अंतर्गत सामग्री की आपूर्ति के लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कंपनी को पंजीकृत करना था।

तदनुसार, बीज निगम ने बागवानी मशीनीकरण उपकरणों के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) (अगस्त 2020) प्रकाशित की और छः²⁵ आपूर्तिकर्ता फर्मों के साथ दर अनुबंध की। बीज निगम द्वारा जारी एनआईटी के अनुसार, बोलीदाता को उद्धृत वस्तु का स्वयं निर्माता/उत्पादक होना चाहिए। इसके अलावा, पावर टिलर के लिए अधिकृत सरकारी एजेंसी से वैध परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य थी।

बीज निगम ने अपने पत्र (नवंबर 2020) के माध्यम से सभी जिला कार्यालयों को ₹ 95,200 की दर से पावर टिलर (8 बीएचपी से कम) की खरीद के लिए दो आपूर्तिकर्ता फर्मों²⁶ के साथ किये गये दर अनुबंध की एक प्रति प्रदान करते हुए सूचित किया। संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की नमूना जांच (जनवरी 2023) के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि सात बोलियां प्राप्त हुईं,

²⁵ मेसर्स अन्नभूमि ग्रीनटेक प्रा. लिमिटेड भिलाई, मेसर्स जय गुरुदेव एग्रो रायपुर, मेसर्स किसान एगरोटेक, दुर्ग, मेसर्स लक्ष्य टेक्नोक्रेट्स इंडिया प्रा. लिमिटेड रायपुर, मेसर्स जे एम इंटरप्राइजेज भिलाई और मेसर्स वरुण इंजीनियरिंग रायपुर

²⁶ मेसर्स किसान एगरोटेक, दुर्ग और मेसर्स जे एम इंटरप्राइजेज भिलाई।

जिनमें से केवल दो बोलियां पावर टिलर के लिए तकनीकी रूप से योग्य थीं। दो योग्य बोलीदाताओं में से केवल एक आपूर्तिकर्ता फर्म (मेसर्स किसान एगरोटेक) ने अपने उत्पाद रोटरी टिलर मेक/मॉडल-कृषि क्राफ्ट के लिए अन्य आवश्यक और अनिवार्य दस्तावेजों के साथ परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। बीज निगम ने एक अन्य आपूर्तिकर्ता फर्म मेसर्स जे.एम. एंटरप्राइजेज के साथ भी दर अनुबंध कर लिया, जिसने अपने पावर टिलर के लिए आवश्यक वैध परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया था। जिला कार्यालयों के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि मेसर्स जे.एम. एंटरप्राइजेज ने वही रोटरी टिलर आपूर्ति किया जिसके लिए मेसर्स किसान एगरोटेक के साथ दर अनुबंध किया गया था, जो दर्शाता है कि आपूर्तिकर्ता फर्म मेसर्स जे.एम. एंटरप्राइजेज स्वयं निर्माता/उत्पादक नहीं थी।

इसके अलावा, मेसर्स किसान एगरोटेक ने रोटरी टिलर "मॉडल-कृषि क्राफ्ट केसी-पीडब्ल्यूपी-7 एचपी" और "केसी-आरटी-10 केएएमए" के लिए एसआरएफएमटीटीआई²⁷ भारत सरकार से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। परीक्षण एजेंसी (एसआरएफएमटीटीआई) ने प्रमाणित किया कि वस्तु का निर्माता जिला चोंगकिंग, चीन की एक विनिर्माण कंपनी थी। इस प्रकार, आपूर्तिकर्ता फर्म मेसर्स किसान एगरोटेक ने उस वस्तु के निर्माता होने के लिए गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। बीज निगम ने उचित परिश्रम किए बिना घोषणा प्रमाण पत्र स्वीकार कर लिया और एनआईटी में उल्लिखित नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हुए चीन से निर्मित और आयातित उत्पाद के लिए आपूर्तिकर्ता फर्म के साथ दर अनुबंध दर्ज की। यह दर्शाता है कि बीज निगम ने आपूर्तिकर्ता के चयन के लिए स्वयं अपनी पात्रता मानदंडों का पालन नहीं किया। इसके अलावा एनआईटी में निर्धारित स्व-निर्माता की शर्त ने भी प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित कर दिया क्योंकि अधिकृत प्रतिनिधियों/डीलरों को भाग लेने की अनुमति नहीं थी।

संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा उपलब्ध कराई गई भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में 1315 रोटरी टिलर के लिए ₹ 6.57 करोड़ की सब्सिडी वितरित की गई। इसके अलावा, चयनित जिलों में अभिलेखों की जांच से पता चला कि दर अनुबंध में अनुमोदित दर ₹ 95,200 के बजाय दर अनुबंध के माध्यम से पंजीकृत विक्रेताओं द्वारा किसानों को ₹ 1.00 लाख प्रति यूनिट की दर से रोटरी टिलर की आपूर्ति की गई थी। सहायक संचालक उद्यान/उप संचालक उद्यान ने प्रस्तुत बिल के विरुद्ध ₹ 50,000 प्रति यूनिट की सब्सिडी का भुगतान किया। उच्च दरों की स्वीकृति के परिणामस्वरूप किसानों से ₹ 4,800 प्रति यूनिट की उच्च दर वसूल की गई और परिणामस्वरूप विभाग द्वारा ₹ 2,400 प्रति यूनिट (50 प्रतिशत) की सब्सिडी का अधिक भुगतान किया गया। इस प्रकार, दर अनुबंध में अनुमोदित दर का अनुपालन न करने के कारण आपूर्तिकर्ता फर्मों द्वारा ₹ 4800 प्रति यूनिट का अनुचित लाभ उठाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि आपत्ति छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम (बीज निगम) से संबंधित है, अतः इस संबंध में संबंधित फर्म के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए प्रबंध निदेशक, बीज निगम, रायपुर को पत्र लिखा गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सहायक संचालक उद्यान/उप संचालक उद्यान को विक्रेता और बीज निगम के बीच निष्पादित दर अनुबंध में अनुमोदित दरों के अनुसार सब्सिडी की राशि को वस्तु की लागत के 50 प्रतिशत तक सीमित किया जाना था।

शासन का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2024)।

²⁷ एसआरएफएमटीटीआई – दक्षिणी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान

ब. पावर वीडर की आपूर्ति

संचालनालय, उद्यानिकी के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि भारत सरकार ने वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2020-21 में अंतर घटक परिवर्तनों को मंजूरी दी और बागवानी मशीनीकरण के अंतर्गत संशोधित लक्ष्य (1040 से 3465 तक) निर्धारित किया। तदनुसार, संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों के लिए ₹ 1.26 लाख की लागत वाले 1,530 पावर वीडर के वितरण का लक्ष्य (30 मार्च 2021) निर्धारित किया गया था। कृषि विभाग द्वारा उसी दिन (30 मार्च 2021) एक आपूर्तिकर्ता फर्म मेसर्स किसान एगोटेक को भी बिना किसी निविदा प्रक्रिया के विक्रेता द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पर ₹ 1.26 लाख की दर से पावर वीडर की आपूर्ति के लिए पंजीकृत किया गया था।

वर्ष 2020-21 की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 1530 लक्ष्य के सापेक्ष कुल 1453 पावर वीडर की आपूर्ति की गई, जो सभी ₹ 1.26 लाख/यूनिट की दर से क्रय किए गए तथा लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् ₹ 0.63 लाख/यूनिट विभाग द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया गया।

चयनित जिला कार्यालयों के लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि उपर्युक्त आपूर्तिकर्ता फर्म ने पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार ₹ 1.26 लाख प्रति यूनिट की दर से पावर वीडर की आपूर्ति की। हालाँकि, उसी फर्म ने उसी उत्पाद को रोटरी टिलर के रूप में एक लाख रुपये प्रति यूनिट की दर से आपूर्ति की थी जिसका बीज निगम के साथ एक वर्ष की अवधि (नवंबर 2020 से नवंबर 2021) के लिए दर अनुबंध ₹ 95,200 प्रति यूनिट की दर से किया गया था, जैसा कि पिछले पैरा में चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि एसआरएफएमटीटीआई के साथ-साथ बीज निगम और संयुक्त संचालक, कृषि अभियांत्रिकी (कृषि उपकरणों के लिए राज्य स्तरीय परीक्षण प्रयोगशाला) ने स्पष्ट किया है (मार्च 2023) कि रोटरी टिलर और पावर वीडर समरूप हैं और उन्हें एक ही माना जाएगा।

इस प्रकार, एक ही वस्तु (मेक-कृषि क्राफ्ट और मॉडल नंबर-केसी-डब्ल्यूपी-7पीई) को आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा दो अलग-अलग नामों से किसानों को दो अलग-अलग दरों पर आपूर्ति की गई थी।

इसके अलावा, अभिलेखों की जांच से पता चला कि आपूर्तिकर्ता फर्म ने मेसर्स चोंगकिंग अम्म मशीनरी मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, जिला चोंगकिंग, चीन द्वारा निर्मित अपने उत्पाद 'पावर वीडर मेक-कृषि क्राफ्ट, मॉडल नंबर-केसी-डब्ल्यूपी-7पीई' के लिए एनआरएफएमटीटीआई²⁸ हिसार, हरियाणा से जारी वाणिज्यिक परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। परीक्षण रिपोर्ट के विस्तृत विश्लेषण से पता चला कि यह उत्पाद व्यावसायिक परीक्षण में सफल नहीं रहा था। परीक्षण के दौरान परीक्षण एजेंसी द्वारा कई सुधारात्मक निर्देश दिए गए, हालांकि इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। वाणिज्यिक परीक्षण रिपोर्ट (फरवरी 2020) में महत्वपूर्ण मापदंडों के बारे में जानकारी की कमी सहित कुल 14 ऐसी प्रतिकूल टिप्पणियों की गईं और कंपनी को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा गया। कृषि विभाग में सुधारात्मक उपायों और उत्पाद के पुनः परीक्षण के बारे में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। हालाँकि, कृषि आयुक्त ने परीक्षण रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों और अनुशंसाओं का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना मार्च 2021 में फर्म को पंजीकृत कर दिया।

इस प्रकार, आपूर्तिकर्ता फर्म का पक्ष लेने से आपूर्तिकर्ता फर्म को ₹ 30,800/यूनिट (₹ 1,26,000 - ₹ 95,200) का अनुचित लाभ हुआ और साथ ही किसानों को

²⁸ एनआरएफएमटीटीआई - उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान।

गुणवत्ताहीन पावर वीडर की आपूर्ति हुई। इसके परिणामस्वरूप उच्च दर वाली वस्तु के चयन के कारण ₹ 2.24 करोड़²⁹ की सब्सिडी का अतिरिक्त बोझ भी पड़ा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि कृषि यंत्रीकरण के अंतर्गत किसानों द्वारा क्रय की गई मशीनों पर सब्सिडी देने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाता है कि उन मशीनों का पंजीकरण कृषि संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया हो। मेसर्स किसान एग्रोटेक द्वारा राज्य में पावर वीडर के विक्रय हेतु पंजीयन प्रमाण-पत्र कृषि संचालनालय, छत्तीसगढ़ से प्राप्त किया गया था। उक्त प्रमाण-पत्र के आधार पर किसानों द्वारा पावर वीडर क्रय का बिल प्रस्तुत करने पर जिला अधिकारियों द्वारा अनुदान राशि का भुगतान किया गया। इस प्रकार जिला अधिकारियों द्वारा अनुदान वितरण में कोई अनियमितता नहीं की गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आपूर्तिकर्ता फर्म का चयन विभाग द्वारा किया गया था और पावर वीडर की दर प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के बिना तय की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उसी वस्तु की आपूर्ति उच्च दर पर हुई। यह बागवानी मशीनीकरण घटक के अंतर्गत सामग्री की आपूर्ति में विभाग द्वारा आवश्यक निरीक्षण और निगरानी की कमी को भी दर्शाता है।

शासन का उत्तर प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2024)।

स. पल्वराइजर की आपूर्ति

कृषि मशीनीकरण के उप मिशन में लागत मानदण्डों एवं सहायता के स्वरूप के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत कृषकों तथा महिला कृषकों के लिए कुल लागत का 60 प्रतिशत तक (अधिकतम ₹ 0.60 लाख) तथा अन्य लाभार्थियों के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत तक (अधिकतम ₹ 0.50 लाख) सब्सिडी प्रदान की जानी थी।

संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए परिप्रेक्ष्य योजना में पल्वराइजर के लिए कोई प्रावधान नहीं था। तदनुसार, वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए वार्षिक कार्य योजना में पल्वराइजर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। साथ ही, पल्वराइजर घटक एकीकृत बागवानी विकास मिशन दिशानिर्देश 2014 का हिस्सा भी नहीं था। हालांकि, संचालक ने राज्य के विभिन्न जिलों में एक नए घटक 'पल्वराइजर' के वितरण का लक्ष्य (30 मार्च 2021) तय किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बीज निगम ने अपने पत्र (नवंबर 2020) के माध्यम से सभी जिला कार्यालयों को सूचित किया कि उसने मिनी पल्वराइजर मोटर एचपी 3, फीड साइज 10 मिमी की खरीद के लिए पांच आपूर्तिकर्ता फर्मों³⁰ के साथ ₹ 83,898 + जीएसटी (5 प्रतिशत) अर्थात् ₹ 88,093 की दर से दर अनुबंध किया था।

चयनित जिलों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान आपूर्तिकर्ता फर्मों ने मिनी पल्वराइजर की आपूर्ति ₹ 1.20 लाख प्रति यूनिट की दर से की, जो कि दर अनुबंध में निर्धारित दर ₹ 88,093 प्रति यूनिट से अधिक थी। उच्च दरों को सहायक संचालक उद्यान/उप संचालक उद्यान द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा प्रति यूनिट ₹ 60,000 की अधिकतम सब्सिडी का भुगतान किया गया।

²⁹ किसानों द्वारा कुल अतिरिक्त भुगतान = 1453 x ₹ 30,800 अर्थात् ₹ 4,47,52,400,

विभाग द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त सब्सिडी = ₹ 4,47,52,400 / 2 अर्थात् ₹ 2.24 करोड़

³⁰ मेसर्स अन्नभूमि ग्रीनटेक प्रा. लिमिटेड भिलाई, मेसर्स जय गुरुदेव एग्रो रायपुर, मेसर्स किसान एग्रोटेक, दुर्ग, मेसर्स लक्ष्य टेक्नोक्रेट्स इंडिया प्रा. लिमिटेड रायपुर और मेसर्स जे एम इंटरप्राइजेज भिलाई।

उच्च दरों को स्वीकार करने के कारण लाभार्थी किसानों को प्रति यूनिट ₹ 31,907 अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा, जिसपर विभाग ने भी ₹ 7,144³¹ प्रति यूनिट की दर से अतिरिक्त सब्सिडी का भुगतान किया। इसके अलावा, सहायक संचालक उद्यान/उप संचालक उद्यान या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई कि किसान दर अनुबंध में निर्धारित दर पर सामग्री खरीदें। इसलिए, किसानों को सामग्री की आपूर्ति में उचित निगरानी की कमी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता फर्मों को प्रति इकाई ₹ 31,907 का अनुचित लाभ हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि आपत्ति छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम (बीज निगम) से संबंधित है, अतः इस संबंध में संबंधित फर्म के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए प्रबंध निदेशक, बीज निगम, रायपुर को पत्र लिखा गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बीज निगम द्वारा आपूर्तिकर्ता फर्मों के साथ दर अनुबंध किया था, जबकि विभाग ने दर अनुबंध में उल्लेखित दर से अधिक दर स्वीकार की थी। अतः विभाग को आपूर्तिकर्ता फर्म को दी गई अधिक राशि वसूल करनी चाहिए।

इससे यह इंगित होता है कि बागवानी मशीनीकरण के अंतर्गत वस्तुओं की आपूर्ति एकीकृत बागवानी विकास मिशन/कृषि मशीनीकरण के उप मिशन दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्वीकार्य सब्सिडी की अधिकतम राशि के आधार पर की जा रही थी, बजाय इसके कि किसानों को निविदा के माध्यम से तय प्रतिस्पर्धी दर पर वस्तुओं की आपूर्ति की जाए, जिसके परिणामस्वरूप शासकीय निधि/सब्सिडी की कीमत पर आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

शासन का उत्तर प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2024)।

3.3.9 निष्कर्ष

बागवानी के अंतर्गत क्षेत्र के समग्र कवरेज को बढ़ाने के उद्देश्य के विरुद्ध कुल बागवानी क्षेत्र वर्ष 2019–20 में 8.62 लाख हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2021–22 में 8.35 लाख हेक्टेयर हो गया। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार के लिए निर्धारित लक्ष्य लेखापरीक्षा अवधि के दौरान पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा ने नियोजित गतिविधियों से विचलन देखा, जिसके परिणामस्वरूप योजना के अंतर्गत लक्षित गतिविधियाँ प्राप्त नहीं हो सकीं। उत्कृष्टता केंद्र, कोल्ड चेन अवसंरचना, जैविक खेती और प्रमाणीकरण जैसी प्रमुख गतिविधियाँ यद्यपि वर्ष 2017–22 की परिप्रेक्ष्य योजना में नियोजित थीं, लेकिन इन्हें वार्षिक कार्य योजना का हिस्सा नहीं बनाया गया और इसलिए इन्हें कार्यान्वयन के लिए नहीं लिया गया।

लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न स्तरों पर योजना के कार्यान्वयन में कमियाँ पाई गईं, जैसे कि शेडनेट हाउस के निर्माण में सब्सिडी का अनियमित वितरण, प्राकृतिक रूप से हवादार ग्रीन हाउस संरचना के लिए सब्सिडी का अधिक भुगतान, प्रतिरक्षण इकाई के सभी घटकों की स्थापना सुनिश्चित किए बिना कम लागत वाली प्रतिरक्षण इकाई के लिए सब्सिडी का वितरण। बागवानी मशीनीकरण के अंतर्गत रोटरी टिलर, पावर वीडर और पल्वराइजर जैसी वस्तुओं की आपूर्ति एकीकृत बागवानी विकास मिशन/कृषि मशीनीकरण के उप मिशन दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्वीकार्य अधिकतम सब्सिडी राशि के आधार पर की गई, न कि निविदा के माध्यम से तय की गई प्रतिस्पर्धी दर पर, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता फर्मों को अनुचित लाभ हुआ और शासन पर सब्सिडी का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

³¹ ₹ 7144 = ₹ 60,000 – ₹ 52856 (₹ 88,093 का 60 प्रतिशत)

3.3.10 अनुशंसा

- विभाग को एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
- वार्षिक कार्य योजना में उल्लेखित लक्ष्य, सर्वेक्षण के बाद तैयार की गई परिप्रेक्ष्य योजना से लिया जाना चाहिए। विभाग को योजना के प्रत्येक घटक को लागू करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करना चाहिए।
- विभाग को प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से कृषि उपकरण/सामग्री की खरीद की प्रणाली को सुव्यवस्थित करना चाहिए और गुणवत्ता से समझौता किए बिना किसानों को किफायती लागत पर आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।
- विभाग को सब्सिडी के भुगतान के लिए दरों और अनुबंध की अन्य शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र विकसित करना चाहिए।

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

3.4 छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण

3.4.1 प्रस्तावना

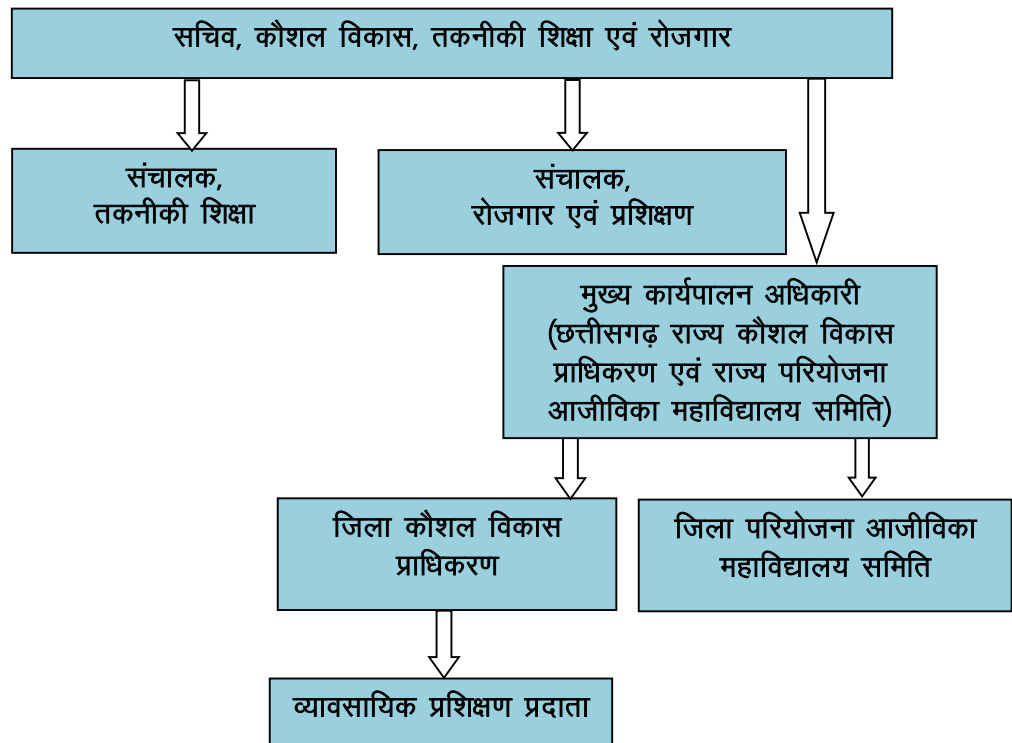
छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास मिशन का गठन वर्ष 2011 में किया गया था और छत्तीसगढ़ राज्य में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास मिशन के अंतर्गत वर्ष 2022 के अंत तक 1.25 करोड़ कार्यशील आबादी को प्रमाणित कुशल तकनीशियनों के रूप में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था (मई 2012)। छत्तीसगढ़ युवाओं का कौशल विकास अधिकार अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन के बाद छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास मिशन को समाप्त कर दिया गया और राज्य में कौशल प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (सीएसएसडीए) का गठन किया गया। कौशल विकास प्रशिक्षण का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए लाभकारी रोजगार/स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करने हेतु उनकी क्षमताओं को बढ़ाना है।

जिला कौशल विकास प्राधिकरण, जिले में पंजीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (वीटीपी) द्वारा प्रदान किए गए कौशल विकास प्रशिक्षण की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए जिला स्तर की कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। वीटीपी कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र हैं जहां युवा अपनी पसंद और पात्रता के अनुसार एक समय सीमा के भीतर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षुओं को कौशल विकास प्रशिक्षण पूरा होने पर तीसरे पक्ष के मूल्यांकनकर्ता द्वारा परीक्षण उपरांत सफल घोषित किए जाने के बाद प्रशिक्षु वीटीपी द्वारा संचालित संबद्ध प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।

छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (राज्य योजना) और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (केंद्र प्रायोजित और राज्य प्रबंधित योजना) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है। दिसंबर 2021 में 132 शासकीय और 61 निजी वीटीपी के माध्यम से 27 क्षेत्रों के अंतर्गत 111 पाठ्यक्रमों में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा था। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 27 आजीविका महाविद्यालय समितियां 36 क्षेत्रों में 706 पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रही थी।

3.4.2 संगठनात्मक संरचना

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। यह कौशल विकास प्रशिक्षण के संचालन संबंधी दिशानिर्देश/नीतियां तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, सीएसएसडीए के बजट नियंत्रण अधिकारी (बीसीओ) हैं। छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण/राज्य परियोजना आजीविका महाविद्यालय समिति अपनी स्थापना के बाद से मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण संचालित करने के लिए नोडल एजेंसी है। छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण/राज्य परियोजना आजीविका महाविद्यालय समिति की संगठनात्मक संरचना नीचे दी गई है:



मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीएसएसडीए और राज्य परियोजना आजीविका महाविद्यालय समिति के कार्यकारी प्रमुख हैं और उन्हें राज्य स्तर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्रबंधकों और संयुक्त संचालक (वित्त) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जिला कौशल विकास प्राधिकरणों के 27 सहायक संचालक और आजीविका महाविद्यालय समितियों के 27 प्रधानाचार्य/सहायक परियोजना अधिकारी हैं। ये सहायक संचालक/प्रधानाचार्य/सहायक परियोजना अधिकारी जिला स्तर पर निजी/सरकारी वीटीपी के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी की सहायता करते हैं।

3.4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण के अनुपालन लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या :

- युवा आबादी को रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त करने योग्य बनाने हेतु प्रमाणित कुशल तकनीशियनों के रूप में तैयार करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ
- प्रशिक्षण संस्थानों में पर्याप्त अधोसंरचना सुविधाएं और कुशल प्रशिक्षक उपलब्ध थे,
- प्रशिक्षणों के संचालन में निधियों का उपयोग दक्षतापूर्वक और मितव्ययी रूप से किया गया।

3.4.4 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का आकलन निम्नलिखित के विरुद्ध किया गया :

- छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता और छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002
- छत्तीसगढ़ युवाओं का कौशल विकास अधिकार अधिनियम, 2013 (सीजीआरवाईएसडी अधिनियम)

- छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता) विनियम, 2013
- छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देश और योजना दिशानिर्देश।

3.4.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

अनुपालन लेखापरीक्षा में वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि को शामिल किया गया। अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान राज्य स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीएसएसडीए के कार्यालय और जिला स्तर पर सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण और सहायक परियोजना अधिकारी, आजीविका महाविद्यालय के कार्यालयों में अभिलेखों की जांच की गई। लेखापरीक्षा ने जिला कौशल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत पंजीकृत वीटीपी को कवर किया जिसके लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अनुदान जारी किए गए थे। लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ वीटीपी का संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया गया था। राज्य के 28 जिलों में से सात जिलों³² का चयन परिमाण सापेक्ष संभाव्यता नमूनाकरण के आधार पर किया गया था। मसौदा प्रतिवेदन फरवरी 2023 और जुलाई 2023 में राज्य सरकार को भेजी गई थी। प्रतिवेदन पर शासन का उत्तर अक्टूबर 2023 में प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार के उत्तरों को प्रतिवेदन में यथोचित रूप से शामिल किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.4.6 योजना और कार्यान्वयन

3.4.6.1 परिप्रेक्ष्य योजनाओं को तैयार किया जाना

सीजीआरवाईएसडी अधिनियम 2013 की धारा 11 (सी) के अनुसार, हर पांच साल में एक बार, सीएसएसडीए मैक्रोइकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेंड, उभरती प्रौद्योगिकी एवं कुशल मानव संसाधन की मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य में कौशल विकास के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करेगा और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्राधिकरण की परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा कोई परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई थी।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि वर्ष 2022-27 की अवधि के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने हेतु मेसर्स मेरापथ एजुकेशन लिमिटेड के साथ करार किया गया था (मई 2023)।

शासन का उत्तर इंगित करता है कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई थी।

3.4.6.2 व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं की उपलब्धता

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के बेहतर कार्यान्वयन और राज्य में 100 प्रतिशत रोजगार के आधार पर कौशल विकास प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से नए

³² बलौदाबाजार, बलरामपुर, बिलासपुर, जशपुर, कोरबा, सुकमा और सूरजपुर

दिशानिर्देश (अगस्त 2019) जारी किए। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी वीटीपी को पंजीयन के संशोधित मानदंडों के अंतर्गत नये सिरे से पंजीकृत करना आवश्यक था।

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि नए दिशानिर्देशों को अपनाने (अगस्त 2019) के बाद सभी मौजूदा वीटीपी को विपंजीकृत कर जिला कौशल विकास प्राधिकरण ने नए वीटीपी पंजीकृत करना शुरू कर दिया। हालांकि, नए वीटीपी के पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। परिणामस्वरूप, केवल कुछ वीटीपी पंजीकृत किए जा सके, जैसा कि **तालिका 3.4.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4.1: दिशानिर्देशों में परिवर्तन से पहले और बाद में कौशल विकास प्रशिक्षण का संचालन

क्र. सं.	वर्ष	कुल पंजीकृत वीटीपी	वीटीपी जिन्होंने प्रशिक्षण प्रदान किया	प्रशिक्षण बैचों की संख्या	प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या
1	2017-18	2157	1518	7317	133796
2	2018-19	2244	842	3383	62649
3	2019-20	2083	36	78	985
4	2020-21	189	0	0	0
5	2021-22	203	4	7	105

(स्रोत: छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2017-20 के दौरान, प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिकतम 2,244 वीटीपी पंजीकृत किए गए थे जो वर्ष 2021-22 में घटकर 203 हो गए। वर्ष 2019-22 के दौरान कोविड-19 महामारी और पंजीकृत वीटीपी की संख्या में गिरावट ने प्रशिक्षण कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2022) कि कोविड-19 महामारी के कारण प्रशिक्षण प्रभावित हुए थे और आगे बताया कि नये दिशानिर्देशों के अनुसार, नये वीटीपी के पंजीकरण के लिए पंजीकरण शुल्क, सुरक्षा जमा के रूप में बैंक गारंटी अनिवार्य किये गये थे।

3.4.6.3 लक्ष्य प्राप्ति एवं प्रशिक्षुओं के प्लेसमेंट (नौकरी दिलाने में) में कमी (क) मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना

छत्तीसगढ़ शासन (छ.ग. शासन) ने मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 के अंत तक 1.25 करोड़ कार्यशील आबादी को प्रमाणित कुशल तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था (मई 2012) और इसे लागू करने के लिए सीएसएसडीए (पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास मिशन) को नोडल एजेंसी बनाया था। सीएसएसडीए के अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि वार्षिक योजना में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्य का उल्लेख किया गया था। वर्ष 2013-14 से मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कुशल युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करने के लिए वार्षिक लक्ष्य और उपलब्धियों का विवरण **तालिका 3.4.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4.2: मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण और रोजगार की वर्षवार स्थिति

वर्ष	मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण और रोजगार की वर्षवार स्थिति					
	लक्ष्य	नामांकित	परीक्षा में उत्तीर्ण	नियोजित	स्व-नियोजित	बेरोजगार
2013-14	—	—	13564	1066	2361	10137
2014-15	195720	72409	39638	6413	8361	24864
2015-16	89364	90765	74564	15033	23970	35561
2016-17	116325	113683	103792	26589	30300	46903
2017-18	147416	153359	144193	39230	49558	55405
2018-19	110515	72621	77021	23052	21421	32548
2019-20	13389	1972	14110	4300	3461	6349
2020-21	11705	0	107*	57	3	47
2021-22	18920	136	689	300	62	327
2022-23	23685	6950	2624	1734	200	690
योग	727039	511895	470302	117774	139697	212831

(स्रोत: छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

* वर्ष 2020-21 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को पिछले वर्षों में नामांकित किया गया था।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2013-14 से 2022-23 की अवधि के दौरान—

- छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण ने छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित 1.25 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के विपरीत बहुत कम लक्ष्य 7,27,039 (छह प्रतिशत) निर्धारित किया था।
- कुशल तकनीशियन के रूप में 7,27,039 युवा आबादी को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के विपरीत, सीएसएसडीए पूरे राज्य में केवल 4,70,302 प्रशिक्षुओं (65 प्रतिशत) को प्रशिक्षित कर सका है।
- कुल 4,70,302 प्रमाणित कुशल युवाओं में से 2,57,471 (55 प्रतिशत) को वीटीपी द्वारा प्लेसमेंट प्रदान किया गया था।
- मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, 20/30 उम्मीदवारों के प्रत्येक बैच से 01/02 प्रमाणित चयनित प्रशिक्षुओं को 10 प्रतिशत ऋण, अधिकतम ₹ 2 लाख प्रति प्रशिक्षु प्रदान किया जाना चाहिए था। इसके लिए वर्ष 2018-22 के दौरान ₹ 661.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया था जिसमें से केवल ₹ 80 लाख वर्ष 2018-19 के दौरान जारी किए गए थे और संबंधित जिलों में स्थानांतरित किए गए थे। हालांकि, इन जिलों ने स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस निधि का उपयोग नहीं किया और इसलिए वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 80 लाख की यह पूरी निधि कालातीत हो गई।

(ख) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

भारत सरकार ने देश के 10 मिलियन युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए वर्ष 2016-20 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संशोधित और बेहतर संस्करण प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2.0 को स्वीकृति (2016) दी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दो घटक हैं— एक केंद्र प्रायोजित केंद्र प्रबंधित है जहां 75 प्रतिशत निधि का उपयोग राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से युवाओं को कुशल बनाने के लिए किया जायेगा और दूसरा केंद्र प्रायोजित

राज्य प्रबंधित जहां 25 प्रतिशत धन योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को आवंटित किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण नोडल एजेंसी थी और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रशिक्षण संचालित करने के लिए आजीविका महाविद्यालय समितियों को वीटीपी के रूप में पंजीकृत किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे **तालिका 3.4.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4.3: छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2017–22 के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की प्रगति

वर्ष	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण और रोजगार की वर्षवार स्थिति					
	लक्ष्य	नामांकित	परीक्षा में उत्तीर्ण	नियोजित	स्व-नियोजित	बेरोजगार
2017–18	15980	666	315	151	48	116
2018–19		13046	7432	3172	1237	3023
2019–20		43	20	20	0	0
2020–21	1224	588	299	232	34	33
2021–22	300	878	415	275	0	140
योग	17504	15221	8481	3850	1319	3312

(स्रोत: छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 17504 के लक्ष्य के विपरीत केवल 8481 (48 प्रतिशत) युवा आबादी सफलतापूर्वक परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं में से 3312 (39 प्रतिशत) को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत नियोजित नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि वर्ष 2020–22 के दौरान कोविड महामारी के कारण कौशल विकास प्रशिक्षण और नियोजन में गिरावट आई थी और नए दिशानिर्देशों (2019) को अपनाने के बाद वीटीपी को कम संख्या में पुनः पंजीकृत किया जा सका था। वर्तमान में, 303 वीटीपी गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। आगे बताया गया कि मुख्यमंत्री कौशल स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण लेने के लिए आवेदन प्राप्त नहीं हुए थे।

तथापि, शासन को योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

3.4.6.4 उच्च शिक्षा/लोक नियोजन के लिए कौशल विकास प्रमाण पत्रों को मान्यता नहीं दिया जाना

सीजीआरवाईएसडी अधिनियम 2013 की धारा 11(1)(एच) के अनुसार, राज्य प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को कौशल विकास से संबंधित एक या अधिक प्रमाणपत्रों या अन्य उपाधियों की अनुशंसा करे जिन्हें लोक नियोजन या उच्च शिक्षा तक पहुँच के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्रों जैसे उपाधियों या पात्रता अर्हताओं के समकक्ष माना जा सकता है।

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जारी किए गए कौशल विकास प्रमाणपत्रों को न तो किसी डिप्लोमा के समकक्ष या पात्रता अर्हता के रूप में मान्यता दी गई थी और न ही रोजगार के उद्देश्य से या उच्च शिक्षा तक पहुँच के लिए कोई वरीयता दी गई थी। इसके अतिरिक्त, विभिन्न पाठ्यक्रमों के पूरा होने के बाद प्रशिक्षुओं को दिए गए प्रमाण पत्र को मान्यता देने का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण

द्वारा मई 2021 में राज्य सरकार को भेजा गया था, तथापि, शासन से आधिकारिक मान्यता अभी भी लंबित है।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा जारी कौशल विकास प्रमाण पत्र को शासकीय और निजी क्षेत्रों में कुशल श्रमिक के रूप में नियुक्ति के लिए वरीयता/प्राथमिकता देने के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नौ साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी लोक नियोजन के उद्देश्य से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत दिए गए (अक्टूबर 2023 तक) प्रमाणपत्रों को मान्यता नहीं दिये जाने के कारण प्रशिक्षु प्रभावित हुए तथा रोजगार और आजीविका प्राप्त करने का उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका।

3.4.6.5 कौशल विकास प्रशिक्षणों के संचालन में अनियमितताएँ

(अ) बायोमेट्रिक उपस्थिति के बिना प्रशिक्षण संचालित किया गया

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के निर्देश (नवंबर 2013) के अनुसार, प्रशिक्षुओं की दिन में दो बार बायोमेट्रिक उपस्थिति और पोर्टल के साथ इसका एकीकरण अनिवार्य है। प्रशिक्षुओं के मूल्यांकन के लिए विद्यार्थी की 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य थी।

चयनित 91 वीटीपी के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि 91 वीटीपी में से केवल सात³³ ने बायोमेट्रिक उपस्थिति जमा की थी, जबकि 65 वीटीपी ने बायो-मेट्रिक उपस्थिति के बजाय मैनुअल उपस्थिति जमा की थी। आगे यह पाया गया कि जिला कौशल विकास प्राधिकरण, बलरामपुर के अंतर्गत 19 वीटीपी ने न तो मैनुअल उपस्थिति और न ही बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रस्तुत की थी, जिसके कारण प्रशिक्षुओं के मूल्यांकन के लिए आवश्यक 80 प्रतिशत की निर्धारित उपस्थिति वीटीपी द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला कौशल विकास प्राधिकरण, बलरामपुर को छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण को सूचित करते हुए संबंधित मामलों में कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है। आगे बताया गया कि नए दिशानिर्देशों को अपनाने के बाद प्रशिक्षण और मूल्यांकन के लिए भुगतान बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर किया गया था।

(ब) सभी आवेदकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया

सीजीआरवाईएसडी अधिनियम 2013 की धारा 3(1) और 4(1) के अनुसार, किसी भी युवा को राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित कौशल में से उसके चयन के व्यवसाय में कुशल होने के अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा। जिला प्राधिकरण एक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता की पहचान करेगा और आवेदक को आवेदन प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 90 दिनों की अवधि के भीतर इसकी सूचना देगा।

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वाले सभी पंजीकृत आवेदकों को सीजीआरवाईएसडी अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वाले और वीटीपी को आवंटित किए गए या वीटीपी को आवंटित नहीं किए गए उम्मीदवारों का विवरण **तालिका 3.4.4** में दर्शाया गया है।

³³ सूरजपुर में छः वीटीपी और जशपुर में एक वीटीपी

तालिका 3.4.4: वर्ष 2017-22 के दौरान कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए वीटीपी आवंटित आवेदकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	प्राप्त आवेदन	वीटीपी को आवंटित आवेदकों की संख्या	वीटीपी को अधिकतम 90 दिनों की अवधि के भीतर आवंटित नहीं किए गए आवेदकों की संख्या (प्रतिशत)
2017-18	188863	143608	45255(24)
2018-19	101619	63564	38055(37)
2019-20	7935	1459	6476(82)
2020-21	164	0	164(100)
2021-22	2780	409	2371(85)
योग	301361	209040	92321(31)

(स्रोत: छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 3,01,361 उम्मीदवारों ने कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए आवेदन किया था जिनमें से 2,09,040 को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए वीटीपी आवंटित किए गए थे, जबकि शेष 92,321 (31 प्रतिशत) उम्मीदवारों को 90 दिनों के निर्धारित समय के भीतर वीटीपी आवंटित नहीं किए गए थे। इस प्रकार, अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था जिसके कारण राज्य के युवाओं को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण के लाभ से वंचित किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि परामर्श (काउंसलिंग) में भाग लेने वाले आवेदकों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान, कोविड-19 के कारण प्रशिक्षण प्रभावित हुए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि काउंसलिंग अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। काउंसलिंग अभिलेख के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि सभी आवेदकों को वीटीपी में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया गया था।

(स) पंजीकृत वीटीपी द्वारा अन्य एजेंसियों को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्य का हस्तांतरण

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण वीटीपी विनियम, 2013 की अनुसूची 2 के अनुसार, पंजीकृत वीटीपी किसी अन्य एजेंसी को प्रशिक्षण कार्य नहीं सौंपेंगे। नए दिशानिर्देशों (अगस्त 2019) के अनुसार, संस्थानों को वीटीपी के रूप में पंजीकरण के लिए जिला कौशल विकास प्राधिकरण में ₹ 50,000 की बैंक गारंटी जमा करनी होगी और यदि वीटीपी प्रशिक्षण भागीदार को संलग्न करता है, तो प्रशिक्षण भागीदार से बैंक गारंटी प्राप्त की जाएगी।

संबंधित जिलों में पंजीकृत शासकीय वीटीपी जैसे कि जिला कौशल विकास प्राधिकरण, बिलासपुर के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवाएं, जिला कौशल विकास प्राधिकरण, जशपुर के अंतर्गत जिला जेल, जशपुर, जिला कौशल विकास प्राधिकरण, कोरबा के अंतर्गत सहायक संचालक, उद्यानिकी और जिला कौशल विकास प्राधिकरण, बलौदाबाजार के अंतर्गत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भाटापारा के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि पंजीकृत वीटीपी ने प्रशिक्षण कार्यों को अन्य एजेंसियों/प्रशिक्षण भागीदारों को सौंपा/आउटसोर्स किया था, जैसा कि आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

- जिला कौशल विकास प्राधिकरण, बिलासपुर में अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवाएं, बिलासपुर को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत

कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वीटीपी के रूप में पंजीकृत किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवाएँ, बिलासपुर ने वर्ष 2017-19 के दौरान वीटीपी विनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्रशिक्षण भागीदार (प्रतिभा कौशल अकादमी) को प्रशिक्षण कार्य सौंपा।

आगे, यह पाया गया कि जनपद पंचायत, बेल्ला के अधिकारियों और ग्राम पंचायत, संबलपुरी गांव के अधिकारियों द्वारा शिकायतों की गई थी (नवंबर 2017) कि प्रशिक्षण भागीदार द्वारा राजमिस्त्री का कौशल विकास प्रशिक्षण 83 दिनों³⁴ के निर्धारित कार्यक्रम के बजाय केवल एक या दो दिनों के लिए संचालित किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवाएँ का निरीक्षण प्रतिवेदन भी यह पुष्टि करता है कि बेल्ला विकासखंड में संबलपुरी गांव में 20 प्रशिक्षुओं में से केवल आठ और कोहरौंडा गांव में 20 प्रशिक्षुओं में से केवल 11 को प्रशिक्षण स्थल पर प्रशिक्षित किया जा रहा था। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि कोहरौंडा में प्रशिक्षक अप्रशिक्षित था जिसने केवल उपस्थिति दर्ज की और छात्रों को उचित प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर रहा था। इन शिकायतों के विरुद्ध, उपलब्ध अभिलेखों से की गई किसी कार्रवाई या प्रशिक्षण भागीदार से की गई वसूली के बारे में पता नहीं चला।

- जिला कौशल विकास प्राधिकरण, जशपुर के अंतर्गत जिला जेल, जशपुर को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण संचालित करने के लिए वीटीपी के रूप में पंजीकृत किया गया था। वीटीपी ने वर्ष 2016-19 के दौरान छः पाठ्यक्रमों³⁵ के अंतर्गत 17 कौशल विकास प्रशिक्षण संचालित किए। जेल नियमावली के नियम 225 के अनुसार, जेल के अंदर प्रवेश करने वाले या बाहर निकलने वाले सभी व्यक्तियों, सामग्रियों, उपकरणों की प्रविष्टियां जेल के प्रवेश द्वार पर उपलब्ध रजिस्टर में किया जाना चाहिए।

वीटीपी, जिला जेल, जशपुर के अभिलेखों की जांच से पता चला कि कैदियों के लिए जेल परिसर में प्रशिक्षण संचालित करने के लिए वर्ष 2016-19 के दौरान ₹ 40.10 लाख की राशि प्राप्त हुई थी। प्राप्त राशि ₹ 40.10 लाख में से 313 कैदियों के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए जिला जेल, जशपुर द्वारा ₹ 39.89 लाख का व्यय किया गया था और जिला जेल, जशपुर के बैंक खाते में ₹ 21,840 की धनराशि वर्ष 2018-19 से पड़ी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि जेल परिसर के भीतर प्रशिक्षण संचालित करने के लिए प्रशिक्षकों के साथ-साथ औजार/कच्चे माल/उपकरण प्रदान करने वाली विभिन्न एजेंसियों³⁶ को भुगतान करने के लिए उक्त ₹ 39.89 लाख का व्यय किया गया था। हालांकि, खरीदी गई सामग्री जेल द्वार रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई थी जिससे सामग्री की जेल परिसर के अंदर प्रवेश की पुष्टि हो। देयकों/प्रमाणकों की आगे की जांच से पता चला कि देयकों में कोई टिन संख्या दर्ज नहीं थी। जिला जेल में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना प्रशिक्षण संचालित करने में अनियमितताओं के संबंध में कलेक्टर, जशपुर को भेजे गए (जून 2019) प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि सामग्री/औजार आपूर्ति करने वाली फर्म देयकों में उल्लिखित पते पर उपलब्ध नहीं थी।

³⁴ राजमिस्त्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि 500 घंटे अर्थात 6 घंटे प्रतिदिन की दर से 83 दिन है।
³⁵ टैली का उपयोग करने वाले लेखा सहायक, सहायक इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन घरेलू, राजमिस्त्री, राजमिस्त्री सामान्य, सिलाई मशीन ऑपरेटर
³⁶ लक्ष्मी ट्रेडर्स, महामाया एजेंसीज, साई इंटरप्राइजेज, गुप्ता इंटरप्राइजेज, केसरी इंफोटेक

लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए जेल अधीक्षक, जिला जेल, जशपुर ने बताया (नवंबर 2022) कि भुगतान प्रमाणक में उल्लिखित वस्तुएं जेल में उपलब्ध नहीं थीं और राजमिस्त्री प्रशिक्षण के लिए खरीदी गई सामग्री से जेल परिसर में कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया था।

- कोरबा में सहायक संचालक, उद्यानिकी के क्षेत्रीय कार्यालयों को उनके कार्यालयों में माली, भूदृश्य निर्माण और फूलों की खेती पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वीटीपी के रूप में पंजीकृत किया गया था। सहायक संचालक, उद्यानिकी ने प्रशिक्षण कार्य को प्रशिक्षण भागीदार अर्थात् मेसर्स प्रखर फाउंडेशन, कोरबा को सौंप दिया (जनवरी 2017)। इसी प्रकार, जिला कौशल विकास प्राधिकरण, बलौदाबाजार के साथ वीटीपी के रूप में पंजीकृत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भाटापारा ने वीटीपी विनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्रशिक्षण भागीदार विद्या फाउंडेशन को प्रशिक्षण कार्य सौंप दिया।

इस प्रकार, पंजीकृत वीटीपी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (वीटीपी) विनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अन्य प्रशिक्षण भागीदार को कौशल विकास प्रशिक्षण संचालित करने का काम आउटसोर्स/उप-अनुबंधित करने के मामले पाये गये।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला कौशल विकास प्राधिकरण, बलौदाबाजार, कोरबा, बिलासपुर को संबंधित मामलों की जांच करने और छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण को सूचित करते हुए कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है। जिला जेल, जशपुर से संबंधित आपत्ति के संबंध में शासन ने बताया कि कौशल विकास प्राधिकरण की भूमिका प्रशिक्षण संचालित करना है और आपत्ति में उल्लिखित तथ्य जिला जेल, जशपुर से संबंधित है।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई अनियमितता मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जिला जेल, जशपुर में प्रशिक्षण संचालित करने के लिए प्रदान की गई निधियों से संबंधित है, जो जिला कौशल विकास प्राधिकरण/छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी की कमी को दर्शाता है।

(द) **ड्राइवर सह मैकेनिक प्रशिक्षण का संचालन करते समय केंद्रीय मोटर यान नियमों का अनुपालन न करना**

केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 24 (3) (V) के अनुसार, ड्राइविंग स्कूलों और प्रतिष्ठानों के पास केवल प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से अपना वाहन होना चाहिए और मोटरसाइकिल को छोड़कर ऐसे सभी वाहनों को दोहरी नियंत्रण सुविधा के साथ फिट किया जाता है ताकि प्रशिक्षक को वाहन को नियंत्रित करने या रोकने में सक्षम बनाया जा सके।

नमूना जांच किए गए सात जिलों में ड्राइवर सह मैकेनिक प्रशिक्षण से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2016-19 के दौरान आजीविका महाविद्यालय, सूरजपुर और शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वाड्डफनगर में 27 बैचों में 415 प्रशिक्षुओं³⁷ को ड्राइवर सह मैकेनिक का प्रशिक्षण दिया गया था। इन प्रशिक्षणों के संचालन के लिए ₹ 105.03 लाख का कुल व्यय किया गया था। सभी

³⁷ आजीविका महाविद्यालय, सूरजपुर में 18 बैच में 235 प्रशिक्षु, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वाड्डफनगर में नौ बैच में 180 प्रशिक्षु

प्रशिक्षुओं को उन वाहनों पर प्रशिक्षित किया गया था जो केंद्रीय मोटर यान नियमों के मापदंडों के विपरीत वाहन को नियंत्रित करने या रोकने के लिए प्रशिक्षक को सक्षम बनाने के लिए दोहरी नियंत्रण सुविधा के साथ फिट नहीं किये गये थे।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि मॉड्यूलर रोजगार योग्य कौशल पाठ्यक्रम में ड्राइवर सह मैकेनिक प्रशिक्षण के लिए दोहरी नियंत्रण सुविधा वाले वाहन की आवश्यकता के बारे में उल्लेख नहीं किया गया था।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि केंद्रीय मोटर यान नियम का नियम 24 (3) (V), किसी भी ड्राइविंग स्कूल या प्रतिष्ठान पर लागू होता है जो मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण देता है।

3.4.7 बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और उपयोग

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एकरूपता और एकसूत्रता लाने के लिए और स्कूल छोड़ने वाले युवाओं सहित युवाओं को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन ने बाजार की मांग के अनुसार अल्पावधि रोजगारोन्मुखी आवासीय और गैर-आवासीय कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक शासकीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में नक्सल प्रभावित जिला दंतेवाड़ा में आजीविका महाविद्यालय शुरू किया (अक्टूबर 2012)। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अल्पावधि रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने राज्य में 27 आजीविका महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान 26 बालिका और 27 बालक छात्रावासों के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया था। मार्च 2023 तक, 26 बालिका और 22 बालक छात्रावासों का निर्माण पूरा हो गया था। इन आजीविका महाविद्यालयों ने राज्य स्तर पर सीएसएसडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में राज्य परियोजना आजीविका महाविद्यालय समिति और जिला स्तर पर संबंधित जिले के जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला परियोजना आजीविका महाविद्यालय के अंतर्गत काम किया।

3.4.7.1 छात्रावास भवनों का उपयोग नहीं किया जाना तथा बिना आवश्यकता के की गई खरीदारी

सीजीआरवाईएसडी अधिनियम 2013 की धारा 4(1) के अनुसार, जिला प्राधिकारी प्रशिक्षण की अवधि के दौरान आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा जैसा कि आवश्यक हो।

नमूना जांच किए गए सात जिलों में अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए आवासीय/छात्रावास सुविधाएं सात आजीविका महाविद्यालयों में उपलब्ध थी, लेकिन वर्ष 2019-22 के दौरान आवासीय प्रशिक्षण बैचों के आवंटन न होने के कारण आजीविका महाविद्यालय, बलौदाबाजार, बिलासपुर और सूरजपुर में छात्रावास का उपयोग आवासीय प्रशिक्षण के लिए नहीं किया जा सका। इन तीन जिलों में छात्रावास भवनों का उपयोग नहीं किये जाने का विवरण **तालिका 3.4.5** में उल्लिखित है।

तालिका 3.4.5: वर्ष 2019–20 से वर्ष 2021–22 के दौरान छात्रावास भवनों का उपयोग नहीं किये जाने का विवरण

आजीविका महाविद्यालय में स्थित छात्रावास	छात्रावास की क्षमता (बालक/बालिका)	कुल व्यय (₹ लाख में)	भवन अधिग्रहण महीना	03/2023 तक अप्रयुक्त महीनों की संख्या
बलौदाबाजार	50 सीटर बालक	216.52	06 / 2020	33
	50 सीटर बालिका		06 / 2020	33
बिलासपुर	50 सीटर बालिका	135.17	06 / 2020	33
सूरजपुर	50 सीटर बालक	110.42	07 / 2020	32
	50 सीटर बालिका	149.57	08 / 2019	44
	100 सीटर बालिका (सीएसआर)	221.25	07 / 2019	43
योग		832.93		

(स्रोत: आजीविका महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि छात्रावासों के निर्माण पर ₹ 832.93 लाख का व्यय किया गया था, हालांकि, मार्च 2023 तक छात्रावासों का उपयोग नहीं किया जा सका, जिससे उपरोक्त व्यय निष्क्रिय हो गया। बलौदाबाजार और सूरजपुर में छात्रावासों के निर्माण कार्यों के पूरा होने के पहले ही वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 23.41 लाख³⁸ की राशि के गद्दे, खाट, बेडशीट और कंबल जैसी छात्रावास की वस्तुएं खरीदी गई थी।

यह भी पाया गया कि आजीविका महाविद्यालय, बलौदाबाजार में ₹ 31.04 लाख के फर्नीचर, कंप्यूटर उपकरण आदि की खरीदारी छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2022 के अंतर्गत निर्धारित निविदा प्रक्रिया से बचने के उद्देश्य से क्रय आदेश को विभाजित करके की गई थी।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अंतर्गत गैर-वामपंथी उग्रवाद जिलों में आवासीय प्रशिक्षण की अनुमति नहीं दी गई थी। राज्य के सभी आजीविका महाविद्यालयों में आवासीय प्रशिक्षण शुरू करने का प्रस्ताव शासन की वित्तीय मंजूरी के लिए विचाराधीन है। वर्ष 2020–22 के दौरान कोविड-19 के कारण सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रोक दिया गया था, इसलिए अन्य प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अनियमित खरीद से संबंधित आपत्ति के संबंध में शासन ने बताया कि संबंधित जिलों के जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

शासन का उत्तर छात्रावास भवन के उपयोग न होने की पुष्टि करता है जिससे छात्रावास भवनों के निर्माण पर किया गया व्यय निष्फल हो जाता है।

3.4.7.2 स्थापित प्रयोगशालाओं का उपयोग नहीं किया जाना

संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण ने ₹ 60 लाख की राशि (नवम्बर 2015) तथा राज्य परियोजना आजीविका महाविद्यालय समिति ने ₹ 5.00 लाख की राशि (मार्च 2018) प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए आजीविका महाविद्यालय, सुकमा को जारी की।

सहायक परियोजना अधिकारी, आजीविका महाविद्यालय, सुकमा के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि चार प्रयोगशालाओं³⁹ के लिए ₹ 52.00 लाख की राशि के

³⁸ बलौदाबाजार: ₹ 280664, सूरजपुर: ₹ 2060578³⁹ लकड़ी फर्नीचर प्रयोगशाला, प्लंबर प्रयोगशाला, एसी/रेफ्रिजरेटर रखरखाव प्रयोगशाला और प्रिंटर ऑपरेटर प्रयोगशाला

प्रयोगशाला उपकरण खरीदे (अक्टूबर 2016) गए थे और शेष राशि ₹ 12.99 लाख मार्च 2023 तक महाविद्यालय के बचत बैंक खाते में पड़ी थी।

यह भी देखा गया कि यद्यपि प्रयोगशाला उपकरण उपरोक्त प्रयोगशालाओं के लिए खरीदे गए थे, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान आजीविका महाविद्यालय, सुकमा में डेस्क टॉप पब्लिशिंग/प्रिंट पब्लिशिंग असिस्टेंट और बढई-लकड़ी के फर्नीचर पाठ्यक्रम के केवल एक-एक बैच⁴⁰ के प्रशिक्षण का संचालन क्रमशः प्रिंटर ऑपरेटर प्रयोगशाला और लकड़ी प्रयोगशाला में किया गया था। शेष दो प्रयोगशालाओं का उपयोग कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नहीं किया जा सका। नए दिशानिर्देशों को अपनाने के बाद, केवल प्लंबर सामान्य पाठ्यक्रम का पंजीकरण किया गया था, जिसके लिए प्रयोगशाला उपकरण खरीदे गए थे। इस प्रकार, अन्य तीन प्रयोगशालाओं के उपकरण छः साल से अधिक समय तक निष्क्रिय पड़े रहे और प्रिंटर ऑपरेटर प्रयोगशाला में वर्ष 2017-23 के दौरान केवल एक बैच को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि वर्ष 2018 के दौरान 50 उम्मीदवारों को डेस्क टॉप पब्लिशिंग पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया था और 30 उम्मीदवारों को लकड़ी प्रयोगशाला में प्रशिक्षित किया गया था और वर्तमान में, प्रशिक्षु इन प्रशिक्षणों में रुचि नहीं ले रहे थे। इसके अलावा, प्रशिक्षण भागीदार की कमी के कारण नलसाजी (प्लंबिंग) और एसी मरम्मत प्रयोगशालाओं का उपयोग नहीं किया जा सका।

शासन का उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि प्रयोगशालाओं का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था और पाठ्यक्रमों के प्रति छात्रों की रुचि/मांग पर विचार किए बिना प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए गए थे और प्रयोगशालाएं स्थापित की गई थी।

3.4.7.3 उचित अधोसंरचना की सुविधा सुनिश्चित किए बिना निजी वीटीपी को आवासीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आवंटन

(अ) जिला कौशल विकास प्राधिकरण की सिफारिशों पर छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण, प्रशिक्षण संचालित करने के लिए आवश्यक अधोसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद पंजीकृत वीटीपी को आवासीय और गैर-आवासीय प्रशिक्षण आवंटित करता है। जिला कौशल विकास प्राधिकरण, भोजन और आवास की सुविधाएं प्रदान करने के लिए वीटीपी को आवासीय लागत प्रदान करता है। नमूना जांच किए गए जिलों में आवासीय और गैर-आवासीय बैचों के आवंटन की स्थिति तालिका 3.4.6 में दर्शाया गया है।

⁴⁰ 20 छात्र 04-10-2017 से 08-01-2018 तक

तालिका 3.4.6: वर्ष 2016–17 से 2018–19 के दौरान वीटीपी को आवंटित आवासीय प्रशिक्षण की स्थिति

जिले का नाम	जिले में संचालित कुल प्रशिक्षण	जिले में संचालित आवासीय प्रशिक्षण		
		निजी वीटीपी द्वारा	सरकारी वीटीपी द्वारा	कुल
बलौदाबाजार	430	0	0	0
बलरामपुर	238	0	70	70
बिलासपुर	817	0	13	13
जशपुर	1225	116	367	483
कोरबा	460	0	74	74
सुकमा	235	0	34	34
सूरजपुर	577	0	96	96
योग	3982	116	654	770

(स्रोत: जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि नमूना जांच किए गए जिलों में शासकीय और निजी वीटीपी के द्वारा कुल 770 आवासीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए गए थे। इसमें से 654 प्रशिक्षण शासकीय वीटीपी के द्वारा संचालित किए गए थे और 116 आवासीय प्रशिक्षण जशपुर में केवल एक निजी वीटीपी अर्थात् सावित्री मिश्रा शिक्षण समिति के द्वारा संचालित किए गए थे।

(ब) सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण, जशपुर के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि जशपुर जिले में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक निजी वीटीपी (सावित्री मिश्रा शिक्षण समिति) पंजीकृत (मई 2016) थी। निजी वीटीपी को 2,075 उम्मीदवारों को आवासीय प्रशिक्षण और 230 उम्मीदवारों को गैर-आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 2017–19 के दौरान ₹ 398.29 लाख का भुगतान किया गया था।

पंजीकरण फॉर्म में निर्धारित शर्त के अंतर्गत, प्रत्येक कक्षा के लिए न्यूनतम स्थान की आवश्यकता 300 वर्ग फीट थी और कक्षा में प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए न्यूनतम स्थान की आवश्यकता 10 वर्ग फीट थी। पंजीकरण दस्तावेजों के अनुसार, वीटीपी के पास 2,000 वर्ग फीट क्षेत्र के साथ तीन कक्षाएं थी। यद्यपि, पंजीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रशिक्षण केंद्र की अभिन्यास (ले-आउट) योजना में कोई आवासीय/छात्रावास क्षेत्र नहीं दिखाया गया था। इस प्रकार मापदंडों के अनुसार वीटीपी में उपलब्ध स्थान और वीटीपी की कक्षाओं की संख्या में एक समय में केवल 200 प्रशिक्षुओं को समायोजित किया जा सकता है। टेस्ट बैच क्रमांक (टीबीएन) आवंटन रिपोर्ट से पता चला कि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्थान की आवश्यकता और वीटीपी की क्षमता पर विचार किए बिना छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा वीटीपी को बैचों का आवंटन किया गया था। वीटीपी द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण का विवरण तालिका 3.4.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4.7: समान अवधि में संस्थान में प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षुओं का नामांकन

स. क्र.	विभिन्न प्रशिक्षण बैचों में प्रशिक्षण की अवधि			प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या (टीबीएन के अनुसार)	क्षमता से अधिक प्रशिक्षित प्रशिक्षु	क्षमता से अधिक प्रशिक्षण के लिए किया गया भुगतान (₹ लाख में)
	दिनांक (से)	दिनांक (तक)	आवासीय बैचों की संख्या			
1	02.11.2016	22.12.2016	31	598	398	41.27
2	05.01.2017	17.02.2017	47	855	655	75.67
3	13.06.2017	03.08.2017	12	211	11	2.00
4	10.08.2017	14.10.2017	1	12	0	0
5	06.12.2017	15.02.2018	21	317	117	10.41
6	12.05.2018	09.08.2018	4	82	0	0
			116	2075	1181	129.35

(स्रोत: जिला कौशल विकास प्राधिकरण, जशपुर के पोर्टल से प्राप्त एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वीटीपी ने नवंबर 2016 से दिसंबर 2016 के दौरान 31 बैचों के लिए आवासीय प्रशिक्षण संचालित किया जिसमें कुल 598 छात्र शामिल थे। इनमें से 360 छात्रों के लिए 18 बैचों का प्रशिक्षण 2 नवंबर 2016 को शुरू हुआ जबकि अधिकतम क्षमता 200 छात्रों की थी। इसी तरह, फरवरी 2017 के दौरान 855 छात्रों वाले 47 बैचों के लिए आवासीय प्रशिक्षण शुरू किया गया जो वीटीपी की क्षमता से कहीं अधिक था। आवासीय प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि 250 घंटे से 520 घंटे (प्रति दिन छः से आठ घंटे) थी और डबल शिफ्ट के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस प्रकार, स्थान/अधोसंरचना के मानदंडों का पालन न करते हुए प्रशिक्षण बैच आवंटित किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप वीटीपी को अनुचित लाभ हुआ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह भी पता चला कि 30 मामलों में, उन्ही छात्रों को एक ही अवधि के दौरान उसी पाठ्यक्रम या भिन्न पाठ्यक्रमों में दो बार प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। छात्र का नाम, पिता का नाम और छात्र का फोटो, इन 30 मामलों में समान पाया गया जैसा कि **परिशिष्ट 3.4.1** में दर्शाया गया है। सच्ची पहचान स्थापित करने के लिए छात्रों के कोई विशिष्ट पहचान प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, परिवार का राशन कार्ड आदि प्राप्त नहीं किए गए थे।

जिला कौशल विकास प्राधिकरण, जशपुर ने वीटीपी में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी नहीं की और भुगतान के किसी भी झूठे/दोहरे दावे से बचने के लिए भुगतान करने से पहले वीटीपी के दावों की जांच करने में उचित तत्परता नहीं बरती।

(स) सावित्री मिश्रा शिक्षण समिति (वीटीपी) को भुगतान किए गए 2,075 प्रशिक्षुओं की आवासीय लागत के दावों से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि वीटीपी के पंजीकरण दस्तावेजों के अनुसार, वीटीपी के पास आवासीय सुविधाएं⁴¹ प्रदान करने के लिए कोई बुनियादी ढांचा नहीं था। जिला कौशल विकास प्राधिकरण, जशपुर द्वारा कुल भुगतान ₹ 159.55 लाख के विरुद्ध लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये ₹ 4.18 लाख के आवासीय लागत दावा के देयकों की जांच से पता चला कि

⁴¹ प्रति निवासी न्यूनतम स्थान की आवश्यकता 35 वर्ग फीट है और कमरे का न्यूनतम आकार 70 वर्ग फीट है, प्रति व्यक्ति ताला लगाने की व्यवस्था के साथ एक अलमारी, कुर्सी, मेज। 1:10 शौचालय:निवासी, स्टैंडअलोन शौचालय के लिए और 1:7 शौचालय:निवासी, बाथरूम सहित शौचालय के मामले में। प्राथमिक सहायता किट और अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता। सुरक्षा के लिए पुरुष और महिला दोनों सुविधाओं के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की सुविधा।

देयकों में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण स्थल या उसके आसपास आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोग किये गये भवन का पता या स्थान के संबंध में कोई विवरण नहीं था। आवासीय सुविधा के लिए जमा किए गए देयकों में सेवा प्रदाता⁴² का पता जशपुर के बजाय कोरबा का था। आवासीय लागत के शेष भुगतान देयक लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे और इसलिए लेखापरीक्षा छात्रावास/आवासीय सुविधा के विरुद्ध किए गए व्यय की पुष्टि नहीं कर सकता। इस प्रकार, वीटीपी में आवास सुविधाओं सहित आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना प्रशिक्षुओं को आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण बैच आवंटित किए गए थे और वीटीपी को आवासीय लागत दावा का भुगतान समर्थक प्रमाणकों/देयकों की जांच के बिना किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला कौशल विकास प्राधिकरण, जशपुर को मामले के तथ्य को सत्यापित करने और छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण को सूचित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है।

3.4.8 आवंटित धनराशि का उपयोग न होना (वित्तीय प्रबंधन)

रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय ने योजना शीर्ष 7438—छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास मिशन और 8935—आजीविका महाविद्यालय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण को स्थापना अनुदान के रूप में और जिला कलेक्टरों को योजना शीर्ष 7683—मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और 7867—प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जिलों में कौशल विकास प्रशिक्षण संचालित करने के लिए धनराशि जारी की। वर्ष 2017–22 के दौरान मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण और स्थापना अनुदान का आवंटन और व्यय तालिका 3.4.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4.8: प्रशिक्षण शीर्ष और स्थापना अनुदान के अंतर्गत आवंटन और व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण को स्थापना अनुदान				जिले के लिए जारी बजट					
	7438—छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास मिशन		8935—आजीविका महाविद्यालय		8935 #24,25,28 के अंतर्गत अन्य शीर्ष		7683—मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (प्रशिक्षण)		7867—प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (प्रशिक्षण)	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
2017–18	350	350	432.5	432.5	430	430	7550	7350	1320	1320
2018–19	250	250	680	680	0	0	4120	4120	0	0
2019–20	350	350	440	440	335	30	4021	4021	1406	1406
2020–21	280	280	316	316	1146	202.47	1640	0	1000	0
2021–22	50	50	485	485	230	120	1120	1120	0	0
योग	1280	1280	2353.5	2353.5	2141	782.47	18451	16611	3726	2726
बचत	0	0	0	0	1358.53	1840	1000			

(स्रोत: संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा प्रस्तुत और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

24—मरम्मत एवं रखरखाव, 25—सामग्री आपूर्ति, 28—औजार एवं उपकरण

⁴² वीटीपी के आवासीय दावा देयकों के अनुसार, लाइफ लाइन कैटीन एवं रेस्तरां, पुराना बस स्टैंड कोरबा ने आवासीय प्रशिक्षण के लिए सेवाएं प्रदान की थी।

वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत निधियों का उपयोग नहीं किया गया था। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 के दौरान मरम्मत और रखरखाव, सामग्री आपूर्ति और औजार एवं उपकरण शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,358.53 लाख की निधियों का उपयोग जिला कलेक्टर द्वारा नहीं किया गया था और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बजट नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से शासन को समर्पण कर दिया गया था। निधियों के उपयोग न करने के कारणों की सूचना लेखापरीक्षा को नहीं दी गई।

3.4.8.1 शासकीय वीटीपी के पास उपयोग नहीं की गई प्रशिक्षण निधियों का संचय

नमूना जांच किए गए जिलों में वीटीपी के अभिलेखों की जांच से पता चला कि वर्ष 2017-22 के दौरान 29 शासकीय वीटीपी ने कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए प्राप्त निधियों के विरुद्ध ₹ 609.63 लाख का व्यय किया (परिशिष्ट 3.4.2)। इस प्रकार, वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान प्रशिक्षण लागत के लिए आवंटित निधियों में से अर्जित ब्याज सहित ₹ 238.24 लाख⁴³ की बचत हुई। हालांकि, जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा जारी अनुमोदन में उपयोग नहीं की गई राशि की वापसी के प्रावधान की कमी के कारण ₹ 238.24 लाख की उपयोग नहीं की गई राशि वीटीपी के बैंक खाते में पड़ी है। यदि बचत बैंक खातों में जमा होती रहती है तो उपयोग नहीं की गई निधियों के दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और अन्य प्रशिक्षण योजनाओं के भुगतान मानदंडों के अनुसार गणना किए गए अपने दावों को प्रस्तुत करने पर वीटीपी को राशि का भुगतान किया गया था। यदि शासकीय विभाग अपने स्वयं के संसाधन जैसे स्वयं के भवन, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों, प्रयोगशालाओं और अन्य बुनियादी ढांचे का उपयोग करके प्रशिक्षण लागत को बचाता है तो उस बचत का व्यय संबंधित विभाग के नियमों और निर्देशों द्वारा शासित होगा।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिला कौशल विकास प्राधिकरण ने वीटीपी को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के भुगतान मानदंडों के अनुसार भुगतान किया था। शासन को शासकीय वीटीपी में उपयोग नहीं की गई निधियों की वापसी के संबंध में विशिष्ट निर्देश जारी करने चाहिए थे।

3.4.9 मानव संसाधन की कमी

सीजीआरवाईएसडी अधिनियम 2013 की धारा 14 (डी) और (जी) के अनुसार, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरणों के प्रशासन का प्रबंधन करने के लिए अनुमोदित पदों पर कार्मिकों को अनुबंध या अन्यथा नियुक्त करना और अनुबंध पर या अन्यथा नियोजित सभी व्यक्तियों के संबंध में अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जिम्मेदारी है।

सीएसएसडीए/राज्य परियोजना आजीविका महाविद्यालय समिति में जिला कौशल विकास प्राधिकरण, आजीविका महाविद्यालय समिति तथा इनके अंतर्गत बालिका और बालक छात्रावासों में कर्मचारियों की तैनाती से संबंधित अभिलेखों की जांच से राज्य में विभिन्न संवर्गों की कार्यरत और रिक्त स्थिति ज्ञात हुआ, जो तालिका 3.4.9 में दर्शाया गया है।

⁴³ ₹ 847.87 लाख – ₹ 609.63 लाख = ₹ 238.24 लाख

तालिका 3.4.9: मार्च 2017 और मार्च 2022 तक कार्यरत और रिक्त स्थिति की समेकित स्थिति दर्शाने वाला विवरण

कार्यालय का नाम	पद का नाम	कर्मचारी की स्थिति मार्च 2017			कर्मचारी की स्थिति मार्च 2022		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त (प्रतिशत)	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त (प्रतिशत)
छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्रबंधक, कार्यकारी सहायक, कार्यालय सहायक ड्राइवर, ऑफिस हेल्पर	22	14	8 (36)	22	13	9 (41)
राज्य परियोजना आजीविका महाविद्यालय समिति	अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संयुक्त संचालक (वित्त), उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यकारी सहायक, कार्यालय सहायक, ऑफिस हेल्पर	13	5	8 (62)	13	7	6 (46)
जिला कौशल विकास प्राधिकरण	सहायक संचालक, डीईओ और सहायक ग्रेड-III, चपरासी	108	69	39 (36)	108	35	73 (68)
आजीविका महाविद्यालय	प्राचार्य, सहायक परियोजना अधिकारी, लेखापाल, कार्यालय सहायक, ऑफिस हेल्पर, कुक और सफाईकर्मी	135	43	92 (68)	194	73	121(62)
	बालिका छात्रावास: छात्रावास अधीक्षक	27	0	27 (100)	28	0	28(100)
	बालक छात्रावास: छात्रावास अधीक्षक	0	0	0	27	0	27(100)

(स्रोत: छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट था कि वर्ष 2017-22 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण और जिला कौशल विकास प्राधिकरण में विभिन्न पदों के अंतर्गत रिक्तियां क्रमशः 36 से बढ़कर 41 प्रतिशत और 36 से बढ़कर 68 प्रतिशत हो गई। जिला कौशल विकास प्राधिकरण में मानव संसाधन की कमी के कारण वीटीपी की निगरानी प्रभावित हुई। राज्य परियोजना आजीविका महाविद्यालय समिति और आजीविका महाविद्यालय में यद्यपि, कार्यरत कर्मिकों में वृद्धि हुई किंतु मार्च 2022 की स्थिति में रिक्तियां अभी भी क्रमशः 46 और 62 प्रतिशत थी। बालक और बालिका छात्रावासों में अपनी इमारतों और अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के बावजूद स्वीकृत पदों को नहीं भरा गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि जिला कौशल विकास प्राधिकरण और आजीविका महाविद्यालय को जिला रोजगार अधिकारियों के साथ अतिरिक्त प्रभार के रूप में चलाया जा रहा है।

शासन का उत्तर अधिकारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों की रिक्तियों पर मौन है।

3.4.10 निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की थी। वर्ष 2017–20 के दौरान, प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिकतम 2,244 वीटीपी पंजीकृत किए गए थे जो वर्ष 2021–22 में घटकर 203 हो गए। वर्ष 2019–22 के दौरान पंजीकृत वीटीपी की संख्या में इस गिरावट ने प्रशिक्षण कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित 1.25 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के विपरीत छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण ने बहुत कम लक्ष्य 7,27,039 (छः प्रतिशत) निर्धारित किया। प्रमाणित कुशल तकनीशियन के रूप में 7,27,039 युवा आबादी को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के विपरीत, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण पूरे राज्य में केवल 4,70,302 प्रशिक्षुओं (65 प्रतिशत) को प्रमाणित कर सका। कुल 17,504 के लक्ष्य के विपरीत, केवल 8,481 (48 प्रतिशत) युवा सफलतापूर्वक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और परीक्षा में उत्तीर्ण इन प्रशिक्षुओं में से, 3,312 (39 प्रतिशत) को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत नियोजित नहीं किया जा सका। छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए गए किसी भी प्रमाणपत्र को राज्य सरकार द्वारा लोक नियोजन के लिए पात्रता अर्हता के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी और कार्यान्वयन में कमियाँ देखी चयनित जिलों में प्रशिक्षण संचालित करने के लिए पंजीकृत 91 वीटीपी में से 84 नमूना जांच किये गये वीटीपी द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया था क्योंकि 71 प्रतिशत वीटीपी ने मैनुअल उपस्थिति प्रस्तुत की और 21 प्रतिशत वीटीपी ने किसी भी रूप (मैनुअल या बायोमेट्रिक) में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की। वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान, कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए 3,01,361 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, हालांकि, इनमें से 2,09,040 को वीटीपी आवंटित किए गए थे, जबकि शेष 92,321 (31 प्रतिशत) उम्मीदवारों को 90 दिनों के निर्धारित समय के भीतर वीटीपी का आवंटन न होने के कारण प्रशिक्षण नहीं मिल सका। पंजीकृत शासकीय वीटीपी द्वारा बिना किसी निगरानी तंत्र के छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण विनियम, 2013 का उल्लंघन करते हुए प्रशिक्षण कार्य को अन्य एजेंसियों/प्रशिक्षण भागीदारों को स्थानांतरित/आउटसोर्स कर दिया गया, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित हुई। छात्रावास सुविधा सहित आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना जशपुर में निजी वीटीपी (सावित्री मिश्रा शिक्षण समिति) को बड़ी संख्या में आवासीय प्रशिक्षण बैच आवंटित किए गए थे और नमूना जांच से पता चला कि आवासीय लागत के लिए समर्थक देयकों/प्रमाणकों की जांच किए बिना भुगतान किया गया था।

आजीविका महाविद्यालय, बलौदाबाजार, बिलासपुर और सूरजपुर में छात्रावासों के निर्माण पर ₹ 832.93 लाख का व्यय किया गया था, हालांकि, वर्ष 2019–22 के दौरान आवासीय प्रशिक्षण बैचों के आवंटन न होने के कारण छात्रावास का उपयोग आवासीय प्रशिक्षण के लिए नहीं किया जा सका। प्रशिक्षण भागीदार के अभाव में नलसाजी (प्लंबिंग) और एसी मरम्मत प्रयोगशालाओं का उपयोग नहीं किया जा सका। वर्ष 2020–21 के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत निधियों का उपयोग नहीं किया गया था तथा वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान मरम्मत एवं रखरखाव, सामग्री आपूर्ति और औजार एवं उपकरण शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,358.53 लाख की निधियों का उपयोग जिला कलेक्टर द्वारा नहीं किया गया था और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बजट नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से शासन को समर्पण कर दिया गया था।

सीएसएसडीए/राज्य परियोजना आजीविका महाविद्यालय समिति और जिला कौशल विकास प्राधिकरण/आजीविका महाविद्यालय में विभिन्न पदों पर मानव संसाधन की अत्यधिक कमी थी जिसने गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने और वीटीपी की निगरानी पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

3.4.11 अनुशंसाएं

1. छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण को राष्ट्रीय कौशल अर्हता रूपरेखा के उद्देश्यों के अनुरूप उच्च शिक्षा या लोक नियोजन के लिए कौशल विकास पाठ्यक्रमों के अंतर्गत प्रदान किए गए प्रमाणपत्रों की मान्यता सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए।
2. गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वीटीपी की निगरानी में सुधार करने हेतु जिला कौशल विकास प्राधिकरण, आजीविका महाविद्यालय और छात्रावासों में कर्मचारियों की भर्ती जल्द से जल्द की जानी चाहिए।
3. प्रमाणित कुशल तकनीशियन के लक्ष्य को प्राप्त करने और सभी आवेदकों को उनकी पसंद के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शासन पंजीकृत वीटीपी की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठा सकती है।
4. शासन को प्रशिक्षुओं/प्रतिभागियों को आवश्यक कौशल का हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए निजी और शासकीय वीटीपी द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण की उचित निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए।

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

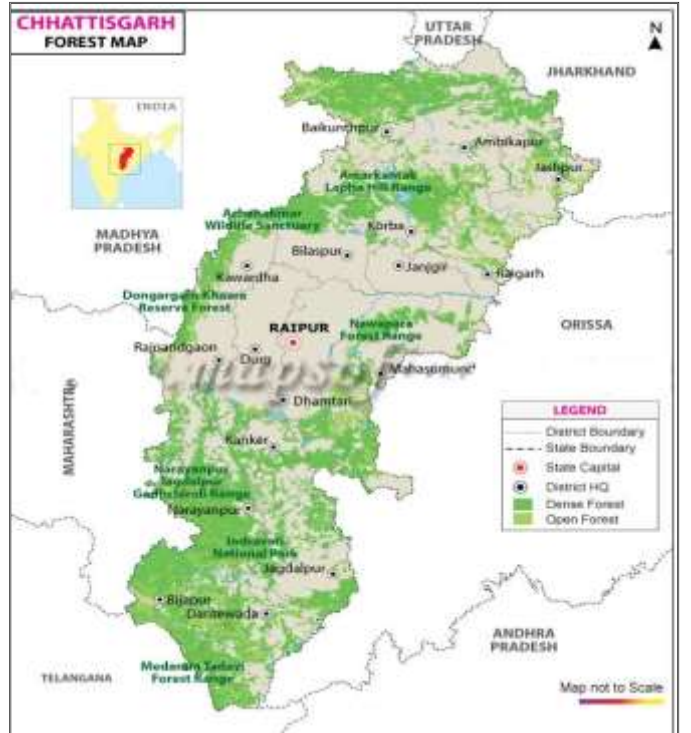
3.5 बिगड़े वनों का सुधार कार्य का कार्यान्वयन

3.5.1 परिचय

वन, राज्य के वनों के संरक्षित एवं संवर्धित कर पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करते हैं। वन नीति का मुख्य उद्देश्य कम वनावरण वाले जिलों में रिक्त/अल्पक्षेत्र वाले क्षेत्रों में कृषि वानिकी एवं वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वनावरण को बढ़ाना तथा नदियों एवं जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि कटाव एवं वनावरण में कमी को नियंत्रित करना है, ताकि बाढ़ एवं सूखे की स्थिति उत्पन्न न हो। लगातार गिरते भूजल स्तर को इष्टतम उपयोग स्तर पर लाना तथा जल निकायों में गाद जमा होने की दर को कम करना है।

छत्तीसगढ़ राज्य के वन दो प्रमुख प्रकार के वनों के अंतर्गत आते हैं, वो हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन।

छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र 59,772 वर्ग किलोमीटर (वर्ग किमी) में फैला हुआ है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र (1,35,191 वर्ग किमी) का 44.21 प्रतिशत है। आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन क्रमशः वन क्षेत्र का 43.13 प्रतिशत, 40.22 प्रतिशत और 16.65 प्रतिशत हैं।



3.5.2 विभाग के कार्य

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन अपनी क्षेत्रीय इकाइयों की सहायता से वानिकी कार्यों के लिए जिम्मेदार है।

राज्य का पूरा वन क्षेत्र वृत्तों में विभाजित है, जिन्हें आगे वनमंडलों में विभाजित किया गया है। वनमंडलों को 'परिक्षेत्रों' में विभाजित किया गया है। 'कम्पार्टमेंट'⁴⁴ इसके प्रबंधन के लिए वन की सबसे छोटी इकाई है और 'कूप' एक सीमांकित वन क्षेत्र है, जहाँ वानिकी⁴⁵ संबंधी काम किया जाता है।

⁴⁴ वन की एक प्रादेशिक इकाई जिसे प्रशासनिक विवरण और अभिलेख के उद्देश्य से स्थायी रूप से परिभाषित किया गया है।

⁴⁵ वानिकी वन संसाधनों के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वनस्पति की स्थापना, वृद्धि, संरचना एवं गुणवत्ता को नियंत्रित करने की कला और विज्ञान है।

विभाग की क्षेत्रीय इकाइयों में छह क्षेत्रीय वन वृत्त⁴⁶ शामिल हैं, जिनके अंतर्गत 34 वनमंडल हैं और दो वन कार्य योजना वृत्त⁴⁷ हैं, जिनके अंतर्गत छह कार्य योजना कार्यालय हैं।

वनमंडल, वनों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित करते हैं जैसे वनों की सुरक्षा एवं सुधार, वृक्षारोपण, पेड़ों को काटने के लिए चिन्हित करना, वनों को आग से बचाना, पेड़ों को काटना, लकड़ियों का परिवहन तथा वनोपजों को बेचना एवं कार्य योजना कार्यालय प्रत्येक वनमंडल के लिए दस वर्ष की समयावधि के लिए कार्य योजना तैयार करते हैं।

3.5.3 संगठनात्मक संरचना

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव के समग्र नियंत्रण में कार्य करता है, जो शासन स्तर पर विभाग के मुख्य नियंत्रण अधिकारी हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक विभाग के प्रमुख हैं। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक की देखरेख में काम करते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक को वृत्त स्तर पर मुख्य वन संरक्षक द्वारा सहयोग की जाती है, जिन्हें वनमंडल स्तर पर वनमंडलाधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। उप-वनमंडलाधिकारी और परिक्षेत्र अधिकारी क्रमशः उप-वनमंडलाधिकारी कार्यालय और परिक्षेत्र कार्यालय के प्रभारी होते हैं और वनमंडलाधिकारी के अधीन काम करते हैं।

जुलाई 2023 तक की स्थिति में विभाग की संवर्गवार स्वीकृत पद संख्या और पदस्थ कर्मियों की संख्या का विवरण नीचे **तालिका 3.5.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.5.1: विभाग में स्वीकृत पद संख्या और पद पर आसीन व्यक्तियों का विवरण

क्र. संख्या	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पदों की संख्या
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	04	03	01
2	अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक	13	07	06
3	मुख्य वन संरक्षक	14	08	06
4	वन संरक्षक	21	08	13
5	वनमंडलाधिकारी	42	48	..
6	उप-वनमंडलाधिकारी	189	151	38
7	परिक्षेत्र-अधिकारी	491	252	239

(स्रोत: वन विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उप-वनमंडलाधिकारी एवं परिक्षेत्र-अधिकारी के पदों पर रिक्तियां थीं, जिस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने बताया (अगस्त 2023) कि उप-वनमंडलाधिकारी एवं परिक्षेत्र-अधिकारी के पद हेतु भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है।

3.5.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

अनुपालन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि क्या बिगड़े वनों के सुधार (आरडीएफ) कार्यों के बारे में कार्य योजनाओं में परिकल्पित निर्देशों और अनुसूचियों का पालन किया जा रहा है।

⁴⁶ रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, कांकेर और जगदलपुर

⁴⁷ बिलासपुर और रायपुर

3.5.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त मानदंडों के आधार पर निर्धारित किया गया:

- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और उसके अधीन बनाए गए नियम;
- छत्तीसगढ़ वन मैनुअल;
- शासन/विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र;
- वनमंडलो की कार्ययोजना
- छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002

3.5.6 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और पद्धति

छत्तीसगढ़ राज्य के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में एक शीर्ष इकाई⁴⁸, छ: मुख्य वन संरक्षक⁴⁹ और 34 वनमंडल शामिल हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए, सरल यादृच्छिक नमूनाकरण के आधार पर एक शीर्ष इकाई और 12 वनमंडलो⁵⁰ का चयन किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान, वर्ष 2019-20 और 2021-22 के बीच की अवधि के दौरान बिगड़े वनों के सुधार कार्यों से संबंधित अभिलेखों की प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय और 12 चयनित वनमंडल के वनमंडलाधिकारी कार्यालयों में जांच की गई। मसौदा प्रतिवेदन जून, 2023 में राज्य सरकार को भेज दी गई थी। प्रतिवेदन पर सरकार का उत्तर अगस्त, 2023 में प्राप्त हुआ। राज्य सरकार के उत्तरों को प्रतिवेदन में समुचित रूप से शामिल किया गया।

3.5.7 वन विभाग में व्यय की प्रवृत्ति

शासन ने राज्य में बिगड़े वनों के सुधार और वृद्धि के लिए योजना शीर्ष अर्थात् “2962, 2965—बिगड़े वनों का सुधार” के अंतर्गत एक विशिष्ट योजना बजट बनाया है। वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान विभाग के बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति तथा बिगड़े वनों के उपचार पर इसका हिस्सा **तालिका 3.5.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.5.2: आरडीएफ कार्य पर प्रावधान एवं व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विभाग के योजना कार्यों पर कुल बजट प्रावधान	योजना कार्य पर कुल व्यय	आरडीएफ क्षेत्र का उपचार (हेक्टेयर में)	आरडीएफ कार्य पर आवंटन	आरडीएफ कार्य पर व्यय	कुल योजना व्यय का प्रतिशत
2019-20	453.23	375.58	44693.36	109.62	109.62	29.19 %
2020-21	282.72	256.42	34329.77	78.81	78.81	30.73 %
2021-22	444.37	382.53	60097.18	137.61	137.61	35.97 %
कुल	1180.32	1014.53	139120.30	326.04	326.04	32.13 %

(स्रोत: विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2019-20 और 2021-22 के बीच विभाग ने कुल योजना कार्य पर ₹ 1,180.32 करोड़ का प्रावधान किया था और ₹ 1,014.53 करोड़ खर्च किए थे। इस अवधि के दौरान, ₹ 1,014.53 करोड़ के कुल योजना व्यय में

⁴⁸ प्रधान मुख्य वन संरक्षक का कार्यालय

⁴⁹ रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, कांकेर और जगदलपुर वृत्त

⁵⁰ बीजापुर, बलरामपुर, बस्तर, बलोदाबाजार, जशपुर, कोरबा, कोरिया, मारवाही, महासमुंद, राजनांदगांव, सूरजपुर, और दक्षिण कोंडागांव

से ₹ 326.04 करोड़ (28 प्रतिशत) बिगड़े वनों के उपचार कार्य पर खर्च किए गए। बिगड़े वनों के उपचार पर व्यय का हिस्सा बढ़ता हुआ दिखा और कुल योजना व्यय का 29.19 से 35.97 प्रतिशत के बीच व्यय हुआ।

3.5.8 कार्ययोजना

राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार, राज्य के समस्त वनों का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार किया जाना है। राष्ट्रीय वन नीति एवं राष्ट्रीय कार्ययोजना संहिता के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्ययोजना तैयार करना आवश्यक है। राज्य के समस्त वन मंडलों के वनों का सतत प्रबंधन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के आधार पर किया जाता है।

वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन का मुख्य आधार वन मंडलों की कार्ययोजना है। कार्ययोजना एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो वन मंडलों के वन संसाधनों और जैव विविधता की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। वन प्रबंधन की प्राथमिकताओं में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर, कार्ययोजनाओं की नियमित समीक्षा 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। वन मंडलों के विभिन्न वन क्षेत्रों की वनस्पति स्थिति के आधार पर वन क्षेत्रों को अलग-अलग वर्किंग सर्किल (कार्य वृत्त)⁵¹ में विभाजित किया जाता है और तदनुसार क्षेत्रों का उपचार का निर्णय लिया जाता है।

3.5.9 बिगड़े वनों का सुधार

वन मंडलों की कार्ययोजना के अनुसार, ऐसे वन क्षेत्र, जहां आसपास की आबादी, अधिक चराई और निस्तार⁵² आपूर्ति के दबाव के कारण घनत्व कम हो गया है, को बिगड़े वन भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वन मंडलों की कार्ययोजना वनभूमि का कंपार्टमेंटवार विवरण प्रदान करता है जिसमें वनस्पति की स्थिति, वन का प्रकार और घनत्व के साथ-साथ वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध क्षेत्र की जानकारी शामिल होती है। तदनुसार, कंपार्टमेंट को विभिन्न वृत्तों के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है, जैसे विशेष सह सुधार कार्यवृत्त⁵³, सुधार कार्यवृत्त⁵⁴, संरक्षण कार्यवृत्त⁵⁵, पुनर्वास कार्यवृत्त और वृक्षारोपण कार्यवृत्त आदि। विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, कार्ययोजना में शामिल 34 वनमंडलों का कुल वन क्षेत्र 44,83,476 हेक्टेयर था, जिसमें से बिगड़े हुए वनों के सुधार के लिए पुनर्वास कार्यवृत्त/वृक्षारोपण कार्यवृत्त के अंतर्गत क्षेत्र 10,83,667.633 हेक्टेयर (24.17 प्रतिशत) था।

बिगड़े वनों के सुधार (आरडीएफ) योजना एक राज्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत, वन विभाग कार्ययोजना में निर्धारित निर्देशों के अनुसार बिगड़े वन भूमि क्षेत्र को उपचारित करता है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य कम जड़ भंडार वाले/रिक्त वन क्षेत्रों को वन क्षेत्रों में उपलब्ध जड़ भंडार का उपचार करके और रिक्त क्षेत्रों में वृक्षारोपण करके घने वन क्षेत्रों में बदलना है।

⁵¹ एक वन क्षेत्र (जो कार्य योजना क्षेत्र का पूरा या हिस्सा हो सकता है) को एक विशेष उद्देश्य के साथ और एक ही वानिकी प्रणाली तथा एक ही कार्य योजना के अंतर्गत संगठित किया जाता है। कुछ परिस्थितियों में कार्य वृत्त अधिव्यापन हो सकते हैं।

⁵² निस्तार का अर्थ है वास्तविक कृषि या घरेलू उपयोग के लिए आवश्यक वन उपज।

⁵³ चयन सह सुधार कार्य वृत्त को बेहतरीन साल और मिश्रित वनों के प्रबंधन के लिए बनाया गया है और इस कार्य वृत्त में साल और मिश्रित वन हैं जो मध्यम और परिपक्व आयु के हैं।

⁵⁴ इस कार्य वृत्त के निर्माण का मुख्य उद्देश्य युवा वनों का वानिकी उपचार करके फसलों की उचित वृद्धि हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ विकसित करना है।

⁵⁵ इस कार्य वृत्त में ऐसे वन क्षेत्र शामिल किए गए हैं जो बारहवासी नदियों के आसपास स्थित हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य वन क्षेत्र की सुरक्षा प्रदान करना है ताकि मृदा संरक्षण के साथ-साथ वनस्पति आवरण में सुधार किया जा सके।

छत्तीसगढ़ वन नियमावली के अनुसार, बिगड़े वन भूमि का उपचार दो तरीकों से किया जाता है, पहला— वृक्षारोपण रहित आरडीएफ कार्य, ऐसा वन क्षेत्र जहां पर्याप्त जड़ भंडार उपलब्ध है। ऐसे वन क्षेत्रों में, वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं होती है, केवल उपलब्ध पौधों को अपनाना, जड़ों या पौधों का कट बैक ऑपरेशन (सीबीओ)⁵⁶, मृदा संरक्षण कार्य और क्षेत्रों की सुरक्षा की जाती है ताकि उपलब्ध जड़ें या पौधे उग सकें। और, दूसरा – वृक्षारोपण सहित आरडीएफ कार्य; यदि आरडीएफ क्षेत्र में अपर्याप्त जड़ भंडार वाले स्थान पर 10 हेक्टेयर से अधिक रिक्त वन क्षेत्र⁵⁷ उपलब्ध है, तो ऐसे वन क्षेत्र का उपचार वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण कार्य तथा वृक्षारोपण क्षेत्र को आग, चराई और अतिक्रमण से बचाकर किया जाता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने आरडीएफ क्षेत्रों (वृक्षारोपण के बिना आरडीएफ कार्य) और (वृक्षारोपण के साथ आरडीएफ कार्य) के उपचार के लिए प्रति हेक्टेयर मानदंड क्रमशः ₹ 23,673 और ₹ 1,44,015 निर्धारित (जून 2017) किए हैं। वृक्षारोपण सहित और वृक्षारोपण रहित आरडीएफ कार्यों को चित्र 3.5.1 में दर्शाया गया है।

चित्र 3.5.1: उपचारित क्षेत्र का चित्र जहां बिगड़े वनों के पुनर्वास का कार्य किया गया



कंपार्टमेंट क्रमांक 368, C/III – 18.36
हेक्टेयर बस्तर संभाग (उपचार वर्ष 21–22)
(उपग्रह चित्र दिनांक 03–06–2023)

कंपार्टमेंट क्रमांक 1342, C/III – 11 हेक्टेयर
बस्तर संभाग (उपचार वर्ष 21–22) (उपग्रह चित्र
दिनांक 19–11–2022)

3.5.10 कार्ययोजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आरडीएफ उपचार का कार्य न होना।

चौतीस वनमंडलों की स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 10,83,667.633 हेक्टेयर वन क्षेत्र को बिगड़े वन क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें से आरडीएफ और वृक्षारोपण कार्यवृत्त के विभिन्न कंपार्टमेंट के अंतर्गत 1,19,560.515 हेक्टेयर वन क्षेत्रों में वर्ष 2019–22 की अवधि के दौरान बिगड़े वनों के सुधार कार्य लिया जाना था। कार्य योजना, इन बिगड़े वन क्षेत्रों को बिगड़े वनों के सुधार या पुनर्वास कार्यवृत्त और वृक्षारोपण कार्यवृत्त के रूप में वर्गीकृत करता है एवं सुधार हेतु उच्च सुरक्षा, प्राकृतिक और कृत्रिम पुनर्जनन और अन्य सहायक गतिविधियों जैसे

⁵⁶ पुनरुत्पत्ति की स्थापना के लिए ये कट बैक ऑपरेशन (निराई, सफाई, छंटाई, लता काटना आदि) की जाती हैं।

⁵⁷ एक वृक्षहीन क्षेत्र जहाँ किसी कारणवश बहुत कम वृक्ष उग रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं उग रहे हैं।

उपचारों को निर्धारित करती है। इन बिगड़े वनों का सुधार और वनों की घनत्व और उत्पादकता की वृद्धि कार्य योजना अवधि के दौरान की जानी है।

प्रतिवर्ष, छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार आरडीएफ कार्य करने के लिए चयनित कार्य वृत्तों में उपलब्ध कार्य योग्य क्षेत्र के आधार पर वन मंडलों को बजट आवंटन प्रदान किया जाता है। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) द्वारा पिछले तीन वर्षों 2019-20 से 2021-22 तक वन मंडलों से संकलित लक्ष्य और मंडलों द्वारा किए गए आरडीएफ कार्य का विवरण निम्नलिखित **तालिका 3.5.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.5.3: आरडीएफ क्षेत्रों के उपचार के लक्ष्य और उपलब्धि का विवरण

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में तथा राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना में आरडीएफ क्षेत्र का लक्ष्य (आरडीएफ/वृक्षारोपण कार्य वृत्त)	वृक्षारोपण कार्य के बिना उपचारित आरडीएफ क्षेत्र	वृक्षारोपण कार्य सहित उपचारित आरडीएफ क्षेत्र	कुल उपचारित आरडीएफ क्षेत्र	आरडीएफ पर व्यय (वृक्षारोपण कार्य सहित/बिना)
2019-20	41250.99	38477.465	6215.895	44693.360	109.62
2020-21	44956.91	30917.931	3411.840	34329.771	78.81
2021-22	33352.615	54537.020	5560.160	60097.181	137.61
कुल	119560.515	123932.416	15187.895	139120.312	326.04

(स्रोत: प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2019-20 एवं 2021-22 के दौरान इन वर्षों में आरडीएफ कार्य हेतु कार्ययोजना में निर्दिष्ट लक्षित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में बिगड़े वन क्षेत्र का सुधार कार्य किया गया। हालांकि, वर्ष 2020-21 में किया गया वास्तविक उपचार कार्य कार्ययोजना में निर्धारित वार्षिक लक्ष्य से 76.36 प्रतिशत कम था। इस प्रकार, पिछले तीन वर्षों में निर्धारित लक्ष्य 1,19,560.515 हेक्टेयर के तुलना में 1,39,120.312 हेक्टेयर बिगड़े वनों का उपचार किया गया, जो निर्धारित लक्ष्य से 116.36 प्रतिशत था।

इसी प्रकार, वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक चयनित 12 वन मण्डलों के आर.डी.एफ. उपचार कार्य से सम्बन्धित लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि वनमण्डलों द्वारा निर्धारित लक्ष्य 3,61,246.02 हेक्टेयर के तुलना में 3,38,042.15 हेक्टेयर में आर.डी.एफ. उपचार कार्य कराया गया, जो की लक्ष्य से 23,203.90 हेक्टेयर कम था। अतः वनमण्डल की कार्ययोजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप उपचार कार्य नहीं हुआ।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि इस कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र 1 एवं 3 में वन मंडलों से प्राप्त अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार धनराशि आवंटित की जाती है। यह भी बताया गया कि निर्धारित लक्ष्य से कम या अधिक क्षेत्र में बिगड़े वनों के उपचार कार्य के कारणों की जानकारी वन मंडलों से प्राप्त की जावेगी।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, हमने बिगड़े वनों के सुधार कार्य में कई कमियां देखीं, जिनकी चर्चा आगामी कंडिकों में की गई है।

3.5.11 वृक्षारोपण कार्य के बिना बिगड़े वनों का सुधार

3.5.11.1 वन विभाग के मैनुअल/कार्य योजनाओं में निर्धारित विधि के अनुसार आरडीएफ के रिक्त क्षेत्रों का उपचार नहीं किया जाना।

वृक्षारोपण कार्य के बिना बिगड़े वनों का सुधार कार्य वहां किया जाता है, जहां विरल वन क्षेत्र में पर्याप्त जड़ भंडार उपलब्ध है। वन नियमावली के पैरा 11.5.2 के अनुसार, ऐसे बिगड़े वन क्षेत्रों में जहां पर्याप्त जड़ भंडार है, वहां उपलब्ध जड़ भंडार से ही कॉपिस⁵⁸ प्राप्त किया जाएगा। उस क्षेत्र में वृक्षारोपण नहीं किया जाएगा। वन मैनुअल के पैरा 11.5.3 के अनुसार, अपर्याप्त जड़ भंडार वाले क्षेत्रों के उपचार के लिए उपलब्ध जड़ भंडार से कॉपिस प्राप्त किया जाएगा तथा रिक्त क्षेत्र⁵⁹ में उपयुक्त प्रजातियों का रोपण किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मुख्य वन संरक्षक ने 12 चयनित वनमंडलों को 89,934.842 हेक्टेयर बिगड़े वन (वृक्षारोपण रहित) क्षेत्र के उपचार हेतु 1312 कम्पार्टमेंट में कार्य करने के लिए ₹ 156.09 करोड़ का आवंटन जारी किया और इन 12 वनमंडलों ने वर्ष 2019-22 की अवधि के दौरान 89,934.842 हेक्टेयर वन क्षेत्र में उपरोक्त कार्य पर ₹ 151.27 करोड़ का व्यय किया, जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 3.5.1** में दिया गया है।

कुल 1312 कम्पार्टमेंटों की वनस्पति स्थिति की आगे की जांच से पता चला कि छः⁶⁰ वनमंडलों के 114 कम्पार्टमेंटों में, वनमंडलों के अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार, रिक्त वन क्षेत्र 7312.73 हेक्टेयर और जड़ भंडार क्षेत्र (विरल वन) 5384.67 हेक्टेयर था। वनमंडलों ने 5384.67 हेक्टेयर विरल वन क्षेत्र, जहाँ पर्याप्त रूट स्टॉक उपलब्ध था, वृक्षारोपण रहित आरडीएफ कार्य किया, साथ ही 5964.67 हेक्टेयर रिक्त वन क्षेत्रों में भी वृक्षारोपण रहित आरडीएफ कार्य किया और राशि ₹ 18.87 करोड़ का व्यय किया। कुल व्यय में से, ₹ 10.02 करोड़ की राशि 5964.67 हेक्टेयर रिक्त वन क्षेत्रों⁶¹ में वृक्षारोपण रहित आरडीएफ कार्य पर व्यय किया गया जबकि वन मैनुअल के अनुसार, अपर्याप्त जड़ भंडार वाले क्षेत्र में उपलब्ध रूट स्टॉक से कॉपिस प्राप्त करके एवं रिक्त वन क्षेत्र में वृक्षारोपण सहित कार्य कर क्षेत्र का उपचार कार्य किया जाना चाहिए था।

⁵⁸ कॉपिसिंग एक पारंपरिक वानिकी प्रबंधन विधि है, जो कई प्रकार की वृक्ष प्रजातियों की इस क्षमता को प्रोत्साहित करती है कि यदि उन्हें काट दिया जाए तो वे अपनी टूट या जड़ों से नए अंकुर निकाल सकें।

⁵⁹ एक वृक्षविहीन क्षेत्र जहाँ किसी कारणवश बहुत कम वृक्ष उग रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं उग रहे हैं।

⁶⁰ कोरबा, महासमुंद, जशपुर, बलौदाबाजार, बस्तर और बीजापुर।

⁶¹ 114 कम्पार्टमेंट्स के कुल 7312.73 हेक्टेयर रिक्त वन क्षेत्र में से वनमंडलों ने 5964.67 हेक्टेयर रिक्त वन क्षेत्र में उपचार कार्य किया।



(जशपुर वनमंडल के कम्पार्टमेंट क्रमांक P1370 में वनमंडल की कार्ययोजना के अनुसार 10.73 हेक्टेयर रिक्त वन क्षेत्र और 9.21 हेक्टेयर विरल वन क्षेत्र) (उपग्रह चित्र दिनांक 26.09.2022)

इस प्रकार, रिक्त वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण रहित आरडीएफ कार्य पर राशि ₹ 10.02 करोड़ खर्च किए, जो रिक्त वन क्षेत्रों के लिए निर्धारित उपचार पद्धति से विचलन था। विवरण परिशिष्ट 3.5.2 में दिया गया है।

राज्य सरकार ने बताया (अगस्त 2023) कि नियत वर्षों में वनमंडलों द्वारा आरडीएफ (वृक्षारोपण रहित) कार्य शुरू करने से पहले उप-वनमंडलाधिकारी और परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा क्षेत्रों का सर्वेक्षण और निरीक्षण किया गया और पाया गया कि रिक्त वन क्षेत्र में जड़ भंडार स्टॉक उपलब्ध था। रिक्त वन क्षेत्र में जड़ भंडार उपलब्ध होने के कारण, आरडीएफ (वृक्षारोपण रहित) कार्य किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सर्वेक्षण के दौरान वनमंडलों के संशोधित स्टॉक मानचित्र तैयार की गई थी, जिसमें रिक्त क्षेत्रों की उपलब्धता दर्शाई गई थी, तदनुसार रिक्त वन क्षेत्रों पर आरडीएफ वृक्षारोपण सहित कार्य किया जाना था। इसके अलावा, 114 कम्पार्टमेंट के रिक्त वन क्षेत्रों में रूट स्टॉक की उपलब्धता की पुष्टि करने के लिए कीहोल मार्कअप लैंग्वेज (केएमएल)⁶² फाइल न तो परियोजना प्रतिवेदन के साथ संलग्न की गई थी और न ही वनमंडलों में सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध थी।

3.5.11.2 अकार्य योग्य वन क्षेत्र पर किए गए आरडीएफ कार्य पर राशि ₹ 2.38 करोड़ का परिहार्य व्यय

वनमंडलो द्वारा प्रत्येक वर्ष कार्य योग्य और अकार्य योग्य क्षेत्रों का विवरण, निर्धारित प्रपत्र में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), छत्तीसगढ़ को बजट आवंटन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रपत्र में वन ग्राम, अतिक्रमण, वन अधिकार, पूर्व में किया गया वृक्षारोपण, एफडीए/मनरेगा/कैम्पा/अन्य केन्द्रीय योजना में प्रस्तावित क्षेत्र तथा अन्य कारणों से अपात्र क्षेत्रों को अकार्य योग्य क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया, जबकि रिक्त तथा विरल वन क्षेत्रों को कार्ययोग्य क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा पुष्टि की गई (जुलाई 2023) कि अतिक्रमण, एफडीए/मनरेगा/कैम्पा/अन्य केन्द्रीय योजना में प्रस्तावित क्षेत्र को अकार्य योग्य माना गया और शेष क्षेत्र को कार्य योग्य माना गया।

⁶² कीहोल मार्कअप लैंग्वेज (केएमएल) फाइलें गूगल अर्थ प्रो इमेज फाइलें होती हैं, जिनका उपयोग उपचारित क्षेत्रों से संबंधित जानकारी देखने और साझा करने के लिए किया जाता है। ये फाइलें भौगोलिक डेटा और गूगल अर्थ से संबंधित सामग्री को संग्रहित करती हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वन मंडलों ने कम्पार्टमेंट के अकार्य योग्य क्षेत्रों में आरडीएफ (वृक्षारोपण रहित) कार्य का क्रियान्वयन किया गया, जैसा कि आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

(क) अतिक्रमित वन क्षेत्र में बिगड़े वनों का सुधार कार्य किया जाना

कार्ययोजना के अनुसार, जन सहयोग एवं विधिक प्रक्रिया के माध्यम से अतिक्रमण को हटाकर वनरोपण द्वारा वनों के अतिक्रमित क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया जाना था तथा पुनः हरित क्षेत्रों में विभिन्न प्रजातियों के वृक्षारोपण किए जाने थे। अतिक्रमित क्षेत्रों के आसपास स्थित घने जंगलों में, जड़ भंडार को पूर्णतः संरक्षित रखते हुए प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए उपचार किया जाना था।



[बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज परिक्षेत्र के कंपार्टमेंट क्रमांक पी 3401 की के एम् एल फाइल से गूगल अर्थ प्रो द्वारा उत्पन्न छवि, जिसमें पूरे कंपार्टमेंट में अतिक्रमण दर्शाया गया है, जहाँ पर वन विभाग द्वारा आर डी एफ कार्य किए जाने का दावा किया गया था (दिनांक 11/11/2023 का उपग्रह चित्र)]

यह पाया गया कि 2019–22 की अवधि के दौरान, वनमंडलाधिकारी बलरामपुर वनमंडल ने ₹ 32.92 करोड़ के व्यय के साथ 225 कम्पार्टमेंट्स के 18349.967 हेक्टेयर में आरडीएफ (वृक्षारोपण रहित) कार्य किया। वनमंडल के अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार, 225 कम्पार्टमेंट में से 10 में कुल कार्य योग्य क्षेत्रफल 1601.38 हेक्टेयर था। वर्ष 2019–22 के दौरान, 10 कम्पार्टमेंट में 1531.38 हेक्टेयर कार्य योग्य क्षेत्रफल के उपचार के लिए धनराशि आवंटित की गई, जिसमें 575.12 हेक्टेयर अतिक्रमित क्षेत्र शामिल था। हालांकि, 10 कम्पार्टमेंट के अतिक्रमित क्षेत्र में आरडीएफ कार्यों की परियोजना प्रतिवेदन में अतिक्रमित क्षेत्रों को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त 10 कम्पार्टमेंट के स्टॉक मैप से पता चलता है कि वहां अतिक्रमित क्षेत्र थे। इसके बावजूद वनमंडल ने 575.12 हेक्टेयर अतिक्रमित क्षेत्र में वृक्षारोपण रहित आरडीएफ कार्य कर राशि ₹ 99.14 लाख खर्च किए। परिणामस्वरूप, अतिक्रमित क्षेत्रों में आरडीएफ कार्य करने के कारण राशि ₹ 99.14 लाख का परिहार्य व्यय हुआ। (परिशिष्ट 3.5.3)

इंगित किये जाने पर, शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि कार्ययोजना के प्रावधानों के अनुसार कार्य योग्य क्षेत्र और कुछ अतिक्रमण मुक्त क्षेत्रों को शामिल करते हुए बिगड़े वनों का उपचार कार्य किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वनमंडल के स्वीकृत कार्ययोजना के साथ-साथ परियोजना प्रतिवेदन के साथ संलग्न कम्पार्टमेंट के टोपोशीट मानचित्र में भी 10 कम्पार्टमेंट के 575.12 हेक्टेयर क्षेत्र को अतिक्रमण क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया था। इसके अलावा, वनमंडल द्वारा उपलब्ध कराए गए कम्पार्टमेंट की केएमएल फाइलों (गूगल अर्थ प्रो द्वारा उपचार स्थलों की छवि) में भी इन क्षेत्रों में अतिक्रमण दिखाई दे रहा था।

(ख) वनग्राम क्षेत्र में बिगड़े वनों के सुधार कार्य

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) ने स्पष्ट किया (जुलाई 2023) कि अन्य कारणों से अनुपयोगी क्षेत्र में नदी/नाला, वन पथ, वन ग्राम (वनग्राम), डूब क्षेत्र और चट्टानी क्षेत्र शामिल हैं।

वन नियमावली की कंडिका क्रमांक 25.28 के अनुसार, सुदूर वनांचलों में वानिकी कार्य हेतु श्रमिकों की निरंतर आवश्यकता को देखते हुए, वन विभाग द्वारा आरक्षित एवं संरक्षित वनों में श्रमिक शिविरों की स्थापना की गई थी। इन श्रमिकों को सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ वन भूमि पर कृषि करने तथा मकान बनाने की अनुमति दी गई थी। बाद में वन श्रमिकों के इन शिविरों को वनग्राम नाम दिया गया।



(बीजापुर वनमंडल का कम्पार्टमेंट क्रमांक C/IX 254 जिसमें विभाग ने 60.942 हेक्टेयर क्षेत्र में आरडीएफ उपचार करने का दावा किया है जबकि बीजापुर वनमंडल की कार्ययोजना में इस पूरे क्षेत्र को वनग्राम के रूप में वर्गीकृत किया गया है) (दिनांक 04.07.2023 का सैटेलाइट चित्र)

यह पाया गया कि वर्ष 2019-22 के दौरान, बीजापुर वनमंडल ने ₹ 30.77 करोड़ के व्यय के साथ 104 कम्पार्टमेंट के 18923.721 हेक्टेयर में आरडीएफ (बिना वृक्षारोपण) कार्य किया। वनमंडल की अनुमोदित कार्य योजना की आगे की जांच से पता चला कि इन 104 कम्पार्टमेंट में से, सात कम्पार्टमेंट का कुल क्षेत्रफल 968.986 हेक्टेयर था, जिसमें से 173.565 हेक्टेयर को रिक्त और विरल वन क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया था और शेष 795.421 हेक्टेयर को कार्य करने योग्य क्षेत्रों के अंतर्गत "वनग्राम" के रूप में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि, कम्पार्टमेंट की परियोजना रिपोर्ट में इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इन सात कम्पार्टमेंट से वनग्राम क्षेत्रों को कब खाली कराया गया/हटा दिया गया। इसके अलावा, इन कम्पार्टमेंट की केएमएल फाइल के माध्यम से प्राप्त उपग्रह छवि से पता चलता है कि वनग्राम वहाँ स्थित है। बीजापुर वनमंडल ने इन कम्पार्टमेंट के 173.565 हेक्टेयर रिक्त क्षेत्र के साथ-साथ वनग्राम के

795.421 हेक्टेयर कार्य योग्य क्षेत्र में ₹ 1.67 करोड़ आरडीएफ (बिना वृक्षारोपण) कार्य किया गया। चूंकि वनग्राम में लोग कृषि कार्य करते हैं तथा वहां उनके घर भी बने हुए थे, इसलिए ऐसे वन क्षेत्र में बिगड़े वनों का उपचार कार्य करना संभव नहीं था, परिणामस्वरूप 795.421 हेक्टेयर वनग्राम क्षेत्र में आरडीएफ (वृक्षारोपण रहित) कार्य पर राशि ₹ 1.39 करोड़ का अनावश्यक व्यय हुआ। (परिशिष्ट 3.5.4)

इंगित किये जाने पर, शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि लेखापरीक्षा द्वारा गलत तरीके से वनग्राम को अकार्य योग्य क्षेत्र मानकर व्यय को संदिग्ध माना गया है, जबकि स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार, वनग्राम को कार्य योग्य क्षेत्र में रखा गया है। अतः स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार, वनग्राम के क्षेत्र में उपचार कार्य कराया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) ने अपने उत्तर (जुलाई 2023) में लेखापरीक्षा को सूचित किया है कि वनग्राम को अकार्य योग्य क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। साथ ही, उपरोक्त छः कम्पार्टमेंट की सैटलाइट चित्र को दिखाने वाली केमल फ़ाइलों से, यह स्पष्ट है कि अभी भी वनग्राम मौजूद है और लोगों का कब्जा है क्योंकि झोपड़ियाँ और खेती का क्षेत्र छवियों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

3.5.11.3 लाइव हेज के निर्माण के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन न करने के कारण अतिरिक्त व्यय

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर ने विभिन्न कार्यों के लिए अनुसूचित दर निर्धारित (नवंबर 2013) की है। विभाग की अनुसूचित दर के अनुसार, लाइव हेज निर्माण कार्य के अंतर्गत साइट पर पहुंचकर गड्ढा खोदना, कैटल प्रूफ ट्रेच (सीपीटी)⁶³ की मेड़ पर एक लाइन में अरंडी, नागफनी, बबूल, जट्रोफा आदि के पौधे लगाना आदि 100 रनिंग मीटर के लिए 1.25 मानव दिवस निर्धारित किया गया तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा आरडीएफ कार्य के अंतर्गत लाइव हेज के निर्माण, में आरसीसी पोल/कांटेदार तारों के बाड़ा के किनारे दो पंक्तियों में अरंडी, नागफनी, बबूल, जट्रोफा आदि के रोपण के लिए 130 रनिंग मीटर के लिए 3.50 मानव दिवस (100 रनिंग मीटर के लिए 2.69 मानव दिवस⁶⁴ निर्धारित किया।

(क) लेखापरीक्षा में लाइव हेजे के निर्माण में तीन वनमंडलों में कुछ अनियमितताएं पाई गईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है: —

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-22 की अवधि के दौरान, वनमंडल ने 85 आरडीएफ कम्पार्टमेंट के बाहरी हिस्से में 9,90,732.53 रनिंग मीटर में सीपीटी कार्य किया, जहां आरडीएफ कार्य किए गए थे। हालांकि, खोदी गई सीपीटी की मेड़ में दो पंक्तियों में लाइव हेज (गड्ढे खोदना, पौधे लगाना आदि) का निर्माण 20,78,458.44 रनिंग मीटर में किया, जिस पर विभाग ने राशि ₹ 1.67 करोड़ की राशि व्यय किया। आगे, उपरोक्त 85 कम्पार्टमेंट्स की परियोजना प्रतिवेदनों की जांच में पाया गया कि लाइव हेज कार्य (पौधा लगाना, साइट पर पहुंचना और सीपीटी की मेड़ में गड्ढे खोदना) 2.5 मानव दिवस (1.25 मानव दिवस x 2 लाइन) के बजाय 3.5 मानव दिवस की दर से परियोजना तैयार कर कार्य किया गया। परिणामस्वरूप लाइव हेज के निर्माण में

⁶³ सीपीटी (कैटल प्रूफ ट्रेच) का निर्माण उपचारित क्षेत्र की बाहरी सीमा पर 1.5 x 0.70 x 0.75 मीटर आकार की नाली खोदकर किया जाता है। खुदी हुई मिट्टी से अंदर की ओर मेड़ बनाई जाती है और उस पर कांटेदार पौधे लगाए जाते हैं ताकि पशु उपचारित क्षेत्र में प्रवेश न कर सकें।

⁶⁴ $(3.5 \times 100 / 130) = 2.69$ मानव दिवस

निर्धारित मानव दिवस के अनुरूप कार्य न करने के कारण राशि ₹ 93.87 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ (परिशिष्ट 3.5.5)।

इंगित किये जाने पर शासन ने कहा (सितंबर 2023) कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा आरडीएफ कार्य के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार दो लाइनों में लाइव हेज का कार्य किया गया, 2.5 मानव दिवस में कार्य करवाया जाना संभव नहीं था। इस तरह, इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ।

- (ख) इसी प्रकार, सूरजपुर वनमंडल में वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक आरडीएफ कार्य के दौरान 87 कम्पार्टमेंट में 3,99,859.59 रनिंग मीटर में सीपीटी का निर्माण किया। इस निर्मित सीपीटी के मेड़ में दो पंक्ति में लाइव हेज का निर्माण किया जाना था और निर्धारित मानदंडों के अनुसार राशि ₹ 31.25 लाख व्यय किया जाना था। लेकिन वनमंडल ने इस पर ₹ 70.71 लाख व्यय कर दिए। परिणामस्वरूप, लाइव हेज के निर्माण में मानव दिवसों के निर्धारित मानदंडों का पालन न करने के कारण राशि ₹ 39.46 लाख का अधिक व्यय हुआ (परिशिष्ट 3.5.6)।

इंगित किये जाने पर वनमंडलाधिकारी, सूरजपुर ने बताया (सितंबर 2023) कि दो लाइनों में गड्ढे बनाने, पौधों को साइट पर ले जाने और सीपीटी के मेड़ पर रोपण कार्य के लिए 3.5 मानव दिवसों के साथ परियोजना रिपोर्ट तैयार कर धनराशि खर्च की गई।

बीजापुर और सूरजपुर वनमंडलों के उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि आरडीएफ मानदंडों के अनुसार, 130 रनिंग मीटर के लिए 3.5 मानव दिवस (100 रनिंग मीटर के लिए 2.69 मानव दिवस) वहां लागू होंगे जहां जेट्रोफा/नागफनी के पौधे, खंभों/कांटेदार तारों वाली बाड़ के किनारे लगाये जाते हैं। जबकि वनमंडल ने सीपीटी कार्य किया और जेट्रोफा/नागफनी/बबूल के पौधे सीपीटी की मेड़ में लगाए गए। इसलिए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अनुसूचित दर के अनुसार, उपरोक्त कार्य 2.5 मानव दिवस पर किया जाना था।

- (ग) कोरिया एवं जशपुर वनमण्डलों के अभिलेखों की जांच के दौरान देखा गया कि वनमण्डलों द्वारा वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि में 139 कम्पार्टमेंट में 4,42,896 रनिंग मीटर में सीमेंट कंक्रीट पोल की फेंसिंग का कार्य किया गया। बिगड़े वनों के उपचार कार्य के अंतर्गत 4,42,896 रनिंग मीटर फेंसिंग के किनारे दो लाइनों में अरंडी, नागफनी, बबूल, जेट्रोफा आदि का रोपण कर लाइव हेज का निर्माण किया जाना था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि 139 कम्पार्टमेंट में 4,42,896 रनिंग मीटर के स्थान पर 9,24,268.95 रनिंग मीटर लाइव हेज के लिए दो पंक्तियों में हेजिंग कार्य के लिए 2.69 मानव दिवस प्रति रनिंग मीटर पर राशि ₹ 300 से राशि ₹ 323 प्रतिदिन की मजदूरी दर लागू करके अनुचित तरीके से व्यय की गणना की गई थी। परिणामस्वरूप, मात्रा की गलत गणना⁶⁵ के कारण राशि ₹ 38.99 लाख का अधिक व्यय हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट 3.5.7** में विस्तृत है।

इंगित किये जाने पर वनमंडलाधिकारी ने बताया (सितंबर 2023) कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने आरडीएफ (वृक्षारोपण रहित) कार्य के लिए मानदंड तय किए थे। तदनुसार, परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई और 3.5 मानव दिवस में

⁶⁵ सीपीटी की किनारे पर दो पंक्तियों में हेजिंग कार्य के लिए प्रमुख मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित दर 2.5 मानव दिवस थी, लेकिन व्यय की गणना करते समय विभाग द्वारा गलती से इस मात्रा को दुगुना कर दिया गया।

दो लाइन में लाइव हेज कार्य किया गया। कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने दो पंक्तियों में हेजिंग कार्य के लिए प्रति 130 रनिंग मीटर पर 3.5 मानव दिवस निर्धारित किया था, न कि एक लाइन में कार्य के लिए। हालांकि, वनमंडल ने व्यय की गणना करते समय 100 मीटर के लिए 3.5 मानव दिवस प्रति 100 रनिंग मीटर जो कि दो पंक्तियों के लिए लाइव हेज के लिए निर्धारित था, को अपनाते हुए की, लेकिन निर्मित फेंसिंग क्षेत्र को दोगुना करके व्यय की गणना की।

इस प्रकार, व्यय की गणना के लिए लिया गया मात्रा सही नहीं था।

3.5.11.4 सफाई कार्य पर राशि ₹ 1.11 करोड़ का अधिक व्यय

कार्ययोजना के अनुसार, आबादी वाले क्षेत्रों से सटे कम घनत्व वाले विरल और बहुत खुले वनक्षेत्रों को आरडीएफ/पीएलडब्ल्यूसी कार्य वृत्त में शामिल किया गया है। किसी भी क्षेत्र की सफाई कार्य के अंतर्गत उस क्षेत्र की झाड़ियों की कटाई किया जाना शामिल है और मिट्टी के कटाव से प्रभावित न होने वाले क्षेत्रों में लैंटाना (खरपतवार) को जड़ सहित उखाड़ दिया जाएगा एवं पेड़-पौधों के प्रजनन को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए बिना जमीन को जोतकर या कुदाल चलाकर बीज बोए जाएंगे। स्टंप की ड्रेसिंग की जाएगी और विकृत पौधों की छंटाई की जाएगी। यदि एक स्टंप की कई कॉपिस हैं, तो विभिन्न उपलब्ध प्रजातियों के अच्छे प्रजनन के लिए दो स्वस्थ कॉपिस रखना और बाकी को काटना आवश्यक होगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु निर्धारित (नवम्बर 2013) दर के अनुसार, सघन जड़ भंडार वाले क्षेत्र की सफाई हेतु जिसमें 20 सेमी तक के गोलाकार आकार के अनुपयोगी/कॉपिस प्रजातियों के पौधों एवं स्टंप की कटाई, ड्रेसिंग एवं सफाई कार्य किया जावेगा, प्रति हेक्टेयर नौ मानव दिवस एवं अल्प जड़ भंडार वाले क्षेत्रों के लिए प्रति हेक्टेयर पांच मानव दिवस की दर निर्धारित की गई।

दो⁶⁶ वनमंडलो के अभिलेखों की जांच से पता चला कि वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान वनमंडलो ने 519 कम्पार्टमेंट्स⁶⁷ के 33891.58 हेक्टेयर में आरडीएफ (वृक्षारोपण रहित) कार्य किया। आगे, उपरोक्त कार्य की परियोजना रिपोर्ट और वाउचर की जांच के दौरान देखा गया कि 519 कम्पार्टमेंट्स में से 186 से संबंधित कुल 14330.78 हेक्टेयर में उपचार कार्य के दौरान, वनमंडल ने 9088.27 हेक्टेयर को सघन वन और शेष 1718.73 हेक्टेयर को विरल वन मानते हुए सफाई कार्य किया, जिस पर राशि ₹ 2.77 करोड़ खर्च हुए।

कार्य योजना के अनुसार, आरडीएफ/वृक्षारोपण कार्यवृत्त में केवल विरल वन /रिक्त/खुले वन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। यदि वन क्षेत्र सघन है तो उस क्षेत्र को अन्य कार्यवृत्त जैसे विशेष सह सुधार कार्यवृत्त/सुधार कार्यवृत्त/संरक्षण कार्यवृत्त आदि कार्यवृत्त में वर्गीकृत किया जाएगा और इसे आरडीएफ/वृक्षारोपण कार्यवृत्त के क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता है। वनमंडल की कार्ययोजना के अनुसार, इन 186 कम्पार्टमेंट को आरडीएफ/वृक्षारोपण कार्यवृत्त के रूप में वर्गीकृत किये गये थे, जिसका अर्थ है कि इन कम्पार्टमेंट में कोई घना जंगल नहीं था। तथापि, विभाग ने प्रति हेक्टेयर पांच मानव दिवसों के बजाय नौ मानव दिवसों की दर से क्षेत्र सफाई का कार्य किया। परिणामस्वरूप, विरल वन क्षेत्र को सघन वन क्षेत्र मानकर और

⁶⁶ बलरामपुर और बस्तर

⁶⁷ बस्तर - 294 कम्पार्टमेंट (15541.613 हेक्टेयर) + बलरामपुर - 225 कम्पार्टमेंट (18349.967 हेक्टेयर)

अधिक मानव दिवस का उपयोग करके क्षेत्र सफाई कार्य किये जाने के कारण राशि ₹ 1.11 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट 3.5.8** में विस्तृत है।

इंगित किये जाने पर, वनमंडलाधिकारी बस्तर ने बताया (सितम्बर 2023) कि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, सघन/कम जड़ भंडारण वाले वनक्षेत्रों में सफाई कार्य हेतु प्रावधान था। आरडीएफ कार्य कराए जाने के पूर्व परिक्षेत्र अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है। वन क्षेत्र में सघन रूट स्टॉक विद्यमान था, अतः निर्धारित मापदण्डों एवं स्वीकृत दर अनुसूचि के अनुसार क्षेत्र सफाई कार्य कराया गया।

वनमंडलाधिकारी बलरामपुर ने बताया (अगस्त 2023) कि चूंकि मापदण्ड वर्ष 2017 में निर्धारित किए गए थे तथा कार्य वर्ष 2020-2022 की अवधि में कराया गया, अतः उक्त अवधि में मजदूरी/सामग्री की दरों में वृद्धि होने के कारण कार्य हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सम्पूर्ण क्षेत्र में कार्य कराया जाना संभव नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने कम जड़ भंडार वाले क्षेत्र में सफाई कार्य के लिए पांच मानव दिवस का मानदंड तय किया है। वे कम्पार्टमेंट जिनमें कम जड़ भंडार वाले/रिक्त/खुले वन क्षेत्र हैं, उन्हें आरडीएफ/वृक्षारोपण कार्यवृत्त में शामिल किया गया है। चूंकि आरडीएफ/वृक्षारोपण कार्यवृत्त के ये 188 कम्पार्टमेंट कम स्टॉक वाले/रिक्त/खुले वन क्षेत्र थे, इसलिए, विरल वन क्षेत्र की सफाई का काम निर्धारित पांच मानव दिवसों के अनुसार किया जाना था।

3.5.12 वृक्षारोपण कार्य के साथ बिगड़े वनों का सुधार

वृक्षारोपण के साथ आरडीएफ के मानदंडों के अनुसार, यदि एक स्थान पर 10 हेक्टेयर से अधिक रिक्त क्षेत्र⁶⁸ उपलब्ध है और आरडीएफ क्षेत्र में रूट स्टॉक पर्याप्त नहीं है, तो उस क्षेत्र को वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण कार्य और वृक्षारोपण क्षेत्र को आग, चराई और अतिक्रमण से बचाया जा कर क्षेत्र को उपचारित किया जाना है।

3.5.12.1 बांस रोपण पर अतिरिक्त व्यय

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ ने प्रथम वर्ष से छठे वर्ष तक बांस रोपण कार्य हेतु प्रति हेक्टेयर अधिकतम व्यय के मापदंड⁶⁹ निर्धारित (जून 2017) किए।

लेखापरीक्षा में पाया गया (अगस्त 2022) कि मुख्य वन संरक्षक, रायपुर ने 13 कम्पार्टमेंट के 449.83 हेक्टेयर में बांस रोपण के लिए क्षेत्र तैयारी (दूसरे वर्ष का कार्य) के लिए वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान महासमुंद वनमंडल को राशि ₹ 1.77 करोड़ (₹ 39,366 प्रति हेक्टेयर) जारी किए थे। आवंटन के विरुद्ध, वनमंडल ने इन 13 कम्पार्टमेंट में से चार⁷⁰ के 87 हेक्टेयर में बांस रोपण के लिए क्षेत्र तैयारी कार्य पर राशि ₹ 82.10 लाख का व्यय किया। हालांकि, प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा बांस रोपण के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार, 87 हेक्टेयर में अधिकतम व्यय राशि ₹ 34.25⁷¹ लाख किया जाना था। इस प्रकार, बांस रोपण के निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं करने के कारण वनमंडल ने कार्य पर राशि ₹ 47.85 लाख का अधिक व्यय किया था।

⁶⁸ एक वृक्षहीन क्षेत्र जहाँ किसी कारणवश बहुत कम वृक्ष उग रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं उग रहे हैं।

⁶⁹ प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अनुसार बांस रोपण के मानदंड— प्रथम वर्ष— ₹ 600 प्रति हेक्टेयर, दूसरे वर्ष— ₹ 39366 प्रति हेक्टेयर, तीसरे वर्ष— ₹ 16659 प्रति हेक्टेयर, चौथे वर्ष— ₹ 3870 प्रति हेक्टेयर, पांचवें वर्ष— ₹ 1800 प्रति हेक्टेयर और छठे वर्ष— ₹ 1819 प्रति हेक्टेयर,

⁷⁰ चार कम्पार्टमेंट — (C/X 36 -10 हे., C/X 72 -22 हे., C/X 35 -15 हे., और C/X 20 -40 हे.)

⁷¹ ₹ 39,366 x 87

इसी प्रकार, वनमंडल ने वर्ष 2021-22 के दौरान दो कम्पार्टमेंट⁷² के 50 हेक्टेयर में बांस रोपण का तृतीय वर्ष का कार्य भी किया था। मानदंडों के अनुसार, राशि ₹ 16,659 प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम अनुमेय व्यय राशि ₹ 8.33⁷³ लाख था। लेकिन, वनमंडल ने राशि ₹ 13.77 लाख का व्यय किया, परिणामस्वरूप, राशि ₹ 5.44 लाख का अधिक व्यय हुआ। इस प्रकार, वनमंडल द्वारा बांस रोपण के मानदंडों का पालन न करने के कारण कार्यों पर राशि ₹ 53.29 लाख का अधिक व्यय हुआ।

राज्य सरकार ने बताया (अगस्त 2023) कि मुख्य वन संरक्षक और वनमंडलाधिकारी को पत्र लिखकर मामले में उत्तर मांगा गया है। वनमंडल से उत्तर मिलने के बाद जल्द ही उत्तर दिया जावेगा।

3.5.12.2 असफल वृक्षारोपण

वन नियमावली 2020 के पैरा क्रमांक 11.2.3 के अनुसार, वृक्षारोपण पूर्ण होने के पश्चात्, वृक्षारोपण के प्रभारी वनरक्षक (प्रत्येक वर्ष अक्टूबर एवं मार्च माह में) जीवित बचे पौधों का प्रतिशत गिनेंगे। यह गणना पांच वर्षों की अवधि के दौरान रोपित पौधों की चयनित 20 प्रतिशत पंक्तियों में जीवित बचे पौधों की संख्या की गणना करके की जाएगी। इस प्रकार प्राप्त जीवित रहने के प्रतिशत को वनमंडल के वृक्षारोपण पत्रिका एवं वृक्षारोपण पंजी में दर्ज किया जाएगा। पैरा 11.2.5 के अनुसार, वृक्षारोपण के तीन वर्ष पश्चात्, उसकी सफलता का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा:—

क्र.	वृक्षारोपण का प्रकार	वृत्त नाम	सफल वृक्षारोपण के लिए न्यूनतम जीविता प्रतिशत
1	असिंचित वृक्षारोपण (कैटल ट्रेंच सहित)	सभी कार्यवृत्त	40 प्रतिशत से अधिक
2	असिंचित, उच्च तकनीक वृक्षारोपण (कांटेदार तार की फेंसिंग सहित)	बिलासपुर/दुर्ग/रायपुर	60 प्रतिशत से अधिक
		जगदलपुर/कांकेर/सरगुजा	70 प्रतिशत से अधिक
3	सिंचित वृक्षारोपण	सभी कार्यवृत्त	85 प्रतिशत से अधिक

(स्रोत: वन मैनुअल 2020)

इसके अलावा, वन नियमावली के पैरा 11.2.6 के अनुसार, असफल वृक्षारोपण पर होने वाला व्यय सरकार के लिए वित्तीय हानि माना जाएगा, जिसकी सूचना महालेखाकार एवं सरकार को देनी होगी। हानि की राशि की वसूली जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों से की जावेगी।

आरडीएफ कार्य के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य के अभिलेखों की जांच के आधार पर की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों की चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में की गई है:

- (क) महासमुंद वनमंडल में लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-22 की अवधि में आरडीएफ उपचार कार्य के अंतर्गत 47 कम्पार्टमेंट के 1092.32 हेक्टेयर में 5,31,428 पौधे रोपे गए, जिस पर राशि ₹ 2.22 करोड़ रुपए व्यय हुए। आगे यह भी देखा गया कि इन 47 कम्पार्टमेंट में से तीन कम्पार्टमेंट⁷⁴ के 85 हेक्टेयर में 55,000 पौधे रोपे गए। वनमंडल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर लेखापरीक्षा ने यह देखा कि सितंबर 2022 तक इन तीन कम्पार्टमेंट C/VIII 40, C/VIII 144 और C/IX 20 में रोपे गए पौधों का जीवित रहने का प्रतिशत क्रमशः 36.50 प्रतिशत, 44 प्रतिशत और 51.54

⁷² C/X 281- 20 हेक्टेयर और C/X 271 – 30 हेक्टेयर

⁷³ ₹ 16,659 X 50 हे = ₹ 8,32,590

⁷⁴ C/VIII 40, C/III 144, C/IX 20

प्रतिशत था, जो कि कांटेदार तार की बाड़ के साथ उच्च तकनीक वाले असिंचित वृक्षारोपण के लिए निर्धारित न्यूनतम जीवित रहने के मानक 60 प्रतिशत से कम था।

इंगित किये जाने पर, शासन द्वारा बताया गया (अगस्त 2023) कि उच्च कार्यालय से प्राप्त निर्देशों एवं समय-समय पर जारी आदेशों के अनुपालन में मृत पौधों के स्थान पर पौध रोपण का प्रतिस्थापन का कार्य किया गया है। माह जनवरी 2023 की स्थिति में कम्पार्टमेंट क्रमांक 40,144 एवं 20 में रोपित पौधों का जीवित प्रतिशत क्रमशः 75.95 एवं 50 है, जिसकी प्रविष्टि रोपण पंजिका में दर्ज है।

विभाग का उत्तर इस तथ्य की स्वीकारोक्ति है कि जो पौधे मर गए थे, उनके स्थान पर नए पौधे रोपे गए। साथ ही विभाग ने यह भी कहा कि कंपार्टमेंट नंबर 20 में रोपे गए पौधों का जीवित रहने का प्रतिशत 50 प्रतिशत है, जिसे असफल रोपण माना जाता है, क्योंकि यह सफल रोपण के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित सफलता दर (60 प्रतिशत) से कम है।

- (ख) लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-22 की अवधि के दौरान, मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा ने कंपार्टमेंट क्रमांक 2745 के 40 हेक्टेयर में मिश्रित वृक्षारोपण कार्य के लिए बलरामपुर वनमंडल को कुल राशि ₹ 54.14 लाख (दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष का कार्य के लिए) का आवंटन किया। वन मंडल ने वर्ष 2019-22 के दौरान 44,000 पौधे लगाकर वृक्षारोपण कार्य प्रारंभ किया और राशि ₹ 54.14 लाख का व्यय किया।

कंपार्टमेंट क्रमांक 2745 की परियोजना प्रतिवेदन की जांच के दौरान देखा गया कि वनमंडल ने वर्ष 2020 में इस कंपार्टमेंट के 40 हेक्टेयर क्षेत्र में 44,000 पौधे (सागौन, बीजा, शीशम व अन्य पौधे) रोपे थे। हालांकि, परिक्षेत्र अधिकारी, राजपुर के साथ उक्त कंपार्टमेंट के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2023) किए जाने पर देखा गया कि केवल 10-15 प्रतिशत पौधे ही जीवित थे और शेष 85-90 प्रतिशत पौधे मर चुके थे। पौधों की अत्यधिक मृत्यु मुख्य रूप से प्राकृतिक रूप से उगे पौधों के कारण थी जो नए वृक्षारोपण के विकास में बाधा डाल रहे थे। परिणामस्वरूप, पौधों की मृत्यु दर निर्धारित मानदंड 30 प्रतिशत से बहुत अधिक थी, जो वृक्षारोपण की विफलता को दर्शाता है।

इंगित किये जाने पर, शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि रिक्त क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्य किया गया है, जिसमें जड़ भंडार नहीं था। दिनांक 04.07.2023 को बीट गार्ड, परिक्षेत्र सहायक, परिक्षेत्र अधिकारी एवं उप वन अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा वृक्षारोपण क्षेत्र का पुनः निरीक्षण किया गया, जिसमें 78 प्रतिशत पौधे जीवित पाए गए तथा पौधों की वृद्धि अच्छी पाई गयी है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परिक्षेत्र अधिकारी की उपस्थिति में किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया था कि पौधों की मृत्यु दर अत्यधिक थी और केवल 10 से 15 प्रतिशत पौधे ही जीवित थे, जिसे परिक्षेत्र अधिकारी ने प्रमाणित किया था। उक्त कंपार्टमेंट संख्या 2745 की वर्तमान गूगल इमेज (केएमएल फाइल) वनमंडल कार्यालय से मांगी गई थी, ताकि रोपण की स्थिति का आकलन किया जा सके, लेकिन यह लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई और इसके बजाय उनके कर्मचारियों द्वारा की गई भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई।

- (ग) वर्ष 2022-23 के लिए अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (निगरानी एवं मूल्यांकन) में वृक्षारोपण स्थलों की अंतर वृत्तीय निगरानी एवं मूल्यांकन रिपोर्ट

की लेखापरीक्षा जांच के दौरान पाया गया कि 30 कम्पार्टमेंटों में पौधों का जीवित रहने का प्रतिशत, निर्धारित प्रतिशत से कम था। जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.5.9** में दर्शाया गया है।

वर्ष 2015-22 की अवधि में 12 वनमंडलों के 30 कम्पार्टमेंटों के 935.33 हेक्टेयर क्षेत्र में मिश्रित वृक्षारोपण कार्य किया गया, जिसमें 3,24,798 पौधे ₹ 10.85 करोड़ व्यय कर रोपे गए। वर्ष 2022-23 की निगरानी एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि 12 वनमंडलों के इन 30 कम्पार्टमेंटों में मात्र एक से 63 प्रतिशत पौधे ही जीवित रहे तथा शेष 99 से 37 प्रतिशत पौधे जीवित नहीं रहे। इस प्रकार, निर्धारित 30 प्रतिशत के मानदंड से अधिक पौधों की अत्यधिक मृत्यु के कारण 3.76 करोड़ रुपए का निष्फल व्यय हुआ।

इंगित किये जाने पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने बताया (सितंबर 2023) कि असफल वृक्षारोपण में हुई क्षति की गणना करते हुए जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए वन मंडलों को पत्र लिखा गया है।

3.5.12.3 अकार्य योग्य क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किये जाने से परिहार्य व्यय

नमूना परीक्षण किए गए सभी वनमंडलों के कार्य योजना, कम्पार्टमेंट इतिहास, कैशबुक और भुगतान वाउचर की जांच (अगस्त 2022) के दौरान, देखा गया कि मुख्य वन संरक्षक, रायपुर ने महासमुंद वनमंडल को 11 कम्पार्टमेंट के 449.83 हेक्टेयर में बांस रोपण कार्य के लिए राशि ₹ 1.77 करोड़ स्वीकृत (मई 2021) किए। वनमंडल ने वर्ष 2021-22 के दौरान 11 कम्पार्टमेंट के 449.83 हेक्टेयर में बांस रोपण कार्य किया और राशि ₹ 1.39 करोड़ का व्यय किया। इन 11 कम्पार्टमेंट में से एक (C/X 327) में 64.61 हेक्टेयर में ₹ 14.75 लाख का व्यय कर 25,844 पौधे लगाए गए। वनमंडल के अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार, कम्पार्टमेंट C/X 327 का कार्ययोग्य क्षेत्र "शून्य" और 64.61 हेक्टेयर अकार्य योग्य क्षेत्र के रूप में दिखाया गया था। इस कम्पार्टमेंट में कार्य योग्य क्षेत्र की अनुपलब्धता के बावजूद, राशि ₹ 14.74 लाख की लागत से 64.61 हेक्टेयर में 25,844 बांस के पौधे रोपे गए, जो कि परिहार्य और अनियमित था।

इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि कम्पार्टमेंट क्रमांक C/X 327 का क्षेत्रफल 64.61 हेक्टेयर है। कार्ययोजना से मिलान करने पर पता चला कि उक्त कम्पार्टमेंट में 23.63 हेक्टेयर क्षेत्र पहले से ही रिक्त था। परिक्षेत्र अधिकारी एवं उप वनमंडलाधिकारी सरायपाली द्वारा स्थल निरीक्षण के बाद रिक्त क्षेत्र पाया गया तथा उस क्षेत्र का चयन पौधरोपण के लिए किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वनमंडल के अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार, कम्पार्टमेंट में कार्य योग्य क्षेत्र "शून्य" था, केवल अकार्य योग्य क्षेत्र उपलब्ध था और कार्य योजना के अनुलग्नक से स्पष्ट था कि किसी भी प्रकार के उपचार के लिए कम्पार्टमेंट में कार्य करने योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं था।

3.5.12.4 क्रय नियम का पालन किए बिना सामग्री का अनियमित क्रय

भण्डार क्रय नियम 2002 के नियम 3 के अनुसार परिशिष्ट 1 में उल्लेखित वस्तुओं की दरों का निर्धारण छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) द्वारा की जाएगी तथा इन वस्तुओं का क्रय विभागों द्वारा सीधे किया जा सकेगा। अन्य वस्तुएं, जिनका उल्लेख परिशिष्ट 1 में नहीं है, का क्रय संबंधित विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 के नियम 4 में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा। क्रय नियम 4.3.1 एवं 4.3.2 के अनुसार, जिसमें अनुमानित वार्षिक क्रय राशि ₹ 5001 एवं राशि ₹ 50,000 के मध्य है, क्रय सीमित निविदा प्रणाली के अंतर्गत कम से कम तीन आपूर्तिकर्ताओं से सीधे संपर्क कर क्रय किया जाएगा तथा अनुमानित वार्षिक क्रय राशि

₹ 50,000 से अधिक होने पर क्रमशः खुली निविदा प्रणाली के अंतर्गत क्रय किया जाएगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने (मार्च 2021) निर्देश जारी किए थे कि सभी वृक्षारोपण कार्यों में उपयोग होने वाले गोबर, वर्मी कम्पोस्ट इत्यादि को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित "गौठान" से कृषि विकास एवं कृषक कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर क्रय किया जाना है अथवा संबंधित जिला कृषि अधिकारी द्वारा "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी करने के पश्चात प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के अनुमोदन के पश्चात ही छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 का पालन करते हुए अन्य संस्थाओं से क्रय किया जा सकता है।

बलरामपुर और महासमुंद के वनमंडलों के सामग्री की क्रय से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण किए जाने पर निम्नलिखित कमियां पाईं:

(क) इन दोनों⁷⁵ वनमंडलों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, यह पाया गया कि वर्ष 2020-22 की अवधि के दौरान, दो निजी फर्मों⁷⁶ और संयुक्त वन प्रबंधन समिति (जेएफएमसी) से बीजों के क्रय पर राशि ₹ 30.75 लाख का भुगतान किया, जैसा कि **परिशिष्ट 3.5.10** में विस्तृत है। इसके अलावा, क्रय फाइलों की जांच से पता चला कि वनमंडलो ने निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए क्रय के मूल्य को राशि ₹ 50,000 तक के व्यक्तिगत बिल में सीमित करके एजेंसियों से सीधे बीज खरीदे। इस प्रकार, वनमंडलो ने पचास हजार से अधिक मूल्य की सामग्री की वार्षिक क्रय करते समय भंडार क्रय नियमों 4 या 3 का पालन नहीं किया।

शासन ने अपने उत्तर में बताया कि (अगस्त 2023) भंडार क्रय नियम 2002 का उल्लंघन जांच में सही पाया गया, जिसके लिए वनमंडलाधिकारी, बलरामपुर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है तथा वनमंडलाधिकारी, राजनांदगांव से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

(ख) दो वनमंडलों⁷⁷ के वाउचरों की जांच के दौरान पाया गया कि वनमंडलाधिकारी और परिक्षेत्र अधिकारी ने राशि ₹ 51.86 लाख की लागत से 6019.47 घनमीटर गोबर/वर्मी कम्पोस्ट छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित "गौठान" के बजाय मेसर्स दुर्गा महिला सेवा सहायता समूह, गुंचापाली और मेसर्स मीरा सेल्स से खरीदा था। हालांकि, "गौठान" के बजाय अन्य आपूर्तिकर्ताओं से खरीदने से पहले न तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक की मंजूरी ली गई और न ही संबंधित जिला कृषि अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त की गई। परिणामस्वरूप, क्रय नियमों और प्रधान मुख्य वन संरक्षक के निर्देशों का पालन किए बिना, वनमंडलो ने गोबर क्रय पर राशि ₹ 51.86 लाख का अनियमित व्यय किया (**परिशिष्ट 3.5.11**)।

शासन ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2023) कि भंडार क्रय नियमों के विरुद्ध खरीदी के संबंध में वनमंडलाधिकारी, राजनांदगांव और वनमंडलाधिकारी, महासमुंद से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

3.5.12.5 मिट्टी की जांच किए बिना ही पौधारोपण का कार्य किया जाना।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर ने सभी वनमंडलाधिकारी को निर्देश जारी किए (मार्च 2015) कि वृक्षारोपण कार्य करने से पहले, वृक्षारोपण स्थलों की मिट्टी

⁷⁵ बलरामपुर, राजनांदगांव

⁷⁶ मेसर्स कौशल सीड्स एंड कान्हा एग्रो फार्म, अंबिकापुर

⁷⁷ महासमुंद और राजनांदगांव

परीक्षण किया जाना चाहिए ताकि मिट्टी की रिपोर्ट के अनुसार वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त पौधों की प्रजातियों का चयन किया जा सके। मिट्टी का नमूना निदेशक, वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (एफआरटीआई), रायपुर को भेजा जावेगा।

लेखापरीक्षा में पाया कि वर्ष 2019-22 की अवधि के दौरान, चयनित 12 वनमंडलों में से पाँच⁷⁸ वनमंडलों के 44 कम्पार्टमेंट्स के 1089.04 हेक्टेयर में 9,54,498 पौधे लगाए थे, जैसा कि **परिशिष्ट 3.5.12** में विस्तृत है। एफआरटीआई को भेजे गए मिट्टी के नमूनों का संग्रह और मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट की प्रतियां न तो वनमंडलों के अभिलेखों में उपलब्ध थीं और न ही मांग करने पर लेखापरीक्षा को प्रदान की गई। इससे स्पष्ट है कि वनमंडलों ने न तो वृक्षारोपण स्थल से कोई मिट्टी का नमूना लिया और न ही उन्होंने नमूना एफआरटीआई, रायपुर को भेजा, जिससे प्रधान मुख्य वन संरक्षक के निर्देशों की अनदेखी हुई। इसका अर्थ यह भी है कि रोपे गए पौधों की उचित वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए मिट्टी की प्रकृति और पोषक तत्व सामग्री का पता लगाए बिना ही पौधों का चयन और रोपण किया गया।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2023) कि स्थानीय स्तर पर मिट्टी परीक्षण कराया जा कर वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव द्वारा पौधे रोपे गए। वनमंडल दक्षिण कोंडागांव द्वारा प्रत्येक रोपण स्थल से मिट्टी का नमूना एकत्र कर एफआरटीआई रायपुर को भेजा गया, लेकिन समय पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण उन पौधों की प्रजातियों का चयन किया गया जो मानदंडों में निर्धारित थे। वनमंडल बस्तर द्वारा मिट्टी परीक्षण के लिए नमूना कृषि विश्वविद्यालय भेजा गया, लेकिन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण उपलब्ध पौधों का रोपण किया गया। वनमंडल महासमुंद के परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा मिट्टी के नमूने मिट्टी परीक्षण के लिए विभिन्न संस्थानों की प्रयोगशालाओं में भेजे गए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वनमंडलों द्वारा नियमानुसार मिट्टी का नमूना एफआरटीआई, रायपुर को भेजना आवश्यक था। इसके अलावा, वनमंडलो एफआरटीआई/अन्य एजेंसी की मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करा सके। एफआरटीआई, रायपुर से तथ्यों का सत्यापन किये जाने पर कहा कि (जुलाई 2023) कि संस्थान में वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में मिट्टी परीक्षण के लिए निर्दिष्ट वन वनमंडलों के संबंधित कम्पार्टमेंट के मिट्टी के नमूने प्राप्त नहीं हुए थे।

3.5.12.6 वृक्षारोपण पत्रिका का अनुचित रखरखाव

वन नियमावली में उल्लेखित प्रावधान (11.1.15) के अनुसार, प्रत्येक वृक्षारोपण के लिए एक वृक्षारोपण पत्रिका रखी जाएगी, जिसमें वृक्षारोपण क्षेत्र की सभी बुनियादी जानकारी, पौधों का विवरण और वृक्षारोपण की विभिन्न गतिविधियों पर होने वाले व्यय का विवरण होगा। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर और मार्च के महीनों में रोपे गए पौधों की प्रजातिवार औसत वृद्धि की गणना की जाएगी और इसे वृक्षारोपण पत्रिका में दर्ज किया जाएगा। वृक्षारोपण के निरीक्षण के बाद अधिकारियों द्वारा पत्रिका में एक नोट दर्ज किया जाएगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने निर्देश दिया (मार्च 2013) कि बीट गार्ड, परिक्षेत्र सहायक, परिक्षेत्र अधिकारी, उप वनमंडलाधिकारी और वनमंडलाधिकारी को प्रत्येक वर्ष मार्च और अक्टूबर के दौरान क्रमशः 100 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 2 प्रतिशत पौधे की गणना करना है और इसे पौधरोपण के चार साल तक किया जाना चाहिए। इसके अलावा, पौधरोपण का मूल्यांकन अन्य वृत्तों के वन संरक्षक, वनमंडलाधिकारी, उप-वनमंडलाधिकारी और परिक्षेत्र अधिकारी टीम द्वारा किया जाएगा।

⁷⁸ बलौदाबाजार, बस्तर, महासमुंद, राजनांदगांव और दक्षिण कोंडागांव

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019–22 की अवधि के दौरान नमूना जाँच किए गए 12 वनमंडल के 148 कम्पार्टमेंट के 5,729.70 हेक्टेयर में ₹ 53.65 करोड़ व्यय करके कुल 63,02,670 पौधे रोपे गए (परिशिष्ट 3.5.13)। वर्ष 2019–22 की अवधि के दौरान वनमंडलों द्वारा 148 वृक्षारोपण स्थलों पर वृक्षारोपण कार्य किया गया, जिसमें से केवल 47 वृक्षारोपण पत्रिका लेखापरीक्षा को जाँच के लिए प्रस्तुत किए। वृक्षारोपण पत्रिका की जाँच से पता चला कि पौधों का विवरण जैसे कि हर वर्ष पौधों की ऊँचाई के साथ-साथ परिक्षेत्र अधिकारी/उप-वनमंडलाधिकारी/वनमंडलाधिकारी के हस्ताक्षर और दिनांक वृक्षारोपण पत्रिका में दर्ज नहीं किये गये थे।

शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) द्वारा एक पत्र लिखा गया है जिसमें सभी वन प्रभागों को निर्देश दिया गया है कि वे पूर्ण अद्यतन के बाद लेखापरीक्षा को वृक्षारोपण पत्रिका उपलब्ध कराएं। हालाँकि, आज तक (जून 2024) इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

3.5.13 अनुश्रवण और मूल्यांकन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ ने बिगड़े वन भूमि के उपचार हेतु प्रति हेक्टेयर अधिकतम व्यय की दर⁷⁹ निर्धारित (जून 2017) की गयी। मानदण्डों के अनुसार, बिगड़े वनों के उपचार हेतु आरडीएफ कार्य की परियोजना रिपोर्ट अधिकतम छः वर्ष की अवधि के लिए तैयार की जानी है, जिसमें आरडीएफ के छठे वर्ष के कार्य का उद्देश्य सर्वेक्षण के दौरान डाले गए ग्रीड⁸⁰ पर उपचार के प्रभाव का अध्ययन करना है।

3.5.13.1 छठे वर्ष में निर्धारित वृक्षारोपण रहित बिगड़े वनों के सुधार कार्यों का मूल्यांकन नहीं करना।

वर्ष 2014–22 की अवधि के दौरान 12 चयनित वनमंडलों के 57,125.149 हेक्टेयर में बिगड़े वन क्षेत्रों का उपचार कार्य किया गया (पहले वर्ष से छठे वर्ष तक), जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका 3.5.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.5.4: बिगड़े वन कार्य के उपचार का विवरण (I से VI वर्ष)

(₹ करोड़ में)

आरडीएफ कार्य का मूल्यांकित वर्ष (6वां वर्ष)	उपचार अवधि	उपचारित आरडीएफ क्षेत्र (हेक्टेयर में)	आबंटन (प्रथम से छठे वर्ष तक का कार्य)	व्यय (प्रथम से छठे वर्ष तक का कार्य)
2019–20 (VI वर्ष)	2014–15 से 2019–20	21567.493	39.14	38.41
2020–21 (VI वर्ष)	2015–16 से 2020–21	15980.314	30.56	29.12
2021–22 (VI वर्ष)	2016–17 से 2021–22	19577.342	49.25	48.37
कुल	2014–15 से 2021–22	57125.149	118.95	115.90

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 57125.149 हेक्टेयर क्षेत्र में आरडीएफ उपचार कार्य के पांच वर्ष पूरे होने के बाद, छठे वर्ष में निर्धारित रखरखाव, संरक्षण और मूल्यांकन कार्य वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22 की अवधि के दौरान किया जाना था। मानदंडों के अनुसार, प्रथम वर्ष के सर्वेक्षण के दौरान ग्रीडवार उपचारित क्षेत्र के 10

⁷⁹ आरडीएफ (मिश्रित वृक्षारोपण कार्य सहित)– ₹ 1,47,090.04 प्रति हेक्टेयर (छः वर्षीय परियोजना प्रतिवेदन हेतु), आरडीएफ (वृक्षारोपण कार्य रहित)– ₹ 26,747.45 प्रति हेक्टेयर (छः वर्षीय परियोजना प्रतिवेदन हेतु)।

⁸⁰ एक नेटवर्क जो दो रेखाओं के समूहों से मिलकर बना होता है, जिनमें प्रत्येक समूह एक निश्चित ढाँचे के अनुसार खींचा गया होता है और वे एक-दूसरे को एक विशेष ज्यामितीय विन्यास में प्रतिच्छेद करते हैं।

प्रतिशत में जीपीएस के माध्यम से ग्रीडवार नमूना भूखंडों में प्लॉट अंकित कर, छठे वर्ष में प्राकृतिक पुनरुत्पत्ति का अध्ययन किया जाना आवश्यक था। लेखापरीक्षा ने पाया कि वनमंडलो ने निर्धारित मानदंडों के अनुसार छठे वर्ष में मूल्यांकन कार्य नहीं किया। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि उचित मूल्यांकन के अभाव में, विभाग उपचार अवधि के पांच साल बाद आरडीएफ उपचार कार्य के परिणामों का पता लगाने की स्थिति में नहीं था, जबकि वनमंडल ने इस छः साल की उपचार अवधि के दौरान उपचार कार्य पर राशि ₹ 115.90 करोड़ की राशि खर्च की थी। इसके अलावा, उच्च अधिकारियों के पास उपचारित आरडीएफ क्षेत्रों के मूल्यांकन के लिए कोई अन्य तंत्र नहीं था जिससे उपचार कार्यों के परिणामों का आकलन किया जा सके (परिशिष्ट 3.5.14)।

इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि वनमंडलधिकारी कोरबा, मरवाही, राजनांदगांव, जशपुर, कोरिया, दक्षिण कोंडागांव, सूरजपुर और बलरामपुर द्वारा छठे वर्ष के कार्य में निर्धारित मानदंडों के अनुसार ग्रीड सर्वेक्षण किया गया। आरडीएफ कार्य के बाद पौधों की अच्छी पुनरुत्पत्ति हुई है। वनमंडलधिकारी, बस्तर ने कहा कि परिक्षेत्र अधिकारी और उप-वनमंडलाधिकारी द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किए जाने के बाद परिक्षेत्र स्तर पर अभिलेख संधारित किए गए हैं। वनमंडलधिकारी, बीजापुर ने कहा कि छठे वर्ष में उपचार कार्य की प्रभावशीलता का अध्ययन नहीं किया गया था क्योंकि रखरखाव कार्य पर राशि खर्च हुई थी और वनमंडलधिकारी बलौदाबाजार ने कहा कि छठे वर्ष में प्रस्तावित कार्य नहीं करने के लिए संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि छठे वर्ष के कार्य के मानदंडों के अनुसार पूर्व में डाले गए ग्रीड पर उपचार के प्रभाव के अध्ययन के परिणाम, लेखापरीक्षा को उत्तर के साथ उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में नहीं पाए गए। नौ वनमंडलों⁸¹ ने केवल उपचारित क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की प्रतिवेदन प्रस्तुत की तथा ग्रीडवार डेटा/मूल्यांकन प्रस्तुत नहीं किया। इस कारण यह स्पष्ट नहीं है कि पूर्व में डाले गए ग्रीड पर कार्य शुरू होने से पहले और बाद में क्षेत्र की वनस्पति की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है। दो वनमंडलों (बीजापुर और बलौदाबाजार) ने स्वीकार किया है कि उपचार के प्रभाव का अध्ययन नहीं किया गया।

3.5.13.2 उपचार कार्य पूरा होने के बाद भी बिगड़े वनों का सघन वनों में परिवर्तित न होना ।

बिगड़े वनों के सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य बिगड़े वन क्षेत्रों में उपचार कार्य करके क्षेत्र को घने जंगल में बदलना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2003 पुराने आरडीएफ/वृक्षारोपण कार्यवृत्त कम्पार्टमेंट में से 1620 कम्पार्टमेंट फिर से वर्तमान/नई कार्य योजना के इन वनमंडलों के आरडीएफ/वृक्षारोपण कार्यवृत्त में शामिल किए गए, जैसा कि तालिका 3.5.5 में दर्शाया गया है।

⁸¹ कोरबा, मरवाही, राजनांदगांव, जशपुर, कोरिया, दक्षिण कोंडागांव, सूरजपुर, बलरामपुर और बस्तर

तालिका 3.5.5: नई कार्ययोजना के दूसरे कार्यवृत्त में परिवर्तित पुराने आरडीएफ/वृक्षारोपण कार्यवृत्त कंपार्टमेंट की संख्या का विवरण

वनमंडल नाम	पुराने कार्ययोजना की अवधि	पिछले कार्ययोजना के आरडीएफ/वृक्षारोपण कार्यवृत्त में मौजूद पुराने कक्षा की संख्या	नई कार्ययोजना की अवधि	नई कार्य योजना के आरडीएफ/वृक्षारोपण कार्यवृत्त में पुनः मौजूद पुराने कक्षा की संख्या	नई कार्य योजना के अंतर्गत पुराने आरडीएफ/वृक्षारोपण कार्यवृत्त परिक्षेत्रों की संख्या को अन्य कार्यवृत्त (विशेष सह सुधार कार्यवृत्त/सुधार कार्यवृत्त/संरक्षण कार्यवृत्त) में रूपांतरित किये गये
बस्तर वनमंडल	2005-06 से 2014-15	447	2019-20 से 2028-29	381	66
बलरामपुर वनमंडल	2003-04 से 2012-13 एवं 2007-08 से 2016-17	237	2015-16 से 2024-25 एवं 2018-19 से 2027-28	167	70
सूरजपुर वनमंडल	2007-08 से 2016-17 एवं 2010-11 से 2019-20	379	2020-21 से 2029-30	308	71
जशपुर वनमंडल	2003-04 से 2013-14	704	2020-21 से 2029-30	587	117
कोरिया वनमंडल	2005-06 से 2014-15	236	2018-19 से 2027-28	177	59
कुल		2003		1620	383

(स्रोत: वनमंडलों की कार्य योजना)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2003 कंपार्टमेंट में बिगड़े वनों के उपचार कार्य के पश्चात् मात्र 383 कंपार्टमेंट (19.08 प्रतिशत) को ही सफलतापूर्वक अन्य कार्यवृत्तों में परिवर्तित किया जा सका। परिणामस्वरूप, इन कंपार्टमेंट को वनमंडलों के नई कार्ययोजना के विशेष सह सुधार कार्यवृत्त/सुधार कार्यवृत्त/संरक्षण कार्यवृत्त⁸² में शामिल किया गया, जबकि 1620 कंपार्टमेंट (80.92 प्रतिशत) को पुनः उसी आरडीएफ/वृक्षारोपण कार्यवृत्त में सम्मिलित/स्थानांतरित कर दिया गया।

लेखापरीक्षा में आगे यह भी देखा गया कि उपरोक्त पांच वन वनमंडलों की नई स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार, तीन⁸³ वनमंडलों में बिगड़े वनों का क्षेत्रफल पुरानी कार्य योजना के क्षेत्रफल से कहीं अधिक है, जैसा कि **तालिका 3.5.6** में दर्शाया गया है।

⁸² चयन सह सुधार वृत्त/सुधार कार्य वृत्त/संरक्षण कार्य वृत्त

⁸³ बस्तर, बलरामपुर और कोरिया

तालिका 3.5.6: अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार आरडीएफ/वृक्षारोपण कार्यवृत्त के क्षेत्र की तुलना का विवरण

वनमंडल का नाम	पुराने कार्ययोजना की अवधि	पिछले कार्ययोजना के अनुसार बिगड़े वनों का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	नए कार्य योजना की अवधि	नए कार्ययोजना के अनुसार बिगड़े वनों का क्षेत्रफल
बस्तर वनमंडल	2005-06 से 2014-15	60109.369	2019-20 से 2028-29	76138.594
बलरामपुर वनमंडल	2003-04 से 2012-13 एवं 2007-08 से 2016-17	50367.822	2015-16 से 2024-25 एवं 2018-19 से 2027-28	93099.650
सूरजपुर वनमंडल	2007-08 से 2016-17 एवं 2010-11 से 2019-20	79656.202	2020-21 से 2029-30	76007.694
जशपुर वनमंडल	2003-04 से 2013-14	60155.900	2020-21 से 2029-30	53365.030
कोरिया वनमंडल	2005-06 से 2014-15	50059.043	2018-19 से 2027-28	55006.250
कुल		300348.336		353617.218

(स्रोत: वनमंडलों की कार्य योजना)

उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट है कि पांचों वनमंडलों के आरडीएफ/वृक्षारोपण कार्यवृत्त में बिगड़े वन क्षेत्र के उपचार कार्य के बावजूद बिगड़े वन क्षेत्र में 53268.882 हेक्टेयर की वृद्धि हुई। इसप्रकार, नई कार्य योजना में पुनः शामिल किये गये कम्पार्टमेंट के संदर्भ में बिगड़े वन का उपचार कर वन घनत्व बढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है। वनमंडलाधिकारी बलरामपुर और सूरजपुर ने कहा (अगस्त 2023) कि संपूर्ण रूट स्टॉक क्षेत्र को घने जंगल में परिवर्तित करने के लिए 10 वर्ष की अवधि पर्याप्त नहीं है, इसलिए पुनः इन कम्पार्टमेंटों को नई कार्य योजना में शामिल किया गया। वनमंडलाधिकारी जशपुर और कोरिया ने कहा (सितंबर 2023) कि जैविक दबाव, अतिक्रमण और हाथियों के प्रवास के कारण, उपचारित क्षेत्र को घने जंगल में परिवर्तित नहीं किया जा सका, इसलिए, इसे फिर से नई कार्य योजना में आरडीएफ कार्यवृत्त में रखा गया है। वनमंडलाधिकारी जगदलपुर ने कहा (जुलाई 2023) कि वन क्षेत्र का निरीक्षण वनमंडलाधिकारी (कार्य योजना) जगदलपुर द्वारा किया गया था और आरडीएफ कार्यवृत्त के लिए उपयुक्त पाए जाने के बाद, कम्पार्टमेंटों को फिर से इस कार्यवृत्त में शामिल किया गया।

उपरोक्त उत्तरों से यह स्पष्ट होता है कि बिगड़े वन क्षेत्र को सघन वन क्षेत्र में परिवर्तित करने के उद्देश्य से किए गए सुधार कार्य का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

3.5.14 निष्कर्ष

वर्ष 2019-22 की अवधि के दौरान, विभाग ने उपचार के लिए निर्धारित उपचार क्षेत्र (1,19,560.515 हेक्टेयर) की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक क्षेत्र (1,39,120.312 हेक्टेयर) में बिगड़े वनों का सुधार कार्य किया। आरडीएफ वृक्षारोपण रहित कार्य को रिक्त वन क्षेत्रों में ₹ 10.02 करोड़ की लागत से संपादित किया गया, जो कि रिक्त क्षेत्रों हेतु निर्धारित उपचार मानकों से भिन्न था। बिगड़े वन क्षेत्र का उपचार कार्य के अंतर्गत 575.12 हेक्टेयर अतिक्रमित क्षेत्र में वृक्षारोपण रहित आरडीएफ कार्य करके

₹ 99.14 लाख का परिहार्य व्यय किया। बीजापुर वनमंडल द्वारा 173.565 हेक्टेयर रिक्त क्षेत्र तथा 795.421 हेक्टेयर कार्य-योग्य वन ग्राम क्षेत्र में आरडीएफ (वृक्षारोपण रहित) कार्य कर कुल ₹ 1.67 करोड़ की राशि व्यय की गई। चूंकि वन ग्राम क्षेत्र में लोग कृषि कार्य हेतु निवास कर रहे थे एवं मकानों का निर्माण कर चुके थे, अतः ऐसे वन क्षेत्रों में बिगड़े वन क्षेत्र का उपचार कार्य संभव नहीं था, परिणामस्वरूप, राशि ₹ 1.39 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

लाइव हेज़ के निर्माण में निर्धारित मानव-दिवस मानकों का पालन न करने के कारण क्रमशः ₹ 93.87 लाख एवं ₹ 39.46 लाख की अतिरिक्त व्यय की स्थिति उत्पन्न हुई। साथ ही मात्राओं की त्रुटिपूर्ण गणना के कारण ₹ 38.99 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। विरल वन क्षेत्र को सघन वन क्षेत्र मानते हुए सफाई कार्य में अधिक मानव-दिवस उपयोग किये जाने के कारण राशि ₹ 1.11 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

चयनित 12 वनमंडलों में से पांच में मिट्टी की जांच किए बिना वृक्षारोपण कार्य किया गया। इसके अलावा, छः वनमंडलों में वृक्षारोपण पंजी का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया था। निर्धारित मानदंडों के अनुसार छठे वर्ष में आरडीएफ वृक्षारोपण रहित सुधार कार्य का मूल्यांकन 10 वनमंडलों द्वारा नहीं किया गया। इसके अलावा, नमूना जांच वाले वनमंडलों के 2003 कम्पार्टमेंटों में बिगड़े वनों के उपचार कार्य किए जाने के बावजूद केवल 383 कम्पार्टमेंट (19.08 प्रतिशत) को सफलतापूर्वक घने वनों में परिवर्तित किया जा सका और शेष 1620 कम्पार्टमेंट (80.92 प्रतिशत) को नई कार्ययोजना में पुनः उसी आरडीएफ/वृक्षारोपण कार्यवृत्त में शामिल कर लिया गया, जो वांछित परिणाम की प्राप्ति नहीं होने का संकेत देता है।

3.5.15 अनुशंसा

सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

1. राज्य में वनों के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना और निर्धारित पद्धति के अनुसार बिगड़े वनों का उपचार करना।
2. सर्वेक्षण और मूल्यांकन कार्यों का अध्ययन तथा आरडीएफ कार्य के अभिलेखों के उचित रखरखाव सहित कम्पार्टमेंट-वार/ग्रिड-वार केएमएल (कीहोल मार्कअप लैंग्वेज) फाइलों की तैयारी के लिए जीपीएस और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग।
3. आरडीएफ कार्यों के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए विभाग द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों, विशेष रूप से लागत और कार्मिक मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना।
4. आरडीएफ वृक्षारोपण रहित कार्य के परिणाम का आकलन करने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा रिपोर्टिंग और निगरानी की एक प्रभावी प्रणाली विकसित करना।

3.6 लेखापरीक्षा कंडिकाएं

लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गंभीर कमियां पाईं जो कि राज्य शासन की प्रभावशीलता पर असर डालती हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा में दृष्टिगत कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस अध्याय में दर्शाए गए हैं। ये टिप्पणियाँ नियमों और विनियमों के अनुपालन न करने/अनुपालन के अभाव तथा दूरदर्शिता/प्रशासनिक नियंत्रण में कमी से संबंधित हैं। इनका विवरण निम्नानुसार है:

लोक निर्माण विभाग

3.6.1 कार्य पूरा होने से पहले अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा विमुक्त करना

सूरजपुर संभाग के कार्यपालन अभियंता द्वारा निविदा की विशेष शर्तों का उल्लंघन करते हुए कार्य पूरा होने से पहले ठेकेदार को अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा का समय-पूर्व विमुक्त करना और परिणामस्वरूप अनुबंध समाप्त होने के बाद ठेकेदार से जुर्माने सहित ₹ 1.44 करोड़ की वसूली न करना।

निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) की विशेष शर्तों के अंतर्गत एक सफल बोलीदाता को करार पर हस्ताक्षर करते समय कार्यपालन अभियंता के पक्ष में सावधि जमा रसीद के रूप में 'अनुबंध की संभावित राशि के 90 प्रतिशत' और 'बोली राशि' के अंतर की सीमा तक अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा जमा करने की आवश्यकता थी, यदि बोली राशि असंतुलित (अनुमानित लागत से 10 से 20 प्रतिशत कम) या गंभीर रूप से असंतुलित (अनुमानित लागत से 20 प्रतिशत से ज्यादा कम) है। सावधि जमा रसीद कार्य पूरा होने के बाद सामान्य सुरक्षा जमा राशि के साथ विमुक्त/लौटाई जाएगी। यदि ठेकेदार काम पूरा करने में विफल रहता है या काम को अधूरा छोड़ देता है तो अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा को विभाग द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और करार समाप्त कर दिया जाएगा तथा अनुबंध के खंड 3 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग (भवन एवं सड़क), सूरजपुर के कार्यालय में अभिलेखों की जांच (नवंबर 2019) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि नवापारा से भटगांव तक 10.20 किमी सड़क के सुदृढ़ीकरण, नवीकरण और चौड़ीकरण के कार्य के लिए शासन द्वारा ₹ 7.78 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति और ₹ 7.72 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। निविदा प्रक्रिया के बाद ठेकेदार⁸⁴ को अनुबंध की संभावित राशि ₹ 7.72 करोड़ के विरुद्ध ₹ 5.48 करोड़⁸⁵ की अनुबंध राशि के लिए कार्य आदेश⁸⁶ जारी किया गया था (दिसंबर 2017)। अनुबंध की विशेष शर्तों के अनुसार, असंतुलित बोली के कारण ठेकेदार ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सावधि जमा रसीद के रूप में ₹ 1.47 करोड़ की अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा राशि जमा कराई। कार्य पूरा होने का निर्धारित समय वर्षा ऋतु सहित 12 महीने अर्थात् 06 दिसंबर 2018 तक था। चूंकि काम अधूरा रहा, कार्यपालन अभियंता द्वारा ठेकेदार को दिसंबर 2021 तक पांच समय-वृद्धि⁸⁷ प्रदान किए गए। हालांकि, कार्यपालन अभियंता द्वारा अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा की पूरी राशि काम पूरा होने से पहले ही अप्रैल से जुलाई 2019 के दौरान ठेकेदार को विमुक्त की गई थी जिसमें से ₹ 20 लाख फिर से जुलाई 2019 में ठेकेदार द्वारा जमा किया गया था। संभाग ने ठेकेदार को ₹ 3.67 करोड़ का भुगतान कर दिया

⁸⁴ मेसर्स रेनबो कंस्ट्रक्शन कंपनी

⁸⁵ दर अनुसूची से 29.04 प्रतिशत कम की दर पर

⁸⁶ करार संख्या 40/डीएल/2017-18 के अंतर्गत

⁸⁷ 06.12.2018 से 11.06.2019, 12.06.2019 से 31.12.2019, 01.04.2020 से 31.12.2020, 01.01.2021 से 31.04.2021, 01.05.2021 से 31.12.2021

है (दिसम्बर 2021 तक)। ठेकेदार ने दिसम्बर 2021 के बाद काम बंद कर दिया और ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया (जुलाई 2022) तथा विभाग द्वारा अनुबंध के खंड 3 के अंतर्गत अनुबंध समाप्त कर दिया गया (अगस्त 2022)। कार्य का अंतिम माप दर्ज किया गया था और कार्यपालन अभियंता द्वारा एक अपूर्ण देयक तैयार किया गया था (दिसम्बर 2023) और जनवरी 2024 तक ठेकेदार से ₹ 1.44 करोड़ की वसूली लंबित थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दिसम्बर 2018 में कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि के बाद ठेकेदार को जुर्माने के साथ पाँच बार समय-वृद्धि दिसम्बर 2021 तक की स्वीकृति दी गई थी जो ठेकेदार द्वारा कार्य के निष्पादन में देरी का संकेत देती है। कार्य की धीमी प्रगति और ठेकेदार द्वारा केवल लगभग 30 प्रतिशत कार्य⁸⁸ पूरा करने (मई 2019) के बावजूद कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुबंध की विशेष शर्तों का उल्लंघन करते हुए अप्रैल से जुलाई 2019 के दौरान अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा की पूरी राशि विमुक्त की गई। कार्यपालन अभियंता ने कारण बताओ नोटिस जारी करने में भी जुलाई 2022 तक की देरी की, भले ही ठेकेदार द्वारा दिसम्बर 2021 के बाद काम में कोई प्रगति नहीं की गई। अनुबंध समाप्ति आदेश (अगस्त 2022) में ठेकेदार को कार्य की माप के लिए एक महीने (सितंबर 2022) का समय दिया गया था। ठेकेदार की उपस्थित होने में विफलता के बावजूद अंतिम माप दर्ज किया गया था और एक वर्ष बीत जाने के बाद संभाग द्वारा अधूरा देयक तैयार किया गया था (दिसम्बर 2023) जिससे ठेकेदार से वसूली शुरू करने की प्रक्रिया में और देरी हुई। परिणामस्वरूप, ठेकेदार से अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा और जुर्माने⁸⁹ की राशि ₹ 1.44 करोड़ की वसूली जनवरी 2024 तक लंबित थी और बयाना राशि और सुरक्षा जमा को संभाग द्वारा जब्त किया जाना बाकी था। इस प्रकार, ठेकेदार को सरकार के वित्तीय हितों की रक्षा किए बिना कार्य पूरा होने से पहले अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा जारी करके अनुचित लाभ प्रदान किया गया था।

यह प्रकरण विभाग और शासन के संज्ञान में लाया गया था (जनवरी 2020 और अगस्त 2022)। प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग ने अपने उत्तर (जनवरी 2021) में स्वीकार किया कि कार्यपालन अभियंता अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन का दोषी था और बताया कि तात्कालीन कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग, सूरजपुर के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की गई है। प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग ने आगे सूचित किया (फरवरी 2023) कि प्रकरण नस्तीबद्ध किये जाने की अनुशंसा सहित मामला शासन को भेजा गया था और यह शासन के पास लंबित था।

शासन का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

⁸⁸ छठवें चल देयक (अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा विमुक्त करने से पहले भुगतान किया गया अंतिम देयक) के अनुसार, किये गये कार्य का कुल मूल्य ₹ 164.63 लाख था जो कि अनुबंध राशि (₹ 548.02 लाख) का लगभग 30 प्रतिशत था

⁸⁹ ₹ 16,82,655

3.6.2 अपूर्ण स्काई वॉक पर निरर्थक व्यय

स्काई वॉक के निर्माण की परियोजना को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जल्दबाजी में प्रारंभ किया गया था तथा परियोजना के लिए प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति (मार्च 2017) प्राप्त किए बिना निर्माण कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी (दिसंबर 2016)। कंसल्टेंट द्वारा निविदा पूर्व चरण का कार्य पूरा किए बिना ही कार्यादेश जारी कर दिया गया जिससे कार्य के निष्पादन में बाधा उत्पन्न हुई। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्काई वॉक के डिजाइन और संरचना में बाद में किए गए संशोधन ने परियोजना की लागत में वृद्धि की तथा परियोजना के पूरा होने में और देरी की। परिणामस्वरूप, स्काई वॉक परियोजना बिना किसी उपयोगिता के अधूरी रह गई जिससे ₹ 36.82 करोड़ का व्यय व्यर्थ हो गया।

छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग ने निरंतर बढ़ते पैदल यात्री यातायात को वाहनों के यातायात से अलग करने और पैदल यात्रियों के सड़क पार करने को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से शास्त्री चौक, रायपुर में एक पैदल यात्री ओवर ब्रिज (स्काई वॉक) का निर्माण करने की योजना बनाई (2016–17)।

विभाग द्वारा स्काई वॉक परियोजना के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग एवं परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाओं के कार्य हेतु प्रस्ताव निवेदन (आरएफपी) जुलाई 2016 में जारी किया गया था। स्काई वॉक की अनुमानित लागत ₹ 20.00 करोड़ थी। छत्तीसगढ़ शासन ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए कार्य की लागत का 2.50 प्रतिशत की दर तथा परियोजना प्रबंधन परामर्शी (पीएमसी) शुल्क के रूप में कार्य की लागत का 3.75 प्रतिशत की दर को सितंबर 2016 में स्वीकृति दी। यह कार्य अक्टूबर 2016 में मुंबई स्थित एक परामर्शदाता फर्म को सौंपा गया था जिसकी पूर्णता अवधि 12 महीने या परियोजना के पूरा होने तक, जो भी बाद में हो, निर्धारित थी। हालांकि, स्काई वॉक परियोजना के लिए डीपीआर/प्राक्कलन आदि तैयार करने के लिए ₹ 50 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिसंबर 2016 में दी गई थी।

आरएफपी की शर्तों के अनुसार, परामर्श कार्य को तीन चरणों निविदा-पूर्व, निविदा और निविदा के बाद के चरण में विभाजित किया गया था। निविदा पूर्व चरण के अंतर्गत, कंसल्टेंट को एक योजना कार्यक्रम, स्थलाकृति सर्वेक्षण, उप-मृदा जांच एवं यूटिलिटी जांच आदि करने के बाद यूटिलिटी सेवाओं को हटाने, उनके पुनर्स्थापन और स्थानांतरण तथा अतिक्रमण हटाने एवं पेड़ों की कटाई के लिए लागत अनुमान तैयार करना था तथा ड्राइंग और विस्तृत अनुमानों के साथ एक अंतिम रिपोर्ट तैयार करना था। करार के अनुसार निविदा पूर्व के सभी कार्यकलापों को प्रारंभ होने की तारीख (13 अक्टूबर 2016) से 100 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाना था। तथापि, कंसल्टेंट द्वारा निविदा पूर्व कार्यकलाप निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरे नहीं किए जा सके। अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग के ठेकेदार को पत्र दिनांक 06 अप्रैल 2017 से लेखापरीक्षा ने पाया कि कोई उप-मृदा जांच नहीं की गई थी और कंसल्टेंट द्वारा अतिक्रमण की पहचान करने और हटाने और स्काई वॉक संरचना के लेआउट प्लान एवं विवरण को प्रभावित करने वाली संरचना/यूटिलिटी की पहचान करने और यूटिलिटी स्थानांतरण की प्रक्रिया के लिए कोई पहल नहीं की गई थी। इसके अलावा, ड्राइंग आदि की प्रूफ चेकिंग का कार्य भी कंसल्टेंट द्वारा सौंपा गया था जिसे तीसरे पक्ष द्वारा जुलाई 2017 में पूरा किया गया था।

कंसल्टेंट ने दिसंबर 2016 में विभाग को एक प्रारंभिक रिपोर्ट, मसौदा रिपोर्ट और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसमें कार्य को पूरा करने के लिए कार्य क्षेत्र, मानक और

कार्यप्रणाली तथा जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग (जीएडी)⁹⁰ शामिल थी। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत (दिसंबर 2016) अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट और अंतिम डीपीआर को तैयार करने एवं अंतिम रूप देने के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण, इन्वेनट्री और स्थलाकृति सर्वेक्षण आदि के बाद निविदा-पूर्व चरण के विभिन्न कार्यकलापों को किया जाना था। तथापि, कंसल्टेंट द्वारा तैयार की गई और विभाग द्वारा अनुमोदित अंतिम डीपीआर लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। माँग किए जाने पर, केवल दिसंबर 2016 की अंतिम रिपोर्ट लेखापरीक्षा को प्रदान की गई थी।

निर्माण विभाग मैनुअल के खण्ड 2.120 के अनुसार, जब तक प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती और धन आवंटित नहीं कर दिया जाता तब तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा या इसके संबंध में कोई देनदारी नहीं बनाई जाएगी। विभाग ने परियोजना की तकनीकी-व्यवहार्यता रिपोर्ट और डीपीआर को अंतिम रूप दिए बिना कंसल्टेंट द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट के आधार पर दिसंबर 2016 में स्काई वॉक के निर्माण के लिए पहला निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) (संख्या 398) प्रकाशित किया। उसके बाद दूसरा एनआईटी 04 फरवरी 2017⁹¹ को प्रकाशित हुआ। हालांकि, शास्त्री चौक, रायपुर में स्काई वॉक के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन (₹ 49.09 करोड़) और तकनीकी स्वीकृति (₹ 35.30 करोड़ प्लस ₹ 10.51 करोड़) क्रमशः छत्तीसगढ़ शासन और विभाग द्वारा मार्च 2017 में प्रदान की गई थी। केवल एक बोली को पात्र पाया गया और मेसर्स जी. एस. एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (ठेकेदार) की एकल वित्तीय बोली को ₹ 42.55 करोड़ की आइटम दर पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकार किया गया था (07 अप्रैल 2017)। आठ महीने अर्थात् जनवरी 2018 तक की कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि के साथ ठेकेदार को कार्य आदेश जारी किया गया था (24 अप्रैल 2017)।

इस प्रकार, स्काई वॉक परियोजना के निर्माण के लिए एनआईटी को निर्माण विभाग मैनुअल के प्रावधानों का घोर उल्लंघन कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन और विस्तृत अनुमानों की तकनीकी स्वीकृति के बिना प्रकाशित किया गया था। विभाग द्वारा परियोजना शुरू करने में अनुचित जल्दबाजी दिखाते हुए परियोजना की तकनीकी-व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत डिजाइन एवं ड्राइंग/सर्वेक्षण/डीपीआर तैयार करने और अनुमोदन से पूर्व यह कार्य सौंपा गया था।

निविदा-पूर्व चरण के कार्यकलापों को पूरा किए बिना कार्य शुरू होने के कारण कंसल्टेंट द्वारा यूटिलिटी स्थानांतरण योजना, विस्तृत डिजाइन एवं ड्राइंग प्रस्तुत करने और नगर निगम, सीएसईबी/बीएसएनएल आदि सांविधिक प्राधिकरणों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में विलंब के कारण ठेकेदार द्वारा कार्य का निष्पादन बाधित हुआ। ठेकेदार के कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग को पत्र (नवंबर 2017) के अनुसार, नौ स्थानों पर पियर कैप की ड्राइंग एवं डिजाइन और आठ स्थानों पर सुपरस्ट्रक्चर का पूरा विस्तार कंसल्टेंट द्वारा प्रदान नहीं किया गया था। इनके अलावा, कंसल्टेंट द्वारा विस्तृत ड्राइंग और नींव का ब्यौरा तथा सीढ़ी/एस्केलेटर/लिफ्ट का स्थान भी ठेकेदार को उपलब्ध नहीं कराया गया था। ठेकेदार ने इस पत्र में ओवरहेड हाईटेंशन बिजली के लाइनों, भूमिगत केबल, बिजली के खंभे एवं ट्रांसफार्मर तथा कलेक्ट्रेट की चारदीवारी के कारण होने वाली बाधाओं को भी सूचीबद्ध किया था।

⁹⁰ एलिवेटेड रोड, स्काई वॉक, जल निकासी, संकेतक, ग्रीन बेल्ट सेंट्रल वर्ज आदि के लिए कार्यस्थल पर निष्पादन योग्य ड्राइंग तथा एलिवेटेड रोड, स्काई वॉक, इसके घटकों और उप-घटकों जैसे कि नींव प्रणाली, उप-संरचनाएं एवं व्यवस्थाएं, सुपर स्ट्रक्चर्स, बियरिंग सिस्टम सतह स्तर के मार्ग, फुटपाथ, सर्विस रोड तथा पूर्ण जल निकासी योजना के लिए विस्तृत डिजाइन एवं ड्राइंग, लाईट फिटिंग के लिए व्यवस्था का निर्धारण सहित अन्य सहायक एवं संबंधित संरचनाओं के लिए विस्तृत संरचनात्मक डिजाइन, ड्राइंग, निर्माण ड्राइंग।

⁹¹ प्रथम आमंत्रण में प्राप्त बोलियों का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

इसके अलावा, कार्य के निष्पादन के दौरान, स्काई वॉक के डिजाइन में अनुबंध की निर्धारित समय अवधि समाप्त होने के नौ महीने बाद कई संरचनात्मक परिवर्तन⁹² प्रस्तावित किए गए थे (अक्टूबर 2018) ताकि छत्तीसगढ़ शासन (लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय) की समीक्षा बैठक (अप्रैल 2018) में दिए गए निर्देशों के आधार पर स्काई वॉक के सौंदर्य में वृद्धि किया जा सके।

विभाग ने कंसल्टेंट द्वारा डिजाइन और ड्राइंग को प्रस्तुत करने और अंतिम रूप देने में विलंब, पाइप लाइन, हाई टेंशन तारों जैसी यूटिलिटी के स्थानांतरण और हुड संरचना, रेलिंग आदि में संशोधन के कारण ठेकेदार को बिना किसी जुर्माने के दिसंबर 2018 तक की तीन बार समय-वृद्धि की मंजूरी दी।

कार्य के निष्पादन के दौरान प्रस्तावित परिवर्तनों के कारण लागत अनुमानों को ₹ 49.09 करोड़ से संशोधित कर ₹ 77.10 करोड़ कर दिया गया और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिसम्बर 2018 में पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया। हालांकि, अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण मंडल, रायपुर द्वारा मुख्य अभियंता को प्रस्तुत (मार्च 2019) तकनीकी स्वीकृति (₹ 50.68 करोड़) के प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया था।

इसके अलावा, एक समीक्षा बैठक (मार्च 2019) में स्काई वॉक के संरचनात्मक डिजाइन, उपयोगिता और व्यवहार्यता के बारे में जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई चिंताओं को देखते हुए इसके निर्माण कार्य को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्देश जारी किया गया था। समीक्षा बैठक में जारी आदेश के अनुसरण में कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर ने एनआईटी के खण्ड 14 के अन्तर्गत लगभग 70 प्रतिशत पूर्णता चरण में ही कार्य रोक दिया (अप्रैल 2019)। तब तक ठेकेदार को ₹ 28.29 करोड़⁹³ का अप-टू-डेट भुगतान किया गया था। काम अभी भी अधूरा है (दिसम्बर 2024)। संभाग द्वारा अंतिम देयक को अंतिम रूप दिए जाने तक ₹ 2.83 करोड़ की सुरक्षा अग्रिम एवं मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली/समायोजन किया जाना था और ठेकेदार से/ठेकेदार को देय अंतिम राशि, यदि कोई हो, लेखापरीक्षा द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

इस प्रकार, कंसल्टेंट द्वारा निविदा पूर्व चरण के कार्य को पूरा करने से पहले निविदा एवं स्काई वॉक का निर्माण शुरू करने में अनुचित जल्दबाजी तथा स्काई वॉक के डिजाइन और संरचना में बाद में किये गये बदलाव के कारण कार्य में देरी हुई और परियोजना की लागत में वृद्धि हुई जिसके कारण काम रुक गया और परियोजना पूरी नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त, विभाग और कंसल्टेंट की ओर से हुई चूक के कारण विभाग को ठेकेदार को बिना किसी जुर्माने के तीन बार समय-वृद्धि स्वीकृत करना पड़ा और उसे ठेकेदार को ₹ 1.30 करोड़ के मूल्य-वृद्धि प्रभारों का भुगतान करना पड़ा।

⁹² जैसे मार्ग की चौड़ाई को 3 मीटर से बढ़ाकर 3.75 मीटर करना, विस्तारित फर्श क्षेत्र के संशोधित ड्राइंग के अनुसार तीन मीटर चौड़ाई की सभी स्थापित डेक शीटों को हटाना, छत और डिवाइडर की संरचना में परिवर्तन, पैदल मार्ग और सीढ़ी के लिए फर्श टाइल्स/चेकर्ड टरेजो टाइल्स के स्थान पर रंगीन हैवी ड्यूटी विट्रिफाइड टाइल्स का प्रावधान, छत के लिए पॉलीकार्बोनेट शीट के स्थान पर एमएस प्रोफाइल शीट का प्रावधान, दो लिफ्ट और एक अतिरिक्त सीढ़ी का प्रावधान आदि।

⁹³ व्हाचर क्रमांक 14 दिनांक 08.01.2019 के माध्यम से।

इसके अलावा, अधूरा ढांचा मौसम के प्रभाव के कारण क्षतिग्रस्त/जंग खा रहा था जिससे जनता/राहगीरों के जीवन के लिए खतरा पैदा हो गया था। अपूर्ण कार्य के कारण संरचना का उपयोग न तो पैदल यात्रियों द्वारा किया गया था और न ही किसी वैकल्पिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था, इस प्रकार उस उद्देश्य को विफल कर दिया गया जिसके लिए परियोजना शुरू की गई थी। इसके परिणामस्वरूप परियोजना पर ₹ 36.82 करोड़⁹⁴ का निरर्थक व्यय हुआ।



फोटोग्राफ की तिथि : 08.12.2022

इंगित किए जाने पर छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग ने बताया (मार्च 2024) कि कंसल्टेंट द्वारा प्रस्तुत डीपीआर के आधार पर स्काई वॉक के निर्माण के लिए एनआईटी जारी किया गया था तथा समीक्षा बैठकों के आधार पर कार्य की आवश्यकता के अनुसार, उच्च अधिकारियों ने संरचनात्मक डिजाइन को संशोधित करने का निर्देश दिया था। विभाग ने आगे बताया कि जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई चिंताओं को देखते हुए स्काई वॉक का निर्माण कार्य कुछ समय के लिए रोक दिया गया था और इन आपत्तियों की जांच के लिए सामान्य सलाहकार समिति और तकनीकी सलाहकार समिति नामक दो समितियों का गठन किया गया था। दोनों समितियों के प्रतिवेदनों के आधार पर शासन द्वारा जैसा निर्णय लिया जायेगा वैसी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ शासन का यह उत्तर कि एनआईटी डीपीआर के आधार पर जारी किया गया था, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एनआईटी निविदा पूर्व चरण के कार्यकलापों के पूरा होने और कंसल्टेंट द्वारा डीपीआर तैयार करने से पहले जारी किया गया था। उत्तर से स्पष्ट है कि कार्य के निष्पादन के दौरान सौंदर्य और अन्य कारणों से मूल डिजाइन और संरचना में विभिन्न परिवर्तनों का प्रस्ताव एक उत्तर चिंतन के रूप में किया गया था जो परियोजना शुरू करने से पहले योजना की कमी को दर्शाता है। तथ्य यह है कि स्काई वॉक की परियोजना को पूरा नहीं किया जा सका जिससे ₹ 36.82 करोड़ का व्यय व्यर्थ हो गया।

⁹⁴ परामर्शी प्रभार— ₹ 1.06 करोड़, कार्य की लागत— ₹ 28.29 करोड़, प्रूफ चेकिंग— ₹ 0.20 करोड़, यूटिलिटी स्थानांतरण एवं अन्य व्यय— ₹ 7.27 करोड़

भाग 2— राजस्व क्षेत्र

અધ્યાય 4

સામાન્ય

अध्याय 4

सामान्य

4.1 प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन के भाग-दो में दो अध्याय क्रमशः अध्याय-चार सामान्य और अध्याय-पांच राजस्व क्षेत्र की अनुपालन लेखापरीक्षा हैं। अध्याय-चार छत्तीसगढ़ शासन की वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का विहंगावलोकन, वर्ष 2017-18 से 2021-22 की पाँच वर्ष की अवधि में प्राप्तियों के प्रवृत्ति का विश्लेषण एवं बकाया करों, जो 31 मार्च 2022 की स्थिति में वसूली हेतु लंबित हैं, का विवरण प्रस्तुत करता है। आगे, राज्य के राजस्व प्राप्तियों की जाँच हेतु लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को रेखांकित एवं लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर राज्य शासन की प्रतिक्रिया पर भी चर्चा की गई है।

अध्याय-पांच में “वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान और रिटर्न फाइल करने पर विभागों की निगरानी” की अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल है। अनुपालन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र मूल्यांकन है कि क्या दी गई विषय वस्तु (गतिविधि, वित्तीय एवं गैर वित्तीय लेन-देन, किसी इकाई अथवा इकाइयों के समूह के संबंध में जानकारी) सभी भौतिक मामलों में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, स्थापित संहिताओं इत्यादि एवं सुदृढ़ लोक वित्तीय प्रबंधन के सामान्य सिद्धांतों एवं लोक अधिकारियों के आचरण का सभी तरह से अनुपालन करता है।

भाग-दो की लेखापरीक्षा आपत्तियां संबंधित शासकीय विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के नमूना जाँच परिणामों पर आधारित है। इन विभागों की अन्य इकाइयां जो नमूना जाँच में सम्मिलित नहीं थी, में भी समान अनियमितताएं, त्रुटियां/चूक हो सकती है। अतः विभागों को सभी इकाइयों का परीक्षण करना चाहिए जिससे सुनिश्चित हो कि कर का आंकलन, निर्धारण, संग्रहण एवं लेखाबद्ध किया जाना अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है।

4.2 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संग्रहित राजस्व (कर तथा कर-भिन्न राजस्व, राज्य को दिये गये विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से का निवल आगम, वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक पिछले पाँच वर्षों के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान) और पूर्ववर्ती तीन वर्षों हेतु छत्तीसगढ़ शासन से संबंधित आंकड़ों का संक्षिप्त विवरण **तालिका 4.1** में वर्णित है:

तालिका 4.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.	राज्य शासन द्वारा संग्रहित राजस्व					
	स्वकर राजस्व	19,894.68	21,427.26	22,117.85	22,889.20	27,083.73
	विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	5.01	7.70	3.22	3.49	18.33
	कर-भिन्न राजस्व	6,340.42	7,703.02	7,933.77	7,136.95	13,851.21
	विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	11.84	21.49	3.00	-10.04	94.08
	योग	26,235.10	29,130.28	30,051.62	30,026.15	40,934.93
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्सा	20,754.81	23,458.69	20,205.84	20,337.54	28,570.79
	सहायता अनुदान	12,657.17	12,505.96	13,611.24	12,812.49	10,146.30
	योग	33,411.98	35,964.65	33,817.08	33,150.03	38,717.09
3.	राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 + 2)	59,647.08	65,094.93	63,868.70	63,176.18	79,652.03
4.	1 का 3 से प्रतिशत	44	45	47	48	51

(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

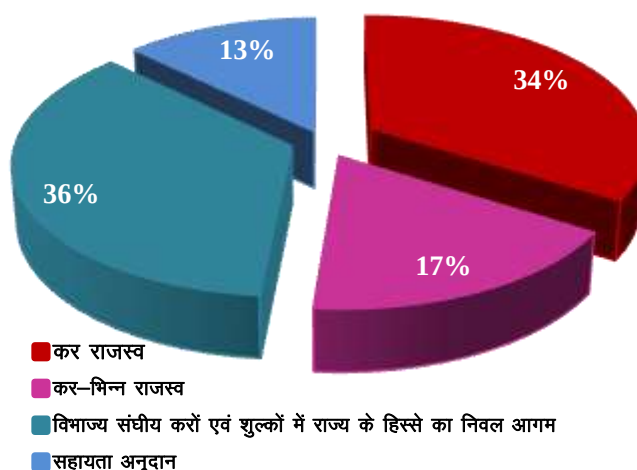
संसाधनों के संग्रहण में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन वित्त आयोग के अनुशंसा पर आधारित राज्य के हिस्से का केन्द्रीय कर एवं सहायता अनुदान को छोड़कर कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व के आधार पर किया जाता है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि:

- राज्य के स्वकर राजस्व में वर्ष 2017-22 के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई और पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान 18.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- वर्ष 2017-20 के दौरान राज्य के कर-भिन्न राजस्व में भी वृद्धि हुई थी परंतु पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान 10.04 प्रतिशत की कमी मुख्य रूप से अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों, ब्याज प्राप्तियों, लघु सिंचाई, लोक निर्माण आदि के अंतर्गत प्राप्तियों में कमी के कारण हुई। जबकि, वर्ष 2021-22 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 94.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण लौह अयस्क के विक्रय मूल्य में वृद्धि और खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 2021 के अनुसार एनएमडीसी द्वारा लौह अयस्क पर देय रॉयल्टी की अतिरिक्त राशि (150 प्रतिशत) है।
- जबकि वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 51 प्रतिशत राज्य के अपने संसाधनों से आया, जिसमें कर और गैर-कर राजस्व शामिल हैं, विभाज्य केन्द्रीय करों और शुल्कों की शुद्ध आय और भारत सरकार से सहायता अनुदान ने मिलकर कुल राजस्व में 49 प्रतिशत का योगदान दिया।

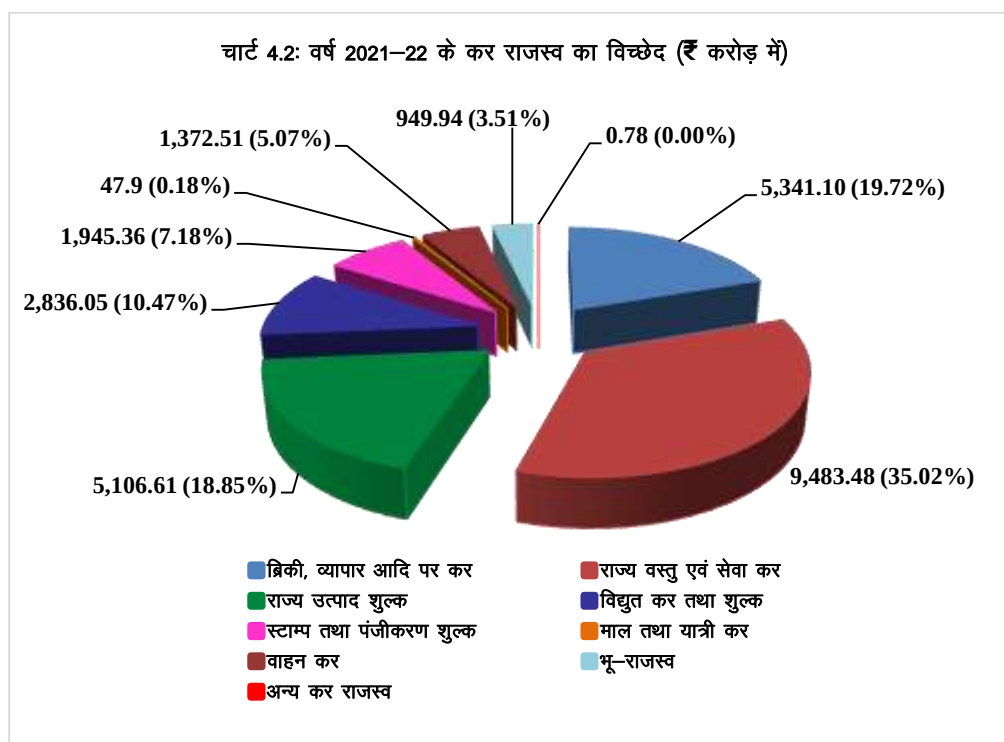
वर्ष 2021-22 के लिए राज्य के राजस्व प्राप्तियों के विभिन्न घटकों का चित्रांकन चार्ट 4.1 में दर्शाया गया है:

चार्ट 4.1: वर्ष 2021-22 के राज्य के राजस्व का विच्छेद



4.2.1 स्वकर राजस्व

वर्ष 2021-22 के लिए कर राजस्व के विभिन्न घटकों का चित्रांकन चार्ट 4.2 में दर्शाया गया है:



वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान स्वकर राजस्व का बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियाँ तालिका 4.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.2: शासन द्वारा संग्रहित स्वकर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में अंतर का प्रतिशत
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	बजट अनुमान	13,444.70	3,718.42	3,788.30	4,144.86	4,356.89	(+) 26.09
	वास्तविक	6,449.60	4,087.72	3,931.37	4,236.04	5,341.10	
राज्य वस्तु एवं सेवा कर ¹	बजट अनुमान	3,212.82	5,006.65	8,201.70	10,700.92	9,337.61	(+) 19.67
	वास्तविक	4,386.56	8,203.41	7,894.82	7,925.01	9,483.48	
राज्य उत्पाद शुल्क	बजट अनुमान	3,168.50	4,355.00	5,000.00	5,199.72	5,500.00	(+) 10.16
	वास्तविक	4,054.01	4,489.03	4,952.36	4,635.80	5,106.61	
विद्युत कर तथा शुल्क	बजट अनुमान	1,650.00	1,850.00	2,090.00	2,200.00	2,450.00	(+) 21.13
	वास्तविक	1,688.95	1,790.27	1,837.00	2,341.41	2,836.05	
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	बजट अनुमान	1,550.00	1,790.00	1,550.00	1,705.00	1,650.00	(+) 22.74
	वास्तविक	1,197.47	1,108.46	1,634.63	1,584.94	1,945.36	
वस्तु तथा यात्री कर ²	बजट अनुमान	1,767.06	5.63	0.00	3.00	4.17	(-) 40.00
	वास्तविक	477.66	54.51	40.51	79.83	47.90	
वाहन कर	बजट अनुमान	1,200.00	1,500.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	(+) 19.55
	वास्तविक	1,180.01	1,204.85	1,274.85	1,148.07	1,372.51	
भू-राजस्व	बजट अनुमान	600.00	660.00	700.00	600.00	850.00	(+) 1.30
	वास्तविक	446.41	487.57	551.50	937.71	949.94	
अन्य राजस्व ³	बजट अनुमान	40.38	0.00	0.00	1.50	1.34	(+) 100
	वास्तविक	14.01	1.44	0.81	0.39	0.78	
योग	बजट अनुमान	26,633.46	18,885.70	22,930.00	26,155.00	25,750.01	(+) 18.33
	वास्तविक	19,894.68	21,427.26	22,117.85	22,889.20	27,083.73	

(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे और छत्तीसगढ़ शासन की बजट पुस्तिका के अनुसार बजट अनुमान)

बिक्री, व्यापार आदि पर कर के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्तियां, राज्य सरकार द्वारा अपने बजट में दर्शाई गई अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थी परंतु वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान बजटीय अनुमानों से अधिक थी। राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) के तहत प्राप्तियां वर्ष 2019-21 के दौरान अपने बजटीय अनुमानों में दर्शाई गई अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थी लेकिन वर्ष 2017-19 और 2021-22 बजटीय अनुमानों से अधिक थी और वर्ष 2018-22 के दौरान राज्य के लिए राजस्व का सबसे

¹ वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, औषधीय और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत लगाए गए उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीवीडी), विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी), राज्य अप्रत्यक्ष कर जैसे मूल्य वर्धित कर, केंद्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर और खरीद कर को जीएसटी में शामिल कर लिया गया है।

² वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान माल और यात्रियों पर कर का बड़ा हिस्सा (76.64 प्रतिशत) प्रवेश कर से है, जिसे 1 जुलाई 2017 से समाप्त कर दिया गया है और जीएसटी में शामिल कर लिया गया है।

³ 'अन्य' में वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित राजस्व मदों में वास्तविक प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं: होटल प्राप्ति कर (₹ 33.96 लाख/बजट प्रावधान - ₹ 119.20 लाख); आय और व्यय पर अन्य कर (₹ 43.70 लाख/बजट प्रावधान - ₹ 14.00 लाख) और वस्तुओं और अन्य सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (₹ 0.32 लाख/बजट प्रावधान - ₹ 0.50 लाख)।

बड़ा स्रोत बन गई थी। वर्ष 2018–22 के दौरान माल और यात्रियों पर कर बजटीय अनुमानों से अधिक था, जबकि वाहनों पर कर वर्ष 2017–22 के दौरान अनुमानित अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं था।

संबंधित विभागों द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान बजट अनुमान एवं वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में अंतर एवं कुछ मामलों में पूर्व वर्ष से प्राप्ति में कमी के निम्नलिखित कारण सूचित किये गये।

बिक्री, व्यापार आदि पर कर: पेट्रोलियम उत्पाद की खपत में वृद्धि के कारण वर्ष 2020–21 की तुलना में वर्ष 2021–22 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर करों से प्राप्तियां (26.09 प्रतिशत) बढ़ी।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर: वर्ष 2021–22 के दौरान एसजीएसटी से प्राप्तियां वर्ष 2020–21 की तुलना में 19.67 प्रतिशत बढ़ीं, जिसका मुख्य कारण करदाताओं की संख्या में वृद्धि थी।

राज्य उत्पाद शुल्क: छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड द्वारा अवैध शराब पर नियंत्रण और शराब दुकानों के कुशल प्रबंधन के कारण राज्य आबकारी से प्राप्त राजस्व में 10.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विद्युत कर तथा शुल्क: राजस्व संग्रह में वृद्धि के कारण वर्ष 2021–22 में कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 21.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

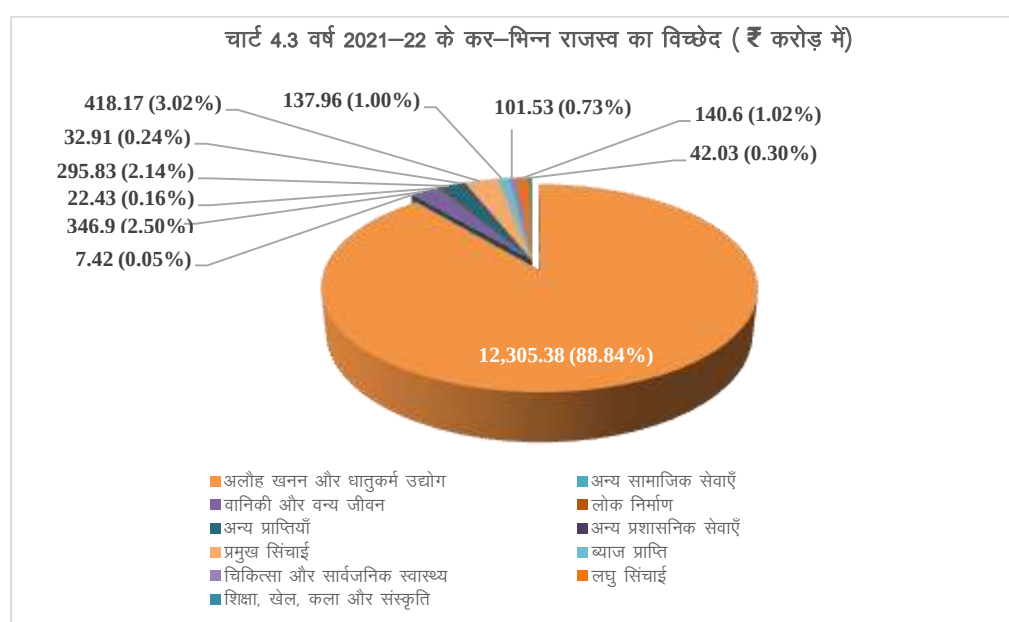
वाहनों पर कर: विभाग द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान राजस्व में 19.55 प्रतिशत की वृद्धि का कोई कारण नहीं बताया गया।

माल तथा यात्री कर: वर्ष 2021–22 में 40 प्रतिशत की कमी आई। जीएसटी में माल और यात्रियों पर करों को एकीकृत करने के कारण राजस्व में कमी आई।

स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क: पिछले वर्ष 2020–21 की तुलना में पंजीकृत दस्तावेजों की संख्या में वृद्धि के कारण वर्ष 2021–22 में कर राजस्व में 22.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

4.2.2 कर-भिन्न राजस्व

वर्ष 2021–22 के कर-भिन्न राजस्व का विच्छेद **चार्ट 4.3** में दर्शाया गया है।



वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान उद्ग्रहित कर-भिन्न राजस्व का विवरण तालिका 4.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.3: शासन द्वारा उद्ग्रहित कर-भिन्न राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में अन्तर का प्रतिशत
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	बजट अनुमान	5,600.00	6,000.00	6,500.00	6,670.00	6,600.00	(+ 122.18)
	वास्तविक	4,911.44	6,110.24	6,195.73	5,538.49	12,305.39	
वानिकी तथा वन्य जीव	बजट अनुमान	600.00	600.00	600.00	700.00	700.00	(+ 25.20)
	वास्तविक	291.17	236.73	249.37	277.08	346.90	
ब्याज प्राप्तियाँ	बजट अनुमान	137.25	132.93	126.83	194.49	314.83	(+ 53.68)
	वास्तविक	180.44	189.55	232.41	89.77	137.96	
वृहद सिंचाई	बजट अनुमान	703.68	738.89	791.67	749.94	688.08	(- 6.22)
	वास्तविक	461.23	521.81	437.04	445.91	418.17	
लघु सिंचाई	बजट अनुमान	288.34	302.76	324.39	330.42	317.26	(- 39.58)
	वास्तविक	121.73	164.06	287.54	232.72	140.60	
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	बजट अनुमान	29.33	45.99	44.73	62.10	91.12	(+ 6.04)
	वास्तविक	52.56	52.86	88.88	95.75	101.53	
लोक निर्माण कार्य	बजट अनुमान	73.70	43.00	50.00	95.83	54.25	(- 30.41)
	वास्तविक	54.29	73.57	45.98	32.23	22.43	
अन्य प्रशासनिक सेवायें	बजट अनुमान	65.43	42.82	28.41	47.34	44.12	(- 7.74)
	वास्तविक	39.81	42.10	35.75	35.67	32.91	
अन्य सामाजिक सेवायें	बजट अनुमान	30.00	30.00	20.50	11.01	12.69	(- 53.68)
	वास्तविक	17.42	8.12	16.73	16.02	7.42	
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	बजट अनुमान	6.97	28.03	21.20	16.09	22.78	(+ 125.60)
	वास्तविक	17.15	14.04	14.83	18.63	42.03	
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ	बजट अनुमान	169.50	205.58	317.27	337.38	404.82	(- 16.59)
	वास्तविक	193.18	289.94	329.51	354.68	295.83 ⁴	
योग	बजट अनुमान	7,704.20	8,170.00	8,825.00	9,214.60	9,249.95	(+ 94.08)
	वास्तविक	6,340.42	7,703.02	7,933.77	7,136.95	13,851.17	

(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे और छत्तीसगढ़ शासन की बजट पुस्तिका के अनुसार बजट अनुमान)

⁴ अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों में वर्ष 2021-22 में निम्न मदों में वास्तविक प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं: लाभांश तथा लाभ (₹ 3.64 करोड़); लोक सेवा आयोग (₹ 9.71 करोड़); पुलिस (₹ 29.19 करोड़); जेल (₹ 3.42 करोड़); लेखन सामग्री तथा मुद्रण (₹ 2.17 करोड़); पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली (₹ 33.38 करोड़); विविध सामान्य सेवायें (₹ 76.08 करोड़); परिवार कल्याण (₹ 0.00 करोड़); जल पूर्ति तथा सफाई (₹ 2.07 करोड़); आवास (₹ 4.99 करोड़); नगर विकास (₹ 8.75 करोड़); सूचना एवं प्रचार (₹ 0.07 करोड़); श्रम तथा रोजगार (₹ 27.71 करोड़); सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (₹ 5.72 करोड़); फसल कृषि (₹ 23.12 करोड़); पशुपालन (₹ 6.51 करोड़); मछली पालन (₹ 5.91 करोड़); खाद्य भंडारण तथा गोदाम (₹ 0.92 करोड़); सहकारिता (₹ 1.80 करोड़); अन्य कृषि कार्यक्रम (₹ 1.69 करोड़); अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम (₹ 7.21 करोड़); मध्यम सिंचाई (₹ 5.30 करोड़); ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग (₹ 3.24 करोड़); उद्योग (₹ 17.90 करोड़); नगर विमानन (₹ 0.00 करोड़); सड़क तथा पुल (₹ 0.94 करोड़) एवं अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (₹ 14.39 करोड़)।

संबंधित विभागों द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान बजट अनुमान एवं वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में अंतर एवं कुछ मामलों में पूर्व वर्ष से प्राप्ति में कमी के निम्नलिखित कारण सूचित किये गये।

अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग: पिछले वर्ष की तुलना में 122.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण लौह अयस्क के विक्रय मूल्य में वृद्धि और खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 2021 के अनुसार एनएमडीसी द्वारा लौह अयस्क पर देय रॉयल्टी की अतिरिक्त राशि (150 प्रतिशत) है।

वानिकी तथा वन्य जीव: पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 में प्राप्तियों में 25.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण पूर्व निर्धारित तिथियों पर लकड़ी की नीलामी आयोजित करके वन उपज को समय पर जारी करना था।

लघु सिंचाई: वर्ष 2021-22 में इस मद में प्राप्तियां 39.58 प्रतिशत घटी हैं। विभाग से प्राप्ति में कमी का कारण पूछा गया (दिसंबर 2022, अगस्त 2023 और फरवरी 2024)। हालांकि, उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।

वृहद सिंचाई: वर्ष 2021-22 में इस मद में प्राप्तियां 6.22 प्रतिशत घटी हैं। विभाग से प्राप्ति में कमी का कारण पूछा गया (दिसंबर 2022, अगस्त 2023 और फरवरी 2024)। हालांकि, उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (दिसंबर 2024)।

लोक निर्माण: वर्ष 2021-22 में इस मद के अंतर्गत प्राप्तियों में 30.41 प्रतिशत की कमी आयी, जिसका मुख्य कारण बोलीदाताओं द्वारा निविदा प्रपत्रों की कम खरीद और चूककर्ताओं पर कम जुर्माना लगाया जाना था।

शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति: इस मद में वर्ष 2021-22 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में 125.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका कारण यह था कि समग्र शिक्षा के तहत छात्रवृत्ति वितरित नहीं की जा सकी और विभाग के प्राप्ति मद में जमा कर दी गयी।

अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ: वर्ष 2021-22 में कर-भिन्न प्राप्तियों में 16.59 प्रतिशत की कमी आयी, जिसका मुख्य कारण जेल, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए योगदान और वसूली, जल आपूर्ति और स्वच्छता, शहरी विकास, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, फसल पालन, पशुपालन, खाद्य भंडारण और भंडारण, सहकारिता, अन्य कृषि कार्यक्रम और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम मद के तहत राजस्व में कमी थी।

4.3 लेखापरीक्षा प्राधिकार

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 से 151 एवं नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 (डीपीसी अधिनियम) से व्युत्पन्न होते हैं। नियंत्रक महालेखापरीक्षक सरकार की प्राप्तियों को डीपीसी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत लेखापरीक्षा करते हैं।

4.4 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

इस रिपोर्ट के अध्याय-1 में लेखापरीक्षा की योजना बनाने, उसका संचालन करने और लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। प्रत्येक ईकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर ईकाई के प्रमुख को लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन एक माह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निवेदन कर जारी किया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ जिसे शासन के उच्चतम स्तर पर ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता हो, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए कार्रवाई की जाती है।

इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान छः विभागों यथा खनिज संसाधन, वन, वाणिज्यिक कर, ऊर्जा, परिवहन एवं भू-राजस्व के अन्तर्गत कुल 472 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 80 इकाईयों की लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई तथा 59 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई।

4.5 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2022 की स्थिति में छः विभागों का बकाया राजस्व ₹ 8261.66 करोड़ था, जिसमें से ₹ 3218.06 करोड़ (38.95 प्रतिशत) पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जैसा कि तालिका 4.4 में वर्णन किया गया है:

तालिका 4.4: 31 मार्च 2022 की स्थिति में बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	कुल बकाया राशि	पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि	बकाया प्रकरणों की वस्तु-स्थिति के संबंध में विभाग का उत्तर
1.	विद्युत कर तथा शुल्क	4734.16	1289.67	15 मामलों में राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आरआरसी) जारी, सात प्रकरण न्यायालय में लंबित, 32 प्रकरण में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश तथा 14 प्रकरण 'अन्य' में लंबित।
2.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3400.02	1846.20	फर्मों द्वारा अपना व्यवसाय बंद कर देने, व्यवसायियों की चल-अचल सम्पत्ति का अभाव तथा अपलेखन की जाने वाली राशि वसूली हेतु लंबित होने के कारण अन्य राज्यों को आरआरसी जारी की गई है।
3.	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	50.21	15.91	736 मामलों में आरआरसी जारी; 91 मामले अदालत में लंबित 9 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश तथा चार प्रकरणों में दोषियों की चल/अचल संपत्तियों का विवरण उपलब्ध नहीं है।
4.	वन	7.03	6.93	लंबित मामलों की स्थिति के संदर्भ में विभाग द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया है।
5.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	0.79	0.79	विभाग ने बताया (फरवरी 2023) कि खनिज अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर बकाया राशि वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, समीक्षा बैठक में सचिव, खनिज संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने जिलों को निर्देश दिए हैं कि वे बहुत पुराने बकाया को अपलेखन करने के लिए प्रस्ताव भेजें।
6.	वाहन कर	12.99	3.27	न्यायालय में लंबित (₹ 0.84 करोड़) बकाया कर की वसूली के लिए वाहन मालिकों को डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं।
7.	राज्य उत्पाद शुल्क	56.46	55.29	149 मामलों में राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आरआरसी) जारी किए गए 23 मामले अदालत में लंबित हैं, 23 मामलों में अदालत द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है और 16 मामले अन्य के तहत लंबित हैं और 38 मामलों में चूककर्ताओं की चल/अचल संपत्तियों का विवरण उपलब्ध नहीं है।
योग		8261.66	3218.06	

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदायित जानकारी)

दो विभागों अर्थात् भू-राजस्व एवं जल संसाधन विभाग से 31 मार्च 2022 तक बकाया राजस्व की जानकारी प्रतीक्षित थी।

4.6 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया

4.6.1 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

शासकीय विभागों एवं कार्यालयों के लेखापरीक्षा समाप्ति उपरांत संबंधित कार्यालय प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किया जाता है तथा उसकी प्रति संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित की जाती है, ताकि उस पर सुधारात्मक कार्यवाही एवं निगरानी की जा सके। गंभीर वित्तीय अनियमिततायें विभाग के प्रमुख और शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

31 मार्च 2022 तक कि स्थिति में जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में पाया गया कि वर्ष 1994-95 से 2021-22 के दौरान जारी 2,225 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 9,790 कंडिकाएँ जून 2023 के अंत तक बकाया थे। विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विवरण नीचे तालिका 4.5 में वर्णित है:

तालिका 4.5: विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

स. क्र.	विभाग का नाम	राजस्व की प्रकृति	निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रकार	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या वर्ष 2021-22
1.	स्टाम्प एवं पंजीकरण भुल्क	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	राजस्व	255	762
			व्यय	13	58
2.	मोटर वाहन तथा परिवहन	वाहन कर	राजस्व	198	1464
			व्यय	66	145
3.	वन	वानिकी तथा वन्य प्राणी	राजस्व	457	1385
			व्यय	531	2856
4.	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	राजस्व	551	3670
			व्यय	80	117
5.	खनन स्रोत	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	राजस्व	184	785
			व्यय	76	321
6.	आबकारी	राज्य उत्पाद	राजस्व	269	583
			व्यय	51	88
7.	भू-राजस्व	भू-राजस्व	राजस्व	2	8
			व्यय	2	4
8.	ऊर्जा	विद्युत कर तथा शुल्क	राजस्व	21	91
			व्यय	8	20
9.	अन्य कर विभाग	अन्य प्राप्तियाँ	राजस्व	288	1042
			व्यय	1	10
राजस्व				2225	9790
व्यय				828	3619
योग				3053	13409

वर्ष 2021-22 के दौरान जारी किये गये 108 निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 96⁵ निरीक्षण प्रतिवेदनों (88.88 प्रतिशत) के प्रथम उत्तर भी लेखापरीक्षा को कार्यालय प्रमुख से प्राप्त नहीं हुए हैं।

निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा कंडिकाओं में कार्यवाही की कमी इन प्रतिवेदनों में इंगित किये गये गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को निरंतर किए जाने के जोखिम से

⁵ वन-68, खनिज संसाधन-11, परिवहन-6, वाणिज्य कर-4, ऊर्जा-3, स्टाम्प एवं पंजीयन-2 तथा भू-राजस्व-2

युक्त है। इससे शासन प्रक्रिया के आंतरिक नियंत्रणों में कमी, सार्वजनिक वस्तुओं/सेवाओं का अकुशल एवं अप्रभावी वितरण, धोखा, भ्रष्टाचार एवं सरकारी खजाने को हानि की संभावना है।

अनुशंसा:

राज्य शासन लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर त्वरित एवं उचित कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा जो निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिकारें पर उत्तर निर्धारित समय में प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करें।

અધ્યાય 5

અનુપાલન લેખાપરીક્ષા

अध्याय 5

अनुपालन लेखापरीक्षा

राज्य कर विभाग

5.1 “वस्तु एवं सेवा कर भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी” पर अनुपालन लेखापरीक्षा

5.1.1 प्रस्तावना

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के प्रारम्भ ने केंद्र एवं राज्यों द्वारा आरोपित एवं संग्रहित किए जाने वाले कई करों को प्रतिस्थापित कर दिया है। वस्तु एवं सेवा कर जो 01 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ, एक गंतव्य आधारित उपभोग कर है जो वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर की गई प्रत्येक मूल्य वृद्धि पर आरोपित किया जाता है। केंद्र एवं राज्य एक ही कर आधार पर एक साथ जीएसटी आरोपित करते हैं। केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)/केंद्रशासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) राज्यों के भीतर आपूर्ति पर आरोपित किया जाता है एवं अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) आरोपित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर (सीजीजीएसटी) अधिनियम 2017 की धारा 59, वस्तु एवं सेवा कर को स्व-निर्धारण आधारित कर के रूप में निर्धारित करता है जहां पर कर देयता की गणना और गणना किए गए कर की देयता का निर्वहन एवं विवरणी दाखिल करने की जिम्मेदारी करदाता पर होती है। जीएसटी विवरणी को सामान्य जीएसटी पोर्टल पर नियमित रूप से ऑनलाइन दाखिल करना अनिवार्य है, असफल रहने पर शास्ति देय होगा। यदि किसी विशेष कर अवधि के दौरान व्यवसाय की कोई भी कर देयता नहीं है फिर भी उसे अनिवार्य रूप से शून्य विवरणी दाखिल करना होगा। इसके अलावा, सीजीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 61 सह-पठित सीजीजीएसटी नियम 2017, की नियम 99, यह निर्धारित करती है कि उचित अधिकारी, करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणी एवं संबन्धित जानकारियों की जाँच कर सकता है, जाँच में पायी गई विसंगतियों के बारे में करदाताओं को सूचित कर सकता है एवं स्पष्टीकरण मांग सकता है।

यह विषय केन्द्रित अनुपालन लेखापरीक्षा इस नए कर व्यवस्था में कर अनुपालन के लिए निर्धारित नियंत्रण तंत्र और राज्य कर विभाग, छत्तीसगढ़ के निरीक्षण तंत्र के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए की गई।

5.1.2 संगठनात्मक संरचना

राज्य कर विभाग के सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार में छत्तीसगढ़ राज्य कर विभाग के समग्र प्रभारी हैं। यह विभाग राज्य में जीएसटी के साथ साथ छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम/केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम का प्रशासन करता है जो मुख्यालय स्तर पर राज्य कर आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, संभाग स्तर पर विशेष आयुक्त, संयुक्त आयुक्त एवं उपायुक्त और वृत्त स्तर पर राज्य कर सहायक आयुक्त (स.आ.) एवं राज्य कर अधिकारी के समग्र नियंत्रण में है।

5.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत कर अनुपालन के संबंध में विभाग द्वारा अपनाई गई प्रणालियों और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर आश्वासन प्रदान करने हेतु की गई। 'जीएसटी भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी' का लेखापरीक्षण निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ की गई ताकि इस पर आश्वासन प्राप्त किया जा सके:

- i. क्या नियमों और प्रक्रियाओं को कर अनुपालन पर प्रभावी जाँच सुनिश्चित करने के लिए संरचित किया गया था एवं करदाताओं द्वारा उनका विधिवत पालन किया जा रहा था और
- ii. क्या वृत्तों में की जानेवाली जाँच प्रक्रियाएं, आंतरिक लेखापरीक्षा एवं अन्य अनुपालन कार्य पर्याप्त एवं प्रभावी थे

5.1.4 लेखापरीक्षा पद्धति एवं कार्यक्षेत्र

यह विषय केन्द्रित अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण के आधार पर संपादित किया गया था जिसमें जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि से संबंधित जोखिम क्षेत्रों एवं, संभावित खतरों पर प्रकाश डाला गया था। डेटा विश्लेषण के माध्यम से इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी), करदेयता का निर्वहन, पंजीकरण एवं विवरणी दाखिल के कार्यक्षेत्र में 13 विचलनों की पहचान की गई थी। ऐसे विचलनों की जाँच एक केंद्रीकृत लेखापरीक्षा¹ (सीमित लेखापरीक्षा) के माध्यम से किया गया जिसके अंतर्गत इन विचलनों को संबंधित राज्य कर विभागीय क्षेत्रीय संरचनाओं यानी वृत्तों को सूचित किया गया तथा पहचाने गए विचलनों पर क्षेत्राधिकार संरचनाओं द्वारा की गई कार्रवाई का पता क्षेत्रीय दौरे किए बिना ही लगाया गया। केंद्रीकृत लेखापरीक्षा (सीमित लेखापरीक्षा) के अलावा एक विस्तृत लेखापरीक्षा भी की गई जिसमें क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय संरचनाओं के पास उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन के लिए क्षेत्रीय दौरे किए गए। करदाताओं से संबंधित आंकड़ा/दस्तावेजों (जैसे पंजीकरण, कर भुगतान, विवरणी और अन्य विभागीय कार्य) की जाँच करने के लिए विवरणी से संबंधित जानकारी को राज्य कर विभाग के जीएसटीएन पोर्टल एप्लीकेसन बैक एंड सिस्टम (बीओवेब) के माध्यम से यथासंभव प्राप्त किया गया। विस्तृत लेखापरीक्षा में संबंधित क्षेत्रीय संरचनाओं के माध्यम से करदाताओं से संबंधित ग्रेनुलर अभिलेख (जैसे बीजक, विविध लेनदार/देनदार का विवरण, वित्तीय अभिलेख आदि) तक पहुंचना शामिल था। इसके अलावा, चयनित वृत्तों में वृत्तों के अनुपालन कार्य जैसे विवरणियों की जाँच की भी समीक्षा की गई।

विभाग द्वारा विवरणियों की जाँच एवं करदाताओं के अभिलेखों के सत्यापन की समीक्षा के लिए जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि को आच्छादित किया गया जबकि चयनित वृत्तों के कार्यों की लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक की अवधि को आच्छादित किया गया।

प्रारंभ में, प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग छत्तीसगढ़ के साथ दिनांक 29 मार्च 2022 को एक आगम बैठक आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और नमूना चयन पर चर्चा की गई। इसके अलावा, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों में लेखापरीक्षा कार्य की शुरुआत में संबंधित सहायक आयुक्त, राज्य कर विभाग के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया तथा समापन में एक समापन सम्मेलन आयोजित किया गया। इस विषय केन्द्रीत अनुपालन लेखापरीक्षा का प्रारूप प्रतिवेदन 16 जून 2023 को विभाग को अग्रेषित किया गया था। विभाग का उत्तर

¹ केंद्रीकृत लेखापरीक्षा में करदाताओं के ग्रेनुलर अभिलेख जैसे कि उनके बहीखाता से संबंधित वित्तीय विवरण, बीजक, अनुबंध आदि शामिल नहीं थे।

21 सितंबर 2023 को प्राप्त हुआ जिसे संबंधित अनुच्छेदों में समुचित रूप से शामिल किया गया।

5.1.5 लेखापरीक्षा नमूना

वास्तविक लेखापरीक्षा की प्रकृति एवं इसकी सीमा का निर्धारण करने हेतु योजना बनाने के लिए एक डेटा संचालित दृष्टिकोण अपनाया गया था। इस विषय केन्द्रित अनुपालन लेखापरीक्षा के नमूनों में केंद्रीकृत लेखापरीक्षा (सीमित लेखापरीक्षा) के लिए आंकड़ा विश्लेषण के माध्यम से पहचाने गए विचलनों का एक समूह शामिल था जिसमें कोई क्षेत्रीय दौरा नहीं था, विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का एक नमूना था जिसमें विभागीय परिसर में क्षेत्रीय दौरा करते हुए करदाताओं के अभिलेखों की समीक्षा करनी थी तथा वृत्तों के अनुपालन कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए वृत्तों का एक नमूना शामिल था।

इस विषय केन्द्रीत अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रमुख तीन भाग निम्नानुसार थे:

(i) भाग I:- वृत्तों की लेखापरीक्षा

इस लेखापरीक्षा के अंतर्गत वृत्तों के निरीक्षण कार्यों के मूल्यांकन के लिए ऐसे 10 वृत्तों² का एक नमूना लिया गया था जिनमें वृत्तों के अधिकार क्षेत्र में विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए एक से अधिक प्रकरण चयनित किए गए थे।

(ii) भाग II:- केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा

विभाग की जाँच प्रक्रिया की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए डेटा विश्लेषण के माध्यम से नियमों और विवरणियों के मध्य विसंगतियों की पहचान करके केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा के लिए नमूना चुना गया। तदनुसार, इस विषय केन्द्रित अनुपालन लेखापरीक्षा के तहत केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए 532 प्रकरणों का चयन किया गया था।

(iii) भाग III:- विस्तृत लेखापरीक्षा

करदाताओं द्वारा कर अनुपालन की सीमा, के मूल्यांकन के लिए वृत्तों के माध्यम से करदाताओं के अभिलेखों की जाँच करते हुए विस्तृत लेखापरीक्षा की गई। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं के नमूने का चयन जोखिम मापदण्डों जैसे अधिक आईटीसी, कर देयता में अंतर, छूट-प्राप्त टर्नओवर का कुल टर्नओवर से अनुपातहीन होना और अनियमित आईटीसी के आधार पर किया गया था। लेखापरीक्षा के लिए चयनित 16 वृत्तों³ से संबंधित 25 करदाताओं में बड़े, मध्यम एवं छोटे स्तर⁴ के करदाता शामिल थे।

इस विषय केन्द्रीत अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु केंद्रीकृत लेखापरीक्षा, विस्तृत लेखापरीक्षा और वृत्तों की लेखापरीक्षा के लिए चयनित नमूनों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 5.1.1** में दिया गया है।

² स०आ० वृत्त-अम्बिकापुर, स०आ० वृत्त-2, जगदलपुर, स०आ० वृत्त-1, कोरबा, स०आ० वृत्त-2, रायगढ़, स०आ० वृत्त-2, रायपुर, स०आ० वृत्त-3, रायपुर, स०आ० वृत्त-6, रायपुर, स०आ० वृत्त-7, रायपुर, स०आ० वृत्त-9, रायपुर, स०आ० वृत्त-राजनन्दगाँव

³ स०आ० वृत्त-अम्बिकापुर, स०आ० वृत्त-धमतरी, स०आ० वृत्त-2, जगदलपुर, स०आ० वृत्त-1, कोरबा, स०आ० वृत्त-2, कोरबा, स०आ० वृत्त-मानेन्दगाँव, स०आ० वृत्त-2, रायगढ़, स०आ० वृत्त-1, रायपुर, स०आ० वृत्त-2, रायपुर, स०आ० वृत्त-3, रायपुर, स०आ० वृत्त-4, रायपुर, स०आ० वृत्त-6, रायपुर, स०आ० वृत्त-7, रायपुर, स०आ० वृत्त-8, रायपुर, स०आ० वृत्त-9, रायपुर स०आ० वृत्त-राजनन्दगाँव

⁴ बड़े करदाता-15, मध्यम करदाता-8 और छोटे करदाता-2

5.1.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोतों में सीजीएसटी अधिनियम, सीजीजीएसटी अधिनियम और आईजीएसटी अधिनियम तथा इन अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों में सन्निहित थे। महत्वपूर्ण प्रावधान **तालिका 5.1.1** में दिये गए हैं।

तालिका 5.1.1: मानदंड के स्रोत

क्र. सं.	विषय	अधिनियम और नियम
1.	आरोपण एवं संग्रहण	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9
2.	रिवर्स चार्ज मैकानिज्म	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(3)
3.	आईटीसी का लाभ उठाना एवं उपयोग करना	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 से 21 सीजीजीएसटी नियम, 2017 के तहत नियम 36 से 45
4.	पंजीकरण	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 22 से 25 सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 8 से 26
5.	आपूर्तियां	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7 से 8 सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची I, II और III
6.	आपूर्ति का स्थान	आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10 से 13
7.	आपूर्ति का समय	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 12 से 14
8.	आपूर्ति का मूल्यांकन	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 15 सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 27 से 34
9.	कर का भुगतान	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अध्याय X के तहत धारा 49 से 53 सीजीजीएसटी नियम, 2017 के अध्याय IX के तहत नियम 85 से 88ए
10.	जीएसटी विवरणियों का दाखिल करना	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अध्याय IX के तहत धारा 37 से 47, सीजीजीएसटी नियम, 2017 के अध्याय VIII के तहत नियम 59 से 68 और 80 से 81, सीजीजीएसटी नियम के भाग-बी में विवरणियों के निर्धारित प्रारूप
11.	शून्य दर आपूर्ति	आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16
12.	मूल्यांकन एवं लेखापरीक्षा कार्य	सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अध्याय XII और XIII के तहत धारा 61, 62, 65 और 66 सीजीजीएसटी नियम, 2017 के अध्याय XI के तहत नियम 99 से 102

इसके अलावा विवरणियों को दाखिल करने, विभिन्न प्रकार की विवरणियों के दाखिल करने की प्रभावी तिथियों को अधिसूचित करने, विवरणियों के दाखिल करने की नियत तिथि को बढ़ाने, वस्तु एवं सेवाओं पर कर की दरें, कर का भुगतान, आईटीसी का लाभ उठाने एवं उपयोग करने, विवरणियों की जाँच एवं कर अनुपालन की निगरानी और विवरणियों को दाखिल करना, विवरणियों की जाँच एवं पंजीयन का रद्द करना इत्यादि से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विभागीय अधिकारियों को निर्देश देने वाली मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी)⁵ संबंधित केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)⁶/राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएं एवं परिपत्र भी लेखापरीक्षा मानदंड के भाग थे।

⁵ आदेश संख्या/वाणिज्यिक/टेक/832/2022/8726 दिनांक 30.09.2022

⁶ केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा परिणामों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- विवरणियों के दाखिले पर निगरानी – वृत्तों की लेखापरीक्षा
- केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा
- विस्तृत लेखापरीक्षा

5.1.7 विवरणियों के दाखिले पर निगरानी – वृत्तों की लेखापरीक्षा

विवरणी एक निर्धारित अवधि के दौरान करदाता द्वारा की गई व्यावसायिक गतिविधियों से संबन्धित विशिष्ट विवरणों का एक कथन है। प्रत्येक करदाता कानूनी रूप से एक निश्चित अवधि के लिए कर देयता के दौरान एक पूर्ण एवं सही तथा निर्धारित समय में भुगतान किए गए करों की विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। स्व-मूल्यांकन व्यवस्था में करदाताओं द्वारा दाखिल विवरणियों की निगरानी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि विवरणी ही करदाताओं एवं उनकी संबन्धित व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में जानकारी का पहला तरीका है।

5.1.7.1 विलंब से विवरणी दाखिल करने वालों और दाखिल नहीं करने वालों पर कार्रवाई का अभाव

विवरणियों का दाखिला, कर के भुगतान से संबन्धित है क्योंकि दोनों ही कार्यों की नियत तिथि समान होती है, जिसका अर्थ है कि विवरणी दाखिल नहीं करने वालों के प्रकरण में कर/दंड का भुगतान नहीं करने का जोखिम रहता है।

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 46 सह-पठित सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 68 में यह प्रावधान है कि यदि कोई करदाता नियत तिथि के अंदर विवरणी दाखिल करने में विफल हुआ तो उसे जीएसटीआर 3ए में एक नोटिस जारी की जाती है जिसमें उसे 15 दिनों के अंदर विवरणी दाखिल करना होता है। यदि करदाता इस नोटिस के बाद भी विवरणी दाखिल करने में विफल रहता है तो उचित अधिकारी उस समय उपलब्ध या एकत्र किए गए सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए करदाता के कर की देयता का निर्धारण अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कर सकता है और प्रारूप एएसएमटी 13 में कर निर्धारण आदेश जारी कर सकता है।

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50, यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक करदाता जो इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, परंतु निर्धारित अवधि के दौरान सरकार को कर या उसके कुछ भाग का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह उस समयावधि के लिए जिसके लिए कर या उसके कुछ भाग का भुगतान नहीं हुआ है, अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

लेखापरीक्षा में यह पाया कि 10 वृत्त कार्यालयों में से अम्बिकापुर वृत्त कार्यालय ने वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान विवरणी दाखिल नहीं करने अथवा विवरणी विलंब से दाखिल करने वालों से संबन्धित कोई भी जानकारी प्रदान नहीं की।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि शेष नौ वृत्त कार्यालयों में से किसी में भी वर्ष 2017-18 के दौरान विवरणी दाखिल नहीं करने वाले अथवा देर से दाखिल करने वाले किसी भी प्रकरण की पहचान नहीं की।

वर्ष 2018-19 के दौरान चार वृत्त⁷ कार्यालयों ने 1,242 करदाताओं से संबन्धित विवरणी दाखिल नहीं करने वाले अथवा विलंब से दाखिल करने वाले 1,299 प्रकरणों की पहचान की। वर्ष 2019-20 के दौरान छः वृत्त⁸ कार्यालयों ने 5,881 करदाताओं से संबन्धित विवरणी दाखिल नहीं करने वाले 7,726 प्रकरणों की पहचान की और 2020-21 के दौरान सभी नौ वृत्त⁹ कार्यालयों ने 9,503 करदाताओं से संबन्धित विवरणी दाखिल नहीं करने वाले अथवा देर से दाखिल करने वाले 14,534 प्रकरणों की पहचान की।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 9 वृत्त कार्यालयों में 2018-19 से 2020-21 के दौरान 16,626 करदाताओं से संबन्धित विवरणी दाखिल नहीं करने वाले/देर से दाखिल करने वाले 23,559 प्रकरणों की पहचान की गई थी तथा उन सभी प्रकरणों में जीएसटीआर 3ए नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के जवाब में 23,559 प्रकरणों में से 20,462 प्रकरणों (86.85 प्रतिशत) में विवरणी दाखिल नहीं करने वाले/देर से दाखिल करने वाले करदाताओं ने विवरणी दाखिल कर दिया। विभाग ने शेष 3,097 प्रकरणों में से 3,065 प्रकरणों (98.97 प्रतिशत) में सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कर निर्धारण (एसएमटी 13) शुरू करते हुए ₹ 720.28 करोड़ की राशि का आकलन किया जिसमें से ₹ 129.62 करोड़ की राशि की वसूली की गई। 2,969 प्रकरणों में एसएमटी 13 की कार्रवाई वापस ले ली गई थी क्योंकि संबन्धित करदाताओं ने अपनी विवरणी दाखिल कर दी तथा ब्याज की राशि ₹ 19.85 करोड़ एवं विलंब शुल्क की राशि ₹ 0.59 करोड़ का भुगतान कर दिया। शेष 128 प्रकरणों में से 93¹⁰ प्रकरणों में करदाताओं का पंजीयन रद्द कर दिया गया है और एसएमटी 13 की कार्यवाही लंबित है तथा 35 प्रकरणों में विभाग द्वारा अनंतिम कुर्की का सहारा लिया गया है (परिशिष्ट 5.1.2)।

लेखापरीक्षा ने 20,462 प्रकरणों में से 1,101 (यादृच्छिक आधार पर चयनित) प्रकरणों की नमूना जाँच की (सितंबर 2022 से जनवरी 2023) जिनमें विभाग द्वारा जीएसटीआर 3ए नोटिस जारी करने के बाद संबंधित करदाताओं ने ब्याज की राशि ₹ 5.50 करोड़ एवं विलंब शुल्क की राशि ₹ 1.52 करोड़ का भुगतान कर दिया था। लेखापरीक्षा ने 1,101 प्रकरणों में से 337 प्रकरणों में यह पाया कि सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 के अनुसार करों की शुद्ध देयता पर ₹ 1.02 करोड़ की ब्याज राशि का भुगतान न तो संबन्धित करदाताओं द्वारा किया गया और न ही वृत्त अधिकारियों ने अधिरोपित किया (परिशिष्ट 5.1.3)।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने (जून 2023) पर विभाग ने अपने जवाब (सितंबर 2023) में बताया कि 97 प्रकरणों में ₹ 0.46 करोड़ की वसूली कर ली गई थी तथा शेष 240 प्रकरणों में ₹ 0.57 करोड़ के लिए एसएमटी 10/डीआरसी 07/डीआरसी 01ए जारी करके सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

⁷ स०आ० वृत्त-2, रायगढ़, स०आ० वृत्त-7, रायपुर, स०आ० वृत्त-9, रायपुर, स०आ० वृत्त-राजनन्दगाँव

⁸ स०आ० वृत्त-2, जगदलपुर, स०आ० वृत्त-2, रायगढ़, स०आ० वृत्त-3, रायपुर, स०आ० वृत्त-7, रायपुर, स०आ० वृत्त-9, रायपुर, स०आ० वृत्त-राजनन्दगाँव

⁹ स०आ० वृत्त-2, जगदलपुर, स०आ० वृत्त-1, कोरबा, स०आ० वृत्त-2, रायगढ़, स०आ० वृत्त-2, रायपुर, स०आ० वृत्त-3, रायपुर, स०आ० वृत्त-6, रायपुर, स०आ० वृत्त-7, रायपुर, स०आ० वृत्त-9, रायपुर, स०आ० वृत्त-राजनन्दगाँव

¹⁰ स०आ० वृत्त-1, कोरबा-3 प्रकरण, स०आ० वृत्त-3, रायपुर-41 प्रकरण, स०आ० वृत्त-6, रायपुर-29 प्रकरण, स०आ० वृत्त-7, रायपुर-20 प्रकरण

5.1.7.2 विवरणियों की समीक्षा की धीमी गति/विवरणियों की समीक्षा शुरू नहीं होना

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अनुसार, विवरणियों की सत्यता को सत्यापित करने के लिए करदाताओं द्वारा दाखिल विभिन्न विवरणियों की जाँच उचित अधिकारी द्वारा किया जाना है और विवरणियों में परिलक्षित विसंगतियों या अनियमितताओं पर समुचित कार्रवाई की जानी है। इस उद्देश्य के लिए नामित उचित अधिकारी वृत्त क्षेत्राधिकार के प्रभारी राज्य कर अधिकारी हैं। इसके अलावा, सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 99 अध्यादेशित करता है कि विसंगतियाँ, यदि कोई हो, संज्ञान में आती हैं तो उसे करदाता को सूचित कर उसका स्पष्टीकरण माँगा जाएगा।

विभाग ने अधिनियम की धारा 61 के अनुसार, जाँच कार्यवाही की एकरूपता सुनिश्चित करने तथा प्रक्रिया को मानकीकृत करने के उद्देश्य से दिनांक 30 सितंबर 2022 को एसओपी जारी किया।

वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए 10 वृत्त कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई जानकारीयों की नमूना जाँच (सितंबर 2022 से जनवरी 2023) में लेखापरीक्षा ने यह पाया कि वर्ष 2017-18 में किसी भी वृत्त कार्यालय ने विवरणियों की कोई जाँच नहीं की थी।

दस वृत्त कार्यालयों में से केवल दो वृत्त¹¹ कार्यालयों ने वर्ष 2018-19 में 22 करदाताओं और अन्य दो वृत्त¹² कार्यालयों ने 2019-20 में 60 करदाताओं से संबंधित विवरणियों की समीक्षा की थी। सभी 10 वृत्त कार्यालयों ने वर्ष 2021-21 में 3,050 करदाताओं से संबंधित विवरणियों की जाँच की थी।

लेखापरीक्षा में पाया कि वर्ष 2018 से 2021 के दौरान सभी वृत्त कार्यालयों में जिन 3,132 करदाताओं के विवरणियों की जाँच की गई थी, उनमें से विभाग ने सभी 3,173 प्रकरणों में, विभाग ने एसएमटी 10 नोटिस जारी किया था। इन नोटिसों के जवाब में 527 प्रकरणों (16.61 प्रतिशत) में संबंधित करदाताओं ने विसंगतियों को स्वीकार कर लिया था और कर की राशि ₹ 44.64 करोड़ का भुगतान किया था। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 1,703 प्रकरणों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे जिनमें से 647 प्रकरणों (37.99 प्रतिशत) में निर्धारण पूरा हो गया था जिसमें ₹ 140.25 करोड़ की वसूली योग्य राशि में से ₹ 56.45 करोड़ की राशि की वसूली की गई थी। शेष 943 प्रकरणों में वृत्त अधिकारियों ने प्रकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रदान नहीं की। 10 वृत्त कार्यालयों द्वारा जारी एसएमटी 10/कारण बताओ नोटिस का विवरण **परिशिष्ट 5.1.4** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने (सितंबर 2022 से जनवरी 2023) पर वृत्त कार्यालयों ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2022 और दिसम्बर 2022) कि जीएसटी लागू होने की प्रारंभिक अवधि में विवरणियों की जाँच की गति धीमी होने का कारण विभागीय अधिकारियों का जीएसटी पूर्व प्रशासन से संबंधित प्रकरणों का निर्धारण तथा वसूली जैसे कार्यों में व्यस्त होना, जीएसटी पोर्टल की कुछ विशेष कार्यात्मकताओं का सही से काम नहीं करना और अनुपलब्ध होना, कोविड महामारी की अवधि के दौरान कार्यालय का बार-बार बंद रहना था। विभाग ने आगे यह भी कहा कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि दोबारा न हो इसके लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे तथा प्रकरणों के सत्यापन पश्चात अंतिम कार्रवाई की जाएगी।

¹¹ स०आ० वृत्त-2, रायगढ़, स०आ० वृत्त-6, रायपुर

¹² स०आ० वृत्त-अम्बिकापुर, स०आ० वृत्त-2, रायगढ़

विभाग को प्रारूप प्रतिवेदन जून 2023 में भेजा गया था। विभाग ने लेखापरीक्षा की आपत्तियों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं किया परंतु सीबीआईसी द्वारा जारी दो अधिसूचनाओं¹³ को अग्रेषित कर दिया जिसमें वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 और 2019–20 के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने की समय सीमा को क्रमशः दिसंबर 2023, मार्च 2024 और जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आयुक्त, राज्य कर विभाग ने अधीनस्थ अधिकारियों को वैधानिक विवरणियों की समीक्षा करने की शक्ति प्रत्यायोजित (जनवरी 2018) की थी तथा उन्हें तत्काल प्रभाव से जाँच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था परंतु अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 30 जनवरी 2024 की अधिसूचना¹⁴ के अनुसार वर्ष 2018–19 और 2019–20 के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने की समय सीमा क्रमशः अप्रैल 2024 और अगस्त 2024 तक बढ़ा दी गई थी।

अनुशंसा क्र. 1: विभाग को प्रकरणों के समय बाधित होने से पहले समयबद्ध तरीके से विवरणियों की जाँच सुनिश्चित करनी चाहिए।

5.1.7.3 पंजीयन रद्द करना

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 29 सह-पठित सीजीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 20, करदाता को कुछ परिस्थितियों जैसे व्यवसाय को बंद करना, पंजीकरण के लिए टर्नओवर का निर्धारित सीमा से नीचे आना, कारोबार का स्थानांतरण/विलय/संयोजन, पैन में परिवर्तन, निर्धारित समयावधि में व्यवसाय शुरू न करना और मालिक की मृत्यु, में पंजीयन रद्द कराने की अनुमति देता है। पंजीयन रद्द करने के लिए आवेदन करने वाले करदाता को "पंजीयन रद्द करने की आवश्यकता वाली घटना" के 30 दिनों के भीतर जीएसटी कॉमन पोर्टल पर प्रारूप आरईजी 16 में आवेदन करना चाहिए।

आगे, उक्त अधिनियम की धारा 29(2), करदाताओं द्वारा अधिनियमों या नियमों के उल्लंघन, कोम्पोजीसन करदाताओं द्वारा लगातार तीन कर अवधि की विवरणी का दाखिल नहीं करने, सामान्य करदाताओं द्वारा लगातार छः महीने की विवरणी का दाखिल नहीं करने, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पंजीयन के दिनांक से छः महीने के अंदर व्यवसाय शुरू नहीं करने और धोखाधड़ी के माध्यम से या जानबूझकर गलत विवरण देकर अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त पंजीयन, आदि जैसे प्रकरणों के आधार पर वृत्त अधिकारियों को करदाताओं के पंजीयन को स्वतः रद्द करने की अनुमति देती है।

लेखापरीक्षा ने पंजीयन रद्द करने में जो कमियाँ पाई वो अनुवर्ती कंडिकाओं में दी गई हैं।

(अ) जीएसटीआर 10 दाखिल नहीं करनेवालों पर अपर्याप्त कार्यवाही

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 45 के अनुसार, अंतिम विवरणी (जीएसटीआर 10) पंजीयन रद्द होने की प्रभावी तिथि अथवा पंजीयन रद्द करने के आदेश की तिथि जो भी बाद में हो, से तीन महीने के अंदर दाखिल किया जाना है।

परिपत्र¹⁵ के अनुसार, जीएसटीआर 10 दाखिल करने वाले करदाता को जीएसटीआर 3ए नोटिस जारी की जानी है। यदि करदाता नोटिस (जीएसटीआर 3ए) की प्राप्ति से 15 दिनों के अंदर अंतिम विवरणी दाखिल करने में विफल रहता है तो करदाता की कर

¹³ संख्या. 06/2023— केंद्रीय कर दिनांक 31.03.2023 और 09/2023— केंद्रीय कर दिनांक 31.03.2023

¹⁴ संख्या. 56/2023— राज्य कर दिनांक 30.01.2024

¹⁵ संख्या. 129/48/2019—जीएसटी दिनांक 24.12. 2019

देयता का निर्धारण करने के लिए सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 62 सह-पठित सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 100 के तहत निर्धारण आदेश प्रारूप एएसएमटी 13 में जारी करना होगा। अगर करदाता एएसएमटी 13 आदेश जारी होने के 30 दिनों के अंदर अंतिम विवरणी दाखिल कर देता है तो उक्त आदेश वापस ले लिया गया माना जाएगा। हालांकि, ब्याज और विलंब शुल्क के भुगतान की देयता फिर भी जारी रहेगी। यदि एएसएमटी 13 आदेश जारी होने से 30 दिनों की वैधानिक अवधि के अंदर अंतिम विवरणी दाखिल नहीं की जाती है तो उचित अधिकारी अधिनियम की धारा 78 के तहत कार्यवाही शुरू कर सकता है एवं अधिनियम की धारा 79 के तहत वसूली कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच किये गए (सितंबर 2022 से जनवरी 2023) सभी वृत्त कार्यालयों में पाया कि 16,784 प्रकरणों में प्रारूप आरइजी-19 (पंजीयन रद्द करने का आदेश) जारी किए गए थे जिनमें से 159 (0.95 प्रतिशत) प्रकरणों में पंजीयन रद्द करने की कार्यवाही बंद करनी पड़ी, 5,183 (30.88 प्रतिशत) प्रकरणों में पंजीयन रद्द करने के आदेश को निरस्त किया गया। शेष 11,442 प्रकरणों में से 31 (0.19 प्रतिशत) प्रकरणों में निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार निर्धारण शुरू किया गया तथा पूरा किया गया एवं ₹ 1 लाख की वसूली भी की गई। यह भी देखा गया कि 1,242 (7.39 प्रतिशत) प्रकरणों में करदाताओं ने जीएसटीआर 10 दाखिल कर दिया है और शेष 10,169 (60.58 प्रतिशत) पंजीयन रद्द किए हुए प्रकरणों में करदाताओं द्वारा जीएसटीआर 10 दाखिल नहीं किए गए थे (*परिशिष्ट 5.1.15*)।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (जून 2023) विभाग ने अपने उत्तर (सितंबर 2023) में कहा कि संबंधित करदाताओं को 8,513 जीएसटीआर 3ए नोटिस जारी की गई हैं जिसके कारण 543 प्रकरणों में करदाताओं ने अंतिम विवरणी जीएसटीआर 10 दाखिल कर दिया है तथा ₹ 2.89 लाख की वसूली भी कर ली गई है। शेष 1,656 प्रकरणों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

(ब) पंजीयन रद्द करने में विलंब

करदाता के पंजीयन रद्द करने हेतु दिए हुए आवेदन की तिथि से या स्वतः संज्ञान लेकर पंजीयन रद्द करने के प्रकरण में प्रारूप आरइजी 17 के उत्तर की तिथि से 30 दिनों के अंदर प्रारूप आरइजी 19 में पंजीयन रद्द करने का आदेश जारी किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने पाया (सितंबर 2022 से जनवरी 2023) कि 10 में से तीन वृत्त¹⁶ कार्यालयों में 1,942 प्रकरणों में से 1,186 (61.07 प्रतिशत) प्रकरणों में करदाताओं के अनुरोध पर पंजीयन रद्द करने का आदेश एक से लेकर 519 दिनों की देरी से जारी किया गया था (*परिशिष्ट 5.1.6*)।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (जून 2023) विभाग ने उत्तर (सितंबर 2023) दिया कि बीओ पोर्टल में वृत्त में स्थानांतरित होकर आनेवाले अधिकारियों को वृत्त से स्थानांतरित होकर निवर्तमान अधिकारियों के लंबित प्रकरणों को स्थानांतरित न करने, कोविड महामारी के दौरान कार्यालय बार-बार बंद रहने, जीएसटी पोर्टल की कुछ विशेष कार्यात्मकताओं के सही से कार्य न करने और अनुपलब्ध होने के कारण पंजीयन रद्द करने में उक्त विलंब हुआ था। इसके अलावा, विभाग द्वारा यह भी कहा गया कि भविष्य में इन विसंगतियों को दोहराया नहीं जाएगा तथा जीएसटी प्रक्रिया के पालन हेतु उचित सावधानी रखी जाएगी।

¹⁶ स०आ० वृत्त-1, कोरबा, स०आ० वृत्त-2, रायगढ़, स०आ० वृत्त-राजनन्दगाँव

अनुशंसा क्र. 2: विभाग पंजीयन रद्द करने की स्थिति और उसपर की गई कार्रवाई की निगरानी के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कर देनदारी की जाँच कर सकता है।

5.1.8 जीएसटी विवरणियों में विसंगतियाँ—केंद्रीकृत लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराए गए जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक के जीएसटी विवरणी आंकड़ों का विश्लेषण किया। करदाताओं द्वारा दाखिल जीएसटी विवरणियों में नियम आधारित विचलनों और तार्किक विसंगतियों की पहचान, 13 लेखापरीक्षा आयामों के एक समूह पर की गई थी जिन्हें मुख्यतः दो क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है जैसे आईटीसी एवं कर भुगतान।

निर्धारित 13 जीएसटी विवरणियों में से जीएसटी विवरणी¹⁷/आंकड़ों के बीच के विचलनों, विसंगतियों और भिन्नता की पहचान करने के उद्देश्य से सामान्य करदाताओं पर लागू होनेवाले निम्नलिखित मूल विवरणियों पर विचार किया गया था:

- **जीएसटीआर 1:** वस्तु एवं सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्ति करने वाले सभी सामान्य एवं आकस्मिक पंजीकृत करदाताओं द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणी जिसमें वस्तु एवं सेवाओं की जावक आपूर्ति का विवरण शामिल है।
- **जीएसटीआर 3बी:** अधिनियम की धारा 39(1) के तहत निर्दिष्ट करदाताओं को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा कर के भुगतान के साथ जावक आपूर्ति एवं दावा किए गए आईटीसी, के साथ दाखिल की जाने वाली मासिक सारांश विवरणी है। यही विवरणी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट एवं डेबिट और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डेबिट को दर्शाती है।
- **जीएसटीआर 6:** इनपुट सेवा वितरकों (आईएसडी) के लिए मासिक विवरणी जो उनके द्वारा वितरित आईटीसी और आवक आपूर्ति का विवरण प्रदान करती है।
- **जीएसटीआर 8:** ई-कॉमर्स ओपरेटर्स द्वारा दाखिल की जानेवाली मासिक विवरणी जिसमें जीएसटी के तहत टीसीएस (स्रोत पर संग्रहित कर) की कटौती करनी आवश्यक है जिसे अक्टूबर 2018 में लागू किया गया था।
- **जीएसटीआर 9:** आईएसडी, स्रोत पर कर की कटौती करने वाले/स्रोत पर कर संग्रहण करने वाले, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और प्रवासी करदाताओं को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा दाखिल की जानेवाली वार्षिक विवरणी। इस दस्तावेज में पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न कर शीर्षों (सीजीएसटी, सीजीजीएसटी और आईजीएसटी) के तहत की गई आपूर्तियों तथा प्राप्त सभी आपूर्तियों के विवरण के साथ ही टर्नओवर और लेखापरीक्षा विवरण भी शामिल है।
- **जीएसटीआर 9सी:** किसी विशेष वित्तीय वर्ष में ₹ 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले सभी करदाताओं के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा प्रपत्र। यह मूल रूप से जीएसटीआर 9 में दाखिल वार्षिक विवरणी और करदाताओं के लेखापरीक्षा के उपरांत वार्षिक वित्तीय विवरण के मध्य समाधानित विवरण है।

¹⁷ 1. जीएसटीआर 1 2. जीएसटीआर 3बी 3. जीएसटीआर 4 (कंपोजीसन स्कीम के तहत करदाता) 4. जीएसटीआर 5 (अप्रवासी करयोग्य व्यक्ति) 5. जीएसटीआर 5ए (अप्रवासी ओआइडीएआर सेवा प्रदाता) 6. जीएसटीआर 6 (इनपुट सेवा वितरक) 7. जीएसटीआर 7 (टीडीएस काटनेवाले करदाता) 8. जीएसटीआर 8 (ई-कॉमर्स अपरेटर) 9. जीएसटीआर 9 (वार्षिक विवरणी) 10. जीएसटीआर 10 (अंतिम विवरणी) 11. जीएसटीआर 11 (यूआइएन वाले व्यक्ति जिन्होंने प्रतिदाय का दावा किया है) 12. सीएमपी 08 13. आईटीसी 04 (प्रिन्सिपल/जॉब वर्कर के द्वारा दायर किया जाने वाला विवरण जो जॉब वर्कर से निर्गत/प्राप्त वस्तु का विस्तृत ब्यौरा होता है)

- **जीएसटीआर 2ए:** आवक आपूर्ति प्राप्तकर्ता करदाता के लिए सिस्टम जनित विवरण। इसमें आपूर्तिकर्ताओं के प्रपत्र जीएसटीआर 1/जीएसटीआर 5 में घोषित सभी बी2बी¹⁸ लेनदेन विवरण, जीएसटीआर 6 से आईएसडी का विवरण, प्रतिपक्ष द्वारा क्रमशः जीएसटीआर 7 एवं जीएसटीआर 8 से विवरण और भारतीय सीमा शुल्क के आइसगेट¹⁹ पोर्टल से प्राप्त बिल ऑफ एंट्री पर विदेशों से वस्तु का आयात का विवरण शामिल है।

वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित पहचाने गए 13 आयामों और विचलनों/असंगतताओं (केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए नमूना) पर आंकड़ा विश्लेषण को **तालिका 5.2.2** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 5.1.2: छत्तीसगढ़ राज्य के आंकड़ा विश्लेषण का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	लेखापरीक्षा आयाम	प्रयुक्त कलन विधि	विचलनों की संख्या	विचलनों/भिन्नता की राशि
1.	जीएसटीआर 3 बी विवरणी का दाखिल नहीं करना	ऐसे करदाता जिन्होंने जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं किया था परंतु जीएसटीआर 1 दाखिल किया था या जहां जीएसटीआर 2ए उपलब्ध है, इंगित करता है कि करदाता ने कर के भुगतान का निर्वहन किए बिना व्यवसाय किया था।	18	1.82
2.	वार्षिक विवरणी में और वित्तीय विवरण में कुल टर्नओवर में भिन्नता (9सी की तालिका 5आर)	जीएसटीआर 9सी की तालिका 5आर में ऋणात्मक आकड़े	50	7,954.74
3.	वार्षिक विवरणी में और वित्तीय विवरण में करयोग्य टर्नओवर में भिन्नता (9सी की तालिका 7जी)	जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी में ऋणात्मक आकड़े	50	3,213.62
4.	लेखा पुस्तकों में भुगतान किए गए कर और वार्षिक विवरणी में देय कर के बीच भिन्नता (9सी की तालिका 9आर)	जीएसटीआर 9सी की तालिका 9आर में ऋणात्मक आकड़े	50	26.93
5.	वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण में लिए गए आईटीसी में भिन्नता (9सी की तालिका 12एफ)	जीएसटीआर 9सी की तालिका 12एफ में धनात्मक आकड़े	50	62.33
6.	वार्षिक विवरणी में घोषित आईटीसी और वित्तीय विवरण के व्ययों में भिन्नता (9सी की तालिका 14टी)	जीएसटीआर 9सी की तालिका 14टी में धनात्मक आकड़े	50	970.93
7.	रिवर्स चार्ज मेकनिज्म (आरसीएम) के तहत लिए गए आईटीसी में भिन्नता	जीएसटीआर 3बी की तालिका 3.1(डी) में घोषित रिवर्स चार्ज मेकनिज्म देयता की तुलना जीएसटीआर 9 की तालिका (6सी+6डी+6एफ) में प्राप्त आईटीसी के साथ की गई थी। ऐसे प्रकरणों में जिसमें जीएसटीआर 9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर 3बी की तालिका 3.1(डी) में घोषित आरसीएम देयता की तुलना	49	9.29

¹⁸ व्यवसाय से व्यवसाय

¹⁹ इंडियन कस्टम इलेक्ट्रानिक डेटा इंटरचेंज गेटवे

		जीएसटीआर 3बी की तालिका [4(ए)(2)+4(ए)(3)].		
8.	भुगतान किए बिना आरसीएम के तहत आईटीसी का लाभ उठाने में भिन्नता	जीएसटीआर 9 की तालिका 4जी में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर 9 की तालिका (6सी+6डी+6एफ) में प्राप्त आईटीसी के साथ की गई थी। ऐसे प्रकरणों में जिसमें जीएसटीआर 9 उपलब्ध नहीं था, तालिका 3.1(डी) में आरसीएम देयता की तुलना तालिका[4(ए)(2)+4(ए)(3)] में लिए गए आईटीसी से की गई थी।	16	0.79
9.	अधिक आईटीसी लिया जाना	सभी संशोधनों के साथ जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी की तुलना जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए (5) (घरेलू आपूर्ति पर उपार्जित) में लिए गए आईटीसी जिसमें तालिका 4(बी)2 में रिवर्सल को ध्यान में रखते हुए लेकिन अगले वर्ष 2018-19 के जीएसटीआर 9 की तालिका 8(सी) में उपलब्ध आईटीसी को सम्मिलित करते हुए की गई थी।	49	63.50
10.	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न किया जाना/कम किया जाना	जीएसटीआर 3बी की तालिका 6.1 में घोषित ब्याज की तुलना विलंब से दाखिल किए हुए जीएसटीआर 3बी में कर के भुगतान के नकद भाग पर 18 प्रतिशत की दर से गणना किए हुए ब्याज से की गई।	50	18.74
11.	आइएसडी क्रेडिट का गलत लिया जाना	जीएसटीआर 9 की तालिका 6(जी) या जीएसटीआर 3बी की तालिका 4(ए)(4) में प्राप्तकर्ताओं द्वारा प्राप्त आईटीसी की तुलना आइएसडी के जीएसटीआर 6 की तालिका 5ए +8ए+9ए में स्थानांतरित आईटीसी से की गई थी।	49	3.01
12.	अनिर्वहित कर देनदारिया	जीएसटीआर 1 की (तालिका 4 से 11) और जीएसटीआर 9 की (तालिका 4एन, 10 एवं 11) दोनों में से जो ज्यादा हो उस कर देयता की तुलना जीएसटीआर 3बी की तालिका {3.1(ए)+3.1(बी)} में किए हुए कर के भुगतान ब्योरे से की गई थी। ऐसे प्रकरणों में जिसमें जीएसटीआर 9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर 3बी में किए हुए कर भुगतान की तुलना जीएसटीआर 1 की देयता से की गई थी। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 में घोषित संशोधनों और समायोजित अग्रिमों पर विधिवत विचार किया गया था।	50	97.91
13.	विवरणियों को दाखिल न करने वाले	लगातार छः महीनों तक जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं किया	1	0.0056
योग			532	12,423.62

5.1.8.1 केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के परिणाम

विभाग से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर, 13 लेखापरीक्षा आयामों में से प्रत्येक को जिस सीमा तक अनुपालन विचलनों में परिवर्तित किया गया है उन्हें तालिका 5.1.3 में संक्षेपित किया गया है। इस तालिका में शामिल प्रकरणों का श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट 5.1.7ए से परिशिष्ट 5.1.7जी में दिया गया है।

तालिका 5.1.3: कमियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

			लेखापरीक्षा आयाम													कुल		
			जीएसटीआर 3बी विवरणी दाखिल नहीं किया जाना	जीएसटीआर 9सी (तालिका 5 आर) में घोषित कुल टर्नओवर में भिन्नता	जीएसटीआर 9सी (तालिका 7जी) में घोषित कर योग्य टर्नओवर में भिन्नता	वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों में भुगतान किए गए कर में भिन्नता (तालिका 8आर)	वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण के मध्य आटीसी का लाभ लेने में भिन्नता (तालिका 12 एके)	वार्षिक विवरणी में घोषित आईटीसी एवं वित्तीय विवरण में घोषित व्यय के मध्य भिन्नता (तालिका 14 टी)	आरसीएम के तहत आईटीसी लेने में भिन्नता	आरसीएम के तहत भुगतान किए बिना आईटीसी लेने में भिन्नता	अधिक आईटीसी लेना	ब्याज का कम भुगतान	गलत आईएसडी क्रेडिट लिया जाना	अनिर्वाहित कर देनदारियाँ	विवरणियों को दाखिल न करने वाले करदाता			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	
प्रकरण जहाँ पर जवाब प्राप्त हुआ			संख्या	18	50	50	50	50	50	49	16	49	50	49	50	1	532	
			राशि	1.82	— ²⁰	— ²¹	26.93	62.33	970.93	9.29	0.79	63.50	18.74	3.01	97.91	0.00 ²²	1,255.25	
लेखापरीक्षा द्वारा मान्य विभाग का जवाब			डेटाप्रविष्टि त्रुटियाँ	संख्या	0	6	11	4	1	0	30	9	4	0	23	3	0	91
				राशि	0.00	—	—	4.46	0.71	0.00	5.47	0.45	18.77	0.00	1.49	8.55	0.00	39.90
			प्रश्न पूछने से पूर्व की गई कार्रवाई	संख्या	2	0	0	12	19	0	5	1	11	9	2	7	0	68
				राशि	0.12	0.00	0.00	4.69	40.5	0.00	0.57	0.05	10.14	2.21	0.13	10.81	0.00	69.22
			अन्य वैध स्पष्टीकरण	संख्या	0	37	34	9	11	43	1	1	8	6	4	15	1	170
				राशि	0.00	—	—	7.35	12.93	854.84	0.12	0.04	8.28	0.81	0.07	27.38	0.00	911.82
अनुपालन विसंगतियाँ	ऐसे प्रकरण जिनमें कार्रवाई शुरू की जानी है को शामिल करते हुए विभाग द्वारा स्वीकार किये गए प्रकरण	की गई वसूली	संख्या	1	0	0	5	4	0	0	0	1	16	1	3	0	31	
			राशि	0.00 ²³	0.00	0.00	0.17	0.11	0.00	0.00	0.00	0.80	2.13	0.01	0.66	0.00	3.88	
		जारी किए गए कारण बताओ नोटिस ²⁴	संख्या	10	6	4	9	7	0	4	2	11	11	6	6	0	76	
			राशि	3.83	—	—	2.89	4.61	0.00	1.81	0.12	23.93	10.65	0.27	13.79	0.00	61.90	
		एएसएमटी 10	संख्या	5	1	1	11	8	7	9	3	13	8	13	16	0	95	
			राशि	0.69	—	—	7.5	3.97	116.1	2.28	0.15	12.12	1.75	1.09	33.97	0.00	179.62	
		विभाग का उत्तर जो लेखापरीक्षा को स्वीकार नहीं (खंडन)	संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
			राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
कुल	संख्या	16	7	5	25	19	7	13	5	26	35	20	25	0	203			
	राशि	4.52	—	—	10.56	8.69	116.1	4.09	0.27	37.36	14.53	1.37	48.42	0.00	245.91			

²⁰ 50 प्रकरणों में जीएसटीआर 9सी की तालिका 5आर में कुल असमाधानित टर्नओवर ₹ 7,954.74 करोड़ था, जिसमें से छः प्रकरणों में ₹ 266.25 करोड़ की डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ थी, 37 प्रकरणों में विभाग ने वैध स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जिनमें ₹ 974.65 करोड़ सम्मिलित थे और शेष सात प्रकरणों में अनुपालन विसंगतियाँ पाई गईं जिनमें ₹ 6,674.68 करोड़ कुल टर्नओवर में भिन्नता सम्मिलित थी।

²¹ 50 प्रकरणों में जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी में कुल असमाधानित टर्नओवर ₹ 3,213.62 करोड़ था, जिसमें से 11 प्रकरणों में ₹ 280.87 करोड़ की डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ थी, 34 प्रकरणों में विभाग ने वैध स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जिनमें ₹ 2,894.94 करोड़ सम्मिलित थे और शेष पाँच प्रकरणों में अनुपालन विसंगतियाँ पाई गईं जिनमें ₹ 24.37 करोड़ कुल टर्नओवर में भिन्नता सम्मिलित थी।

²² स्टॉप फाइलर्स के एक प्रकरण में आपत्ति की राशि ₹ 56,000 थी और विभाग ने भी वैध स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।

²³ एक प्रकरण में वसूल की गई राशि ₹ 15,000 थी।

²⁴ डीआरसी 01ए/डीआरसी 01 (कारण बताओ नोटिस), डीआरसी 07 (आदेश का सारांश), डीआरसी 13 (धारा 79 (1)(सी) के तहत अन्य व्यक्ति को दी गई सूचना)

- उपरोक्त तालिका के शीर्षक में प्रयुक्त 'एआर' और 'एफएस' शब्दों का अर्थ क्रमशः 'वार्षिक विवरणी' तथा 'वित्तीय विवरण' है।
- उपरोक्त तालिका की श्रेणी "की गई वसूली और जारी किए गए जारी कारण बताओ नोटिस" के अंतर्गत दर्शाई गई राशि, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई राशि पर ध्यान दिए बिना विभाग द्वारा की गई वसूली और जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के अनुसार है।

5.1.8.2 केंद्रीकृत लेखापरीक्षा का सारांश

532 प्रकरणों के विचलनों/विसंगतियों में से जिनके लिए विभाग की प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुए थीं, 202(37.97 प्रतिशत) प्रकरणों में जिनमें ₹ 245.40 करोड़ शामिल थे, विभाग ने विचलनों/विसंगतियों को स्वीकार कर लिया तथा 31 प्रकरणों में ₹ 3.88 करोड़ की वसूली कर ली तथा 76 प्रकरणों में ₹ 61.90 करोड़ के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिये। इसके अलावा, विभाग ने करदाताओं से जवाब की माँग करते हुए 95 प्रकरणों में ₹ 179.62 करोड़ के लिए एसएमटी 10 जारी किया। इन सभी प्रकरणों में, आईटीसी भिन्नता, आरसीएम के तहत प्राप्त अतिरिक्त आईटीसी, कम ब्याज का भुगतान और कम कर के भुगतान जैसे जोखिम वाले क्षेत्रों में विचलन की उच्च दर देखी गई।

वृत्त-1 बिलासपुर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रकरण GSTIN 22AACCK2650D1Z6 जिसमें ₹ 0.51 करोड़ की राशि निहित थी, के संबंध में लेखापरीक्षा को विभाग का उत्तर स्वीकार नहीं था।

329 (61.84 प्रतिशत) प्रकरणों में जहां लेखापरीक्षा को विभाग का उत्तर स्वीकार्य था, इसमें से 91 (17.11 प्रतिशत) प्रकरणों में डेटा के प्रविष्टि की गलतियाँ, विभाग ने 68 प्रकरणों में सक्रिय रूप से कार्रवाई की थी और 170 प्रकरणों में विभाग के पास वैध स्पष्टीकरण था।

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के उच्च मूल्य वाले प्रकरण (ऐसे प्रकरण जिनमें वसूली, एसएमटी 10 एवं नोटिस से संबंधित अनुपालन विचलन) **तालिका 5.1.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.1. 4: प्रत्येक लेखापरीक्षा आयाम के लिए उच्च मूल्य वाले प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	लेखापरीक्षा आयाम	GSTIN	वृत्त	राशि (₹)	की गई कार्रवाई
1.	जीएसटीआर 3बी विवरणी दाखिल नहीं करना	22ABZPJ1696F1ZB	वृत्त-कवर्धा	1.28	DRC 13
2.	वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण में कुल टर्नओवर में भिन्नता (9सी की तालिका 5आर)	22AACCC1772C1ZB	वृत्त-8, रायपुर	—	DRC 01
3.	वार्षिक विवरणी में और वित्तीय विवरण में करयोग्य टर्नओवर में भिन्नता (9सी की तालिका 7जी)	22ABDFA0051D1ZG	वृत्त-5, रायपुर	—	ASMT 10
4.	लेखा पुस्तकों में भुगतान किए गए कर और वार्षिक विवरणी में देय कर के बीच भिन्नता (9सी की तालिका 9आर)	22ADCPG7864R1Z2	वृत्त-9, रायपुर	3.99	ASMT 10
5.	वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण में लिए गए आईटीसी में भिन्नता (9सी की तालिका 12एफ)	22AFAPK7491J1ZD	वृत्त-8, रायपुर	1.32	DRC 01A
6.	वार्षिक विवरणी में घोषित आईटीसी और वित्तीय विवरण के व्ययों में भिन्नता (9सी की तालिका 14टी)	22AABCB7575P2Z8	वृत्त-5, रायपुर	32.83	ASMT 10
7.	रिवर्स चार्ज मेकनिज्म (आरसीएम) के तहत लिए गए आईटीसी में भिन्नता	22AALPI8478F2ZH	वृत्त-1, कोरबा	0.81	DRC 01
8.	आरसीएम के तहत भुगतान किए बिना आईटीसी का लाभ में भिन्नता	22AGMPR9677A1Z3	वृत्त-1, दुर्ग	0.07	DRC 13
9.	अत्यधिक आईटीसी लिया जाना	22AAACP6317L1ZI	वृत्त-8, रायपुर	4.71	DRC 01A
10.	विलंब से किए गए कर के भुगतान पर शून्य/कम व्याज का भुगतान	22AABAC5137E2ZC	वृत्त-7, रायपुर	7.68	DRC 07
11.	आइएसडी क्रेडिट का गलत लाभ उठाना	22AAACH7412G2Z2	वृत्त-9, रायपुर	0.25	ASMT-10
12.	कर देयता का भुगतान नहीं किया जाना	22AAZFM0586A1ZA	वृत्त-4, दुर्ग	8.64	DRC 01A

तालिका 5.1.4 में उदाहरणस्वरूप शामिल प्रकरणों को अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णन किया गया है।

(ए) आयाम— जीएसटीआर 3बी विवरणी दाखिल नहीं किया जाना

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017, विवरणियाँ यानी प्रारूप जीएसटीआर 1 (जावक आपूर्ति के लिए), प्रारूप जीएसटीआर 2 (आवक आपूर्ति के लिए) और प्रारूप जीएसटीआर 3 (आवक तथा जावक आपूर्ति के लिए संयुक्त विवरणी) को निर्धारित करता है। हालांकि, सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण, प्रारूप जीएसटीआर 3 के बदले एक सरल विवरणी को प्रारूप जीएसटीआर 3बी²⁵ में अस्थायी व्यवस्था के रूप में लाया गया था जिसे मासिक आधार पर दाखिल किया जाना था। अतः जीएसटीआर 3बी वह साधन

²⁵ छत्तीसगढ़ जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 39(1) के तहत निर्दिष्ट करदाताओं को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा कर के भुगतान के साथ जावक आपूर्ति एवं दावा किए गए आईटीसी, के साथ दाखिल किया जाने वाला मासिक सारांश विवरणी है। यही विवरणी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट एवं डेबिट और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डेबिट को दर्शाती है।

बन गया जिसके माध्यम से पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा कर देयता का निर्वहन किया गया तथा आईटीसी का लाभ लिया गया।

लेखापरीक्षा ने (मार्च 2022), पाया कि वर्ष 2017-18 के दौरान कवर्धा वृत्त के अधिकार क्षेत्र के एक करदाता GSTIN 22ABZPJ1696AF1ZB ने पूरे वर्ष के लिए जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं किया था परंतु जीएसटीआर 1 फाइल किया था या उसका जीएसटीआर 2ए उपलब्ध था। जीएसटीआर 3बी वह साधन है जिसके माध्यम से कर देयता का निर्वहन किया जाता है तथा आईटीसी का लाभ लिया जाता है। जीएसटीआर 1 अथवा 2ए की उपलब्धता तथा जीएसटीआर 3बी का दाखिल नहीं किया जाना, यह संकेत देता है कि करदाता ने पूरी अवधि के दौरान व्यवसाय किया था परंतु कर देयता का निर्वहन नहीं किया था। अतः इस प्रकरण में आईटीसी के अनियमित हस्तांतरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इंगित किए जाने पर विभाग ने (सितंबर 2023) उत्तर दिया कि ₹ 1.28 करोड़ की राशि के लिए डीआरसी 13 जारी किया गया है। वसूली की जानकारी प्रतीक्षित है (मई 2024)।

(बी) जीएसटीआर 9सी की तालिका 5आर में वार्षिक विवरणी में और वित्तीय विवरण में कुल टर्नओवर में अंतर

जीएसटीआर 9सी की तालिका 5, वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 में घोषित टर्नओवर के साथ लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में घोषित टर्नओवर से मिलान का प्रयास करती है। इस तालिका का कॉलम 5आर, वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 तथा वित्तीय विवरण में घोषित टर्नओवर के बीच असमाधानित टर्नओवर को दर्शाता है।

वर्ष 2017-18 के लिए करदाता द्वारा प्रारूप जीएसटीआर 9सी में प्रस्तुत प्रमाणिक समाधान विवरण जो सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 80(3) के तहत आवश्यक है, का विश्लेषण वित्तीय विवरण की तुलना में डेटा स्तर पर वार्षिक विवरणी में दर्शाये गए टर्नओवर में पहचाने गए अंतर की सीमा की समीक्षा हेतु किया गया। उन प्रकरणों में जहां जीएसटीआर 9 में घोषित टर्नओवर, वित्तीय विवरण में घोषित टर्नओवर से कम था, की असमायोजित राशि, जिसमें प्रतिवेदित न करना, कम प्रतिवेदित करना, आपूर्ति को प्रतिवेदित करने में त्रुटि, जिसके कारण कर का अपवंचन अथवा कर का कम भुगतान हो सकता है, का जोखिम था। यह एक कर योग्य और कर से छुट आपूर्ति को प्रतिवेदित न करने का मामला हो सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2022) कि वृत्त-8 रायपुर के क्षेत्राधिकार क्षेत्र के अंतर्गत GSTIN: 22AACCC1772C1ZB वाले करदाता, के प्रकरण में जीएसटीआर 9सी की तालिका 5आर में असमायोजित टर्नओवर की राशि ₹ 6,637.39 करोड़ थी।

इंगित किए जाने पर विभाग ने (सितंबर 2023) उत्तर दिया कि करदाता को डीआरसी 01 जारी किया जा चुका है। आगे उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

(सी) आयाम- जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी में वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण में करयोग्य टर्नओवर में भिन्नता

जीएसटीआर 9सी की तालिका 7, वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 में घोषित टर्नओवर के साथ लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में घोषित टर्नओवर से मिलान का प्रयास करती है। इस तालिका का कॉलम 7जी, वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 तथा वित्तीय विवरण में घोषित असमायोजित करयोग्य टर्नओवर के बीच के अंतर को प्रदर्शित करता है।

वर्ष 2017-18 के लिए करदाता द्वारा प्रारूप जीएसटीआर 9सी में प्रस्तुत प्रमाणिक समाधान विवरण जो सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 80(3) के तहत आवश्यक है,

का विश्लेषण वित्तीय विवरण की तुलना में डेटा स्तर पर वार्षिक विवरणी में दर्शाये गए करयोग्य टर्नओवर में पहचाने गए अंतर की सीमा की जाँच हेतु किया गया। उन प्रकरणों में जहां जीएसटीआर 9 में घोषित करयोग्य टर्नओवर, वित्तीय विवरण में घोषित करयोग्य टर्नओवर से कम था, की असमायोजित राशि, जिसमें प्रतिवेदित न करना, कम प्रतिवेदित करना, आपूर्ति को प्रतिवेदित करने में त्रुटि जिसके कारण कर का अपवंचन अथवा कर का कम भुगतान हो सकता है, का जोखिम था। यह एक करयोग्य और कर से छूट आपूर्ति को प्रतिवेदित न करने का मामला हो सकता है।

लेखापरीक्षा ने (मार्च 2022), वृत्त-5, रायपुर के अधिकार क्षेत्र के करदाता जिसका GSTIN: 22ABDFA0051D1ZG था, के प्रकरण में पाया कि उसके जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी में असमायोजित टर्नओवर की राशि ₹ 8.92 करोड़ थी।

इंगित किए जाने पर विभाग ने (सितंबर 2023) उत्तर दिया कि करदाता को एसएमटी 10 जारी किया जा चुका था। आगे उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

(डी) आयाम— जीएसटीआर 9सी की तालिका 9आर में लेखा पुस्तकों में भुगतान किए गए कर और वार्षिक विवरणी में देय कर में भिन्नता

जीएसटीआर 9सी की तालिका 9आर, वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 के अनुसार भुगतान किए गए कर के साथ टर्नओवर को दर के हिसाब से अलग-अलग भुगतान किए गए कर की तुलना करते हुए, मिलान का प्रयास करती है। असमायोजित राशि संभावित रूप से गलत दर पर कर के आरोपण, करयोग्य टर्नओवर का छूट के रूप में गलत दर्शाया जाना अथवा सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीएसटी के गलत आरोपण को इंगित कर सकती है। ऐसी परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं जिनमें वर्ष 2017-18 से संबंधित लेनदेन जिन्हें अगले वर्ष 2018 के अप्रैल से सितंबर के मध्य किया गया था, में संशोधनों (डेबिट नोटों/क्रेडिट नोटों की शुद्ध राशि) के माध्यम से घोषित आपूर्ति/कर को कम किया गया हो।

वर्ष 2017-18 के लिए करदाता द्वारा प्रारूप जीएसटीआर 9सी में प्रस्तुत प्रमाणिक समाधान विवरण जो सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 80(3) के तहत आवश्यक है, का विश्लेषण वित्तीय विवरण की तुलना में डेटा स्तर पर वार्षिक विवरणी में भुगतान किए गए कर में पहचाने गए अंतर की सीमा की समीक्षा हेतु किया गया।

लेखापरीक्षा ने (मार्च 2022), वृत्त-9, रायपुर के अधिकार क्षेत्र के करदाता जिसका GSTIN: 22ADCPG7864R1Z2 था, के प्रकरण में पाया कि उसके जीएसटीआर 9सी की तालिका 9आर में असमायोजित भुगतान किए गए कर की राशि ₹ 3.99 करोड़ थी।

इंगित किए जाने पर विभाग ने (सितंबर 2023) उत्तर दिया कि करदाता को एसएमटी 10 जारी किया गया है। आगे उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

(ई) आयाम— जीएसटीआर 9सी की तालिका 12एफ में वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण में लिए गए आईटीसी में भिन्नता

जीएसटीआर 9सी की तालिका 12, वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 में घोषित आईटीसी के साथ लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा लेखा पुस्तकों के अनुसार लिए गए आईटीसी, से मिलान का प्रयास करती है।

वर्ष 2017-18 के लिए करदाता द्वारा प्रारूप जीएसटीआर 9सी में प्रस्तुत प्रमाणिक समाधान विवरण जो सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 80(3) के तहत आवश्यक है, का विश्लेषण वित्तीय विवरण की तुलना में डेटा स्तर पर वार्षिक विवरणी में लिए गए आईटीसी में पहचाने गए अंतर की सीमा की समीक्षा हेतु किया गया।

लेखापरीक्षा ने (मार्च 2022), वृत्त-8, रायपुर के अधिकार क्षेत्र के करदाता जिसका GSTIN: 22AFAPK7491J1ZD था, के प्रकरण में पाया कि उसके जीएसटीआर 9सी की तालिका 12एफ में असमायोजित आईटीसी की राशि ₹ 0.61 करोड़ थी।

इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि करदाता को ब्याज और दंड सहित ₹ 1.32 करोड़ की राशि के लिए डीआरसी 01ए जारी किया गया है। आगे उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

(एफ) आयाम— जीएसटीआर 9सी की तालिका 14टी में वार्षिक विवरणी में घोषित आईटीसी और वित्तीय विवरण में घोषित व्ययों में भिन्नता

जीएसटीआर 9सी की तालिका 14 करदाता द्वारा किए गए व्ययों से संबंधित है जो इन्पुट्स, पूंजीगत वस्तु या सेवाओं के रूप में हो सकते हैं। ये खरीदे गए वस्तु/सेवाएँ करयोग्य अथवा कर से छुट प्राप्त भी हो सकती हैं और पंजीकृत व्यक्तियों (फारवर्ड चार्ज) या अपंजीकृत व्यक्तियों (रिवर्स चार्ज) से खरीदी गई हो सकती हैं। तालिका 14 किए गए व्ययों के साथ लिए गए आईटीसी का मिलान करती है, तथा अपात्रता, अवरुद्ध क्रेडिट और कम्पोजीसन स्कीम के कारण उठाए गए कोई भी अतिरिक्त लाभ को तालिका 14टी में प्रदर्शित किया जाता है।

वर्ष 2017-18 के लिए करदाता द्वारा प्रारूप जीएसटीआर 9सी में प्रस्तुत प्रमाणिक समाधान विवरण जो सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 80(3) के तहत आवश्यक है, का विश्लेषण वित्तीय विवरण की तुलना में डेटा स्तर पर वार्षिक विवरणी में लिए गए आईटीसी और किए गए व्ययों में पहचाने गए अंतर की सीमा की समीक्षा हेतु किया गया।

लेखापरीक्षा ने (मार्च 2022), वृत्त-5, रायपुर के अधिकार क्षेत्र के करदाता जिसका GSTIN: 22AABCB7575P2Z8 था, के प्रकरण में पाया कि उसके जीएसटीआर 9सी की तालिका 14टी में असमायोजित आईटीसी की राशि ₹ 32.83 करोड़ थी।

इंगित किए जाने पर विभाग ने (सितंबर 2023) उत्तर दिया कि करदाता को एएसएमटी 10 जारी किया जा चुका है।

(जी) आयाम— रिवर्स चार्ज मेकनिज्म (आरसीएम) के तहत लिए गए आईटीसी में भिन्नता

जीएसटीआर 3बी एक मासिक विवरणी है जिसमें रिवर्स चार्ज पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ साथ घोषित सेवाओं के आयात और कर के भुगतान के साथ रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी आवक आपूर्ति का सारांश करदाता द्वारा स्व-घोषित किया जाता है। जीएसटीआर 9 एक वार्षिक विवरणी है जिसकी तालिका 4 में रिवर्स चार्ज करदेयता एवं तालिका 6 में आईटीसी का विस्तृत विवरण दिखता है।

आईटीसी लिया जाना/उपयोग किया जाना की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए जीएसटीआर 3बी और वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 से संबंधित प्रासंगिक डेटासेट की तुलना यह जाँच करने के लिए की गई थी कि क्या रिवर्स चार्ज मेकनिज्म (आरसीएम) पर लिए गए आईटीसी, भुगतान किए गए कर के अनुरूप सीमित थी। अपनाई गई इस कार्यप्रणाली के तहत जीएसटीआर 3बी की तालिका 3.1(डी) में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर 9 की तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में लिए गए आईटीसी के साथ किया गया था। उन प्रकरणों में जहां जीएसटीआर 9 उपलब्ध नहीं था, जाँच को जीएसटीआर 3बी तक सीमित कर दिया गया था जहां पर जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए(2) और 4ए(3) में लिए गए आईटीसी के की तुलना जीएसटीआर 3बी की तालिका 3.1(डी) में भुगतान किए गए कर से की गई।

लेखापरीक्षा ने (मार्च 2022), वृत्त-1, कोरबा के अधिकार क्षेत्र के करदाता जिसका GSTIN: 22AALPI8478F2ZH था, के प्रकरण में पाया कि आरसीएम से संबंधित ₹ 0.81 करोड़ की राशि जिसमें ब्याज एवं दंड शामिल है, ज्यादा आईटीसी लिया गया।

इंगित किए जाने पर विभाग ने (सितंबर 2023) उत्तर दिया कि करदाता को डीआरसी 01 जारी किया जा चुका है।

(एच) आयाम— आरसीएम के तहत भुगतान किए बिना आईटीसी लिए जाने में भिन्नता

जीएसटीआर 3बी एक मासिक विवरणी है जिसमें रिवर्स चार्ज पर आईटीसी के साथ साथ घोषित सेवाओं के आयात और कर के भुगतान के साथ रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी आवक आपूर्ति का सारांश करदाता द्वारा स्व-घोषित किया जाता है। जीएसटीआर 9 एक वार्षिक विवरणी है जिसकी तालिका 4 में रिवर्स चार्ज करदेयता एवं तालिका 6 में आईटीसी का विस्तृत विवरण दिखता है।

वर्ष 2017-18 के लिए समतुल्य करदेयता का निर्वहन किए बिना, आरसीएम के तहत लिए गए आईटीसी की सीमा या दूसरे शब्दों में आरसीएम के तहत कर के कम भुगतान का विश्लेषण जीएसटीआर 3बी एवं वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 से संबंधित डेटासमूह की तुलना करके यह जाँच करते हुए किया गया कि क्या आरसीएम के तहत गतिविधियों/लेनदेन पर पूरी तरह से कर का भुगतान कर दिया गया था। ऐसे प्रकरणों में जहां जीएसटीआर 9 फाइल किया हुआ था, तालिका 4जी में किए हुए आरसीएम भुगतान की तुलना तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में लिए गए आईटीसी के साथ की गई थी। ऐसे प्रकरणों में जहां जीएसटीआर 9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर 3बी की तालिका 3.1(डी) में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए(2) और 4ए(3) में आरसीएम भुगतान के साथ की गई।

लेखापरीक्षा ने (मार्च 2022), वृत्त-1, दुर्ग के अधिकार क्षेत्र के करदाता जिसका GSTIN: 22AGMPR9677A1Z3 था, के प्रकरण में पाया कि ₹ 0.07 करोड़ के कर का भुगतान किए बिना आरसीएम से संबंधित ज्यादा आईटीसी लिया गया।

इंगित किए जाने पर विभाग ने (सितंबर 2023) उत्तर दिया कि डीआरसी 13 जारी किया जा चुका है।

(आइ) आयाम— अधिक आईटीसी लिया जाना

जीएसटीआर 2ए खरीद से संबंधित एक गतिशील कर विवरणी है जो जीएसटी पोर्टल द्वारा प्रत्येक व्यवसाय के लिए स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है, जबकि जीएसटीआर 3बी एक मासिक विवरणी है जिसमें कर के भुगतान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ साथ जावक आपूर्ति का सारांश करदाता द्वारा स्व-घोषित किया जाता है।

आईटीसी लिए जाने/उपयोग करने की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए संबंधित डेटा समूहों को वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 2ए से निकाला गया था और आपूर्तिकर्ताओं के ब्यौरा के अनुसार भुगतान किए गए आईटीसी को प्राप्तकर्ता करदाताओं द्वारा लिए गए आईटीसी से मिलान कराया गया। अपनाई गई इस कार्यप्रणाली के तहत जीएसटीआर 2ए के अनुसार सभी संशोधनों के उपरांत उपलब्ध आईटीसी की तुलना जीएसटीआर 3बी की तालिका 4बी(2)²⁶ में रिवर्सल को ध्यान में रखते हुए परंतु अगले वर्ष 2018-19 के जीएसटीआर 9 की तालिका 8(सी) में

²⁶ अन्य आईटीसी रिवर्सड

लिए गए आईटीसी को शामिल करते हुए जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए(5)²⁷ में लिए गए आईटीसी से की गई।

लेखापरीक्षा ने (मार्च 2022), वृत्त-8, रायपुर के अधिकार क्षेत्र के करदाता जिसका GSTIN: 22AAACP6317L1ZI था, के प्रकरण में पाया कि जीएसटीआर 2ए के अनुसार (रिवर्सल सहित) उपलब्ध आईटीसी ₹ 0.93 करोड़ थी जबकि अगले वर्ष 2018-19 के जीएसटीआर 9 की तालिका 8(सी) में लिए गए आईटीसी ₹ 0.29 करोड़ को शामिल करते हुए जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए(5) में लिए गए आईटीसी ₹ 3.09 करोड़ थी। इस प्रकार उपलब्ध आईटीसी और लिए गए आईटीसी में ₹ 2.16 करोड़ का अंतर था।

इंगित किए जाने पर विभाग ने (सितंबर 2023) उत्तर दिया कि करदाता को ब्याज और दंड सहित ₹ 4.71 करोड़ की राशि के लिए डीआरसी 01ए जारी किया जा चुका है।

(जे) आयाम – कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न किया जाना/कम किया जाना

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 यह निर्धारित करती है कि इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है लेकिन निर्धारित अवधि में सरकार को कर अथवा उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है तो जिस अवधि के लिए कर अथवा उसका कोई भाग बकाया रहता है उस अवधि के लिए अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

जीएसटीआर 3बी में भुगतान किए गए कर का ब्यौरा और इस विवरणी को दाखिल करने की तिथि का संज्ञान लेते हुए वर्ष 2017-18 के दौरान कर के विलंबित प्रेषण के कारण ब्याज के कम भुगतान की पहचान की गई। देय ब्याज की गणना हेतु केवल शुद्ध कर देयता (नकद भाग) पर विचार किया गया।

लेखापरीक्षा ने (मार्च 2022), वृत्त-7, रायपुर के अधिकार क्षेत्र के एक करदाता जिसका GSTIN: 22AABAC5137E2ZC था, के प्रकरण में पाया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के विभिन्न महीनों की जीएसटीआर 3बी विवरणियाँ, 32 से 140 दिनों के विलंब के साथ दाखिल की गई हैं जिसके कारण ₹ 7.67 करोड़ का ब्याज देय है। इसके अलावा लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि लेखापरीक्षा द्वारा पुछे जाने से पहले करदाता द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप ₹ 7.67 करोड़ ब्याज का कम भुगतान हुआ।

इंगित किए जाने पर विभाग ने (सितंबर 2023) उत्तर दिया कि ₹ 7.68 करोड़ की राशि जिसमें ब्याज एवं दंड शामिल है, के लिए डीआरसी 07 जारी किया गया है। आगे वसूली की कार्यवाही की प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2024)।

(के) आयाम – आईएसडी क्रेडिट का गलत लिया जाना

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अनुसार, करदाताओं द्वारा दाखिल विभिन्न विवरणियों की यथार्थता को सत्यापित करने के लिए उचित प्राधिकारी द्वारा विवरणियों की जांच की जानी चाहिए और उनमें परिलक्षित कोई भी विसंगतियों या अनियमितताओं पर उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

यह विश्लेषण करने के लिए कि क्या करदाता द्वारा लिया गया आईटीसी, आईएसडी द्वारा हस्तांतरित आईटीसी से अधिक तो नहीं है, करदाता की विवरणियों में घोषित

²⁷ अन्य सभी पात्र आईटीसी

आईटीसी की तुलना उनके जीएसटीआर 6 में आईएसडी द्वारा हस्तांतरित आईटीसी से की गई।

अपनाई गई इस कार्यप्रणाली के तहत करदाता के जीएसटीआर 9 की तालिका 6जी या जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए(4) की तुलना जीएसटीआर 6 की तालिका 5ए, तालिका 8ए और तालिका 9ए में आईएसडी के योग से किया गया।

लेखापरीक्षा ने (अप्रैल 2022), वृत्त-9, रायपुर के अधिकार क्षेत्र के करदाता जिसका GSTIN: 22AAACH7412G2Z2 था, के प्रकरण में पाया कि आईएसडी से प्राप्त आईटीसी ₹ 0.82 करोड़ थी जबकि आईएसडी द्वारा वितरित आईटीसी ₹ 0.57 करोड़ थी यानी करदाता द्वारा ₹ 0.25 करोड़ अधिक आईटीसी लिया गया।

इंगित किए जाने पर विभाग ने (सितंबर 2023) उत्तर दिया कि करदाता को एसएमटी 10 जारी किया जा चुका है।

(एल) आयाम— अनिवार्य कर देनदारियाँ

वस्तु या सेवाओं की जावक आपूर्ति का मासिक ब्यौरा जीएसटीआर 1 में दर्शाया जाता है। इस ब्यौरे का आकलन करदाता के द्वारा भी किया जाता है और उसे वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 के संबंधित कॉलम में घोषित किया जाता है। इसके अलावा, करयोग्य राशि और भुगतान किए हुए कर को मासिक विवरणी जीएसटीआर 3बी में भी दर्शाया जाता है।

भुगतान नहीं की गई कर देयता का विश्लेषण करने के लिए वर्ष 2017-18 के जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 से प्रासंगिक डेटासेट निकले गए थे तथा इन विवरणियों में कर देयता की तुलना जीएसटीआर 9 में घोषित कर भुगतान से की गई। जहां पर जीएसटीआर 9 उपलब्ध नहीं था, वहाँ पर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3बी के बीच देय कर की तुलना की गई। इसके लिए जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 में घोषित संशोधनों और अग्रिम समायोजनों पर भी विचार किया गया।

कलन विधि के लिए जीएसटीआर 1 की तालिकाएं 4 से 11 और जीएसटीआर 9 की तालिकाएं 4एन, 10 एवं 11 पर विचार किया गया। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 में दर्शायी करदेयता, में जो अधिक थी, की तुलना जीएसटीआर 9 की तालिका 9 और 14 में दर्शाये कर से की गई ताकि कर की कम भुगतान की पहचान की जा सके। जीएसटीआर 3बी के प्रकरण में तालिका 3.1(ए)²⁸ एवं 3.1(बी)²⁹ पर विचार किया गया।

लेखापरीक्षा ने (मार्च 2022), वृत्त-4, दुर्ग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करदाता जिसका GSTIN: 22AAZFM0586A1ZA था, के प्रकरण में पाया कि जीएसटीआर 1 की तालिकाओं 4 से 11 में देय कर ₹ 1.14 करोड़ था और जीएसटीआर 3बी की तालिकाओं 3.1(ए) एवं 3.1(बी) में देय कर शून्य था। इसप्रकार, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3बी के बीच ₹ 1.14 करोड़ की करदेयता का अंतर था।

इंगित किए जाने पर विभाग ने (सितंबर 2023) उत्तर दिया कि ₹ 8.64 करोड़ की राशि जिसमें कर, ब्याज एवं दंड शामिल है, के लिए डीआरसी 01ए जारी किया गया है।

5.1.8.3 कारणात्मक कारकों का विश्लेषण

532 प्रकरणों में विभाग की प्रतिक्रिया पर विचार करने पर पाया गया कि डेटा विचलन/विसंगतियाँ पैदा करने वाले कारक जीएसटी अधिनियमों और नियमों से विचलन के कारण हुई। उपरोक्त तालिका 5.1.3 में संक्षेपित 532 विचलनों में से 202

²⁸ जावक करयोग्य आपूर्तियाँ (शून्य दर, निल दर तथा कर से छुट को छोड़कर)

²⁹ जावक करयोग्य आपूर्तियाँ (शून्य दर)

प्रकरणों में विभाग ने लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को स्वीकार किया तथा जाँच प्रारम्भ की जिनमें ₹ 245.40 करोड़ कर सन्निहित था। इन प्रकरणों में से 31 प्रकरणों में विभाग ने ₹ 3.88 करोड़ की वसूली की (परिशिष्ट 5.1.7डी), 76 प्रकरणों में ₹ 61.90 करोड़ के लिए नोटिस जारी किया (परिशिष्ट 5.1.7ई) तथा 95 प्रकरणों में ₹ 179.62 करोड़ के लिए एएसएमटी 10 जारी किया (परिशिष्ट 5.1.7 एफ)।

5.1.8.4 ऐसे प्रकरण जहाँ पर विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार नहीं है

वृत्त-1, बिलासपुर के अधिकार क्षेत्र के GSTIN: 22AACCK2650D1Z6, के संबंध में लेखापरीक्षा ने (मार्च 2022) जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 2ए के मध्य आईटीसी में राशि ₹ 0.51 करोड़ अंतर पाया (परिशिष्ट 5.1.7जी)।

इंगित किए जाने पर विभाग ने (सितंबर 2023) उत्तर दिया कि करदाता ने ₹ 0.62 करोड़ की राशि वापस (रिवर्सल) कर दिया है। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आक्षेप की राशि, करदाता द्वारा वापस किए जाने का दावा की गई राशि को अन्य सभी आईटीसी एवं अगले वित्त वर्ष में दावा किए गए चालू वर्ष के आईटीसी से घटाकर प्राप्त की गई थी।

5.1.8.5 करदाताओं द्वारा की गई आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियाँ

91 प्रकरणों में आंकड़ा प्रविष्टि की त्रुटियों को प्रदर्शित किया गया था जो कुल 532 प्रतिक्रियाओं का 17.11 प्रतिशत थी तथा जिन 329 प्रकरणों में विभाग की प्रतिक्रियाओं को लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया था उसका 27.66 प्रतिशत थी। इन आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियों का कोई राजस्व निहितार्थ नहीं थी। अधिकांश आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियाँ आरसीएम के तहत कर, आईएसडी द्वारा वितरित आईटीसी, कुल टर्नओवर, करयोग्य टर्नओवर और भुगतान किए गए कर से संबन्धित हैं (परिशिष्ट 5.1.7ए)।

उदाहरणस्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया है:

लेखापरीक्षा ने (मार्च 2022) वृत्त-1, दुर्ग के अधिकार क्षेत्र के एक करदाता जिसका GSTIN: 22AAABJ0250F1ZF था, के संबंध में ₹ 183.14 करोड़ असमायोजित टर्नओवर का विचलन पाया।

इंगित किए जाने पर विभाग ने (सितंबर 2022) उत्तर दिया कि टर्नओवर में विचलन ब्याज आय से संबन्धित है जो कर से छूट की श्रेणी के अंतर्गत आता है और लिपिकीय त्रुटि के कारण जीएसटीआर 9 की तालिका 5डी में इस राशि का उल्लेख नहीं किया गया था। इसप्रकार की डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ जीएसटीएन सिस्टम द्वारा स्वीकार किए जाने के कारण हुईं जिनको उचित सत्यापन नियंत्रण द्वारा टाला जा सकता था।

5.1.8.6 लेखापरीक्षा ज्ञापन जारी करने से पूर्व विभाग द्वारा की गई कार्रवाई

विभाग ने 68 प्रकरणों में, जो 532 प्रकरणों का 12.78 प्रतिशत था, ₹ 69.22 करोड़ की राशि (परिशिष्ट 5.1.7बी) हेतु लेखापरीक्षा द्वारा ज्ञापन जारी करने से पहले ही कार्रवाई कर ली थी।

उदाहरण के रूप में, लेखापरीक्षा ने (मार्च 2022) वृत्त-2, कोरबा के अधिकार क्षेत्र के करदाता जिसका GSTIN: 22 AACCK0633Q1ZK था, के प्रकरण में पाया कि जीएसटीआर 9सी की तालिका 12एफ में ₹ 28.69 करोड़ की असमायोजित आईटीसी थी।

इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2022) कि दावा की गई आईटीसी को अगस्त 2018 के जीएसटीआर 3बी में वापस कर दिया गया था।

5.1.9 जीएसटी विवरणी की विस्तृत लेखापरीक्षा

स्व-मूल्यांकन व्यवस्था के अंतर्गत, कानून के अनुपालन का दायित्व करदाता पर है। विभाग की भूमिका निगरानी प्रदान करने के लिए एक कुशल कर व्यवस्था तंत्र स्थापित करना एवं उसे बनाए रखना है। सीमित संसाधनों के साथ, एक प्रभावी कर प्रशासन हेतु, कानून के अनुपालन और राजस्व के संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए एक कुशल शासन तंत्र आवश्यक है। एक सूचना प्रौद्योगिकी संचालित अनुपालन मॉडल, शासन के गैर-विवेकाधीन व्यवस्था को पैमाने पर बनाए रखने में सक्षम बनाता है एवं अनुपालन को लागू करने के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है।

बाह्य लेखापरीक्षा के परिप्रेक्ष्य में, लेखापरीक्षा ने डेटा संचालित जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पर भी ध्यान केन्द्रित किया। इसप्रकार, अखिल राज्य डेटा विश्लेषण के माध्यम से जीएसटी विवरणियों में विसंगतियों/विचलनों की पहचान करने के अलावा इस विषय केन्द्रित अनुपालन लेखापरीक्षा के भाग के रूप में जीएसटी विवरणियों की एक विस्तृत लेखापरीक्षा की गई। इस भाग के लिए 25 करदाताओं का एक जोखिम आधारित नमूना चयनित किए गया था। संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों, विसंगतियों/विचलनों एवं खतरों की पहचान के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली की शुरुआत में करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए जीएसटी विवरणियों एवं वित्तीय विवरणों जो कि जीएसटीआर 9सी का एक भाग है, और बैक-एंड सिस्टम में उपलब्ध अन्य अभिलेखों की एक डेस्क समीक्षा करनी थी। डेस्क समीक्षा, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़ के कार्यालय में की गई। पहचान किए गए जोखिमों के कारणों का पता लगाने के लिए एवं करदाताओं द्वारा किए गए अनुपालनों के मूल्यांकन के लिए डेस्क समीक्षा के परिणाम के आधार पर राज्य कर विभाग के क्षेत्र संरचनाओं में करदाताओं से संबंधित जरूरी अभिलेख जैसे वित्तीय लेजर, बीजकों आदि की मांग कर विस्तृत लेखापरीक्षा की गई।

जैसा कि पूर्व कंडिकाओं में उल्लेखित है कि विस्तृत लेखापरीक्षा में शामिल जोखिमों और खतरों की पहचान हेतु जीएसटी विवरणियों एवं अन्य बुनियादी अभिलेखों की एक डेस्क समीक्षा की गई, तत्पश्चात करदाताओं के गैर-अनुपालन एवं उसपर राज्य कर विभाग की क्षेत्र संरचनाओं द्वारा की गई कार्यवाही की जाँच हेतु विभाग में जाकर लेखापरीक्षा की गई। विभिन्न चरणों में करदाताओं द्वारा गैर-अनुपालन दाखिल की गई विवरणियों की सत्यता, आईटीसी की उपलब्धता/उपयोग एवं कर भुगतान के निर्वहन की सत्यता को प्रभावित करता है। इसलिए विस्तृत लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को तीन उप-श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है जिनपर आगे की कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

- विवरणियाँ
- आईटीसी का लाभ उठाना/उपयोग
- कर देयता का निर्वहन

विभाग ने अपने परिसर में लेखापरीक्षा हेतु जीएसटी पोर्टल पर राज्य कर विभाग के बैक-एंड सिस्टम (बीओवेब) एप्लिकेशन के माध्यम से लेखापरीक्षा को पहुंच प्रदान किया। लेखापरीक्षा के दलों ने विवरणियों के सत्यापन हेतु करदाताओं के चयनित नमूनों की विभिन्न विवरणियों को डाउनलोड किया।

कार्यक्षेत्र की सीमा

अभिलेखों की मांग और अनुवर्तन के बावजूद मूल्यांकन करने वाले वृत्तों ने जोखिम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए पहचान किए गए 25 चयनित प्रकरणों में से पाँच प्रकरणों (20 प्रतिशत) करदाताओं के विस्तृत (ग्रेनुलर) अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं

किया। फलस्वरूप, लेखापरीक्षा को करदाताओं द्वारा दाखिल की गई विवरणियों में उपलब्ध जानकारी तक सीमित होना पड़ा। क्षेत्राधिकार-वार अप्रस्तुत अभिलेखों का विवरण **तालिका 5.1.5** में दी गई है।

तालिका 5.1.5 अभिलेखों प्रस्तुत नहीं किया जाना

क्षेत्राधिकार	करदाताओं का नमूना	अभिलेख/जवाब प्रस्तुत नहीं करने वाले करदाताओं की संख्या
संआ०, वृत्त-1, रायपुर	1	1
संआ०, वृत्त-3, रायपुर	2	1
संआ०, वृत्त-7, रायपुर	4	3
कुल	7	5

उपरोक्त पाँच प्रकरणों में जिनमें अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, ₹ 10.67 करोड़ की आईटीसी/करदेयता का अंतर था (**परिशिष्ट 5.1.8**)। इन प्रकरणों में यहाँ तक कि बुनियादी अभिलेख जैसे वित्तीय विवरण, जीएसटीआर 9सी इत्यादि भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके चलते इनकी लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (सितंबर 2022 से दिसम्बर 2022) विभाग ने (सितंबर 2023) उत्तर दिया कि ₹ 8.86 करोड़ के लिए तीन³⁰ प्रकरणों में एएसएमटी 10 जारी किया जा रहा है तथा अन्य दो³¹ प्रकरणों में आगे की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

5.1.9.1 विवरणियाँ

विवरणियों की विस्तृत लेखापरीक्षा में कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना, डेटा प्रविष्टि त्रुटियों, जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं किया जाना, इत्यादि सामने आए जो नीचे दिये गए हैं:

(ए) ब्याज का भुगतान न करना

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 यह निर्धारित करती है कि इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है लेकिन निर्धारित अवधि में सरकार को कर अथवा उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है तो जिस अवधि के लिए कर अथवा उसका कोई भाग बकाया रहता है उस अवधि के लिए अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

जीएसटीआर 3बी में भुगतान किए गए कर का ब्यौरा और इस विवरणी को दाखिल करने की तिथि को संज्ञान में लेते हुए वर्ष 2017-18 के दौरान कर के विलंबित प्रेषण के कारण ब्याज के कम भुगतान की पहचान की गई। देय ब्याज की गणना हेतु केवल शुद्ध कर देयता (नकद भाग) पर विचार किया गया।

लेखापरीक्षा ने चयनित 25 प्रकरणों में से 11 प्रकरणों (44 प्रतिशत) में पाया कि करदाताओं ने या तो अपनी विवरणी देर से दाखिल की थी जिसके कारण करदेयता का भुगतान विलंब से हुआ या उन्होंने गलत तरीके से ज्यादा आईटीसी लिया/उपयोग

³⁰ संआ० वृत्त-7 रायपुर (GSTIN:22AAECG3780C1Z1, 22AAACB8316K1ZV, 22AAACU5552C1ZT)

³¹ संआ० वृत्त-1 रायपुर (GSTIN:22AAJCS4517L1Z8) और संआ० वृत्त-3, रायपुर (GSTIN 22AACCR7832C1ZR)

किया जिसे वापस किया गया परंतु ₹ 0.28 करोड़ ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। (परिशिष्ट 5.1.9)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (सितंबर 2022 से दिसम्बर 2022), वृत्त कार्यालयों ने उत्तर दिया कि आठ³² प्रकरणों में ₹ 0.04 करोड़ ब्याज का भुगतान किया जा चुका है और अन्य तीन³³ प्रकरणों में एसएमटी 10 जारी किया जा रहा है। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

उदाहरणस्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया है:

वृत्त-7, रायपुर के एक करदाता जिसका GSTIN: 22AAACB8316K1ZV है, के प्रकरण में जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के जीएसटीआर 3बी विवरणियों की समीक्षा करने पर पाया गया कि करदाता द्वारा देय कर का भुगतान 20 से 356 दिनों के विलंब के साथ किया गया है। तथापि, करदाता द्वारा कर देयता के विलंबित भुगतान पर ₹ 0.19 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था।

इंगित किए जाने पर (नवंबर 2022), विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि एसएमटी 10 जारी किया जा रहा है। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

(बी) जीएसटीआर 3बी विवरणी के विलंबित दाखिले पर शून्य/कम विलंब शुल्क का भुगतान

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 47(1) में यह प्रावधान है कि कोई भी पंजीकृत करयोग्य व्यक्ति जो धारा 39 अथवा धारा 45 के अंतर्गत, देय तिथि तक आवश्यक विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो वह उस अवधि के लिए जिसमें ऐसी विफलता जारी रहती है, के लिए प्रतिदिन ₹ 100, अधिकतम ₹ 5000 तक विलंब शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा अधिसूचना संख्या 64/2017-सीटी, दिनांक 15 नवंबर 2017 द्वारा, ऐसे करदाता जिनकी करदेयता शून्य है, के लिए विलंब शुल्क को घटाकर ₹ 20 प्रतिदिन तथा अन्य करदाताओं के लिए ₹ 50 प्रतिदिन कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने चयनित 25 प्रकरणों में से नौ प्रकरणों (36 प्रतिशत) में पाया कि करदाताओं ने वर्ष 2017-18 की कर अवधि के लिए प्रत्येक महीने की उक्त विवरणी को 1 से 460 दिनों के विलंब से दाखिल किया था। इसलिए, ऐसे सभी करदाता विलंबित विवरणियों के दाखिले पर ₹ 1.19 लाख विलंब शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे (परिशिष्ट 5.1.10)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (अक्तूबर 2022 से जनवरी 2023), वृत्त कार्यालयों ने उत्तर दिया कि छः³⁴ करदाताओं ने लेखापरीक्षा के दौरान ₹ 0.30 लाख विलंब शुल्क का भुगतान किया था। विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि दो³⁵ प्रकरणों में एसएमटी 10 जारी किया जा रहा है तथा एक³⁶ प्रकरण में आगे की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

³² स०आ० वृत्त-मनेन्द्रगढ़: 2 प्रकरण, स०आ० वृत्त-2, रायपुर, स०आ० वृत्त-4, रायपुर, स०आ० वृत्त-8, रायपुर, स०आ० वृत्त-9, रायपुर: 2 प्रकरण और स०आ० वृत्त-2, रायगढ़।

³³ स०आ० वृत्त-7, रायपुर : 2 प्रकरण एवं स०आ० वृत्त-9, रायपुर

³⁴ स०आ० वृत्त- धमतरी, स०आ० वृत्त-2, जगदलपुर, स०आ० वृत्त-7, रायपुर, स०आ० वृत्त-9, रायपुर: 2 प्रकरण और स०आ० वृत्त-राजनन्दगाँव।

³⁵ स०आ० वृत्त-7, रायपुर: 2 प्रकरण

³⁶ स०आ० वृत्त-3, रायपुर

(सी) आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियाँ

लेखापरीक्षा ने चयनित 25 प्रकरणों में से चार प्रकरणों (16 प्रतिशत) में पाया कि करदाताओं ने जीएसटी विवरणियाँ दाखिल करते समय ₹ 4.76 करोड़ (परिशिष्ट 5.1.11) की आंकड़ा प्रविष्टि संबंधित त्रुटियाँ की थीं। करदाताओं द्वारा की गई ये त्रुटियाँ मुख्य रूप से जीएसटीआर 1/जीएसटीआर 3बी में करयोग्य मूल्य, कर देयता, कर भुगतान, आईटीसी के उपभोग आदि जैसे क्षेत्रों से संबंधित थीं।

उदाहरणस्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया है:

जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 9 विवरणियों की जाँच करने पर लेखापरीक्षा ने पाया कि वृत्त-2, कोरबा के एक करदाता जिसका GSTIN: 22AAACB8316K1ZV है, के प्रकरण में करदाता ने वार्षिक विवरणी में घोषित (जीएसटीआर 9 की तालिका 6जे) आईटीसी की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ₹ 1.33 करोड़ अतिरिक्त आईटीसी का उपयोग दिखाया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2022), विभाग ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2022) कि करदाता ने गलती से वस्तु के आयात पर के आईटीसी और आरसीएम के तहत आईटीसी को ₹ 4.51 करोड़ के बजाय ₹ 3.18 करोड़ प्रतिवेदित किया था।

5.1.9.2 आईटीसी की उपलब्धता/उपयोग

आईटीसी का अर्थ है एक करयोग्य व्यक्ति द्वारा वस्तु/सेवाओं के क्रय पर भुगतान किया गया जीएसटी जिसका उपयोग व्यवसाय के दौरान आगे किया जाएगा। करों के व्यापक प्रभाव से बचने के लिए आवक आपूर्ति पर भुगतान किए गए करों के क्रेडिट का उपयोग जावक आपूर्ति पर करों के भुगतान के निस्तारण हेतु किया जा सकता है।

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16, करदाता को वस्तु/सेवाओं अथवा दोनों की किसी भी आपूर्ति पर आईटीसी का लाभ लेने की अनुमति प्रदान करती है जिसका उपयोग व्यवसाय के दौरान आगे करने का इरादा है।

अत्यधिक आईटीसी का लाभ लेने, अपात्र आईटीसी का लाभ लेने, आईटीसी का शून्य/कम वापसी (रिवर्सल) और असमायोजित आईटीसी से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष और विसंगतियाँ नीचे दी गई हैं:

(ए) अत्यधिक आईटीसी लिया जाना

I. ऐसे प्रकरण जहाँ ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए

चयनित 25 प्रकरणों में से पाँच प्रकरणों में (20 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि ग्रेनुलर अभिलेख प्रदान नहीं करने के कारण ₹ 1.71 करोड़ के आईटीसी लेने में पाई गई भिन्नताओं की विस्तृत जाँच नहीं की जा सकी (परिशिष्ट 5.1.12)।

आकड़ें जीएसटीआर 9/जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 2ए से निकाले गए थे और आपूर्तिकर्ता करदाताओं के विवरण के अनुसार भुगतान किए गए आईटीसी को करदाता द्वारा लाभ लिए गए आईटीसी क्रेडिट के साथ मिलान किया गया और सभी संशोधनों के साथ जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी की तुलना जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए(5) में लिए गए आईटीसी से जिसमें तालिका 4बी (2) के वापसी को तथा अगले वर्ष 2018-19 में जीएसटीआर 9 की तालिका 8सी से लिए गए आईटीसी को भी शामिल किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (सितंबर 2022 से जनवरी 2023), विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि तीन प्रकरणों में एएसएमटी 10 जारी किया जा रहा है तथा

एक प्रकरण में इसे जारी किया जा चुका है। शेष एक प्रकरण में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

उदाहरणस्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया है:

वृत्त-मनेन्द्रगढ़ के अंतर्गत GSTIN: 22AAJCA1886E1ZV वाले एक करदाता, के प्रकरण में वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा के दिनांक (दिसम्बर 2022) तक जीएसटीआर 2ए में आईटीसी ₹ 3.64 करोड़ था जबकि वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए जीएसटीआर 3बी में लिए गया आईटीसी ₹ 4.84 करोड़ था। इसप्रकार, ₹ 1.19 करोड़ अधिक आईटीसी लिया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2022) विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि एएसएमटी 10 जारी किया जा चुका है। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

II. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त हुए

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित 25 प्रकरणों में से एक प्रकरण (4 प्रतिशत) में ₹ 0.56 करोड़ अधिक आईटीसी लिया गया, जिसमें वृत्त-9, रायपुर के अंतर्गत GSTIN: 22AUHPS9016R1ZY वाले करदाता का वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए जीएसटीआर 2ए से अलग एवं जीएसटीआर 2ए में आईटीसी ₹ 2.58 करोड़ था जबकि वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए जीएसटीआर 9 की तालिका (6बी+8सी-7एच) ₹ 3.14 करोड़ आईटीसी दर्शा रही थी। इसप्रकार, ₹ 0.56 करोड़ अधिक आईटीसी लिया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2022) विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि एएसएमटी 10 जारी किया जा रहा है। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

(बी) अपात्र आईटीसी लिया जाना

ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त हुए

चयनित 25 प्रकरणों में से एक प्रकरण में (4 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2022) कि करदाता ने ₹ 0.30 करोड़ अपात्र आईटीसी लिया था। वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लिए गए आईटीसी का व्यवसाय को आगे बढ़ाने में उपयोग नहीं करने के कारण यह कमी हुई थी, जो नीचे दी गई है:

वृत्त-अम्बिकापुर के अंतर्गत GSTIN: 22DKRPK4609F1Z5 वाले एक करदाता के प्रकरण में आवक आपूर्ति पर लिए गए आईटीसी और जावक आपूर्ति पर कर के भुगतान के मध्य व्यापक भिन्नता थी। पूछे जाने पर (21 दिसम्बर 2022), वृत्त अधिकारी ने (22 दिसम्बर 2022) कहा कि करदाता का व्यवसाय परिवहन एवं इसके हैंडिलिंग ठेकेदार का है। परिवहन के व्यवसाय में जीएसटी आरसीएम आधार पर है जबकि हैंडिलिंग में जीएसटी समान्य आधार पर है।

लेखापरीक्षा ने ग्रेनुलर अभिलेख में आगे यह पाया कि करदाता ने ₹ 0.30 करोड़ आईटीसी पूंजीगत वस्तुओं तथा उन पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित इनपुट पर प्राप्त किया था जो विशेष रूप से जीटीए सेवा से संबंधित थी, जिस पर आरसीएम आधार पर सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा कर देयता का निर्वहन किया गया था। अतः आईटीसी का लाभ लेना अनियमित था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (26 दिसम्बर 2022) वृत्त अधिकारी ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2022) कि करदाता ने तत्काल प्रश्न पूछे जाने के जवाब में दिनांक 26 दिसम्बर 2022 को ₹ 0.30 करोड़ अपात्र आईटीसी को डीआरसी 03 के माध्यम से

वापस कर दिया था। हालांकि, विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि वसूली विभाग द्वारा विवरणियों की जाँच के दौरान जारी एसएमटी 10 (वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 2ए के बीच के आईटीसी के अंतर से संबंधित) के जवाब में हुई थी और लेखापरीक्षा द्वारा यह भी पाया गया कि करदाता ने डीआरसी 03 में कारण बताओ नोटिस का विवरण और उसके कारणों का उल्लेख नहीं किया था। अतः इसे समायोजित किया जा सकता है।

(सी) आईटीसी का शून्य/कम रिवर्सल

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17(2) सह-पठित सीजीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 42 और 43 कहता है कि जब किसी पंजीकृत करदाता द्वारा वस्तु या सेवाओं या दोनों का उपयोग आंशिक रूप से शून्य-दर आपूर्ति को शामिल करते हुए करयोग्य आपूर्ति के लिए और आंशिक रूप से छूट प्राप्त आपूर्ति के लिए किया जाता है तो क्रेडिट की राशि इनपुट कर के उस हिस्से तक सीमित होगी जो शून्य-दर आपूर्ति को शामिल करते हुए करयोग्य आपूर्ति के लिए देय है।

I. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए

लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित 25 प्रकरणों में से चार प्रकरणों (16 प्रतिशत) में ₹ 1.68 करोड़ आईटीसी का शून्य/कम रिवर्सल किया गया जिसका लाभ निरंक दर/छूट प्राप्त आपूर्ति के लिए लिया गया था (परिशिष्ट 5.1.13)।

इंगित किए जाने पर (नवम्बर 2022) विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि सभी प्रकरणों में एसएमटी 10 जारी किया जा रहा है। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

उदाहरणस्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया है:

वृत्त-7, रायपुर के अंतर्गत GSTIN: 22AAACU5552C1ZT वाले एक करदाता, के विवरणियों की जाँच करने पर लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता का कुल टर्नओवर ₹ 365.21 करोड़ था तथा छूट प्राप्त टर्नओवर ₹ 61.92 करोड़ था। करदाता ने ₹ 12.85 करोड़ आईटीसी भी लिया था। सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 42 का प्रयोग करते हुए करदाता को ₹ 2.18 करोड़ आईटीसी को रिवर्स करना था पर वास्तव में ₹ 0.72 करोड़ आईटीसी रिवर्स किया गया। इसप्रकार, कर योग्य एवं शून्य/छूट वाली आपूर्ति के लिए सामान्य इनपुट के बदले ₹ 1.46 करोड़ आईटीसी कम रिवर्सल हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (नवम्बर 2022) विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि एसएमटी 10 जारी किया जा रहा है। आगे उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

II. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त हुए

लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित 25 प्रकरणों में से एक प्रकरण (4 प्रतिशत) में सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 42 के गलत प्रयोग करने के कारण एक करदाता ने ₹ 0.94 करोड़ आईटीसी वापस नहीं किया था जैसे कि नीचे दिया गया है:

वृत्त-7, रायपुर के अंतर्गत GSTIN:22AAECA9783D2ZP वाले एक करदाता, के विवरणियों और ग्रेनुलर अभिलेखों की में लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता का कुल टर्नओवर ₹ 341.03 करोड़ था तथा छूट प्राप्त टर्नओवर ₹ 58.61 करोड़ था। करदाता ने ₹ 4.27 करोड़ आईटीसी भी लिया था। सीजीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 42 का प्रयोग करते हुए करदाता को ₹ 0.94 करोड़ आईटीसी को वापस करना था परंतु कोई

आईटीसी वापस नहीं किया गया। इसप्रकार, कर योग्य एवं शून्य/छूट वाली आपूर्ति के लिए सामान्य इनपुट के बदले ₹ 0.94 करोड़ आईटीसी का रिवर्सल नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (नवम्बर 2022) विभाग ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2022) कि करदाता ने 14 दिसम्बर 2022 को डीआरसी 03 के माध्यम से ₹ 0.94 करोड़ आईटीसी वापस कर दिया है।

(डी) जीएसटीआर 9सी की तालिका 12एफ के अनुसार असमायोजित आईटीसी

ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए

चयनित 25 प्रकरणों में से एक प्रकरण में (4 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि वृत्त-3, रायपुर के तहत GSTIN: 22AACCR7832C1ZR वाले एक करदाता के वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण में ₹ 0.32 करोड़ के आईटीसी में भिन्नता थी, जिसका लाभ करदाता ने लिया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2022) विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि प्रकरण में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

5.1.9.3 कर देयता का निर्वहन

सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9, भारत धारा है जो मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर, राज्य के भीतर वस्तु या सेवाओं या दोनों की सभी आपूर्तियों पर राज्य/केंद्र को वस्तु एवं सेवा कर नामक कर आरोपण एवं संग्रहण करने को अधिकृत करती है। उक्त अधिनियम की धारा 15 के तहत निर्धारित मूल्य पर और प्रत्येक अधिनियम यानी सीजीएसटी अधिनियम और सीजीजीएसटी अधिनियम के तहत 20 प्रतिशत से अधिक नहीं की दर है। आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5 के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर अधिकतम 40 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी के आरोपण एवं संग्रहण का अधिकार केंद्र सरकार में निहित है।

वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 की धारा 8 के तहत ऐसे वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की सभी अंतर्राज्यीय एवं राज्यों के भीतर की आपूर्तियों पर एक उपकर लगाया जाता है जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं जैसे तंबाकू उत्पाद, वातित पेय, सिगरेट, वाहन आदि। सीजीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) एवं 9(4) और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5(3) एवं 5(4) में कुछ वस्तुओं या सेवाओं पर आरसीएम आधार पर कर आरोपित करने का प्रावधान है जिसमें आपूर्तिकर्ता के बजाय प्राप्तकर्ता कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।

कर देनदारियों के निर्वहन से संबन्धित पायी गई लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं विसंगतियां नीचे दी गई हैं:

(ए) कर का कम भुगतान

I. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए

चयनित 25 प्रकरणों में से तीन प्रकरणों में (12 प्रतिशत) लेखापरीक्षा ने पाया कि कर देनदारियों और आरसीएम के अलावा भुगतान किए गए कर में ₹ 6.74 करोड़ की विसंगति थी (परिशिष्ट 5.1.14)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2022 से नवंबर 2022), विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि दो प्रकरणों में एएसएमटी 10 जारी किया जा रहा है एवं शेष एक प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आगे उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

उदाहरण स्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया है:

वृत्त-7, रायपुर के अंतर्गत GSTIN: 22AAACB8316K1ZV वाले करदाता के वर्ष 2017-18 के जीएसटीआर 1 में ₹ 2.84 करोड़ की कर देयता और जीएसटीआर 9 में ₹ 1.44 करोड़ के कर भुगतान के मध्य भिन्नता थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.40 करोड़ कर का कम भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (नवम्बर 2022) विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि एएसएमटी 10 जारी किया जा रहा है। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

II. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त हुए

लेखापरीक्षा ने चयनित 25 प्रकरणों में से तीन प्रकरणों (12 प्रतिशत) में ₹ 2.35 करोड़ (₹ 1.07 करोड़ के ब्याज सहित) की कर देयता के कम भुगतान की अनुपालन कमियां पाई (परिशिष्ट 5.1.15)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (सितंबर 2022 से जनवरी 2023), वृत्त कार्यालयों ने सूचित किया कि दो प्रकरणों में लेखापरीक्षा के कहने पर ₹ 0.02 करोड़ की वसूली हो चुकी है और विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि एक³⁷ प्रकरण में एएसएमटी 10 जारी किया जा चुका है। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

उदाहरणस्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया है:

वृत्त-2, जगदलपुर के अंतर्गत GSTIN: 22AAHCS4137L1ZA वाले करदाता के पास वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए ₹ 2.32 करोड़ की कर देयता (जीएसटीआर 9 की तालिका 4एन-4जी+10-11) और ₹ 1.06 करोड़ के कर भुगतान के मध्य भिन्नता थी परिणामस्वरूप ₹ 1.07 करोड़ ब्याज के साथ ₹ 1.26 करोड़ कर का कम भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित (जनवरी 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि एएसएमटी 10 जारी किया जा चुका है। आगे उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

(बी) वार्षिक विवरणियों एवं वित्तीय विवरणों के मध्य घोषित असमायोजित कर भुगतान (जीएसटीआर 9सी की तालिका 9आर)

जीएसटीआर 9सी की तालिका 9आर वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 में घोषित कर भुगतान एवं लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के मध्य समायोजन को दर्शाता है।

I. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त नहीं हुए

लेखापरीक्षा ने चयनित 25 प्रकरणों में से दो प्रकरणों में (8 प्रतिशत) पाया कि विवरणी जीएसटीआर 9सी की तालिका 9आर एवं लेखा पुस्तकों के मध्य कर भुगतान में ₹ 1.41 करोड़ की भिन्नता थी (परिशिष्ट 5.1.16)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (सितंबर 2022 से नवम्बर 2022 के मध्य) विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि एक प्रकरण में एएसएमटी 10 जारी किया जा रहा है और शेष एक प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

उदाहरणस्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया है:

वृत्त-7, रायपुर के अंतर्गत GSTIN: 22AAACB8316K1ZV वाले करदाता की विवरणी जीएसटीआर 9सी की तालिका 9आर एवं लेखा पुस्तकों के मध्य कर भुगतान में ₹ 1.37 करोड़ की भिन्नता थी।

³⁷ स०आ० वृत्त-2, जगदलपुर (GSTIN:22AAHCS4137L1ZA)

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (नवम्बर 2022) विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि एएसएमटी 10 जारी किया जा रहा है। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

II. ऐसे प्रकरण जहां ग्रेनुलर अभिलेख प्राप्त हुए

चयनित 25 प्रकरणों में से एक प्रकरण (4 प्रतिशत) में लेखापरीक्षा ने पाया कि वृत्त-9, रायपुर के अंतर्गत GSTIN: 22AUHPS9016R1ZY वाले एक करदाता ने आरसीएम के तहत राशि ₹ 0.48 करोड़ कर का भुगतान नहीं किया था जो ₹ 0.40 करोड़ के ब्याज के साथ वसूली योग्य है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2022) विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि एएसएमटी 10 जारी किया जा रहा है। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2024)।

अनुशंसा सं. 3: विभाग देखे गए अनुपालन विचलन के लिए सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कर सकता है।

5.1.10 निष्कर्ष

जीएसटी भुगतान एवं विवरणियों के दाखिले पर विभाग की निगरानी नामक विषय केन्द्रित अनुपालन लेखापरीक्षा, विवरणियों के दाखिले की बदलती प्रवृत्ति और आकड़ों की निरंतर विसंगतियों के संदर्भ में की गई थी, जिसका उद्देश्य विवरणियों के दाखिले और कर भुगतान की निगरानी, अनुपालन की सीमा और अन्य विभागीय निरीक्षण कार्यों में प्रणाली की पर्याप्तता का आकलन करना था।

यह विषय केन्द्रित अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से आंकड़ा विश्लेषण पर आधारित था जिसने वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए दाखिल जीएसटी विवरणियों में जोखिम क्षेत्रों, संभावित खतरों और कुछ प्रकरणों में नियम आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों को उजागर किया। इस विषय केन्द्रित अनुपालन लेखापरीक्षा में राज्य कर विभाग के निरीक्षण कार्यों को दो स्तरों पर आकलन करना शामिल था अर्थात् आकड़ों के स्तर पर वैश्विक आकड़ों के प्रश्नों के माध्यम से और कार्यात्मक स्तर पर वृत्तों एवं जीएसटी विवरणियों की गहन विस्तृत लेखापरीक्षा के साथ, जिसमें करदाता के अभिलेखों तक पहुँचना भी निहित था। अतः लेखापरीक्षा के नमूने में 10 वृत्त, वैश्विक प्रश्नों के माध्यम से चयनित 13 मापदण्डों में 532 उच्च मूल्य वाली विसंगतियाँ और वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी विवरणियों की विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए जोखिम मूल्यांकन पर चयनित 25 करदाता शामिल थे।

विभाग ने मार्च 2022 में विवरणियों की जाँच के लिए एक एसओपी तैयार करने के बाद, हाल ही में वर्ष 2017-18 के लिए विवरणियों की जाँच शुरू की है। अब तक विभाग द्वारा प्रभावी तरीके से विवरणियों की जाँच नहीं की गई थी। 10 वृत्तों के अभिलेखों की समीक्षा में विवरणियों की जाँच की धीमी गति या जाँच का शुरू न होना, जीएसटीआर 10 दाखिल न करने वालों के विरुद्ध अपर्याप्त अनुवर्ती कार्यवाही और पंजीयन निरस्तीकरण में देरी का पता चला।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा पहचानी गई 532 उच्च मूल्य वाली विसंगतियों में से सभी में विभाग ने उत्तर प्रस्तुत किया। इनमें से 203 प्रकरण जो कुल का 38.15 प्रतिशत हैं, उनमें ₹ 245.91 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ अनुपालन कमियाँ सामने आईं। ब्याज के कम/शून्य भुगतान, आईटीसी भिन्नता, अधिक आरसीएम आईटीसी लिए जाने और कर के कम भुगतान करने में अपेक्षाकृत अधिक कमियाँ देखी गईं। जबकि आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियाँ 17.11 प्रतिशत प्रकरणों में विसंगतियों का कारण बनी और 12.78 प्रतिशत प्रकरणों में विभाग ने पहले ही सक्रिय कार्रवाई कर ली थी।

जीएसटी विवरणियों की विस्तृत लेखापरीक्षा से महत्वपूर्ण गैर-अनुपालन का भी पता चला। प्रारम्भ में 25 करदाताओं के नमूने में से पाँच प्रकरणों में आवश्यक अभिलेख जैसे वितीय विवरण, जीएसटीआर 9सी, जीएसटीआर 2ए एवं अन्य अपेक्षित आधारभूत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके चलते लेखापरीक्षा का दायरा काफी सीमित हो गया। ये प्रकरण आईटीसी लाभ और कर भुगतान में पहचानी गई विसंगतियों के कारण ₹ 10.67 करोड़ राशि का संभावित जोखिम को दर्शाते हैं। 20 करदाताओं की विवरणियाँ/आधारभूत अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई और लेखापरीक्षा ने ₹ 6.53 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ 28 अनुपालन कमियाँ भी पायी गई। इनके मुख्य कारण अपात्र/अधिक आईटीसी लेना, और आईटीसी का शून्य/कम रिवर्सल, कर का कम भुगतान और ब्याज/विलंब शुल्क का शून्य/कम भुगतान थे।

अनुपालन कमियों की महत्वपूर्ण दर को ध्यान में रखते हुए उनके समयबाधित होने से पहले विभाग को सुधारात्मक उपाय शुरू करने चाहिए थे। एक व्यवस्थित दृष्टिकोण से विभाग को दस्तावेजीकरण की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने और विवरणियों के दाखिल करने, करदाता अनुपालन, पंजीयन निरस्तीकरण और त्रुटिकर्ताओं से बकाया की वसूली पर प्रभावी निगरानी स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए वृत्तों में संस्थागत तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

5.1.11 अनुशंसायें

1. प्रकरणों के समय बाधित होने से पहले विभाग समयबद्ध तरीके से विवरणियों की जाँच सुनिश्चित कर सकता है।
2. विभाग अप्राप्त कर देयताओं की जांच के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंजीयन रद्द करने की स्थिति और उसपर की गई कार्रवाई की निगरानी कर सकता है।
3. विभाग पाये गए अनुपालन विचलन के लिए सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कर सकता है।

भाग 3— सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

अध्याय 6

अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय 6

अनुपालन लेखापरीक्षा

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

6.1 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में उपभोक्ता बिलिंग और संग्रहण दक्षता

6.1.1 प्रस्तावना

विद्युत, तीव्र आर्थिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन का एक प्रमुख वाहक है, अतः समय विकास के लिए इसकी आपूर्ति आवश्यक है, साथ ही उद्योगों को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रतिस्पर्धी दर पर प्रदान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई भी विद्युत वितरण कंपनी (डिस्कॉम) को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और वित्तीय रूप से सुदृढ़ होने की आवश्यकता है। किसी डिस्कॉम की वित्तीय स्थिरता मुख्य रूप से बिलिंग, संग्रहण और वितरण हानि को कम करने की दक्षता पर निर्भर करती है।

छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत का वितरण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (कंपनी) के द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के विघटन के परिणामस्वरूप कंपनी का गठन जनवरी 2009 में हुआ था। 31 मार्च 2022 की स्थिति में कंपनी संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में 60.27 लाख उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करती है।

6.1.2 संगठनात्मक संरचना

कंपनी, छत्तीसगढ़ शासन (जीओसीजी) के ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इसका प्रबंधन निदेशक मंडल (बीओडी) द्वारा किया जाता है जिसका नेतृत्व एक प्रबंध निदेशक और चार अन्य निदेशक करते हैं। प्रबंध निदेशक (एमडी) कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कामकाज निष्पादित करता है। क्षेत्रीय इकाइयों की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की निगरानी कार्यपालन निदेशक, संचालन एवं संधारण तथा राजस्व द्वारा मुख्यालय स्तर पर की जाती है। मैदानी गतिविधियों का निष्पादन, संबंधित क्षेत्र के कार्यपालन निदेशक/मुख्य अभियंता के पर्यवेक्षण में अधीक्षण अभियंताओं द्वारा संचालित सर्किल कार्यालयों तथा कार्यपालन अभियंताओं द्वारा संचालित कार्यान्वयन इकाइयों (संभागों) द्वारा किया जाता है। कंपनी की मैदानी इकाइयों को 8 क्षेत्रों, 18 सर्किलों और 64 संभागीय कार्यालयों में विभाजित किया गया है जो राज्य भर में स्थित हैं।

6.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

अनुपालन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए आयोजित की गई थी कि क्या:

- विद्युत की आपूर्ति, वितरण एवं विक्रय का शत-प्रतिशत लेखांकन एवं बिलिंग, विद्युत सप्लाई कोड एवं टैरिफ आदेशों के प्रावधानों के अनुसार किया गया; एवं
- वर्तमान वर्ष के दौरान जारी किए गए देयकों एवं विगत वर्षों के बकाया का शत-प्रतिशत संग्रहण प्रभावी एवं कुशल रीति से किया गया।

6.1.4 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा उद्देश्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए निम्नलिखित स्रोतों को लेखापरीक्षा मापदंड के रूप में अपनाया गया था:

- विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम),
- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत सप्लाई कोड, 2011 (विद्युत सप्लाई कोड, 2011) यथा समय-समय पर संशोधित,
- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) द्वारा जारी विद्युत टैरिफ आदेश,
- कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों का कार्यवृत्त,
- कंपनी द्वारा जारी परिपत्र/आदेश,
- ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) और ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन (जीओसीजी) और सीएसईआरसी द्वारा जारी आदेश/दिशानिर्देश/परिपत्र/निर्देश।

6.1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा का संपादन विगत पाँच वर्षों 2017-18 से 2021-22 की अवधि को सम्मिलित करते हुए जून 2022 से दिसंबर 2022 तक किया गया था। लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय और छह सर्किल (ओ एंड एम सर्किल कार्यालय) के दस्तावेजों का निरीक्षण करना सम्मिलित था। छत्तीसगढ़ राज्य में कंपनी के 18 सर्किल कार्यालय हैं। आईडिया सॉफ्टवेयर का उपयोग करके यादृच्छिक नमूनाकरण विधि के आधार पर कुल सर्किल कार्यालयों में से 33 प्रतिशत¹ का चयन किया गया है। चयनित सर्किल कार्यालयों और उसके संभागीय कार्यालयों का विवरण **परिशिष्ट-6.1.1** में दर्शाया गया है।

इसके अलावा, वर्ष 2017-18 से 2021-22 के प्रत्येक मार्च महीने की अवधि के बिलिंग आंकड़ों के अभिलेखों को विस्तृत जांच के लिए चयनित किया गया है। छः चयनित सर्किलों में कुल 844 हाई टेंशन (एचटी) उपभोक्ताओं में से 33 प्रतिशत एचटी उपभोक्ताओं (281 एचटी उपभोक्ता) के दस्तावेजों को विस्तृत जांच के लिए चुना गया।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष कंपनी एवं छत्तीसगढ़ शासन को जनवरी 2023 में प्रेषित किए गए थे और 22 अगस्त 2023 को आयोजित एक निर्गम बैठक में इस पर चर्चा की गई थी। बैठक में सचिव (ऊर्जा), छत्तीसगढ़ शासन और कंपनी के प्रबंध निदेशक ने भाग लिया था। निर्गम सम्मेलन के कार्यवाही विवरण एवं छत्तीसगढ़ शासन का उत्तर अक्टूबर 2023 में प्राप्त हुआ। उनके द्वारा निर्गम बैठक में व्यक्त किये गये विचार और छत्तीसगढ़ शासन के उत्तर पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय विचार किया गया है।

6.1.6 कंपनी में वितरण तंत्र

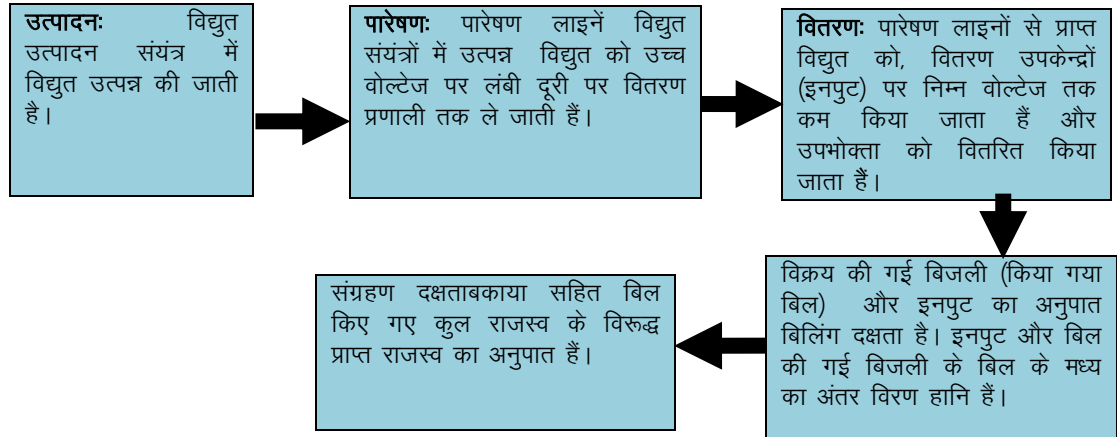
सभी श्रेणियों² के अंतर्गत 31 मार्च 2022 की स्थिति में कंपनी के कुल 60.27 लाख उपभोक्ता थे जिनका कनेक्टेड लोड 10,301.81 मेगा वाट (एमडब्ल्यू) था। वर्ष 2021-22 के दौरान अधिकतम भार एवं औसत भार क्रमशः 5,057 मेगावाट और 3,674 मेगावाट थे। कंपनी विद्युत सप्लाई कोड, 2011 के प्रावधानों और समय-समय पर जारी टैरिफ

¹ छः सर्किल कार्यालयों एवं 19 संभागीय कार्यालयों को चयनित किया गया।

² निम्न दाब (एलटी) श्रेणी में घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि, औद्योगिक एवं अन्य कनेक्शन तथा उच्च दबाव (एचटी) उपभोक्ता।

आदेश के अनुसार उपभोक्ताओं के मासिक बिल बनाती हैं। टैरिफ आदेशों को अंतिम रूप देते समय सीएसईआरसी कंपनी के लिए वितरण हानि के लिए लक्ष्य तय करता है, निर्धारित लक्ष्य से अधिक किसी भी हानि को कंपनी द्वारा वहन किया जाना है। कंपनी की वित्तीय स्थिरता मुख्य रूप से वितरण हानि को न्यूनतम और उनकी बिलिंग और संग्रहण दक्षता को अधिकतम करने पर निर्भर करती है। विद्युत वितरण प्रणाली में वितरण हानि³ का घटनाक्रम और बिलिंग/संग्रहण दक्षता **चार्ट 6.1.1** में दर्शाया गया है:

चार्ट 6.1.1: विद्युत वितरण की गतिविधि प्रक्रिया को दर्शाने वाला चार्ट



इनपुट इकाइयों के संबंध में कंपनी में बिलिंग और संग्रहण दक्षता की 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले विगत पांच वर्षों के दौरान की स्थिति **तालिका 6.1.1** में दर्शाया गया है:

तालिका 6.1.1: कंपनी में बिलिंग दक्षता, वितरण हानि एवं संग्रहण दक्षता की जानकारी दर्शानेवाला विवरण

वर्ष	क्रय की गई इकाइयों / ऊर्जा का इनपुट* मिलियन यूनिट में (एमयू)	विक्रय की गई इकाइयों (एमयू)	नष्ट हुई इकाइयों (एमयू)	इकाइयों की हानि (प्रतिशत)	बिलिंग दक्षता (प्रतिशत)	वर्ष के दौरान मांग (दावा की गई सब्सिडी सहित) (₹ करोड़ में)	वर्ष के आरंभ में बकाया ⁵ (₹ करोड़ में)	वर्ष के अंत में बकाया (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान दावा की गई सब्सिडी (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान प्राप्त सब्सिडी (₹ करोड़ में)	ऊर्जा विक्रय से प्राप्त सब्सिडी के आधार पर समायोजित राजस्व (₹ करोड़ में)	संग्रहण दक्षता (प्रतिशत)	कंपनी द्वारा रिपोर्ट की गई संग्रहण दक्षता (प्रतिशत में)
1	2	3	4(2-3)	5 (4/2)%	6(3/2) %	7	8	9	10	11	12(7-10 +11)	13((12+8-9)/7) %	14
2017-18	22,238.70	17,755.02	4,483.68	20.16	79.84	15,144.91	1,941.71	2,054.72	2,685.79	2,599.57	15,058.69	98.68	99.09
2018-19	23,475.07	19,040.36	4,434.71	18.89	81.11	16,110.32	2,397.55	2,933.77	2,314.42	2,141.42	15,937.32	95.60	96.11
2019-20	24,849.53	20,132.75	4,716.78	18.98	81.02	18,836.69	4,246.10	4,316.29	4,249.89	4,651.18	19,237.98	101.76	99.52
2020-21	25,424.20	20,842.22	4,581.98	18.02	81.98	17,818.20	4,316.29	5,405.67	3,787.37	4,194.84	18,225.67	96.17	92.24
2021-22	30,732.00	25,161.00	5,571.00	18.13	81.87	14,737.00	7,450.00	7,524.00	3,931.00	4,725.00	15,531.00	104.89	100.24

(स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित जानकारी)

- ³ वितरण हानियाँ कंपनी में प्राप्त ऊर्जा और कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को बिल की गई ऊर्जा के बीच का अंतर है।
- ⁴ एक किलोवाट घंटा (केडबल्यूएच) एक यूनिट विद्युत के बराबर है और 10 लाख यूनिट एक मिलियन यूनिट (एमयू) है। एमडबल्यू विद्युत संयंत्रों की उत्पादन क्षमता को दर्शाता है, इसकी उत्पादित विद्युत एमयू में मापी जाती है। एक मेगावाट क्षमता का संयंत्र एक घंटे में 1000 केडबल्यूएच विद्युत उत्पादन करता है और इसलिए 24 घंटों में यह 24000 यूनिट (1 मेगावाट x 24 घंटे x 1000 यूनिट) यानी 0.024 एमयू उत्पन्न करता है।
- ⁵ बकाया विद्युत शुल्क

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान, सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित 83.50 से 84 प्रतिशत की लक्षित सीमा के विरुद्ध बिलिंग दक्षता 79.84 प्रतिशत और 81.98 प्रतिशत के बीच थी। इसी प्रकार, संग्रहण दक्षता का प्रतिशत 99.66 प्रतिशत के लक्ष्य⁶ के विरुद्ध 95.60 और 104.89 के मध्य रहा। यह भी पाया गया कि कंपनी ने अपनी संग्रहण दक्षता की गणना के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्मूले को लागू नहीं किया। परिणामस्वरूप रिपोर्ट की गई संग्रहण दक्षता (-) 0.51 प्रतिशत से 4.65 प्रतिशत तक की त्रुटि थी।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान खरीदी गई इकाइयों/इनपुट ऊर्जा की लागत, नष्ट हुई इकाइयों और अप्राप्त इकाइयों की जानकारी **तालिका 6.1.2** में दी गई हैं।

तालिका 6.1.2: कंपनी में क्रय की गई इकाइयों/इनपुट ऊर्जा की लागत, नष्ट हुई इकाइयों और अप्राप्त इकाइयों की जानकारी को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	क्रय की गई इकाइयों/ऊर्जा का इनपुट (एमयू)	प्रति यूनिट दर (₹)	विक्रय की गई विद्युत की लागत (₹ करोड़ में)	विक्रय की गई इकाइयों (एमयू)	नष्ट हुई इकाइयों (एमयू)	नष्ट हुई इकाइयों की लागत (₹ करोड़ में)	सीएसईआरसी टैरिफ के अनुसार हानि के मानदंड (प्रतिशत में)	मानदंडों से अधिक नष्ट हुई इकाइयों (एमयू)	प्रति यूनिट विक्रय मूल्य (₹)	राजस्व की हानि (करोड़ में)	अप्राप्त राजस्व (₹ करोड़ में)	अप्राप्त इकाइयों (एमयू)
1	2	3	4(2 x 3)	5	6(2-5)	7(6 x 3)	8	9 {6- (2 x 8)%}	10	11(10 x 9)	12	13(12 / 10)
2017-18	22,238.70	3.83	8,517.42	17,755.02	4,483.68	1,717.25	16.50	814.29	7.11	578.96	199.91	281.17
2018-19	23,475.07	3.88	9,108.33	19,040.36	4,434.71	1,720.67	16.50	561.32	6.78	380.58	708.85	1,045.51
2019-20	24,849.53	3.94	9,790.71	20,132.75	4,716.78	1,858.41	16.50	616.61	6.58	405.73	-331.53	-503.84
2020-21	25,424.20	4.13	10,500.19	20,842.22	4,581.98	1,892.36	16.00	514.11	6.50	334.17	682.44	1,049.90
2021-22	30,732.00	3.76	11,555.23	25,161.00	5,571.00	2,094.70	16.00	653.88	7.00	457.72	-720.64	-1,029.48
योग	1,26,719.50		49,471.89	1,02,931.35	23,788.15	9,283.38		3,160.21		2,157.15		

(स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित जानकारी)

जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है, वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान कंपनी ने ₹ 49,471.89 करोड़ की लागत पर 1,26,719.50 एमयू इनपुट/क्रय किया, जिनमें से उपभोक्ताओं को ऊर्जा वितरण के दौरान ₹ 9,283.38 करोड़ मूल्य के 23,788.15 एमयू नष्ट हो गए। नष्ट हुई कुल इकाइयों में से 3,160.21 एमयू मानक से अधिक थी अन्यथा कंपनी को ₹ 2,157.15 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता। इसके अलावा, विक्रय की गई इकाइयों में से कंपनी, वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2020-21 के दौरान ₹ 1,591.20 करोड़⁸ मूल्य की 2,376.58 एमयू⁹ की वसूली नहीं कर सकी। कंपनी को वर्ष 2019-20 और 2021-22 के दौरान विक्रय की गई इकाइयों की वसूली हुई।

इसलिए, कंपनी को अपनी बिलिंग दक्षता¹⁰ में सुधार करना महत्वपूर्ण है ताकि इंजेक्ट/क्रय की गई इकाइयों और उपभोक्ताओं को बिल की गई इकाइयों के बीच अंतर को कम कर अपने वितरण हानि को कम करना है। इसके अलावा, कंपनी की

⁶ सीएसईआरसी के संग्रहण दक्षता के लक्ष्य के अभाव में उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) के लक्ष्य को बेंचमार्क लक्ष्य माना गया था।

⁷ तालिका 6.1.1 का कॉलम नं. 7 x (100-तालिका 6.1.1 का कॉलम 13)/100

⁸ ₹ 199.91 करोड़ + ₹ 708.85 करोड़ + ₹ 682.44 करोड़।

⁹ 281.17 एमयू + 1045.51 एमयू+1049.90 एमयू।

¹⁰ बिलिंग दक्षता उपभोक्ताओं को इंजेक्ट/आपूर्ति की गई बिजली की कुल इकाइयों के मुकाबले बेची/बिल की गई इकाइयों का अनुपात है।

वित्तीय स्थिरता के लिए बकाया सहित बिल की गई इकाइयों के विरुद्ध वसूली की प्रणाली को मजबूत करके संग्रहण दक्षता¹¹ में सुधार आवश्यक है।

लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

लेखापरीक्षा आपत्तियों पर आगामी कण्डिकाओं में चर्चा की गई है।

6.1.7 उपभोक्ता बिलिंग

संभावित उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन जारी करना, विद्युत का विक्रय, बिलिंग और विक्रय की गई इकाइयों के विरुद्ध राजस्व संग्रहण करना कंपनी की मुख्य गतिविधियाँ हैं। कंपनी की मैदानी इकाइयों की दक्षता समय पर नए कनेक्शन जारी करने, बिलिंग और राजस्व संग्रहण पर आधारित है। बिजली की बिलिंग सीएसईआरसी द्वारा जारी टैरिफ आदेशों और विद्युत सप्लाई कोड, 2011 में उल्लिखित प्रासंगिक नियमों और प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

6.1.7.1 वितरण हानि हेतु निर्धारित लक्ष्य से अधिक ऊर्जा की हानि

विद्युत ऊर्जा वितरण हानि में आपूर्ति के स्रोतों और वितरण बिंदुओं के बीच पारेषण में हानि और उपभोक्ताओं को वितरण करने के दौरान होने वाली हानि, चोरी सहित शामिल है। वितरण हानि के आंकड़े सीधे विद्युत के विक्रय और क्रय की मांगों को प्रभावित करते हैं और इस प्रकार विद्युत टैरिफ दरों को प्रभावित करते हैं जो कंपनी द्वारा तय की जाती हैं और सीएसईआरसी द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। वितरण प्रक्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा हानि से संबंधित चयनित छह सर्किलों के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि, सर्किल कार्यालयों महासमुंद, कवर्धा और जांजगीर-चांपा में ऊर्जा हानि सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित लक्ष्य¹² से अधिक थी। वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए ऊर्जा इनपुट, विक्रय की गई इकाइयों, नष्ट हुई इकाइयों और ऊर्जा हानि के प्रतिशत का विवरण तालिका 6.1.3 में दिया गया है और परिशिष्ट-6.1.2 में विस्तृत है।

तालिका 6.1.3: चयनित सर्किलों में बिलिंग दक्षता, वितरण हानि और सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अतिरिक्त हानि की जानकारी दर्शाने वाला विवरण

सर्किल	वर्ष	इनपुट इकाइयों (एमयू में)	बेची गई इकाइयों (एमयू में)	बिलिंग दक्षता (प्रतिशत)	खोई हुई इकाइयों (एमयू में)	वितरण हानि (प्रतिशत)	सीएसईआरसी टैरिफ आदेश के अनुसार मानदंड (प्रतिशत)	मानक से अधिक वितरण हानि (प्रतिशत)	अनुमेय हानि इकाइयों के लिए (एमयू में)	मानक से अधिक नष्ट हुई इकाइयों (एमयू में)	प्रति यूनिट दर ¹³ (₹)	राजस्व की हानि (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5(4/3) %	6(3-4)	7(6/3) %	8	9(7-8)	10(3x8) %	11(6-10)	12	13(11*12)
महासमुंद	2017-18	1,412.99	1,018	72.05	394.99	27.95	16.50	11.45	233.14	161.85	7.11	115.08
	2018-19	1,506.99	1,072.23	71.15	434.76	28.85	16.50	12.35	248.65	186.11	6.78	126.18
	2019-20	1,455.32	1,087.59	74.73	367.73	25.27	16.50	8.77	240.13	127.60	6.58	83.96
	2020-21	1,638.35	1,169.84	71.40	468.51	28.60	16.00	12.60	262.14	206.37	6.50	134.14
	2021-22	1,898.10	1,382.39	72.83	515.71	27.17	16.00	11.17	303.70	212.01	7.00	148.41
	उप-कुल	7,911.75	5,730.05	72.42	2,181.70	27.58			1,287.76	893.94		607.77

¹¹ संग्रह दक्षता बकाया सहित बिल किए गए कुल राजस्व के विरुद्ध प्राप्त राजस्व का अनुपात है।

¹² 2017-18 से 2019-20 के लिए 16.50 प्रतिशत और 2020-21 और 2021-22 के लिए 16 प्रतिशत।

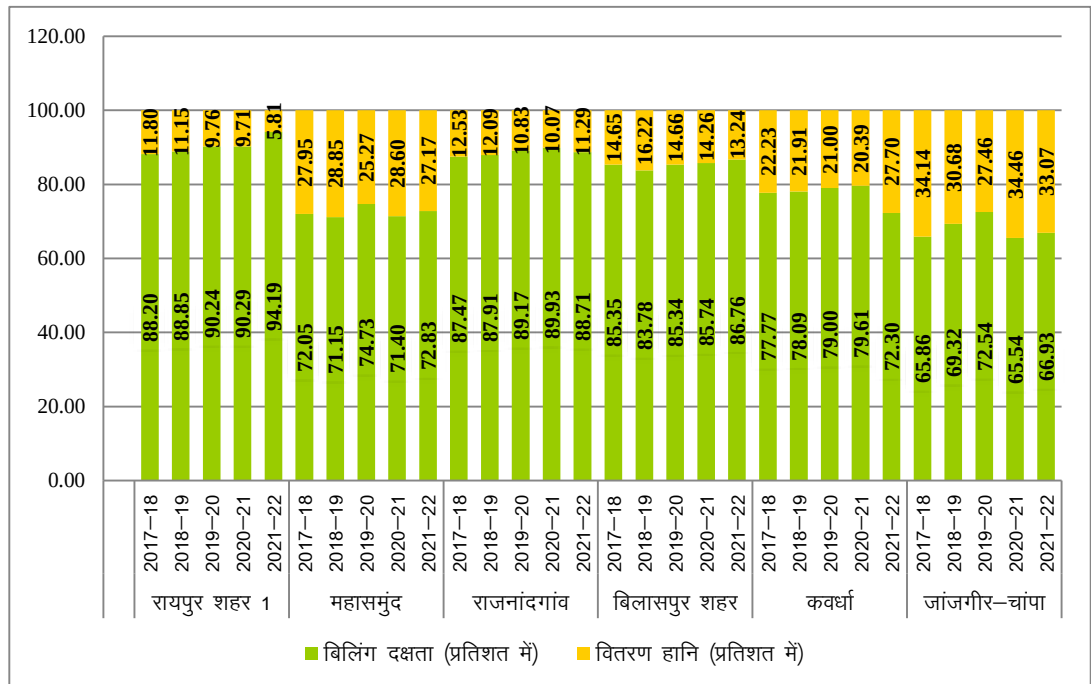
¹³ सीएसईआरसी द्वारा अनुमोदित औसत बिलिंग दर (एबीआर)।

कवर्धा	2017-18	701.32	545.45	77.77	155.87	22.23	16.50	5.73	115.72	40.15	7.11	28.55
	2018-19	712.11	556.09	78.09	156.02	21.91	16.50	5.41	117.50	38.52	6.78	26.12
	2019-20	663.44	524.11	79.00	139.33	21.00	16.50	4.50	109.47	29.86	6.58	19.65
	2020-21	694.22	552.69	79.61	141.53	20.39	16.00	4.39	111.08	30.45	6.50	19.79
	2021-22	716.00	517.70	72.30	198.3	27.70	16.00	11.70	114.56	83.74	7.00	58.62
	उप-कुल	3,487.09	2,696.04	77.31	791.05	22.69			568.32	222.73		152.72
जांजगीर चांपा	2017-18	996.06	656.01	65.86	340.05	34.14	16.50	17.64	164.35	175.70	7.11	124.92
	2018-19	1,036.48	718.49	69.32	317.99	30.68	16.50	14.18	171.02	146.97	6.78	99.65
	2019-20	1,071.08	776.97	72.54	294.11	27.46	16.50	10.96	176.73	117.38	6.58	77.24
	2020-21	1,196.54	784.19	65.54	412.35	34.46	16.00	18.46	191.45	220.90	6.50	143.59
	2021-22	1,235.88	827.13	66.93	408.75	33.07	16.00	17.07	197.74	211.01	7.00	147.71
	उप-कुल	5,536.04	3,762.79	67.97	1,773.25	32.03			901.28	871.97		593.10
कुल योग		16,934.88	12,188.88	71.98	4,746.00	28.02			2,757.36	1,988.64		1,353.60

(स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित जानकारी)

महासमुंद, कवर्धा और जांजगीर-चांपा के सर्किल कार्यालय 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों के दौरान बिलिंग दक्षता बढ़ाने और सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके। इस अवधि के दौरान इन तीन सर्किलों में सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक वितरण हानि 4.39 प्रतिशत (कवर्धा) से 18.46 प्रतिशत (जांजगीर-चांपा) के मध्य थी, हालाँकि, रायपुर शहर-1, बिलासपुर शहर और राजनांदगांव सर्किल में वितरण हानि वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित अनुमेय सीमा के भीतर थी। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान चयनित सर्किलों की बिलिंग दक्षता और वितरण हानि का प्रतिशत चार्ट 6.1.2 में दिया गया है:

चार्ट 6.1.2: चयनित सर्किलों में बिलिंग दक्षता और वितरण हानि प्रतिशत में



(स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित जानकारी)

जैसा कि तालिका एवं चार्ट से देखा जा सकता है, पिछले पांच वर्षों में महासमुंद, कवर्धा एवं जांजगीर-चांपा सर्किल में वितरण हानि का प्रतिशत 20.39 से 34.46 के बीच रहा जो कि सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित 16.00 से 16.50 प्रतिशत से अधिक था।

लेखापरीक्षा में पाई गई अत्यधिक वितरण हानि के प्रमुख कारण वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) मीटरिंग, स्मार्ट मीटरिंग में तीव्रता लाने में कंपनी की अकर्मण्यता, स्वचालित मीटर रीडिंग (एएमआर) सिस्टम और कैपेसिटर बैंक (सीबी) की गैर-स्थापना, आकलित बिलिंग के मामलों की अधिकता और खराब मीटरों को बदलने में हुई देरी थे, जिसकी चर्चा आगामी कण्डिकाओं में की गई है। इस प्रकार, सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध कमी के परिणामस्वरूप ₹ 1,353.60 करोड़ मूल्य के 1,988.64 एमयू की हानि हुई। यदि कंपनी ने ₹ 258.58 करोड़ का व्यय करके हानि में कमी के लिए उपर्युक्त निवारक उपायों को क्रियान्वित किया होता, जैसा कि **तालिका 6.1.4** में बताया गया है, तो इससे ₹ 1,095.02¹⁴ करोड़ की बचत होती।

तालिका 6.1.4: अधोसंरचना की कमियों में सुधार के लिए होने वाली लागत को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	विवरण	डीटीआर मीटर	कैपेसिटर बैंक	खराब मीटरों को बदलना	एएमआर मीटर	स्मार्ट मीटरिंग
1	स्थापित करने के लिए कुल इकाइयाँ (संख्या)	45,343	210	1,29,067	4,909	2,79,171
2	प्रति यूनिट लागत (₹)	11,845	15,687	2,624.70	6,444	6,000
3	स्थापना के लिए आवश्यक कुल लागत (₹ करोड़ में)	53.71	0.33	33.88	3.16	167.50
कुल लागत ₹ करोड़ में		258.58				

(स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित जानकारी)

यह उल्लेख करना उचित है कि समीक्षा अवधि के दौरान वितरण हानि में कमी से संबंधित कार्यों पर ₹ 8.57 करोड़ का व्यय करने के बावजूद कंपनी वितरण हानि लिए सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित मानदंडों को प्राप्त करने में विफल रही।

छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा सर्किल/डिवीजन-वार लक्ष्य उनके इनपुट, उपभोग पैटर्न, हानि के वर्तमान स्तर और पिछले प्रदर्शन के आधार पर तय किए जाते हैं। तदनुसार, राज्य की समग्र उपलब्धि सभी सर्किलों और संभागों का संचयी प्रयास है; जिनमें से कुछ लक्ष्य हासिल कर लेते हैं और कुछ पिछड़ जाते हैं। आगे कहा गया कि कंपनी की ओर से वितरण हानि को कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, यद्यपि कंपनी ने सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में सर्किलों के लिए 7.07 और 28.52 प्रतिशत के बीच कम लक्ष्य तय किए थे, लेकिन समीक्षाधीन अवधि के दौरान महासमुंद और कवर्धा सर्किलों द्वारा इसे भी हासिल नहीं किया जा सका। शेष चार चयनित सर्किल भी अपने लक्षित हानि को कम नहीं कर सके इसके अलावा जांजगीर-चांपा (2017-18), बिलासपुर शहर (2019-20), राजनांदगांव (2017-18 और 2019-20) और रायपुर शहर-1 (2017-18, 2019-20 और 2021-22)। जिसके कारण, कंपनी 31 मार्च 2022 को पूरे हुए पांच वर्ष के किसी

¹⁴ मानक से अधिक वितरण हानि का मूल्य ₹ 1,353.60 करोड़ – निवारक उपायों पर किया जाने वाला व्यय ₹ 258.58 करोड़

भी वर्ष में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाई। इसके अलावा, कंपनी ने वितरण हानियों को कम करने के लिए आवश्यक कार्यवाई शुरू नहीं की जैसा की अपेक्षित था।

6.1.7.2 अधोसंरचना में कमियाँ

वितरण हानि में कमी करने के लिए, अधोसंरचना यानी इंजेक्ट की गई इकाइयों और बिल की गई इकाइयों की रिकॉर्डिंग और लेखांकन के लिए 100 प्रतिशत मीटरीकरण, स्मार्ट मीटरिंग, सीबी और एएमआर प्रणाली की स्थापना पर्याप्त और कुशल होनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने डीटीआर मीटरीकरण, स्मार्ट मीटर और सीबी के संबंध में निम्नलिखित कमियाँ पाई:

(क) वितरण ट्रांसफार्मर में मीटर की स्थापना न होना

विद्युत सप्लाई कोड, 2011 के उपवाक्य 11.57 के अनुसार, लाइसेंसधारी सभी वितरण ट्रांसफार्मरों में मीटर लगायेगा और ऊर्जा लेखापरीक्षा करेगा ताकि उच्च हानि वाले पॉकेट्स की पहचान की जा सके और ऐसे पॉकेट्स में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उपयुक्त कार्यवाई की जा सके।

चयनित सर्किलों के लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि 31 मार्च 2022 तक, वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) की कुल संख्या 64,451 में से, 52,926 डीटीआर से मीटर रीडिंग नहीं ली गई थी। इसके अलावा, इन 52,926 डीटीआर में से, 45,343 डीटीआर (70.35 प्रतिशत) में मीटर स्थापित नहीं किए गए थे और शेष 7,583 डीटीआर (11.77 प्रतिशत) के मामले में, रीडिंग नहीं ली जा रही थी, जैसा कि **परिशिष्ट-6.1.3** में बताया गया है। कंपनी ने सभी डीटीआर¹⁵ में मीटर लगाने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए और वितरण केंद्रों के प्रभारी द्वारा भी यह सुनिश्चित नहीं किया कि लगे हुए मीटरों से नियमित रूप से मीटर रीडिंग ली जाए। इसके अलावा, किसी भी डीटीआर के संबंध में उपलब्ध दस्तावेजों पर कोई ऊर्जा लेखापरीक्षा रिपोर्ट¹⁶ नहीं पाई गई।

यह विद्युत सप्लाई कोड, 2011 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के प्रति कंपनी की लापरवाह दृष्टिकोण को इंगित करता है। परिणामस्वरूप, उच्च हानि वाले पॉकेट्सकी पहचान करने और ऐसे पॉकेट्स में हानि को कम करने के लिए आगे उपयुक्त कार्यवाई करने का उद्देश्य पुरा नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि 31 मार्च 2023 तक राज्य में स्थापित कुल 2,14,762 वितरण ट्रांसफार्मर में से 76,960 वितरण ट्रांसफार्मर (35.84 प्रतिशत) में मीटर लगा दिया गया है। वितरण ट्रांसफार्मर की 100 प्रतिशत मीटरिंग का काम रिवैम्बु डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) में शामिल किया गया है, जिसे मार्च 2024 के अंत तक पूरा किया जाना है।

यद्यपि, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन मीटर युक्त डीटीआर से रीडिंग नहीं लिए जाने पर उत्तर मौन है।

¹⁵ ₹ 53.71 करोड़ की लागत पर (₹ 11,845.00 प्रति यूनिट की दर से 45,343 डीटीआर)।

¹⁶ ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अनुसार, ऊर्जा लेखापरीक्षा लागत-लाभ विश्लेषण और ऊर्जा खपत को कम करने के लिए एक कार्य योजना के साथ ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए ऊर्जा के उपयोग का सत्यापन, निगरानी और विश्लेषण है।

(ख) सब-स्टेशनों में कैपेसिटर बैंकों की स्थापना न होना

कैपेसिटर बैंक (सीबी) ऊर्जा बचाने और रिएक्टिव ऊर्जा¹⁷ को कम कर वितरण हानि को कम करके पावर फैक्टर¹⁸ को बढ़ाने के लिए सब-स्टेशनों (एसएस) पर स्थापित किया जाने वाला उपकरण हैं।

चयनित सर्किलों के लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि 31 मार्च 2022 तक, कुल 413 एसएस में से 210 एसएस (50.85 प्रतिशत) में सीबी स्थापित नहीं किए गए थे। इन 210 एसएस, जिनमें सीबी स्थापित नहीं थे, के लिए सीबी की कुल अपेक्षित क्षमता 25,410 केवीएआर¹⁹ थी। यदि इन 210 एसएस में ₹ 32.94²⁰ लाख की लागत से सीबी स्थापित किए गए होते, तो कंपनी पांच वर्षों में ₹ 32.74 करोड़ मूल्य की 48.35 एमयू ऊर्जा और बचा सकती थी जैसा कि **परिशिष्ट-6.1.4** में दर्शाया गया है। यह राशि सीबी की स्थापना लागत की प्रतिपूर्ति करती।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए, छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि 31 मार्च 2023 की स्थिति में, तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार राज्य में कुल 1,352 एसएस में से 875 एसएस में 5,53,119 केवीएआर की कुल क्षमता के सीबी स्थापित किए गए हैं। आगे यह भी कहा गया कि आवश्यकता के अनुसार शेष एसएस पर उचित क्षमता के सीबी स्थापित किए जाएंगे।

(ग) स्वचालित मीटर रीडिंग (एएमआर) उपकरण की स्थापना न करना

विद्युत सप्लाई कोड, 2011 के उपवाक्य 11.58 के अनुसार, लाइसेंसधारी को खपत की निगरानी और बिजली की चोरी के रोकथाम के उद्देश्य से प्राथमिकता के आधार पर सभी 50 हॉर्स पावर (एचपी) और उससे अधिक के कनेक्शनों पर दुरस्थ मीटरिंग उपकरण²¹ की स्थापना करने का प्रयास करना होगा। लाइसेंसधारी को इसके बाद 25 एचपी तक के एलटी कनेक्शन पर दुरस्थ मीटरिंग उपकरण स्थापित करने का प्रयास करना होगा।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 31 मार्च 2022 को चयनित सर्किलों में, 15 एचपी और उससे अधिक भार वाले निम्न दाब (एलटी) के उपभोक्ताओं की संख्या 13,658 थी। इन 13,658 उपभोक्ताओं में से 4,909 उपभोक्ताओं (35.94 प्रतिशत) के मामले में एएमआर प्रणाली स्थापित नहीं की थी तथा 4,249 उपभोक्ताओं (31.11 प्रतिशत) के मामलों में स्थापित एएमआर प्रणालियों के विद्युत मोडेम काम नहीं करने के कारण एएमआर प्रणाली से मीटर रीडिंग नहीं की जा रही थी।

यह विद्युत सप्लाई कोड, 2011 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के प्रति कंपनी की लापरवाह दृष्टिकोण को इंगित करता है। परिणामस्वरूप, एएमआर प्रणाली स्थापित करके बिजली की खपत की निगरानी और चोरी की रोकथाम का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि कंपनी में सभी एचटी कनेक्शन एएमआर के साथ स्थापित हैं, 50 एचपी और उससे अधिक के 79 प्रतिशत, 15–50 एचपी कनेक्शन के 44 प्रतिशत एएमआर के साथ पूर्ण

¹⁷ कुल उत्पन्न विद्युत में एक्टिव और रिएक्टिव ऊर्जा शामिल होती है। रिएक्टिव ऊर्जा अप्रयुक्त ऊर्जा है जबकि एक्टिव ऊर्जा वास्तविक ऊर्जा है।

¹⁸ पावर फैक्टर एक्टिव ऊर्जा और कुल ऊर्जा का अनुपात है।

¹⁹ केवीएआर प्रतिक्रियाशील शक्ति का एक माप है। सरल शब्दों में प्रतिक्रियाशील शक्ति एक जनरेटर में प्रतिक्रियाशील घटकों द्वारा उत्पन्न अप्रयुक्त शक्ति है।

²⁰ ₹ 15,687 प्रति यूनिट की दर से।

²¹ स्वचालित मीटर रीडिंग (एएमआर) आधारित मीटर रीडिंग बिलिंग दक्षता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि यह आकलित बिलिंग को रोकता है।

हो चुके हैं। स्मार्ट मीटरिंग के लिए सभी 15–50 एचपी कनेक्शन आरडीएसएस में शामिल हैं।

(घ) स्मार्ट मीटरिंग

स्मार्ट मीटर हस्तक्षेप रहित होते हैं तथा दूर से ही इसकी रीडिंग ली जा सकती हैं, जिससे चोरी में कमी लाने, मांग पक्ष प्रबंधन गतिविधियों के कार्यान्वयन और उपभोक्ता सहभागिता में मदद मिलती हैं। कंपनी द्वारा ₹ 167.50 करोड़²² की लागत से 200 यूनिट/माह²³ से अधिक खपत वाले 2.79 लाख उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग करनी थी। हालांकि, 31 मार्च 2022 तक कंपनी द्वारा इस संबंध में कोई प्रगति नहीं की जा सकी। प्रगति की कमी का तर्कसंगत कारण अभिलेखों में नहीं पाया गया न ही कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया गया।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बताया गया (अक्टूबर 2023) कि 100 प्रतिशत उपभोक्ताओं (कृषि उपभोक्ताओं, उच्च दाब वाले उपभोक्ताओं और निम्न दाब चालू ट्रांसफार्मर मीटर कनेक्शनों को छोड़कर) के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग को आरडीएसएस में शामिल किया गया है, जिसके लिए निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं।

यद्यपि, स्मार्ट मीटर लगाने से वितरण हानि में कमी लाने का उद्देश्य कृषि उपभोक्ताओं के मामले में पूरा नहीं होगा, क्योंकि इसे आरडीएसएस में शामिल नहीं किया गया है।

6.1.7.3 खराब मीटर और आकलित बिलिंग के संबंध में सीएसईआरसी के निर्देशों का पालन न करना

सीएसईआरसी ने वर्ष 2017–18 के अपने टैरिफ आदेश द्वारा कंपनी को बंद/खराब मीटरों को समय पर बदलने और आकलित बिलिंग में कमी सुनिश्चित करने को निर्देशित किया (मार्च 2017) था। सीएसईआरसी ने कंपनी को निर्धारित सीमा के अंदर खराब मीटर का प्रतिशत नीचे लाने एवं आंकलन-आधारित बिलिंग को लाने के लिए सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश भी दिया था (फरवरी 2019)। इसके अलावा, सीएसईआरसी (विद्युत वितरण के कार्य मानक) विनियमन, 2006 एवं 2020 में खराब मीटरों की सीमा कुल मीटरों की संख्या के 2.5 प्रतिशत तक निर्धारित की थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी खराब मीटरों की संख्या को निर्धारित सीमा में नियंत्रित करने में विफल रही और निम्नलिखित मामलों में आकलित आधारित बिलिंग करने का सहारा लिया, जिसके कारण बिलिंग दक्षता का वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया जा सका:

(क) खराब मीटरों को बदलना

छ: चयनित सर्किलों के, वर्ष 2017–18 से 2021–22 के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि खराब मीटरों का प्रतिशत मानदंडों से अधिक था और उका प्रतिस्थापन कम था, जैसा कि तालिका 6.1.5 में दर्शाया गया है:

²² 2,79,171 उपभोक्ताओं X ₹ 6,000 प्रति स्मार्ट मीटरिंग की लागत।

²³ उदय योजना की दिशा-निर्देशानुसार।

तालिका 6.1.5: चयनित सर्किलों में खराब मीटरों को बदलने की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष ²⁴	उपभोक्ताओं की संख्या (मीटरीकृत)	वर्ष के दौरान खराब मीटरों की संख्या (प्रारंभिक शेष सहित)	बदले गये कुल खराब मीटरों की संख्या	मीटर बदलने का प्रतिशत	एक माह के अंदर बदले गये मीटरों की संख्या (स्तंभ-4 का)	वर्ष के अंत में खराब मीटर	खराब मीटरों का प्रतिशत
1	2	3	4	5 (4/3) *100	6	7 (3-4)	8 (7/2) *100
2017-18	14,82,043	71,661	55,026	76.79	9,892	16,635	1.12
2018-19	16,08,048	1,23,296	45,115	36.59	8,817	78,181	4.86
2019-20	16,50,274	2,49,616	1,71,953	68.89	19,527	77,663	4.71
2020-21	16,95,011	2,25,714	1,58,821	70.36	21,699	66,893	3.95
2021-22	17,38,957	2,42,845	1,13,778	46.85	9,137	1,29,067	7.42

(स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2017-2018 से 2021-22 की अवधि में चयनित सर्किलों में खराब मीटर का प्रतिशत 1.12 से 7.42 के मध्य रहा। वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान खराब मीटरों का प्रतिशत सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित 2.5 प्रतिशत के मानक से अधिक था। यह इंगित करता है कि कंपनी ने सीएसईआरसी के निर्देशों का पालन नहीं किया।

यदि किसी निम्न दाब उपभोक्ता का मीटर खराब पाया जाता है, तो इसे शहरी क्षेत्रों में 15 दिनों के भीतर और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिनों के अंदर बदल दिया जाना चाहिए। किन्तु, तात्कालिक मामले में 4.76 लाख²⁵ खराब मीटरों को 30 दिनों से ज्यादा दिनों के पश्चात् बदला गया था, जो कि विद्युत सप्लाई कोड, 2011 के प्रावधानों के अनुसार न होने के कारण सही नहीं था। वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान खराब मीटरों के बदलने का प्रतिशत कम था और 90 प्रतिशत होने के एवज में 36.59 प्रतिशत और 76.79 प्रतिशत के मध्य था। इसके साथ ही, 1,29,067 खराब मीटरों को बदलने की लागत ₹ 33.88 करोड़²⁶ होगी।

छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि अधिकतम खराब मीटर बीपीएल और कृषि उपभोक्ताओं के थे, जो कि दुरस्थ स्थानों पर होने और परिसरों के बंद होने के कारण बदलना मुश्किल हैं। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के कारण खराब मीटरों को बदलने में बाधा उत्पन्न हुई। आगे यह कहा गया कि लेखापरीक्षा आपत्ति में दिए गए आंकड़ों संबंधित सर्किलों के आर-15 विवरण पत्रक के साथ मेल नहीं खाते थे। यह भी कहा गया कि आरडीएसएस में सभी उपभोक्ता मीटरों (कृषि को छोड़कर) को स्मार्ट प्रीपेड मीटरों में बदल दिया जायेगा और इसलिए खराब मीटर की समस्या का हल अधिकतम सीमा तक हो जाएगा।

तथ्य यह है कि न केवल खराब मीटरों के प्रतिशत मानदंडों की सीमा के बाहर थे, बल्कि खराब मीटरों के बदले जाने में भी कोई सुधार नहीं देखा गया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा आपत्ति और आर-15 विवरण पत्रको में आंकड़ों के बेमेल होने के बारे में तर्क भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा आपत्ति चयनित सर्किलों द्वारा संधारित और

²⁴ वर्ष 2017-18 से 2018-19 के आंकड़े महासमुंद सर्किल ने संधारित नहीं किए हैं।

²⁵ 5,44,693 (तालिका 6.1.5 के स्तंभ-4 का योग) - 69,072 (तालिका 6.1.5 के स्तंभ-6 का योग) = 4,75,621।

²⁶ ₹ 2,624.70 प्रति इकाई की दर से।

प्रदत्त आंकड़ों पर आधारित है। इसके अलावा, सर्किल कार्यालय द्वारा संधारित खराब मीटरों की आकड़ों और आर-15 विवरण पत्रक में दिखाए गए आंकड़ों का बेमेल होना भी कंपनी के उदासी दृष्टिकोण का संकेत है।

इसके अलावा, जैसा कि कंपनी सभी बीपीएल और कृषि उपभोक्ताओं के खराब मीटरों नहीं बदला, गलत ऊर्जा लेखांकन और ऊर्जा लेखापरीक्षा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

(ख) मीटर रीडिंग के अभाव में मीटर वाले उपभोक्ताओं की आकलित बिलों में वृद्धि

अभिलेखों की जांच में, पाया गया कि वर्ष 2017-18 से 2021-22 के मध्य, कंपनी द्वारा 9.64 करोड़ मामलों में से 2.08 करोड़ (21.61 प्रतिशत) मामलों में बिना मीटर रीडिंग के बिल जारी किए। 2.08 करोड़ मामलों में से 0.60 करोड़ मामलों (28.85 प्रतिशत) खराब/बंद मीटरों से संबंधित है, जबकि शेष 1.48 करोड़ मामलों (71.15 प्रतिशत) सभी छह सर्किलों में कार्यशील मीटर होने के बावजूद खपत के आकलन के आधार पर बिल जारी किए गए थे, जैसा कि तालिका 6.1.6 में दिखाया गया है। कार्यशील मीटर होने के बावजूद खपत के आकलन का औचित्य अभिलेखों में नहीं पाया गया और न ही कंपनी द्वारा उत्तर में प्रस्तुत किया गया।

तालिका 6.1.6: नमूना जाँच की गयी सर्किल में वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान आकलित बिलों को दर्शाने वाला विवरण

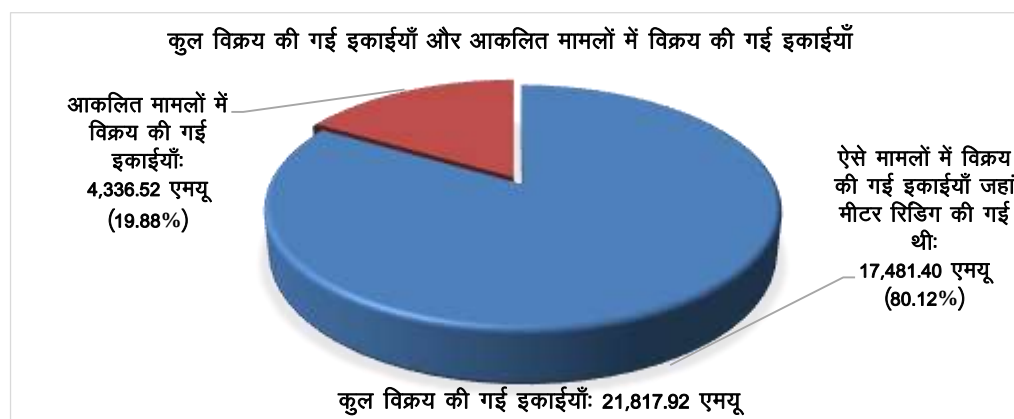
सर्किल का नाम	उपभोक्ताओं को जारी बिलों की संख्या	जहां मीटर काम कर रहे थे वहां आकलन आधार पर जारी किए गए बिलों की संख्या	आकलित खपत के आधार पर जारी किए गए बिलों की संख्या, जहां मीटर खराब/जले हुए थे	कुल आकलित मामलों की संख्या	आकलित मामलों में बेची गयी इकाई (एमयू)	कुल बेची गयी इकाई (एमयू)	आकलित मामलों का प्रतिशत	आकलित इकाईयों का प्रतिशत
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8=(5/2)%	9=(6/7)%
रायपुर शहर-1	1,54,84,882	4,348	74,363	78,711	9.36	4,222.67	0.51	0.22
महासमुद्र	2,11,32,847	54,50,421	24,80,582	79,31,003	2,267.97	5,387.53	37.53	42.10
राजनांदगाँव	2,29,91,554	19,90,055	21,35,264	41,25,319	815.71	4,063.21	17.94	20.08
बिलासपुर शहर	74,03,147	8,331	1,53,876	1,62,207	18.22	1,929.44	2.19	0.94
कवर्धा	1,03,11,127	48,22,274	5,70,477	53,92,751	1,067.62	2,655.89	52.30	40.20
जांजगीर-चांपा	1,90,42,426	25,22,119	6,14,715	31,36,834	157.64	3,559.18	16.47	4.43
सकल योग	963,65,983	1,47,97,548	60,29,277	2,08,26,825	4,336.52	21,817.92	21.61	19.88

(स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि जिन मामलों में कंपनी ने उपभोक्ताओं को आकलित बिल जारी किए, उनकी संख्या कुल मामलों के 0.51 प्रतिशत और 52.30 प्रतिशत के मध्य थी। आगे, वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान, उपभोक्ताओं को बेची गई/बिल की गई कुल इकाईयों का 0.22 प्रतिशत और 42.10 प्रतिशत के बीच

का एक बड़ा हिस्सा आकलन²⁷ के आधार पर आगणित किया गया था। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उपभोक्ताओं को बेची गई/बिल की गई 21,817.92 एमयू इकाइयों से 4,336.52 एमयू इकाइयों (19.88 प्रतिशत) आकलित खपत पर आधारित थी, जैसा कि चार्ट 6.1.3 में दर्शाया गया है:

चार्ट 6.1.3: चयनित सर्किलों में बेची गई कुल इकाइयों के विरुद्ध आकलित मामलों में बेची गई इकाइयों को दर्शाने वाला चार्ट



आकलन आधारित बिलिंग और दोषपूर्ण/बंद मीटरों की उच्च घटनाएं खराब बिलिंग दक्षता का संकेत हैं, जो वितरण हानि में वृद्धि को बढ़ावा देती हैं।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि आकलन किए गए मामलों की उच्च घटनाएं और ऐसे मामलों में खपत की गई इकाइयों का आकलन मुख्य रूप से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और कृषि उपभोक्ताओं से संबंधित था, जहां मासिक मीटर रीडिंग लेना व्यवहारिक रूप से कठिन है। आगे यह भी कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बीपीएल उपभोक्ताओं के प्रकरण में आकलन मामलों के साथ-साथ खपत के आकलन की भी आवश्यकता नहीं होगी। निर्गमन बैठक में, छत्तीसगढ़ शासन ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण खराब मीटरों को बदलने में बाधा आ रही थी और फील्ड अधिकारियों को खराब मीटरों को शीघ्र बदलने के लिए निर्देशित किया जा रहा है।

मीटर लगाने से बीपीएल उपभोक्ताओं के मामलों में आकलित बिलिंग में कमी आयेगी और कृषि उपभोक्ताओं के संबंध में उत्तर मौन है। साथ ही सप्लाई कोड में उपभोक्ताओं की श्रेणी का विचार किए बिना खराब मीटरों के मामलों में आकलन आधारित बिलिंग की अनुमति दी।

इसके अलावा, चूंकि कंपनी ने सभी बीपीएल और कृषि उपभोक्ताओं के मीटर रीडिंग सुनिश्चित नहीं की, इसलिए गलत ऊर्जा लेखांकन और ऊर्जा लेखापरीक्षा की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

6.1.7.4 प्रवर्तन गतिविधियों में कमियाँ

बिजली चोरी की रोकथाम का उद्देश्य लाइन हानियों को कम करना और बिलिंग दक्षता में सुधार करना है। वितरण तंत्र पर न्यूनतम लाइन हानियाँ प्राप्त करने और उपभोक्ताओं/गैर-उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा की अनधिकृत उपभोग को कम करके कंपनी के वित्तीय हितों की रक्षा करने के लिए, सतर्कता और परिचालन एवं संधारण अधिकारी उपभोक्ताओं के परिसरों की औचक निरीक्षण करते हैं और ऊर्जा की चोरी और अनधिकृत भार वृद्धि के लिए उपभोक्ताओं पर जुर्माना लगाते हैं। विद्युत अधिनियम,

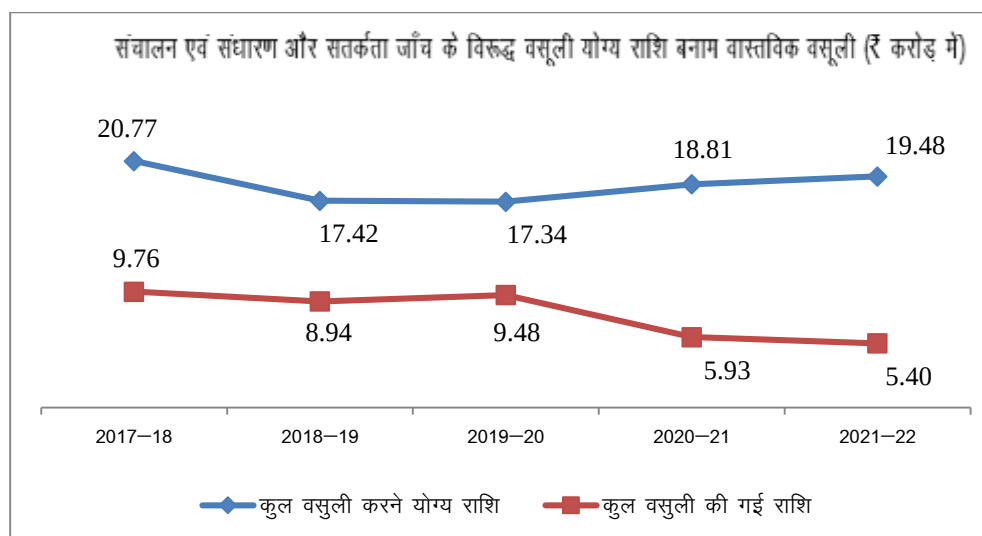
²⁷ जून 2019 की अवधि से पहले कंपनी द्वारा आकलित मामलों में उपभोक्ताओं को बेची गई इकाइयों से संबंधित ऑकड़ों का संधारण नहीं किया गया था।

2003 (अधिनियम) की धारा 135 और सप्लाई कोड (उपवाक्य 11.29) के प्रावधान के अनुसार, ऊर्जा की चोरी एक अपराध है, जिसके लिए तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकती है। इसके अलावा, सप्लाई कोड, 2011 (उपवाक्य 11.31) में प्रावधान है कि लाइसेंसधारी, बिजली चोरी की जानकारी होने पर, 24 घंटे के भीतर पुलिस स्टेशन में लिखित रूप में इस तरह के अपराध की घटना से संबंधित शिकायत दर्ज करायेंगी। उपभोक्ताओं द्वारा बिजली की चोरी/अनधिकृत उपयोग किये जाने पर खपत का आकलन किया जाता है और सप्लाई कोड, 2011 के प्रावधानों²⁸ के अनुसार दंडात्मक बिलिंग की जाती है।

छ: चयनित सर्किलों के अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान, कंपनी द्वारा बिलिंग दक्षता बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं के यहां छापा/जाँच के लिए लक्ष्य निर्धारित किए थे। सतर्कता विंग और परिचालन एवं संधारण संभागों द्वारा की जाने वाली जांच के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए थे। वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्यों, की गई छापेमारी और पकड़े गए चोरी के मामलों की संख्या, दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) का विवरण **परिशिष्ट-6.1.5** में दिया गया था।

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान परिचालन एवं संधारण और सतर्कता जांच के दौरान पंजीकृत बिजली की चोरी/अनधिकृत उपयोग के मामलों की स्थिति की समीक्षा से पता चला कि कुल 4,08,398 मामलों की जांच की गई, जहाँ ₹ 93.83 करोड़ का जुर्माना वसूल किया जाना था। हालांकि, कंपनी केवल ₹ 39.51 करोड़ की ही वसूली कर सकी और ₹ 54.32 करोड़ (57.89 प्रतिशत²⁹) आज दिनांक (अक्टूबर 2022), तक अप्राप्त रही जैसा कि **चार्ट 6.1.4** में दर्शाया गया है:

चार्ट 6.1.4: चयनित सर्किलों में वसूली योग्य राशि और उसके विरुद्ध की गयी वास्तविक वसूली को दर्शाने वाला चार्ट



समीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने 11,221 चोरी के मामले पाये, जिनमें से 2,021 (18.01 प्रतिशत) मामलों में पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज (एफआईआर) करने के लिए सूचित किया गया और शेष 9,200 मामलों में कंपनी द्वारा पुलिस को सूचित नहीं किया गया। इसके अलावा, पुलिस को सूचित किए गए 2,021 मामलों में से, केवल 1,946 मामलों में पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। सभी चोरी के मामलों

²⁸ विद्युत सप्लाई कोड के उपवाक्यों 11.9 से 11.13 और 11.21 से 11.26।

²⁹ कंपनी द्वारा वसूल की जाने वाली कुल राशि ₹ 54.32 करोड़ x 100 / ₹ 93.83 करोड़ (परिचालन एवं संधारण और सतर्कता जाँच से वसूली योग्य राशि)।

की पुलिस को सूचित न करने का औचित्य अभिलेखों में नहीं पाया गया और न ही कंपनी द्वारा उत्तर में प्रस्तुत किया। कंपनी ने 75 मामलों में पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई कार्रवाही नहीं की। इससे कंपनी की संग्रहण दक्षता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

इसके अलावा, कंपनी द्वारा कोविड-19 महामारी के सक्रमण के कारण वर्ष 2020-21 को छोड़कर वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए मैदानी इकाइयों द्वारा किये जाने वाले छापे/जाँच और स्थल पर राजस्व माँग बढ़ाने के लक्ष्य निर्धारित किये गये। सभी चयनित सर्किलों द्वारा वर्ष 2017-18 से 2021-22 (वर्ष 2020-21 को छोड़कर) के लिए सतर्कता जाँच और परिचालन एवं संधारण जाँच के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं किए। छापे/जाँच के दौरान बड़ी संख्या में अनियमितताओं के पाये जाने के बावजूद, चयनित सर्किलों ने छापे/जाँच के लिए निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन नहीं किया। इससे यह भी दर्शित होता है कि कंपनी ने छापेमारी/जाँच में लापरवाह दृष्टिकोण और गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाया।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि वर्ष 2022-23 और 2023-24 की अवधि के दौरान बिजली की चोरी/कदाचार में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध बकाया ₹ 6.54 करोड़ की राशि वसूल की गई है और शेष राशि वसूलने के प्रयास किए जा रहे हैं।

6.1.7.5 ऊर्जा चोरी के आकलन और परिणाम स्वरूप कम बिलिंग के संबंध में सप्लाई कोड के प्रावधानों का पालन न करना

सप्लाई कोड, 2011 (उपवाक्य 11.29) में कहा गया है कि बिजली की चोरी अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के तहत दंडनीय होगी। इसके अलावा (उपवाक्य 11.33) प्रावधान किया गया है कि आकलित राशि ऊर्जा की चोरी का पता लगाने की तारीख से पहले 12 महीने की अवधि या चोरी की सही अवधि, यदि निर्धारित की गई हो, जो भी कम हो, के लिए टैरिफ के अनुसार उपभोक्ता के संबंधित श्रेणी के लिए लागू दर के ढाई गुना राशि के बराबर होगी।

परिचालन और संधारण और सतर्कता जाँच से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि छः चयनित सर्किलों में से पांच³⁰ में, उपभोक्ताओं द्वारा बिजली की चोरी के दौरान खपत की गई ऊर्जा का आकलन मैदानी कार्यालयों द्वारा बिना किसी कारण/औचित्य दर्ज किए 12 महीने से कम अवधि के लिए किया गया था। मौजूदा संहिता प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को ऊर्जा चोरी की तारीख से पहले बारह महीने की अवधि के लिए आकलन के आधार पर मांग किया जाना चाहिए था। कुछ मामलों में यह भी देखा गया कि जुर्माना राशि विद्युत सप्लाई कोड, 2011 में निर्धारित 2.5 गुना के विरुद्ध सामान्य टैरिफ के 1.5 गुना आगणित की गई थी। इसके अलावा, कुछ मामलों में 100 प्रतिशत से कम का भार कारक (लोड फैक्टर) लागू किया गया था यह भी विद्युत सप्लाई कोड, 2011 के प्रावधानों के अनुसार नहीं था।

इसके परिणामस्वरूप न केवल उपभोक्ताओं द्वारा की गई ऊर्जा चोरी के आकलन के संबंध में सप्लाई कोड, 2011 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ, बल्कि ₹ 2.65 करोड़³¹ की कम बिलिंग हुई और परिणामस्वरूप ऊर्जा चोरी करने वाले उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इसके अलावा, संहिता के प्रावधानों में दिए गए प्रावधान से कम चोरी के मामलों में आकलन करना, ऊर्जा चोरी में शामिल उपभोक्ताओं को भविष्य में भी अवैध परिपाटी जारी रखने के लिए प्रेरित करता है।

³⁰ महासमुंद, बिलासपुर शहर, राजनांदगाँव, कवर्धा और जांजगीर-चांपा।

³¹ महासमुंद ₹ 1.32 करोड़ + बिलासपुर शहर ₹ 0.24 करोड़ + राजनांदगाँव ₹ 0.42 करोड़ + कवर्धा ₹ 0.49 करोड़ + जांजगीर-चांपा ₹ 0.18 करोड़ = ₹ 2.65 करोड़

छत्तीसगढ़ शासन ने कहा (अक्टूबर 2023) कि वर्ष 2016–17 में बिना कनेक्शन लिए जन उपयोगी सेवा के लिए उपयोग किए गए सरकारी कनेक्शनों की अवधि का अस्थायी कनेक्शन मानकर नियमित करने के लिए कंपनी द्वारा निर्देश जारी किए गए थे, उसके अनुसार सामान्य टैरिफ का 1.5 गुना बिल किया जाना था। यदि कनेक्शन के उपयोग की अवधि सिद्ध नहीं हुई थी, तो छह महीने का बिल किया जाना था। आगे यह भी कहा कि सरकारी कनेक्शन के अलावा अन्य मामलों में बिलासपुर शहर और जांजगीर-चांपा सर्किल द्वारा अतिरिक्त बिल जारी किए गए हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कंपनी द्वारा सरकारी कार्यालयों जो बिना कनेक्शन के विद्युत उपयोग कर रहे थे के कनेक्शनों को नियमित करना, अनाधिकृत उपयोग की अवधि को अस्थायी कनेक्शन मानकर छह माह का बिल करना विद्युत सप्लाई कोड के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।

निर्गमन बैठक (अगस्त 2023) के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने बताया कि बिजली चोरी के आकलन में सप्लाई कोड के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा मैदानी कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं।

6.1.7.6 राज्य सरकार से सब्सिडी का अधिक दावा

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषक जीवन ज्योति योजना (केजेजेवाई) की शुरुआत की गई (2 अक्टूबर 2009)। केजेजेवाई में, 3 हार्स पावर (एचपी) तक और 3 एचपी से 5 एचपी तक के पंप कनेक्शन के लिए बिजली का उपयोग करने वाले किसानों को क्रमशः 6,000 इकाई और 7,500 इकाई बिजली की खपत प्रति वर्ष मुफ्त थी। इससे अधिक किसी भी अतिरिक्त खपत का बिल संबंधित कनेक्शनों पर किया जाना था। इसके अलावा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) श्रेणीयों के किसानों को बिना किसी शुल्क और बिना किसी खपत सीमा के बिजली की आपूर्ति की जानी थी। इसके बाद, छत्तीसगढ़ शासन ने केजेजेवाई उपभोक्ताओं के लिए प्लैट दर भुगतान विकल्प शुरू (19 सितंबर 2013) किया। प्लैट दर चुनने की स्थिति में, उपभोक्ता को खपत की गई इकाईयों की संख्या पर ध्यान दिए बिना ₹ 100 प्रति एचपी बिजली प्रति माह प्रभार का भुगतान करना था। केजेजेवाई के अंतर्गत बिजली की खपत के बिलों की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की गई थी।

चार चयनित सर्किलों में चार³² टैरिफ श्रेणियों³³ से केजेजेवाई मीटरीकृत लाभार्थी कृषि पंप कनेक्शन (गैर-प्लैट दर का विकल्प चुनने वाले) द्वारा बिजली की खपत से संबंधित वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के सिस्टम एप्लीकेशन और प्रोडक्ट्स (एसएपी³⁴) सॉफ्टवेयर अभिलेखों की जांच करने पर, यह पाया गया कि एचपी³⁵ की प्रत्येक श्रेणी में, एक महीने में बिल की गई इकाइयों कृषि पंप की अधिकतम निर्धारित क्षमता खपत की विद्युत इकाइयों से अधिक थीं, जो महीने में बिल की जाती अगर इन पंपों को महीने में सभी 30 दिनों में 24 घंटे निर्बाध रूप से संचालित किया जाता। परिणामस्वरूप, पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ शासन को 213.37 एमयू का अतिरिक्त बिल भेजा

³² छ: चयनित इकाईयों में से, यह परिपाटी चार चयनित इकाईयों में देखा गया अर्थात् एसई (सर्किल), महासमुंद, एसई (सर्किल), राजनांदगांव, एसई (सर्किल), कवर्धा और एसई (सर्किल), जांजगीर-चांपा।

³³ एलव्ही3एजी3एमबी21, एलव्ही3एजी3केजे21, एलव्ही3एजी5एमबी21 और एलव्ही3एजी5केजे21।

³⁴ सैप सॉफ्टवेयर सत्य के एकल दृश्य के साथ कई व्यावसायिक कार्य प्रदान करता है। यह कंपनियों को, विभिन्न कार्यात्मक इकाईयों के कार्मचारियों को पूरे उद्यम में वास्तविक समय की जानकारी तक आसान पहुँच प्रदान करके व्यवसायिक प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से प्रबंध करने में मदद करता है।

³⁵ 1, 2, 3, 4 और 5

गया और सब्सिडी के रूप में ₹ 145.51 करोड़ की अतिरिक्त राशि का दावा किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट-6.1.6** में विस्तृत है।

छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर मामले की जांच की गई और यह पाया गया कि 3 एचपी या 5 एचपी की नेम-प्लेट रेटिंग वाले कृषि पंप जरूरी नहीं कि उक्त क्षमता के हों और पंपों की मोटरों की रिवाइंडिंग या जल स्तर की अधिक गहराई के कारण 3 एचपी या 5 एचपी के पंप अधिक बिजली खींचते हैं और ऐसे मामलों के नेम प्लेट रेटिंग की तुलना में अधिक इकाई की खपत होती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन का उद्देश्य केवल 5 एचपी तक की क्षमतावाले पंप सेट की आवश्यकता वाले उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना था। लेकिन, उचित निगरानी के अभाव में, कंपनी ने लाभार्थियों को अधिकतम संभव खपत से अधिक बिजली का उपभोग करने की अनुमति दी। परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं को छत्तीसगढ़ शासन की लागत पर अनुचित रूप से योजना का लाभ प्रदान किया गया, जो आदेशित न होने से, अनियमित था।

6.1.8 राजस्व संग्रहण

सभी श्रेणियों के संबंध में बिल किए गए राजस्व को संबंधित वितरण केंद्रों पर और कंपनी द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त संग्रहण एजेंसियों द्वारा एकत्र किया जाता है। कंपनी की वित्तीय व्यवहार्यता के लिए यह सुनिश्चित करना अति आवश्यक है कि देय राजस्व को शीघ्र एकत्र किया जाए और बकाया राशि एकत्रित न होने दिया जाए।

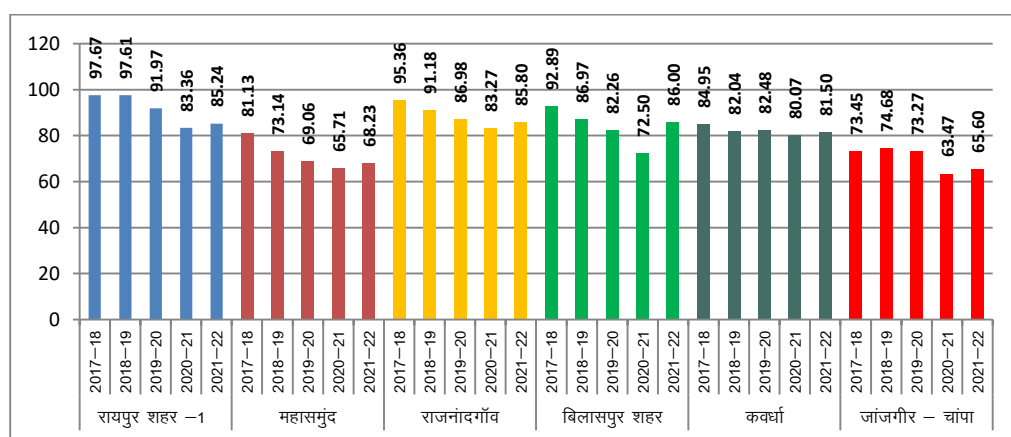
6.1.8.1 संग्रहण दक्षता लक्ष्यों की प्राप्ति न होना

सभी उपभोक्ताओं को, मीटर रीडिंग और अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की स्थिति में आकलन के अनुसार, उनके द्वारा खपत की गई ऊर्जा के आधार पर बिल किया जाता है। हालाँकि, चयनित सर्किलों द्वारा बिल की गई संपूर्ण राशि वसूल नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व हानि हुई। वर्तमान में जारी बिलों और बकाया बिलों के विरुद्ध, कंपनी के वितरण केंद्र (डीसी) राजस्व वसूलते हैं और उपभोक्ताओं द्वारा कंपनी को विभिन्न ऑनलाइन माध्यम से भी भुगतान किया जाता है। संग्रहण दक्षता राजस्व के वसूली के निष्पादन पर आधारित है। वर्ष 2017-18 से 2021-22 के मध्य कंपनी की संग्रहण दक्षता 99.66 प्रतिशत के लक्ष्य³⁶ के विरुद्ध 95.60 प्रतिशत और 104.89 प्रतिशत (लेखापरीक्षा द्वारा **तालिका 6.1.1** में जैसा की गणना की गई है) के बीच रही।

वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि में चयनित सर्किलों की संग्रहण दक्षता (प्रतिशत में) (जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई है) का विवरण **परिशिष्ट-6.1.7** में विस्तृत है और **चार्ट 6.1.5** में दर्शाया गया है।

³⁶ संग्रहण दक्षता के संबंध में सीएसईआरसी के लक्ष्य के अभाव में, उदय (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेस योजना) के लक्ष्य को इस संबंध में बेंचमार्क लक्ष्य माना गया था।

चार्ट 6.1.5: सर्किलों के नमूना जाँच में संग्रहण दक्षता प्रतिशत को दर्शाने वाला चार्ट



(स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित जानकारी)

उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है कि वर्ष 2017-18 से 2021-22 के मध्य नमूना इकाइयों में किसी ने भी 99.66 प्रतिशत संग्रहण दक्षता³⁷ का लक्ष्य हासिल नहीं किया है। संग्रहण दक्षता लक्ष्य हासिल न करने के मुख्य कारण उपभोक्ताओं के बिजली आपूर्ति को विच्छेदित करने में कंपनी की निष्क्रियता, विच्छेदित किए गए उपभोक्ताओं के विरुद्ध बकाया वसूली अधिनियम के अनुसार प्रभावी कार्रवाई का अभाव, सरकारी विभागों से बकाया, उपभोक्ताओं से उचित सुरक्षा निधि का संग्रहण न करना और परिचालन और संधारण और सतर्कता जांच के दौरान की गई मांग के विरुद्ध वसूली के लिए प्रभावी कार्रवाही का अभाव था।

लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए, शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि वर्ष 2019-20 से 2021-22 के मध्य संग्रहण दक्षता कोविड-19 महामारी के कारण बहुत अधिक प्रभावित हुई। इसके बाद कंपनी द्वारा संग्रहण दक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। यह भी बताया गया कि वर्ष 2021-22 से 2022-23 के दौरान राज्य की समग्र संग्रहण दक्षता 100 प्रतिशत से अधिक थी। उत्तर से स्पष्ट है कि स्थिति में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि बेहतर संग्रहण दक्षता में परिलक्षित होता है।

6.1.8.2 संग्रहण दक्षता की गणना के लिए गलत सूत्र का प्रयोग करके संग्रहण दक्षता की रिपोर्टिंग

लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि में, चयनित सर्किलों ने 85.26 प्रतिशत से 110.87 प्रतिशत के बीच संग्रहण दक्षता की रिपोर्टिंग की थी। चयनित सर्किलों ने वसूले गए बकाया राशि को राजस्व संग्रहण (अर्थात् केवल अंश में) के रूप में माना था। हालांकि इसे कुल देय राजस्व (हर में) में नहीं शामिल किया था। कुल देय राशि में बकाया राशि शामिल करने पर, संग्रहण दक्षता 63.47 प्रतिशत और 97.67 प्रतिशत के मध्य थी। त्रुटिपूर्ण सूत्र के परिणामस्वरूप रिपोर्ट की गई संग्रहण दक्षता 1.36 से 28.26 प्रतिशत तक बढ़ गई थी (जैसा कि **परिशिष्ट-6.1.7** में दर्शित है)। ये यह दर्शाता है कि चयनित सर्किलों ने राजस्व वसूली का बेहतर निष्पादन दिखाने के लिए गलत संग्रहण दक्षता सूचित किया किन्तु चयनित सर्किलों ने बिल किए गये चालू वर्ष की पूर्ण राशि एवं पूर्व वर्षों में किये गये बिल की बकाया राशि वसूल नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त, नमूना सर्किलों ने भारत सरकार द्वारा संग्रहण दक्षता के लिए निर्धारित सूत्र का उपयोग नहीं किया था।

³⁷ वर्ष के दौरान संग्रहण/पिछले वर्षों के बकाया सहित वर्ष के दौरान मांग।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि कंपनी द्वारा अंगीकृत की जा रही संग्रहण दक्षता सूत्र केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुरूप है, इसलिए संग्रहण दक्षता की रिपोर्टिंग में कोई त्रुटि नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नमूना सर्किलों ने अपनी संग्रहण दक्षता की गणना में सब्सिडी पर विचार नहीं किया, जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुरूप नहीं था।

निर्गमन बैठक (अगस्त 2023) के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के लिए छः चयनित सर्किलों के संबंध में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सूत्र लागू करके कंपनी द्वारा गणना की गई संग्रहण दक्षता का विस्तृत गणना पत्रक मांगा गया। प्रत्युत्तर में कंपनी ने वर्ष 2019–20 से 2021–22 के लिए इसे प्रस्तुत किया, किन्तु अपनी संग्रहण दक्षता की गणना के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सूत्र को प्रयोग नहीं किया।

6.1.8.3 राजस्व में बकाया का संचयन

कंपनी/संगठन की सफलता कुशल वित्तीय प्रबंधन पर निर्भर करती है, जो देय/बकाया राशि की समय पर वसूली सुनिश्चित करें। कंपनी के वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए, राजस्व बकाया को कम करने और संग्रहण दक्षता को बढ़ाने की आवश्यकता है। हालांकि, इसके विपरीत उपभोक्ताओं के, वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के राजस्व मांग, संग्रहण और शेष विवरणों की समीक्षा में पाया गया कि बड़ी मात्रा में बकाया राशि लंबित थी, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

चयनित सर्किलों के बकाया राशि के विश्लेषण में पाया गया कि 31 मार्च 2022 तक 7,36,707 उपभोक्ताओं के विरुद्ध ₹ 603.74 करोड़ बकाया था, जो बहुत अधिक था और यह दर्शाता है कि इसे कम करने के लिए पर्याप्त प्रयास का अभाव था और राजस्व वसूली के लिए तंत्र अप्रत्याप्त थे। 31 मार्च 2022 को बकाया राशि का कनेक्टिविटी-वार विवरण तालिका 6.1.7 में दर्शाया गया है:

तालिका 6.1.7: चयनित सर्किलों में 31 मार्च 2022 को कनेक्टिविटी वार बकाया राशि का दिखाने वाली विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सर्किल का नाम	अविच्छेदित		विच्छेदित		योग	
		उपभोक्ताओं की संख्या	बकाया राशि	उपभोक्ताओं की संख्या	बकाया राशि	उपभोक्ताओं की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7(3+5)	8(4+6)
1	रायपुर शहर-1	59,806	83.45	10,705	9.57	70,511	93.02
2	महासमुंद	1,94,166	150.18	36,895	26.20	2,31,061	176.38
3	राजनांदगाँव	1,15,206	69.54	22,050	9.71	1,37,256	79.25
4	बिलासपुर शहर	18,136	30.11	14,622	22.55	32,758	52.66
5	कवर्धा	95,073	45.39	25,277	14.81	1,20,350	60.20
6	जांजगीर-चांपा	1,07,235	101.05	37,536	41.18	1,44,771	142.23
	कुल योग	5,89,622	479.72	1,47,085	124.02	7,36,707	603.74

(स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित जानकारी)

(क) अविच्छेदित उपभोक्ताओं से बकाया राजस्व की वसूली न होना

विद्युत सप्लाई कोड, 2011 के उपवाक्य 10.20 में प्रावधान है कि लाइसेंसधारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करें कि भुगतान में कोई चूक न होने की स्थिति में बिना अस्थायी विच्छेदन के अधिकतम तीन माह की युक्तिसंगत अवधि से अधिक न

रहे। आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि, लाइसेंस धारी का अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि भुगतान में चूक से संबंधित सभी मामलों की नियमित निगरानी की जाए और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अस्थायी विच्छेदन और उसके बाद/स्थायी विच्छेदन हेतु समयबद्ध कार्रवाई प्रारंभ की जाए।

चयनित सर्किलों में 31 मार्च 2022 को अविच्छेदित उपभोक्ताओं के विरुद्ध बकाया राशि का आयु-वार विश्लेषण **तालिका 6.1.8** में दर्शाया गया है:

तालिका 6.1.8: चयनित सर्किलों में अविच्छेदित उपभोक्ताओं के विरुद्ध बकाया राशि का आयु-वार विभाजन

क्र. सं.	बकाया अवधि	अविच्छेदित उपभोक्ताओं की संख्या	बकाया राशि (₹ करोड़ में)
1	2	3	4
1	6 महीने तक	5,74,493	110.57
2	6 महीने से 1 वर्ष	3,06,032	85.64
3	1 वर्ष से 2 वर्ष	2,57,488	123.46
4	2 वर्ष से 3 वर्ष	2,02,888	82.58
5	3 वर्षों से अधिक	1,55,907	77.47
योग			479.72

(स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित जानकारी)

लेखापरीक्षा में पाया गया (दिसंबर 2022) कि अविच्छेदित उपभोक्ताओं पर ₹ 479.72 करोड़ के बकाया राशि का बड़ा संचयन था, जो दर्शाता है कि विद्युत सप्लाई कोड, 2011 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कंपनी भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेदित करने में विफल रही और ऐसे मामलों में बकाया राशि लगातार संचित होती रही। आयु-वार बकाया के विश्लेषण से यह पाया गया कि 31 मार्च 2022 को 3.71 लाख³⁸ अविच्छेदित उपभोक्ताओं पर ₹ 462.06 करोड़ की राशि बकाया थी, जो छः महीने से अधिक समय से बकाया थी, लेकिन 31 मार्च 2022 तक इसे विच्छेदित नहीं किया गया था।

छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-2023 में उपभोक्ताओं के कुल सक्रिय बकाया में 10.77 प्रतिशत की कमी आई है। आगे बताया गया कि बकाया राशि का बड़ा हिस्सा बीपीएल, घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं से संबंधित था, जिनके मामले में कनेक्शनों को विच्छेदित करना व्यावहारिक रूप से कठिन है। इसके अलावा, चल रहे मुकदमों के कारण कई उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेदित नहीं किया जा सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन चयनित सर्किलों के संबंध में उत्तर प्रस्तुत करने में विफल रही। इसके अलावा, कंपनी कानूनी विवाद रहित कनेक्शनों को विच्छेदित करने में असफल रही, परिणामस्वरूप विद्युत सप्लाई कोड के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ। इसके अलावा, कंपनी द्वारा उत्तर के समर्थन में विवादित मामलों की संख्या और ऐसे मामलों में बकाया राशि से संबंधित जानकारी नहीं प्रदान की।

(ख) विच्छेदित उपभोक्ताओं से बकाया राजस्व की वसूली न होना

विच्छेदित उपभोक्ताओं के विरुद्ध बकाया 31 मार्च 2022 की स्थिति में एक महीने से लेकर तीन वर्ष से अधिक के बीच था, जैसा कि **तालिका 6.1.9** में दर्शाया गया है:

³⁸ एक उपभोक्ता की दोहरी गणना से बचने के लिए, बकाया राशि की आयु-वार समूह पर विचार नहीं किया गया तथा कुछ या सभी आयु समूहों में बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं की केवल एक बार गणना की गई।

तालिका 6.1.9: चयनित सर्किलों में विच्छेदित उपभोक्ताओं के विरुद्ध बकाया राशि का आयु-वार विभाजन

क्र. सं.	बकाया अवधि	विच्छेदित उपभोक्ताओं की संख्या	बकाया राशि (₹ करोड़ में)
1	2	3	4
1	6 महीने तक	23,637	5.67
2	6 महीने से 1 वर्ष	23,308	6.57
3	1 वर्ष से 2 वर्ष	29,489	12.00
4	2 वर्ष से 3 वर्ष	35,329	14.46
5	3 वर्षों से अधिक	1,10,500	85.32
योग			124.02

(स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित जानकारी)

यह पाया गया कि 31 मार्च 2022 को चयनित सर्किलों में कुल 1,47,085 कनेक्शन³⁹ बिल की मांग राशि जमा न करने के कारण स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिए थे। किन्तु, कंपनी ने स्थायी रूप से विच्छेदित किए गए उपभोक्ताओं से ₹ 124.02 करोड़ के बकाया की वसूली के लिए ठोस कार्यवाही नहीं की।

लेखापरीक्षा अपत्ति को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने (अक्टूबर 2023) कहा कि बकाया वसूली अधिनियम (डीआरए) के प्रावधानों के अनुसार संबंधित मैदानी कार्यालयों द्वारा विच्छेदित उपभोक्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

(ग) शासकीय विभागों से देयों की वसूली न होना

कंपनी द्वारा विभिन्न शासकीय (केंद्र और राज्य) विभागों से अपने देयों की वसूली के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, जो मार्च 2018 में ₹ 50.45 करोड़ से बढ़कर मार्च 2022 में ₹ 418.14 करोड़ (728.82 प्रतिशत) हो गयी, जैसा कि नीचे तालिका 6.1.10 में दर्शाया गया है:

तालिका 6.1.10: चयनित सर्किलों में शासकीय विभागों के विरुद्ध बकाया राशि दिखाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	31 मार्च 2018 को बकाया राशि	31 मार्च 2022 को बकाया राशि	चार वर्षों में बकाया राशि में वृद्धि	
				राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5(4-3)	6(5/3)*100
1	स्थानिय निकाय	35.78	383.39	347.61	971.52
2	शिक्षा	3.60	9.03	5.43	150.83
3	स्वास्थ्य	1.51	3.91	2.40	158.94
4	महिला एवं बाल विकास	1.00	3.89	2.89	289.00
5	अन्य	8.56	17.92	9.36	109.35
योग		50.45	418.14	367.69	728.82

(स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित जानकारी)

छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि बकाया का भुगतान सामान्यतः मुख्यालय स्तर पर वर्ष के अंत में प्राप्त होता है। वर्ष 2016-17 से 2022-23 के दौरान शासकीय विभागों से कुल ₹ 2,011.40 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है।

³⁹ एक उपभोक्ता की दोहरी गणना से बचने के लिए, बकाया राशि की आयु-वार समूह की उपेक्षा की गयी तथा कुछ या सभी आयु समूहों में बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं की केवल एक बार गणना की गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि उत्तर में यह पुष्टि नहीं किया गया कि शासकीय विभागों द्वारा सभी देय राशि का भुगतान किया गया था। इसके अलावा, वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान शासकीय विभागों के विरुद्ध देय राशि में वृद्धि का रुझान दिखा, जो दर्शाता है कि देय राशि पूरी तरह वसूल नहीं की गई थी।

(घ) छत्तीसगढ़ शासन विद्युत उपक्रम (बकाया वसूली) अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का उल्लंघन

विद्युत सप्लाई कोड, 2011 (उपवाक्य 10.30) में प्रावधान है कि बकाया राशि विद्युत कनेक्शन के स्थायी विच्छेदन पर, वितरण लाइसेंसी बकाया राशि की वसूली के लिए छत्तीसगढ़ शासन विद्युत उपक्रम (बकाया वसूली) अधिनियम, 1961 (डीआरए) की सहायता लेगा। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं के स्थायी विच्छेदन के बाद, स्थायी विच्छेदन की तिथि से छः महीने के भीतर डीआरए के प्रावधानों के अनुसार राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आरआरसी) जारी करके बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी चाहिए।

चयनित सर्किलों में राजस्व बकाया की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि, 31 मार्च 2022 की स्थिति में 1,31,230 उपभोक्ताओं⁴⁰ से ₹ 119.70 करोड़⁴¹ की राशि वसूली के लिए लंबित थी, जिनके विद्युत कनेक्शन छह महीने से अधिक अवधि के लिए स्थायी रूप से विच्छेदित किए गए थे। हालांकि, इनमें से किसी भी उपभोक्ता को आरआरसी जारी नहीं किया, जो बकाया वसूली अधिनियम और सप्लाई कोड, 2011 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। इससे कंपनी की संग्रहण क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि कनेक्शन विच्छेदित किए उपभोक्ताओं के विरुद्ध तैनाती कार्यालयों द्वारा डी.आर.ए. के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह पाया गया कि लेखापरीक्षा की अवधि के मध्य छः चयनित सर्किलों में एलटी उपभोक्ताओं से वसूली के लिए डीआरए के तहत आवश्यक कार्रवाही शुरू नहीं की गई थी।

6.1.8.4 स्थायी रूप से विच्छेदित उपभोक्ताओं से अपेक्षित सुरक्षा जमा न करवाना और परिणामस्वरूप बकाया राशि का संचय होना

सप्लाई कोड, 2011 के प्रावधानों (उपवाक्य 4.59) के अनुसार, कंपनी ऐसे किसी भी व्यक्ति को अस्थायी कनेक्शन जारी कर सकती है, जिसे अस्थायी उद्देश्य के लिए और एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिए विद्युत सप्लाई की आवश्यकता हो। सप्लाई कोड, 2011 (उपवाक्य 4.59 (vi)) में यह प्रावधान किया गया था कि अस्थायी कनेक्शन देने से पहले आवेदकों को तीन महीने के अनुमानित बिल के बराबर राशि या मांगे गए अस्थायी कनेक्शन की अवधि के लिए, जो भी कम हो, उतने का भुगतान करना होगा, जिसकी समय-समय पर पुनःपूर्ति की जायेगी और कनेक्शन विच्छेदन के बाद भी अंतिम बिल में समायोजन किया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसंबर 2022) कि चयनित सर्किलों⁴² में, 31 मार्च 2022 को, 70,965 स्थायी रूप से विच्छेदित उपभोक्ता जिन्होंने अस्थायी कनेक्शन लिया था, उनपर पर ₹ 7.97 करोड़ का बिजली शुल्क बकाया था। हालांकि, कंपनी ने इन उपभोक्ताओं के

⁴⁰ कुल काटे/विच्छेदित कनेक्शन 1,31,230 (रायपुर शहर-1 से 9,233, महासमुंद-32,551, राजनांदगांव-18,202, बिलासपुर शहर- 13,748, कवर्धा-22,118 और जांजगीर-चांपा-35,378)।

⁴¹ ₹ 119.70 करोड़ (रायपुर शहर-1 से ₹ 7.65 करोड़, महासमुंद-₹ 25.47 करोड़, राजनांदगांव-₹ 9.25 करोड़, बिलासपुर शहर-₹ 22.25 करोड़, कवर्धा-₹ 14.35 करोड़ और जांजगीर-चांपा-₹ 40.73 करोड़)।

⁴² महासमुंद के पिथौरा संभाग और जांजगीर-चांपा के अकलतरा संभाग को छोड़कर।

लिए केवल ₹ 3.28 करोड़ की सुरक्षा जमा की थी, जिसे समायोजित नहीं (दिसंबर 2022) किया गया। जिसके परिणामस्वरूप, अस्थायी कनेक्शन लेने वाले इन 70,965 उपभोक्ताओं से सुरक्षा जमा राशि का कम संग्रहण हुआ, जैसा कि **तालिका 6.1.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 6.1.11: चयनित सर्किलों में 31 मार्च 2022 की स्थिति में विच्छेदित किए गए अस्थायी उपभोक्ताओं की स्थिति और सुरक्षा जमा को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	सर्कल का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या	बकाया राशि	रखी गयी सुरक्षा जमा राशि
1	2	3	4	5
1	रायपुर शहर-1	2,869	0.39	0.38
2	महासमुंद	18,531	3.06	0.06
3	राजनांदगांव	40,118	1.66	2.40
4	बिलासपुर शहर	1,194	0.49	0.16
5	कवर्धा	2,587	0.82	0.15
6	जंजगीर-चांपा	5,666	1.55	0.13
कुल		70,965	7.97	3.28

(स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित जानकारी)

चूंकि इन उपभोक्ताओं की विद्युत सप्लाई पहले ही विच्छेदित कर दी गई थी तथा अनुबंध अवधि समाप्त हो गई थी, इसलिए ₹ 4.69 करोड़⁴³ के बकाया राशि की वसूली की संभावना बहुत कम है। कंपनी ने बकाया वसूली के लिए कोई कार्रवाही शुरू नहीं की। जो यह दर्शाता है कि या तो सुरक्षा जमा का आकलन गलत किया था या इन उपभोक्ताओं को अस्थायी विद्युत सप्लाई/समय बढ़ाने के लिए कंपनी द्वारा अपेक्षित सुरक्षा जमा एकत्र/पुनःमांग नहीं की गई थी।

छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि अंतिम बिल के आकलन और सुरक्षा जमा के समायोजन के बाद मैदानी कार्यालय बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाही कर रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप, छः चयनित सर्किलों में से चार में स्थायी रूप से विच्छेदन किए गए अस्थायी उपभोक्ताओं की बकाया राशि में कमी (जून 2023) आई है। पता न चल पाये उपभोक्ताओं के संबंध में कहा गया कि वसूली न किए जा सकने वाले बकाया राशि को विधिवत हटा दिया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विद्युत सप्लाई कोड में प्रावधान है कि अस्थायी कनेक्शन की अवधि के दौरान मीटर की नियमित रीडिंग ली जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक खपत के लिए देय शुल्क प्राप्त अग्रिम भुगतान से अधिक न हो। हालांकि, कंपनी विद्युत सप्लाई कोड के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर सकी और परिणामस्वरूप, बकाया राशि सुरक्षा जमा राशि से अधिक हो गई।

6.1.8.5 राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान करने के संबंध में विद्युत अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

केजेजेवाई योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि उपभोक्ता स्थिर दर का विकल्प चुनता है, तो उसे प्रति माह ₹ 100 प्रति एचपी की दर से विद्युत शुल्क का भुगतान करना होगा, चाहे उपयोगिक यूनिट की संख्या कुछ भी हो। इसके अलावा, 6,000/7,500 इकाइयों के लिए उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई की लागत की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जानी थी।

⁴³ ₹ 7.97 करोड़—₹ 3.28 करोड़।

वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान, सीएसपीडीसीएल ने ₹ 4,925.99 करोड़⁴⁴ मूल्य की 10,335.68 एमयू बिजली बेची (उपभोक्ताओं से ली गई स्थिर दर पर विचार करने के बाद)। प्रतिपूर्ति योग्य विद्युत इकाई 5,612.93 एमयू⁴⁵ थी, जिसका मूल्य ₹ 2,762.57 करोड़ था। इसके अलावा, कंपनी को यह जानकारी थी कि 3 एचपी और 3 एचपी से 5 एचपी के मामले में क्रमशः 6,000 इकाई और 7,500 इकाई से अधिक बिजली की अतिरिक्त खपत छत्तीसगढ़ शासन से प्रतिपूर्ति योग्य नहीं थी। इसलिए, कंपनी द्वारा ₹ 2,163.43⁴⁶ करोड़ वहन किये जाने थे।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसंबर 2022) कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन को सब्सिडी के अनुदान से प्रभावित होने वाली सीमा तक कंपनी को क्षतिपूर्ति करने के लिए राशि का अग्रिम भुगतान करना आवश्यक था, जो कि कंपनी द्वारा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी को लागू करने की एक शर्त थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016-17 के टैरिफ आदेश के अंतिम सत्यापन के दौरान सीएसईआरसी ने कहा (28 फरवरी 2019) कि छत्तीसगढ़ शासन विद्युत अधिनियम, 2003 के सक्षम प्रावधान⁴⁷ (धारा 65) के अनुसार किसी भी वर्ग के उपभोक्ता को सब्सिडी प्रदान कर सकती है।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य विद्युत इकाईयों की खपत के लिए निर्धारित सीमा से अधिक स्थायी दर का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत की खपत के कारण कंपनी पर पड़ने वाले बोझ के संबंध में समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन के समक्ष मामला उठाया गया। हालांकि, कंपनी को हुई हानि की प्रतिपूर्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन से कोई धनराशि (दिसंबर 2022) प्राप्त नहीं हुई, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को ₹ 2,163.43 करोड़ की हानि हुई।

छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, उपभोक्ताओं को 6,000/7,500 इकाई (3 एचपी/5 एचपी पंप के लिए) तक की विद्युत सप्लाई की लागत राज्य शासन से प्रतिपूर्ति की गई थी। ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा खपत की गई अतिरिक्त यूनिट (6,000/7,500 इकाई से अधिक) के लिए, कंपनी ने समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन से मांग की है। हालांकि, अभी तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। यह भी कहा गया कि सीएसईआरसी इस मामले से अच्छी तरह अवगत है।

यह स्पष्ट है कि कंपनी को निर्धारित सीमा से अधिक बिजली की खपत पर पर्याप्त सब्सिडी राशि नहीं मिली, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी पर ₹ 2,163.43 करोड़ का बोझ पड़ा। इसके अतिरिक्त, 6,000/7,500 इकाई से अधिक खपत की गई अतिरिक्त इकाईयों के लिए सब्सिडी जारी करने पर उत्तर में कुछ नहीं बताया है।

⁴⁴ जैसा कि कंपनी द्वारा गणना की गई हैं।

⁴⁵ 3 एचपी और 3 एचपी से 5 एचपी तक की क्षमता वाले कृषि पंपों के लिए क्रमशः 6,000 इकाई और 7,500 इकाई की दर से।

⁴⁶ ₹ 4,925.99 करोड़ (10,335.68 एमयू) - ₹ 2,762.57 करोड़ (5,612.93 एमयू)।

⁴⁷ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 में प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार को राज्य आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ में किसी उपभोक्ता या उपभोक्ता वर्ग को कोई सब्सिडी देने की आवश्यकता होती है, तो राज्य सरकार ऐसी सब्सिडी के कार्यान्वयन के लिए निर्देश देगी और अग्रिम भुगतान करेगी। यदि राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता है, तो सब्सिडी देने के लिए राज्य सरकार के निर्देश प्रभावी नहीं होंगे और राज्य आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ इस संबंध में राज्य आयोग द्वारा आदेश जारी करने की तारीख से लागू होंगे।

6.1.8.6 उपभोक्ताओं के गलत वर्गीकरण और राज्य शासन से सब्सिडी का कम दावा करने के कारण राजस्व की हानि

केजेजेवाई में, 3 एचपी तक और 3 एचपी से 5 एचपी से अधिक तक के पंप कनेक्शन के लिए बिजली का उपयोग करने वाले किसानों को क्रमशः 6,000 इकाई और 7,500 इकाई बिजली की खपत प्रति वर्ष मुफ्त थी। यदि उपभोक्ता स्थायी दर चुनता है, तो उसे प्रतिमाह ₹ 100 प्रति एचपी की दर से विद्युत शुल्क का भुगतान करना पड़ता था चाहे इस मामले में खपत की गई इकाइयों की संख्या कितनी भी हो। इसके अलावा, 6,000/7,500 इकाई के लिए उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई की लागत की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया गया (दिसंबर 2022) कि वर्ष 2019–22⁴⁸ की अवधि के दौरान, छः चयनित सर्किलों⁴⁹ में से एक अर्थात् कवर्धा में, 3 एचपी से अधिक क्षमता वाले पंप कनेक्शनों की बिलिंग के कुल 51,850 मामलों में से, 15,678 को गलत तरीके से 3 एचपी में वर्गीकृत किया गया था। चूंकि छत्तीसगढ़ शासन को प्रति वर्ष 7500 यूनिट की अनुमति के स्थान पर 6000 यूनिट का दावा किया गया था, इसलिए गलत तरीके से वर्गीकृत किए गये प्रत्येक कनेक्शन के लिए 1,500 इकाइयों पर सब्सिडी का कम दावा किया गया था। परिणामस्वरूप, कंपनी को ₹ 15.74 करोड़ के राजस्व का हानि हुई, जिसका विवरण तालिका 6.1.12 में दर्शाया गया है:

तालिका 6.1.12: कंपनी द्वारा छत्तीसगढ़ शासन से कम दावा की गई राशि को दर्शाने वाली विवरण

वर्ष	ऐसे मामलों की संख्या जहां 3 एचपी से अधिक के पंपो को गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था	इकाइयों में कम दावा (प्रति कनेक्शन पर 1,500 इकाइयों की दर से)	औसत गणना दर (₹ प्रति इकाई)	सब्सिडी के कम दावे की राशि (₹ में)
1	2	3	4	5
2019–20	5,087	76,30,500	6.58	5,02,08,690
2020–21	5,292	79,38,000	6.50	5,15,97,000
2021–22	5,299	79,48,500	7.00	5,56,39,500
कुल				15,74,45,190

(स्रोत: कंपनी के एसएपी सिस्टम में उपलब्ध आंकड़ों से संकलित जानकारी)

छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि एसएपी सिस्टम में तैयार मासिक लेजर के अनुसार, 2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान गलत तरीके से वर्गीकृत किए गए पंप कनेक्शनों की संख्या 28 थी, जबकि लेखापरीक्षा में 15,678 पायी गई थीं। आगे कहा गया कि भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि 5 एचपी के 28 कनेक्शनों में से 19 को गलत तरीके से 3 एचपी में वर्गीकृत किया गया था और 3 एचपी के नौ कनेक्शनों को 5 एचपी में वर्गीकृत किया गया था जिसमें अब सुधार किया जा चुका है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी के एसएपी सिस्टम में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 5 एचपी पंप कनेक्शन के 15,678 मामलों को गलत तरीके से 3 एचपी में वर्गीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, उत्तर को सहायक दस्तावेजों के साथ पुष्ट नहीं किया गया था।

⁴⁸ वर्ष 2019–20 में 16,295 प्रकरणों में से 5,087, वर्ष 2020–21 में 17,064 प्रकरणों में से 5,292 तथा वर्ष 2021–22 में 18,491 प्रकरणों में से 5,299 प्रकरण दर्ज किए गए।

⁴⁹ वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक चयनित सर्किलों में रायपुर शहर-1, महासमुंद, राजनांदगांव, बिलासपुर शहर, कवधा और जांजगीर-चांपा।

6.1.8.7 राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी जारी करने में देरी से ब्याज का बोझ बढ़ा

छत्तीसगढ़ शासन ने समय-समय पर विद्युत आपूर्ति वाली सब्सिडी से संबंधित योजनाएं⁵⁰ शुरू कीं, जिन्हें कंपनी ने योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू किया। योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कंपनी को छत्तीसगढ़ शासन से सब्सिडी मिली।

कंपनी के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान कंपनी ने विभिन्न योजनाओं के तहत विद्युत आपूर्ति के लिए सब्सिडी के रूप में ₹ 19,310.20 करोड़ का दावा किया और 1 अप्रैल 2017 तक ₹ 874.68 करोड़ सब्सिडी का प्रारंभिक शेष था (एकल बत्ती कनेक्शन के संबंध में ₹ 9.43 करोड़ और कृषक जीवन ज्योति योजना के संबंध में ₹ 865.25 करोड़) जिसके विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन ने ₹ 17,893.12 करोड़ की सब्सिडी जारी की। इस प्रकार, 31 मार्च 2022 तक ₹ 2,291.76 करोड़ की सब्सिडी जारी नहीं की। वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त सब्सिडी का अनुपात शून्य प्रतिशत से 128.64 प्रतिशत के मध्य रहा (जैसा कि **परिशिष्ट-6.1.8** में दर्शाया गया है)।

चूंकि छत्तीसगढ़ शासन ने समीक्षा अवधि के दौरान सब्सिडी की पूर्ण राशि जारी नहीं की, इसलिए कंपनी को खर्चों को पूरा करने के लिए ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान कंपनी ने बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ₹ 2,097.44 करोड़ का ऋण लिया और ₹ 214.77 करोड़ का (जैसा कि **परिशिष्ट-6.1.8** में विस्तृत है) ब्याज चुकाया जिसे सीएसईआरसी ने संबंधित वर्षों के टैरिफ आदेशों के माध्यम से वसूलने की अनुमति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप ब्याज के भुगतान के कारण उच्च टैरिफ के रूप में उपभोक्ताओं पर ₹ 214.77 करोड़ का परिहार्य वित्तीय बोझ पड़ा है।

छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि राज्य सरकार की बजटीय बाधाओं के कारण दावे में देरी/कम भुगतान हुआ। इसके अलावा, पुनरोद्धार वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के कार्यान्वयन पर, राज्य सरकार ने पूरे मौजूदा दावे के साथ-साथ लंबित दावों को जारी करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। तदनुसार, 31 मार्च 2022 तक ₹ 2,291.76 करोड़ के लंबित दावों के विरुद्ध राज्य सरकार ने ₹ 2,698 करोड़ के भुगतान करने की प्रतिबद्धता बतलाई है और उम्मीद है कि दावे की शेष राशि समय पर जारी कर दी जाएगी और जिसके परिणामस्वरूप ब्याज लागत में बचत होगी।

उपभोक्ताओं पर ब्याज के बोझ के संबंध में, यह कहा गया कि सीएसईआरसी ने मानक आधार पर टैरिफ में ऋण पर ब्याज की अनुमति दी है। अतः छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय पर सब्सिडी जारी नहीं करने के कारण उपभोक्ताओं पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मई 2022 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की गई प्रतिबद्धता के विरुद्ध कंपनी द्वारा प्राप्त राशि का विवरण न तो अभिलेखों में पाया गया और न ही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए उत्तर में पाया गया। इसके अलावा, उपभोक्ताओं पर कोई वित्तीय बोझ नहीं होने के बारे में उत्तर भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सब्सिडी जारी नहीं करने के कारण कंपनी को ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं पर ब्याज का बोझ पड़ा।

⁵⁰ गरीबी रेखा के निचे (बीपीएल) के उपभोक्ताओं को एकलबत्ती कनेक्शन, कृषक जीवन ज्योति योजना (केजेजेवाई), आधी बिजली बिल योजना, घरेलु उपभोक्ताओं को स्थायी दर और स्टील औद्योगिक के लिए छूट।

6.1.8.8 ऑनलाइन ऊर्जा बिलों के भुगतान के संबंध में सीएसईआरसी के निर्देशों का अनुपालन न करना

सीएसईआरसी द्वारा जारी टैरिफ आदेश (वर्ष 2021–22) के अनुसार, ₹ पांच हजार से अधिक राशि के बिल का भुगतान अनिवार्य रूप से ऑनलाइन 01 अगस्त 2021 से प्रभावी किया जाएगा।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि चयनित सर्किलों⁵¹ ने 1 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक कुल ₹ 37.36 करोड़ के विद्युत बिलों के लिए ऑनलाइन भुगतान के विरुद्ध ₹ 5,000 से अधिक के 12,505 चेक स्वीकार किए।

इसके परिणामस्वरूप सीएसईआरसी के आदेश का पालन नहीं हुआ, साथ ही कंपनी के खाते में राजस्व की शीघ्र वसूली का उद्देश्य भी प्रभावित हुआ।

लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (अक्टूबर 2023) कि सीएसईआरसी के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मैदानी कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

6.1.8.9 अनादरित चेकों के विरुद्ध भुगतान वसूलने के लिए त्वरित कार्रवाही का अभाव

कंपनी के आदेश⁵² (नवंबर 2008) के अनुसार, यदि उपभोक्ता द्वारा विद्युत बिल के भुगतान के लिए भेजा गया चेक बैंकर द्वारा बिना भुगतान किए वापस कर दिया जाता है, या तो इसलिए कि उस खाते में जमा राशि चेक को स्वीकार करने के लिए अपर्याप्त है या यह बैंक के साथ किए गए समझौते द्वारा उस खाते से भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक है, उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा और तुरंत ग्राहक को, बैंक से बिना भुगतान के चेक वापस आने की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर एक नोटिस देना चाहिए, जिसमें उक्त नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान, या तो नकद या केवल डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से भुगतान करने की मांग की जाएगी। हालांकि, यदि उपभोक्ता 15 दिनों के भीतर उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो कंपनी के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए, उसके बाद 30 दिनों के भीतर परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

चयनित छः सर्किलों⁵³ के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया (दिसंबर 2022) कि वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान, ₹ 5,000 से अधिक मूल्य के कुल मिलाकर ₹ 20.66 करोड़ के कुल 4,731 चेक बाउंस हुए। ₹ 2.23 करोड़ की राशि के 587 चेकों के मामले में, कंपनी ने उपभोक्ताओं को कंपनी द्वारा निर्धारित 30 दिनों के बदले 31 दिनों से 748 दिनों के मध्य की अवधि बीत जाने के बाद उनके चेक के बाउंस होने के बारे में सूचित किया। इसके अलावा, ₹ 8.05 करोड़ की राशि के 1,943 चेकों के मामले में, उपभोक्ताओं ने 15 दिनों की निर्धारित समय अवधि के बदले 16 दिनों से 1,141 दिनों के मध्य की अवधि बीत जाने के बाद भुगतान किया। हालांकि, कंपनी द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर बकाया राशि वसूलने के लिए कोई कार्रवाही नहीं की गई। 455 मामलों में अनादरित चेक के विरुद्ध कंपनी ने कंपनी के आदेश का उल्लंघन करते हुए नकद या डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के स्थान पर चेक में ₹ 2.17 करोड़ का भुगतान स्वीकार किया। यह

⁵¹ रायपुर शहर-1 के पूर्व एवं मध्य संभागों, महासमुंद के पिथौरा एवं सरायपाली संभागों को छोड़कर।

⁵² परिपत्र क्र. 05-01/बी एवं सीएम/4720 दिनांक 7/11/2008।

⁵³ रायपुर शहर-1 के पूर्व संभाग, महासमुंद (वर्ष 2017–18 एवं 2018–19) और राजनांदगांव के डोंगरगांव संभाग को छोड़कर।

भी पाया गया कि 103 मामलों में उपभोक्ता अब तक (दिसंबर 2022) ₹ 0.95 करोड़ का भुगतान करने में विफल रहे, लेकिन कंपनी के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए कंपनी द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की गई।

यह दर्शाता है कि कंपनी ने अपने वित्तीय हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ताओं से राजस्व की वसूली के लिए त्वरित कार्रवाई नहीं की।

लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने कहा (अक्टूबर 2023) कि विकेंद्रीकृत प्रक्रिया के कारण प्रगटीकरण में देरी हुई थी। यह भी कहा गया कि वर्तमान में, कंपनी ने आईटी प्रणाली को इस तरह से संशोधित और कार्यान्वित किया है कि चेक के अनादर के बारे में बैंक से सूचना प्राप्त होने के बाद, एक सप्ताह के भीतर, आरएओ स्तर पर ही उपभोक्ता के खाते से राशि डेबिट हो जाती है और साथ ही उपभोक्ता को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजा जाता है। इस तरह, भविष्य में ऐसी चूक की संभावना नगण्य होगी। ₹ 0.95 करोड़ की राशि के बिलों की राशी वसूली न होने के संबंध में कहा गया कि इन मामलों को मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जा रहा है।

6.1.8.10 राजस्व के समाधान के लिए कंपनी द्वारा त्वरित कार्रवाई का अभाव

सप्लाई कोड, 2011 के उपवाक्य 10.1 के अनुसार उपभोक्ताओं को लाइसेंसधारी अर्थात् कंपनी द्वारा दिए गए बिलों के अनुसार, उपभोक्ता द्वारा प्रयुक्त विद्युत और उपभोग की गई ऊर्जा के लिए हर महीने भुगतान करना होगा।

31 मार्च 2022 तक चयनित सर्किलों के क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (आरएओ) ने उपभोक्ताओं से राजस्व संग्रहण के लिए चार बैंकों⁵⁴ में 12 चालू खाते रखे हैं। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नकदी में प्राप्त विद्युत शुल्क सीधे आरएओ के बैंक खातों में जमा किए जाते हैं। डिमांड ड्राफ्ट/चेक द्वारा प्राप्त भुगतान के मामले में, आरएओ इसे संग्रहण के लिए संबंधित बैंक में प्रस्तुत करते हैं और समाशोधन के बाद, डिमांड ड्राफ्ट/चेक की राशि कंपनी के खाते में जमा की जाती है। एकत्रित नकद और अस्पष्ट चेक, डिमांड ड्राफ्ट आदि के जमा की निगरानी के उद्देश्य से कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बैंक शेष के समाधान के लिए बैंक समाधान विवरण (बीआरएस) एक आवश्यक उपकरण के रूप में कार्य करता है।

बीआरएस की जांच से पता चला कि 31 मार्च 2022 तक, 37,555 मामलों में, 8 मार्च 2006 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान आरएओ द्वारा उपभोक्ताओं से प्राप्त ₹ 1,868.98 करोड़ का राजस्व 'रोकड़ बही' में प्राप्त लेकिन बैंक खातों में जमा नहीं दिखाया गया था। इसी तरह, 22,338 मामलों में ₹ 1,999.95 करोड़ की राशि को 'बैंक खातों में जमा लेकिन रोकड़ बही में प्राप्त नहीं' दिखाया गया था, जो 22 दिसंबर 2005 से 31 मार्च 2022 की अवधि से संबंधित है। हालांकि, 16 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, कंपनी बैंक खातों के साथ रोकड़ बही का समाधान न होने के कारण ₹ 301.83 करोड़ का समाधान सुनिश्चित करने में विफल रही, जैसा कि **तालिका 6.1.13** में दर्शाया गया है।

⁵⁴ भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), भारतीय युनियन बैंक (यूबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) तथा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) तथा छत्तीसगढ़ ग्रामिण बैंक (ग्रामीण बैंक)।

तालिका 6.1.13: चयनित सर्किलों के आरएओ में रोकड़ बही और बैंक खातों के बीच समाधान न किए गए नकद/डिमांड ड्राफ्ट/चेक को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	आरएओ का नाम	रोकड़ बही में प्राप्त राशि दर्शाई गई है, लेकिन बैंक में नहीं				बैंक में प्राप्त राशि दर्शाई गई है, लेकिन रोकड़ बही में नहीं				समाधान नहीं की गई राशि
		मामलों की संख्या	राशि	अवधि जिसके लिए राशि समाधान नहीं की गई		मामलों की संख्या	राशि	अवधि जिसके लिए राशि समाधान नहीं की गई		
				से	तक			से	तक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(4-8)
1	बिलासपुर	1,462	112.59	08 मार्च 06	31 मार्च 22	2,987	38.87	22 दिस 05	31 मार्च 22	73.72
2	रायगढ़	6,069	1,084.91	16 अक्टू 15	31 मार्च 22	7,854	1,279.66	19 अक्टू 15	31 मार्च 22	194.75
3	आरएओ 2 रायपुर	28,377	667.32	03 अक्टू 11	31 मार्च 22	7,497	655.61	10 अक्टू 11	31 मार्च 22	11.71
4	राजनांदगांव	1,647	4.16	01 अप्रै 13	31 मार्च 22	4,000	25.81	02 जन 09	31 मार्च 22	21.65
कुल		37,555	1,868.98			22,338	1,999.95			301.83

(स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित जानकारी)

कंपनी द्वारा पूर्व⁵⁵ में राजस्व के दुरुपयोग/गबन के मामलों की रिपोर्ट किए जाने के बावजूद कंपनी ने इन मामलों से सबक नहीं लिया और रोकड़ बही और बैंक खाते के बीच राजस्व प्राप्ति का मिलान करने के लिए त्वरित कार्रवाही करने में विफल रही। इसलिए, समय पर समाधान के अभाव में, भविष्य में कंपनी को होने वाली राजस्व में धोखाधड़ी/गबन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। यह राजस्व प्राप्ति के संबंध में कंपनी की खराब वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए, छत्तीसगढ़ शासन ने कहा (अक्टूबर 2023) कि 31 मार्च/अप्रैल/जून 2023 तक अस्पष्ट राशि ₹ 75.99 करोड़ थी। यह भी कहा गया कि अस्पष्ट राशि का समाधान करने और कम करने के लिए आरएओ द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और अंतर को कम करने की प्रगति के बारे में लेखापरीक्षा को उचित समय पर अवगत कराया जाएगा। नकदी के दुरुपयोग के संबंध में, यह कहा गया कि कंपनी ने हाल ही में एसएपी के तहत एक ऑटो क्लियरिंग सिस्टम विकसित किया है जिसकी समय-समय पर प्रधान कार्यालय द्वारा समीक्षा की जाती है। इस प्रकार, राजस्व के दुरुपयोग/धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाएगी।

6.1.8.11 विच्छेदित किए गए उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शनों का संयुक्त भौतिक सत्यापन

यह आकलन करने के लिए कि 31 मार्च 2022 की स्थिति में स्थायी रूप से विच्छेदित (पीडी) निम्न दाब (एलटी) उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेदित होने के बाद विद्युत सप्लाई के बिना कैसे जी रहे हैं और क्या वे पिछले बकाया का भुगतान किए बिना नए कनेक्शन प्राप्त कर रहे हैं, एक वर्ष और उससे अधिक अवधि के लिए विच्छेदित किए गए 642 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शनों का संयुक्त भौतिक सत्यापन लेखापरीक्षा के दौरान चयनित सर्किलों के वितरण केंद्र प्रभारियों के साथ (दिसंबर 2022) किया गया। इस कार्य के लिए, प्रत्येक चयनित सर्कल में से न्यूनतम 100 उपभोक्ताओं को यादृच्छिक रूप से चुना गया, जिनमें इन सभी 19 डिवीजन कार्यालयों को शामिल किया गया था।

⁵⁵ कंपनी के कर्मचारियों ने विद्युत शुल्क उपभोक्ताओं से प्राप्त ₹ 3.64 करोड़ की नकदी का दुरुपयोग किया: ₹ 18.01 लाख धमतरी संभाग (वर्ष 2016-17), ₹ 1.10 करोड़ बिलासपुर क्षेत्र (2018-19) और ₹ 2.36 करोड़ अकलतरा संभाग (वर्ष 2020-21)।

भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 642 उपभोक्ताओं में से 131 उपभोक्ता सीधे खंभे से तार जोड़कर बिजली का उपयोग कर रहे थे, 434 उपभोक्ता कनेक्शन से वंचित पाए गए, 33 उपभोक्ता अन्य उपभोक्ताओं से कनेक्शन लेकर अनधिकृत रूप से बिजली का उपयोग करते पाए गए, 36 उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन दिए गए, जिनमें से 19 को पिछले बकाया का भुगतान किए बिना कनेक्शन दिए गए। कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, आठ उपभोक्ता जिनके कनेक्शन बिजली बिलों का भुगतान न करने के कारण विच्छेदित किए गए थे, बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के बावजूद उनके कनेक्शन जुड़े पाये गये।



(उपभोक्ताओं द्वारा बिजली के तार से सीधे हुकिंग करते हुए दिखाने वाला चित्र)

यह दर्शाता है कि कंपनी पिछले बकाया का भुगतान किए बिना कनेक्शन विच्छेदित हुए उपभोक्ताओं द्वारा बिजली के अनधिकृत उपयोग की निगरानी करने में असमर्थ रही।

छत्तीसगढ़ शासन ने आंशिक उत्तर देते हुए (अक्टूबर 2023) निम्नलिखित बातें बताईं:

- लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा गया कि कवर्धा सर्किल में बकाया भुगतान चुकाने के बाद 12 कनेक्शन पुनः जोड़ दिए गए थे और 20 पीडी कनेक्शनों के विरुद्ध बकाया राशि वसूल की गई।
- भौतिक सत्यापन में पाया गया कि महासमुंद सर्किल में सभी चार पीडी कनेक्शनों का परिसर एक ही था और वहां बिजली का कोई अनाधिकृत उपयोग नहीं हुआ था। इसी तरह, सरायपाली के मामले में, 2013 में कनेक्शन दिया गया था, लेकिन कनेक्शन विच्छेद किए जाने के बाद नहीं दिया था जैसा कि लेखापरीक्षा ने बताया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान चार कनेक्शन विच्छेदित पाये गए थे, लेकिन उक्त कनेक्शन के उपभोक्ता अन्य उपभोक्ताओं से कनेक्शन लेकर अनाधिकृत रूप से बिजली का उपयोग कर रहे थे और उत्तर की पुष्टि करने हेतु सहायक दस्तावेज नहीं प्रदान किये गये। इसके अलावा, पिछले बकाया का भुगतान किए बिना नए कनेक्शन प्रदान करने के संबंध में भी उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी के अभिलेखों के अनुसार बकाया होने के बावजूद संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान उक्त कनेक्शन जुड़ा हुआ पाया गया। इसके अलावा, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान कंपनी द्वारा लेखापरीक्षा के परिणामों को स्वीकार कर लिया गया था।

- लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने कहा कि जांजगीर-चांपा सर्किल में बिना पिछले बकाया भुगतान किये गए पांच नए कनेक्शनों में से, दो कनेक्शन वर्तमान में पिछला बकाया भुगतान करने पर जोड़े

गये हैं, तीन कनेक्शन विच्छेदित कर दिए गए हैं। इसी तरह, तीन ऐसे कनेक्शन जो लेखापरीक्षा द्वारा सीधे तार जोड़कर बिजली का उपयोग करते पाए गए थे, उन्हें पिछले बकाया भुगतान के बाद फिर से जोड़ा गया।

यह भी कहा गया है कि एक कनेक्शन जिसके बारे में लेखापरीक्षा ने बताया कि वह दूसरे कनेक्शन से बिजली का उपयोग कर रहा था, भौतिक सत्यापन में विच्छेदित पाया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान एक कनेक्शन दूसरे कनेक्शन से बिजली का उपयोग करते हुए पाया गया था और कंपनी के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान इसे स्वीकार किया था।

- लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने बताया कि बिलासपुर शहर सर्किल में दो कनेक्शन से स्थाई विच्छेदन बकाया भुगतान के बिना कनेक्शन दिए थे, इनकी बकाया राशि की वसूली कर ली गई। पास के कनेक्शन से बिजली का उपयोग करते पाए गए तीन कनेक्शनों में से स्थाई विच्छेदन बकाया भुगतान के बाद एक नया कनेक्शन प्रदान किया गया और दो कनेक्शन विच्छेदित कर दिये हैं। सीधे तार जोड़कर बिजली का उपयोग करते पाए गए दो कनेक्शनों में से स्थाई विच्छेदन बकाया भुगतान के बाद एक नया कनेक्शन प्रदान किया गया था और एक कनेक्शन विच्छेद कर दिया गया है।
- कंडिका को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने बताया कि रायपुर शहर—1 सर्किल में सीधे तार जोड़ने के छः मामलों में उचित कार्रवाई की गई है, पास के कनेक्शन से बिजली का उपयोग करते पाए गए नौ कनेक्शनों की आपूर्ति विच्छेद कर दी गई है और पिछले बकाया भुगतान के बिना नए कनेक्शन दिए गए दो मामलों में लाइन विच्छेद कर दी गई है।
- राजनांदगांव सर्किल के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन ने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए सभी स्थाई विच्छेदन कनेक्शनों का भौतिक सत्यापन किया गया है तथा बिजली का उपयोग नहीं पाया गया। आगे बताया गया कि उचित प्रक्रिया का पालन करने तथा पुराने बकाया की वसूली के पश्चात् कुछ कनेक्शन दिए गए हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि स्थायी रूप से कनेक्शन विच्छेद किए गए उपभोक्ताओं के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि 110 उपभोक्ताओं में से 10 सीधे खंभे से कनेक्शन लेकर बिजली का उपयोग कर रहे थे, नौ उपभोक्ता अन्य उपभोक्ताओं से कनेक्शन लेकर अनाधिकृत रूप से बिजली का उपयोग कर रहे थे, पांच उपभोक्ताओं को पिछले बकाया का भुगतान किए बिना नए कनेक्शन दिए गए तथा तीन उपभोक्ताओं के कनेक्शन जुड़े हुए पाए गए, हालांकि कंपनी के अभिलेखों के अनुसार उनका कनेक्शन विद्युत बिल का भुगतान न करने के कारण विच्छेद कर दिया गया था। इसके अलावा संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा के परिणामों को कंपनी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

इसके अलावा, निर्गमन सम्मेलन के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने बताया कि कंपनी द्वारा आवश्यक कार्रवाही के लिए मैदानी कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं।

6.1.9 निष्कर्ष

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित लक्ष्य सीमा 83.50 से 84 प्रतिशत के विरुद्ध बिलिंग दक्षता 79.84 प्रतिशत से 81.98 प्रतिशत के बीच रही। कंपनी ने अपनी संग्रहण दक्षता की गणना के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित सूत्रों को लागू नहीं किया। परिणामस्वरूप संग्रहण दक्षता (-)0.51 प्रतिशत से 4.65 प्रतिशत तक गलत रिपोर्ट की गई। वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान कंपनी ने

₹ 49,471.89 करोड़ की लागत पर 1,26,719.50 एमयू इनपुट/क्रय किया, जिनमें से उपभोक्ताओं को ऊर्जा वितरण के दौरान ₹ 9,283.38 करोड़ मूल्य के 23,788.15 एमयू नष्ट हो गए। नष्ट हुई कुल इकाइयों में से 3,160.21 एमयू मानक से अधिक थी अन्यथा कंपनी को ₹ 2,157.15 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता। इसके अलावा, विक्रय की गई इकाइयों में से कंपनी, वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2020-21 के दौरान ₹ 1,591.20 करोड़ मूल्य की 2,376.58 एमयू की वसूली नहीं कर सकी।

अत्यधिक वितरण हानि का प्रमुख कारण डीटीआर मीटरिंग, स्मार्ट मीटरिंग में तीव्रता लाने में कंपनी की अकर्मण्यता, एएमआर सिस्टम और सीबी की गैर-स्थापना, आकलित बिलिंग के मामलों की अधिकता और खराब मीटरों को बदलने में हुई देरी थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,353.60 करोड़ मूल्य के 1,988.64 एमयू की हानि हुई। कंपनी ने ₹ 2.65 करोड़ की कम बिलिंग करके उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। कृषक जीवन ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युत की खपत कृषि पंप की अधिकतम निर्धारित क्षमता से अधिक थी परिणामस्वरूप, पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार को 213.37 एमयू का अतिरिक्त बिल भेजा गया और योजना के तहत सब्सिडी के रूप में ₹ 145.51 करोड़ की अतिरिक्त राशि का दावा किया गया।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान नमूना लिए गए किसी भी सर्कल ने 99.66 प्रतिशत संग्रहण दक्षता का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया। संग्रहण दक्षता लक्ष्य प्राप्त न करने के कारणों में कंपनी द्वारा चूककर्ता उपभोक्ताओं की विद्युत सप्लाई विच्छेद करने में निष्क्रियता, कनेक्शन विच्छेद किए गए उपभोक्ताओं के विरुद्ध बकाया वसूली अधिनियम के अनुसार प्रभावी कार्रवाही का अभाव, सरकारी विभागों से बकाया, उपभोक्ताओं से उचित सुरक्षा जमा राशि का संग्रह न करना और परिचालन एवं संधारण और सतर्कता जांच के दौरान उठाई गई मांग के विरुद्ध वसूली के लिए प्रभावी कार्रवाही का अभाव था। स्थायी दर चुनने वाले उपभोक्ताओं द्वारा बिजली की खपत के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा केजेजेवाई के तहत सब्सिडी की प्रतिपूर्ति न किए जाने के कारण कंपनी ने ₹ 2,163.43 करोड़ का नुकसान वहन किया। कंपनी ने खर्चों को पूरा करने के लिए वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ₹ 2,097.44 करोड़ का ऋण लिया और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सब्सिडी जारी करने में देरी के कारण उस पर ₹ 214.77 करोड़ का ब्याज चुकाया। उपभोक्ताओं के गलत वर्गीकरण और उसके परिणामस्वरूप राज्य शासन से सब्सिडी का कम दावा करने के कारण कंपनी को ₹ 15.74 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। कंपनी न केवल चेक बाउंस होने के संबंध में स्थायी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्ति में देरी हुई, बल्कि उसने रोकड़-बही और बैंक खातों का समाधान भी नहीं किया। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2022 तक ₹ 301.83 करोड़ की राशि का समाधान नहीं हो पाया।

6.1.10 अनुशंसाएं

1. कंपनी को वितरण ट्रांसफार्मरों की मीटरिंग, स्मार्ट मीटरिंग, स्वचालित मीटर रीडिंग सिस्टम और कैपेसिटर बैंकों की स्थापना, खराब मीटरों को बदलने में तेजी लाने और उच्च बिलिंग दक्षता प्राप्त करने के लिए सही बिलिंग सुनिश्चित करने और वितरण हानि को कम करने की आवश्यकता है।
2. कंपनी को उपभोक्ताओं को गलत बिलिंग, अनादृत चेक के संबंध में स्थायी आदेशों का अनुपालन न करने और समय पर रोकड़-बही और बैंक खाते का समाधान न करने के लिए जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है।
3. बकाया वसूली के लिए तेजी से उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिसमें व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेद किए जाएं, बकाया वसूली

करने के लिए सरकारी विभागों और व्यतिक्रमी उपभोक्ताओं को प्रभावशाली रूप में प्रेरित किया जाए, ताकि उच्चतर संग्रहण दक्षता प्राप्त की जा सके।

रायपुर
दिनांक : 11 जून 2025


(मो. फ़ैज़ान नैय्यर)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 13 जून 2025


(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
(कंडिका 1.6.1 में संदर्भित)

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का विभागवार विवरण
(सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र)

विभाग	30 जून 2023 की स्थिति में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं की संख्या	
	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिका
उच्च शिक्षा	146	557
तकनीकी शिक्षा	34	139
स्कूल शिक्षा	584	2914
श्रम विभाग	24	96
सामान्य प्रशासन	67	156
जनसंपर्क विभाग	15	37
संसदीय कार्य विभाग	8	24
राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग	84	300
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	105	348
खेल एवं युवा कल्याण विभाग	30	74
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	912	5511
जेल विभाग	47	136
गृह विभाग	84	271
विधि एवं विधायी कार्य विभाग	58	120
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	181	1698
आवास एवं पर्यावरण विभाग	22	118
संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	12	66
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	3	41
पर्यटन विभाग	7	81
लोक निर्माण विभाग	235	1110
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	138	675
जल संसाधन विभाग	575	2850
कृषि विभाग	245	1074
उद्यानिकी विभाग	105	732
पशु पालन विभाग	104	571
रेशम विभाग	66	233
मत्स्य विभाग	41	110
सहकारिता विभाग	53	153
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	195	955
चिकित्सा शिक्षा विभाग	54	432
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	419	2631
पुनर्वास विभाग	7	23
समाज कल्याण विभाग	107	627
अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	147	788
महिला एवं बाल विकास विभाग	371	1550
योग	5285	27201

परिशिष्ट 1.2
(कंडिका 1.6.1 में संदर्भित)

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का विभागवार विवरण (पीएसयू)

विभाग	30 जून 2023 की स्थिति में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं की संख्या	
	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिका
वित्त विभाग	4	10
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	5	77
राज्य आबकारी विभाग	4	26
सामाज्य कल्याण विभाग	2	9
गृह विभाग	1	5
कृषि विकास, किसान कल्याण एवं जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	5	53
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	11	41
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	3	11
लोक निर्माण विभाग	1	9
खनिज संसाधन विभाग	5	12
ऊर्जा विभाग	180	697
वाणिज्य और उद्योग विभाग	8	94
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	4	20
सुचना एवं प्रौद्योगिकी	1	7
योग	234	1071

परिशिष्ट 1.3
(कंडिका 1.6.5 में संदर्भित)

अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाने के प्रकरण वाले ईकाइयों का विवरण

विभाग	लेखापरीक्षी ईकाई	निरीक्षण प्रतिवेदन क्र.	कंडिका क्र.	लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों का संक्षिप्त विवरण
नगरीय प्रशासन एवं विकास	रायपुर नगर निगम	04 / 2021-22	20	मोतीलाल उद्यान, रायपुरा झील, आईएसबीटी एवं अवैध कॉलोनाइजर्स से संबंधित अभिलेख
	नगर पालिका परिषद, सूरजपुर	10 / 2021-22	16	प्रधानमंत्री आवास योजना एवं एसबीएम योजनाएं, मांग एवं वाहन पंजी
	नगर पंचायत, जरही, सूरजपुर	11 / 2021-22	13	प्रधानमंत्री आवास योजना एवं एसबीएम योजनाएं, मांग एवं वाहन पंजी
	रायगढ़ नगर निगम	27 / 2021-22	1(vi)	अनुबंध करार, तकनीकी स्वीकृति, एमबी, निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अमृत मिशन से संबंधित पत्राचार नस्ती
	रायगढ़ नगर निगम	27 / 2021-22	17	एनयूएलएम, 14वां वित्त आयोग, प्रधानमंत्री आवास योजना, मोबाइल टावर नस्तियाँ, चेक बुक पंजी
	संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर	12 / 2021-22	12	14वां वित्त आयोग, एसबीएम, गोकुल सिटी योजना, दुकानों एवं वाणिज्यिक परिसर से संबंधित नस्तियाँ
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	जिला अस्पताल, कबीरधाम	26 / 2021-22	7	खरीद एवं प्राप्ति से संबंधित नस्तियाँ
	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, महासमुंद	17 / 2021-22	11	स्टॉक पंजी, जेडीएस अभिलेख एवं सीए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
	खंड चिकित्सा अधिकारी, लखनपुर	47 / 2021-22	5	एनएचएम एवं जेडीएस से संबंधित कैश बुक एवं वाउचर
	जिला अस्पताल, दंतेवाड़ा	35 / 2021-22	7	डीएमएफ, एनएचएम योजना अभिलेख एवं मेडिसिन स्टॉक पंजी, निविदाओं से संबंधित अभिलेख
महिला एवं बाल विकास	जिला परियोजना अधिकारी, अंबिकापुर	87 / 2021-22	6	चयनित महीने से संबंधित वाउचर
	जिला परियोजना अधिकारी, बलौदाबाजार	92 / 2021-22	9	चयनित महीने से संबंधित वाउचर
	परियोजना अधिकारी, आईसीडीएस, बतौली	88 / 2021-22	5	विभिन्न योजनाओं से संबंधित नस्तियाँ, कैश बुक एवं वाउचर
चिकित्सा शिक्षा	संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा, रायपुर	30 / 2021-22	6	सिकलसेल एवं आयुष विश्वविद्यालय को अनुदान सहायता से संबंधित अभिलेख
जल संसाधन	कार्यपालन अभियंता, विद्युत यांत्रिकी संभाग रूद्री, धमतरी	06 / 2021-22	5	विद्युत यांत्रिकी संभाग रूद्री, धमतरी के उप-संभागों से संबंधित अभिलेख
योग	14			

परिशिष्ट-2.1.1

(कण्डिका 2.1.7.3 में संदर्भित)

अमृत के तहत माइलस्टोन की प्राप्ति को प्रदर्शित करने वाला विवरण

स.क.	कार्य	माइलस्टोन जिन्हें प्राप्त किया जाना था	अंबिकापुर	भिलाई	बिलासपुर	दुर्ग	जगदलपुर	कोरबा	रायगढ़	रायपुर	राजनांदगाँव
वित्तीय वर्ष 2015-16 के रिफार्म											
1	ई-गवर्नेंस	यूएलबी वेबसाइट का निर्माण	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2		ई-समाचार पत्र का प्रकाशन, डिजिटल इंडिया पहल	आंशिक	हाँ	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक
3		डिजिटल इंडिया को समर्थन (डिजिटिंग को पीपीपी मोड या यूएलबी द्वारा स्वयं किया जाना है)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4	नगरपालिका कैंडर का गठन और व्यवसायीकरण	नगरीय निकायों में इंटरन की नियुक्ति की नीति और कार्यान्वयन	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक
5	डबल एंट्री अकाउंटिंग को बढ़ाना	वित्तीय वर्ष 2012-13 से डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में पूर्ण रूपांतरण और इस प्रभाव से एक ऑडिट प्रमाणपत्र प्राप्त करना	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
6		वेबसाइट पर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रकाशन	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक
7	शहरी योजना और शहर विकास योजनाएं	सेवा स्तर सुधार योजनाओं, राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं की तैयारी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
8		पाँच वर्षों में शहरों में हरित आवरण को 15 प्रतिशत तक बढ़ाने की कार्ययोजना बनाना	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9		अमृत सिटी में हर साल बच्चों का कम से कम एक पार्क विकसित करना	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10		प्यूपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर भरोसा करते हुए बगीचों, खेल के मैदानों और मनोरंजन क्षेत्रों के रखरखाव के लिए एक प्रणाली स्थापित करना	नहीं	नहीं	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
11	निधि और कार्यों का हस्तांतरण	14वें वित्त आयोग का नगरीय निकायों को हस्तांतरण सुनिश्चित करना	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
12		राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति और निर्णय लेना	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

13		सभी 18 कार्यों को नगरीय निकायों को हस्तांतरित करना	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक
14	बिल्डिंग बाई-लॉज की समीक्षा	बिल्डिंग बाई-लॉज का समय-समय पर पुनरीक्षण।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
15		बिल्डिंग अनुमतियों को देने के लिए सभी अनुमोदनों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस बनाना	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
16	नगरपालिका कर और शुल्क में सुधार	कम से कम 90 प्रतिशत कवरेज	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
17		कम से कम 90 प्रतिशत संग्रहण	आंशिक	नहीं	नहीं	आंशिक	नहीं	नहीं	आंशिक	आंशिक	नहीं
18		संपत्ति कर, प्रभार और अन्य शुल्क के आरोपण को समय-समय पर संशोधित करने के लिए एक नीति बनाना	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
19		वेबसाइट पर कर विवरण के डिमांड कलेक्शन बुक को पोस्ट करना	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
20		गंतव्य-विशिष्ट संभावित विज्ञापन राजस्व को प्राप्त करने के लिए डायनामिक प्राइसिंग मॉडल वाली नीति बनाना	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
21	उपयोगकर्ता शुल्क के आरोपण और संग्रह में सुधार	व्यक्तिगत एवं संस्थागत आकलन के लिए उपयोगकर्ता शुल्क पर एक नीति अपनाना, जिसमें पानी के उपयोग के लिए अलग-अलग दरें चार्ज की जाती हैं और कमजोर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त सुरक्षा उपाय शामिल होते हैं।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
22		जल हानि को 20 प्रतिशत से कम करने की कार्य योजना बनाना और इसे वेबसाइट पर प्रकाशित करना	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
23		उपयोगकर्ता शुल्क के लिए अलग-अलग खाते	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
24		कम से कम 90 प्रतिशत बिलिंग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
25		कम से कम 90 प्रतिशत संग्रहण	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
26	एनर्जी और वाटर ऑडिट	एनर्जी (स्ट्रीट लाइट्स) और वाटर ऑडिट (गैर-राजस्व पानी या हानि ऑडिट सहित)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
27		एसटीपी और डब्ल्यूटीपी को ऊर्जा कुशल बनाना	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

28		ऊर्जा की खपत को अनुकूलित करने के लिए स्ट्रीट लाइट में ऊर्जा कुशल लाइट का उपयोग और नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाना	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक
वित्तीय वर्ष 2016-17 के रिफॉर्म											
29	ई-गवर्नेंस	ई-मास के तहत कवरेज (सॉफ्टवेयर होस्ट करने की तिथि से) - जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण, - जल और सीवरेज शुल्क, - शिकायत निवारण, - संपत्ति कर, - विज्ञापन कर, - लाइसेंस जारी करना, - भवन अनुमतियाँ, - म्यूटेशन, - पेरोल, - पेंशन और ई-प्रोक्थोरमेंट	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक
30	नगरपालिका कैंडर का गठन और व्यवसायीकरण	नगरपालिका कैंडर की स्थापना	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
31		कैंडर-संबंधित प्रशिक्षण	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक
32	डबल एंट्री अकाउंटिंग को बढ़ाना	आंतरिक ऑडिटर की नियुक्ति	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक
33	शहरी योजना और शहर विकास योजनाएं	सस्टेनेबल हैबिटेट के लिए राष्ट्रीय मिशन में दिए गए मापदंडों को लागू करने के लिए राज्य स्तर की नीति बनाना	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
34	निधि और कार्यों का हस्तांतरण	समयसीमा के भीतर एसएफसी सिफारिशों का कार्यान्वयन	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
35	बिल्डिंग बाई-लॉज की समीक्षा	राज्य को 500 वर्ग मीटर से बड़े क्षेत्र वाले सभी भवनों और सभी सार्वजनिक भवनों में सोलर रूफटॉप स्थापित करने के लिए नीति और कार्य योजना तैयार करनी चाहिए	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक
36		राज्य को सभी वाणिज्यिक, सार्वजनिक भवनों और 300 वर्ग मीटर और उससे ऊपर के भूखंडों पर नई इमारतों में वर्षा जल संचयन संरचनाएं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

		स्थापित करने के लिए नीति और कार्य योजना तैयार करनी चाहिए									
37	राज्य स्तर पर वित्तीय मध्यस्थ की स्थापना	वित्तीय मध्यस्थ की स्थापना और परिचालन-पूल फाइनेंस, बाहरी निधि तक पहुंच, नगर पालिक बांड जारी करना	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
38	क्रेडिट रेटिंग	नगर निकायों की क्रेडिट रेटिंग को पूरा करना	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक
39	एनर्जी और वाटर ऑडिट	ग्रीन भवनों के लिए प्रोत्साहन दें (जैसे संपत्ति कर या भवन अनुमति/विकास शुल्क से जुड़े चार्ज में छूट)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
वित्तीय वर्ष 2017-18 के रिफॉर्म											
40	ई-गवर्नेंस	कर्मचारी प्रबंधन	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
41		परियोजना प्रबंधन	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
42	शहरी योजना और शहर विकास योजनाएं	शहरी विकास प्राधिकरणों की स्थापना	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं
वित्तीय वर्ष 2018-19 के रिफॉर्म											
43	शहरी योजना और शहर विकास योजनाएं	जीआईएस का उपयोग करके मास्टर प्लान की तैयारी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

(स्रोत: सूझा द्वारा प्रदत्त और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

परिशिष्ट-2.1.2

(कण्डिका 2.1.7.3 में संदर्भित)

क्षमता निर्माण के अंतर्गत कार्यकर्ताओं को प्रदान किये गये प्रशिक्षण का विवरण

स. क.	मिशन सिटी का नाम	स्वीकृत संख्या		प्रशिक्षण के लिए चिन्हांकित कुल कार्यकर्ता		क्षमता निर्माण के तहत प्रदान किये गये प्रशिक्षण					कमी		
		अधिकारी	निर्वाचित प्रतिनिधि	अधिकारी	निर्वाचित प्रतिनिधि	अधिकारी					निर्वाचित प्रतिनिधि	अधिकारी	निर्वाचित प्रतिनिधि
						सभी तीन कैप्सूल	कोई दो कैप्सूल	मात्र एक कैप्सूल	कुल प्रशिक्षुओं की संख्या	एक ही कैप्सूल की पुनरावृत्ति			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=7+8+9)	(11)	(12)	(13=5-7)	(14=6-12)
1	अंबिकापुर	113	55	27	48	6	17	18	41	7	40	21	8
2	भिलाई	421	82	112	67	10	27	19	56	17	38	102	29
3	बिलासपुर	374	77	55	66	11	20	22	53	11	34	44	32
4	दुर्ग	150	70	33	60	7	19	18	44	11	56	26	4
5	जगदलपुर	69	55	15	48	0	22	21	43	6	29	15	19
6	कोरबा	476	78	98	67	0	3	76	79	38	61	98	6
7	रायगढ़	104	57	35	48	4	13	21	38	6	0	31	48
8	रायपुर	591	82	205	70	4	59	45	108	23	42	201	28
9	राजनांदगांव	160	60	52	51	4	20	21	45	8	36	48	15
	योग	2458	616	632	525	46	200	261	507	127	336	586	189

(स्रोत: सूडा द्वारा प्रदत्त और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

परिशिष्ट-2.1.3

(कण्डिका 2.1.8.2 में संदर्भित)

अमृत योजना के तहत निष्पादित अपूर्ण कार्यों का विवरण

(राशि करोड़ ₹ में)

स. क्र.	मिशन सिटी	परियोजना का नाम	अनुबंधित राशि	कार्य आदेश का दिनांक	पूर्णता की निर्धारित तिथि	किया गया व्यय	31/03/2023 तक का विलंब महीनों में
1	अंबिकापुर	जल आपूर्ति योजना (डब्ल्यूएसएस)	97.24	14/06/2017	14/12/2019	95.84	40
2	भिलाई	डब्ल्यूएसएस चरण II-डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एचएससी और मीटर कनेक्शन	103.95	29/11/2016	28/11/2018	98.35	53
3	भिलाई	डब्ल्यूएसएस चरण II-जीआईएस, स्काडा	8.95	04/10/2019	03/07/2020	4.08	33
4	बिलासपुर	डब्ल्यूएसएस भाग-I	192.00	04/10/2017	30/04/2020	174.26	35
5	बिलासपुर	डब्ल्यूएसएस भाग-II	100.45	04/10/2017	04/04/2020	87.12	36
6	दुर्ग	डब्ल्यूएसएस	146.10	31/01/2018	30/07/2020	125.43	32
7	दुर्ग	मौजूदा 2 नग ओएचएसआर का निर्माण	3.44	22/07/2020	21/01/2022	2.60	14
8	दुर्ग	मौजूदा 4 नग ओएचएसआर का निर्माण	8.59	08/01/2020	07/10/2021	6.85	18
9	दुर्ग	पुलगाव नाला पर डायवर्सन वियर का निर्माण	3.54	22/07/2020	21/10/2021	1.70	18
10	कोरबा	पैकेज-4 पीएलसी-स्काडा	7.98	20/09/2019	19/09/2020	3.48	31
11	रायपुर	डब्ल्यूएसएस-I	150.79	14/08/2017	14/02/2020	132.77	38
12	रायपुर	डब्ल्यूएसएस-II पैकेज-2 ओएचएसआर का निर्माण	2.91	03/09/2019	03/02/2021	2.04	25
13	रायपुर	डब्ल्यूएसएस-II पैकेज-3 ओएचएसआर "लभांडी और फुंडहर में"	3.97	31/08/2020	28/02/2022	0.75	13
14	रायपुर	डब्ल्यूएसएस-II पैकेज-4 "डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क"	120.79	08/03/2019	08/08/2020	100.35	32
15	रायपुर	डब्ल्यूएसएस-II पैकेज-5 "डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क"	134.19	08/03/2019	08/08/2020	121.94	32
16	राजनांदगाँव	डब्ल्यूएसएस	199.23	13/06/2017	31/12/2019	182.25	40
17	जगदलपुर	डब्ल्यूएसएस (समाप्त कार्य)	96.40	15/06/2017	15/12/2019	34.56	—
		डब्ल्यूएसएस शेष कार्य	96.00	01/10/2021	01/04/2023	47.23	—
18	रायपुर	रायपुर सीवेज मास्टर प्लान	235.00	17/07/2018	16/01/2021	215.86	27
19	जगदलपुर	वार्ड-6 नक्षत्र वाटिका में उद्यान का विकास (सिविल कार्य)	0.56	26/10/2017	25/04/2018	0.16	60
		योग	1712.07			1437.62	

(स्रोत: सूडा द्वारा प्रदत्त और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

परिशिष्ट-2.1.4

(कण्डिका 2.1.8.4 में संदर्भित)

जल आपूर्ति योजना में पीएससीपी और डीआई के-7 और के-9 पाइप के लागत में अंतर का विवरण

(राशि लाख ₹ में और दर प्रति मीटर में)

स. क.	नगरीय निकाय	घटक	पाइप का प्रकार	व्यास एमएम में	बीओक्यू मीटर में	एनआईटी/एसओआर के अनुसार				कोरबा मिशन सिटी के अनुसार प्रतिस्थापन				दो प्रकार के पाइप की लागत में अंतर
						दर	मजदूर	कुल	राशि	दर	मजदूर	कुल	राशि	
1	अंबिकापुर	आरडब्ल्यूपीएम	के-9	600	4600	9479	139	9618	442.43	5103	258	5361	246.61	195.82
		सीडब्ल्यूपीएम	के-9	600	7120	9479	139	9618	684.81	5103	258	5361	381.70	303.11
		ग्रेविटी फीडर	के-7	600	1200	7310	117	7427	89.12	5103	258	5361	64.33	24.79
2	भिलाई	सीडब्ल्यूआरएम	के-9	600	13264	9479	139	9618	1275.73	5103	258	5361	711.08	564.65
		सीडब्ल्यूआरएम	के-9	800	2102	15087	209	15296	321.52	7544	346	7890	165.85	155.67
3	बिलासपुर	सीडब्ल्यूजीएम	के-7	600	9838	7310	117	7427	730.67	5103	258	5361	527.42	203.25
		सीडब्ल्यूजीएम	के-7	700	2179	10627	153	10780	234.90	6233	309	6542	142.55	92.35
		सीडब्ल्यूजीएम	के-7	800	285	13859	192	14051	40.05	7544	346	7890	22.49	17.56
		सीडब्ल्यूजीएम	के-7	1000	3067	20309	285	20594	631.62	13431	434	13865	425.24	206.38
		सीडब्ल्यूजीएम	के-7	1100	2733	22009	335	22344	610.66	15202	558	15760	430.72	179.94
		सीडब्ल्यूपीएम	के-9	700	100	12301	173	12474	12.47	6233	309	6542	6.54	5.93
		सीडब्ल्यूपीएम	के-9	800	100	15087	209	15296	15.30	7544	346	7890	7.89	7.40
		आरडब्ल्यूपीएम	के-9	900	100	18443	257	18700	18.70	9346	387	9733	9.73	8.97
4	जगदलपुर	आरडब्ल्यूआरएम	के-9	600	2077	9479	139	9618	199.77	5103	258	5361	111.35	88.42
		सीडब्ल्यूआरएम	के-9	600	161	9479	139	9618	15.48	5103	258	5361	8.63	6.85
5	रायगढ़	आरडब्ल्यूपीएम	के-9	750	365	13769	191	13960	50.95	6233	309	6542	23.88	27.07
		सीडब्ल्यूपीएम	के-9	600	1145	9479	139	9618	110.13	5103	258	5361	61.38	48.75
		सीडब्ल्यूपीएम	के-9	750	124	13769	191	13960	17.31	6233	309	6542	8.11	9.20

6	रायपुर	सीडब्ल्यूआरएम	के—9	700	116	12301	173	12474	14.47	6233	309	6542	7.59	6.88
		सीडब्ल्यूआरएम	के—9	900	78	18443	257	18700	14.59	9346	387	9733	7.59	7.00
7	जगदलपुर	सीडब्ल्यूपीएम	के—9	600	6380	9479	139	9618	613.63	5103	258	5361	342.03	271.60
		आरडब्ल्यूपीएम	के—9	600	170	9479	139	9618	16.35	5103	258	5361	9.11	7.24
	योग													2,438.83

(स्रोत: सूडा द्वारा प्रदत्त और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

- नोट: 1. डीआई पाइप की दर पीएचई एसओआर के चतुर्थ संशोधन दिनांक 28.01.2016 के अनुसार ली गई है।
 2. प्रतिस्थापन को ग्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट सिलेंड्रिकल पाइप (पीएससीपी) के लिए गणना की गई है और दरें पीएचई एसओआर की आइटम नंबर 20.10 के अनुसार ली गई हैं।

परिशिष्ट-2.1.5

(कण्डिका 2.1.9.2 में संदर्भित)

अमृत मिशन के अंतर्गत जारी की गई निविदा का विवरण

(राशि करोड़ ₹ में)

स. क्र.	मिशन सिटी का नाम	प्रोजेक्ट का नाम और पैकेज	निविदा क्रमांक/दिनांक	निविदा का प्रकार	अनुबंध की संभावित लागत	अनुबंधित राशि/कार्य की लागत	प्रतिदिन दण्ड की राशि (₹ में)/दण्ड की दर प्रतिशत में	अधिकतम लगाई जाने वाली दण्ड राशि**	समय जिसमें अधिकतम जुर्माना प्राप्त किया गया (सप्ताह में)
जल आपूर्ति योजना									
1	अंबिकापुर	जल आपूर्ति योजना (डब्ल्यूएसएस)	16377 16-03-2017	एकमुश्त	90.83	97.24	80000	9.08	162
2	भिलाई	डब्ल्यूटीपी पैकेज-I का निर्माण	8247 30-06-2016	एकमुश्त	16.17	16.80	30000	1.62	77
3	भिलाई	इलेक्ट्रो मैकेनिकल कार्य पैकेज-II	27519 03-02-2018	एकमुश्त	18.52	16.57	17000	1.85	156
4	भिलाई	ओएचएसआर-10 नग पैकेज-III	8233 30-06-2016	एकमुश्त	12.51	25.64	26000	1.25	69
5	भिलाई	रॉ एण्ड क्लीयर वाटर पंपिंग मेन पैकेज-IV	8411 04-07-2016	प्रतिशत	40.56	37.68	6 *	2.26	12
6	भिलाई	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पैकेज-V	8196 02-07-2016	प्रतिशत	100.95	103.95	6 *	6.24	12
7	भिलाई	पीएलसी स्काडा पैकेज-VI	47545 28-12-2018	एकमुश्त	11.11	8.95	55000	1.11	29
8	भिलाई	संबद्ध सिविल कार्य पैकेज-VII	12443 22-11-2016	प्रतिशत	5.19	5.09	6 *	0.31	12
9	भिलाई	ओएचएसआर-2 नग पैकेज-VIII	41021 04-08-2018	एकमुश्त	3.18	5.84	2843	0.32	160
10	बिलासपुर	डब्ल्यूटीपी, रॉ एण्ड क्लीयर वाटर ग्रेविटी मेन, पीएलसी स्काडा	16301 14-03-2017	एकमुश्त	181.97	192.00	30000	18.20	867
11	बिलासपुर	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भाग-II	17683 08-05-2017	प्रतिशत	94.46	100.45	6 *	6.03	12
12	दुर्ग	क्लीयर वाटर ग्रेविटी पंपिंग मेन, इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, पीएलसी स्काडा	23015 27-10-2017	एकमुश्त	129.70	146.10	90000	12.97	206
13	दुर्ग	दो ओएचएसआर का निर्माण	61842 03-03-2020	एकमुश्त	1.98	3.44	30000	0.20	9

14	दुर्ग	चार ओएचएसआर का निर्माण	57818 18-10-2019	एकमुश्त	4.23	8.59	38000	0.42	16
15	दुर्ग	पुलगाव नाला पर डायवर्सन वियर का निर्माण	60614 03-02-2020	एकमुश्त	2.29	3.53	30000	0.23	11
16	जगदलपुर	डब्ल्यूएसएस	16313 15-03-2017	एकमुश्त	107.54	96.40	96100	10.75	160
17	जगदलपुर	डब्ल्यूएसएस (बकाया कार्य)	77878 07-06-2021	एकमुश्त	69.33	96.00	62000	6.63	153
18	कोरबा	डब्ल्यूटीपी और इन्टेकवेल पैकेज-I	8347 30-06-2016	एकमुश्त	10.23	12.91	9140	1.02	160
19	कोरबा	रॉ एण्ड क्लीयर वाटर पंपिंग मेन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पैकेज-II	8348 30-06-2016	प्रतिशत	123.48	115.51	6 *	6.93	12
20	कोरबा	ओएचएसआर-13 नग पैकेज-III	8349 30-06-2016	एकमुश्त	9.66	13.42	8630	0.97	160
21	कोरबा	रिफार्म कार्य पैकेज-V	8350 30-06-2016	एकमुश्त	0.86	0.55	770	0.09	160
22	कोरबा	संबद्ध सिविल कार्य पैकेज-VIII	29249 25-02-2018	प्रतिशत	2.97	2.73	6 *	0.16	12
23	कोरबा	रॉ एण्ड क्लीयर वाटर पम्प और सब-स्टेशन पैकेज-VI	43312 04-09-2018	एकमुश्त	5.33	5.26	6 *	0.32	12
24	कोरबा	पीएलसी स्काडा पैकेज-IV	50307 07-03-2019	एकमुश्त	7.18	7.98	6 *	0.48	12
25	रायगढ़	डब्ल्यूएसएस	23003 27-10-2017	एकमुश्त	124.61	131.00	111300	12.46	160
26	रायपुर	डब्ल्यूटीपी, क्लीयर वाटर पंपिंग मेन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और पीएलसी स्काडा (चरण-I)	17894 04-05-2017	एकमुश्त	162.21	150.79	125000	16.22	185
27	रायपुर	ओएचएसआर 3 नग (चरण-II) पैकेज-I	50357 46469 06-10-2018	एकमुश्त	4.78	7.97	38000	0.48	18
28	रायपुर	ओएचएसआर 2 नग (चरण-II) पैकेज-II	46470 06-10-2018	एकमुश्त	2.13	2.91	38000	0.21	8
29	रायपुर	क्लीयर वाटर राइजिंग मेन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क (चरण-II) पैकेज-IV	46466 06-10-2018	प्रतिशत	97.07	120.79	6 *	7.25	12
30	रायपुर	क्लीयर वाटर राइजिंग मेन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क (चरण-II) पैकेज-V	46468 06-10-2018	प्रतिशत	112.50	134.19	6 *	8.05	12

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31	रायपुर	(चरण-I) ओएचएसआर (रामनगर)	16332 14-03-2017	एकमुश्त	2.16	3.27	2000	0.22	155
32	रायपुर	(चरण-I) ओएचएसआर (श्यामनगर)	16333 25-03-2017	एकमुश्त	2.29	2.22	2000	0.23	164
33	रायपुर	ओएचएसआर 2 नग (चरण-II) पैकेज-III	59561 03-01-2020	एकमुश्त	2.46	3.97	25000	0.25	14
34	राजनांदगाँव	डब्ल्यूएसएस	16215 14-03-2017	एकमुश्त	198.98	199.23	180000	19.90	158
सीवरज एवं सेप्टेज प्रबंधन									
1	जगदलपुर	एसटीपी	47520 28-12-2018	एकमुश्त	69.58	54.00	6 #	3.24	52
2	रायगढ़	एसटीपी	46620 28-11-2018	एकमुश्त	72.35	57.53	6 #	3.45	52
3	रायपुर	एसटीपी	24777 05-12-2017	एकमुश्त	304.89	235.00	200000	30.49	218
4	राजनांदगाँव	एसटीपी	23073 03-11-2017	एकमुश्त	12.32	12.50	10600	1.11	150

(स्रोत: सूडा द्वारा प्रदत्त और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

* दंड की दर कार्य के मूल्य/अनुबंधित राशि का प्रति सप्ताह 0.5 प्रतिशत है।

** एकमुश्त अनुबंधों में संभावित अनुबंधित राशि का अधिकतम 10 प्रतिशत और प्रतिशत दर निविदाओं में अनुबंध राशि का अधिकतम 6 प्रतिशत दंड लगाया जा सकता है।

दंड की दर विलंब के प्रत्येक महीने के लिए अनुबंधित राशि का 0.5 प्रतिशत लिया गया है।

परिशिष्ट 3.1.1
(कंडिका 3.1.8.1 में संदर्भित)

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण किए बिना ही कार्य सौंपे जाने के कारण कार्य पूरा न होने को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	संभाग का नाम	परियोजना/कार्य का नाम	अनुबंध सं.	एनआईटी की तिथि	पीएसी (₹ करोड़ में)	कार्य आदेश की तिथि	निर्धारित समय अवधि	पूर्ण होने की नियत तिथि	कार्य की स्थिति
1	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर	सोथी जलाशय परियोजना के 2 हेड स्लुइस और 1 वेस्ट वियर के साथ आरडी 0 मीटर से आरडी 1050 मीटर तक मिट्टी के बंड का निर्माण और आरडी 1410 मीटर से एलबीसी का मिट्टी कार्य, आरडी 0 मीटर से आरडी 960 मीटर तक मुख्य नहर और इसकी 6 संरचनाओं का निर्माण	06डीएल/2019-20	27.12.2018	2.07	17.08.2019	11 महीने वर्षा ऋतु सहित	17.07.2020	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने में देरी के कारण अपूर्ण रूप से अंतिमिकरण।
2	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर मुख्यालय चांपा	मुख्य नहर का निर्माण (15150 मी) – आर डी 4965 से 6870 मी, आर डी 7970 मी से 806 मी तथा आर डी 13390 मी के मध्य भूमिगत आर सी सी बैरल का निर्माण (कुल लम्बाई 3775 मी) (सोन व्यपवर्तन परियोजना)	5डीएल/2020-21	13.05.2020	12.01	03.12.2020	15 महीने वर्षा ऋतु सहित	03.03.2022	दो गांवों में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी न होने के कारण अपूर्ण रूप से अंतिमिकरण।
3	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग गरियाबंद	आमाड व्यपवर्तन योजना के 5 माइनर, 02 सब माइनर, 01 एक्वाडक्ट आदि का निर्माण	03डीएल/2020-21	13.12.2019	1.46	08.02.2021	08 महीने वर्षा ऋतु सहित	08.10.2021	कोविड-19 महामारी, भूमि अधिग्रहण और ठेकेदार के अनुचित प्रबंधन के कारण विलंब हुई।
4		आमाड व्यपवर्तन योजना के आर.डी. 0 से 6900 मी. तक आर.बी.सी. मुख्य नहर का मिट्टी कार्य तथा आर.डी. 0 मी. से 4350 मी. तक एल.बी.सी. मुख्य नहर का 19 नग संरचना एवं मिट्टी कार्य आदि का निर्माण	03डीएल/2019-20	21.12.2018	7.49	26.08.2019	15 महीने वर्षा ऋतु सहित	26.11.2020	कोविड-19 महामारी, भूमि अधिग्रहण के कारण कार्य में विलंब हुआ।
5		आमाड व्यपवर्तन योजना की आर.डी. 6900 से 22200 मीटर तक आर.बी.सी. मुख्य नहर का मिट्टी कार्य तथा 53 नग संरचना का निर्माण एवं अन्य कार्य	04डीएल/2019-20	21.12.2018	8.35	26.08.2019	18 महीने वर्षा ऋतु सहित	26.02.2021	कोविड-19 महामारी, भूमि अधिग्रहण के कारण कार्य में विलंब हुआ।
6	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद	आर.डी. 9150 से 18900 मीटर तक मिट्टी का कार्य एवं सिंगबहाल जलाशय परियोजना की मुख्य नहर के 39 ढांचे और 15 आउटलेट का निर्माण	11डीएल/2016-17	02.08.2016	9.25	02.01.2017	11 महीने वर्षा ऋतु सहित	02.12.2017	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने में विलंब के कारण अपूर्ण रूप से अंतिमिकरण।
कुल					40.63				

(स्रोत: संभागीय कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट 3.1.2
(कंडिका 3.1.8.6 में संदर्भित)

सिंचाई क्षमता (आईपी) का कम/सृजन न होना

I. भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में विलंब और अन्य तकनीकी प्रकरणों के कारण सिंचाई क्षमता का शून्य/अल्प सृजन होने से ₹ 344.02 करोड़ करोड़ की धनराशि अवरुद्ध होना।														
क्र. सं.	नाबार्ड द्वारा स्वीकृति का चरण	परियोजना का नाम	संभाग का नाम	अनुबंध सं.	कार्य का नाम	कार्य आदेश की तिथि	पूर्ण होने की नियत तिथि	विलंबित अवधि (31 मार्च 2024 तक)	कार्य की स्थिति (जून 2024)	कार्य का कुल व्यय (₹ करोड़ में)	प्रस्तावित आईपी (हेक्टेयर)	निर्मित आईपी (हेक्टेयर)	कमी (हेक्टेयर)	आईपी के अल्प सृजन का कारण
1	XXIV	आमाड व्यपवर्तन योजना	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग गरियाबंद	04डीएल/ 2019-20	आर.डी. 6900 से 22200 मीटर तक आर.बी.सी. मुख्य नहर का मिट्टी कार्य और 53 संरचनाओं का निर्माण।	26.08. 2019	26.02. 2021	3 वर्ष और 01 माह	अपूर्ण	6.96	1600	750	850	कोविड-19 महामारी, भूमि अधिग्रहण स्वीकृति प्रदान करने में विलंब आदि के कारण कार्य में विलंब हुआ।
2				03डीएल/ 2020-21	5 माइनर, 02 सब माइनर, 01 एक्वाडक्ट का निर्माण और अन्य कार्य।	08.06. 2020	08.02. 2021	3 वर्ष और 01 माह	अपूर्ण	1.09				
3				03डीएल/ 2019-20	आर.डी. 0 से 6900 मीटर तक आर.बी.सी. मुख्य नहर का मिट्टी कार्य और 19 संरचनाओं का निर्माण और अन्य कार्य।	26.08. 2019	26.11. 2020	3 वर्ष और 04 महीने	अपूर्ण	7.05				
4	XIV	खुंडी नाला व्यपवर्तन योजना	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, रायगढ़	3डीएल/ 2013-14	मुख्य नहर का 0 से 9.00 किमी., उलखर माइनर 0 से 0.9 आदि एवं 33 नग संरचनाओं का निर्माण।	16.12. 2013	16.11. 2014	09 वर्ष और 4 महीने	अपूर्ण	0.77	300	0	300	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी न होने के कारण कार्य अभी भी अपूर्ण है।
5	XXV	खुडमुडी जलाशय योजना	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान	02डीएल/ 2019-20	खुडमुडी तालाब परियोजना का रीमॉडलिंग और सीसी लाइनिंग	02.02. 2020	02.01. 2021	03 वर्ष और 02 महीने	अपूर्ण	1.76	254	0	254	ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य प्रगति के कारण

6	XXIV	घुराऊ जलाशय योजना	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग महासमुंद	10 डीएल / 2013-14	आरबीसी और एलबीसी नहर का मिट्टी कार्य और 25 नहर संरचनाओं का निर्माण	03.10. 2013	02.07. 2014	9 वर्ष और 3 महीने	अपूर्ण	1.30	370	270	100	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी न होने के कारण कार्य अभी भी अपूर्ण है।
7	XX	अरपा भैसाझार योजना	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा, बिलासपुर	07 डीएल / 2013-14	हाइड्रोलिक संरचना सहित अरपा भैसाझार बैराज योजना का निर्माण	12.09. 2013	30.09. 2016	7 वर्ष और 06 महीने	अपूर्ण	317.59	25000	13500	11500	वन स्वीकृति, पर्यावरण स्वीकृति में विलंब, कोविड-19 और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी न होने के कारण
8	XXVI	भोरटोला जलाशय मुख्य नहर	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद	02 डीएल / 2020-21	भोरटोला जलाशय मुख्य नहर का आर.डी. 0 एम से 6760 एम तक रिमोंडलिंग और लाइनिंग	19.06. 2020	18.02. 2021	03 वर्ष और 01 माह	अपूर्ण	2.41	191	148	43	ठेकेदार के कारण विलंब
9	XXV	लोअर मनियारी व्यपवर्तन योजना।	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा, बिलासपुर	15 डीएल / 2019-20	मुख्य नहर आर.डी. 0 मीटर से 1400 मीटर तक तखतपुर माइनर आर.डी. 0 मीटर से 1200 मीटर तक सी.सी. लाइनिंग, जिसमें 4 वी. आर.बी. का निर्माण और एनिकट बॉडी का जीर्णोद्धार आदि शामिल है।	16.03. 2020	16.07. 2021	2 वर्ष और 08 महीने	अपूर्ण	5.09	784	600	184	कोविड-19 और नहर के दोनों तरफ धान होने और रेत की कमी
कुल (अ)										344.02	28499	15268	13231	
II. कार्य का अपूर्ण अंतिमिकरण														
1.	XXV	सौंथी जलाशय योजना	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर	06 डीएल / 2019-20	2 हेड स्लुइस और 1 वेस्ट वियर के साथ आर.डी. 0 मीटर से आर. डी. 1050 मीटर तक मिट्टी के बांध का निर्माण और आर.डी. 1410 मीटर से एल. बी. सी. का मिट्टी कार्य, आर.डी 0 मीटर से आर.डी 960 मीटर तक मुख्य नहर और इसकी 6 संरचनाओं का निर्माण	17.08. 2019	17.07. 2020	08 महीने	अपूर्ण अंतिमिकरण (31.03. 2021)	1.05	100	50	50	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने में विलंब के कारण अपूर्ण एवं शेष कार्य पूर्ण करने के लिए नई निविदा आमंत्रित की जाएगी।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

2.	XIV	लाथनाला व्यपवर्तन योजना	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़	5डीएल / 2013-14	मुख्य नहर (0.00 किमी से 9.99 किमी) का निर्माण तथा 24 संरचनाओं का निर्माण	04.03. 2014	04.09. 2015	05 वर्ष और 05 महीने	अपूर्ण अंतिमिकरण (03.02. 2021)	12.15	1964	0	1964	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण अपूर्ण।
3.	XXV	सोन व्यपवर्तन योजना	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन जांजगीर मुख्यालय, चांपा	5डीएल / 2020-21	आर.डी. 4965 से 6870 मी., आर. डी. 7970 मी. से 8060 मी. तथा आर.डी. 13390 से 15170 मी. के मध्य भूमिगत आर.सी.सी. बैरल का निर्माण (कुल लम्बाई 3775 मी.)	03.12. 2020	31.03. 2022	कोई विलंब नहीं।	अपूर्ण अंतिमिकरण (03.03. 2022)	9.95	2429	0	2429	शीर्ष कार्य पूर्ण था परन्तु दो गांवों में भूमि अधिग्रहण को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण नहर का निर्माण कार्य अभी भी अपूर्ण है।
4.	XXIV	सिंगबहाल जलाशय योजना	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग महासमुंद	11 डीएल / 2016-17	आर.डी. 9150 से 18900 मीटर तक मिट्टी का कार्य एवं 39 संरचना और मुख्य नहर के 15 आउटलेट का निर्माण	02.01. 2017	01.12. 2017	04 महीने	अपूर्ण अंतिमिकरण (27.04. 2018)	7.55	878	600	278	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में विलंब के कारण अपूर्ण।
5.	XXIII	फोन्क व्यपवर्तन योजना	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा	12 डीएल / 2016-17	1 डिस्ट्रीब्यूटरी (मोटेशरा डिस्ट्रीब्यूटरी) और 4 माइनरों, नहर संरचना आदि का सीसी लाइनिंग कार्य।	11.11. 2016	11.10. 2017	09 महीने	अपूर्ण अंतिमिकरण (31.07. 2018)	4.29	1706	1440	266	वितरिकाओं के मुख्य घटकों का निष्पादन ठेकेदार द्वारा नहीं किए जाने के कारण कार्य अपूर्ण रह गया।
6.	XXIII	पदमपुर व्यपवर्तन योजना	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग मनियारी, मुंगेली	12 डीएल / 2017-18	मुख्य नहर की आरडी 1260 एम से आरडी 5550 एम तक सीसी लाइनिंग और सभी संरचनाओं की मरम्मत।	14.06. 2017	14.05. 2018	10 महीने	अपूर्ण अंतिमिकरण (31.03. 2019)	1.01	600	360	240	मुख्य नहर की आरडी 1260 एम से आरडी 5550 एम तक सीसी लाइनिंग का कार्य तकनीकी कारणों से अपूर्ण रह गया।
कुल (ब)										36.00	8277	2450	5827	

III. कार्य पूरा होने के बाद भी सिंचाई क्षमता का शून्य / अल्प सृजन														
1.	XIV	कल्हामार व्यपवर्तन योजना	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेंड्रा रोड	05 डीएल/ 2008-09	कंक्रीट वीयर का निर्माण, स्कोअरिंग स्लुइस और नहर स्लुइस गेट की व्यवस्था और स्थापना।	19.04. 2008	19.02. 2009	03 महीने	पूर्ण (03.05. 2009)	2.06	262	0	262	शीर्ष कार्य पूरा हो गया, लेकिन नहर का विस्तृत सर्वेक्षण पूरा न होने के कारण नहर का कार्य पूरा नहीं हो सका।
2.	XVI	रेहर एनीक/ व्यपवर्तन योजना	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर	18 डीएल/ 2009-10	रेहर एनीकट/व्यपवर्तन योजना का निर्माण	23.12. 2009	23.09. 2011	6 वर्ष और 06 महीने	पूर्ण (27.03. 2018)	28.02	1250	0	1250	शीर्ष कार्य पूर्ण था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, नहर के दोनों तरफ कमांड क्षेत्र उपलब्ध नहीं था।
3.	XXIII	बलौदाबाजार शाखा नहर	कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंधन संभाग नं.2, बलौदा बाजार	22 डीएल/ 2018-19	बलौदा बाजार शाखा नहर से उप-मार्ग संख्या 3, 7 और 9 की रीमॉडलिंग और सीसी लाइनिंग, जिसमें चुचरुंगपुर में 77 नहर लाइन और नियंत्रण कक्ष का निर्माण शामिल है।	21.12. 2018	21.12. 2019	02 वर्ष और 3 महीने	पूर्ण (24.03. 2022)	10.04	441	142	299	खनन प्रयोजन हेतु अन्य एजेंसी द्वारा भूमि अधिग्रहित किये जाने के कारण।
कुल (स)										40.12	1953	142	1811	
महायोग (अ+ब+स)										420.14	38729	17860	20869	

(स्रोत: संभागीय कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट- 3.2.1
(कंडिका 3.2.6.1 में संदर्भित)

राज्य कार्य योजना में स्वीकृत हस्तक्षेप वार लक्ष्य को दर्शाने वाला विवरण (चावल)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	हस्तक्षेप	वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लक्ष्य		वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लक्ष्य		वर्ष 2019-20 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लक्ष्य		वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लक्ष्य		भौतिक लक्ष्य में प्रतिशत वृद्धि/कमी
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	क्लस्टर प्रदर्शन (हेक्टेयर में)	49136	44.42	25205	26.53	28679	31.58	24159	27.54	(-)51
2	बीज उत्पादन (क्विंटल में)	43525	5.55	32260	3.32	18300	3.95	17210	3.44	(-)60
3	बीज वितरण (क्विंटल में)	91050	11.11	55855	6.63	31480	7.89	29284	6.88	(-)68
4	पोषक तत्व प्रबंधन (हेक्टेयर में)	127550	5.55	80653	3.31	98560	3.95	86040	3.44	(-)33
5	एकीकृत कीट प्रबंधन (हेक्टेयर में)	88840	4.44	56787	2.65	63168	3.16	55072	2.75	(-)38
6	परिसंपत्ति निर्माण (संख्या में)	58492	21.01	40577	9.95	19955	11.84	10798	10.33	(-)82
7	साइट विशिष्ट गतिविधियां (संख्या में)	71	11.13	65	9.95	77	11.84	67	10.33	(-)6
8	विपणन (संख्या में)	36	5.55	0	2.30	94	3.95	122	3.44	239
9	प्रशिक्षण फसल प्रणाली (संख्या में)	793	1.11	474	0.66	564	0.79	492	0.69	(-)38
योग			109.87		65.30		78.95		68.84	

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट- 3.2.2
(कंडिका 3.2.7.1 में संदर्भित)

राज्य में प्रदर्शनों का लक्ष्य और उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

वर्ष	प्रत्यक्ष बुआई		लाइन ट्रांसप्लान्टिंग		श्री		स्ट्रेस टालरेन्ट		हाईब्रिड		क्रोपिंग सिस्टम		कुल लक्ष्य	कुल उपलब्धि
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि		
2017-18	1000	1000	1000	1000	2000	2000	15000	15000	15000	15000	15136	15136	49136	49136
2018-19	700	700	700	700	1400	1400	2100	2100	13900	13900	6405	6405	25205	25205
2019-20	500	500	500	500	2000	2000	9500	9400	6556	6556	9623	9623	28679	28579
2020-21	999	1000	1000	1000	3500	3500	4000	4000	5000	5000	9658	9659	24157	24159
कुल	3199	3200	3200	3200	8900	8900	30600	30500	40456	40456	40822	40823	127177	127079

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट- 3.2.3

(कंडिका 3.2.7.1(iii) में संदर्भित)

चयनित जिले में क्रोपिंग सिस्टम का लक्ष्य और उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

जिले का नाम	वर्ष	क्रोपिंग सिस्टम	
		क्षेत्रफल	प्रतिशत
जगदलपुर	2017-18	1800	31.58
	2018-19	1400	37.84
	2019-20	1400	37.84
	2020-21	—	—
धमतरी	2017-18	700	21.88
	2018-19	100	8
	2019-20	200	25
	2020-21	559	25.89
कांकेर	2017-18	1800	31.03
	2018-19	1000	34.48
	2019-20	1300	33.71
	2020-21	800	34.78
कोंडागांव	2017-18	1900	35.85
	2018-19	1000	35.71
	2019-20	1000	34.48
	2020-21	1000	43.48
बलरामपुर	2017-18	1200	33.33
	2018-19	305	15.21
	2019-20	400	17.39
	2020-21	1000	45.45
दुर्ग	2017-18	300	17.65
	2018-19	100	12.5
	2019-20	200	50
	2020-21	600	46.15
सूरजपुर	2017-18	1200	32.43
	2018-19	100	5.56
	2019-20	300	27.27
	2020-21	300	27.27
बालोद	2017-18	1000	27.03
	2018-19	200	21.05
	2019-20	100	25
	2020-21	200	15.38

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट- 3.2.4

(कंडिका 3.2.7.3(ii) में संदर्भित)

राज्य में कृषि उपकरणों के वितरण का लक्ष्य और उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	परिसंपत्ति	राशि (₹ में)	लक्ष्य		उपलब्धि	
			भौतिक	वित्तीय (₹ करोड़ में)	भौतिक	वित्तीय (₹ करोड़ में)
2017-18	(अ) पावर संचालित उपकरण					
	सीड ड्रिल	15000	130	0.19	0	0
	रोटावेटर	35000	600	2.10	0	0
	स्वचालित धान ट्रांसप्लांटर	75000	50	0.38	0	0
	पावर नैप सैक स्प्रेयर	3000	3000	0.90	20	0.01
	पावर वीडर	15000	297	0.45	0	0
	धान थ्रेशर	40000	200	0.80	13	0.05
	मल्टी क्रॉप थ्रेशर	40000	200	0.80	3	0
	पावर टिलर (सामान्य)	60000	210	1.26	0	0
	पावर टिलर (एससी/एसटी)	75000	115	0.86	0	0
	सामान्य किसान के लिए रीपर	50000	120	0.60	0	0
	एससी/एसटी किसान के लिए रीपर	63000	100	0.63	0	0
	सामान्य किसान के लिए एमबी हल	35000	50	0.18	0	0
	एससी/एसटी किसान के लिए एमबी हल	44000	20	0.08	0	0
	सामान्य किसान के लिए लेवलर ब्लेड	35000	40	0.14	0	0
	एससी/एसटी किसान के लिए लेवलर ब्लेड	44000	20	0.09	0	0
	सामान्य किसान के लिए पावर वीडर	12000	30	0.03	0	0
	एससी/एसटी किसान के लिए पावर वीडर	15000	10	0.02	0	0
	कुल(अ)		5192	9.51	36	0.06
	(ब)मैनुअल उपकरण					
	कोनोवीडर	600	25000	1.50	47380	2.84
	मैनुअल स्प्रेयर	600	25000	1.50	47222	2.83
	कुल(ब)		50000	3.00	94602	5.67
2018-19	(अ) पावर संचालित उपकरण		0	0	0	0
	कुल(अ)		0	0	0	0
	(ब) मैनुअल उपकरण					
	छोटे और सीमांत किसानों के लिए कोनोवीडर	600	2800	0.17	800	0
	अन्य किसानों के लिए कोनोवीडर	500	10000	0.50	2300	0
	छोटे, सीमांत, महिला किसानों के लिए मैनुअल/पावर/नैपसेक	50 प्रतिशत या ₹ 600	3000	0.18	34340	2.18

	अन्य किसानों के लिए मैनुअल पावर/नैपसेक	40 प्रतिशत या ₹ 500	2000	0.10	550	0.01
	कुल(ब)		17800	0.95	37990	2.19
2019-20	(अ) पावर संचालित उपकरण					
	पावर नैपसेक स्प्रेयर		872	0.85	872	0.73
	कुल(अ)		872	0.85	872	0.73
	(ब) मैनुअल उपकरण					
	कोनोवीडर	50 प्रतिशत या ₹ 1200	5000	0.60	4800	0.6
	मैनुअल नैपसेक स्प्रेयर		2750	0.18	2750	0.14
	कुल(ब)		7750	0.78	7550	0.74
2020-21	(अ) पावर संचालित उपकरण					
	पावर संचालित वीडर (सभी प्रकार)		36	0.15	1	0
	पावर संचालित पीपी उपकरण		455	0.42	228	0.09
	मल्टी क्रॉप थ्रेशर		8	0.03	2	0
	धान थ्रेशर		4	0.04	0	0
	कुल(अ)		503	0.64	231	0.09
	(ब) मैनुअल उपकरण					
	एससी/एसटी, छोटे और सीमांत, महिला किसानों के लिए कोनोवीडर	50 प्रतिशत या ₹ 1200	400	0.05	133	0.01
	अन्य किसानों के लिए कोनोवीडर	40 प्रतिशत या ₹ 1000	395	0.04	50	0
	छोटे सीमांत किसानों के लिए मैनुअल स्प्रेयर/नैपसेक स्प्रेयर	50 प्रतिशत या ₹ 750	1500	0.22	1542	0.10
	मैनुअल स्प्रेयर/नैपसेक स्प्रेयर	40 प्रतिशत या ₹ 600	1500	0.09	600	0.03
	कुल(ब)		3795	0.40	2325	0.14

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट- 3.2.5

(कड़िका 3.2.9.1 में संदर्भित)

बीजीआरआई जिलों में योजना के अंतर्गत उत्पादकता की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(किलोग्राम/हेक्टेयर में)

क्र. सं.	जिले का नाम	चावल				प्रतिशत वृद्धि/कमी	गेहूँ				प्रतिशत वृद्धि/कमी
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	
1	गरियाबंद	1775	1855	2361	2182	22.93	1418	1747	1293	2135	50.56
2	महासमुंद	1933	1431	1705	1721	(-)10.97	1650	1928	1204	1684	2.06
3	धमतरी	3047	2943	3567	3070	0.75	1367	1686	1238	1592	16.46
4	दुर्ग	1899	2534	2845	2503	31.81	981	1297	886	1468	49.64
5	बालोद	1927	1941	2333	3368	74.78	974	1154	702	1142	17.25
6	बेमेतरा	1428	1591	1795	2536	77.59	1037	1162	789	1446	39.44
7	जांजगीर	3778	2845	3319	3172	(-)16.04	1728	2135	1451	2390	38.31
8	सरगुजा	1929	1398	1593	1789	(-)7.26	1447	1756	1198	2325	60.68
9	सूरजपुर	1839	1717	1466	1804	(-)1.90	1433	1735	1272	1770	23.52
10	बलरामपुर	2000	1651	1737	2058	2.90	1750	1930	1313	1747	(-)0.17
11	जगदलपुर	1731	1780	2062	1797	3.81	1867	2254	1619	2160	15.69
12	कौंडागांव	1489	1484	1680	1482	(-)0.47	1837	2333	1722	1945	5.88
13	नारायणपुर	1152	1126	611	1410	22.40	2250	2730	1534	3003	33.47
14	कांकेर	1724	1602	2224	2159	25.23	1450	1925	1262	1660	14.48

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट-3.3.1

(कंडिका 3.3.7.2 में संदर्भित)

मार्च 2022 तक बकाया अस्थायी अग्रिमों का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	लंबित अस्थायी अग्रिम					लेखापरीक्षा के बाद वसूल की गई राशि	लंबित अस्थायी अग्रिम
		2019-20 से पूर्व	2019-20	2020-21	2021-22	कुल		
1	डीडीएच बस्तर	44,100	—	26,53,245	35,839	27,33,184	3,71,379	23,61,805
2	डीडीएच बिलासपुर	15,17,436	—	—	—	15,17,436	15,17,436	—
3	डीडीएच दुर्ग	—	35,000	—	2,98,126	3,33,126	3,33,126	—
4	डीडीएच सरगुजा	1,50,078	—	6,60,000	46,74,018	54,84,096	32,71,991	22,12,105
5	एडीएच बालोद	—	1,59,900	7,30,360	8,47,068	17,37,328	15,45,675	1,91,653
6	एडीएच बलौदाबाजार	10,000	—	7,56,220	13,22,190	20,88,410	20,88,410	—
7	एडीएच बलरामपुर	71,09,128	7,16,140	5,26,713	29,12,118	1,12,64,099	94,11,695	18,52,404
8	एडीएच जशपुर	3,22,514	50,000	11,44,300	66,07,433	81,24,247	65,55,501	15,68,746
9	एडीएच कौडागांव	21,93,461	10,000	17,06,956	7,91,399	47,01,816	12,14,985	34,86,831
10	एडीएच कोरिया	6,71,667	56,971	4,69,028	6,06,247	18,03,913	12,64,106	5,39,807
11	एडीएच मुंगेली	—	—	80,000	2,61,076	3,41,076	3,41,076	—
12	एडीएच रायगढ़	14,10,650	2,21,476	2,89,090	37,04,897	56,26,113	51,28,711	4,97,402
13	एडीएच राजनंदगांव	—	—	2,88,976	—	2,88,976	10,216	2,78,760
14	एडीएच सुरजपुर	15,17,007	1,00,000	—	59,69,395	75,86,402	18,35,159	57,51,243
महायोग		1,49,46,041	13,49,487	93,04,888	2,80,29,806	5,36,30,222	3,48,89,466	1,87,40,756

(स्रोत: जानकारी विभाग द्वारा दी गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट-3.3.2

(कंडिका 3.3.8.3 में संदर्भित)

शेड नेट के निर्माण के लिए सब्सिडी पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	कार्यालय का नाम	शेड नेट निर्माण की संख्या	व्यय
1	डीडीएच दुर्ग	25	3.36
2	डीडीएच रायपुर	34	4.36
3	एडीएच बालोद	39	2.91
4	एडीएच बेमेतरा	25	3.09
5	एडीएच कोरबा	27	2.58
6	एडीएच मुंगेली	18	1.61
7	एडीएच राजनांदगांव	40	3.07
कुल चयनित जिला		208	20.98

(स्रोत: जानकारी विभाग द्वारा दी गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट-3.3.3

(कंडिका 3.3.8.3 में संदर्भित)

शेडनेट हाउस पर सब्सिडी के अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

क्रमांक	लाभार्थी का नाम	जिला	निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)			फर्म को अतिरिक्त भुगतान (₹ 710/वर्ग मीटर की दर से)	अतिरिक्त सब्सिडी का भुगतान
			रिकॉर्ड के अनुसार	भौतिक सत्यापन के अनुसार	कम निर्माण		
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8
1	ए	बेमेतरा	2000	1350	650	4,61,500	2,30,750
2	बी	बेमेतरा	4000	3250	750	5,32,500	2,66,250
3	सी	बेमेतरा	4000	3150	850	6,03,500	3,01,750
4	डी	मुंगेली	4000	3300	700	4,97,000	2,48,500
5	ई	रायपुर	4000	3300	700	4,97,000	2,48,500
6	एफ	रायपुर	4000	3300	700	4,97,000	2,48,500
7	जी	रायपुर	4000	3300	700	4,97,000	2,48,500
8	एच	रायपुर	4000	3075	925	6,56,750	3,28,375
9	आई	रायपुर	4000	1575	2425	17,21,750	8,60,875
	कुल		34000	25600	8400	59,64,000	29,82,000

(स्रोत: जानकारी विभाग द्वारा दी गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट-3.3.4

(कंडिका 3.3.8.5 में संदर्भित)

कम लागत वाली प्रतिरक्षण इकाई के लिए दी गई सब्सिडी का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	वितरित प्रतिरक्षण इकाइयों की संख्या	मानदंडों के अनुसार इकाई लागत	किसान द्वारा किया गया वास्तविक व्यय (₹ 1.00 लाख/इकाई की दर से)	विभाग द्वारा भुगतान की गई सब्सिडी (₹ लाख में)	सौर ड्रायर की वास्तविक लागत की दर से देय वास्तविक सब्सिडी यानी ₹ 38,000 / इकाई	अतिरिक्त भुगतान की गई सब्सिडी
1	डीडीएच दुर्ग	75	150	75	75	14.25	60.75
2	डीडीएच रायपुर	45	90	45	45	8.55	36.45
3	एडीएच बालोद	20	40	20	20	3.80	16.20
4	एडीएच बेमेतरा	100	200	100	100	19.00	81.00
5	एडीएच कोरबा	145	290	145	145	27.55	117.45
6	एडीएच मुगेली	45	90	45	45	8.55	36.45
7	एडीएच राजनांदगांव	50	100	50	50	9.50	40.50
कुल		480	960	480	480	91.20	388.80

(स्रोत: जानकारी विभाग द्वारा दी गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट 3.4.1

(कंडिका 3.4.7.3(ब) में संदर्भित)

एक ही प्रशिक्षु को दो अलग-अलग/समान पाठ्यक्रमों में एक साथ प्रशिक्षण दिए जाने के मामलों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	लाभार्थी	पिता का नाम	पाठ्यक्रम	एबीएन	प्रशिक्षण आरंभ तिथि	समाप्ति तिथि	अनियमित आहरण
1	ए1	बी1	हाउसकीपर	0604P004HOS70 4170200080317	14.01.2017	22.03.2017	0
	ए1	बी 1	फ्रंट ऑफिस सह रिसेप्शनिस्ट	0604P004HOS61 0170500080317	20.01.2017	27.03.2017	0.22
2	ए2	बी 2	फ्रंट ऑफिस सह रिसेप्शनिस्ट	0604P004HOS61 0160100080117	02.11.2016	07.01.2017	0.22
	ए2	बी2	हाउसकीपर	0604P004HOS70 4160900110117	05.11.2016	09.01.2017	0
3	ए3	बी3	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1161400301216	07.11.2016	27.12.2016	0.14
	ए3	बी 3	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1161000211216	02.11.2016	22.12.2016	0
4	ए4	बी 4	फ्रंट ऑफिस सह रिसेप्शनिस्ट	0604P004HOS61 0170200330317	14.01.2017	22.03.2017	0.22
	ए4	बी 4	फ्रंट ऑफिस सह रिसेप्शनिस्ट	0604P004HOS61 0170500080317	20.01.2017	27.03.2017	0
5	ए5	बी 5	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1160100010117	02.11.2016	23.12.2016	0
	ए5	बी 5	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1161500301216	07.11.2016	27.12.2016	0.14
6	ए6	बी 6	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1170700010317	07.02.2017	29.03.2017	0
	ए6	बी 6	फ्रंट ऑफिस सह रिसेप्शनिस्ट	0604P004HOS61 0171300080317	06.02.2017	12.04.2017	0.22
7	ए7	बी 7	फ्रंट ऑफिस सह रिसेप्शनिस्ट	0604P004HOS61 0160100080117	02.11.2016	07.01.2017	0.22
	ए7	बी 7	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1160900211216	02.11.2016	22.12.2016	0
8	ए8	बी 8	फ्रंट ऑफिस सह रिसेप्शनिस्ट	0604P004HOS61 0170500080317	20.01.2017	27.03.2017	0.22
	ए8	बी 8	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1170800010317	07.02.2017	29.03.2017	0
9	ए9	बी 9	फ्रंट ऑफिस सह रिसेप्शनिस्ट	0604P004HOS61 0170200330317	14.01.2017	22.03.2017	0.22
	ए9	बी 9	फ्रंट ऑफिस सह रिसेप्शनिस्ट	0604P004HOS61 0170900080317	20.01.2017	27.03.2017	0
10	ए10	बी 10	फ्रंट ऑफिस सह रिसेप्शनिस्ट	0604P004HOS61 0180100301018	09.08.2018	23.10.2018	0.24
	ए10	बी 10	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1180800601118	20.09.2018	17.11.2018	0

11	ए11	बी 11	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1170600010317	07.02.2017	29.03.2017	0.14
	ए11	बी 11	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1161900210217	05.01.2017	17.02.2017	0
12	ए12	बी 12	फ्रंट ऑफिस सह रिसेप्शनिस्ट	0604P004HOS61 0170500080317	20.01.2017	27.03.2017	0.22
	ए12	बी 12	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1170700010317	07.02.2017	29.03.2017	0
13	ए13	बी 13	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1180100370218	09.01.2018	08.03.2018	0.14
	ए13	बी 13	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1180200260318	23.01.2018	22.03.2018	0
14	ए14	बी 14	फ्रंट ऑफिस सह रिसेप्शनिस्ट	0604P004HOS61 0170400080317	20.01.2017	27.03.2017	0.22
	ए14	बी 14	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1170800010317	07.02.2017	29.03.2017	0
15	ए15	बी 15	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1160100010117	02.11.2016	23.12.2016	0.14
	ए15	बी 15	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1161300011216	05.11.2016	25.12.2016	0
16	ए16	बी 16	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1161200011216	02.11.2016	22.12.2016	0
	ए16	बी 16	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1161300011216	05.11.2016	25.12.2016	0.14
17	ए17	बी 17	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1170300010317	07.02.2017	29.03.2017	0
	ए17	बी 17	फ्रंट ऑफिस सह रिसेप्शनिस्ट	0604P004HOS61 0170700080317	20.01.2017	27.03.2017	0.22
18	ए18	बी 18	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1170100010317	07.02.2017	29.03.2017	0.14
	ए18	बी 18	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1161800010217	05.01.2017	17.02.2017	0
19	ए19	बी 19	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1170800010317	07.02.2017	29.03.2017	0
	ए19	बी 19	फ्रंट ऑफिस सह रिसेप्शनिस्ट	0604P004HOS61 0171400330317	06.02.2017	12.04.2017	0.22
20	ए20	बी 20	फ्रंट ऑफिस सह रिसेप्शनिस्ट	0604P004HOS61 0170200330317	14.01.2017	22.03.2017	0.22
	ए20	बी 20	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1162300010217	05.01.2017	17.02.2017	0
21	ए21	बी 21	फ्रंट ऑफिस सह रिसेप्शनिस्ट	0604P004HOS61 0170100330317	14.01.2017	22.03.2017	0.22
	ए21	बी 21	हाउसकीपर	0604P004HOS70 4160200080117	11.02.2016	01.07.2017	0
22	ए22	बी 22	फ्रंट ऑफिस सह रिसेप्शनिस्ट	0604P004HOS61 0171200080317	24.01.2017	30.03.2017	0.22

	ए22	बी 22	फ्रंट ऑफिस सह रिसेप्शनिस्ट	0604P004HOS61 0170200330317	14.01.2017	22.03.2017	0
23	ए23	बी 23	फ्रंट ऑफिस सह रिसेप्शनिस्ट	0604P004HOS61 0170500080317	20.01.2017	27.03.2017	0.22
	ए23	बी 23	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1170400010317	07.02.2017	29.03.2017	0
24	ए24	बी 24	फ्रंट ऑफिस सह रिसेप्शनिस्ट	0604P004HOS61 0171100080317	24.01.2017	30.03.2017	0
	ए24	बी 24	फ्रंट ऑफिस सह रिसेप्शनिस्ट	0604P004HOS61 0172200690218	15.12.2017	28.02.2018	0.23
25	ए25	बी 25	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1172200010817	27.06.2017	16.08.2017	0
	ए25	बी 25	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1172500290118	06.12.2017	02.02.2018	0.14
26	ए26	बी 26	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1172000370717	15.06.2017	05.08.2017	0
	ए26	बी 26	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1172800220118	19.12.2017	15.02.2018	0.14
27	ए27	बी 27	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1160400301216	02.11.2016	22.12.2016	0
	ए27	बी 27	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1172200010817	27.06.2017	16.08.2017	0.14
28	ए28	बी 28	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1160400301216	02.11.2016	22.12.2016	0
	ए28	बी 28	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1180700470918	31.07.2018	27.09.2018	0.15
29	ए29	बी 29	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1160400301216	11.02.2016	22.12.2016	0
	ए29	बी 29	सहायक अग्नि संचालक	0604P004FRS10 1161800010217	01.05.2017	17.02.2017	0.14
30	ए30	बी 30	फ्रंट ऑफिस सह रिसेप्शनिस्ट	0604P004HOS61 0171800060218	12.06.2017	19.02.2018	0
	ए30	बी 30	फ्रंट ऑफिस सह रिसेप्शनिस्ट	0604P004HOS61 0180100301018	08.09.2018	23.10.2018	0.24
योग							5.7

(स्रोत: जिला कौशल विकास प्रधिकरण, जशपुर द्वारा प्रस्तुत और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

परिशिष्ट 3.4.2

(कंडिका 3.4.8.1 में संदर्भित)

शासकीय वीटीपी के पास पड़ी उपयोग नहीं की गई राशि का विवरण

(₹ लाख में)

जिले का नाम	स. क्र.	वीटीपी का नाम	जारी की गई प्रशिक्षण लागत	कुल व्यय	वीटीपी के पास बची राशि (ब्याज सहित)
बलौदाबाजार	1	शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कसडोल	18.08	5.19	12.89
	2	संयुक्त संचालक, मछली पालन	8.11	1.31	6.80
	3	कृषि विभाग	11.85	10.67	1.18
	4	शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हतबंध	11.06	3.37	7.69
	5	शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिमगा	0.34	0.00	0.34
	6	सहायक संचालक, उद्यानिकी	15.78	13.58	2.20
बिलासपुर	7	शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मस्तूरी	52.57	49.83	2.74
	8	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, बिलासपुर (बिलासपुर, कोटा, मस्तूरी, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही)	50.89	32.80	18.09
	9	आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोनी	2.77	2.12	0.65
	10	केंद्रीय जेल, बिलासपुर	26.81	12.81	14.00
कोरबा	11	जिला जेल, कोरबा	11.25	3.67	7.58
	12	उपजेल, कटघोरा	25.95	23.78	2.17
सूरजपुर	13	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, संभाग सूरजपुर	61.22	21.04	40.18
	14	टीएस, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, प्रतापपुर	13.03	9.96	3.07
	15	जिला जेल सूरजपुर	30.79	30.37	0.42
अंबिकापुर	16	केंद्रीय जेल, अंबिकापुर	17.48	14.81	2.67
रायपुर	17	केंद्रीय जेल, रायपुर	89.74	41.01	48.73
कांकेर	18	जिला जेल, कांकेर	19.98	18.45	1.53
जशपुर	19	जिला जेल, जशपुर	40.11	39.89	0.22
बलरामपुर	20	कौशल विकास केंद्र	93.39	77.04	16.35
जशपुर	21	उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएँ	24.96	21.95	3.01
	22	जिला परियोजना अधिकारी, आईसीडीएस जशपुर	10.71	0.33	10.38
	23	टीएस, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तपकरा	9.38	8.86	0.52
	24	टीआरजी, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुनकुरी	11.52	5.98	5.54
	25	सहायक संचालक, रेशम उत्पादन, जशपुर	45.41	30.69	14.72

	26	डीएफओ, जशपुर	50.32	39.09	11.23
	27	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जशपुर	29.88	27.54	2.34
	28	उप संचालक, कृषि, जशपुर	47.73	46.98	0.75
	29	शासकीय पॉलिटेक्निक, जशपुर	16.76	16.51	0.25
योग			847.87	609.63	238.24

(स्रोत: शासकीय वीटीपी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

परिशिष्ट 3.5.1

(कंडिका 3.5.11.1 में संदर्भित)

चयनित वनमंडलो द्वारा वर्ष 2019-22 के दौरान किए गए आरडीएफ (वृक्षारोपण रहित) कार्य का विवरण

क्र. सं.	वनमंडल का नाम	कार्य योजना की अवधि	वर्ष	कक्षों की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	आबंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)
1	कोरबा	2011-12 से 2020-21	2019-20	18	969.441	173.90	173.89
			2020-21	25	867.971	153.70	153.50
			2021-22	20	1027.721	184.36	184.29
			योग	63	2865.133	511.96	511.68
2	जशपुर	2020-21 से 2029-30	2019-20	0	0.000	0.00	0.00
			2020-21	0	0.000	0.00	0.00
			2021-22 (I)	102	3501.442	628.10	512.18
			2021-22 (II)	103	3453.830	619.56	483.97
			योग	205	6955.272	1247.66	996.15
3	महासमुंद	2011-12 से 2020-21	2019-20	11	343.560	61.63	36.85
			2020-21	5	169.880	30.47	23.38
			2021-22	33	1368.010	245.39	120.11
			योग	49	1881.450	337.49	180.34
4	बलौदाबाजार	2011-12 से 2020-21	2019-20	18	1296.540	210.89	210.11
			2020-21	17	1310.510	228.61	229.31
			2021-22	16	1008.720	177.19	177.20
			योग	51	3615.770	616.69	616.62
5	बस्तर	2019-20 से 2028-29	2019-20	91	4841.800	868.54	868.45
			2020-21	102	5428.356	973.76	973.75
			2021-22	101	5271.457	945.62	945.35
			योग	294	15541.613	2787.92	2787.55
6	राजनांदगांव	2020-21 से 2029-30	2019-20	19	1243.190	223.01	223.01
			2020-21	0	0.000	0.00	0.00
			2021-22	50	3525.340	632.39	632.05
			योग	69	4768.530	855.40	855.06
7	बीजापुर	2011-12 से 2020-21	2019-20	35	5885.238	908.56	908.39
			2020-21	32	5791.188	937.72	937.61
			2021-22	37	7247.295	1230.85	1230.73
			योग	104	18923.721	3077.13	3076.73
8	दक्षिण कोंडागांव	2019-20 से 2028-29	2019-20	5	179.560	32.21	32.20
			2020-21	10	366.800	65.80	65.79
			2021-22	6	243.509	43.68	43.67
			योग	21	789.869	141.69	141.66
9	मरवाही	2012-13 से	2019-20	7	502.631	90.17	89.40

		2021-22	2020-21	5	530.503	95.16	95.16
			2021-22	10	728.469	130.68	67.09
			योग	22	1761.603	316.01	251.65
10	कोरिया	2018-19 से 2027-28	2019-20	27	1199.970	215.26	222.80
			2020-21	29	1247.090	223.71	212.42
			2021-22	27	1573.920	282.34	288.22
			योग	83	4020.98	721.31	723.44
11	सूरजपुर	2020-21 से 2029-30	2019-20	37	3171.514	568.91	563.62
			2020-21	44	4116.510	738.44	735.75
			2021-22	45	3172.910	396.86	395.13
			योग	126	10460.934	1704.21	1694.50
12	बलरामपुर	2018-19 से 2027-28	2019-20	90	6867.917	1232.00	1231.97
			2020-21	65	6817.930	1223.03	1223.03
			2021-22	70	4664.120	836.66	836.66
			योग	225	18349.967	3291.69	3291.66
कुल योग				1312	89934.842	15609.16	15127.04

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 3.5.2
(कंडिका 3.5.11.1 में संदर्भित)

रिक्त क्षेत्र में आरडीएफ कार्य किए जाने के कारण अनियमित व्यय का विवरण

क्र. सं.	उपचार वर्ष	कक्ष संख्या	कूप संख्या	कूप के कक्ष का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	मंडल द्वारा लिया गया उपचार क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कूप के कक्ष का रिक्त क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कूप के कक्ष का कम स्टॉक वाला क्षेत्र (हेक्टेयर में)	रिक्त क्षेत्र जहां बिना वृक्षारोपण के आरडीएफ कार्य किया गया	आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	आरडीएफ उपचार कार्य पर अनियमित व्यय (लाख में)
कोरबा वनमंडल											
1	2019—20	985	IX	77.99	40.80	40.80	0.00	40.80	9.19	9.18	9.18
2		1238	IX	89.65	64.53	41.34	23.18	41.34	14.54	14.53	9.31
3		1243	IX	48.77	38.54	21.62	16.92	21.62	8.68	8.68	4.87
4		1224	IX	100.29	82.02	19.61	62.42	19.61	18.48	18.47	4.41
5		1123	IX	128.63	37.71	22.16	15.55	22.16	8.50	8.49	4.99
6		1150	IX	123.78	47.10	25.83	21.27	25.83	10.61	10.61	5.82
7		1151	IX	81.99	33.13	16.81	16.32	16.81	7.46	7.46	3.78
8		1478	IX	91.04	75.85	75.29	0.00	75.85	17.09	17.09	17.09
9		1346, 1347 एवं 1348	IX	45.18	40.27	10.76	29.52	10.75	9.07	9.06	2.42
योग				787.34	459.95	274.22	185.18	274.77	103.62	103.57	61.87
10	2020—21	1420	X	43.21	31.26	24.51	6.75	24.51	6.61	6.17	4.84
11		1151	X	76.63	37.91	15.74	22.17	15.74	8.01	7.48	3.10
12		OA 1396 एवं 1105	X	79.63	48.65	32.74	15.91	32.74	10.28	9.60	6.46
13		1238	X	87.75	47.04	42.36	14.68	32.36	9.94	9.17	6.31
14		1142	X	83.35	19.11	19.11	0.00	19.11	4.04	3.77	3.77
योग				370.57	183.97	134.45	59.52	124.45	38.88	36.19	24.48
15	2021—22	OA 1294, 1297, 1299 एवं 1301	I	66.15	60.96	40.21	20.76	40.21	11.48	10.94	7.22

16		OA 1281 एवं 1512	I	86.69	59.91	59.91	0.00	59.91	11.29	10.74	10.74
17		OA 1178 एवं 1179	I	99.22	56.33	57.06	29.27	27.06	10.61	10.10	4.85
18		OA 1403, 1399, 1400, 1401, 1402 एवं 1107	I	56.23	49.42	42.77	6.66	42.77	9.31	8.86	7.67
19		OA 1371, 1374, 1380 एवं 1381	I	56.41	56.41	42.30	14.12	42.30	10.63	10.12	7.59
20		OA 1417	I	55.50	47.49	47.50	0.00	47.49	8.95	8.52	8.52
21		OA 1436	I	111.97	74.79	91.14	8.64	66.14	14.09	13.41	11.86
22		OA 1476, 1477	I	81.04	54.35	81.04	0.00	54.35	10.24	9.74	9.74
23		OA 1275	I	30.81	30.48	20.87	9.61	20.87	5.74	5.46	3.74
24		OA 1244, 1245	I	32.56	27.81	22.35	9.91	17.91	5.24	4.98	3.21
25		OA 1419	I	44.88	32.88	32.88	0.00	32.88	6.19	5.90	5.90
26		OA 1427, 1426	I	49.70	34.78	26.65	8.13	26.65	6.55	6.24	4.78
योग				771.17	585.62	564.66	107.10	478.53	110.32	105.01	85.81
कुल योग				1929.07	1229.54	973.33	351.80	877.74	252.82	244.77	172.16
महासमुंद वनमंडल											
27	2021-22	197, 460	I	64.65	59.27	27.87	30.89	28.38	10.63	4.02	1.92
28		344	I	89.08	35.28	34.24	0	35.28	6.33	2.36	2.36
29		67	I	73.9	30.00	60.07	0	30.00	5.38	3.21	3.21
30		53	I	79.28	10.63	10.63	0	10.63	1.91	0.81	0.81
31		357	I	97.65	38.04	11.18	26.86	11.18	6.82	3.91	1.15
योग				404.56	173.22	143.99	57.75	115.47	31.07	14.31	9.45
जशपुर वनमंडल											
32	2021-22	P620	I(C)	17.57	17.57	6.03	11.54	6.03	3.15	2.00	0.69
33		P1338	I,II(A)	63.44	63.44	30.52	32.92	30.52	11.38	10.68	5.14
34		P944	II (B)	27.10	27.10	6.35	20.75	6.35	4.86	4.42	1.04

35		P1362	I(B)	29.36	29.36	29.36	0.00	29.36	5.27	4.86	4.86
36		P1234	II(A)	43.35	35.80	35.80	7.55	28.25	6.42	6.35	5.01
37		P952	I(B)	55.32	55.32	55.32	0.00	55.32	9.92	7.30	7.30
38		P926	I(B)	31.25	31.25	31.25	0.00	31.25	5.61	0.00	0.00
39		P1370	I(B)	24.94	19.94	10.73	9.21	10.73	3.58	3.58	1.93
40		P1190	II(A)	30.99	25.37	21.94	9.05	16.32	4.55	4.55	2.93
41		P1191	II(B)	20.01	20.01	20.01	0.00	20.01	3.59	3.47	3.47
42		P1047	I(B)	29.20	29.20	14.35	14.85	14.35	5.24	5.06	2.49
43		P1031	I,II(A)	116.59	116.59	42.13	74.46	42.13	20.91	20.53	7.42
44		P1233	I,II	104.93	104.93	100.74	4.19	100.74	18.82	18.42	17.68
45		P1239	I(B)	15.67	15.67	15.67	0.00	15.67	2.81	2.70	2.70
46		P1194	II(A)	42.05	42.05	13.03	29.02	13.03	7.54	7.21	2.23
47		P1243	II(B)	9.68	9.68	3.48	6.20	3.48	1.74	1.66	0.60
48		P1042	I(B)	12.11	12.11	12.11	0.00	12.11	2.17	2.09	2.09
49		P1275	I(B)	34.26	34.26	34.26	0.00	34.26	6.15	5.81	5.81
50		P1034	I	37.11	37.11	25.60	11.51	25.60	6.66	6.51	4.49
51		P998	II(A)	16.61	16.61	16.61	0.00	16.61	2.98	2.89	2.89
52		P773	I,II(A)	68.27	65.38	30.12	38.15	27.23	11.73	9.87	4.11
53		P900	I,II	101.47	96.67	94.99	0.00	96.67	17.34	15.26	15.26
योग				931.28	905.42	650.40	269.40	636.02	162.42	145.22	100.13
बलौदाबाजार वनमंडल											
54	2019-20	39	IX	88.19	3.37	3.37	0.00	3.37	0.60	0.60	0.60
55		196	IX	82.32	80.35	48.15	32.21	48.14	11.94	11.94	7.16
56		453	IX	113.93	57.38	51.35	6.02	51.36	10.29	10.28	9.20
57		447	IX	193.15	193.15	193.15	0.00	193.15	34.65	34.65	34.65
58		397	IX	97.94	77.94	55.99	21.95	55.99	13.98	13.97	10.04

योग				575.53	412.19	352.01	60.18	352.01	71.47	71.45	61.65
59	2020—21	196	X	82.99	80.21	26.24	53.97	26.24	14.39	14.39	4.71
60		447	X	189.48	64.08	35.57	28.51	35.57	9.59	9.53	5.29
61		147	X	75.81	65.81	55.51	20.30	45.51	11.81	11.81	8.16
62		213	X	78.88	78.88	62.24	16.64	62.24	14.15	14.15	11.16
63		397	X	185.02	153.70	96.53	57.17	96.53	23.00	22.75	14.29
64		394	X	119.75	119.75	82.66	37.10	82.65	21.48	22.44	15.49
योग				731.93	562.43	358.75	213.69	348.74	94.41	95.05	59.09
65	2021—22	145	I	90.31	90.31	62.55	27.76	62.55	16.20	16.24	11.25
कुल योग				1397.77	1064.93	773.31	301.63	763.30	182.08	182.74	131.99
बस्तर वनमंडल											
66	2019—20	821	I	107.91	107.91	41.24	66.66	41.24	19.36	19.35	7.40
67		471	I	369.10	65.20	355.59	13.51	51.69	11.70	11.70	9.27
68		489	I	19.18	19.18	19.18	0.00	19.18	3.44	3.44	3.44
69		502	I	6.17	6.17	6.17	0.00	6.17	1.11	1.11	1.11
70		534	I	8.03	8.03	8.03	0.00	8.03	1.44	1.44	1.44
71		787	I	38.68	38.68	38.68	0.00	38.68	6.94	6.94	6.94
योग				549.06	245.16	468.88	80.17	164.99	43.98	43.97	29.59
72	2020—21	310	II	36.23	34.76	22.09	12.67	22.09	6.24	6.24	3.96
73		471	II	369.10	72.58	355.59	13.51	59.07	13.02	13.02	10.60
74		653	II	47.12	47.12	47.12	0.00	47.12	8.45	8.45	8.45
75		823	II	20.76	20.76	20.76	0.00	20.76	3.73	3.73	3.73
योग				473.21	175.22	445.56	26.18	149.04	31.44	31.44	26.74
76	2021—22	368	III	18.38	18.38	12.04	6.34	12.04	3.30	3.30	2.16
77		357	III	36.84	36.84	25.79	11.05	25.79	6.61	6.61	4.63
78		471	III	369.10	52.82	355.59	13.51	39.31	9.48	9.47	7.05

79		709	III	29.95	29.95	24.31	5.64	24.31	5.37	5.37	4.36
80		724	III	9.80	9.80	9.80	0.00	9.80	1.76	1.75	1.75
81		799	III	335.18	62.31	332.61	2.57	59.74	11.18	11.18	10.72
82		869	III	39.94	39.94	39.94	0.00	39.94	7.17	7.17	7.17
योग				839.19	250.04	800.08	39.11	210.92	44.87	44.85	37.83
कुल योग				1861.46	670.42	1714.52	145.47	524.95	120.29	120.25	94.16
बीजापुर वनमंडल											
83	2019—20	531	IX	408.71	408.71	173.12	235.58	173.12	63.09	63.09	26.72
84		562	IX	411.50	407.23	258.02	149.21	258.02	62.87	62.86	39.83
85		581	IX	373.79	373.79	125.15	248.64	125.15	57.70	57.70	19.32
86		469	IX	265.62	251.53	78.04	173.50	78.04	38.83	38.83	12.05
87		566	IX	331.51	331.51	43.35	288.15	43.35	51.18	51.17	6.69
88		974	IX	308.16	167.03	63.54	103.49	63.54	25.78	25.78	9.81
89		964	IX	129.49	119.52	46.88	72.64	46.88	18.45	18.45	7.24
90		652	IX	348.72	348.72	79.13	269.59	79.13	53.84	53.83	12.21
91		858	IX	260.87	123.72	47.97	75.75	47.97	19.10	19.09	7.40
92		914	IX	251.83	181.01	72.77	108.24	72.77	27.94	27.93	11.23
93		832	IX	148.99	126.22	46.36	79.86	46.36	19.49	19.46	7.15
योग				3239.18	2838.97	1034.32	1804.65	1034.32	438.27	438.19	159.64
94	2020—21	65	X	315.83	205.30	61.14	144.16	61.14	33.24	33.23	9.90
95		222	X	332.51	211.64	41.93	169.71	41.93	34.27	34.27	6.79
96		OA 1120	X	278.43	234.42	114.81	119.61	114.81	37.96	37.96	18.59
97		550	X	429.81	273.52	90.98	182.53	90.98	44.28	44.28	14.73
98		582	X	285.76	285.76	117.94	167.82	117.94	46.27	46.27	19.10
99		468	X	200.75	149.75	100.44	49.31	100.44	24.24	24.24	16.26
100		567	X	402.77	372.12	178.88	193.24	178.88	60.25	60.25	28.96

101		621	X	253.73	229.56	134.34	95.22	134.34	37.17	37.17	21.75
102		839	X	259.90	184.68	141.87	42.81	141.87	29.90	29.90	22.97
103		853	X	175.44	96.30	55.61	40.69	55.61	15.59	15.58	9.00
104		835	X	110.02	81.23	81.23	0.00	81.23	13.15	13.14	13.14
105		951	X	241.30	216.98	46.13	170.85	46.13	35.13	35.13	7.47
106		962	X	222.21	178.91	73.49	105.42	73.49	28.96	28.95	11.89
योग				3508.46	2720.14	1238.78	1481.36	1238.78	440.41	440.37	200.54
107	2021—22	1014	I	322.98	198.77	124.00	74.77	124.00	35.65	35.65	22.24
108		982	I	386.02	345.21	166.11	179.10	166.11	61.92	61.92	29.79
109		981	I	275.84	275.84	99.78	176.06	99.78	49.48	49.48	17.90
110		588	I	370.65	244.57	134.23	110.34	134.23	40.77	40.77	22.38
111		620	I	275.75	198.85	61.23	137.62	61.23	33.14	33.14	10.20
112		855	I	253.28	223.47	78.68	144.80	78.68	37.25	37.25	13.11
113		895	I	235.84	167.28	43.65	133.63	33.65	27.88	27.88	5.61
114		849	I	141.44	92.71	76.42	16.29	76.42	15.45	15.45	12.73
योग				2261.80	1746.70	784.09	972.61	774.09	301.54	301.54	133.97
कुल योग				9009.43	7305.81	3057.18	4258.62	3047.19	1180.22	1180.10	494.16
कुल योग				15533.57	11349.34	7312.73	5384.67	5964.67	1928.90	1887.39	1002.05

(स्रोत: (i) वनमंडलो की कार्ययोजना (ii) परियोजना रिपोर्ट और उपचारित कक्षों के स्टॉक मानचित्र और (iii) विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 3.5.3

(कंडिका 3.5.11.2(क) में संदर्भित)

अतिक्रमण क्षेत्र में किए गए आडीएफ कार्य के कारण परिहार्य व्यय का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	कक्षों की संख्या	उपचारित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	वनमंडल द्वारा किया गया कुल व्यय (लाख में)	वनमंडल की कार्ययोजना अनुसार					आरडीएफ कार्य के उपचार के लिए लिया जाने वाला क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अतिक्रमण क्षेत्र जहां उपचार कार्य किया गया (हेक्टेयर में)	परिहार्य व्यय (लाख में)
					कुल कार्ययोग्य क्षेत्र(हेक्टेयर में)	विरल वन क्षेत्र (हेक्टेयर में)	रिक्त क्षेत्र (हेक्टेयर में)	रोपित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अतिक्रमित क्षेत्र (हेक्टेयर में)			
1	2019—20	P 3348	169.520	30.41	169.520	90.660	47.070	0.000	31.790	137.730	31.79	5.70
2		P 3373	88.390	15.86	88.390	73.170	0.000	0.000	15.220	73.170	15.22	2.73
3		P 2804	258.050	46.29	258.050	81.080	0.000	0.000	176.970	81.080	176.97	31.75
योग			515.960	92.56	515.960	244.910	47.070	0.000	223.980	291.980	223.98	40.18
4	2020—21	P 3497	186.830	33.51	186.830	93.610	0.000	0.000	93.220	93.610	93.22	16.72
5		P 3288	185.680	33.31	185.680	0.000	0.000	110.670	75.010	110.670	75.01	13.46
6		P 2984	52.360	9.35	52.360	0.000	30.590	0.000	21.770	30.590	21.77	3.89
7		P 2802	181.730	32.60	206.730	154.640	0.000	0.000	52.090	154.640	27.09	4.86
8		P 2844	268.500	48.16	313.500	22.530	0.000	181.840	109.130	204.370	64.13	11.50
योग			875.100	156.93	945.100	270.780	30.590	292.510	351.220	593.880	281.22	50.43
9	2021—22	P 3401	40.400	4.93	40.400	0.000	0.000	0.000	40.400	0.000	40.40	4.93
10		P 3346	99.920	12.20	99.920	70.400	0.000	0.000	29.520	70.400	29.52	3.60
योग			140.320	17.13	140.320	70.400	0.000	0.000	69.920	70.400	69.92	8.53
कुल योग			1531.380	266.62	1601.380	586.090	77.660	292.510	645.120	956.260	575.12	99.14

(स्रोत: (i) वनमंडलों की कार्ययोजना और (ii) विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 3.5.4
(कड़िका 3.5.11.2(ख)में संदर्भित)

वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक वनग्राम क्षेत्र में किये गये आरडीएफ कार्य का विवरण

कक्षा संख्या	उपचारित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कुल कार्ययोग्य (रिक्त + विरल) क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अकार्ययोग्य क्षेत्र (हेक्टेयर में)	वनग्राम क्षेत्र जहां आरडीएफ कार्य वृक्षारोपण रहित किया गया	आवंटन (₹ में)	व्यय (₹ में)	किया जाने वाला व्यय (₹ में)	परिहार्य व्यय (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/2*3	9= 7-8
C/IX 66	114.450	72.272	42.178	42.178	1766879.00	1766879.00	1115735.07	651143.93
C/IX 254	60.942	0.000	60.942	60.942	940823.00	940823.00	0.00	940823.00
C/X 680	57.622	43.527	14.095	14.095	933033.00	932941.00	704732.96	228208.04
C/X 834	61.970	0.000	61.970	61.970	1003437.00	1003170.00	0.00	1003170.00
C/I P 84	164.560	57.766	106.794	106.794	2951951.00	2951951.00	1036232.39	1915718.61
C/I 366	193.628	0.000	193.628	193.628	3473386.00	3473386.00	0.00	3473386.00
C/I 522	315.814	0.000	315.814	315.814	5665214.00	5665214.00	0.00	5665214.00
योग	968.986	173.565	795.421	795.421	16734723.00	16734364.00	2856700.42	13877663.58

(स्रोत: (i) वनमंडलो की कार्ययोजना और (ii) विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 3.5.5
(कांडिका 3.5.11.3(क) में संदर्भित)

सीपीटी पर वृक्षारोपण कार्य के मानदंडों का पालन न करने के कारण अधिक व्यय का विवरण

वर्ष	कम्पार्टमेंट क्रमांक	उपचारित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कार्य का नाम	परियोजना रिपोर्ट के अनुसार लाइव हेज (आर. एम. में) का निर्माण	व्यय (₹ में)	किया गया सीपीटी कार्य	किए जाने वाला लाइव हेज कार्य (आर.एम. में)	पीसीसीएफ के एसओआर के अनुसार मानदंड (आरएम प्रति कार्यदिवस में)	किया जाने वाला व्यय (₹ में)	अधिक व्यय (₹ में)
बीजापुर वनमंडल										
2021-22	948	180.251	सीपीटी की मेड़ में 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	23433.00	194941.00	11716.32	11716.32	2.50	90508.53	104432.47
2021-22	982	345.206	सीपीटी की मेड़ में 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	50182.08	417476.00	25091.04	25091.04	2.50	193828.25	223647.75
2021-22	1000	131.192	सीपीटी की मेड़ में 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	17055.00	141884.00	8527.48	8527.48	2.50	65874.78	76009.22
2021-22	1014	198.77	सीपीटी की मेड़ में 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	25840.00	214969.76	12920.05	12920.05	2.50	99807.39	115162.37
2021-22	431	122.257	सीपीटी की मेड़ में 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	15893.00	132220.00	6946.94	6946.94	2.50	53665.11	78554.89
2021-22	518	153.085	सीपीटी की मेड़ में 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	19901.00	165561.43	9950.55	9950.55	2.50	76867.96	88693.47
2021-22	522	315.814	सीपीटी की मेड़ में 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	41056.00	341552.84	20527.91	20527.91	2.50	158578.10	182974.74
2021-22	511	141.094	सीपीटी की मेड़ में 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	18342.00	152593.16	9171.11	9171.11	2.50	70846.80	81746.36
2021-22	525	340.385	सीपीटी की मेड़ में 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	44250.00	368126.00	19344.07	19344.07	2.50	149432.94	218693.06
2021-22	537	278.352	सीपीटी की मेड़ में 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	31637.00	263195.50	15818.75	15818.75	2.50	122199.81	140995.69
2021-22	532	293.946	सीपीटी की मेड़ में 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	33410.00	277945.50	16704.99	16704.99	2.50	129046.05	148899.45
2021-22	552	430.236	सीपीटी की मेड़ में 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	48089.00	397474.08	24044.46	24044.46	2.50	185743.48	211730.60
2021-22	588	244.57	सीपीटी की मेड़ में 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	28370.00	264501.34	14185.06	14185.06	2.50	109579.59	154921.75
2021-22	620	198.847	सीपीटी की मेड़ में 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	23066.00	215050.68	11533.13	11533.13	2.50	89093.40	125957.28
2021-22	855	223.474	सीपीटी की मेड़ में 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	29052.00	241687.13	14525.00	14525.00	2.50	112205.63	129481.51
2021-22	895	167.277	सीपीटी की मेड़ में 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	21746.00	180910.07	10873.00	10873.00	2.50	83993.93	96916.15
2021-22	981	275.843	सीपीटी की मेड़ में 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	32001.10	266224.52	16000.55	16000.55	2.50	123604.24	142620.28
2021-22	638	149.723	सीपीटी की मेड़ में 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	17367.00	161917.33	8683.93	8683.93	2.50	67083.39	94833.94
2021-22	649	261.454	सीपीटी की मेड़ में 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	30328.00	282756.31	15164.33	15164.33	2.50	117144.45	165611.86

2021—22	937	63.692	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	8280.00	68882.90	4139.98	4139.98	2.50	31981.35	36901.55
2021—22	950	101.8	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	14328.86	119205.09	7164.43	7164.43	2.50	55345.22	63859.87
2021—22	924	119.635	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	15553.00	129385.25	7776.28	7776.28	2.50	60071.72	69313.53
2021—22	956	168.139	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	21858.00	181842.33	10929.04	10929.04	2.50	84426.80	97415.53
2021—22	908	198.262	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	25774.00	269845.12	12888.00	12888.00	2.50	99559.80	170285.32
2021—22	849	92.709	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	12052.00	100264.00	6026.00	6026.00	2.50	46550.85	53713.15
2021—22	OA1233	199.717	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	25963.00	215993.93	12981.00	12981.00	2.50	100278.23	115715.71
	26	योग		674827.04	5766405.27	333633.37	333633.37		2577317.78	3189087.49
2019—20	566	331.506	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	40980.00	308926.15	15685.00	15685.00	2.50	109795.00	199131.15
2019—20	571	166.145	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	16076.00	121188.31	6158.00	6158.00	2.50	43106.00	78082.31
2019—20	469	251.531	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	31096.00	234416.00	11906.00	11906.00	2.50	83342.00	151074.00
2019—20	581	373.788	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	46214.00	348382.46	17695.00	17695.00	2.50	123865.00	224517.46
2019—20	562	407.228	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	50492.00	380632.00	19349.00	19349.00	2.50	135443.00	245189.00
2019—20	531	408.706	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	50102.00	377692.00	19161.00	19161.00	2.50	134127.00	243565.00
2019—20	548	426.331	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	52710.00	397352.33	20182.00	20182.00	2.50	141274.00	256078.33
2019—20	325	101.762	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	13229.00	99726.00	6614.53	6614.53	2.50	46301.71	53424.29
2019—20	831	47.582	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	6185.00	46630.36	3142.00	3142.00	2.50	21994.00	24636.36
2019—20	832	126.215	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	16408.00	123690.70	8294.00	8294.00	2.50	58058.00	65632.70
2019—20	850	134.518	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	17487.00	131827.00	8840.00	8840.00	2.50	61880.00	69947.00
2019—20	821	87.69	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	11399.00	85926.00	5778.00	5778.00	2.50	40446.00	45480.00
2019—20	853	83.019	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	10792.00	81358.62	5385.00	5385.00	2.50	37695.00	43663.62
2019—20	914	181.008	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	23531.00	177387.00	11895.00	11895.00	2.50	83265.00	94122.00
2019—20	858	123.716	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	16083.00	121241.68	8130.00	8130.00	2.50	56910.00	64331.68
2019—20	692	155.489	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	20214.00	152382.46	9018.36	9018.36	2.50	63128.49	89253.98
2019—20	624	254.505	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	33086.00	249417.54	14761.29	14761.29	2.50	103329.03	146088.51
2019—20	652	348.72	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	45334.00	341748.62	20225.76	20225.76	2.50	141580.32	200168.30
2019—20	964	119.521	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	15538.00	117132.00	7768.86	7768.86	2.50	54382.00	62750.00
2019—20	974	167.034	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	21715.00	163697.00	10857.21	10857.21	2.50	76000.44	87696.57

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

2019—20	963	166.125	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	21596.00	162800.62	10798.12	10798.12	2.50	75586.83	87213.79
2019—20	929	61.454	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	7989.00	60224.92	3994.51	3994.51	2.50	27961.57	32263.35
2019—20	954	120.879	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	15714.00	118459.38	7857.14	7857.14	2.50	54999.95	63459.44
2019—20	932	109.306	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	14210.00	107121.54	7104.89	7104.89	2.50	49734.23	57387.31
2019—20	943	97.346	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	12655.00	95399.23	6327.49	6327.49	2.50	44292.43	51106.80
2019—20	986	202.575	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	26335.00	198525.38	13167.38	13167.38	2.50	92171.63	106353.76
2019—20	1019	146.784	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	19085.00	143871.54	9540.96	9540.96	2.50	66786.72	77084.82
2019—20	949	183.944	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	23913.00	180267.23	11956.36	11956.36	2.50	83694.52	96572.71
2019—20	413	258.659	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	31980.00	241080.00	12245.00	12245.00	2.50	85715.00	155365.00
2019—20	OA1085	30.53	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	3968.90	29919.40	1984.45	1984.45	2.50	13891.15	16028.25
2019—20	254	60.942	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	7992.00	59723.16	3961.23	3961.23	2.50	27728.61	31994.55
2019—20	66	114.45	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	14878.50	112161.00	7439.26	7439.26	2.50	52074.82	60086.18
	32	योग		738987.40	5570307.63	327222.78	327222.78		2290559.43	3279748.20
2020—21	835	81.225	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	10559.00	85001.96	5279.00	5279.00	2.50	39460.53	45541.44
2020—21	834	61.97	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	8056.00	64851.61	4028.00	4028.00	2.50	30109.30	34742.31
2020—21	850	92.536	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	12029.00	96838.92	6014.00	6014.00	2.50	44954.65	51884.27
2020—21	853	96.297	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	12518.00	100774.81	6259.00	6259.00	2.50	46786.03	53988.79
2020—21	907	173.419	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	22544.00	181482.98	11272.00	11272.00	2.50	84258.20	97224.78
2020—21	839	184.678	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	24008.00	193265.53	12004.00	12004.00	2.50	89729.90	103535.63
2020—21	621	229.564	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	29843.00	240236.15	13314.71	13314.71	2.50	99527.47	140708.68
2020—21	653	119.653	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	15554.00	125209.70	6939.87	6939.87	2.50	51875.56	73334.14
2020—21	964	177.824	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	23117.00	186092.82	11558.56	11558.56	2.50	86400.24	99692.58
2020—21	974	67.206	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	8737.00	70331.08	4368.39	4368.39	2.50	32653.72	37677.36
2020—21	962	178.905	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	23258.00	187224.00	11628.83	11628.83	2.50	86925.47	100298.53
2020—21	929	178.376	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	23189.00	186670.00	11594.44	11594.44	2.50	86668.44	100001.56
2020—21	954	141.31	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	18370.00	147880.92	9185.15	9185.15	2.50	68659.00	79221.92
2020—21	928	182.091	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	23672.00	190558.23	11835.92	11835.92	2.50	88473.46	102084.77
2020—21	951	216.979	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	28207.00	227068.52	14103.64	14103.64	2.50	105424.67	121643.85

2020-21	986	186.159	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	24201.00	194815.39	12100.34	12100.34	2.50	90450.00	104365.39
2020-21	949	217.795	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	28313.00	227922.47	14156.68	14156.68	2.50	105821.15	122101.32
2020-21	414	260.36	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	33847.00	272466.74	16923.40	16923.40	2.50	126502.42	145964.33
2020-21	567	372.12	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	48376.00	389423.58	24187.80	24187.80	2.50	180803.80	208619.78
2020-21	569	337.596	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	43887.00	387053.81	21943.74	21943.74	2.50	164029.46	223024.35
2020-21	468	149.751	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	19468.00	156714.42	9733.82	9733.82	2.50	72760.27	83954.15
2020-21	582	285.755	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	37148.00	299042.61	18574.08	18574.08	2.50	138841.21	160201.40
2020-21	563	235.545	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	30621.00	246497.84	15310.43	15310.43	2.50	114445.43	132052.41
2020-21	553	292.744	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	38057.00	306356.60	19028.36	19028.36	2.50	142236.99	164119.61
2020-21	550	273.515	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	35557.00	286233.45	17778.48	17778.48	2.50	132894.10	153339.35
2020-21	65	205.298	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	26689.00	214846.45	13344.37	13344.37	2.50	99749.17	115097.28
2020-21	OA 1084	113.991	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	14819.00	119292.95	7409.41	7409.41	2.50	55385.34	63907.61
	27	योग		664644.00	5384153.54	329876.38	329876.38		2465825.94	2918327.60
	85	कुल योग		2078458.44	16720866.44	990732.53	990732.53		7333703.16	9387163.28

(स्रोत: (i) वनमंडलो की कार्ययोजना और (ii) विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 3.5.6

(कांडिका 3.5.11.3(ख) में संदर्भित)

सीपीटी पर वृक्षारोपण कार्य के मानदंडों का पालन न करने के कारण अधिक व्यय का विवरण

वर्ष	कम्पार्टमेंट क्रमांक	उपचारित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कार्य का नाम	परियोजना रिपोर्ट के अनुसार लाइव हेज (आर. एम. में) का निर्माण	व्यय (₹ में)	सीपीटी का किया गया कार्य	लाइव हेज कार्य किया जाना चाहिए था (आर.एम. में)	पीसीसीएफ के एसओआर के अनुसार मानदंड (आरएम प्रति कार्यदिवस में)	किया जाने वाला व्यय (₹ में)	अधिक व्यय (₹ में)
2019-20	1770	40.439	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	40.390	42460.00	2629.00	2629.00	2.50	21229.18	21230.83
2019-20	1423	50.000	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	50.000	52500.00	2950.00	2950.00	2.50	23821.25	28678.75
2019-20	1681	103.177	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	103.177	108335.00	5665.00	5665.00	2.50	45744.88	62590.13
2019-20	1685	159.328	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	159.328	167294.00	7435.00	7435.00	2.50	60037.63	107256.38
2019-20	1699	50.000	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	50.000	52500.00	3250.00	3250.00	2.50	26243.75	26256.25
2019-20	1717	50.000	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	50.000	52500.00	3250.00	3250.00	2.50	26243.75	26256.25
2019-20	1753	41.676	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	41.676	43759.00	2709.00	2709.00	2.50	21875.18	21883.83
2019-20	2551	184.644	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	184.644	193876.00	12002.00	12002.00	2.50	96916.15	96959.85
2019-20	2543	107.810	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	107.810	113201.00	7008.00	7008.00	2.50	56589.60	56611.40
2019-20	1665	54.000	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	54.000	56700.00	3186.00	3186.00	2.50	25726.95	30973.05
2019-20	1439	40.000	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	75.624	42000.00	2360.00	2360.00	2.50	19057.00	22943.00
2019-20	1385	49.904	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	40.904	51450.00	2944.00	2944.00	2.50	23772.80	27677.20
2019-20	2559	139.608	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	139.608	146588.00	7560.00	7560.00	2.50	61047.00	85541.00

2019-20	1681	103.177	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	103.177	108335.00	5665.00	5665.00	2.50	45744.88	62590.13
2019-20	1440	90.000	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	90.000	94500.00	5310.00	5310.00	2.50	42878.25	51621.75
2019-20	1532	150.000	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	150.000	157500.00	8850.00	8850.00	2.50	71463.75	86036.25
2019-20	1432	160.000	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	160.000	168000.00	9440.00	9440.00	2.50	76228.00	91772.00
2019-20	1542	70.000	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	70.000	73500.00	4130.00	4130.00	2.50	33349.75	40150.25
2019-20	1987	32.121	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	32.121	33727.00	1895.14	1895.14	2.50	15303.26	18423.74
2019-20	1811	37.288	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	37.288	39152.00	2199.99	2199.99	2.50	17764.92	21387.08
2019-20	1885	21.961	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	21.961	23059.00	1295.70	1295.70	2.50	10462.78	12596.22
2019-20	1798	35.000	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	35.000	36750.00	2065.00	2065.00	2.50	16674.88	20075.13
2019-20	1815	46.729	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	46.729	49065.00	2757.00	2757.00	2.50	22262.78	26802.23
2019-20	1806	17.900	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	17.900	18795.00	1056.10	1056.10	2.50	8528.01	10266.99
2019-20	1823	49.500	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	49.500	51975.00	2920.50	2920.50	2.50	23583.04	28391.96
2019-20	1855	43.596	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	43.596	45775.00	2572.16	2572.16	2.50	20770.19	25004.81
	26	योग		1954.433	2023296.000	113104.59	113104.59		913319.56	1109976.44
2020-21	251	84.310	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	84.310	88525.00	5480.00	5480.00	2.50	40415.00	48110.00
2020-21	251	59.310	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	59.310	62275.00	3855.00	3855.00	2.50	28430.63	33844.38
2020-21	576	150.000	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	150.000	157500.00	9750.00	9750.00	2.50	71906.25	85593.75
2020-21	232	192.500	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	192.500	202125.00	12513.00	12513.00	2.50	92283.38	109841.63

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

2020-21	128	158.240	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	158.240	166152.00	10286.00	10286.00	2.50	75859.25	90292.75
2020-21	238	105.600	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	105.60	110880.00	6864.00	6864.00	2.50	50622.00	60258.00
	6	योग		749.960	787457.000	48748.000	48748.000		359516.50	427940.50
2021-22	32	41.140	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	41.14	43197.00	2592.00	2592.00	2.50	19893.60	23303.40
2021-22	27	41.430	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	41.43	43501.00	2610.00	2610.00	2.50	20031.75	23469.25
2021-22	232	91.680	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	91.68	96264.00	5776.00	5776.00	2.50	44330.80	51933.20
2021-22	251	72.920	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	72.92	76566.00	4594.00	4594.00	2.50	35258.95	41307.05
2021-22	238	86.750	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	86.75	91087.00	5465.00	5465.00	2.50	41943.88	49143.13
2021-22	128	75.190	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	75.19	78949.00	4737.00	4737.00	2.50	36356.48	42592.53
2021-22	1859	110.940	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	110.94	116487.00	6989.00	6989.00	2.50	53640.58	62846.43
2021-22	1776	63.930	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	63.93	67126.00	4028.00	4028.00	2.50	30914.90	36211.10
2021-22	1974	60.860	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	60.86	63903.00	3834.00	3834.00	2.50	29425.95	34477.05
2021-22	1884	52.420	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	52.42	55041.00	3302.00	3302.00	2.50	25342.85	29698.15
2021-22	1900	91.230	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	91.23	95791.00	5747.00	5747.00	2.50	44108.23	51682.78
2021-22	1536	103.990	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	103.99	109189.00	6759.00	6759.00	2.50	51875.33	57313.68
2021-22	1603	48.330	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	48.33	50746.00	3045.00	3045.00	2.50	23370.38	27375.63
2021-22	2572	104.130	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	104.13	109336.00	6560.00	6560.00	2.50	50348.00	58988.00
2021-22	1433	77.720	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	65.40	68670.00	4251.00	4251.00	2.50	32626.43	36043.58

2021-22	1421	102.880	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	85.33	89596.00	5547.00	5547.00	2.50	42573.23	47022.78
2021-22	1431	79.720	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	70.47	73994.00	4581.00	4581.00	2.50	35159.18	38834.83
2021-22	1440	63.060	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	48.89	51334.00	3178.00	3178.00	2.50	24391.15	26942.85
2021-22	1647	25.810	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	25.77	27059.00	1675.00	1675.00	2.50	12855.63	14203.38
2021-22	1538	109.610	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	97.35	102218.00	6328.00	6328.00	2.50	48567.40	53650.60
2021-22	1619	54.550	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	23.00	24150.00	1500.00	1500.00	2.50	11512.50	12637.50
2021-22	1586	99.920	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	92.22	96825.00	5994.00	5994.00	2.50	46003.95	50821.05
2021-22	576	140.000	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	140.00	147000.00	9100.00	9100.00	2.50	69842.50	77157.50
2021-22	563	82.000	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	82.00	86100.00	5330.00	5330.00	2.50	40907.75	45192.25
2021-22	1394	62.000	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	62.00	65100.00	4030.00	4030.00	2.50	30930.25	34169.75
2021-22	555	55.000	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	55.00	57750.00	3575.00	3575.00	2.50	27438.13	30311.88
2021-22	1687	80.710	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	80.71	84745.00	5085.00	5085.00	2.50	39027.38	45717.63
2021-22	1685	160.040	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	160.04	168042.00	10083.00	10083.00	2.50	77387.03	90654.98
2021-22	62	76.170	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	76.17	79978.00	4799.00	4799.00	2.50	36832.33	43145.68
2021-22	579	70.000	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	70.00	73500.00	4550.00	4550.00	2.50	34921.25	38578.75
	30	कुल		2279.285	2393244.00	145644.00	145644.00		1117817.70	1275426.30
2022-23	213	31.710	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	31.71	33295.00	1934.00	1934.00	2.50	15375.30	17919.70
2022-23	1859	27.450	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	27.45	28822.00	1674.00	1674.00	2.50	13308.30	15513.70

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

2022-23	251	43.430	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	43.43	45602.00	2649.00	2649.00	2.50	21059.55	24542.45
2022-23	1952	60.000	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	60.00	63000.00	3660.00	3660.00	2.50	29097.00	33903.00
2022-23	1885	28.420	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	28.42	29841.00	1734.00	1734.00	2.50	13785.30	16055.70
2022-23	1898	43.810	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	43.81	46000.00	2672.00	2672.00	2.50	21242.40	24757.60
2022-23	19	92.345	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	92.35	96962.00	5633.00	5633.00	2.50	44782.35	52179.65
2022-23	89	80.970	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	80.97	85018.00	4939.00	4939.00	2.50	39265.05	45752.95
2022-23	1684	122.500	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	122.50	128625.00	7473.00	7473.00	2.50	59410.35	69214.65
2022-23	1704	73.270	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	73.27	76933.00	4469.00	4469.00	2.50	35528.55	41404.45
2022-23	1590	79.540	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	79.54	83517.00	2800.00	2800.00	2.50	22260.00	61257.00
2022-23	1631	124.410	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	124.41	130630.00	4200.00	4200.00	2.50	33390.00	97240.00
2022-23	1538	54.630	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	54.63	57362.00	2500.00	2500.00	2.50	19875.00	37487.00
2022-23	1666	67.280	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	67.28	70644.00	3600.00	3600.00	2.50	28620.00	42024.00
2022-23	1440	73.990	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	73.99	77690.00	2800.00	2800.00	2.50	22260.00	55430.00
2022-23	1427	53.070	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	53.07	55724.00	2200.00	2200.00	2.50	17490.00	38234.00
2022-23	1699	133.280	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	133.28	139944.00	8130.00	8130.00	2.50	64633.50	75310.50
2022-23	2548	30.000	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	30.00	31500.00	1830.00	1830.00	2.50	14548.50	16951.50
2022-23	1537	115.210	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	115.21	120970.00	6575.00	6575.00	2.50	52271.25	68698.75
2022-23	1435	53.470	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	53.47	56143.00	2500.00	2500.00	2.50	19875.00	36268.00

			का निर्माण							
2022-23	2544	27.720	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	27.72	29106.00	1691.00	1691.00	2.50	13443.45	15662.55
2022-23	577	44.730	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	44.73	46966.00	453.00	453.00	2.50	3601.35	43364.65
2022-23	1394	104.630	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	104.63	109861.00	6050.00	6050.00	2.50	48097.50	61763.50
2022-23	555	130.000	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	130.00	136500.00	5050.00	5050.00	2.50	40147.50	96352.50
2022-23	562	82.160	बरबेड वायर फेंस के किनारे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	82.16	86268.00	5147.00	5147.00	2.50	40918.65	45349.35
	25	योग		1778.025	1866923.00	92363.00	92363.00		734285.85	1132637.15
	87	कुल योग		6761.703	7070920.00	399859.59	399859.59		3124939.61	3945980.39

(स्रोत: (i) वनमंडलो की कार्ययोजना और (ii) विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 3.5.7
(कंडिका 3.5.11.3(ग) में संदर्भित)

सीपीटी पर वृक्षारोपण कार्य के मानदंडों का पालन न करने के कारण अधिक व्यय का विवरण

वर्ष	कम्पार्टमेंट क्रमांक	उपचारित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कार्य का नाम	परियोजना रिपोर्ट के अनुसार लाइव हेज (आर.एम. में) का निर्माण	व्यय (₹ में)	सीपीटी का किया गया कार्य	किया जाने वाला लाइव हेज कार्य (आर.एम. में)	पीसीसीएफ के एसओआर के अनुसार मानदंड (आरएम प्रति कार्यदिवस में)	किया जाने वाला व्यय (₹ में)	अधिक व्यय (₹ में)
कोरिया वनमंडल										
2019-20	195	68.82	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	8946.60	77734.32	4886.00	4886.00	2.69	42452.99	35281.33
2019-20	420	29.18	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	3793.40	32959.71	2072.00	2072.00	2.69	18002.99	14956.72
2019-20	510A	2.87	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	373.10	3241.75	204.00	204.00	2.69	1772.49	1469.26
2019-20	577	2.49	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	323.70	2812.53	177.00	177.00	2.69	1537.90	1274.63
2019-20	602	51.49	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	6693.70	58159.55	3656.00	3656.00	2.69	31765.89	26393.66
2019-20	589	27.88	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	3624.40	31491.32	1979.00	1979.00	2.69	17194.94	14296.38
2019-20	13 एवं 16	54.17	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	7042.10	61186.69	3846.00	3846.00	2.69	33416.74	27769.95
2019-20	46	96.85	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	12590.50	109395.08	6876.00	6876.00	2.69	59743.50	49651.58
2019-20	188	134.62	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	17500.60	152057.46	9558.00	9558.00	2.69	83046.59	69010.87
2019-20	369 एवं 416	144.07	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	18729.10	162731.53	10229.00	10229.00	2.69	88876.71	73854.82
2019-20	370	117.82	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	15316.60	133081.34	8365.00	8365.00	2.69	72680.98	60400.36
2019-20	459	58.69	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	7629.70	66292.17	4167.00	4167.00	2.69	36205.81	30086.36
2019-20	494	29.49	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	3833.70	33309.87	2094.00	2094.00	2.69	18194.14	15115.73
2019-20	502	2.32	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	301.60	2620.51	158.00	158.00	2.69	1372.81	1247.70
2019-20	466	7.21	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	937.30	8143.92	505.00	505.00	2.69	4387.79	3756.13
2019-20	446 A	12.24	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	1591.20	13825.46	869.00	869.00	2.69	7550.48	6274.98
2019-20	473	8.14	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	1058.20	9194.38	570.00	570.00	2.69	4952.56	4241.82
2019-20	491	17.37	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	2258.10	19619.95	1216.00	1216.00	2.69	10565.46	9054.49
2019-20	561	14.6	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	1898.00	16491.15	1022.00	1022.00	2.69	8879.85	7611.30

2019—20	549	20.8	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	2704.00	23494.24	1456.00	1456.00	2.69	12650.75	10843.49
2019—20	530	32.45	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	4218.50	36653.28	2272.00	2272.00	2.69	19740.73	16912.55
2019—20	612	12.68	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	1648.40	14322.45	888.00	888.00	2.69	7715.57	6606.88
2019—20	615	40.96	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	5324.80	46265.59	2908.00	2908.00	2.69	25266.74	20998.85
2019—20	662	51.59	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	6706.70	58272.50	3611.00	3611.00	2.69	31374.90	26897.60
	24	योग		135044.00	1173356.75	73584.00	73584.00		639349.30	534007.45
2020—21	206	155.37	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	21751.80	172611.41	10876.00	10876.00	2.69	86306.50	86304.91
2020—21	459	91.55	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	12817.00	101709.30	6409.00	6409.00	2.69	50858.62	50850.68
2020—21	513	164.92	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	23088.80	183221.17	11544.00	11544.00	2.69	91607.41	91613.76
2020—21	188	113.46	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	15884.40	126050.66	7942.00	7942.00	2.69	63023.74	63026.92
2020—21	595	70.17	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	9823.80	77956.76	4912.00	4912.00	2.69	38979.18	
2020—21	405	50.54	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	7076.00	56151.60	3538.00	3538.00	2.69	28075.80	28075.80
2020—21	431	9.85	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	1379.00	10943.05	690.00	690.00	2.69	5475.50	5467.56
2020—21	487	18.27	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	2558.00	20299.01	1279.00	1279.00	2.69	10149.50	10149.51
2020—21	630	19.75	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	2765.00	21941.66	1383.00	1383.00	2.69	10974.80	10966.86
2020—21	583	7.57	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	1060.00	8411.63	530.00	530.00	2.69	4205.82	4205.82
2020—21	640	0.67	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	94.00	745.94	47.00	47.00	2.69	372.97	372.97
2020—21	652	35.81	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	5013.00	39780.66	2507.00	2507.00	2.69	19894.30	19886.36
2020—21	14	10.5	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	1470.00	11665.19	735.00	735.00	2.69	5832.59	5832.60
2020—21	81	47.96	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	6714.00	53282.12	3357.00	3357.00	2.69	26639.47	26642.65
2020—21	232	21.59	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	3023.00	23989.02	1511.00	1511.00	2.69	11990.54	11998.48
2020—21	467	37.17	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	5204.00	41296.34	2602.00	2602.00	2.69	20648.17	20648.17
2020—21	494	34.25	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	4795.00	38050.72	2398.00	2398.00	2.69	19029.33	19021.39
2020—21	501	18.4	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	2576.00	20441.85	1288.00	1288.00	2.69	10220.92	10220.93
2020—21	446।	15.73	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	2202.00	17473.97	1101.00	1101.00	2.69	8736.99	8736.98
2020—21	491	18.65	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	2611.00	20719.59	1306.00	1306.00	2.69	10363.76	10355.83
2020—21	564	6.35	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	889.00	7054.66	445.00	445.00	2.69	3531.30	3523.36
2020—21	549 एवं 547	39.87	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	5582.00	44295.96	2791.00	2791.00	2.69	22147.98	22147.98

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

2020—21	531	3.62	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	507.00	4023.30	253.00	253.00	2.69	2007.68	2015.62
2020—21	612	39.7	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	5558.00	44105.51	2779.00	2779.00	2.69	22052.75	22052.76
2020—21	667	21.39	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	2995.00	23766.82	1497.00	1497.00	2.69	11879.44	11887.38
2020—21	651	13	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	1820.00	14442.61	910.00	910.00	2.69	7221.31	7221.31
	26	योग		149256.80	1184430.51	74630.00	74630.00		592226.37	553226.56
2021—22	24	175.74	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	24603.60	203183.91	11423.00	11423.00	2.69	94334.56	108849.35
2021—22	83 एवं 105	130.12	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	18216.80	150439.80	8458.00	8458.00	2.69	69848.70	80591.10
2021—22	189	142.32	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	19924.80	164544.98	9251.00	9251.00	2.69	76397.53	88147.45
2021—22	455B, 415	87.66	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	12272.40	101349.16	5698.00	5698.00	2.69	47055.79	54293.37
2021—22	448	61.97	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	8675.80	71647.36	4028.00	4028.00	2.69	33264.43	38382.93
2021—22	552	140.14	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	19619.60	162024.54	9109.00	9109.00	2.69	75224.85	86799.69
2021—22	557	123.69	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	17316.60	143005.68	8040.00	8040.00	2.69	66396.73	76608.95
2021—22	256	11.88	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	1663.20	13735.20	772.00	772.00	2.69	6375.41	7359.79
2021—22	456	1.66	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	232.40	1919.23	108.00	108.00	2.69	891.90	1027.33
2021—22	520	52.07	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	7289.80	60201.36	3385.00	3385.00	2.69	27954.35	32247.01
2021—22	495	34.51	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	4831.40	39899.15	2243.00	2243.00	2.69	18523.37	21375.78
2021—22	499	37.37	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	5231.80	43205.77	2429.00	2429.00	2.69	20059.41	23146.36
2021—22	513	52.23	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	7312.20	60386.34	3395.00	3395.00	2.69	28036.93	32349.41
2021—22	477	21.91	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	3067.40	25331.51	1424.00	1424.00	2.69	11759.82	13571.69
2021—22	566	2.17	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	303.80	2508.87	141.00	141.00	2.69	1164.42	1344.45
2021—22	549	36.24	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	5073.60	41899.31	2356.00	2356.00	2.69	19456.55	22442.76
2021—22	621	30.6	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	4284.00	35378.56	1989.00	1989.00	2.69	16425.76	18952.80
2021—22	667	1.2	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	168.00	1387.39	77.00	77.00	2.69	635.89	751.50
2021—22	598	24.57	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	3439.80	28406.90	1597.00	1597.00	2.69	13188.51	15218.39
2021—22	651	50	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	7000.00	57808.10	3250.00	3250.00	2.69	26839.48	30968.63
2021—22	195	72.16	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	10102.40	83428.65	4690.00	4690.00	2.69	38731.43	44697.22
2021—22	631	59.02	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	8262.80	68236.68	3836.00	3836.00	2.69	31678.84	36557.84
2021—22	586	121.45	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	17003.00	140415.87	7894.00	7894.00	2.69	65191.02	75224.85

2021-22	405	15.36	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	2150.40	17758.65	998.00	998.00	2.69	8241.78	9516.87
2021-22	510 A एवं B	6.5	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	910.00	7515.05	423.00	423.00	2.69	3493.26	4021.79
2021-22	613	31.38	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	4393.20	36280.36	2040.00	2040.00	2.69	16846.93	19433.43
2021-22	652	50	सीपीटी की मेड़ मे 2 पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	7000.00	57808.10	3250.00	3250.00	2.69	26839.48	30968.63
	27	योग		220348.80	1819706.48	102304.00	102304.00		844857.12	974849.36
	77	कुल योग		504649.60	4177493.74	250518.00	250518.00		2076432.79	2062083.37
जशपुर वनमंडल										
2021-22	915	87.870	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	22000.00	231000.00	5000.00	5000.00	2.69	40350.00	190650.00
2021-22	911	63.180	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	7500.00	78750.00	4108.00	4108.00	2.69	33151.56	45598.44
2021-22	896	64.770	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	7500.00	78750.00	4010.00	4010.00	2.69	32360.70	46389.30
2021-22	878	68.340	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	9000.00	94500.00	4442.00	4442.00	2.69	35846.94	58653.06
2021-22	904	58.356	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	7500.00	78750.00	3793.00	3793.00	2.69	30609.51	48140.49
2021-22	171	93.090	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	12102.00	97744.00	6100.00	6100.00	2.69	49227.00	48517.00
2021-22	117	55.790	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	7253.00	59946.00	3700.00	3700.00	2.69	29859.00	30087.00
2021-22	106	62.840	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	8169.00	65982.00	4100.00	4100.00	2.69	33087.00	32895.00
2021-22	566	55.180	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	7173.00	59291.00	3700.00	3700.00	2.69	29859.00	29432.00
2021-22	548	56.790	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	7383.00	59629.00	3700.00	3700.00	2.69	29859.00	29770.00
2021-22	22	57.830	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	7518.00	60721.00	3800.00	3800.00	2.69	31381.54	29339.46
2021-22	913	69.200	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	10000.00	105000.00	4500.00	4500.00	2.69	36315.00	68685.00
2021-22	1054	70.790	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	7500.00	80587.00	4580.00	4580.00	2.69	37823.01	42763.99
2021-22	978	55.160	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	7171.00	57918.00	3585.00	3585.00	2.69	29606.01	28311.99
2021-22	969	56.421	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	7335.00	59242.00	3377.00	3377.00	2.69	27888.28	31353.72
2021-22	982	58.478	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	7602.00	61401.00	3906.00	3906.00	2.69	32256.92	29144.08
2021-22	1000	64.280	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	8356.00	67494.00	4550.00	4550.00	2.69	37575.27	29918.74
2021-22	1031	69.969	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	9096.00	73467.00	4898.00	4898.00	2.69	40449.15	33017.85
2021-22	1257	60.150	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	3000.00	32235.00	3500.00	3500.00	2.69	28904.05	3330.95

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

2021-22	957	60.995	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	7929.00	64044.00	4220.00	4220.00	2.69	34850.03	29193.97
2021-22	566	81.021	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	10533.00	85072.00	5300.00	5300.00	2.69	43768.99	41303.01
2021-22	952	55.318	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	5200.00	54600.00	3595.00	3595.00	2.69	29688.59	24911.41
2021-22	903	73.821	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	9000.00	94500.00	4798.00	4798.00	2.69	39623.32	54876.68
2021-22	896	84.638	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	6500.00	68250.00	5501.00	5501.00	2.69	45428.91	22821.09
2021-22	171	68.090	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	8852.00	71494.00	4450.00	4450.00	2.69	36749.44	34744.57
2021-22	112	69.910	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	9088.00	73405.00	4545.00	4545.00	2.69	37533.97	35871.03
2021-22	106	68.921	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	8960.00	72367.00	4500.00	4500.00	2.69	37162.35	35204.65
2021-22	114	54.088	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	7031.00	58117.00	3516.00	3516.00	2.69	29036.18	29080.82
2021-22	84	64.124	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	8336.00	67330.00	4169.00	4169.00	2.69	29036.18	29080.82
2021-22	565	38.069	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	4949.00	40905.00	2720.00	2720.00	2.69	34428.85	32901.15
2021-22	688	18.307	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	2380.00	19670.00	1200.00	1200.00	2.69	22462.58	18442.42
2021-22	476	25.905	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	3368.00	27834.00	1700.00	1700.00	2.69	9909.96	9760.04
2021-22	110	33.123	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	4306.00	35590.00	2153.00	2153.00	2.69	14039.11	13794.89
2021-22	117	25.299	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	3289.00	27183.00	1645.00	1645.00	2.69	17780.12	17809.88
2021-22	218	36.503	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	4745.00	39222.00	2375.00	2375.00	2.69	13584.90	13598.10
2021-22	260	18.974	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	2467.00	20387.00	1233.00	1233.00	2.69	19613.46	19608.54
2021-22	544	28.33	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	3683.00	30440.00	1900.00	1900.00	2.69	10182.48	10204.52
2021-22	615	26.18	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	3403.00	28130.00	1800.00	1800.00	2.69	15690.77	14749.23
2021-22	635	32.45	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	4219.00	34867.00	2200.00	2200.00	2.69	14864.94	13265.06
2021-22	126	50.35	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	6546.00	54101.00	3300.00	3300.00	2.69	27252.39	26848.61
2021-22	86	43.33	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	5633.00	46558.00	2900.00	2900.00	2.69	23949.07	22608.93
2021-22	544	12.113	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	1575.00	13015.00	800.00	800.00	2.69	6606.64	6408.36
2021-22	911	86.71	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	11189.59	90300.00	5636.00	5636.00	2.69	46543.78	43756.22
2021-22	884	45.20	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	5854.96	48352.00	2938.00	2938.00	2.69	24262.89	24089.11
2021-22	907	51.098	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	6623.64	54700.00	3320.00	3320.00	2.69	27417.56	27282.44

2021-22	913	43.057	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	5594.73	46203.00	2600.00	2600.00	2.69	21471.58	24731.42
2021-22	927	13.996	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	10408.92	85960.00	200.00	200.00	2.69	1651.66	84308.34
2021-22	948	19.66	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	1821.56	15043.00	1278.00	1278.00	2.69	10554.11	4488.89
2021-22	856	30.88	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	3903.35	32235.00	2000.00	2000.00	2.69	16516.60	15718.40
2021-22	887	22.67	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	2862.45	23639.00	1373.00	1373.00	2.69	11338.65	12300.35
2021-22	890	48.66	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	5204.46	42980.00	2262.00	2262.00	2.69	18680.27	24299.73
2021-22	903	44.06	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	5724.91	47278.00	2663.00	2663.00	2.69	21991.85	25286.15
2021-22	907	33.58	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	4293.62	35458.00	1900.00	1900.00	2.69	15690.77	19767.23
2021-22	944	27.10	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	3512.95	29011.00	1761.00	1761.00	2.69	14542.87	14468.13
2021-22	915	32.427	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	3200.00	34300.00	2007.00	2007.00	2.69	16574.41	17725.59
2021-22	635	34.968	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	4546.00	37573.00	2300.00	2300.00	2.69	18994.09	18578.91
2021-22	140	23.55	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	3062.00	25304.00	1600.00	1600.00	2.69	13213.28	12090.72
2021-22	565	21.59	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	2807.00	23198.00	1590.00	1590.00	2.69	13130.70	10067.30
2021-22	686	16.55	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	2152.00	17782.00	1100.00	1100.00	2.69	9084.13	8697.87
2021-22	392	20.89	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	2716.00	22446.00	1358.00	1358.00	2.69	11214.77	11231.23
2021-22	430	18.82	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	2447.00	20222.00	1223.00	1223.00	2.69	10099.90	10122.10
2021-22	110	52.15	दो पंक्तियों में लाइव हेज का निर्माण	6780.00	56035.00	3400.00	3400.00	2.69	28078.22	27956.78
	62	2985.96	योग	417467.31	3417507.00	192378.00	193478.00		1579836.33	1837670.67
	139		कुल योग	922116.91	7595000.74	442896.00	442896.00		3656269.12	3899754.04

(स्रोत: (i) वनमंडलो की कार्ययोजना और (ii) विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 3.5.8

(कडिका 3.5.11.4 में संदर्भित)

आरडीएफ क्षेत्र में अपूर्ण कार्यों का विवरण

वर्ष	कम्पार्टमेंट क्रमांक	कूप संख्या	कुल क्षेत्र(हेक्टेयर में)	उपचारित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	सफाई कार्य		व्यय राशि (₹ में)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक के एसओआर के अनुसार मानदंड (श्रम दिवसों में)	किया जाने वाला व्यय (₹ में)	अधिक व्यय (₹ में)
					सघन क्षेत्र (हेक्टेयर में)	विरल क्षेत्र (हेक्टेयर में)				
बस्तर वनमंडल										
2020—21	653	II	47.116	47.116	30.000	17.116	104896.00	5	69496.10	35399.90
	785	II	46.480	46.480	30.000	16.480	103958.00	5	68558.00	35400.00
	707	II	16.345	16.345	10.000	6.345	37329.00	5	24108.88	13220.13
	711	II	50.802	50.802	40.000	10.802	126964.00	5	74932.95	52031.05
	748	II	21.700	21.700	11.000	10.700	46767.00	5	32007.50	14759.50
	803	II	33.354	33.354	25.000	8.354	81811.00	5	51143.36	30667.64
	899	II	48.889	48.889	28.000	20.889	109311.00	5	72191.94	37119.06
	471	II	72.584	72.584	62.000	10.584	180423.00	5	107181.16	73241.84
	785	II	49.668	49.668	30.000	19.675	105602.00	5	73352.59	32249.41
	859	II	98.890	98.890	60.000	38.890	210545.00	5	141743.98	68801.02
	479	II	100.875	32.282	23.000	9.282	74839.00	5	47669.22	27169.78
	184	II	147.806	108.488	90.000	18.488	258703.00	5	160198.81	98504.19
	617	II	117.371	45.425	34.000	11.425	107122.00	5	67001.88	40120.13
	744	II	26.772	26.772	15.000	11.772	57189.00	5	39488.70	17700.30
	951	II	100.551	100.551	74.000	26.551	235633.00	5	148312.73	87320.28
	970	II	84.498	84.498	45.000	39.498	177735.00	5	124634.55	53100.45
	983	II	59.430	59.430	42.000	17.430	137219.00	5	87659.25	49559.75
	745	II	17.821	17.821	10.000	7.821	38086.00	5	26285.98	11800.03

	747	II	43.437	31.633	20.000	11.633	70259.00	5	46658.68	23600.33
	964	II	54.687	54.687	38.000	16.687	125503.00	5	80663.33	44839.68
	966	II	44.932	44.932	23.000	21.932	93415.00	5	66274.70	27140.30
	987	II	9.132	9.132	9.132	0.000	24245.00	5	13469.70	10775.30
	746	II	11.890	11.890	11.890	0.000	31568.00	5	17537.75	14030.25
	959	II	84.932	84.932	40.000	44.932	172475.00	5	125274.70	47200.30
	896	II	131.255	115.471	69.000	46.471	251740.00	5	170319.73	81420.28
	945	II	111.837	111.837	81.000	30.837	260540.00	5	164959.58	95580.43
	994	II	62.778	62.778	40.000	22.778	139798.00	5	92597.55	47200.45
	702	II	60.013	60.013	50.000	10.013	147519.00	5	88519.18	58999.83
	891	II	127.518	127.518	80.000	47.518	282489.00	5	188089.05	94399.95
	795	II	83.416	77.217	42.000	35.217	163455.00	5	113895.08	49559.93
	702	II	60.013	60.013	50.000	10.013	147519.00	5	88519.18	58999.83
	योग	31	2026.79	1813.15	1213.02	600.13	4104657.00		2672745.73	1431911.27
2021-22	617	III	83.235	83.235	50.000	33.235	188963.00	5	127628.39	61334.61
	959	III	95.723	95.723	30.000	65.723	183577.00	5	146776.86	36800.14
	972	III	37.445	35.445	35.445	0.000	97829.00	5	54349.59	43479.41
	945	III	101.400	101.400	60.000	41.400	229083.00	5	155481.69	73601.31
	896	III	115.789	115.789	30.000	85.767	214312.00	5	177511.33	36800.67
	786	III	87.739	75.099	40.000	35.099	164220.00	5	115153.05	49066.95
	777	III	95.053	88.574	40.000	48.574	184882.00	5	135814.94	49067.06
	952	III	74.464	74.464	30.000	44.464	150980.00	5	114179.37	36800.63
	965	III	84.488	84.488	50.000	34.488	190884.00	5	129549.67	61334.33
	971	III	65.419	65.419	44.000	21.419	154284.00	5	100310.22	53973.78
	984	III	94.270	94.270	60.000	34.270	218150.00	5	144548.90	73601.10
	995	III	80.024	80.024	40.000	40.024	171772.00	5	122704.80	49067.20

	1008	III	121.633	121.633	70.000	51.633	272373.00	5	186505.96	85867.04
	493	III	89.770	29.320	25.000	4.320	75706.00	5	45006.20	30699.80
	412	III	81.400	81.400	75.000	6.400	217049.00	5	124949.00	92100.00
	420	III	76.877	58.448	50.000	8.448	151118.00	5	89621.24	61496.76
	428	III	95.993	65.753	60.000	5.753	174611.00	5	100930.86	73680.15
	437	III	82.121	63.253	58.000	5.253	196121.00	5	97093.36	99027.65
	444	III	76.466	73.366	68.000	5.366	196121.00	5	112616.81	83504.19
	455	III	160.631	136.380	130.000	6.380	368983.00	5	209343.30	159639.70
	463	III	91.430	91.430	85.000	6.430	244725.00	5	140345.05	104379.95
	482	III	69.814	69.814	65.000	4.814	186984.00	5	107164.49	79819.51
	506	III	86.204	85.288	80.000	5.288	229157.00	5	130917.08	98239.92
	509	III	91.202	67.296	60.000	7.296	176979.00	5	103299.36	73679.64
	518	III	99.058	74.136	70.000	4.136	199759.00	5	113798.76	85960.24
	520	III	120.321	120.321	114.000	6.321	324685.00	5	184692.74	139992.27
	419	III	88.669	65.385	60.000	5.385	174046.00	5	100365.98	73680.03
	617	III	83.235	83.235	50.000	33.235	188963.00	5	127628.39	61334.61
	786	III	87.739	75.099	40.000	35.099	164220.00	5	115153.05	49066.95
	896	III	115.789	115.789	30.000	85.767	214312.00	5	177511.33	36800.67
	945	III	101.400	101.400	60.000	41.400	229083.00	5	155481.69	73601.31
	1335	III	147.288	72.025	35.460	36.565	155460.00	5	110558.38	44901.63
	1278	III	107.057	107.057	71.250	35.807	208304.00	5	164332.50	43971.51
	1459	III	71.260	64.887	42.420	22.467	127191.00	5	99601.55	27589.46
	712	III	76.587	76.587	60.000	16.587	191036.00	5	117434.68	73601.32
	785	III	105.898	105.898	80.000	25.898	260513.00	5	162378.70	98134.30
	873	III	68.602	68.602	24.000	44.602	132029.00	5	105190.88	26838.12
	805	III	54.981	54.981	34.000	20.981	126012.00	5	84305.12	41706.88

	189	III	157.498	85.073	70.000	15.073	216314.00	5	130446.68	85867.32
	178	III	87.910	84.173	70.000	14.173	214934.00	5	129066.67	85867.33
	149	III	127.060	90.470	75.000	15.470	230723.00	5	138722.17	92000.83
	544	III	39.700	39.700	30.000	9.700	97780.00	5	60939.50	36840.50
	419	III	88.669	65.385	60.000	5.385	174046.00	5	100365.98	73680.03
	709	III	29.946	29.946	20.000	9.946	70452.00	5	45917.70	24534.30
	471	III	52.817	52.817	40.000	12.817	130194.00	5	81074.10	49119.91
	869	III	39.942	39.942	20.000	19.942	85779.00	5	61245.07	24533.93
	योग	46		3610.22	2491.58	1118.60	8554698.00		5538013.11	3016684.89
कुल योग		78		5423.37	3704.60	1718.73	12659355.00		8210758.83	4448596.17
बलरामपुर वनमंडल										
2021-22	3343	VII	25.04	25.04	15.02	0	41781	5	23212.08	18568.92
	3037	VII	51.33	26.73	16.04	0	44602	5	24778.71	19823.29
	3345	VII	23.90	23.90	14.34	0	39879	5	22155.30	17723.70
	2943	VII	20.26	20.26	12.16	0	33805	5	18781.02	15023.98
	2974	VII	15.84	15.84	9.50	0	26430	5	14683.68	11746.32
	2969	VII	19.76	10.34	6.20	0	17253	5	9585.18	7667.82
	3480	VII	37.77	31.09	18.65	0	51876	5	28820.43	23055.57
	2798	VII	14.40	8.92	5.35	0	14883	5	8268.84	6614.16
	3446	VII	281.02	189.16	113.50	0	315632	5	175351.32	140280.68
	3480	VII	37.77	31.09	18.65	0	51876	5	28820.43	23055.57
	837	VII	168.57	31.11	18.66	0	51910	5	28829.70	23080.30
	776	VII	123.75	74.50	44.70	0	124310	5	69061.50	55248.50
	739	VII	237.33	26.46	15.88	0	44151	5	24528.42	19622.58
	930	VII	56.21	27.16	16.30	0	45319	5	25177.32	20141.68
	605	VII	263.79	80.67	48.40	0	134605	5	74781.09	59823.91

	622	VII	164.48	83.68	50.21	0	139628	5	77571.36	62056.64
	3419	VII	57.00	57.00	34.20	0	95110	5	52839.00	42271.00
	3430	VII	67.61	42.61	25.57	0	71099	5	39499.47	31599.53
	3422	VII	115.36	84.77	50.86	0	141447	5	78581.79	62865.21
	3426	VII	69.74	69.74	41.84	0	116368	5	64648.98	51719.02
	961	VII	126.37	61.10	36.66	0	101951	5	56639.70	45311.30
	938	VII	133.04	133.04	79.82	0	221990	5	123328.08	98661.92
	887	VII	189.37	159.37	95.62	0	265924	5	147735.99	118188.01
	612	VII	164.81	125.09	75.05	0	208725	5	115958.43	92766.57
	627	VII	196.46	185.18	111.11	0	308991	5	171661.86	137329.14
	2745	VII	147.99	73.12	43.87	0	122008	5	67782.24	54225.76
	2806	VII	114.70	74.70	44.82	0	124644	5	69246.90	55397.10
	2761	VII	106.30	106.30	63.78	0	177372	5	98540.10	78831.90
	4	VII	216.66	120.37	72.22	0	200849	5	111579.90	89269.10
	823	VII	82.50	52.17	31.30	0	87051	5	48361.59	38689.41
	790	VII	290.54	73.17	43.90	0	122091	5	67828.59	54262.41
	673	VII	148.31	87.13	52.28	0	145385	5	80769.51	64615.49
	796	VII	156.52	96.52	57.91	0	161053	5	89474.04	71578.96
	689	VII	164.18	100.00	60.00	0	166860	5	92700.00	74160.00
	3346	VII	99.92	99.92	59.95	0	166727	5	92625.84	74101.16
	2904	VII	152.38	46.94	28.16	0	78324	5	43513.38	34810.62
	3484	VII	100.50	98.72	59.23	0	164724	5	91513.44	73210.56
	3401	VII	40.40	40.40	24.24	0	67411	5	37450.80	29960.20
	3172	VII	157.38	74.91	44.94	0	124994	5	69432.30	55561.70
	3035	VII	173.90	90.11	54.07	0	150357	5	83531.97	66825.03
	3536	VII	109.54	109.54	65.72	0	182778	5	101543.58	81234.42

	3488	VII	177.04	115.67	69.40	0	193006	5	107226.09	85779.91
	3289	VII	131.13	131.13	78.68	0	218803	5	121557.51	97245.49
	3344	VII	92.19	55.19	33.11	0	92090	5	51161.13	40928.87
	2743	VII	133.68	90.55	54.33	0	151092	5	83939.85	67152.15
	3425	VII	140.61	60.61	36.37	0	101134	5	56185.47	44948.53
	3446	VII	281.02	189.16	113.50	0	315632	5	175351.32	140280.68
	973	IV	146.98	86.98	52.19	0	145135	5	80630.46	64504.54
	980	IV	173.98	70.42	42.25	0	117502	5	65279.34	52222.66
	2746	VII	75.21	39.06	39.06	0	65176	5	60347.70	4828.30
	2719	VII	40.92	18.44	11.06	0	30769	5	17087.70	13681.30
	2821	VII	75.67	33.66	20.20	0	56165	5	31202.82	24962.18
	3419	VII	57.00	57.00	34.20	0	95110	5	52839.00	42271.00
	3426	VII	69.74	69.74	41.84	0	116368	5	64648.98	51719.02
	639	IV	54.61	29.61	17.76	0	49407	5	27439.20	21967.80
	689	IV	164.18	100.00	60.00	0	166860	5	92700.00	74160.00
	796	IV	156.52	96.52	57.91	0	161053	5	89474.04	71578.96
	980	IV	173.98	70.42	42.25	0	117503	5	65279.34	52223.66
	योग	58		4282.03	2584.82	0.00	7144978.00		3993543.81	3151434.19
2022-23	888	V	81.58	81.58	48.95	0	140089	5	77827.32	62261.68
	949	V	86.92	86.92	75.82	0	130198	5	120553.80	9644.20
	938	V	118.75	63.67	38.20	0	109334.00	5	60741.18	48592.82
	832	V	145.81	39.81	23.89	0	68361.00	5	37978.74	30382.26
	651	V	137.79	127.79	76.67	0	219440.00	5	121905.30	97534.70
	626	V	131.33	111.33	66.80	0	191176.00	5	106208.82	84967.18
	496	V	182.23	121.83	73.10	0	209206.00	5	116225.82	92980.18
	973	V	157.25	42.00	25.20	0	72122.40	5	40068.00	32054.40

	3426	V	80.47	80.47	48.28	0	138183.00	5	76768.38	61414.62
	980	V	171.03	90.37	54.22	0	155183.00	5	86212.98	68970.02
	2761		85.41	55.41	33.25	0	95150.00	5	52861.14	42288.86
	2806	VIII	161.28	73.34	44.00	0	125939.00	5	69966.36	55972.64
	2724	VIII	77.53	77.53	46.52	0	133134.00	5	73963.62	59170.38
	4	V	220.35	192.27	115.36	0	330166.00	5	183425.58	146740.42
	210	V	49.57	42.57	25.54	0	73101.00	5	40611.78	32489.22
	799	V	69.34	44.48	26.69	0	76381.00	5	42433.92	33947.08
	2887	VIII	59.76	49.76	29.85	0	85448.00	5	47461.50	37986.50
	675	V	49.72	49.27	29.56	0	84606.00	5	47000.40	37605.60
	689	V	165.17	91.53	54.92	0	157175.00	5	87319.62	69855.38
	202	V	302.42	178.06	106.84	0	305764.00	5	169869.24	135894.76
	823	V	103.46	43.36	26.02	0	74457.00	5	41365.44	33091.56
	3233	VIII	74.40	60.04	36.02	0	103100.00	5	57278.16	45821.84
	3296	VIII	28.83	28.49	17.09	0	48923.00	5	27173.10	21749.90
	3419	VIII	59.84	29.84	17.90	0	51241.00	5	28461.00	22780.00
	807	V	73.80	32.95	19.77	0	56582.00	5	31434.30	25147.70
	933	V	161.42	106.51	63.91	0	182899.00	5	101610.54	81288.46
	896	V	218.09	48.87	29.32	0	83920.00	5	46621.98	37298.02
	844	V	127.97	40.15	24.09	0	68946.00	5	38303.10	30642.90
	3289	VIII	129.74	59.55	35.73	0	102259.00	5	56810.70	45448.30
	3347	VIII	114.56	64.56	38.74	0	110862.00	5	61590.24	49271.76
	3369	VIII	70.70	70.70	42.42	0	121406.00	5	67447.80	53958.20
	3035	VIII	118.19	78.19	46.91	0	134268.00	5	74586.90	59681.10
	504	V	182.55	69.30	41.58	0	119002.00	5	66112.20	52889.80
	603	V	211.74	79.94	47.96	0	137273.00	5	76262.76	61010.24

	622	V	154.43	105.67	63.40	0	181456.00	5	100809.18	80646.82
	638	V	246.37	171.04	102.62	0	293709.00	5	163172.16	130536.84
	495	V	235.71	200.00	120.00	0	343440.00	5	190800.00	152640.00
	3484	VIII	102.81	52.81	31.69	0	90685.00	5	50380.74	40304.26
	3529	VIII	229.09	68.79	41.27	0	118126.00	5	65619.30	52506.70
	3425	VIII	120.91	120.91	72.54	0	207626.00	5	115338.60	92287.40
	3462	VIII	283.32	139.47	83.68	0	239497.00	5	133054.38	106442.62
	3458	VIII	280.25	143.58	86.15	0	246556.00	5	136975.32	109580.68
	3400	VIII	153.23	153.23	91.93	0	263126.00	5	146168.70	116957.30
	2823	VIII	181.93	89.72	53.83	0	154067.00	5	85592.88	68474.12
	2728	VIII	259.01	132.65	79.59	0	227787.00	5	126548.10	101238.90
	2	VIII	156.37	156.37	93.82	0	268518.00	5	149176.98	119341.02
	2989	VIII	288.75	135.52	81.31	0	232715.00	5	129282.90	103432.10
	837	V	119.51	52.32	31.39	0	89844.00	5	49910.10	39933.90
	742	V	162.31	78.11	46.87	0	134130.00	5	74516.94	59613.06
	362	V	165.69	106.50	63.90	0	182881.00	5	101601.00	81280.00
	740	V	296.15	206.25	123.75	0	354184.00	5	196762.50	157421.50
	योग	51		4625.38	2798.85	0.00	7923641.40		4450171.50	3473469.90
कुल योग		109		8907.41	5383.67	0.00	15068619.40		8443715.31	6624904.09
		187		14330.78	9088.27	1718.73	27727974.40		16654474.14	11073500.26

(स्रोत: (i) वनमंडलो की कार्ययोजना और (ii) विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 3.5.9
(कंडिका 3.5.12.2(ग) में संदर्भित)

पौधों के कम जीवित प्रतिशतता के कारण निष्फल व्यय का विवरण

क्र. सं.	वनमंडल का नाम	वर्ष	कम्पार्टमेंट क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों का प्रतिशत	न्यूनतम उत्तरजीविता के मानदंड (प्रतिशत में)	आबंटन (लाख रुपये में)	व्यय (लाख रुपये में)	निष्फल व्यय (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10*(8-7)%
1	बलौदाबाजार	2017	449	39.22	2158	34%	60%	46.67	46.24	12.02
2		2017	30, 35	30.00	1650	30%	60%	35.70	35.47	10.64
3	सूरजपुर	2016	235	30.00	1425	47%	70%	35.70	35.50	8.17
4		2016	67	50.00	2630	63%	70%	59.50	58.70	4.11
5	बालोद	2016	314	30.00	664	43%	60%	44.13	43.70	7.43
6		2016	201	30.00	664	41%	60%	44.13	44.03	8.37
7	कवर्धा	2016	451	13.98	550	41%	60%	20.56	18.70	3.55
8	बीजापुर	2016	837	40.83	631	19%	70%	60.05	58.40	29.78
9	अनुसंधान एवं विस्तार, जगदलपुर	2016	1185	10.00	2826	54%	70%	14.70	13.20	2.11
10			1007	10.00	2762	43%	70%	14.70	14.07	3.80
11			1399	8.00	2155	43%	70%	11.76	11.39	3.08
12			1065	6.00	1675	43%	70%	8.82	7.89	2.13
13	बस्तर	2016	1091	20.00	600	41%	70%	23.80	23.76	6.89
14		2016	1028	10.00	560	47%	70%	11.90	11.47	2.64
15		2016	बागरोय	30.00	500	2%	70%	35.70	35.53	24.16
16		2016	सुधापाल	50.00	1000	34%	70%	59.50	59.82	21.54
17		2016	बेलगांव मालगुड़ा	10.00	500	40%	70%	11.90	11.15	3.35
18	भानुप्रतापपुर	2016	केवाटी	20.00	1200	28%	70%	29.40	28.30	11.89
19	महासमुंद	2017	लोहारडीह	50.00	55000	39%	60%	73.50	73.50	15.44

20	कटघोरा	2018	308	35.00	14000	1%	60%	51.45	49.80	29.38
21		2018	308	20.00	50000	32%	60%	29.40	28.70	8.04
22		2018	309	25.00	10000	4%	60%	36.75	35.70	19.99
23		2018	322	25.00	10000	4%	60%	36.75	35.53	19.90
24		2018	289	25.00	23500	4%	60%	36.75	36.50	20.44
25		2018	282	25.00	10000	3%	60%	36.75	36.20	20.63
26	सुकुमा	2018	176	50.00	20000	44%	70%	73.50	72.90	18.95
27		2018	109	20.00	22000	50%	70%	29.40	29.10	5.82
28		2018	160	50.00	20000	46%	70%	73.50	72.85	17.48
भौतिक सत्यापन										
29	दक्षिण कोंडागांव	2015	786	72.3	26148	10%	70%	23.82	23.82	14.29
30		2015	984	100	40000	10%	70%	32.96	32.95	19.77
	कुल योग			935.33	324798			1103.15	1084.87	375.78

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी और विभाग के अधिकारियों के साथ किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट)

परिशिष्ट 3.5.10

(कंडिका 3.5.12.4(क) में संदर्भित)

क्रय नियम का पालन किए बिना बीज खरीद का विवरण

क्रमांक	वनमंडल का नाम	बिल संख्या	दिनांक	वस्तु का नाम	राशि (₹ में)
1	बलरामपुर	208	17.11.2020	बीज	49950.00
2		209	17.11.2020	बीज	49960.00
3		210	17.11.2020	बीज	49100.00
4		211	17.11.2020	बीज	23180.00
5		206	16.11.2020	बीज	48500.00
6		204	16.11.2020	बीज	48500.00
7		205	16.11.2020	बीज	49000.00
8		207	16.11.2020	बीज	22700.00
9		298	14.11.2020	बीज	49980.00
10		297	13.11.2020	बीज	49950.00
11		299	14.11.2020	बीज	50000.00
12		263	10.11.2020	बीज	42000.00
13		262	10.11.2020	बीज	44000.00
14		256	09.11.2020	बीज	48000.00
15		296	13.11.2020	बीज	49500.00
16		312	14.11.2020	बीज	49800.00
17		311	14.11.2020	बीज	49450.00
18		310	14.11.2020	बीज	48000.00
19		309	14.11.2020	बीज	48500.00
20		308	14.11.2020	बीज	49400.00
21		307	14.11.2020	बीज	48200.00
22		306	14.11.2020	बीज	49500.00
23		305	14.11.2020	बीज	48000.00
24		304	14.11.2020	बीज	49900.00
25		303	14.11.2020	बीज	49500.00
26		302	14.11.2020	बीज	50000.00
27		301	14.11.2020	बीज	47000.00
28		300	14.11.2020	बीज	49000.00
29		313	15.11.2020	बीज	49600.00
30		314	15.11.2020	बीज	37000.00
31		279	12.11.2020	बीज	49970.00
32		280	12.11.2020	बीज	49100.00
33		281	12.11.2020	बीज	50000.00
34		282	12.11.2020	बीज	50000.00
35		283	12.11.2020	बीज	48800.00
36		284	12.11.2020	बीज	49000.00

37		285	12.11.2020	बीज	49400.00
38		287	12.11.2020	बीज	49000.00
39		288	13.11.2020	बीज	49930.00
40		289	13.11.2020	बीज	49200.00
41		290	13.11.2020	बीज	49000.00
42		291	13.11.2020	बीज	49400.00
43		292	13.11.2020	बीज	49400.00
44		293	13.11.2020	बीज	49000.00
45		259	09.11.2020	बीज	48000.00
46		258	09.11.2020	बीज	48000.00
47		257	09.11.2020	बीज	48000.00
48		260	09.11.2020	बीज	49400.00
49		295	13.11.2020	बीज	13000.00
50		264	10.11.2020	बीज	48000.00
51		265	10.11.2020	बीज	49600.00
52		266	10.11.2020	बीज	45000.00
53		267	10.11.2020	बीज	50000.00
54		268	10.11.2020	बीज	49000.00
55		270	11.11.2020	बीज	48000.00
56		271	11.11.2020	बीज	49400.00
57		272	11.11.2020	बीज	49400.00
58		273	11.11.2020	बीज	49000.00
59		274	11.11.2020	बीज	49000.00
60		275	11.11.2020	बीज	48000.00
61		277	12.11.2020	बीज	46000.00
62		278	12.11.2020	बीज	48000.00
		योग			
63	महासमुंद, सरायपाली परिक्षेत्र	209	25.3.22	बीज	86066.00
64		210	25.3.22	बीज	66148.00
	योग				152214.00
	कुल योग				3075384.00

(स्त्रोत: वनमंडल द्वारा किए गए भुगतान के वाउचर)

परिशिष्ट 3.5.11

(कंडिका 3.5.12.4(ख) में संदर्भित)

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना अन्य विक्रेताओं से अनियमित गोबर क्रय का विवरण

वनमंडल का नाम	वाउचर संख्या	परिक्षेत्र का नाम	सामग्री	मात्रा (कुल मात्रा घन मीटर में)	राशि (₹ में)
महासमुंद	01 / 14.09.21	बागबाहरा	गाय का गोबर	78.00	61152.00
	02 / 24.09.21	बागबाहरा	गाय का गोबर	78.00	61152.00
	03 / 24.09.21	बागबाहरा	गाय का गोबर	78.00	61152.00
	04 / 24.09.21	बागबाहरा	गाय का गोबर	78.00	61152.00
	05 / 24.09.21	बागबाहरा	गाय का गोबर	78.75	61740.00
	06 / 24.09.21	बागबाहरा	गाय का गोबर	78.75	61740.00
	07 / 24.09.21	बागबाहरा	गाय का गोबर	78.75	61740.00
	08 / 24.09.21	बागबाहरा	गाय का गोबर	78.75	61740.00
	85 / 14.10.21	बागबाहरा	गाय का गोबर	72.00	57600.00
	86 / 14.10.21	बागबाहरा	गाय का गोबर	72.00	57600.00
	87 / 14.10.21	बागबाहरा	गाय का गोबर	72.00	57600.00
	88 / 14.10.21	बागबाहरा	गाय का गोबर	72.00	57600.00
	89 / 14.10.21	बागबाहरा	गाय का गोबर	72.00	57600.00
	02 / 03.11.21	बागबाहरा	गाय का गोबर	76.50	61200.00
	03 / 03.11.21	बागबाहरा	गाय का गोबर	75.60	60480.00
	04 / 03.11.21	बागबाहरा	वर्मी कम्पोस्ट	91.66	99000.00
	39 / 11.03.22	सरायपाली	गाय का गोबर	320.00	281600.00
	394 / 29.03.22	सरायपाली	गाय का गोबर	480.00	422400.00
	296 / मार्च 22	बसना	गाय का गोबर	516.87	454854.00
	375 / मार्च 22	सरायपाली	गाय का गोबर	240.00	211200.00
	675 / मार्च 22	महासमुंद	गाय का गोबर	21.87	17496.00
	484 / मार्च 22	महासमुंद	गाय का गोबर	11.97	9576.00
	370 / मार्च 22	पिथौरा	गाय का गोबर	132.00	105600.00
योग				2953.47	2502974.00
राजनांदगांव	142, 09.03.2022	वनमंडल द्वारा किया गया क्रय	गोबर खाद	44.00	38500.00
	143, 09.03.2022		गोबर खाद	18.00	15750.00
	146, 09.03.2022		गोबर खाद	84.00	73500.00
	147, 09.03.2022		गोबर खाद	85.00	74375.00
	148, 09.03.2022		गोबर खाद	70.00	61250.00
	149, 09.03.2022		गोबर खाद	55.00	48125.00
	150, 09.03.2022		गोबर खाद	13.00	11375.00
	152, 09.03.2022		गोबर खाद	5.00	4375.00
	154, 09.03.2022		गोबर खाद	110.00	96250.00

	155, 09.03.2022		गोबर खाद	110.00	96250.00
	156, 09.03.2022		गोबर खाद	110.00	96250.00
	157, 09.03.2022		गोबर खाद	110.00	96250.00
	158, 09.03.2022		गोबर खाद	110.00	96250.00
	159, 09.03.2022		गोबर खाद	90.00	78750.00
	160, 09.03.2022		गोबर खाद	90.00	78750.00
	161, 09.03.2022		गोबर खाद	90.00	78750.00
	162, 09.03.2022		गोबर खाद	80.00	70000.00
	163, 09.03.2022		गोबर खाद	87.00	76125.00
	165, 09.03.2022		गोबर खाद	80.00	70000.00
	166, 9.03.2022		गोबर खाद	80.00	70000.00
	167, 9.03.2022		गोबर खाद	90.00	78750.00
	168, 9.03.2022		गोबर खाद	27.00	23625.00
	170, 9.03.2022		गोबर खाद	70.00	61250.00
	171, 9.03.2022		गोबर खाद	70.00	61250.00
	172, 9.03.2022		गोबर खाद	55.00	48125.00
	175, 9.03.2022		गोबर खाद	21.00	18375.00
	176, 9.03.2022		गोबर खाद	63.00	55125.00
	177, 9.03.2022		गोबर खाद	70.00	61250.00
	178, 9.03.2022		गोबर खाद	63.00	55125.00
	179, 9.03.2022		गोबर खाद	70.00	61250.00
	180, 9.03.2022		गोबर खाद	25.00	21875.00
	181, 9.03.2022		गोबर खाद	55.00	48125.00
	182, 9.03.2022		गोबर खाद	28.00	24500.00
	183, 9.03.2022		गोबर खाद	104.75	91656.25
	184, 9.03.2022		गोबर खाद	104.75	91656.25
	185, 9.03.2022		गोबर खाद	104.75	91656.25
	186, 9.03.2022		गोबर खाद	104.75	91656.25
	187, 9.03.2022		गोबर खाद	104.75	91656.25
	188, 9.03.2022		गोबर खाद	104.75	91656.25
	189, 9.03.2022		गोबर खाद	104.75	91656.25
	190, 9.03.2022		गोबर खाद	104.75	91656.25
	योग			3066.00	2682750.00
	कुल योग			6019.47	5185724.00

(स्रोत: वनमंडल द्वारा किए गए भुगतान के वाउचर)

परिशिष्ट 3.5.12

(कंडिका 3.5.12.5 में संदर्भित)

मिट्टी परीक्षण के बिना किये गये वृक्षारोपण कार्य का विवरण

वनमंडल का नाम	वर्ष	कम्पार्टमेंट की संख्या	कूप नं.	वृक्षारोपण क्षेत्र (हेक्टेयर में)	रोपे गए पौधों की संख्या	आबंटन (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	मृदा परीक्षण हुआ या नहीं
बलौदाबाजार	2019-20	142	IX	15.00	16500	11.73	11.73	नहीं किया
	2019-20	154	IX	40.00	44000	31.28	31.28	नहीं किया
	2019-20	120	IX	25.00	27500	19.55	19.50	नहीं किया
	2020-21	147	X	10.00	11000	7.82	7.82	नहीं किया
	2020-21	120	X	15.00	16500	11.73	11.73	नहीं किया
	2020-21	131	X	15.00	16500	11.73	11.73	नहीं किया
दक्षिण कौडागांव	2019-20	438	I	22.51	55140	3.29	3.29	नहीं किया
	2020-21	I 555	II	10.00	11000	7.82	7.81	नहीं किया
बस्तर	2019-20	281	I	11.84	13023	9.26	9.26	नहीं किया
	2019-20	285	I	55.60	61156	43.48	43.48	नहीं किया
	2019-20	286	I	12.01	13208	9.39	9.39	नहीं किया
	2019-20	288	I	8.90	9786	6.96	6.96	नहीं किया
	2019-20	290	I	6.51	7160	50.90	5.09	नहीं किया
	2019-20	296	I	39.39	43323	30.80	30.80	नहीं किया
	2019-20	320	I	41.35	45482	32.33	32.33	नहीं किया
	2019-20	1546	I	77.25	84976	60.41	60.41	नहीं किया
	2019-20	487	I	8.26	9089	6.46	6.46	नहीं किया
	2019-20	652	I	32.63	35897	25.52	25.52	नहीं किया
	2019-20	701	I	23.69	26061	18.53	18.53	नहीं किया
	2019-20	703	I	39.10	43014	30.58	30.58	नहीं किया
	2019-20	712	I	52.44	57684	41.01	41.01	नहीं किया
	2019-20	775	I	15.53	17190	12.22	12.22	नहीं किया
	2019-20	776	I	39.31	43242	30.74	30.74	नहीं किया

	2020-21	704	II	38.05	41857	29.76	29.76	नहीं किया
	2021-22	1342	III	11.00	12100	8.60	8.50	नहीं किया
महासमुंद	2019-20	252	IX	10.00	4000	1.67	1.69	नहीं किया
	2019-20	281, 269	IX	20.00	8000	3.33	2.32	नहीं किया
	2019-20	258	IX	50.00	20000	8.33	6.03	नहीं किया
	2019-20	355	IX	40.00	16000	15.75	11.60	नहीं किया
	2019-20	380	IX	10.00	4000	3.94	3.58	नहीं किया
	2019-20	365	IX	10.00	4000	3.94	2.55	नहीं किया
	2019-20	40	IX	11.00	4400	1.83	1.79	नहीं किया
	2019-20	69	IX	10.00	4000	1.67	1.63	नहीं किया
	2019-20	23	IX	20.00	8000	3.33	3.32	नहीं किया
	2019-20	20	IX	20.00	8000	3.33	3.26	नहीं किया
	2019-20	307	IX	10.00	4000	1.67	1.48	नहीं किया
	2019-20	209	IX	13.00	5200	2.17	2.04	नहीं किया
	2019-20	244	IX	15.00	6000	2.50	2.43	नहीं किया
	2019-20	327	IX	20.00	8000	3.33	3.35	नहीं किया
	2019-20	340	IX	66.34	26536	11.05	11.25	नहीं किया
	2019-20	504, 503	IX	15.00	6000	5.10	4.61	नहीं किया
	2019-20	343	IX	51.00	20400	20.08	15.20	नहीं किया
राजनांदगांव	2019-20	705	X	10.00	11000	7.81	7.81	नहीं किया
	2019-20	518	X	22.34	24574	17.46	17.46	नहीं किया
योग		44		1089.04	954498	670.16	609.29	

(स्रोत: वन अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट 3.5.13

(कंडिका 3.5.12.6 में संदर्भित)

आरडीएफ (वृक्षारोपण सहित) कार्य (प्रथम वर्ष से छठे वर्ष तक) पर आवंटन और व्यय का विवरण

क्रम सं.	वनमंडल का नाम	वर्ष	कम्पार्टमेंट की संख्या	कूप क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	आवंटन (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)
1	महासमुंद	2019-20	2	V	80.00	5.63	5.63
		2020-21	10	VI	339.00	224.31	214.92
		2021-22	10	VII	400.00	260.15	198.19
		योग	22		819.00	490.09	418.74
2	जशपुर	2019-20	0	-	0.00	0.00	0.00
		2020-21	0	-	0.00	0.00	0.00
		2021-22	5	XII	87.37	125.30	125.27
		योग	5		87.37	125.30	125.27
3	बलौदाबाजार	2019-20	6	V	246.75	65.99	65.91
		2020-21	2	VI	69.22	19.43	17.76
		2021-22	0	-	0.00	0.00	0.00
		योग	8		315.97	85.42	83.67
4	राजनांदगांव	2019-20	0	-	0.00	0.00	0.00
		2020-21	1	VII	20.32	28.40	15.77
		2021-22	5	VIII	150.43	212.02	200.46
		योग	6		170.75	240.42	216.23
5	दक्षिण कौंडागांव	2019-20	4	XII	252.30	125.10	125.08
		2020-21	0	-	0.00	0.00	0.00
		2021-22	0	-	0.00	0.00	0.00
		योग	4		252.30	125.10	125.08
6	मरवाही	2019-20	2	IV	170.00	99.39	99.04
		2020-21	0	V	0.00	0.00	0.00
		2021-22	1	VI	24.42	34.77	34.53
		योग	3		194.42	134.16	133.57
7	बलरामपुर	2019-20	3		175.98	35.89	35.69
		2020-21	1		50.00	25.90	25.40
		2021-22	11		296.98	436.37	430.25
		योग	15		522.96	498.16	491.34
8	कोरिया	2019-20	4	-	128.93	51.80	49.86
		2020-21	0	-	0.00	0.00	0.00
		2021-22	0	-	0.00	0.00	0.00
		योग	4		128.93	51.80	49.86
9	सूरजपुर	2019-20	29		1126.00	1142.41	1110.63

		2020-21	30		1262.00	1558.13	1408.96
		2021-22	22		850.00	1247.95	1201.84
		योग	81		3238.00	3948.49	3721.43
	कुल योग	2019-20	50		2179.957	1526.21	1491.84
		2020-21	44		1740.54	1856.17	1682.81
		2021-22	54		1809.203	2316.56	2190.54
		योग	148		5729.70	5698.94	5365.19

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट 3.5.14

(कड़िका 3.5.13.1 में संदर्भित)

आरडीएफ (प्रथम वर्ष से छठे वर्ष तक) कार्य पर आवंटन और व्यय का विवरण

क्र. सं.	वनमंडल का नाम	वर्ष	कम्पार्टमेंट की संख्या	कूप नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	आवंटन (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)
1	कोरबा	2019-20	25	V	1121.531	237.45	234.42
		2020-21	19	VI	1086.764	224.55	223.59
		2021-22	20	VII	827.643	206.44	206.07
		योग	64		3035.938	668.44	664.08
2	महासमुंद	2019-20	9	V	356.180	45.14	32.58
		2020-21	15	VI	509.010	101.24	83.29
		2021-22	0	VII	0.000	0.00	0.00
		योग	24		865.190	146.38	115.87
3	जशपुर	2019-20	58	XI	2864.699	469.72	437.21
		2020-21	0	--	0.000	0.00	0.00
		2021-22	54	XII	2812.484	713.27	709.57
		योग	112		5677.183	1182.99473	1146.78
4	बलौदाबाजार	2019-20	15	V	1082.337	289.48	289.41
		2020-21	20	VI	1475.153	512.17	488.66
		2021-22	19	VII	1387.510	371.14	371.91
		योग	54		3945.000	1172.79	1149.98
5	बस्तर	2019-20	28	XI	2232.413	452.34	448.32
		2020-21	0	--	0.000	0.00	0.00
		2021-22	20	XIII	2309.687	617.14	615.55
		योग	48		4542.100	1069.48	1063.87
6	राजनंदगांव	2019-20	17	VI	1141.700	232.76	229.11
		2020-21	13	VII	1206.480	287.42	225.52
		2021-22	14	VIII	1334.810	315.16	261.46
		योग	44		3682.990	835.34	716.09
7	बीजापुर	2019-20	19	V	2681.978	317.07	316.58
		2020-21	29	VI	4666.238	590.87	590.09
		2021-22	40	VII	5740.496	1368.58	1367.59
		योग	88		13088.712	2276.52	2274.26
8	दक्षिण कौंडागांव	2019-20	6	XII	201.655	40.23	40.23
		2020-21	0	XII	0.000	0.00	0.00
		2021-22	0	XII	0.000	0.00	0.00
		योग	6		201.655	40.23	40.23
9	मरवाही	2019-20	21	IV	1379.148	266.20	264.80
		2020-21	17	V	1394.755	229.48	221.81
		2021-22	14	VI	1148.886	257.50	257.47

		योग	52		3922.789	753.179	744.08
10	बलरामपुर	2019-20	29		2549.540	520.00	519.77
		2020-21	28		1922.849	405.88	396.74
		2021-22	18		1461.860	388.76	381.81
		योग	75		5934.249	1314.64	1298.32
11	कोरिया	2019-20	55		1900.299	235.38	231.47
		2020-21	0		0	0.00	0.00
		2021-22	0		0	0.00	0.00
		योग	55		1900.299	235.38	231.47
12	सूरजपुर	2019-20	49		4056.013	808.41	797.50
		2020-21	47		3719.065	704.05	682.33
		2021-22	31		2553.966	687.18	665.90
		योग	127		10329.044	2199.64	2145.73
	कुल योग	2019-20	331		21567.493	3914.18	3841.40
		2020-21	188		15980.314	3055.66	2912.03
		2021-22	230		19577.342	4925.17	4837.33
		योग	749		57125.149	11895.01	11590.76

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट 5.1.1
(कड़िका 5.1.5 में संदर्भित)

विभिन्न श्रेणियों की लेखापरीक्षा के लिए नमूने के बटवारे का विवरण

ए. वृत्त लेखापरीक्षा के लिए चयनित नमूनों का विवरण

क्र०सं०	नमूना वृत्त का नाम	विवरणियों का वर्ष
1	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायपुर	2017-18 से 2020-21
2	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	2017-18 से 2020-21
3	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	2017-18 से 2020-21
4	सहायक आयुक्त, वृत्त-6, रायपुर	2017-18 से 2020-21
5	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	2017-18 से 2020-21
6	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायगढ़	2017-18 से 2020-21
7	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, कोरबा	2017-18 से 2020-21
8	सहायक आयुक्त, वृत्त-अम्बिकापुर	2017-18 से 2020-21
9	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	2017-18 से 2020-21
10	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, जगदलपुर	2017-18 से 2020-21

बी. केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा के संबंध में 532 करदाताओं जिनको लेखापरीक्षा प्रश्न जारी की गई थी, का विवरण

क्र० सं०	इकाई (वृत्त) का नाम	जीएसटीआइएन
1	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, कोरबा	22AABCG0949C1Z7
2	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AABCG2202J1ZA
3	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22AACCK2650D1Z6
4	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22ARUPA6975B1ZS
5	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22CKBPP5484J1ZX
6	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22AQYPB4178L1ZD
7	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22ALFPP3892H1ZY
8	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22AAMAS9143D2ZH
9	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22AAACE0061C1ZN
10	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, दुर्ग	22AMLPM8132E1Z8
11	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, दुर्ग	22AAJFS2364J1Z5
12	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AADFB7198M1Z4
13	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AFZPA0999N1ZR
14	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AETPK2241N1ZA
15	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AAACJ7961J1ZG
16	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22AAECV9657M1ZP
17	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AACFG4027D1Z5
18	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAACE2358J2ZV
19	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AANHA0583P1Z2
20	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAAAC2043C1ZR

21	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22ADBP3077F1Z3
22	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAACU2227J1ZO
23	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAGFM2674Q1ZV
24	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AAACT5131A1Z7
25	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AFAPK7491J1ZD
26	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AAACP6317L1ZI
27	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAOCS4272R2ZM
28	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAACL1117E1ZD
29	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AACCK3551F1Z0
30	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	22AAHCA6940P1ZD
31	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायपुर	22AAFCB0525K1Z3
32	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AACCC1626R1ZN
33	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AACCE4248H1ZY
34	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AADCG1986F1ZS
35	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AACCG1395F2ZX
36	सहायक आयुक्त, वृत्त-6, रायपुर	22ADYPM5980E1Z4
37	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AJXPK5717A1ZB
38	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायगढ़	22BRGPS7475F1ZI
39	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22ABFFM1499K1Z1
40	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायपुर	22AACCM6071A1Z3
41	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AAECR6918B1ZQ
42	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAACS5123K1ZN
43	सहायक आयुक्त, वृत्त-जांजगीर	22ACEFS8115Q1ZR
44	सहायक आयुक्त, वृत्त-जांजगीर	22AAHCS3413R1Z5
45	सहायक आयुक्त, वृत्त-भाटापारा	22AACCS8796G1Z1
46	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AAZFS0612H1Z7
47	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायगढ़	22AADCM8947J1Z6
48	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AAACU5701F1ZW
49	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAACV7829H1ZA
50	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22ABAPG0782E1ZC
51	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AAACB1290N1ZU
52	सहायक आयुक्त, वृत्त- अम्बिकापुर	22BWNPS8790P1ZC
53	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AADFF4707E1Z0
54	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AAZPY8388G1ZL
55	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AAECA2064R1ZL
56	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22ACIPJ0577B1Z4
57	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22ADRPM3024G1ZS
58	सहायक आयुक्त, वृत्त- महासमुंद	22ADBP5706A1ZK
59	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AACCH1802J1Z4
60	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AACFG1629H1ZV
61	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22BGHPS2811K1ZF
62	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AADPF0578P1ZN

63	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22ADGFS2081J1Z4
64	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, कोरबा	22AALPI8478F2ZH
65	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AALFJ9002E1ZQ
66	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, बिलासपुर	22ARRPM4862A1ZV
67	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AALHA2835A1Z0
68	सहायक आयुक्त, वृत्त- अम्बिकापुर	22AOQPG1885F1ZX
69	सहायक आयुक्त, वृत्त- अम्बिकापुर	22ACHPA7164L1ZO
70	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, बिलासपुर	22AARPC9237G1ZP
71	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAACH5697M2Z6
72	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, जगदलपुर	22ALLPJ1344A1ZT
73	सहायक आयुक्त, वृत्त- अम्बिकापुर	22AMQPM6818G1ZU
74	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22AGGPA7531C1Z5
75	सहायक आयुक्त, वृत्त-6, रायपुर	22BVVVPK8907P1ZN
76	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, जगदलपुर	22ADWPM3313M1ZA
77	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AERPD3054L1ZI
78	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, बिलासपुर	22AGMPA3148F1ZW
79	सहायक आयुक्त, वृत्त- अम्बिकापुर	22AACHP6767K1ZU
80	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, जगदलपुर	22AHVPY7363A1ZY
81	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AACTR3643Q1Z6
82	सहायक आयुक्त, वृत्त- अम्बिकापुर	22AJEPS8939H1ZU
83	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22AKJPS8842D1Z1
84	सहायक आयुक्त, वृत्त- अम्बिकापुर	22ACQPA4842G1ZV
85	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22AWAPT4170E1ZU
86	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22ABFFS1950H1ZE
87	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, बिलासपुर	22AAHCS1774M1Z3
88	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, बिलासपुर	22AJBPT8124G1ZD
89	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायगढ़	22AKDPB5858N1Z1
90	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22BOIPB5229R1ZQ
91	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22ADUPA8390G1ZE
92	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AJKPS0737K1Z1
93	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22AGJPD9839M1ZZ
94	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायगढ़	22AFFPA1979Q1Z7
95	सहायक आयुक्त, वृत्त- अम्बिकापुर	22ALXPM3051D1Z8
96	सहायक आयुक्त, वृत्त-2,	22AALFV0382R1ZM

	बिलासपुर	
97	सहायक आयुक्त, वृत्त-धमतरी	22AJEPS8382C1Z7
98	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AABCI2365N1ZK
99	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AXLPS1171Q1ZY
100	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAECA9437E2ZW
101	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22AACPW7269H1ZE
102	सहायक आयुक्त, वृत्त- अम्बिकापुर	22AGQPA3218G1ZV
103	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, दुर्ग	22AAACG1895Q1Z8
104	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, दुर्ग	22AAACC6814B1ZE
105	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AAACJ7961J1ZG
106	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22AAFCS1410C1Z9
107	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22AJAPS9268D1Z6
108	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22ACIFS5574M1ZM
109	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22AAFFB6176M1ZA
110	सहायक आयुक्त, वृत्त- महासमुंद	22BDCPP3084M1ZE
111	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAACL6442L1ZK
112	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAEFG7908D1ZR
113	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAKCA2311H1ZA
114	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AABAC5137E2ZC
115	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAHCM6420G1ZT
116	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AFAPK7491J1ZD
117	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAOCS4272R2ZM
118	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, कोरबा	22AALPI8478F2ZH
119	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22ABFFM1499K1Z1
120	सहायक आयुक्त, वृत्त-जांजगीर	22ACEFS8115Q1ZR
121	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AACCK0633Q1ZK
122	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AARFB0929N1Z7
123	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायगढ़	22AABCA3530D1ZK
124	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायगढ़	22AAKCA6079N1Z8
125	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायगढ़	22AAACH1201R1ZX
126	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AAECR6918B1ZQ
127	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायपुर	22AAACV8826C1ZL
128	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायपुर	22AEQPM4578P1ZN
129	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AACCK5599H1ZC
130	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22ARUPA6975B1ZS
131	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AAZFS0612H1Z7
132	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AAIFM6527E1ZI
133	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AABCF2695J1ZM
134	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AADCH6308N1ZK
135	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22AADCS5831M1Z9
136	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22AAGFB3391P2Z7

137	सहायक आयुक्त, वृत्त- अम्बिकापुर	22AFGPJ1890J2ZG
138	सहायक आयुक्त, वृत्त-भाटापारा	22ADVPM1251D1ZT
139	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, बिलासपुर	22AADCP4138N2ZB
140	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, बिलासपुर	22AFTPA5417P1Z6
141	सहायक आयुक्त, वृत्त- जगदलपुर	22AAACS6994C1ZF
142	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, कोरबा	22AAMFG4858N1ZV
143	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AAACN4165C1Z1
144	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AADCG1986F1ZS
145	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, बिलासपुर	22AGYPB9061G1Z9
146	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AFTPD4583K1Z4
147	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AAAFG6190R1Z2
148	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AADCA4079M1ZL
149	सहायक आयुक्त, वृत्त- अम्बिकापुर	22AAFCA6065R1ZZ
150	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22AAAFCA6636C1Z5
151	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22AAECP9623R1ZV
152	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, दुर्ग	22AABFD6505A1ZC
153	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22ABSFS8533R1Z7
154	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22ARMPA6998G1ZJ
155	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AAJCS1523L2ZF
156	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22AAECV9657M1ZP
157	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAACL6442L1ZK
158	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AADCS5044E1ZT
159	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AABCB7575P2Z8
160	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAACB9651K1ZN
161	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AAACS8577K1ZZ
162	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AADCA4060E1ZD
163	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AALCA1976D1ZW
164	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AACCK0633Q1ZK
165	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AAACB1290N1ZU
166	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायगढ़	22AAUFM1171G1ZC
167	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AAHCS7999A1Z5
168	सहायक आयुक्त, वृत्त-6, रायपुर	22AACCB6790P1Z9
169	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायपुर	22AAGCA9841E1ZV
170	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AAZFS0612H1Z7
171	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22ACXFS5572L1ZB
172	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AAECC0563H1Z4
173	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AAACG1395D2Z3
174	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AFHPA5031R1ZK
175	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AABCR0944A1Z5

176	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAACI1681G1ZZ
177	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAACI4818F1Z0
178	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	22AACCT6932F1ZK
179	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	22AADCT5177B2ZN
180	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, बिलासपुर	22AAHFG7801Q1Z5
181	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, बिलासपुर	22AADCK1910B1ZG
182	सहायक आयुक्त, वृत्त-भाटापारा	22AABCE7927L1ZI
183	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, जगदलपुर	22AAACS6994C1ZF
184	सहायक आयुक्त, वृत्त-कवर्धा	22AAAAL9886C2ZK
185	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायपुर	22AAFCB0525K1Z3
186	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AAXFA2874R1ZM
187	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AABCI2365N1ZK
188	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAACK9864B1ZQ
189	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AABCN4931B1Z4
190	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AACCN0132B1ZI
191	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22ABDFS7520D1ZM
192	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAVFA2967M2ZV
193	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAACH5697M2Z6
194	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AABCK1884A1Z3
195	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAGFT9223L1ZZ
196	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AABCH6961M2ZC
197	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAHCS7975A2ZC
198	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AACCG0141R2ZQ
199	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, बिलासपुर	22AALFB0891R1Z0
200	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, दुर्ग	22AIXPJ5033B1ZJ
201	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, दुर्ग	22ACMPJ2274P1Z9
202	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, दुर्ग	22AABCA1601R2ZY
203	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, दुर्ग	22ACYPV5218K1ZX
204	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22AJWPB8577A1Z5
205	सहायक आयुक्त, वृत्त-जांजगीर	22ABKPA9507D1Z5
206	सहायक आयुक्त, वृत्त-जांजगीर	22AERPD2435F1ZW
207	सहायक आयुक्त, वृत्त-महासमुंद	22AIAPA1676Q1ZB
208	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAFFJ4454N1Z7
209	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22BHTPS8089J1ZD
210	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAACS5123K1ZN
211	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAACB9651K1ZN
212	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAKFA0014A1ZM
213	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAACP4526D1Z0
214	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AFPPT8883C1ZY
215	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22ACJFS6984N1ZB

216	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AFIPN7309E1ZO
217	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AABCA9521E1Z7
218	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AAACJ3404A2ZK
219	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAACH7412G2Z2
220	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AAACJ6715G2ZW
221	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AAACA3352N1ZW
222	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायपुर	22ACUPD1716A1Z9
223	सहायक आयुक्त, वृत्त-भाटापारा	22AJKPS0856M1ZT
224	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायपुर	22ACDPG6702A1ZJ
225	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, जगदलपुर	22BAVPS2470J1Z8
226	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायगढ़	22BHYP57545G1ZO
227	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AACCC6068R1Z9
228	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, कोरबा	22AIDPK8794L1ZR
229	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, जगदलपुर	22AJNPS4072N1ZO
230	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22ABQPH3724H2ZS
231	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, जगदलपुर	22ADCPG9930C2Z1
232	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायपुर	22ADVPM0745N1Z3
233	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, जगदलपुर	22ANHPM1959Q1ZG
234	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायगढ़	22AAACH1201R1ZX
235	सहायक आयुक्त, वृत्त-कवर्धा	22AQDPV6672Q1Z1
236	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, बिलासपुर	22AFPPA2739G1ZQ
237	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	22ANLPK4674N1ZI
238	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, जगदलपुर	22ADDPB3129R1ZO
239	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायगढ़	22AFNPA7655M1Z6
240	सहायक आयुक्त, वृत्त-भाटापारा	22AACCS8796G1Z1
241	सहायक आयुक्त, वृत्त-जांजगीर	22ATBPK1956D1Z6
242	सहायक आयुक्त, वृत्त-कवर्धा	22AWAPM9267D1ZN
243	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, बिलासपुर	22ABDPY0097K1ZE
244	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, जगदलपुर	22ACOPR5715R1ZV
245	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AFDPA6281M1ZK
246	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22ABBPP6326J1ZR
247	सहायक आयुक्त, वृत्त-कवर्धा	22FMPPS1382M1ZE
248	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAWPF0454B1Z6
249	सहायक आयुक्त, वृत्त-अम्बिकापुर	22AVSPA4155F1ZU
250	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायपुर	22HWSPP6466R1Z4
251	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22AMXPM0406H1Z5

252	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, दुर्ग	22AGMPR9677A1Z3
253	सहायक आयुक्त, वृत्त-कवर्धा	22AMSPC7648E1Z0
254	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAFCM6431P1Z9
255	सहायक आयुक्त, वृत्त-अम्बिकापुर	22AZPPS0743J1Z4
256	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, जगदलपुर	22AAEFU7270J1Z1
257	सहायक आयुक्त, वृत्त-जांजगीर	22ADLPA9306M1ZK
258	सहायक आयुक्त, वृत्त-अम्बिकापुर	22ADZPH5054K1Z6
259	सहायक आयुक्त, वृत्त-जांजगीर	22AAXPD5583G1ZH
260	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22ACUPS5343Q1ZQ
261	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22ABJFA2671D1ZW
262	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायपुर	22AAKFM3390H1ZB
263	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AABCG2202J1ZA
264	सहायक आयुक्त, वृत्त-जांजगीर	22AMDPC6979P2ZJ
265	सहायक आयुक्त, वृत्त-जांजगीर	22AFVPK5718H1Z7
266	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायगढ़	22AMEPG1929J1ZB
267	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AJCPP5659B1ZG
268	सहायक आयुक्त, वृत्त-अम्बिकापुर	22BQNPK6361G1ZS
269	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22BPKPD1937D1ZE
270	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AAEFG6628E1ZQ
271	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22ABFPW5474N1Z1
272	सहायक आयुक्त, वृत्त-जांजगीर	22AQIPD9895L1Z9
273	सहायक आयुक्त, वृत्त-कवर्धा	22ABZPJ1696F1ZB
274	सहायक आयुक्त, वृत्त-महासमुंद	22AABAG0268Q1ZM
275	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AHCPB9665R1ZW
276	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AVLPM8381Q1ZQ
277	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22ALFPM1166P3ZV
278	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	22CDTPM5141C1ZQ
279	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22BLWPS0750H1ZU
280	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायपुर	22AMUPM3100H1ZB
281	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायपुर	22BMYPM1515P1ZI
282	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, जगदलपुर	22AQLPK2400R1ZS
283	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, बिलासपुर	22AACCR6401P1ZD
284	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22ACYPT8421C1ZD
285	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायगढ़	22AAQFG9258C1ZA
286	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AABCM4514F1Z2
287	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAGFT9223L1ZZ
288	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AACCK3551F1Z0
289	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	22AACCC7944C1Z1
290	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22AAACN6090N1ZA

291	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, दुर्ग	22AADCB1675Q1ZG
292	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AADCR8623E1ZN
293	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22ALFPM1166P2ZW
294	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22AAAJA2196F1ZQ
295	सहायक आयुक्त, वृत्त-जांजगीर	22AACCC7479G1ZN
296	सहायक आयुक्त, वृत्त-जांजगीर	22AARFA7836K1Z2
297	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AAACN4276C1ZX
298	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AADCG9611M1ZJ
299	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAYFM8149G1ZS
300	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AAHCS1901N1ZG
301	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AAUCS4880K1ZP
302	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22ADFP9A9582K1ZG
303	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22ACIPA4438N1ZO
304	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AABAC5137E2ZC
305	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AFGPJ5199C1ZM
306	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAACN1283H1ZU
307	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, कोरबा	22BBAPS0974H2ZQ
308	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, कोरबा	22AALPI8478F2ZH
309	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायगढ़	22AAMFA6179L1Z3
310	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AAVFS0003L2Z8
311	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायगढ़	22AADCS5057R1ZX
312	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायगढ़	22AAECR0878A1ZT
313	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायगढ़	22AAACG9027G1ZX
314	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायगढ़	22AABCC8197Q1Z2
315	सहायक आयुक्त, वृत्त-6, रायपुर	22AACCG2107K1Z3
316	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AACCG2758E1ZZ
317	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, जगदलपुर	22ADEFS6989F1ZQ
318	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AACCG7791F1ZM
319	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायगढ़	22AAHCA2417K2ZY
320	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AADCM5765E1ZN
321	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAICS2367M1Z3
322	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAECA7235N1ZM
323	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAACV2018E1Z1
324	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAICS0526J1ZK
325	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22FHFPS1188N1ZT
326	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AADCK3357N1ZE
327	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायगढ़	22AABCA3530D1ZK
328	सहायक आयुक्त, वृत्त-कवर्धा	22AAACK7197B2ZR
329	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AADFF9620Q1Z5
330	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AABCN5848D1ZQ
331	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायगढ़	22AACCM1932G1ZZ
332	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, दुर्ग	22AMJPS1184J1ZV

333	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, दुर्ग	22AATFP3256C1ZC
334	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, दुर्ग	22AAECP9681R1ZL
335	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AACCR9305A1ZZ
336	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AADFB7198M1Z4
337	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22AAIFS8425P1ZO
338	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22AAYFM9676L1Z7
339	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22AACFP9130E2ZN
340	सहायक आयुक्त, वृत्त-कवर्धा	22AJWPA4277E1Z9
341	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22ACMPR7697E1Z3
342	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AACCC1772C1ZB
343	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAGCA5187P1Z9
344	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22ACHPJ3762F1ZW
345	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAECP7960M1Z1
346	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AABFR6991C1ZC
347	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, जगदलपुर	22AACFF9110A1ZA
348	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AAQFA8003P1Z8
349	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AAHFB7741G1ZO
350	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायपुर	22AACCN1338F2ZZ
351	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AALCS5760K3ZZ
352	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AFDPA6281M1ZK
353	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAECP2101N1ZS
354	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAMCS7915D1ZE
355	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AACCG6363K1ZL
356	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AADJC5219N1ZI
357	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	22ADCPB1978R1ZC
358	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	22ANIPS2479J1ZM
359	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	22AASF2247H1Z9
360	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AAKCA2581R1Z9
361	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AADCP0175F1ZW
362	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AACCK0633Q1ZK
363	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AAACH7475H1ZM
364	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AADFD6021H1Z1
365	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AAHFG2631E1Z0
366	सहायक आयुक्त, वृत्त-भाटापारा	22ACGPT9552Q1ZS
367	सहायक आयुक्त, वृत्त-भाटापारा	22ABHPB7341R1ZI
368	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, कोरबा	22DLAPS2421H2ZH
369	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, कोरबा	22AAIFD9320L1ZF
370	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AALCS8364H1Z2
371	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AACCG3005C3ZJ
372	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AACCG3005C1ZL
373	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AADFG6455G1ZM
374	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAECA7235N1ZM

375	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AABCA5014E1ZJ
376	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAACV3517E1ZV
377	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AKWPA4771C1ZC
378	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, दुर्ग	22AAABJ0250F1ZF
379	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, जगदलपुर	22AACCA4756C1Z7
380	सहायक आयुक्त, वृत्त-धमतरी	22ADDPB2293G1Z4
381	सहायक आयुक्त, वृत्त-धमतरी	22AAHFV8447K1ZQ
382	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, दुर्ग	22AMJPS1184J1ZV
383	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, दुर्ग	22AATFP3256C1ZC
384	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, दुर्ग	22AAECP9681R1ZL
385	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AACCR9305A1ZZ
386	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AADFB7198M1Z4
387	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22AACFP9130E2ZN
388	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22ABDFA0051D1ZG
389	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AABCI7024M1ZN
390	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAECP7960M1Z1
391	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AABFR6991C1ZC
392	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAGCA5187P1Z9
393	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22ACHPJ3784H1ZM
394	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22ACHPJ3762F1ZW
395	सहायक आयुक्त, वृत्त-जांजगीर	22AADCK6843M1ZB
396	सहायक आयुक्त, वृत्त-कवर्धा	22AFKPJ9748P1ZO
397	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायगढ़	22AABCJ4683J1ZI
398	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायपुर	22AACCN1338F2ZZ
399	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AFDPA6281M1ZK
400	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAECP2101N1ZS
401	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAMCS7915D1ZE
402	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AACCG6363K1ZL
403	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	22ANIPS2479J1ZM
404	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	22AASFM2247H1Z9
405	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, बिलासपुर	22AAKFA8451H1ZJ
406	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायपुर	22AESPP2649Q1ZO
407	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AAKCA2581R1Z9
408	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AADCP0175F1ZW
409	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22ADNPA6809K1ZK
410	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AADFD6021H1Z1
411	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AAHFG2631E1Z0
412	सहायक आयुक्त, वृत्त-भाटापारा	22ABHPB7341R1ZI
413	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायगढ़	22AAHCA5697B2ZT
414	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायगढ़	22AAFAS4410G1ZZ
415	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AAHFB7741G1ZO
416	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AALCS8364H1Z2

417	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AAACC1205A1ZX
418	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AACCG3005C3ZJ
419	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AACCG3005C1ZL
420	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAECA7235N1ZM
421	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AABCA5014E1ZJ
422	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAECC9340E1Z1
423	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAACV3517E1ZV
424	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAACC9253E1Z1
425	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAMFK0227F1ZT
426	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, बिलासपुर	22ABFPL7957H1ZH
427	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, दुर्ग	22AAABJ0250F1ZF
428	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, जगदलपुर	22AACCA4756C1Z7
429	सहायक आयुक्त, वृत्त-धमतरी	22ADDPB2293G1Z4
430	सहायक आयुक्त, वृत्त-धमतरी	22AAHFV8447K1ZQ
431	सहायक आयुक्त, वृत्त-धमतरी	22AJNPA3415D1ZY
432	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	22AACCC7944C1Z1
433	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22AAACN6090N1ZA
434	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22BQIPP8728H1ZJ
435	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22ABUFS2244P1ZL
436	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, दुर्ग	22BMIPS6413G1Z4
437	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, दुर्ग	22BYVPS3309C1ZE
438	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, दुर्ग	22BJPPS3338J1ZU
439	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, दुर्ग	22AFHPJ2634M1ZI
440	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, दुर्ग	22AGYPC1241K1ZH
441	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, दुर्ग	22AVGPS2585M1Z3
442	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AAACJ7961J1ZG
443	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22AVRPS7182D1Z8
444	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAQFK6447F1Z7
445	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AABCG8066C1ZZ
446	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAACB2894G1ZX
447	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AKLPK9895Q1Z1
448	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AHCPB5583G1ZQ
449	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AACCG1395F2ZX
450	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AAQCS2356A1ZN
451	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AABAC5137E2ZC
452	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22ADCPG7864R1Z2
453	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AACCT7497H1Z2
454	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAZFM5608F1Z3
455	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, बिलासपुर	22AACFA9505G1ZW

456	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAACS5123K1ZN
457	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAAJPO288R2ZO
458	सहायक आयुक्त, वृत्त-कवर्धा	22ARPPM5900P1ZD
459	सहायक आयुक्त, वृत्त-कवर्धा	22AGXPA6884F1Z4
460	सहायक आयुक्त, वृत्त-कवर्धा	22AGVPA7300E1ZV
461	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AAECR6918B1ZQ
462	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AAACP0165G1ZZ
463	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AADCB5671Q1ZC
464	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AADCM6893K1Z3
465	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AAACL0582H2ZV
466	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AACFA5540P1ZI
467	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, बिलासपुर	22AACCB6831H1Z0
468	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, बिलासपुर	22AAATC2433P1ZV
469	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, दुर्ग	22AADAB2294H1Z2
470	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, कोरबा	22AAACS2791P1Z1
471	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायगढ़	22AAACN3053B1ZA
472	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायपुर	22AHNPD3304N1ZJ
473	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायपुर	22ABPPV8668R1ZA
474	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AANCS2741J1ZA
475	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AAKCS4312C1ZX
476	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AANHA1846D1ZR
477	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AAHCS1901N1ZG
478	सहायक आयुक्त, वृत्त-भाटापारा	22AACCS8796G1Z1
479	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AKEPR0220K1ZK
480	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायगढ़	22AZSPS2728Q1ZI
481	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AJTPG8042Q1ZM
482	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, कोरबा	22AADCC3472E1Z5
483	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22FHFPS1188N1ZT
484	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, कोरबा	22AAEFG7079B2ZO
485	सहायक आयुक्त, वृत्त-अम्बिकापुर	22AMPPD7210G1ZG
486	सहायक आयुक्त, वृत्त-अम्बिकापुर	22ACMPR4008F2ZT
487	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AAECK3160C2Z6
488	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22ACGPA8414J1ZY
489	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22ACHPA1385K1ZV
490	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22AAZFM0586A1ZA
491	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AAQCS2356A1ZN
492	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AAACI5607C1Z9
493	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AABAC6167E1Z5
494	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22CLJPS9065B1Z0
495	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AADCI3846A1Z5
496	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAQFK6447F1Z7
497	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AAUCS4880K1ZP

498	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AABAC5137E2ZC
499	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AABCO5774H1ZG
500	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAGFG9940D1ZL
501	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AARCS7555G1ZZ
502	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AALCS5029H1ZE
503	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22ADCPG7864R1Z2
504	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AGBPA1875E2Z2
505	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, दुर्ग	22ACHPA1411C1ZT
506	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, कोरबा	22BBAPS0974H2ZQ
507	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायगढ़	22AAKFA9681R1ZO
508	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायगढ़	22ALLPB3028P1Z5
509	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायगढ़	22AAMFA6179L1Z3
510	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	22AAGCA2214H1ZC
511	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AADCA4060E1ZD
512	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AABCM6288N5ZY
513	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAGCC8479A1ZT
514	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायपुर	22ACGPA6962P1ZD
515	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AACCD7736R1Z7
516	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AGTPG1704E1ZV
517	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22ADEPT5447P1Z0
518	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AAACL0582H2ZV
519	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AFFPA4368F1ZX
520	सहायक आयुक्त, वृत्त-जांजगीर	22AGPPP2040Q1Z2
521	सहायक आयुक्त, वृत्त-धमतरी	22AAKFP9055C1ZC
522	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, कोरबा	22ALPPD6193F1Z4
523	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AAACJ2311G1ZD
524	सहायक आयुक्त, वृत्त-अम्बिकापुर	22AADCS2883B1ZQ
525	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22BHPPK9096R1Z8
526	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AHDPG7068C1ZS
527	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायपुर	22AACCR4279H1ZE
528	सहायक आयुक्त, वृत्त-भाटापारा	22ADBPG5749E1ZY
529	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AABCS1571Q1Z6
530	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AAECP4424C1Z1
531	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायपुर	22AACCE1516C1ZJ
532	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	22ALJPT5234D1ZA

(स्रोत: नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया नमूना)

सी. विस्तृत लेखापरीक्षा के संबंध में 25 करदाताओं जिनको लेखापरीक्षा प्रश्न जारी की गई थी, का विवरण

क्र. सं.	इकाई का नाम	जीएसटीआईएन
1	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AABCI9120M2ZM
2	सहायक आयुक्त, वृत्त-6, रायपुर	22ACSPD9928Q1ZS
3	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AAECD4619B2Z9
4	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायपुर	22AKZPA9491L1ZF
5	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AIXPM7698H1ZD
6	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAECG3780C1Z1
7	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAACB8316K1ZV
8	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, जगदलपुर	22AAHCS4137L1ZA
9	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AUHPS9016R1ZY
10	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	22AFRPT7896M1Z8
11	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAECA9783D2ZP
12	सहायक आयुक्त, वृत्त-मनेन्द्रगढ़	22AAJCA1886E1ZV
13	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायगढ़	22AVGPS1986G1ZD
14	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायपुर	22AAJCS4517L1Z8
15	सहायक आयुक्त, वृत्त-अम्बिकापुर	22DKRPK4609F1Z5
16	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AACCR7832C1ZR
17	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22ACHFS7919M1ZM
18	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, जगदलपुर	22AAGFK5005K1ZM
19	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, कोरबा	22AAMFG2344M1ZC
20	सहायक आयुक्त, वृत्त-अम्बिकापुर	22CKJPS3077A1ZC
21	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAACU5552C1ZT
22	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAACV7767L1ZW
23	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	22AACCA2881J1ZU
24	सहायक आयुक्त, वृत्त-धमतरी	22ABHPN5242P1ZE
25	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AADPF2412Q1Z0

(स्रोत: नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया नमूना)

परिशिष्ट 5.1.2
(कंडिका 5.1.7.1 में संदर्भित)

वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान विवरणी नहीं दाखिल करने वालों/देर से दाखिल करने वालों का विवरण

(₹ लाख में)

वृत्त का नाम	वर्ष	पहचाने गए नॉन-फाइलर्स की संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें जीएसटीआर 3ए जारी किया गया	प्रकरण जिनमें जीएसटीआर 3ए के अनुसरण में विवरणियाँ दाखिल की गईं			प्रकरण जिनमें सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार निर्धारण शुरू किया गया (एएसएमटी 13)				प्रकरणों की संख्या जिनमें करदाताओं द्वारा विवरणी दाखिल करने के कारण एएसएमटी 13 की कार्यवाही वापस लेनी पड़ी			प्रकरणों की संख्या जिनमें एएसएमटी 13 की कार्यवाही अभी भी लंबित है		प्रकरणों की संख्या जिनमें अनंतिम कुर्की करना पड़ा
				संख्या	ब्याज	विलंब शुल्क	संख्या	कार्यवाही पूर्ण	मूल्यांकन की राशि	वसूली की गई राशि	संख्या	ब्याज	विलंब शुल्क	संख्या	मूल्यांकन की राशि	
रायपुर-2	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020-21	230	230	154	1.61	1.24	76	0	1182.8	0	76	0.96	0.6	0	0	0
	उप-योग	230	230	154	1.61	1.24	76	0	1182.8	0	76	0.96	0.6	0	0	0
रायपुर-3	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019-20	1204	1204	914	0	0	290	290	5076.52	0	290	0	0	0	0	0
	2020-21	1990	1990	1271	0	0	719	719	7758.31	0	678	0	0	41	498.24	0
	उप-योग	3194	3194	2185	0	0	1009	1009	12834.83	0	968	0	0	41	498.24	0
रायपुर-9	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018-19	93	93	93	0.41	0.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019-20	1405	1405	1298	297.45	15.89	107	107	27410.03	142.5	107	139.25	3.25	0	0	0
	2020-21	1466	1466	1236	122.3	5.23	230	230	10905.97	57.32	230	53.56	3.76	0	0	0
	उप-योग	2964	2964	2627	420.16	22	337	337	38316	199.82	337	192.81	7.01	0	0	0
रायपुर-6	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020-21	421	421	392	3.1689	4.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	उप-योग	421	421	392	3.1689	4.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
रायपुर-7	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018-19	482	482	482	0.32	4.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019-20	1602	1602	1602	6.19	23.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

	2020-21	1955	1955	1513	8.63	19.19	442	442	3036.09	8.44	422	1.44	7	20	36.42	0
	उप-योग	4039	4039	3597	15.14	46.72	442	442	3036.09	8.44	422	1.44	7	20	36.42	0
रायगढ़-2	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018-19	97	123	123	29.42	16.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019-20	298	1117	973	1.62	19.89	144	144	3842.88	3231.64	144	28.29	25.17	0	0	0
	2020-21	340	1381	1083	25.81	39.14	298	298	6212.33	3472.39	298	5.18	19.32	0	0	0
	उप-योग	735	2621	2179	56.85	75.39	442	442	10055.21	6704.03	442	33.47	44.49	0	0	0
राजनन्दगाँव	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018-19	570	601	517	0	0	84	84	2410.4	2410.4	84	1655.37	0	0	0	0
	2019-20	1255	2053	1698	0	0	355	355	911.92	854.95	344	0.78	0	0	0	11
	2020-21	2923	6560	6240	0	0	320	320	3281.31	2784.3	296	100.56	0	0	0	24
	उप-योग	4748	9214	8455	0	0	759	759	6603.63	6049.65	724	1756.71	0	0	0	35
कोरबा-1	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020-21	57	61	58	51.52	0.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	उप-योग	57	61	58	51.52	0.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जगदलपुर-2	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019-20	117	345	345	0.28	0.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020-21	121	470	470	1.37	0.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	उप-योग	238	815	815	1.65	1.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग		16626	23559	20462	550.099	152.154	3065	2989	72028.56	12961.94	2969	1985.39	59.1	61	534.66	35
करोड़ में लगभग					5.5	1.52			720.28	129.62		19.85	0.59		5.34	
वर्ष वार कुल																
	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018-19	1242	1299	1215	30.15	21.7	84	84	2410.4	2410.4	84	1655.37	0	0	0	0
	2019-20	5881	7726	6830	305.54	59.54	896	896	37241.35	4229.09	885	168.32	28.42	0	0	11
	2020-21	9503	14534	12417	214.41	70.91	2085	2009	32376.81	6322.45	2000	161.7	30.68	61	534.66	24
कुल योग		16626	23559	20462	550.1	152.15	3065	2989	72028.56	12961.94	2969	1985.39	59.1	61	534.66	35
प्रतिशत				86.85			98.97									

(स्रोत: राज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

परिशिष्ट 5.1.3

(कंडिका 5.1.7.1 में संदर्भित)

कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज के अनारोपण का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र० सं०	वृत्त का नाम	प्रकरणों की संख्या	नकद में कर भुगतान की राशि	विवरणियों के दाखिले का माह	विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि	विलंबित दिनों की संख्या	ब्याज की राशि जिसका भुगतान नहीं किया गया
1	वृत्त-2, रायपुर	53	5,58,62,416	जून 2020 से मार्च 2021	अगले माह की 20वीं तारीख	11 से 365	9,94,751
2	वृत्त-3, रायपुर	37	1,50,60,522	जुलाई 2019 से नवंबर 2020	अगले माह की 20वीं तारीख	28 से 221	7,31,742
3	वृत्त-9, रायपुर	74	27,17,32,373	अक्तूबर 2019 से मार्च 2021	अगले माह की 20वीं तारीख	5 से 376	65,55,376
4	वृत्त-6, रायपुर	30	93,02,305	जून 2020 से दिसंबर 2020	अगले माह की 20वीं तारीख	4 से 119	1,00,326
5	वृत्त-7, रायपुर	92	4,50,30,518	जुलाई 2020 से फरवरी 2021	अगले माह की 20वीं तारीख	8 से 405	14,50,044
6	वृत्त-2, रायगढ़	3	2,04,103	अप्रैल 2019 से नवंबर 2020	अगले माह की 20वीं तारीख	39 से 45	4,431
7	वृत्त- राजनन्दगाँव	48	69,26,804	जनवरी 2019 से दिसंबर 2020	अगले माह की 20वीं तारीख	37 से 608	4,11,635
कुल योग		337	40,41,19,041				1,02,48,305
करोड़ में लगभग			40.41				1.02

(स्रोत: राज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

परिशिष्ट 5.1.4
(कंडिका 5.1.7.2 में संदर्भित)

2018-19 से 2020-21 के दौरान जारी किए गए एएसएमटी 10/कारण बताओ सूचनाओं का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	वर्ष	वृत्त का नाम	करदाताओं की संख्या जिनकी विवरणी की समीक्षा की गई	विवरणियों की संख्या जिनकी समीक्षा की गई	प्रकरणों की संख्या जिनमें एएसएमटी 10 जारी किया गया	ऐसे प्रकरणों की संख्या जिनमें करदाताओं ने विसंगतियाँ स्वीकार की		प्रकरणों की संख्या जिनमें कारण बताओ सूचनाएँ जारी की गई			
						संख्या	वसूली गई राशि	संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या जिनमें कार्यवाही पूर्ण	राशि
1	2018-19	रायपुर-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		रायपुर-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		रायपुर-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		रायपुर-6	1	2	1	1	8.52	0	0	0	0
		रायपुर-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		रायगढ़-2	21	42	21	20	537.26	1	4.85	0	0
		कोरबा-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अम्बिकापुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		राजनन्दगाँव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		जगदलपुर-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		उप-योग	22	44	22	21	545.78	1	4.85	0	0
2	2019-20	रायपुर-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		रायपुर-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		रायपुर-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		रायपुर-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		रायपुर-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		रायगढ़-2	31	57	47	10	114.18	37	195.58	32	154.63
		कोरबा-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		अम्बिकापुर	29	58	29	29	745.87	0	0	0	0
		राजनन्दगाँव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		जगदलपुर-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		उप-योग	60	115	76	39	860.05	37	195.58	32	154.63
3	2020-21	रायपुर-2	311	311	311	0	0	228	1,215.83	74	540.93
		रायपुर-3	642	642	642	94	469.97	388	3,960.02	90	683.82
		रायपुर-9	473	473	468	81	560.93	387	3,137.09	92	973.78
		रायपुर-6	186	372	186	0	0	186	959.68	0	0
		रायपुर-7	482	964	482	12	119.68	17	97.05	5	0.25
		रायगढ़-2	135	278	165	101	316.52	64	434.34	44	311.30
		कोरबा-1	158	158	158	22	223.9	129	1,075.24	44	68.56
		अम्बिकापुर	101	202	101	92	1,008.3	9	83.87	9	83.87
		राजनन्दगाँव	322	3,580	322	65	358.988	257	2,861.0	257	2,827.49
		जगदलपुर-2	240	480	240	0	0	0	0	0	0
		उप-योग	3,050	7,460	3,075	467	3,058.288	1,665	13,824.12	615	5,490.0
कुल योग			3,132	7,619	3,173	527	4,464.12	1,703	14,024.55	647	5,644.63
करोड़ में लगभग							44.64		140.25		56.45

(स्रोत: राज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

परिशिष्ट 5.1.5

(कंडिका 5.1.7.3 (अ) में संदर्भित)

2017-18 से 2020-21 के दौरान पंजीयन निरस्तीकरण और अंतिम विवरणी (जीएसटीआर 10) दाखिल नहीं किए जाने का विवरण

क्र० सं०	वृत्त का नाम	पंजीयन निरस्तीकरण बाबत प्राप्त आवेदनों की संख्या	सामान्य करदाता के संबंध में स्वतः संज्ञान लेकर किए गए निरस्तीकरण की संख्या	ऐसे प्रकरण जिनमें REG-19 जारी किया गया (सामान्य करदाता)	ऐसे प्रकरण जिनमें REG-20 आदेश पारित किए गया (कार्यवाही बंद की गई)	ऐसे प्रकरणों की संख्या जिनमें पंजीयन निरस्तीकरण वापस किया गया	ऐसे प्रकरणों की संख्या जिनमें धारा 62 के अंतर्गत मूल्यांकन पूर्ण हो गया	जीएसटीआर 10 दाखिल करने वालों की संख्या	जीएसटीआर 10 दाखिल नहीं करने वालों की संख्या
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)= E-(F+G+H+I)
1	रायपुर-2	244	398	600	0	0	0	64	536
2	रायपुर-3	1,457	2,025	3,482	0	479	0	144	2,859
3	रायपुर-9	487	993	1,480	148	463	0	142	727
4	रायपुर-6	92	162	254	0	76	31	6	141
5	रायपुर-7	636	706	1,342	11	394	0	91	846
6	रायगढ़-2	248	975	1,223	0	418	0	154	651
7	कोरबा-1	327	521	768	0	195	0	72	501
8	अम्बिकापुर	847	2,193	3,040	0	1,453	0	95	1,492
9	राजनन्दगाँव	499	1,274	1,773	0	648	0	371	754
10	जगदलपुर-2	592	2,230	2,822	0	1,057	0	103	1,662
		5,429	11,477	16,784	159	5,183	31	1,242	10,169

(स्रोत: राज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

परिशिष्ट 5.1.6

(कंडिका 5.1.7.3 (ब) में संदर्भित)

करदाताओं के आवेदनों पर विलंबित पंजीयन निरस्तीकरण का विवरण

वृत्त का नाम	पंजीयन निरस्तीकरण बाबत करदाताओं से प्राप्त आवेदनों की संख्या	ऐसे प्रकरणों की संख्या जिनमें निरस्तीकरण आदेश विलंब से जारी किया गया	30 दिनों से ज्यादा विलंब की सीमा
वृत्त-2, रायगढ़	502	72	1 से 420 दिन
वृत्त-1, कोरबा	327	229	1 से 519 दिन
वृत्त- राजनन्दगाँव	1,113	885	1 से 84 दिन
योग	1,942	1,186	

(स्रोत: राज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

परिशिष्ट 5.1.7(ए)

(कंडिका 5.1.8.1 और 5.1.8.5 में संदर्भित)

ऐसे प्रकरण जिनमें करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि की त्रुटियाँ की गई का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र० सं०	क्षेत्राधिकार	जीएसटीआईएन	लेखापरीक्षा आयाम की संख्या	भिन्नता की राशि
1	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AALCS5760K3ZZ	2	—
2	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	22ADCPB1978R1ZC	2	—
3	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AADFG6455G1ZM	2	—
4	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAECA7235N1ZM	2	—
5	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AKWPA4771C1ZC	2	—
6	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, दुर्ग	22AAABJ0250F1ZF	2	—
7	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	22ANIPS2479J1ZM	3	—
8	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, बिलासपुर	22AAKFA8451H1ZJ	3	—
9	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22ADNPA6809K1ZK	3	—
10	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायगढ़	22AAHCA5697B2ZT	3	—
11	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायगढ़	22AAFAS4410G1ZZ	3	—
12	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAECA7235N1ZM	3	—
13	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAACC9253E1Z1	3	—
14	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAMFK0227F1ZT	3	—
15	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, बिलासपुर	22ABFPL7957H1ZH	3	—
16	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, दुर्ग	22AAABJ0250F1ZF	3	—
17	सहायक आयुक्त, वृत्त-धमतरी	22AJNPA3415D1ZY	3	—
18	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22ABUFS2244P1ZL	4	22,19,665
19	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AAKCS4312C1ZX	4	49,54,934
20	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AAHCS1901N1ZG	4	24,27,800
21	सहायक आयुक्त, वृत्त-भाटापारा	22AACC8796G1Z1	4	3,50,00,000
22	सहायक आयुक्त, वृत्त-2,	22AAACV8826C1ZL	5	70,53,853

	रायपुर			
23	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AAZPY8388G1ZL	7	12,79,736
24	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, बिलासपुर	22ARRPM4862A1ZV	7	8,87,352
25	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AALHA2835A1Z0	7	11,12,710
26	सहायक आयुक्त, वृत्त-अम्बिकापुर	22AOQPG1885F1ZX	7	16,99,430
27	सहायक आयुक्त, वृत्त-अम्बिकापुर	22ACHPA7164L1ZO	7	7,20,662
28	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, बिलासपुर	22AARPC9237G1ZP	7	8,64,890
29	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAACH5697M2Z6	7	1,30,31,627
30	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, जगदलपुर	22ALLPJ1344A1ZT	7	8,06,999
31	सहायक आयुक्त, वृत्त-अम्बिकापुर	22AMQPM6818G1ZU	7	12,31,660
32	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22AGGPA7531C1Z5	7	6,65,568
33	सहायक आयुक्त, वृत्त-6, रायपुर	22BVVPK8907P1ZN	7	7,93,205
34	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, जगदलपुर	22ADWPM3313M1ZA	7	12,79,194
35	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AERPD3054L1ZI	7	31,52,264
36	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, बिलासपुर	22AGMPA3148F1ZW	7	7,08,428
37	सहायक आयुक्त, वृत्त-अम्बिकापुर	22AACHP6767K1ZU	7	8,40,717
38	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, जगदलपुर	22AHVPY7363A1ZY	7	8,35,462
39	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AACTR3643Q1Z6	7	8,57,858
40	सहायक आयुक्त, वृत्त-अम्बिकापुर	22AJEPS8939H1ZU	7	7,93,520
41	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22AKJPS8842D1Z1	7	11,74,862
42	सहायक आयुक्त, वृत्त-अम्बिकापुर	22ACQPA4842G1ZV	7	8,76,926
43	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22AWAPT4170E1ZU	7	8,79,362
44	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, बिलासपुर	22AJBPT8124G1ZD	7	8,52,420
45	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायगढ़	22AKDPB5858N1Z1	7	7,50,334
46	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22BOIPB5229R1ZQ	7	15,11,711
47	सहायक आयुक्त, वृत्त-1,	22ADUPA8390G1ZE	7	20,08,652

	बिलासपुर			
48	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22AGJPD9839M1ZZ	7	14,50,814
49	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायगढ़	22AFFPA1979Q1Z7	7	14,52,378
50	सहायक आयुक्त, वृत्त-अम्बिकापुर	22ALXPM3051D1Z8	7	91,56,165
51	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, बिलासपुर	22AALFV0382R1ZM	7	12,96,363
52	सहायक आयुक्त, वृत्त-धमतरी	22AJEPS8382C1Z7	7	16,84,833
53	सहायक आयुक्त, वृत्त-कवर्धा	22AMSPC7648E1Z0	8	5,23,274
54	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAFCM6431P1Z9	8	5,46,436
55	सहायक आयुक्त, वृत्त-अम्बिकापुर	22AZPPS0743J1Z4	8	4,35,412
56	सहायक आयुक्त, वृत्त-जांजगीर	22ADLPA9306M1ZK	8	4,78,173
57	सहायक आयुक्त, वृत्त-अम्बिकापुर	22ADZPH5054K1Z6	8	6,06,134
58	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22ACUPS5343Q1ZQ	8	4,67,054
59	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22ABJFA2671D1ZW	8	4,92,729
60	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायपुर	22AAKFM3390H1ZB	8	4,17,362
61	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AABCG2202J1ZA	8	5,39,023
62	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AJXPK5717A1ZB	9	73,84,261
63	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायगढ़	22BRGPS7475F1ZI	9	13,83,48,560
64	सहायक आयुक्त, वृत्त-भाटापारा	22AACCS8796G1Z1	9	3,59,89,511
65	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायगढ़	22AADCM8947J1Z6	9	59,78,755
66	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, दुर्ग	22ACYPV5218K1ZX	11	3,24,089.80
67	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायपुर	22ACUPD1716A1Z9	11	3,85,765
68	सहायक आयुक्त, वृत्त-भाटापारा	22AJKPS0856M1ZT	11	1,02,388
69	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायपुर	22ACDPG6702A1ZJ	11	5,87,932
70	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, जगदलपुर	22BAVPS2470J1Z8	11	2,28,391
71	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायगढ़	22BHYP57545G1ZO	11	1,17,216
72	सहायक आयुक्त, वृत्त-1,	22AIDPK8794L1ZR	11	97,810

	कोरबा			
73	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, जगदलपुर	22AJNPS4072N1ZO	11	2,86,260
74	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22ABQPH3724H2ZS	11	1,11,835
75	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, जगदलपुर	22ADCPG9930C2Z1	11	11,79,460
76	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायपुर	22ADVPM0745N1Z3	11	39,34,570
77	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, जगदलपुर	22ANHPM1959Q1ZG	11	5,05,686
78	सहायक आयुक्त, वृत्त-कवर्धा	22AQDPV6672Q1Z1	11	1,29,202
79	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, बिलासपुर	22AFPPA2739G1ZQ	11	1,63,931
80	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	22ANLPK4674N1ZI	11	1,57,368
81	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, जगदलपुर	22ADDPB3129R1ZO	11	1,30,394
82	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायगढ़	22AFNPA7655M1Z6	11	92,996
83	सहायक आयुक्त, वृत्त-जांजगीर	22ATBPK1956D1Z6	11	2,02,068
84	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, बिलासपुर	22ABDPY0097K1ZE	11	3,26,313
85	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, जगदलपुर	22ACOPR5715R1ZV	11	38,35,671
86	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AFDPA6281M1ZK	11	14,92,913
87	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22ABBPP6326J1ZR	11	4,25,693
88	सहायक आयुक्त, वृत्त-कवर्धा	22FMPPS1382M1ZE	11	1,77,204
89	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, दुर्ग	22ACHPA1411C1ZT	12	1,51,05,744
90	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायपुर	22ACGPA6962P1ZD	12	6,16,49,460
91	सहायक आयुक्त, वृत्त-भाटापारा	22ADBPG5749E1ZY	12	87,58,166
कुल				39,90,27,563.8
करोड़ में लगभग				39.90

(स्रोत: राज्य कर विभाग के उत्तर के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

परिशिष्ट 5.1.7(बी)

(कंडिका 5.1.8.1 और 5.1.8.6 में संदर्भित)

ऐसे प्रकरण जिनमें लेखापरीक्षा द्वारा प्रश्न जारी करने से पूर्व कार्यवाही की जा चुकी थी, का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र० सं०	क्षेत्राधिकार	जीएसटीआईएन	लेखापरीक्षा आयाम की संख्या	भिन्नता की राशि
1	सं०आ०, वृत्त-2, रायपुर	22AMUPM3100H1ZB	1	9,20,910
2	सं०आ०, वृत्त-2, रायपुर	22BMYPM1515P1ZI	1	3,03,753
3	सं०आ०, वृत्त-2, बिलासपुर	22AACFA9505G1ZW	4	33,15,076
4	सं०आ०, वृत्त-3, रायपुर	22AAACS5123K1ZN	4	30,13,334
5	सं०आ०, वृत्त-3, रायपुर	22AAAJPO288R2ZO	4	23,48,797
6	सं०आ०, वृत्त-4, रायपुर	22AAACP0165G1ZZ	4	44,03,597
7	सं०आ०, वृत्त-5, रायपुर	22AADCB5671Q1ZC	4	15,56,910
8	सं०आ०, वृत्त-8, रायपुर	22AAACL0582H2ZV	4	99,97,229
9	सं०आ०, वृत्त-8, रायपुर	22AACFA5540P1ZI	4	21,83,355
10	सं०आ०, वृत्त-2, बिलासपुर	22AACCB6831H1Z0	4	98,35,242
11	सं०आ०, वृत्त-2, बिलासपुर	22AAATC2433P1ZV	4	20,23,361
12	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, दुर्ग	22AADAB2294H1Z2	4	39,22,768
13	सं०आ०, वृत्त-1, रायगढ़	22AAACN3053B1ZA	4	18,39,236
14	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AJTPG8042Q1ZM	4	24,42,814
15	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, दुर्ग	22AAACC6814B1ZE	5	37,17,343
16	सं०आ०, वृत्त-3, रायपुर	22ABFFM1499K1Z1	5	1,42,27,774
17	सहायक आयुक्त, वृत्त-जांजगीर	22ACEFS8115Q1ZR	5	1,08,00,000
18	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AACCK0633Q1ZK	5	28,68,82,496
19	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AARFB0929N1Z7	5	48,37,272
20	सं०आ०, वृत्त-2, रायगढ़	22AAACH1201R1ZX	5	23,36,084
21	सं०आ०, वृत्त-2, रायपुर	22AEQPM4578P1ZN	5	33,40,386
22	सं०आ०, वृत्त-5, रायपुर	22ARUPA6975B1ZS	5	1,28,18,892
23	सं०आ०, वृत्त-5, रायपुर	22AAZFS0612H1Z7	5	80,93,958
24	सं०आ०, वृत्त-9, रायपुर	22AADCH6308N1ZK	5	23,02,458
25	सं०आ०, वृत्त-1, बिलासपुर	22AAGFB3391P2Z7	5	23,71,356
26	सं०आ०, वृत्त-अम्बिकापुर	22AFGPJ1890J2ZG	5	30,00,000
27	सं०आ०, वृत्त-भाटापारा	22ADVPM1251D1ZT	5	33,26,853
28	सं०आ०, वृत्त-2, जगदलपुर	22AAACS6994C1ZF	5	45,58,395
29	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, कोरबा	22AAMFG4858N1ZV	5	24,54,766
30	सं०आ०, वृत्त-8, रायपुर	22AAACN4165C1Z1	5	2,44,14,540
31	सं०आ०, वृत्त-7, रायपुर	22AADCG1986F1ZS	5	1,04,69,017
32	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AAAFG6190R1Z2	5	26,33,484
33	सं०आ०, वृत्त-5, रायपुर	22AADCA4079M1ZL	5	24,13,522
34	सहायक आयुक्त, वृत्त-महासमुंद	22ADBDP5706A1ZK	7	8,10,559
35	सं०आ०, वृत्त-8, रायपुर	22ABFFS1950H1ZE	7	20,72,544
36	सं०आ०, वृत्त-2, बिलासपुर	22AAHCS1774M1Z3	7	7,65,932
37	सं०आ०, वृत्त-3, रायपुर	22AJKPS0737K1Z1	7	6,09,533
38	सं०आ०, वृत्त-9, रायपुर	22AABCI2365N1ZK	7	14,02,114
39	सं०आ०, वृत्त-1, जगदलपुर	22AAEFU7270J1Z1	8	5,27,774

40	सं०आ०, वृत्त-1, बिलासपुर	22AAMAS9143D2ZH	9	65,20,439
41	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, दुर्ग	22AMLPM8132E1Z8	9	67,04,182
42	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	22AAHCA6940P1ZD	9	61,13,122
43	सं०आ०, वृत्त-7, रायपुर	22AACCE4248H1ZY	9	71,18,808
44	सं०आ०, वृत्त-7, रायपुर	22AADCG1986F1ZS	9	1,13,84,950
45	सं०आ०, वृत्त-3, रायपुर	22AACCG1395F2ZX	9	55,31,019
46	सं०आ०, वृत्त-6, रायपुर	22ADYPM5980E1Z4	9	68,17,671
47	सं०आ०, वृत्त-3, रायपुर	22ABFFM1499K1Z1	9	1,45,20,118
48	सं०आ०, वृत्त-3, रायपुर	22AAACS5123K1ZN	9	1,53,94,683
49	सहायक आयुक्त, वृत्त-जांजगीर	22ACEFS8115Q1ZR	9	1,09,89,421
50	सं०आ०, वृत्त-5, रायपुर	22AAZFS0612H1Z7	9	1,02,61,690
51	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	22AACCC7944C1Z1	10	23,36,615
52	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, दुर्ग	22AADCB1675Q1ZG	10	12,09,033
53	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AADCR8623E1ZN	10	37,62,793
54	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22AAAJA2196F1ZQ	10	48,42,348
55	सं०आ०, वृत्त-5, रायपुर	22AACCG2758E1ZZ	10	10,61,615
56	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AACCG7791F1ZM	10	25,75,098
57	सं०आ०, वृत्त-9, रायपुर	22AAICS2367M1Z3	10	30,92,027
58	सहायक आयुक्त, वृत्त-कवर्धा	22AAACK7197B2ZR	10	15,47,499
59	सं०आ०, वृत्त-1, रायगढ़	22AACCM1932G1ZZ	10	16,99,476
60	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AAACA3352N1ZW	11	95,365
61	सहायक आयुक्त, वृत्त-कवर्धा	22AWAPM9267D1ZN	11	11,81,445
62	सं०आ०, वृत्त-2, कोरबा	22FHFPS1188N1ZT	12	1,97,86,704
63	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	22AAGCA2214H1ZC	12	1,05,01,216
64	सं०आ०, वृत्त-3, रायपुर	22AABCM6288N5ZY	12	86,32,044
65	सं०आ०, वृत्त-8, रायपुर	22AAACL0582H2ZV	12	1,25,53,457
66	सं०आ०, वृत्त-5, रायपुर	22AAACJ2311G1ZD	12	2,30,24,132
67	सहायक आयुक्त, वृत्त-अम्बिकापुर	22AADCS2883B1ZQ	12	93,15,028
68	सं०आ०, वृत्त-5, रायपुर	22AAECP4424C1Z1	12	2,43,18,714
कुल				69,21,84,146
करोड़ में लगभग				69.22

(स्रोत: राज्य कर विभाग के उत्तर के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

परिशिष्ट 5.1.7(सी)

(कंडिका 5.1.8.1 में संदर्भित)

जिन प्रकरणों में विभाग द्वारा वैध स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया, का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र० सं०	क्षेत्राधिकार	जीएसटीआईएन	लेखापरीक्षा आयाम की संख्या	भिन्नता की राशि
1	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, दुर्ग	22AATFP3256C1ZC	2	—
2	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, दुर्ग	22AAECP9681R1ZL	2	—
3	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AACC9305A1ZZ	2	—
4	सहायक आयुक्त, वृत्त-कवर्धा	22AJWPA4277E1Z9	2	—
5	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAGCA5187P1Z9	2	—
6	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22ACHPJ3762F1ZW	2	—
7	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAECP7960M1Z1	2	—
8	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AABFR6991C1ZC	2	—
9	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, जगदलपुर	22AACFF9110A1ZA	2	—
10	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AAQFA8003P1Z8	2	—
11	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AAHFB7741G1ZO	2	—
12	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायपुर	22AACCN1338F2ZZ	2	—
13	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AFDPA6281M1ZK	2	—
14	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAECP2101N1ZS	2	—
15	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAMCS7915D1ZE	2	—
16	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AACCG6363K1ZL	2	—
17	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AADJC5219N1ZI	2	—
18	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	22ANIPS2479J1ZM	2	—
19	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	22AASFM2247H1Z9	2	—
20	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AAKCA2581R1Z9	2	—
21	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AADCP0175F1ZW	2	—
22	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AACCK0633Q1ZK	2	—
23	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AAACH7475H1ZM	2	—
24	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AADFD6021H1Z1	2	—
25	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AAHFG2631E1Z0	2	—
26	सहायक आयुक्त, वृत्त-भाटापारा	22ACGPT9552Q1ZS	2	—
27	सहायक आयुक्त, वृत्त-भाटापारा	22ABHPB7341R1ZI	2	—
28	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, कोरबा	22DLAPS2421H2ZH	2	—
29	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, कोरबा	22AAIFD9320L1ZF	2	—
30	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AALCS8364H1Z2	2	—
31	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AACCG3005C3ZJ	2	—
32	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AACCG3005C1ZL	2	—
33	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AABCA5014E1ZJ	2	—
34	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAACV3517E1ZV	2	—
35	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, जगदलपुर	22AACCA4756C1Z7	2	—
36	सहायक आयुक्त, वृत्त-धमतरी	22ADDPB2293G1Z4	2	—

37	सहायक आयुक्त, वृत्त-धमतरी	22AAHFV8447K1ZQ	2	—
38	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, दुर्ग	22AATFP3256C1ZC	3	—
39	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, दुर्ग	22AAECP9681R1ZL	3	—
40	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AACC9305A1ZZ	3	—
41	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAECP7960M1Z1	3	—
42	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AABFR6991C1ZC	3	—
43	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAGCA5187P1Z9	3	—
44	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22ACHPJ3784H1ZM	3	—
45	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22ACHPJ3762F1ZW	3	—
46	सहायक आयुक्त, वृत्त-जांजगीर	22AADCK6843M1ZB	3	—
47	सहायक आयुक्त, वृत्त-कवर्धा	22AFKPJ9748P1ZO	3	—
48	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायगढ़	22AABCB4683J1ZI	3	—
49	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायपुर	22AACCN1338F2ZZ	3	—
50	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AFDPA6281M1ZK	3	—
51	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAECP2101N1ZS	3	—
52	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAMCS7915D1ZE	3	—
53	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AACCG6363K1ZL	3	—
54	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	22AASF2247H1Z9	3	—
55	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायपुर	22AESPP2649Q1ZO	3	—
56	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AAKCA2581R1Z9	3	—
57	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AADCP0175F1ZW	3	—
58	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AADFD6021H1Z1	3	—
59	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AAHFG2631E1Z0	3	—
60	सहायक आयुक्त, वृत्त-भाटापारा	22ABHPB7341R1ZI	3	—
61	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AAHFB7741G1ZO	3	—
62	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AALCS8364H1Z2	3	—
63	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AAACC1205A1ZX	3	—
64	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AACCG3005C3ZJ	3	—
65	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AACCG3005C1ZL	3	—
66	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AABCA5014E1ZJ	3	—
67	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAECC9340E1Z1	3	—
68	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAACV3517E1ZV	3	—
69	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, जगदलपुर	22AACCA4756C1Z7	3	—
70	सहायक आयुक्त, वृत्त-धमतरी	22ADDPB2293G1Z4	3	—
71	सहायक आयुक्त, वृत्त-धमतरी	22AAHFV8447K1ZQ	3	—
72	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AAACJ7961J1ZG	4	1,13,44,531
73	सहायक आयुक्त, वृत्त-कवर्धा	22ARPPM5900P1ZD	4	1,81,69,404
74	सहायक आयुक्त, वृत्त-कवर्धा	22AGXPA6884F1Z4	4	14,52,092
75	सहायक आयुक्त, वृत्त-कवर्धा	22AGVPA7300E1ZV	4	23,62,032
76	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AAECR6918B1ZQ	4	1,76,76,224
77	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, कोरबा	22AAACS2791P1Z1	4	1,21,82,936
78	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायपुर	22ABPPV8668R1ZA	4	29,05,270
79	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AANCS2741J1ZA	4	55,63,560
80	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायगढ़	22AZSPS2728Q1ZI	4	18,01,356
81	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AAACJ7961J1ZG	5	3,53,63,996

82	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22AAFCS1410C1Z9	5	1,77,86,752
83	सहायक आयुक्त, वृत्त-महासमुंद	22BDCPP3084M1ZE	5	25,58,263
84	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायगढ़	22AAKCA6079N1Z8	5	28,01,346
85	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AAECR6918B1ZQ	5	2,40,13,580
86	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AACCK5599H1ZC	5	3,16,49,508
87	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AAIFM6527E1ZI	5	23,49,292
88	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22AADCS5831M1Z9	5	29,29,580
89	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, बिलासपुर	22AADCP4138N2ZB	5	58,47,224
90	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, बिलासपुर	22AFTPA5417P1Z6	5	20,44,905
91	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, बिलासपुर	22AGYPB9061G1Z9	5	19,61,508
92	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22AAFCA6636C1Z5	6	14,51,44,798
93	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22AAECP9623R1ZV	6	9,16,47,715
94	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, दुर्ग	22AABFD6505A1ZC	6	8,12,57,988
95	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22ABSF8533R1Z7	6	16,30,07,987
96	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22ARMPA6998G1ZJ	6	14,18,60,961
97	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AAJCS1523L2ZF	6	8,06,61,473
98	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AADCA4060E1ZD	6	8,38,83,577
99	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AALCA1976D1ZW	6	7,92,11,831
100	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AACCK0633Q1ZK	6	28,68,82,485
101	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AAACB1290N1ZU	6	35,13,84,509
102	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायगढ़	22AAUFM1171G1ZC	6	9,95,12,615
103	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायगढ़	22AAHCS7999A1Z5	6	10,29,54,299
104	सहायक आयुक्त, वृत्त-6, रायपुर	22AACCB6790P1Z9	6	13,42,71,839
105	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायपुर	22AAGCA9841E1ZV	6	18,73,32,757
106	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AAZFS0612H1Z7	6	78,35,18,552
107	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22ACXFS5572L1ZB	6	30,85,86,765
108	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AAECC0563H1Z4	6	19,67,13,583
109	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AAACG1395D2Z3	6	15,82,01,034
110	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AFHPA5031R1ZK	6	15,25,84,850
111	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AABCR0944A1Z5	6	8,69,71,261
112	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAACI1681G1ZZ	6	1,19,86,57,668
113	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAACI4818F1Z0	6	18,32,16,875
114	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	22AACCT6932F1ZK	6	15,76,73,915
115	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	22AADCT5177B2ZN	6	8,87,68,847
116	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, बिलासपुर	22AAHFG7801Q1Z5	6	12,49,55,449
117	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, बिलासपुर	22AADCK1910B1ZG	6	9,74,43,964
118	सहायक आयुक्त, वृत्त-माटापारा	22AABCE7927L1ZI	6	79,57,64,525
119	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, जगदलपुर	22AAACS6994C1ZF	6	9,43,85,127

120	सहायक आयुक्त, वृत्त-कवर्धा	22AAAAAL9886C2ZK	6	10,00,70,374
121	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायपुर	22AAFCB0525K1Z3	6	31,05,57,639
122	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AAAXFA2874R1ZM	6	9,73,36,212
123	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AABCI2365N1ZK	6	21,91,62,362
124	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAAACK9864B1ZQ	6	21,46,92,444
125	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AABCN4931B1Z4	6	18,52,04,931
126	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AACCN0132B1ZI	6	17,75,35,676
127	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22ABDFS7520D1ZM	6	1,49,69,539
128	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAVFFA2967M2ZV	6	14,21,96,185
129	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAACH5697M2Z6	6	12,25,94,626
130	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AABCK1884A1Z3	6	12,19,09,832
131	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAGFT9223L1ZZ	6	12,12,92,208
132	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AABCH6961M2ZC	6	10,05,23,052
133	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAHCS7975A2ZC	6	8,56,32,120
134	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AACCG0141R2ZQ	6	7,82,21,604
135	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AAECA2064R1ZL	7	12,39,765
136	सहायक आयुक्त, वृत्त-जांजगीर	22AAXPD5583G1ZH	8	4,00,176
137	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, दुर्ग	22AAJFS2364J1Z5	9	57,30,632
138	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AETPK2241N1ZA	9	59,38,603
139	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायपुर	22AAFCB0525K1Z3	9	77,94,189
140	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AACCC1626R1ZN	9	87,70,604
141	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायपुर	22AACCM6071A1Z3	9	76,02,282
142	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AAECR6918B1ZQ	9	1,83,71,326
143	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AAACU5701F1ZW	9	2,13,02,142
144	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAACV7829H1ZA	9	73,31,787
145	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायगढ़	22AADCS5057R1ZX	10	11,84,009
146	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायगढ़	22AAACG9027G1ZX	10	11,76,259
147	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायगढ़	22AABCC8197Q1Z2	10	10,40,490
148	सहायक आयुक्त, वृत्त-6, रायपुर	22AACCG2107K1Z3	10	10,78,747
149	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, जगदलपुर	22ADEFS6989F1ZQ	10	20,06,044
150	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22FHFPS1188N1ZT	10	16,34,900
151	सहायक आयुक्त, वृत्त-महासमुंद	22AIAPA1676Q1ZB	11	1,60,589.8
152	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AACCC6068R1Z9	11	1,38,286
153	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायगढ़	22AAACH1201R1ZX	11	95,602
154	सहायक आयुक्त, वृत्त-भाटापारा	22AACCS8796G1Z1	11	2,65,436
155	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायगढ़	22ALLPB3028P1Z5	12	1,06,97,542
156	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायगढ़	22AAMFA6179L1Z3	12	9,66,40,273
157	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AADCA4060E1ZD	12	1,35,94,444
158	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAGCC8479A1ZT	12	1,30,05,612
159	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AACCD7736R1Z7	12	1,03,58,454
160	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AGTPG1704E1ZV	12	1,54,05,212
161	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22ADEPT5447P1Z0	12	82,00,070
162	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AFFPA4368F1ZX	12	1,08,56,840
163	सहायक आयुक्त, वृत्त-जांजगीर	22AGPPP2040Q1Z2	12	96,50,431
164	सहायक आयुक्त, वृत्त-धमतरी	22AAKFP9055C1ZC	12	1,22,59,205

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

165	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, कोरबा	22ALPPD6193F1Z4	12	76,58,881
166	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22BHPPK9096R1Z8	12	95,75,225
167	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायपुर	22AACCR4279H1ZE	12	2,90,04,031
168	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AABCS1571Q1Z6	12	1,29,24,428
169	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायपुर	22AACCE1516C1ZJ	12	1,39,59,853
170	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	22ALJPT5234D1ZA	13	56,000
कुल				9,11,82,27,782
करोड़ में लगभग				911.82

(स्रोत: राज्य कर विभाग के उत्तर के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

परिशिष्ट 5.1.7(जी)

(कंडिका 5.1.8.1 और 5.1.8.3 में संदर्भित)

जिन प्रकरणों में लेखापरीक्षा के दौरान राशि की वसूली की गई, का विवरण

(राशि ₹ में)

2	क्षेत्राधिकार	जीएसटीआईएन	लेखापरीक्षा आयाम की संख्या	भिन्नता की राशि
1	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22BLWPS0750H1ZU	1	15,090.18
2	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AADCM6893K1Z3	4	4,22,900
3	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायपुर	22AHNPD3304N1ZJ	4	3,39,054
4	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AANHA1846D1ZR	4	1,26,807
5	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AKEPR0220K1ZK	4	2,71,670
6	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, दुर्ग	22AVGPS2585M1Z3	4	5,18,544
7	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायगढ़	22AABCA3530D1ZK	5	20,217
8	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AABCF2695J1ZM	5	10,13,172
9	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AFTPD4583K1Z4	5	27,498
10	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22AAFFB6176M1ZA	5	14,892
11	सहायक आयुक्त, वृत्त-जांजगीर	22AAHCS3413R1Z5	9	79,94,749
12	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायगढ़	22AAMFA6179L1Z3	10	32,59,970
13	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AAVFS0003L2Z8	10	5,85,438
14	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायगढ़	22AAECR0878A1ZT	10	22,00,154
15	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायगढ़	22AAHCA2417K2ZY	10	15,37,594
16	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AADCM5765E1ZN	10	2,44,107.7
17	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAECA7235N1ZM	10	9,27,661
18	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAACV2018E1Z1	10	40,17,281
19	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAICS0526J1ZK	10	4,87,718
20	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AADCK3357N1ZE	10	1,10,946
21	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AADFF9620Q1Z5	10	11,84,883
22	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AABCN5848D1ZQ	10	1,70,473
23	सहायक आयुक्त, वृत्त-जांजगीर	22AARFA7836K1Z2	10	11,63,698
24	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायगढ़	22AABCA3530D1ZK	10	24,83,675.57
25	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, कोरबा	22AALPI8478F2ZH	10	5,69,000
26	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22ALFPM1166P2ZW	10	18,99,999
27	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, बिलासपुर	22AACCR6401P1ZD	10	4,02,479
28	सहायक आयुक्त, वृत्त-जांजगीर	22ABKPA9507D1Z5	11	1,46,636
29	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायगढ़	22AAKFA9681R1ZO	12	1,41,261
30	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AHDPG7068C1ZS	12	57,284
31	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22ACGPA8414J1ZY	12	64,47,242
कुल				3,88,02,093.45
करोड़ में लगभग				3.88

(स्रोत: राज्य कर विभाग के उत्तर के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

परिशिष्ट 5.1.7 (ई)
(कंडिका 5.1.8.1 और 5.1.8.3 में संदर्भित)

जिन प्रकरणों में करदाताओं को सूचनाएँ जारी की गई का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र० सं०	क्षेत्राधिकार	जीएसटीआईएन	लेखापरीक्षा आयाम की संख्या	कर	ब्याज	शास्ति / फीस	कुल	सूचना जारी
1	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22BPKPD1937D1ZE	1	59,92,660	3,84,187	20,000	63,96,847	DRC 01
2	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22ABFPW5474N1Z1	1	40,028	33,276	20,000	93,304	DRC 01
3	सहायक आयुक्त, वृत्त-जांजगीर	22AQIPD9895L1Z9	1	590	742	20,000	21,332	DRC 07
4	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	22CDTPM5141C1ZQ	1	1,296	1,088	20,000	22,384	DRC 07
5	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AAEFG6628E1ZQ	1	55,75,450	53,32,918	5,63,032	1,14,71,399	DRC 13
6	सहायक आयुक्त, वृत्त-कवर्धा	22ABZPJ1696F1ZB	1	95,53,822	22,92,918	9,55,382	1,28,02,122	DRC 13
7	सहायक आयुक्त, वृत्त-महासमुंद	22AABAG0268Q1ZM	1	1,06,653	1,02,387	10,452	2,19,492.66	DRC 13
8	सहायक आयुक्त, वृत्त-जांजगीर	22AMDPC6979P2ZJ	1	7,08,160	7,19,763	70,816	14,98,739.16	DRC 13
9	सहायक आयुक्त, वृत्त-जांजगीर	22AFVPK5718H1Z7	1	11,748	11,940	1,174	24,862	DRC 13
10	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायगढ़	22AMEPG1929J1ZB	1	30,38,982	26,83,405	30,000	57,52,387	DRC 13
11	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AADFB7198M1Z4	2	—	—	—	—	DRC 01
12	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22AAIFS8425P1ZO	2	—	—	—	—	DRC 01
13	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22AAYFM9676L1Z7	2	—	—	—	—	DRC 01
14	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22AACFP9130E2ZN	2	—	—	—	—	DRC 01A
15	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, दुर्ग	22AMJPS1184J1ZV	2	—	—	—	—	DRC 07
16	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AACCC1772C1ZB	2	—	—	—	—	DRC 01
17	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, दुर्ग	22AMJPS1184J1ZV	3	—	—	—	—	DRC 01
18	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AADFB7198M1Z4	3	—	—	—	—	DRC 01
19	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AABCJ7024M1ZN	3	—	—	—	—	DRC 01A
20	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22AACFP9130E2ZN	3	—	—	—	—	DRC 01A
21	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22AAACN6090N1ZA	4	40,00,588	3,03,825	20,000	43,24,413	DRC 01
22	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22BQIPP8728H1ZJ	4	34,86,370	2,64,773	10,000	37,61,143	DRC 01
23	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22AVRPS7182D1Z8	4	—	11,19,138	—	11,19,138	DRC 01

24	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, दुर्ग	22BYVPS3309C1ZE	4	36,25,306	33,96,912	3,62,530	73,84,748.22	DRC 07
25	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	22AACCC7944C1Z1	4	22,67,405	13,83,118	2,26,740	38,77,263	DRC 07
26	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, दुर्ग	22BMIPS6413G1Z4	4	21,79,296	11,23,394	2,17,929	35,20,619	DRC 13
27	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, दुर्ग	22BJPPS3338J1ZU	4	14,11,914	2,87,880	7,18,218	24,18,012	DRC 13
28	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, दुर्ग	22AFHPJ2634M1ZI	4	12,57,016	6,39,116	1,25,702	20,21,834	DRC 13
29	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, दुर्ग	22AGYPC1241K1ZH	4	3,25,190	1,65,340	32,520	5,23,050	DRC 13
30	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22AJAPS9268D1Z6	5	18,76,954	21,94,784	0	40,71,738	DRC 01A
31	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22ACIFS5574M1ZM	5	32,44,278	26,90,056	3,31,582	62,65,916	DRC 01A
32	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AFAPK7491J1ZD	5	60,59,011	65,61,660	6,05,901	1,32,26,572	DRC 01A
33	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, कोरबा	22AALPI8478F2ZH	5	32,73,490	21,35,750	3,27,350	57,36,590	DRC 01
34	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AXLPS1171Q1ZY	5	30,91,414	0	0	30,91,414	DRC 01A
35	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, दुर्ग	22AAACG1895Q1Z8	5	51,49,974	26,18,444	5,14,998	82,83,416	DRC 13
36	सहायक आयुक्त, वृत्त-अम्बिकापुर	22AGQPA3218G1ZV	5	53,93,155	0	0	53,93,155	DRC 01
37	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22ACIPJ0577B1Z4	7	18,02,634	14,98,591	1,85,285	34,86,510	DRC 01
38	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22ADRPM3024G1ZS	7	22,36,170	18,59,003	7,45,532	48,40,705	DRC 01
39	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, कोरबा	22AALPI8478F2ZH	7	37,62,802	39,76,612	3,76,280	81,15,694	DRC 01
40	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AADFF4707E1Z0	7	7,98,626	7,42,394	79,863	16,20,882.58	DRC 13
41	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22AMXPM0406H1Z5	8	5,00,964	32,117	20,000	5,53,081	DRC 01
42	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, दुर्ग	22AGMPR9677A1Z3	8	4,25,907	2,16,563	42,591	6,85,061	DRC 13
43	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22CKBPP5484J1ZX	9	1,78,23,465	1,67,02,556	0	3,45,26,020.77	DRC 01A
44	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22ALFPP3892H1ZY	9	60,80,865	4,16,831	20,000	65,17,696	DRC 01
45	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AADFB7198M1Z4	9	74,67,033	63,69,380	7,46,704	1,45,83,117	DRC 01
46	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22AAECV9657M1ZP	9	55,89,006	46,46,327	5,58,900	1,07,94,233	DRC 01
47	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AFAPK7491J1ZD	9	66,74,801	72,28,535	6,67,480	1,45,70,816.28	DRC 01A
48	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AAACP6317L1ZI	9	2,15,63,987	2,33,52,912	21,56,399	4,70,73,297.43	DRC 01A
49	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AABCG2202J1ZA	9	1,28,52,075	1,39,18,269	12,85,208	2,80,55,551.93	DRC 01A
50	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22ARUPA6975B1ZS	9	1,28,79,593	1,36,87,260	4,000	2,65,70,853	DRC 01
51	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AFZPA0999N1ZR	9	1,65,13,565	1,33,71,289	16,51,354	3,15,36,208	DRC 07
52	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AAACJ7961J1ZG	9	59,43,097	49,86,258	5,94,310	1,15,23,665	DRC 07

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

53	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AAACT5131A1Z7	9	61,84,349	66,97,396	6,18,435	1,35,00,179.61	DRC 01A
54	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22AAACN6090N1ZA	10	0	14,04,359	1,16,266	15,20,625	DRC 01
55	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22ADFPA9582K1ZG	10	0	10,46,999	0	10,46,999	DRC 01
56	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AFGPJ5199C1ZM	10	0	10,75,505	0	10,75,505	DRC 07
57	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAACN1283H1ZU	10	0	10,84,445	0	10,84,445	DRC 07
58	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, कोरबा	22BBAPS0974H2ZQ	10	0	62,11,229	0	62,11,229	DRC 07
59	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AABCM4514F1Z2	10	0	14,58,483	0	14,58,483	DRC 07
60	सहायक आयुक्त, वृत्त-जांजगीर	22AACCC7479G1ZN	10	0	62,19,564	0	62,19,564	DRC 13
61	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AABAC5137E2ZC	10	0	7,67,31,417	75,000	7,68,06,417	DRC 07
62	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, बिलासपुर	22ACYPT8421C1ZD	10	0	13,49,715	0	13,49,715	DRC 01
63	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, दुर्ग	22AQLPK2400R1ZS	10	0	23,98,507	2,87,184	26,85,691	DRC 13
64	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायपुर	22AAQFG9258C1ZA	10	0	69,97,767	20,000	70,17,767	DRC 13
65	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, कोरबा	22AJWPB8577A1Z5	11	1,01,226	84,078	20,000	2,05,304	DRC 01A
66	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, जगदलपुर	22AAACJ3404A2ZK	11	12,75,824	0	0	12,75,824	DRC 01
67	सहायक आयुक्त, वृत्त-जांजगीर	22AERPD2435F1ZW	11	93,728	73,862	9,372	1,76,962	DRC 07
68	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, दुर्ग	22AIXPJ5033B1ZJ	11	1,85,079	94,923	31,644	3,11,646	DRC 13
69	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, दुर्ग	22ACMPJ2274P1Z9	11	2,34,300	1,19,128	23,430	3,76,858	DRC 13
70	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, दुर्ग	22AABCA1601R2ZY	11	2,31,378	1,19,275	23,138	3,73,791	DRC 07
71	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AARCS7555G1ZZ	12	12,21,444	13,22,774	1,22,144	26,66,362.06	DRC 01A
72	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, कोरबा	22AADCC3472E1Z5	12	76,92,147	50,22,445	7,69,214	1,34,83,806	DRC 01
73	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, कोरबा	22AAEFG7079B2ZO	12	0	3,39,239	0	3,39,239	DRC 01
74	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22ACHPA1385K1ZV	12	81,89,176	73,75,214	8,18,918	1,63,83,308	DRC 01A
75	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22AAZFM0586A1ZA	12	4,31,79,980	3,88,61,982	43,17,998	8,63,59,960	DRC 01A
76	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AAECK3160C2Z6	12	95,66,908	81,51,006	9,56,691	1,86,74,604.42	DRC 13
कुल							61,89,79,566.3	
करोड़ में लगभग							61.90	

(स्रोत: राज्य कर विभाग के उत्तर के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

परिशिष्ट 5.1.7 (एफ)

(कंडिका 5.1.8.1 और 5.1.8.3 में संदर्भित)

जिन प्रकरणों में करदाताओं को एसएमटी 10 जारी किया गया, का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	क्षेत्राधिकार	जीएसटीआईएन	लेखापरीक्षा आयाम संख्या	भिन्नता की राशि
1	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AJCPP5659B1ZG	1	8,46,399
2	सहायक आयुक्त, वृत्त-अम्बिकापुर	22BQNPK6361G1ZS	1	0
3	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AHCPB9665R1ZW	1	2,03,701
4	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AVLPM8381Q1ZQ	1	37,23,723
5	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22ALFPM1166P3ZV	1	21,01,034
6	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22ACMPR7697E1Z3	2	.
7	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22ABDFA0051D1ZG	3	.
8	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAQFK6447F1Z7	4	1,00,08,694
9	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AABCG8066C1ZZ	4	42,00,408
10	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAACB2894G1ZX	4	31,06,031
11	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AKLPK9895Q1Z1	4	20,18,656
12	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AHCPB5583G1ZQ	4	12,36,453
13	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AACCG1395F2ZX	4	10,21,266
14	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AAQCS2356A1ZN	4	15,94,162
15	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AABAC5137E2ZC	4	17,10,453
16	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22ADCPG7864R1Z2	4	3,99,03,011
17	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AACCT7497H1Z2	4	63,90,052
18	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAZFM5608F1Z3	4	37,82,285
19	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAECA9437E2ZW	5	32,96,624
20	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22AACPW7269H1ZE	5	34,43,433
21	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAACL6442L1ZK	5	53,67,478
22	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAEFG7908D1ZR	5	26,05,346
23	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAKCA2311H1ZA	5	20,51,224
24	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AABAC5137E2ZC	5	80,37,769
25	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAHCM6420G1ZT	5	60,88,988
26	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAOCS4272R2ZM	5	88,74,094
27	सहायक आयुक्त, वृत्त-अम्बिकापुर	22AAFCM6065R1ZZ	6	12,91,50,407
28	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, दुर्ग	22AAECV9657M1ZP	6	18,09,81,559
29	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAACL6442L1ZK	6	17,49,16,117
30	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AADCS5044E1ZT	6	8,42,37,615
31	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AABCB7575P2Z8	6	32,83,07,854
32	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAACB9651K1ZN	6	12,85,75,399
33	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AAACS8577K1ZZ	6	13,47,97,090
34	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22ABAPG0782E1ZC	7	6,20,331
35	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AAACB1290N1ZU	7	24,77,932
36	सहायक आयुक्त, वृत्त-अम्बिकापुर	22BWNPS8790P1ZC	7	7,82,069
37	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AACCH1802J1Z4	7	79,73,626
38	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AACFG1629H1ZV	7	18,00,990
39	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22BGHPS2811K1ZF	7	7,17,207
40	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AADPF0578P1ZN	7	32,72,140

41	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22ADGFS2081J1Z4	7	32,62,377
42	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AALFJ9002E1ZQ	7	18,44,605
43	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAWPF0454B1Z6	8	5,86,652
44	सहायक आयुक्त, वृत्त-अम्बिकापुर	22AVSPA4155F1ZU	8	4,80,384
45	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायपुर	22HWS6466R1Z4	8	4,66,721
46	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, कोरबा	22AABCG0949C1Z7	9	94,01,338
47	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22AQYPB4178L1ZD	9	54,84,777
48	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22AAACE0061C1ZN	9	70,32,397
49	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AACFG4027D1Z5	9	2,27,11,941
50	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAACE2358J2ZV	9	60,11,562
51	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AANHA0583P1Z2	9	1,58,68,231
52	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAAAC2043C1ZR	9	73,95,025
53	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22ADBPG3077F1Z3	9	54,36,610
54	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAACU2227J1ZO	9	87,14,915
55	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAGFM2674Q1ZV	9	1,17,64,124
56	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAOCS4272R2ZM	9	65,54,180
57	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAACL1117E1ZD	9	92,77,913
58	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AACCK3551F1Z0	9	55,42,353
59	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAGFT9223L1ZZ	10	18,15,293
60	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AACCK3551F1Z0	10	21,13,965
61	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AAACN4276C1ZX	10	27,70,283
62	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AADCG9611M1ZJ	10	54,62,919
63	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAYFM8149G1ZS	10	11,76,843
64	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AAHCS1901N1ZG	10	12,79,226
65	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AAUCS4880K1ZP	10	17,09,251
66	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22ACIPA4438N1ZO	10	11,89,403
67	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, बिलासपुर	22AALFB0891R1Z0	11	20,19,616
68	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAFFJ4454N1Z7	11	1,55,802
69	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22BHTPS8089J1ZD	11	3,37,410
70	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAACS5123K1ZN	11	23,36,358
71	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAACB9651K1ZN	11	3,76,129
72	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAKFA0014A1ZM	11	3,69,670
73	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAACP4526D1Z0	11	1,46,964
74	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AFPPT8883C1ZY	11	93,016
75	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22ACJFS6984N1ZB	11	12,76,491
76	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AFIPN7309E1ZO	11	2,79,017
77	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AABCA9521E1Z7	11	1,77,898
78	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAACH7412G2Z2	11	24,57,722
79	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, दुर्ग	22AAACJ6715G2ZW	11	8,27,261
80	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, कोरबा	22AADCC3472E1Z5	12	76,92,147
81	सहायक आयुक्त, वृत्त-अम्बिकापुर	22AMPDP7210G1ZG	12	1,89,31,038
82	सहायक आयुक्त, वृत्त-अम्बिकापुर	22ACMPR4008F2ZT	12	5,48,85,814
83	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AAQCS2356A1ZN	12	1,18,16,374
84	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AAACI5607C1Z9	12	1,66,30,066
85	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22CLJPS9065B1Z0	12	1,16,62,902
86	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AADCI3846A1Z5	12	1,55,18,210

87	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AAQFK6447F1Z7	12	1,00,08,675
88	सहायक आयुक्त, वृत्त-5, रायपुर	22AAUCS4880K1ZP	12	98,76,070
89	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AABAC5137E2ZC	12	2,52,25,216
90	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AABCO5774H1ZG	12	1,17,53,554
91	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAGFG9940D1ZL	12	1,83,91,436
92	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AALCS5029H1ZE	12	1,59,65,904
93	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22ADCPG7864R1Z2	12	3,98,91,730
94	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AGBPA1875E2Z2	12	79,86,877
95	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, कोरबा	22BBAPS0974H2ZQ	12	6,35,05,648
कुल				1,79,61,69,923
करोड़ में लगभग				179.62

(स्रोत: राज्य कर विभाग के उत्तर के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

परिशिष्ट 5.1.7 (जी)

(कंडिका 5.1.8.1 और 5.1.8.4 में संदर्भित)

जिन प्रकरणों में लेखापरीक्षा ने विभाग के उत्तर का खंडन किया, का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र० सं०	क्षेत्राधिकार	जीएसटीआईएन	लेखापरीक्षा आयाम संख्या	भिन्नता की राशि
1	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, बिलासपुर	22AACCK2650D1Z6	9	51,08,738
कुल				51,08,738
करोड़ में लगभग				0.51

(स्रोत: राज्य कर विभाग के उत्तर के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

परिशिष्ट 5.1.8
(कंडिका 5.1.9 में संदर्भित)

विस्तृत लेखापरीक्षा के अंतर्गत जिन प्रकरणों में करदाताओं द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, का विवरण

(राशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	क्षेत्राधिकार	जीएसटीआईएन	अभिलेख का विवरण	आईटीसी में भिन्नता	कर देयता में भिन्नता	विभाग का उत्तर
1	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायपुर	22AAJCS4517L1Z8	1. ऑडिट रिपोर्ट (बैलेन्स शीट, लाभ एवं हानि खाता सभी शिड्यूल के साथ, खाता के नोट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट) छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित 2. लेखापरीक्षा अवधि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित विविध लेनदारों एवं देनदारों की खाता बही 3. लेखापरीक्षा अवधि के दौरान जारी किए गए क्रेडिट नोट्स	0.00	3.51	कार्यवाही जारी है
2	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AACCR7832C1ZR	1. क्रय खाता (करयोग्य/गैर-करयोग्य/कर से छुट) चयनित महीनों के क्रय बीजकों के साथ आरसीएम के अंतर्गत कर का भुगतान किए जाने वालों को सम्मिलित करते हुए 2. बिक्री खाता (करयोग्य/गैर-करयोग्य/कर से छुट/शून्य दर) चयनित महीनों के बिक्री बीजकों के साथ 3. लेखापरीक्षा अवधि के लिए माल/सेवाओं के निर्यात की खाता-बही 4. लेखापरीक्षा अवधि के लिए माल/सेवाओं के आयात की खाता-बही 5. लेखापरीक्षा अवधि के लिए जारी किए गए क्रेडिट एवं डेबिट नोट्स 6. लेखापरीक्षा अवधि के लिए स्टॉक रजिस्टर 7. लेखापरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट/3सीडी रिपोर्ट (बैलेन्स शीट, उत्पादन/व्यापार खाता, लाभ एवं हानि खाता सभी शिड्यूल के साथ, खाता के नोट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट) 8. लेखापरीक्षा अवधि के लिए क्रय अग्रीमेंट एवं विक्रय अग्रीमेंट की प्रतियाँ 9. लेखापरीक्षा अवधि के लिए विविध लेनदारों एवं देनदारों की खाता बही	42.36	134.69	कार्यवाही जारी है
3	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAECG3780C1Z1	1. क्रय खाता (करयोग्य/गैर करयोग्य/कर से छुट) चयनित महीनों के क्रय बीजकों के साथ आरसीएम के अंतर्गत कर का भुगतान किए जाने वालों को सम्मिलित करते हुए 2. बिक्री खाता (करयोग्य/गैर-करयोग्य/कर से छुट/शून्य दर) चयनित महीनों के बिक्री बीजकों के साथ 3. लेखापरीक्षा अवधि के लिए माल/सेवाओं के निर्यात की खाता-बही 4. लेखापरीक्षा अवधि के लिए माल/सेवाओं के आयात की खाता-बही 5. लेखापरीक्षा अवधि के लिए जारी किए गए क्रेडिट एवं डेबिट नोट्स 6. लेखापरीक्षा अवधि के लिए स्टॉक रजिस्टर 7. लेखापरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट/3सीडी रिपोर्ट (बैलेन्स शीट, उत्पादन/व्यापार खाता, लाभ एवं हानि खाता सभी शिड्यूल के साथ, खाता के नोट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट) 8. लेखापरीक्षा अवधि के लिए जॉब वर्क रजिस्टर	34.81	399.48	एसएमटी 10 जारी किया जा रहा है

क्र० सं०	क्षेत्राधिकार	जीएसटीआईएन	अभिलेख का विवरण	आईटीसी में भिन्नता	कर देयता में भिन्नता	विभाग का उत्तर
			9. लेखापरीक्षा अवधि के लिए क्रय अग्रीमेंट एवं विक्रय अग्रीमेंट की प्रतियाँ 10. उत्पादन/माल के व्यापार से संबन्धित अभिलेख 11. लेखापरीक्षा अवधि के लिए विविध लेनदारों एवं देनदारों की खाता बही			
4	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAACB8316K1ZV	1. क्रय खाता (करयोग्य/गैर करयोग्य/कर से छुट) चयनित महीनों के क्रय बीजकों के साथ आरसीएम के अंतर्गत कर का भुगतान किए जाने वालों को सम्मिलित करते हुए 2. बिक्री खाता (करयोग्य/गैर-करयोग्य/कर से छुट/शून्य दर) चयनित महीनों के बिक्री बीजकों के साथ 3. लेखापरीक्षा अवधि के लिए जारी किए गए क्रेडिट एवं डेबिट नोट्स 4. लेखापरीक्षा अवधि के लिए स्टॉक रजिस्टर 5. लेखापरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट/3सीडी रिपोर्ट (बैलेन्स शीट, उत्पादन/व्यापार खाता, लाभ एवं हानि खाता सभी शिड्यूल के साथ, खाता के नोट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट) 6. लेखापरीक्षा अवधि के लिए क्रय अग्रीमेंट एवं विक्रय अग्रीमेंट की प्रतियाँ 7. लेखापरीक्षा अवधि के लिए विविध लेनदारों एवं देनदारों की खाता बही 8. लेखापरीक्षा अवधि के लिए माल/सेवाओं के आयात की खाता-बही 9. लेखापरीक्षा अवधि के लिए जॉब वर्क रजिस्टर	18.60	277.30	एसएमटी 10 जारी किया जा रहा है
5	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAACU5552C1ZT	1. क्रय खाता (करयोग्य/गैर करयोग्य/कर से छुट) चयनित महीनों के क्रय बीजकों के साथ आरसीएम के अंतर्गत कर का भुगतान किए जाने वालों को सम्मिलित करते हुए 2. बिक्री खाता (करयोग्य/गैर-करयोग्य/कर से छुट/शून्य दर) चयनित महीनों के बिक्री बीजकों के साथ 3. लेखापरीक्षा अवधि के लिए जारी किए गए क्रेडिट एवं डेबिट नोट्स 4. लेखापरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट/3सीडी रिपोर्ट (बैलेन्स शीट, उत्पादन/व्यापार खाता, लाभ एवं हानि खाता सभी शिड्यूल के साथ, खाता के नोट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट) 5. लेखापरीक्षा अवधि के लिए क्रय अग्रीमेंट एवं विक्रय अग्रीमेंट की प्रतियाँ 6. लेखापरीक्षा अवधि के लिए विविध लेनदारों एवं देनदारों की खाता बही	155.80	0.00	एसएमटी 10 जारी किया जा रहा है
कुल				251.57	814.98	

(स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

परिशिष्ट 5.1.9

(कंडिका 5.1.9.1(ए) में संदर्भित)

जिन प्रकरणों में करदाताओं द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया गया, का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	क्षेत्राधिकार	जीएसटीआईएन	विलंब की सीमा (दिनों में)	ब्याज जिसका भुगतान नहीं किया गया	विभाग का उत्तर
1	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAACB8316K1ZV	20 से 356	18,59,524	एसएसएमटी 10 जारी किया जा रहा है
2	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAECG3780C1Z1	311 से 515	5,68,473	एसएसएमटी 10 जारी किया जा रहा है
3	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AUHPS9016R1ZY	1 से 61	3,854	एसएसएमटी 10 जारी किया जा रहा है
4	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22ACHFS7919M1ZM	57 से 162	34,866	राशि वसूली गई
5	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAACV7767L1ZW	11	911	राशि वसूली गई
6	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AADPF2412Q1Z0	29 से 31	612	राशि वसूली गई
7	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AIXPM7698H1ZD	1 से 34	1,560	राशि वसूली गई
8	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायपुर	22AKZPA9491L1ZF	64 से 253	4,549	राशि वसूली गई
9	सहायक आयुक्त, वृत्त-मनेन्द्रगढ़	22AAJCA1886E1ZV	70 से 105	4,205	राशि वसूली गई
10	सहायक आयुक्त, वृत्त-मनेन्द्रगढ़	22AAJCA1886E1ZV	1718	2,01,876	राशि वसूली गई
11	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, रायगढ़	22AVGPS1986G1ZD	182	1,55,069	राशि वसूली गई
कुल				28,35,499	

(स्रोत: राज्य कर विभाग के उत्तर के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

परिशिष्ट 5.1.10

(कंडिका 5.1.9.1(बी) में संदर्भित)

जिन प्रकरणों में विवरणियों के विलंबित दाखिले पर विलंब फीस का भुगतान नहीं किया गया / कम भुगतान किया गया, का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र० सं०	क्षेत्राधिकार	जीएसटीआईएन	विलंब की सीमा (दिनों में)	देय विलंब फीस	विभाग का उत्तर
1	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAACB8316K1ZV	70 से 365	20,000	एसएसएमटी 10 जारी किया जा रहा है
2	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAECG3780C1Z1	311 से 460	60,000	एसएसएमटी 10 जारी किया जा रहा है
3	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AACCR7832C1ZR	185 से 255	9,250	कार्यवाही जारी है
4	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAECA9783D2ZP	183 से 273	10,000	राशि वसूली गई
5	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22ACHFS7919M1ZM	30 से 225	10,000	राशि वसूली गई
6	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22AAACV7767L1ZW	11	550	राशि वसूली गई
7	सहायक आयुक्त, वृत्त-धमतरी	22ABHPN5242P1ZE	1 से 41	4,350	राशि वसूली गई
8	सहायक आयुक्त, वृत्त-राजनन्दगाँव	22AFRPT7896M1Z8	7 से 19	1,300	राशि वसूली गई
9	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, जगदलपुर	22AAGFK5005K1ZM	20 से 110	3,650	राशि वसूली गई
कुल				1,19,100	

(स्रोत: राज्य कर विभाग के उत्तर के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

परिशिष्ट 5.1.11

(कंडिका 5.1.9.1(सी) में संदर्भित)

जिन प्रकरणों में जीएसटी विवरणियों में डेटा प्रविष्टि की त्रुटियाँ की गई थीं, का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	क्षेत्राधिकार	जीएसटीआईएन	विवरणी	माह	आईटीसी/कर भुगतान में भिन्नता	विभाग का उत्तर
1	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायपुर	22AAJCS4517L1Z8	जीएसटीआर 3बी	जनवरी 2018	18,45,243	जनवरी 2018 में आईएसडी से प्राप्त राशि ₹ 19,41,953 आईटीसी लिया गया जिसका दावा अनजाने में सामान्य आईटीसी के जैसे किया गया था।
2	सहायक आयुक्त, वृत्त-4, रायपुर	22AIXPM7698H1ZD	जीएसटीआर 1	सितंबर 2017	2,87,39,687	सितंबर 2017 के जीएसटीआर 1 में लिपिकीय त्रुटि के कारण गलत संख्या लिखी गई (बी से सी श्रेणी में 3,24,262 के स्थान पर 2,92,33,872) जिसे अप्रैल 2018 के जीएसटीआर 1 में सुधार दिया गया। यद्यपि, जीएसटीआर 9 में दिखाई गई कर देयता पूरी तरह से निर्यादित कर दी गई।
3	सहायक आयुक्त, वृत्त-9, रायपुर	22ACHFS 7919M1ZM	जीएसटीआर 9	वार्षिक	37,36,034	करदाता की देनदारी और भुगतान बराबर हैं जो जीएसटीआर 3बी से स्पष्ट हैं। इस प्रकार की भिन्नता का कारण विवरणियों का दाखिला करते समय की गई लिपिकीय त्रुटियाँ थी।
4	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, कोरबा	22AAECD4619B2Z9	जीएसटीआर 9	वार्षिक	1,33,10,702	करदाता ने लिपिकीय त्रुटि के कारण माल के आयात पर आईटीसी और आरसीएम के तहत आईटीसी ₹ 4,50,95,073 के स्थान पर ₹ 3,71,84,371 घोषित किया।
कुल					4,76,31,666	

(स्रोत: राज्य कर विभाग के उत्तर के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

परिशिष्ट 5.1.12

(कंडिका 5.1.9.2(ए)/(I) में संदर्भित)

जिन प्रकरणों में अधिक आईटीसी लिया जाना पाया गया, का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	क्षेत्राधिकार	जीएसटीआईएन	जीएसटीआर 2ए के अनुसार आईटीसी की राशि	आरसीएम के अलावा जीएसटीआर 9/3बी के अनुसार आईटीसी [जीएसटीआर 3बी की तालिका 6बी+8सी-7एच/तालिका 4ए(5)-4बी(2) जीएसटीआर9 की तालिका 8सी]	लिया गया अधिक आईटीसी	विभाग का उत्तर
1	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAACB8316K1ZV	77,56,049	92,67,527	15,11,478	एसएमटी 10 जारी किया जा रहा है
2	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AACCR7832C1ZR	31,72,274	42,52,267	10,79,993	कार्यवाही जारी है
3	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAECG3780C1Z1	17,03,302	33,02,611	15,99,309	एसएमटी 10 जारी किया जा रहा है
4	सहायक आयुक्त, वृत्त-मनेन्द्रगढ़	22AAJCA1886E1ZV	3,64,40,561	4,83,90,370	1,19,49,809	एसएमटी 10 जारी किया जा रहा है
5	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAACU5552C1ZT	6,10,45,858	6,20,07,960	9,62,102	एसएमटी 10 जारी किया जा रहा है
कुल			11,01,18,044	12,72,20,735	1,71,02,691	

(स्रोत: राज्य कर विभाग के उत्तर के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

परिशिष्ट 5.1.13

(कंडिका 5.1.9.2(सी)(I) में संदर्भित)

जिन प्रकरणों में आईटीसी का रिवर्सल नहीं पाया गया/कम पाया गया, का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	क्षेत्राधिकार	जीएसटीआईएन	जीएसटीआर-9 के अनुसार कुल टर्नओवर	जीएसटीआर-9 के अनुसार छूट प्राप्त टर्नओवर	इनपुट्स/इनपुट सेवा/पूँजीगत माल के ऊपर लिया गया आईटीसी	नियम 42/43 के अनुसार आईटीसी का रिवर्सल	जीएसटीआर-9 की तालिका 7 के अंतर्गत आईटीसी का रिवर्सल	आईटीसी का रिवर्सल नहीं/कम होना	विभाग का उत्तर
1	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAACB8316K1ZV	20,40,65,235	76,19,150	88,94,635	3,32,097	0	3,32,097	एसएमटी 10 जारी किया जा रहा है
2	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAECG3780C1Z1	7,63,16,997	4,34,77,012	33,02,612	18,81,464	0	18,81,464	एसएमटी 10 जारी किया जा रहा है
3	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAACB8316K1ZV	20,40,65,235	76,19,150	4,44,293	16,588	0	16,588	एसएमटी 10 जारी किया जा रहा है
4	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAACU5552C1ZT	3,65,20,61,641	61,91,62,794	12,84,59,633	2,17,82,484	71,64,342	1,46,18,142	एसएमटी 10 जारी किया जा रहा है
कुल			4,13,65,09,108	67,78,78,106	14,11,01,173	2,40,12,633	71,64,342	1,68,48,291	

(स्रोत: राज्य कर विभाग के उत्तर के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

परिशिष्ट 5.1.14

(कंडिका 5.1.9.3(ए)(I) में संदर्भित)

जिन प्रकरणों में कर का कम भुगतान पाया गया, का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	क्षेत्राधिकार	जीएसटीआईएन	आरसीएम के अलावा देयकर	आरसीएम के अलावा भुगतान किया गया कर	भुगतान नहीं की गई कर देयता, ब्याज के साथ (अगर कुछ है)	विभाग का उत्तर
1	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAACB8316K1ZV	2,84,22,098	1,43,97,847	1,40,24,251	एसएमटी 10 जारी किया जा रहा है
2	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAECG3780C1Z1	4,58,59,056	59,11,212	3,99,47,844	एसएमटी 10 जारी किया जा रहा है
3	सहायक आयुक्त, वृत्त-3, रायपुर	22AACCR7832C1ZR	24,520,031	1,10,51,276	1,34,68,755	कार्यवाही जारी है
कुल			9,88,01,185	3,13,60,335	6,74,40,850	

(स्रोत: राज्य कर विभाग के उत्तर के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

परिशिष्ट 5.1.15

(कंडिका 5.1.9.3(ए)(II) में संदर्भित)

जिन प्रकरणों में कर का कम भुगतान पाया गया, का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	क्षेत्राधिकार	जीएसटीआईएन	आरसीएम के अलावा देयकर	आरसीएम के अलावा भुगतान किया गया कर	भुगतान नहीं की गई कर देयता, ब्याज के साथ (अगर कुछ है)	विभाग का उत्तर
1	सहायक आयुक्त, वृत्त-2, जगदलपुर	22AAHCS4137L1ZA	2,31,57,190	1,05,60,552	1,25,96,638 + 1,07,28,194 (ब्याज)	एसएमटी 10 जारी किया जा चुका है
2	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAECA9783D2ZP	16,98,35,648	16,98,16,814	18,834	राशि की वसूली की गई
3	सहायक आयुक्त, वृत्त-8, रायपुर	22AADPF2412Q1Z0	3,23,17,499	3,21,70,343	1,47,156	राशि की वसूली की गई
कुल तीन प्रकरण			22,53,10,337	21,25,47,709	2,34,90,822	

(स्रोत: राज्य कर विभाग के उत्तर के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

परिशिष्ट 5.1.16

(कंडिका 5.1.9.3(बी)(I)में संदर्भित)

ऐसे प्रकरण जिनके वार्षिक विवरणी एवं वित्तीय विवरण में असमायोजित कर का भुगतान देखा गया, का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	क्षेत्राधिकार	जीएसटीआईएन	जीएसटी आर 9 के अनुसार भुगतान की गई कुल राशि	वित्तीय विवरण के अनुसार भुगतान की जानेवाली राशि	असमायोजित कर का भुगतान	विभाग का उत्तर
1	सहायक आयुक्त, वृत्त-7, रायपुर	22AAACB8316K1ZV	1,47,40,361	2,84,46,299	1,37,05,938	एसएमटी 10 जारी किया जा रहा है
2	सहायक आयुक्त, वृत्त-1, रायपुर	22AAJCS4517L1Z8	3,47,09,426	3,51,21,491	3,51,058 (61,007 डीआरसी -03 द्वारा भुगतान किया गया)	कार्यवाही जारी है
कुल			4,94,49,787	6,35,67,790	1,40,56,996	

(स्रोत: राज्य कर विभाग के उत्तर के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

परिशिष्ट-6.1.1
(कंडिका 6.1.5 में संदर्भित)

चयनित सर्किल कार्यालय एवं उसके संभाग कार्यालय

क्र. सं.	चयनित सर्किल कार्यालयों का नाम (ओ एंड एम)	चयनित सर्किल कार्यालयों के अंतर्गत संभाग कार्यालयों (ओ एंड एम) का नाम
1	रायपुर शहर 1	शहर पूर्व
		शहर पश्चिम
		शहर दक्षिण
		सिटी सेंट्रल
2	महासमुंद	महासमुंद
		सरायपाली
		गरियाबंद
		पिथौरा
3	राजनांदगांव	राजनांदगांव
		खैरागढ़
		डोंगरगढ़
		डोंगरगाँव
4	बिलासपुर शहर	शहर पूर्व
		शहर पश्चिम
5	कवर्धा	कवर्धा
		पंडरिया
6	जंजगीर-चांपा	चांपा
		अकलतरा
		सक्ती

परिशिष्ट-6.1.2
(कंडिका 6.1.7.1 में संदर्भित)

चयनित सर्किलों में वितरण हानि को दर्शाने वाला विवरण

सर्किल	वर्ष	इनपुट इकाइयाँ (एमयू में)	विक्रय गई इकाई (एमयू में)	बिलिंग दक्षता (प्रतिशत में)	नष्ट हुई इकाइयाँ (एमयू में)	वितरण हानि का प्रतिशत	सीएसई आरसी टैरिफ आदेश के अनुसार मानदंड (प्रतिशत)	मानदंडों से अधिक वितरण की हानि	इकाइयों में अनुमेय हानि (एमयू में)	मानक से अधिक नष्ट हुई इकाइयाँ (एमयू में)	प्रति इकाई दर (₹ में)	राजस्व की हानि (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5	6 (3-4)	7 (6/3)%	8	9 (7-8)	10	11 (6-10)	12	13 (11x12)
रायपुर शहर 1	2017-18	1132.45	998.81	88.20	133.64	11.80	16.50	4.70	186.85	-53.21	7.11	-37.84
	2018-19	1127.71	1001.95	88.85	125.76	11.15	16.50	-5.35	186.07	-60.31	6.78	-40.89
	2019-20	1214.74	1096.14	90.24	118.60	9.76	16.50	-6.74	200.43	-81.83	6.58	-53.85
	2020-21	1132.34	1022.44	90.29	109.90	9.71	16.00	-6.29	181.17	-71.27	6.50	-46.33
	2021-22	1200.01	1130.24	94.19	69.77	5.81	16.00	-10.19	192.00	-122.23	7.00	-85.56
	कुल योग	5807.25	5249.58	90.40	557.67	9.60			946.53	-388.86		-264.46
महासमुंद	2017-18	1412.99	1018.00	72.05	394.99	27.95	16.50	11.45	233.14	161.85	7.11	115.08
	2018-19	1506.99	1072.23	71.15	434.76	28.85	16.50	12.35	248.65	186.11	6.78	126.18
	2019-20	1455.32	1087.59	74.73	367.73	25.27	16.50	8.77	240.13	127.60	6.58	83.96
	2020-21	1638.35	1169.84	71.40	468.51	28.60	16.00	12.60	262.14	206.37	6.50	134.14
	2021-22	1898.10	1382.39	72.83	515.71	27.17	16.00	11.17	303.70	212.01	7.00	148.41
	कुल योग	7911.75	5730.05	72.42	2181.70	27.58			1287.76	893.94		607.77
राजनंदगाव	2017-18	1034.09	904.56	87.47	129.53	12.53	16.50	-3.97	170.62	-41.10	7.11	-29.22
	2018-19	1059.71	931.59	87.91	128.12	12.09	16.50	-4.41	174.85	-46.73	6.78	-31.68
	2019-20	1104.44	984.81	89.17	119.63	10.83	16.50	-5.67	182.23	-62.60	6.58	-41.19
	2020-21	1252.91	1126.80	89.93	126.11	10.07	16.00	-5.93	200.47	-74.36	6.50	-48.33
	2021-22	1294.30	1148.20	88.71	146.10	11.29	16.00	-4.71	207.09	-60.99	7.00	-42.69
	कुल योग	5745.45	5095.96	88.70	649.49	11.30			935.26	-285.77		-193.12

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

सर्किल	वर्ष	इनपुट इकाइयाँ (एमयू में)	विक्रय गई इकाई (एमयू में)	बिलिंग दक्षता (प्रतिशत में)	नष्ट हुई इकाइयाँ (एमयू में)	वितरण हानि का प्रतिशत	सीएसई आरसी टैरिफ आदेश के अनुसार मानदंड (प्रतिशत)	मानदंडों से अधिक वितरण की हानि	इकाइयों में अनुमेय हानि (एमयू में)	मानक से अधिक नष्ट हुई इकाइयाँ (एमयू में)	प्रति इकाई दर (₹ में)	राजस्व की हानि (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5	6 (3-4)	7 (6/3)%	8	9 (7-8)	10	11 (6-10)	12	13 (11x12)
बिलासपुर शहर	2017-18	587.86	501.75	85.35	86.11	14.65	16.50	-1.85	97.00	-10.89	7.11	-7.74
	2018-19	595.14	498.63	83.78	96.51	16.22	16.50	-0.28	98.20	-1.69	6.78	-1.15
	2019-20	645.94	551.25	85.34	94.69	14.66	16.50	-1.84	106.58	-11.89	6.58	-7.82
	2020-21	646.84	554.63	85.74	92.21	14.26	16.00	-1.74	103.49	-11.28	6.50	-7.33
	2021-22	654.90	568.18	86.76	86.72	13.24	16.00	-2.76	104.78	-18.06	7.00	-12.64
	कुल योग	3130.68	2674.44	85.43	456.24	14.57			510.05	-53.81		-36.69
कवर्धा	2017-18	701.32	545.45	77.77	155.87	22.23	16.50	5.73	115.72	40.15	7.11	28.55
	2018-19	712.11	556.09	78.09	156.02	21.91	16.50	5.41	117.50	38.52	6.78	26.12
	2019-20	663.44	524.11	79.00	139.33	21.00	16.50	4.50	109.47	29.86	6.58	19.65
	2020-21	694.22	552.69	79.61	141.53	20.39	16.00	4.39	111.08	30.45	6.50	19.79
	2021-22	716.00	517.70	72.30	198.30	27.70	16.00	11.70	114.56	83.74	7.00	58.62
	कुल योग	3487.09	2696.04	77.31	791.05	22.69			568.32	222.73		152.72
जांजगीर- चांपा	2017-18	996.06	656.01	65.86	340.05	34.14	16.50	17.64	164.35	175.70	7.11	124.92
	2018-19	1036.48	718.49	69.32	317.99	30.68	16.50	14.18	171.02	146.97	6.78	99.65
	2019-20	1071.08	776.97	72.54	294.11	27.46	16.50	10.96	176.73	117.38	6.58	77.24
	2020-21	1196.54	784.19	65.54	412.35	34.46	16.00	18.46	191.45	220.90	6.50	143.59
	2021-22	1235.88	827.13	66.93	408.75	33.07	16.00	17.07	197.74	211.01	7.00	147.71
	कुल योग	5536.04	3762.79	67.97	1773.25	32.03			901.28	871.97		593.10
सकल योग		31618.26	25208.86	79.73	6409.40	20.27			5149.21	1260.19		859.31

(स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित जानकारी)

परिशिष्ट-6.1.3

(कंडिका 6.1.7.2 (क) में संदर्भित)

मार्च 2022 तक चयनित सर्किलों में कुल वर्तमान डीटीआर, डीटीआर जहां मीटर लगाए गए/नहीं लगाए गए और मीटर रीडिंग नहीं ली गई, की जानकारी दर्शाने वाला विवरण

सर्किल का नाम	डी.टी.आर. की कुल संख्या	डी.टी.आर. की संख्या जहां मीटर स्थापित नहीं हैं	डी.टी.आर. जहां मीटर स्थापित हैं			कुल डी.टी.आर. जहां मीटर रीडिंग नहीं ली जा रही है	मीटर रीडिंग के बिना डी.टी.आर. का प्रतिशत
			डी.टी.आर. की संख्या जहां मीटर स्थापित हैं	डी.टी.आर. की संख्या जहां मीटर रीडिंग ली जा रही है	डी.टी.आर. की संख्या जहां मीटर रीडिंग नहीं ली जा रही है		
1	2	3	4	5	6	7(3+6)	8(7/2)x100
रायपुर शहर 1	6561	1366	5195	4236	959	2325	35.44
महासमुंद	20702	17472	3230	1553	1677	19149	92.50
राजनंदगाव	13045	9332	3713	1807	1906	11238	86.15
बिलासपुर शहर	3099	654	2445	338	2107	2761	89.09
कवर्धा	10796	8225	2571	2020	551	8776	81.29
जांजगीर-चांपा	10248	8294	1954	1571	383	8677	84.67
योग	64451	45343	19108	11525	7583	52926	82.12

(स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित जानकारी)

परिशिष्ट-6.1.4

(कांडिका 6.1.7.2 (ख) में संदर्भित)

चयनित सर्किलों में 33/11 केवी उप-स्टेशन (एसएस) और उन एसएस जहां कैपेसिटर बैंक (सीबी) स्थापित हैं, की कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण

इकाईयों का नाम	महीना और साल	कुल 33/11 केवीएसएस की संख्या	एसएस की संख्या जहां सीबी स्थापित हैं	स्थापित सीबी की क्षमता (केवीएआर)	ऐसे एसएस की संख्या जहां सीबी स्थापित नहीं हैं	स्थापित सीबी का प्रतिशत	सीबी की कुल आवश्यक क्षमता (केवीएआर) (121 केवीएआर प्रति एसएस)	ऊर्जा बचत प्रति केवीएआर/माह (इकाई)	3 महीने के लिए कुल ऊर्जा बचत (इकाईयों में)	औसत बिलिंग दर (₹ प्रति इकाई)	ऊर्जा बचत का कुल मूल्य (₹)
1	2	3	4	5	6(3-4)	7(4/3)%	8(कालम 6 x 121)	9	10(8 x 9 x 3 माह)	11	12(10 x 11)
रायपुर शहर 1	मार्च 18	55	34	50400	21	61.82	2541	141.71	1080255.33	7.11	7680615.40
महासमुंद	मार्च 18	86	54	34200	32	62.79	3872	141.71	1646103.36	7.11	11703794.89
राजनादगौव	मार्च 18	64	24	17919	40	37.50	4840	141.71	2057629.20	7.11	14629743.61
बिलासपुर शहर	मार्च 18	28	10	21660	18	35.71	2178	141.71	925933.14	7.11	6583384.63
कवर्धा	मार्च 18	57	26	20400	31	45.61	3751	141.71	1594662.63	7.11	11338051.30
जांजगीर-चांपा	मार्च 18	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं	0.00	0.00
योग 2017-18		290	148	144579	142		17182		7304583.66		51935589.82
रायपुर शहर 1	मार्च 19	59	34	50400	25	57.63	3025	141.71	1286018.25	6.78	8719203.74
महासमुंद	मार्च 19	97	54	36000	43	55.67	5203	141.71	2211951.39	6.78	14997030.42
राजनादगौव	मार्च 19	68	24	17919	44	35.29	5324	141.71	2263392.12	6.78	15345798.57
बिलासपुर शहर	मार्च 19	28	10	21660	18	35.71	2178	141.71	925933.14	6.78	6277826.69
कवर्धा	मार्च 19	58	26	20400	32	44.83	3872	141.71	1646103.36	6.78	11160580.78
जांजगीर-चांपा	मार्च 19	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं	0.00	0.00

इकाईयों का नाम	महीना और साल	कुल 33/11 केवीएसएस की संख्या	एसएस की संख्या जहां सीबी स्थापित हैं	स्थापित सीबी की क्षमता (केवीएआर)	ऐसे एसएस की संख्या जहां सीबी स्थापित नहीं हैं	स्थापित सीबी का प्रतिशत	सीबी की कुल आवश्यक क्षमता (केवीएआर) (121 केवीएआर प्रति एसएस)	ऊर्जा बचत प्रति केवीएआर/माह (इकाई)	3 महीने के लिए कुल ऊर्जा बचत (इकाईयों में)	औसत बिलिंग दर (₹ प्रति इकाई)	ऊर्जा बचत का कुल मूल्य (₹)
1	2	3	4	5	6(3-4)	7(4/3)%	8(कालम 6 x 121)	9	10(8 x 9 x 3 माह)	11	12(10 x 11)
योग 2018-19		310	148	146379	162		19602		8333398.26		56500440.20
रायपुर शहर 1	मार्च 20	61	35	7200	26	57.38	3146	141.71	1337458.98	6.58	8800480.09
महासमुंद	मार्च 20	102	54	37200	48	52.94	5808	141.71	2469155.04	6.58	16247040.16
राजनादगॉव	मार्च 20	69	48	52407	21	69.57	2541	141.71	1080255.33	6.58	7108080.07
बिलासपुर शहर	मार्च 20	29	10	21660	19	34.48	2299	141.71	977373.87	6.58	6431120.06
कवर्धा	मार्च 20	58	24	21300	34	41.38	4114	141.71	1748984.82	6.58	11508320.12
जांजगीर-चांपा	मार्च 20	90	23	19452	67	25.56	8107	141.71	3446528.91	6.58	22678160.23
योग 2019-20		409	194	159219	215		26015		11059756.95		72773200.73
रायपुर शहर 1	मार्च 21	63	35	7200	28	55.56	3388	141.71	1440340.44	6.50	9362212.86
महासमुंद	मार्च 21	102	54	37200	48	52.94	5808	141.71	2469155.04	6.50	16049507.76
राजनादगॉव	मार्च 21	69	48	53907	21	69.57	2541	141.71	1080255.33	6.50	7021659.65
बिलासपुर शहर	मार्च 21	30	10	21660	20	33.33	2420	141.71	1028814.60	6.50	6687294.90
कवर्धा	मार्च 21	58	31	27660	27	53.45	3267	141.71	1388899.71	6.50	9027848.12
जांजगीर-चांपा	मार्च 21	90	23	19452	67	25.56	8107	141.71	3446528.91	6.50	22402437.92
योग 2020-21		412	201	167079	211		25531		10853994.03		70550961.20
रायपुर शहर 1	मार्च 22	64	35	7200	29	54.69	3509	141.71	1491781.17	7.00	10442468.19
महासमुंद	मार्च 22	102	54	37200	48	52.94	5808	141.71	2469155.04	7.00	17284085.28
राजनादगॉव	मार्च 22	69	48	53907	21	69.57	2541	141.71	1080255.33	7.00	7561787.31

इकाईयों का नाम	महीना और साल	कुल 33/11 केवीएसएस की संख्या	एसएस की संख्या जहां सीबी स्थापित हैं	स्थापित सीबी की क्षमता (केवीएआर)	ऐसे एसएस की संख्या जहां सीबी स्थापित नहीं हैं	स्थापित सीबी का प्रतिशत	सीबी की कुल आवश्यक क्षमता (केवीएआर) (121 केवीएआर प्रति एसएस)	ऊर्जा बचत प्रति केवीएआर/माह (इकाई)	3 महीने के लिए कुल ऊर्जा बचत (इकाईयों में)	औसत बिलिंग दर (₹ प्रति इकाई)	ऊर्जा बचत का कुल मूल्य (₹)
1	2	3	4	5	6(3-4)	7(4/3)%	8(कालम 6 x 121)	9	10(8 x 9 x 3 माह)	11	12(10 x 11)
बिलासपुर शहर	मार्च 22	30	10	21660	20	33.33	2420	141.71	1028814.60	7.00	7201702.20
कवर्धा	मार्च 22	58	33	27660	25	56.90	3025	141.71	1286018.25	7.00	9002127.75
जांजगीर-चांपा	मार्च 22	90	23	19452	67	25.56	8107	141.71	3446528.91	7.00	24125702.37
योग 2021-22		413	203	167079	210		25410		10802553.30		75617873.10
योग 2017-22		1834	894	784335	940		113740		48354286.20		327378065.05

(स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित जानकारी)

परिशिष्ट-6.1.5
(कंडिका 6.1.7.4 में संदर्भित)

चयनित सर्किलों में वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान निष्पादन परिचालन एवं संधारण (ओ एंड एम) और सतर्कता जांच, चोरी के मामलों का पता लगाने और वसूल की गई राशि को प्रदर्शित करने वाला विवरण

(₹ लाख में)

सर्किल का नाम	जांच के लिए कनेक्शन की संख्या का लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि में कमी	लक्ष्य के विरुद्ध की गयी जांच का प्रतिशत (%)	मांग राशि का लक्ष्य	परिचालन एवं संधारण (ओ एंड एम) और सतर्कता जांच के अंतर्गत दर्ज मामलों की संख्या	जांच में पायी गई अनियमितताओं का प्रतिशत	कुल वसूली योग्य राशि	कुल वसूल की गई राशि	वसूल की जाने वाली शेष राशि	मांग के विरुद्ध उपलब्धि का प्रतिशत (%)	पुलिस में दर्ज एफ आई आर की संख्या
1	2	3	4 (2-3)	5 (3/2)%	6	7	8(7/3)%	9	10	11 (9-10)	12 (9/6) %	13
वर्ष- 2017-18												
रायपुर शहर 1	53744	42390	11354	78.87	546.00	889	2.10	427.02	319.18	107.84	78.21	135
महासमुंद	18605	5685	12920	30.56	387.00	1216	21.39	459.41	63.55	395.86	118.71	511
राजनांदगाँव	30611	15121	15490	49.40	371.00	937	6.20	289.96	168.86	121.10	78.16	3
बिलासपुर सिटी	12749	6693	6056	52.50	467.00	860	12.85	427.71	213.86	213.85	91.59	290
कवर्धा	18740	188	18552	1.00	96.00	151	80.32	68.94	25.35	43.59	71.81	0
जांजगीर-चांपा	28854	3541	25313	12.27	570.00	1594	45.02	403.96	185.16	218.80	70.87	0
योग (क)	163303	73618	89685	45.08	2437.00	5647	7.67	2077.00	975.96	1101.04	85.23	939
वर्ष- 2018-19												
रायपुर शहर 1	58881	43254	15627	73.46	564.16	1212	2.80	367.03	242.29	124.74	65.06	60
महासमुंद	19877	4957	14920	24.94	601.16	802	16.18	247.19	63.33	183.86	41.12	43
राजनांदगाँव	33203	22289	10914	67.13	373.16	989	4.44	355.98	197.71	158.27	95.40	0
बिलासपुर सिटी	13376	3887	9489	29.06	451.16	767	19.73	381.47	186.75	194.72	84.55	147

सर्किल का नाम	जांच के लिए कनेक्शन की संख्या का लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि में कमी	लक्ष्य के विरुद्ध की गयी जांच का प्रतिशत (%)	मांग राशि का लक्ष्य	परिचालन एवं संधारण (ओ एंड एम) और सतर्कता जांच के अंतर्गत दर्ज मामलो की संख्या	जांच में पायी गई अनियमितताओं का प्रतिशत	कुल वसूली योग्य राशि	कुल वसूल की गई राशि	वसूल की जाने वाली शेष राशि	मांग के विरुद्ध उपलब्धि का प्रतिशत (%)	पुलिस में दर्ज एफ आई आर की संख्या
1	2	3	4 (2-3)	5 (3/2)%	6	7	8(7/3)%	9	10	11 (9-10)	12 (9/6) %	13
कवर्धा	20801	243	20558	1.17	50.00	242	99.59	128.05	58.46	69.59	256.10	0
जांजगीर-चांपा	31253	2742	28511	8.77	484.08	1289	47.01	262.56	144.97	117.59	54.24	0
योग (ख)	177391	77372	100019	43.62	2523.72	5301	6.85	1742.28	893.51	848.77	69.04	250
वर्ष- 2019-20												
रायपुर सिटी 1	58881	36523	22358	62.03	484.41	1683	4.61	301.01	272.96	28.05	62.14	33
महासमुंद	19877	3616	16261	18.19	365.16	1206	33.35	284.82	172.72	112.10	78.00	0
राजनांदगाँव	33203	20173	13030	60.76	297.97	1197	5.93	247.00	154.48	92.52	82.89	0
बिलासपुर सिटी	13376	2265	11111	16.93	425.16	735	32.45	458.09	195.91	262.18	107.75	184
कवर्धा	22801	3357	19444	14.72	157.16	1544	45.99	123.84	19.5	104.34	78.80	4
जांजगीर-चांपा	31253	3262	27991	10.44	510.33	2904	89.03	319.63	132.37	187.26	62.63	0
योग (ग)	179391	69196	110195	38.57	2240.19	9269	13.40	1734.39	947.94	786.45	77.42	221
वर्ष- 2020-21*												
रायपुर सिटी.-1	—	122137	—	—	—	870	0.71	575.92	234.49	341.43	—	92
महासमुंद	—	2979	—	—	—	539	18.09	244.49	39.86	204.63	—	0
राजनांदगाँव	—	19360	—	—	—	6020	31.10	277.75	108.57	169.18	—	62
बिलासपुर सिटी	—	723	—	—	—	688	95.16	294.92	48.29	246.63	—	124
कवर्धा	—	1309	—	—	—	752	57.45	172.74	67.95	104.79	—	0
जांजगीर-चांपा	—	5165	—	—	—	1335	25.85	315.06	93.77	221.29	—	0

सर्किल का नाम	जांच के लिए कनेक्शन की संख्या का लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि में कमी	लक्ष्य के विरुद्ध की गयी जांच का प्रतिशत (%)	मांग राशि का लक्ष्य	परिचालन एवं संधारण (ओ एंड एम) और सतर्कता जांच के अंतर्गत दर्ज मामलो की संख्या	जांच में पायी गई अनियमितताओं का प्रतिशत	कुल वसूली योग्य राशि	कुल वसूल की गई राशि	वसूल की जाने वाली शेष राशि	मांग के विरुद्ध उपलब्धि का प्रतिशत (%)	पुलिस में दर्ज एफ आई आर की संख्या
1	2	3	4 (2-3)	5 (3/2)%	6	7	8(7/3)%	9	10	11 (9-10)	12 (9/6) %	13
योग (घ)	0	151673	0	0	0	10204	6.73	1880.88	592.93	1287.95	0	278
वर्ष-2021-22												
रायपुर सिटी-1	58381	4873	53508	8.35	475.81	399	8.19	149.47	65.77	83.7	31.41	33
महासमुंद	19377	3270	16107	16.88	250.34	2392	73.15	671.6	113.29	558.31	268.28	0
राजनांदगाँव	32703	17934	14769	54.84	327.17	1706	9.51	243.31	65.60	177.71	74.37	0
बिलासपुर सिटी	12876	8035	4841	62.40	384.21	690	8.59	360.33	166.02	194.31	93.78	222
कवर्धा	22301	1288	21013	5.78	116.18	500	38.82	154.01	48.79	105.22	132.56	3
जांजगीर-चांपा	30753	1139	29614	3.70	342.84	1024	89.90	369.62	80.7	288.92	107.81	0
योग (ङ.)	176391	36539	139852	20.71	1896.55	6711	18.37	1948.34	540.17	1408.17	102.73	258
सकल योग (क+ख+ग+घ+ङ.)	696476	408398	288078	58.64	9097.46	37132	9.09	9382.89	3950.51	5432.38	103.14	1946

(स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित जानकारी)

*कोविड महामारी संक्रमण के कारण वर्ष 2020-21 के लिए ओ एंड एम और सतर्कता जांच तथा इसके विरुद्ध की जाने वाली मांग के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

परिशिष्ट-6.1.6
(कड़िका 6.1.7.6 में संदर्भित)

चयनित सर्किलों में केजेजेवाई उपभोक्ताओं के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन को दावा की गई अतिरिक्त सब्सिडी को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	बिल की गई अतिरिक्त ईकाइयाँ (ईकाइयो में)					कुल अतिरिक्त बिल की गई ईकाइयाँ (ईकाइयाँ दस लाख में)	ईकाइ दर (₹ प्रति किलोवॉट घंटा)	अतिरिक्त दांवा (₹ करोड में)
	महासमुंद (एस सी/एस टी उपभोक्ताएँ)	राजनांदगाँव (एस सी/एस टी उपभोक्ताएँ)	राजनांदगाँव अन्य उपभोक्ताएँ	कवर्धा (एस सी/एस टी उपभोक्ताएँ)	जांजगीर-चांपा (एस सी/एस टी उपभोक्ताएँ)			
1	2	3	4	5	6	7 (2+3+4+5+6)	8	9 (7x8)
2017-18	69313	7126067	8154461	9897794	11082265	36.33	7.11	25.83
2018-19	9526958	9599948	5659352	8521099	16221960	49.53	6.78	33.58
2019-20	4710264	7557085	2331426	2776530	7573509	24.95	6.58	16.42
2020-21	12860457	14372624	2858433	991163	11067931	42.15	6.50	27.40
2021-22	21830420	15552321	1740364	2321795	18966954	60.41	7.00	42.29
योग						213.37		145.51

(स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित जानकारी)

परिशिष्ट-6.1.7

(कड़िका 6.1.8.1 एवं 6.1.8.2 में संदर्भित)

चयनित सर्किलों में वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान संग्रहण दक्षता दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

इकाई का नाम	वर्ष	वर्ष के दौरान बिल की गई राशि	वर्ष के दौरान राजस्व संग्रहित किया गया	संग्रहण दक्षता का लक्ष्य (% में)	कम्पनी द्वारा सुचित की गई संग्रहण दक्षता (% में)	लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई संग्रहण दक्षता (% में)	संग्रहण दक्षता के लक्ष्य की प्राप्ति/अप्राप्ति (% में)	गलत संग्रहण दक्षता (% में)
1	2	3	4	5	6	7	8 (5-7)	9 (6-7)
रायपुर सिटी-1	2017-18	684.66	681.41	99.66	99.53	97.67	1.99	1.86
	2018-19	693.17	692.47	99.66	99.90	97.61	2.05	2.29
	2019-20	743.53	699.43	99.66	94.07	91.97	7.69	2.10
	2020-21	691.14	627.02	99.66	90.72	83.36	16.30	7.36
	2021-22	799.44	788.12	99.66	98.58	85.24	14.42	13.34
योग		3611.94	3488.45	99.66	96.58			
महासमुंद	2017-18	461.82	418.46	99.66	90.61	81.13	18.53	9.48
	2018-19	460.41	407.95	99.66	88.61	73.14	26.52	15.47
	2019-20	505.38	452.45	99.66	89.53	69.06	30.60	20.47
	2020-21	541.77	489.21	99.66	90.30	65.71	33.95	24.59
	2021-22	644.55	613.98	99.66	95.26	68.23	31.43	27.03
योग		2613.93	2382.05	99.66	91.13			
राजनांदगाँव	2017-18	491.82	475.71	99.66	96.72	95.36	4.30	1.36
	2018-19	531.41	505.64	99.66	95.15	91.18	8.48	3.97
	2019-20	568.03	536.63	99.66	94.47	86.98	12.68	7.49
	2020-21	637.39	597.66	99.66	93.77	83.27	16.39	10.50
	2021-22	707.99	710.45	99.66	100.35	85.80	13.86	14.55

इकाई का नाम	वर्ष	वर्ष के दौरान बिल की गई राशि	वर्ष के दौरान राजस्व संग्रहित किया गया	संग्रहण दक्षता का लक्ष्य (% में)	कम्पनी द्वारा सुचित की गई संग्रहण दक्षता (% में)	लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई संग्रहण दक्षता (% में)	संग्रहण दक्षता के लक्ष्य की प्राप्ति/अप्राप्ति (% में)	गलत संग्रहण दक्षता (% में)
1	2	3	4	5	6	7	8 (5-7)	9 (6-7)
योग		2936.64	2826.09	99.66	96.24			
बिलासपुर शहर	2017-18	336.84	345.04	99.66	102.43	92.89	6.77	9.54
	2018-19	333.95	313.42	99.66	93.85	86.97	12.69	6.88
	2019-20	367.01	340.51	99.66	92.78	82.26	17.40	10.52
	2020-21	343.07	301.96	99.66	88.02	72.50	27.16	15.52
	2021-22	396.13	439.18	99.66	110.87	86.00	13.66	24.87
योग		1777.00	1740.11	99.66	97.92			
कवर्धा	2017-18	208.09	196.87	99.66	94.61	84.95	14.71	9.66
	2018-19	222.63	211.25	99.66	94.89	82.04	17.62	12.85
	2019-20	222.95	222.04	99.66	99.59	82.48	17.18	17.11
	2020.21	242.24	231.72	99.66	95.66	80.07	19.59	15.59
	2021.22	272.92	269.45	99.66	98.73	81.50	18.16	17.23
योग		1168.83	1131.33	99.66	96.79			
जांजगीर – चांपा	2017.18	350.36	322.63	99.66	92.08	73.45	26.21	18.63
	2018.19	396.01	382.83	99.66	96.67	74.68	24.98	21.99
	2019.20	438.17	416.16	99.66	94.98	73.27	26.39	21.71
	2020.21	441.97	376.83	99.66	85.26	63.47	36.19	21.79
	2021.22	503.41	472.52	99.66	93.86	65.60	34.06	28.26
योग		2129.92	1970.97	99.66	92.54			

(स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित जानकारी)

परिशिष्ट-6.1.8
(कड़िका-6.1.8.7 में संदर्भित)

(क) कंणी द्वारा योजनावार दावा की गई और प्राप्त सब्सिडी को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान किया गया दावा	कुल प्राप्ति योग्य राशि	वर्ष के दौरान प्राप्त	अंतिम शेष	प्राप्त सब्सिडी का प्रतिशत
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6/5)x100
एकल बत्ती कनेक्शन: छत्तीसगढ़ शासन ने एकल बत्ती निःशुल्क विद्युत सप्लाई योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) उपभोक्ताओं को 30 इकाई निःशुल्क बिजली आपूर्ति प्रदान की। खपत की गई 30 इकाई बिजली के बिलों की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की गई इसके अलावा, छत्तीसगढ़ शासन ने बीपीएल उपभोक्ताओं और एक किलोवॉट से अधिकतम भार वाले अन्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली शुल्क के भुगतान के लिए स्थिर दर विकल्प (27 अगस्त 2018) शुरू किया। योजना के अनुसार, उपभोक्ता को बिजली शुल्क के लिए ₹ 100 प्रतिमाह का भुगतान करना था।	2017-18	9.43	276.43	285.86	367.72	-81.86	128.64
	2018-19	-81.86	505.48	423.62	363.14	60.48	85.72
	2019-20	60.48	470.11	530.59	585.00	-54.41	110.25
	2020-21	-54.41	509.38	454.97	400.00	54.97	87.92
	2021-22	54.97	491.95	546.92	400.00	146.92	73.14
योग (क)			2253.35		2115.86		
कृषक जीवन ज्योति योजना: छत्तीसगढ़ शासन ने (2 अक्टूबर 2009) कृषक जीवन ज्योति योजना शुरू की। जीवन ज्योति योजना में 3 एचपी तक और 3 एचपी से ऊपर 5 एचपी तक के पंप कनेक्शन के लिए बिजली का उपयोग करने वाले किसानों को क्रमशः 6,000 इकाई और 7500 इकाई बिजली प्रतिवर्ष मुफ्त दी गई। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ शासन ने कृषक जीवन ज्योति योजना (केजेजेवाई) के उपभोक्ताओं के लिए स्थिर दर भुगतान विकल्प शुरू किया (19 सितंबर 2013)। स्थिर दर चुनने की स्थिति में, उपभोक्ताओं को खपत की इकाईयों की संख्या की परवाह किये बिना प्रतिमाह ₹100 प्रति एचपी की दर से बिजली शुल्क का भुगतान करना था। केजेजेवाई के तहत बिजली के खपत बिलों की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की गई।	2017-18	865.25	2206.73	3071.98	1668.66	1403.32	54.32
	2018-19	1403.32	2577.60	3980.92	1645.31	2335.61	41.33
	2019-20	2335.61	2576.75	4912.36	2664.50	2247.86	54.24
	2020-21	2247.86	2693.84	4941.70	2300.00	2641.70	46.54
	2021-22	2641.70	3161.59	5803.29	3632.00	2171.29	62.59
योग (ख)			13216.51		11910.47		

उपभोक्ताओं का 50 प्रतिशत छुट और डीएलएफ उपभोक्ताओं को स्थिर दर*: अधिकतम एक किलोवॉट वाले अन्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली शुल्क के भुगतान के लिए स्थिर दर विकल्प (27 अगस्त 2018 को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पेश किया) उपलब्ध था। योजना के अनुसार, उपभोक्ताओं को बिजली शुल्क के लिए ₹ 100 प्रतिमाह का भुगतान करना था। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ शासन नें राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 400 इकाई बिजली खपत तक बिजली शुल्क पर 50 प्रतिशत छुट प्रदान करने के लिए आधी बिजली बिल योजना (27 फरवरी 2019) शुरू किया। यह योजना 1 मार्च 2019 से प्रभावी थी। बिजली शुल्क में निश्चित शुल्क, ऊर्जा शुल्क और परिवर्तनीय लागत समायोजन शुल्क शामिल हैं।	2018-19	0.00	183.76	183.76	0.00	183.76	0.00
	2019-20	183.76	783.61	967.37	977.21	-9.84	101.02
	2020-21	-9.84	848.79	838.95	850.00	-11.05	101.32
	2021-22	-11.05	871.63	860.58	900.00	-39.42	104.58
योग (ग)			2687.79		2727.21		
स्टील उद्योगों को छुट: छत्तीसगढ़ शासन ने (30 अगस्त 2019) उन स्टील उद्योगों के लिए छुट की शुरुआत की जो अधिकतम एक मेगावॉट क्षमता वाले कैप्टीव पावर प्लांट का संचालन कर रहे हैं। यह पैकेज 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी था। योजना के अनुसार, स्टील उद्योग ऊर्जा शुल्क के कारण 80 पैसे प्रति इकाई की छुट पाने के पात्र थे।	2018-19	0.00	297.26	297.26	70.32	226.94	23.66
	2019-20	226.94	418.90	645.84	424.42	221.42	65.72
	2020-21	221.42	436.52	657.94	644.84	13.10	98.01
	2021-22	13.10	-0.13	12.97	0.00	12.97	0.00
योग (घ)			1152.55		1139.58		
सकल योग (क+ख+ग+घ)			19310.20		17893.12		

(स्रोत: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित जानकारी)

* कंपनी द्वारा की गई दोनों योजनाओं की राशि को एक साथ जोड़ दिया गया।

(ख) कंपनी द्वारा लिए गए ऋण और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सब्सिडी जारी न करने के कारण उस पर ब्याज को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	वर्ष के दौरान दावा की गयी सब्सिडी	वर्ष के दौरान प्राप्त सब्सिडी	अप्राप्त सब्सिडी	वर्ष के दौरान लिया गया ऋण	लिये गए ऋण पर ब्याज	अप्राप्त सब्सिडी के कारण लिया गया ऋण	वसूल न की गई सब्सिडी के कारण लिए गए ऋण पर ब्याज
1	3	4	5 (3-4)	6	7	8	9
2017-18	3,357.84	2,036.38	1321.46	737.45	71.94	737.45	71.94
2018-19	3,564.10	2,078.77	1485.33	1,066.30	113.09	1,066.30	113.09
2019-20	4,249.37	4,651.13	-401.76	1,490.23	165.85	0.00	0.00
2020-21	4,488.53	4,194.84	293.69	1,810.82	183.39	293.69	29.74
2021-22	4,525.04	4,932.00	-406.96	1,628.00	167.36	0.00	0.00
योग						2,097.44	214.77

(स्रोत: सीएसईआरसी के टेरिफ आदेश तथा कंपनी द्वारा उपलब्ध आंकड़ों से संकलित जानकारी)

© भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ag/chhattisgarh/en>

